(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-11 आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का सातवां दिवस संख्या-5

बुधवार,

दिनांक 5 जुलाई, 1989

राजस्थान विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : श्री भंवरलालजी शर्मा।

**श्री चुन्नीलाल मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से मेरे को प्रश्न पत्र नहीं मिल रहे हैं। क्या विधान सभा के बजट में घाटा आ गया है, चक्कर क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तीन दिन से मेरे को प्रश्न पत्र नहीं मिल रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पत्र मेरे को भी नहीं मिला।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बीकानेर में हुई रेल दुर्घटना की ओर दिलाना चाहती हूं.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर सिख रेजीमेंट के लोगों ने मारा है, रेलवे वालों को मारा है.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मेरी सुनें। नोट नहीं करेंगे। नोट नहीं करेंगे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ××× 

**श्री अध्यक्ष** : नोट नहीं करें.... माननीय उजलाजी, यह आप कर क्या रही हैं ? आप इतनी पुरानी हैं.... मेरी ओर भी देखिये आप.... नोट नहीं करेंगे.... बैठिये, बैठिये। नोट नहीं हो रहा है। .. नोट नहीं हो रहा है.... आपका कोई प्रश्न ही नहीं है।.... यह गलत बात है.... नोट नहीं हो रहा है.... आप बैठिये, गलत बात है.... It is a bad precedent बैठिये आप ... आप कर क्या रही हैं। नोट नहीं हो रहा है। यह कोई तरीका है आपका ?

**श्री चुन्नीलाल मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्वासन नहीं दिया आपने, मैं यह जानना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप मेरी सुनिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, आपको मुझे चैम्बर में आकर कह देना चाहिये था। यह हाउस का समय क्यों खराब करते हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : आपका नोट नहीं हो रहा है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री चुन्नीलाल मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्या आश्वासन दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूं कि कोई प्रश्न पत्र नहीं मिला, कोई इस तरह की दिक्कत हो तो मुझे चैम्बर में कह दिया करें, पूरे हाउस का समय खराब नहीं किया करें।

श्री भंवरलालजी।

**सरदारशहर तहसील की इकाइयों को ऋण**

95. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदार शहर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1987–88, 1988–89 में सरदारशहर तहसील में किन-किन इकाइयों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण स्वीकृत किये गये ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त स्वीकृत शुदा ऋणों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो अब तक भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण रहा ? अब कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

**राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग** (श्री भैरूलाल भारद्वाज) : (1) सरदारशहर तहसील में वर्ष 1987–88 में व 1988–89 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा क्रमश: 46 एवं 70 ग्रामोद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1987–88 में स्वीकृत सभी ग्रामोद्योगिक इकाइयों को ऋण का भुगतान कर दिया गया है जबकि वर्ष 1987–88 में स्वीकृत 70 ग्रामोद्योगिक इकाइयों में से 39 ग्रामोद्योगिक इकाइयों को राशि का भुगतान किया गया है। शेष 31 ग्रामोद्योगिक इकाइयों जिनका भुगतान नहीं किया गया है, उनके कारण निम्नानुसार हैं :–

(i) 23 स्वीकृत ग्रामोद्योगिक इकाइयों को भारत सरकार के खादी आयोग से आवश्यक धनराशि वर्ष के अन्त तक प्राप्त न हो पाने के कारण ऋण राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

(ii) 8 ग्रामोद्योग इकाइयों हेतु रेशा बाण मशीनों की सप्लाई के आदेश दिये जा चुके हैं। मशीनें प्राप्त न होने के कारण कार्यकारी ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। मशीनों के बारे में पैसा कम्पनी को भेज दिया गया है। उपरोक्त स्वीकृतशुदा शेष 31 इकाइयों का भुगतान इस वर्ष 1989–90 में खादी कमीशन से बजट स्वीकृत होने पर कर दिया जायगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि स्वीकृति से पूर्व डिपार्टमेंट को यह पता रहता है या नहीं कि कितनी राशि होती है ? किस इकाई के लिये कितनी-कितनी राशि रहती है ? आपने यह कहा कि 31 मार्च को खादी ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई से राशि आई है, उससे पूर्व डिपार्टमेंट के पास इत्तला रहनी चाहिये ताकि उतने ही फार्म भरायें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नम्बर दो, क्या यह सही है कि खादी के सुपरवाइजर और इंसपेक्टर्स 11 महीने तक तो बैठे रहते हैं और जब मार्च का महीना आता है तो 10-5 दिन में लोगों के फार्म भराकर अपनी दूकानदारी, वह सारी एप्लीकेशन वहां की लेते हैं ? क्या यह सही है, आप यह बताने का कष्ट करें कि पूर्व में अप्रेल से लेकर नवम्बर तक कितनी इकाइयों की सैंक्शन हुई और मार्च में कितनी इकाइयों की सैंक्शन हुई ? आपने फरमाया कि 88-89 का बजट आते ही कर दिया जायगा। क्या हम यह मानें कि 31 मार्च को ही आपका बजट आयेगा या उससे पहले आप भुगतान कर देंगे। इन मेरे दो प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिये।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : ऐसा है, श्रीमान्, कि यहां का जो बजट बना कर भेजते हैं उसकी वहां से स्वीकृति....

**श्री शोपत सिंह** : माननीय सदस्य हैं, श्रीमान् नहीं हैं।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : माननीय सदस्य से श्रीमान् ज्यादा कीमती है।

**श्री शोपत सिंह** : ज्यादा कीमती नहीं है। ज्यादा कीमती हम नहीं चाहते।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : अच्छा, कम कीमती रहो।

**श्री शोपत सिंह** : मंत्रीजी, आप अपनी गरिमा में रहें। आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिये। ज्यादा कीमती हमको नहीं मत दीजिये। यह मित्र, श्रीमान् आप अपनी गरिमा में रहें।

**श्री अध्यक्ष** : शोपत सिंहजी, कृपया।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : मैं आप वाली बात ही कह देता हूं, कम कीमती रहो। माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि वितरण की जाने वाली राशि बम्बई में जो हमारा कमीशन है वह स्वीकृत करके भेजता है। हम जिन इकाइयों का बना कर भेजते हैं, वह लम्पसम बजट पहले भेजता है और हम बजट के हिसाब से ही वितरित करते हैं। मगर यह बात सही है, आपके कहने के मुताबिक, वह लम्पसम बजट की आखिरी स्थितियां मार्च में आकर रूकती हैं और मार्च में ही वह आखिरी बजट, जो कमती-बेसी होता है, कमीशन उसको लौटाता है। उसमें अबकी ऐसा हुआ है, जो मैंने आपको निवेदन किया, यह 39 इकाइयों को तो जो लम्पसम बजट आया उसमें से दे दिया गया मगर बाद में 8 इकाइयां ऐसी थीं जिनका हमने रेशे की मशीन लेने का मंजूर कर दिया और उनको आर्डर दे दिया कि आप मशीन खरीदिये। इसका पैसा हम उस कम्पनी, जिससे वह खरीदते हैं, के पास भेजते हैं, यह पैसा भी हमने उनको भेज दिया। ज्यों ही उनकी रसीद प्राप्त होगी उनको सामान वगैरह के लिये पैसा दे दिया जायगा। इसके बाद जो बाकी की रह गई, 12 इकाइयां ऐसी थीं। चूंकि 9 जनवरी से 23 जनवरी तक हड़ताल थी इसलिये इसके बीच में इनकी जो कार्यवाही है वह देर से की जिला इकाइयों ने। इसकी वजह से इन 12 इकाइयों को हमने देर से भेजा। वहां से रुपया 31 मार्च को पास तो हुआ

(4)



(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

बम्बई में और उन्होंने स्टेट बैंक में जमा भी करा दिया परन्तु हमारे यहां 4 अप्रेल को आकर पहुंचा, इसलिये वह नहीं दे नहीं पाये। इसलिये उसको वापस लौटाना पड़ा। परन्तु अब इस बजट में हमने उन सबको भेज दिया है और कुछ रुपया हमको प्राप्त भी हो गया है, लम्पसम बजट अभी। हम इनको देने की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि इन सबको पैसा दिया जायगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जहां तक आपकी इस बात का सवाल है कि यह मार्च के महीने में ज्यादा क्यों होता है। यह बिल्कुल गम्भीर बात है। खादी कमीशन बना हुआ है, जैसा आप जानते हैं, यह विभाग नहीं काम करता है, एक बाकायदा बोर्ड बना हुआ है। मैं बोर्ड को ताकीद करूंगा और कमीशन को भी कहूंगा, आल इंडिया स्तर का है उसको, कि वह इस प्रक्रिया में सुधार लावे ताकि इस तरह मार्च में दबाव नहीं बढ़े।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्रीमती उजला अरोड़ा।

**जयपुर व जमवारामगढ़ के गांवों की सड़कों का डामरीकरण**

96. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जमवारामगढ़ तहसील व जयपुर तहसील में 1500 आबादी से अधिक के कितने गांव ऐसे हैं जिनकी सड़कों का आज तक डामरीकरण नहीं किया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों को कब तक डामर की सड़कों से जोड़ दिया जावेगा ? इस सम्बन्धी कार्यक्रम का विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें। यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है तो क्यों ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जयपुर व जमवारामगढ़ तहसील में सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 की जनसंख्या से ऊपर वाले निम्नलिखित 6 ग्राम हैं जिन्हें डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है :-

**जयपुर तहसील**

1. बेगस

**तहसील जमवारामगढ़**

2. बिलोद
3. धूला (रावजी)
4. टोडा भीम
5. चांवडिया
6. डागरवाड़ा

इनमें से ग्राम बेगस, चांवडिया व डांगरवाड़ा गिट्टी की सड़क (डब्ल्यू.बी.एम.) से जुड़े हुए हैं।

(2) उक्त ग्रामों को डामर की सड़कों से जोड़ने की अवधि का मामला धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है। इन ग्रामों को जोड़ने का कार्य सी.आर एफ. एवं एम.एन. पी. योजना में स्वीकृत है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो माननीय मंत्री

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महोदय ने खड़ा कर दिया सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर। जहां तक मेरा ख्याल है अभी 81 प्रचलित है, आपने 71 की जनसंख्या का आधार कैसे लिया? मंत्री महोदय बतायें।

दूसरा, उसके बाद और प्रश्न खड़े होते हैं। जो अन्य सड़कें हैं 1500 की आबादी वाली बजट भाषण में श्री शिवचरणजी माथुर ने कहा था कि 90 गांवों को लिया जायगा। क्या जयपुर जिले के एक भी गांव को नहीं लिया जायगा? मैं नहीं समझती, जयपुर तहसील, जमवारामगढ़ तहसील के किसी गांव को आपने शामिल नहीं किया और इन सड़कों का मैन्टेनेंस किसको देने वाले हैं आप? दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि भानपुर कलां से लीली अधूरी सड़क पड़ी है, डामरीकरण नहीं हुआ। चांवड से नायला, सायवाड़ से शाहपुरा, भानपुर कलां से बांसखो, लाली से नायला ढूंढ से भानपुर कलां, हीरावास से रूपवास, भानपुर कलां से बासना यह सारी सड़कें और बिलोद, धूला, टोडा मीना, चांवडिया, डांगरवाडा सभी 1500 की जनसंख्या में शामिल हो गये हैं। मंत्री महोदय जयपुर जिले में आप यहां रहते हैं, भाषण देने जाते हैं। यहां की सड़कों का रख-रखाव और डामरीकरण से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** एम. एन. पी. यानि मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे राजस्थान में जो 71 की आबादी है उसी को हमने आधार माना है। Let me complete first।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** आप 71 को आधार कैसे मान रहे हैं। अब तो 91 आने वाला है आप 71 पर खड़े हैं। जब कि जनसंख्या बढ़ कर दुगुनी-तिगुनी हो गई है।

**श्री भूदरमल :** अध्यक्ष महोदय, डांगरवाड़ा की सड़क पर जो डामर हो चुका है। जिसका नाम ले रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है ...

**श्री अध्यक्ष :** इनके कागजों में नहीं है। (व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** आज 8 महीने से टेण्डर पड़े हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप इसको चैक कर लें जरा।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** 1971 की जनसख्या को ही आधार मान कर पूरी योजना बनाई गई है और उसके अन्तर्गत जैसा मैंने बताया कि यह 6 गांव जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बूच से चांवडिया राजकीय उच्च मार्ग जिसकी आबादी 2058 गांव की है उसकी 2.3.89 को 9 कि.मी. रोड की स्वीकृति हुई है। इसी तरह आंधी से डांगरवाड़ा, सेंथल सागर रोड यह 10 कि.मी. की स्वीकृति 2.3.89 को जारी हुई है। इसी प्रकार से सी.आर.एफ. में तीन स्वीकृतियां जारी हुई है नकटी घाटी से धूला रावजी, टाला से बिलोद और सम्पर्क सड़क टोडा मीणा वाया बासना। इस प्रकार से मैं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

समझता हूं कि सारे के सारे गांव हमारी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये हुए हैं। आपको यह जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने आपको यह बता दिया कि यह सारे कार्य स्वीकृत हो गये हैं और इन कार्यों को हम अपने वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार कर देंगे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न को उड़ाना चाहते हैं। वर्तमान में जो सड़कें....
(व्यवधान)

**श्री बिरदमल सिंघवी** : यह सड़कें बनी या नहीं बनीं ?

**श्री अध्यक्ष** : वह आपसे ज्यादा होशियार है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : जिन सड़कों के मैंने नाम लिये हैं वह पिछले दस सालों से टूट गई हैं बार-बार वर्षा में बह रही है उनके डामरी करण की बात कहनी थी। मंत्री महोदय यह बात उड़ा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भानपुर कला, चांवडिया, सायपुरा, बांसखो....,

**श्री अध्यक्ष** : आप इनको रिपीट कर रही हैं। यह आई हैं वह उन्होंने बतला दिया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, वह लिख लें। वह कभी जाते नहीं। कभी देखते नहीं। विभाग से रिपोर्ट लेते नहीं। इसलिए उनको मालूम नहीं है। इन सड़कों का डामरीकरण कब कर दिया जाएगा ?

**श्री अध्यक्ष** : इन सड़कों को जनरल नहीं करना है।

**श्री विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान की सड़कें खराब पड़ी हैं। केवल जमवा रामगढ़ की समस्या नहीं है।
(व्यवधान)

**श्री माणक डाणी** : अध्यक्ष महोदय, जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय।

**श्री अध्यक्ष** : वह बोल नहीं सकते। श्री हीरालाल आर्य।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाया जाय। माननीय मंत्री महोदय बता दें कि 71 से 81 पर कब आ जाएंगे। सारी सरकार 81 पर चल रही है। केवल कल्ला साहब 71 में चल रहे हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : टी. एम. एम. टी. की योजना 71 के आधार पर ही बनती है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय उजला जी, कृपया बैठें। श्री हीरालाल आर्य।

## इटावा में रेफरल अस्पताल

97. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मरीजों की संख्या, क्षेत्र की जनसंख्या, जिले से दूरी, भवन की उपलब्धता, बरसात में रास्ते अवरूद्ध हो जाना, भौगोलिक परिस्थिति

(श्री हीरालाल आर्य)

तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्र होना आदि कारणों से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की जनता इटावा में रेफरल अस्पताल खोलने की मांग समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो रेफरल अस्पताल खोलने के सभी मानदण्ड पूरे होने के बावजूद भी इटावा में अभी तक रेफरल अस्पताल नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जनहित में इटावा में शीघ्र रेफरल अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी ?

**चिकित्सा मंत्री (श्री माधवसिंह दीवान):** (1) जी हां।

(2) समुचित वित्तीय प्रावधान के अभाव में इटावा में रेफरल अस्पताल खोलना संभव नहीं हो सका है।

(3) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार करना संभव होगा।

**श्री हीरालाल आर्य :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप यह तो मानते हैं कि इटावा की परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर रेफरल खुलना चाहिए और आप यह भी कहते हैं कि वित्तीय प्रावधान के अभाव में इटावा में अस्पताल नहीं खुल सका तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में आपने प्रान्त में कितने रेफरल अस्पताल क्रमोन्नत किये और यदि किये तो उनके लिए वित्तीय प्रावधान हो गये और जो ग्रामीण क्षेत्र आपका मापदण्ड पूरा करते हैं उन क्षेत्रों में रेफरल अस्पताल नहीं खोलने का क्या कारण है ?

दूसरा, रेफरल अस्पताल खोलने के क्या मापदण्ड हैं और सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद आपने इटावा में भेदभाव.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** यह इटावा से संबंधित है, उनकी समस्या है।

**श्री हीरालाल आर्य :** मेरा तीसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि इस साल बजट में यह वित्तीय प्रावधान है कि रेफरल अस्पताल क्रमोन्नत किये जाएंगे। तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि जब इस वर्ष बजट में प्रावधान हैं रेफरल अस्पताल क्रमोन्नत करने के तो क्या आप इटावा को निश्चित रूप से अस्पताल क्रमोन्न करेंगे ?

**श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या यह वित्तीय प्रावधान की बात केवल कोटा जिले में ही लागू होती है जिसमें हीरालाल जी का क्षेत्र भी आता है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पिछले चार सालों में 235 रेफरल अस्पताल खोले उसमें से कोटा जिले में केवल मात्र 3 अस्पताल खोले हैं जो आपने किस क्राइटेरिया के आधार पर खोले। कोटा जिले के साथ इस प्रकार का चिकित्सा के मामले में, सड़कों और बिजली के मामले में भेदभाव किया जा रहा है इसका क्या कारण है इसको स्पष्ट बतावें।

**श्री अध्यक्ष :** इटावा के लिए है इसको जनरल मत करें। माननीय जोशी जी ने तो सभी विभागों का पूछ लिया है।

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना थी कि सन् 2000 तक एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर एक रेफरल अस्पताल खोल दिया जाएगा। 1985 तक इस प्रकार के 76 अस्पताल खोले जा चुके थे। 85-86 में एक भी नहीं खोला, 86-87 में दस खोले, 87-88 में एक भी नहीं खोला और पिछले वर्ष 50 खोले हैं। इस प्रकार कुल 186 अस्पताल खोले जा चुके हैं और 35 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां आलरेडी रेफरल अस्पताल से भी ऊंचे स्तर के अस्पताल कार्यरत है। 72 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां अभी तक रेफरल अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस साल 50 अस्पताल और खोलने का विचार है। उसमें एक्सरसाइज चल रही है पापुलेशन और आउट डोर मरीजों की संख्या के आधार पर और अगर उस क्राइटेरिया में आएगा तो इस साल वहां जरूर खोलने पर सरकार विचार करेगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता। आप एक की समस्या को तो हल हो जाने दीजिए।

**श्री हीरालाल आर्य** : प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस साल वित्तीय प्रावधान होने पर खोल देंगे और इस साल 50 रेफरल अस्पताल क्रमोन्नत करेंगे। इटावा क्योंकि सभी तरह से सारे मापदण्ड पूरे करता है सवा लाख की आबादी है, पूरा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति का बाहुल्य है। जिले से 80 कि.मी. दूर है। सारी बातें पूरी हो जाने के बाद आप स्पष्ट आश्वासन दीजिए मंत्री महोदय, कि इस साल निश्चित रूप से इटावा में रेफरल अस्पताल खोलेंगे।

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया कि एक्सरसाइज चल रही है। सारे राजस्थान के अन्दर....

**श्री हीरालाल आर्य** : राजस्थान का क्या मतलब हुआ, इटावा का बताइये.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी,

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सिर्फ 176 में से....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये। आप इटावा के बारे में बतादें कि यह जो मापदण्ड है उसमें अगर आता है तो जरूर खोलेंगे।

**श्री माधवसिंह दीवान** : आयेगा तो जरूर खोलेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। सुश्री पुष्प जैन।

## सीमेण्ट उद्योग से प्रदूषण

98. **सुश्री पुष्पा जैन (पाली)** : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में किस-किस सीमेण्ट उद्योग से वायु प्रदूषण हो रहा हैं ?

(2) इस प्रदूषण का कितना और कितने-कितने क्षेत्र में किस प्रकार का दूषित प्रभाव पड़ रहा है ?

(3) किस-किस उद्योग में ई. एस. पी. लगाया हुआ है और कब से ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

(4) क्या यह सही है कि ई. एस. पी. को अधिकांश समय तक चालू नहीं रखा जाता ? यदि नहीं, तो इसकी जांच की क्या व्यवस्था है ?

(5) ऐसे प्रदूषण के कारण किस किस उद्योग के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण मन्त्री (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)** : (1) राज्य में जिन सीमेण्ट उद्योगों से वर्तमान में वायु प्रदूषण हो रहा है, उनकी सूची "क" पर संलग्न है।

(2) प्रदूषण की मात्रा एवं प्रभावित क्षेत्र, प्रदूषण करने वाले उद्योगों की क्षमता, चिमनी की ऊंचाई, हवा का बहाव, चिमनी से निकलने वाले गैस अथवा धूल के कणों की मात्रा पर निर्भर है। अत: कोई निश्चित दूषित प्रभाव बताना माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है।

(3) सीमेण्ट उद्योगों में ई. एस. पी. संलग्न सूची "ख" में उनके सामने अंकित वर्ष से लगाया हुआ है।

(4) अधिकांश समय सीमेण्ट उद्योगों में लगे हुए ई. एस. पी. कार्य करते हैं, तथापि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने से, पानी की कमी से तथा निम्न स्तर के कोयले के उपयोग के कारण कभी-कभी ई. एस. पी. चालू नहीं रह पाते हैं। उद्योगों को सीमेण्ट किलन के चालू घण्टों के 95 प्रतिशत घण्टों तक ई. एस. पी. चालू रखने के लिए मण्डल के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण तथा चल वायु प्रयोगशाला द्वारा स्थल पर ही जांच करना तथा उद्योगों से भी तीन महीने में ई. एस. पी. की मोनिटरिंग की रिपोर्ट मांगी जाती है।

(5) ऐसे प्रदूषण के कारण उद्योगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न सूची 'क" में दर्शाया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि यह जो वायु प्रदूषण सीमेण्ट उद्योगों की सूची आपने दी है उसमें 30 उद्योगों के नाम आपने दिए हैं। उसमें आपने यह लिखा है कि उनके विरूद्ध जो कार्यवाही की है वह कार्यवाही करना महज नोटिस देने के अलावा मुझे इसमें और कुछ लगा नहीं। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आपके नोटिस देने से इन उद्योगों ने अपना प्रदूषण बन्द कर दिया या ई. एस. पी. लगा लिये ?

दूसरा मैं यह भी जानना चाहूंगी कि जहां ई. एस. पी. प्लांट नहीं है वहां प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करते हैं ?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूची दी है, ई. एस. पी. प्लांट केवल अध्यक्ष महोदय जो वृहद उद्योग सीमेण्ट के....

**सुश्री पुष्पा जैन** : जरा आप माइक पर तो बोलो, साहब। थोड़ा सा माइक के पास।

**श्री अध्यक्ष** : बोल रहे हैं। जरा जोर से।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, ई. एस. पी केवल जो वृहद उद्योग हैं उनमें लगाये जाते हैं। हमारे यहां जो वृहद् उद्योग हैं उनमें केवल दो उद्योग ऐसे हैं जिनमें ई. एस पी लगे हुए हैं लेकिन वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। वे उद्योग सूची के पहले और दूसरे नम्बर पर माननीय सदस्या देख सकती हैं। उदयपुर सीमेण्ट, बजाज नगर वाला है और एक एस. एस. सी. लाखेरी है जो उदयपुर का सीमेण्ट उद्योग है। उन्होंने आर्डर दे दिया है, प्लांट को हमने एप्रूव कर दिया है और प्लांट आने वाला है, उनके पास तीन क्लिन है। तीन में से दो लगे हुए हैं। एक में नहीं था वह भी निकट भविष्य में लग जायेगा और अगर नहीं लगा तो कार्यवाही चालू कर ली गई है अगर नहीं लगायेंगे तो उसको प्रोसीक्यूट किया जायेगा।

दूसरा जो लाखेरी का है उसमें भी तीन क्लिन हैं। दो पर लगाना है, एक पर लगा हुआ है। जो हमारा नया कानून है वह माननीय सदस्या को मालूम होगा। 1988 में जो परिवर्तन हुआ है पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट में उसमें राज्यों को अधिकार दिये गये हैं कि अगर कोई प्लांट पर्यावरण प्रदूषण के जो मापदण्ड हैं व उसके उपचारण के जो निश्चित उपाय हैं उनको नहीं करता है तो हम उनकी बिजली, उनका पानी, उनको कच्चा माल बन्द कर सकते हैं, उनको विवश कर सकते हैं कि वह अपना उत्पादन, जब तक वह पूरी तरह से प्रदूषण रहित उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखते तब तक उनको चालू नहीं रखे। बाकी जो दूसरी लिस्ट मैंने आपको दी है वह मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनमें ई. एस. पी. नहीं लगता, उनमें दूसरे ई. एस. पी. वेट फिल्टर वगैरह हैं वह कम काम में आते हैं।

**सुश्री पुष्पा जैन :** अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आपने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को बहुत अधिकार दे दिये हैं जिसके तहत आप प्रदूषण को रोकने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने उन अधिकारों का उपयोग कहां-कहां किया ? मेरा सीधा सवाल यही है।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार अभी मिले हैं और मैं भी इस पोल्यूशन में अभी आया हूं।

**सुश्री पुष्पा जैन :** मंत्री महोदय, आप पर तो मेरा आरोप नहीं है लेकिन आम तौर पर यह देखने में आया है, अध्यक्ष महोदय, कि जितने भी प्लांट्स हैं चाहे वह सीमेण्ट के उद्योग हों, चाहे छपाई रंगाई के उद्योग हों उनके लिए राज्य सरकार पर मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि आप एक दुधारु गाय बनाकर उनको रोके हुए है, आप प्रदूषण को रोकना नहीं चाहते हैं। जब चाहते हैं नोटिस देकर के और पैसे मंगा लेते हैं। सीधा-सीधा उन्होंने एक तरीका....(व्यवधान)

मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही हूं, आपसे पहले कई लोग आये हैं।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, यह रंगाई छपाई की बात अलग है।

**श्री अध्यक्ष :** यह अलग से प्रश्न है छपाई का।

**सुश्री पुष्पा जैन** : राज्य सरकार के लोग चाहते तो इस प्रदूषण जैसी विनाशक बीमारी को रोका जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विनाश के कगार पर जा रहा है। पाली, बालोतरा, जोधपुर....

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है इसको सीमित कीजिये।

**सुश्री पुष्पा जैन** : यदि सीमेंट उद्योग से जब प्रदूषण फैल रहा है, उससे तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं, यह सर्वे रिपोर्ट्स में आ चुका है उसके बावजूद राज्य सरकार क्षमता रखने के बावजूद सिर्फ नोटिस के अलावा आपने कोई कार्यवाही की हो एक भी उद्योग में तो मैं यह जानना चाहूंगी और मैं सरेण्डर कर जाउंगी आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं की उन्होंने। कोई कार्यवाही नहीं करते सिर्फ नोटिस दे देते हैं और नोटिस इसलिए देते हैं जब पैसा आ जाता है नोटिस जेब में रख लेते हैं। नोटिस के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये। श्री दाऊदयालजी बोलेंगे। वन बाई वन।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : कृपा करके माननीय मंत्री महोदय बतायें, क्या यह सही है कि इसी सदन में श्री मांगीलाल मेघवाल के प्रश्न के आधार पर राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये थे 1986–87 के अन्दर कि लाखेरी सीमेण्ट फैक्ट्री के अन्दर ई. एस. पी. निश्चित अवधि में लगा दिये जायेंगे वरना उसकी बिजली कट कर दी जायेगी। क्या यह सही है कि राजस्थान में लाखेरी के अन्दर टी. बी. की बीमारी इस लाखेरी सीमेण्ट उद्योग के कारण बहुतायत में फैल गई है ? इसकी राज्य सरकार के पास में रिपोर्ट है और आपके विभाग के पास में भी रिपोर्ट मौजूद है। क्या यह सही है कि जो आपने सूची दी है जिसमें 30 उद्योग में से केवल 13 में ई. एस. पी. लगाने की बात कही है बाकी 23 में आपने मध्यम दर्जे के मान कर और स्वीकृति नहीं दी है।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : उनमें जरूरत नहीं है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : जरूरत नहीं है तो मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रदूषण वहां भी होता है उसके लिए आपने क्या समुचित व्यवस्था की ? और यह कि अभी ई. एस. पी. की बात कही कि कभी कभी बन्द हो जाते हैं ...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय जोशीजी बैठेंगे बहुत हो चुका है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : माननीय मंत्री महोदय, आप बहुत सक्रिय हैं। एक बात आप जरूर देखेंगे कि इस ई. एस. पी. के नहीं लगने के कारण और भयंकर रूप से प्रदूषण हो रहे हैं ये चालू नहीं हो रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय जोशीजी भाषण नहीं, सीमित समय लीजियेगा और भी बहुत से प्रश्न है। (व्यवधान)

**श्री अमरचन्द (गंगरार)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या चित्तौड़गढ़ बिड़ला फैक्ट्री के अन्दर ई. एस. पी. लगा हुआ है या नहीं ? आपको तो जानकारी जो कागजों में अधिकारी देते हैं, मैं

(श्री अमरचन्द)

समझता हूं कि इस प्रदूषण से बिड़ला सीमेण्ट फैक्ट्री से मैं भी चपेट में आया हुआ हूं, हमारा पूरा क्षेत्र आया हुआ है। इतना भारी नुकसान हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऊपर की जो मिट्टी उड़ती है, लोग सोते हैं तो उनके ऊपर आधी-आधी इंच मिट्टी भर जाती है। तो माननीय मंत्री महोदय इस बात को आप साफ बतायें, एक बात तो यह है। दूसरा, प्रदूषण का जो ई. एस. पी लगा हुआ है, अभी हिन्दुस्तान जिंक के शिलान्यास के लिए माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी पधारे थे, छह रोज तक उस सीमेण्ट फैक्ट्री के अन्दर काम बराबर चलता रहा लेकिन उसमें कहीं धूएं के एक भी कण नजर नहीं आये। तो वह क्यों नहीं आये, क्या किया, यह जानकारी आपको है या नहीं माननीय मंत्री महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वन बाई वन, बहुत देर से उठाया है, यह सब कह करके आप क्या करेंगे ?

श्री नाथूसिंह : मैं भी बोलना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप जिस क्रम से हाथ देते हैं, जो जिस क्रम से उठाता है, अवसर दे देता हूं। पर पूरा हाउस ही हाथ उठा देता है।... (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या यह सही है कि आपने जिनको नोटिसेज दिए हैं, उन नोटिसेज के आधार पर आपने कुछ का चालान भी किया है या नहीं किया है। आपने जो नोटिसेज दिये हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ लोग कोर्ट्स में चले गये, इसलिये उनके विरूद्ध आप कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं तो जो कोर्ट में चले गये ऐसे लोगों को कोर्ट से बाहर निकालने के लिए आप कौन-सा तरीका अपना रहे हैं और ऐसी जगह जहां कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं. उनमें आपने कुछ नहीं किया, इसके लिये क्या आप कानून में संशोधन लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सिंघवी जी।

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि उन्होंने साइक्लोन क्रय करने के आदेश दे दिये हैं और यह क्रय करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में यह खरीद की जा चुकी हैं और जब तक यह खरीद नहीं कर ली जाती और नहीं करते हैं, तो इन पर क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि आपने जैसा कहा है, आप समय निश्चित करेंगे कि इस समय तक अगर प्रदूषण नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से आप कार्यवाही करेंगे। गोठन; खारिया, खंगार-इन एरियाज में सीमेण्ट के जो कारखाने लग रहे हैं. जिनसे आस पास की खेती की जमीनें वहां पैदावार नहीं कर सकतीं, सारी जमीनें खराब हो रही हैं, क्या उनमें तुरन्त कार्यवाही करके इस विषय में समयबद्ध रूप से कि इस समय तक पालना नहीं हुई तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और आश्वासन दे सकेंगे हाउस को कि इतने समय तक कार्यवाही कर देनी है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

**श्री रामदेव सिंह :** मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि एक तो गोठन में और खारिया में 10 किलोमीटर में तीन जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, क्या वहां कोई प्रदूषण रोकने का इन्तजाम किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो कब तक कर दिया जायेगा ?

**श्री अध्यक्ष :** अलग से प्रश्न है। माननीय विद्या जी।

**श्री रामदेव सिंह :** अध्यक्ष महोदय, वहां सारी जमीनें खराब हो रही हैं। यह अलग से प्रश्न नहीं है। मंत्री जी से जवाब दिलवाइये हाउस में।

**श्रीमती विद्या पाठक :** अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया है, बोलने दीजिए।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी जवाब देंगे .. (व्यवधान) आप बैठिये। माननीय विद्या जी। (व्यवधान)

**श्री मोतीलाल मीणा :** मैं भी प्रदूषण के खिलाफ हूं। आप जयपुर उद्योग को फिर से प्रारम्भ कीजिये। हम प्रदूषण सहन कर लेंगे, हमारा जो प्रदूषण हो रहा है, उसको सहन कर लेंगे। हमारा उद्योग चालू कराया जाये। जनता, और हर गांव वहां परेशान है। हम यह सहन कर लेंगे।

**श्री विजय सिंह :** मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि....

**श्रीमती विद्या पाठक :** अध्यक्ष महोदय, जब आप नाम पुकार चुके हैं, क्या बोलने की स्थिति निर्माण नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष :** इनका नाम नहीं लिया है। इनका नोट नहीं करेंगे। मैंने अलाउ माननीय विद्याजी को किया है. उनको कह रहा हूं, वे खड़ी हो रही हैं और आप खड़े हो गये। यह बहुत बुरी आदत है, माननीया विद्या जी।

**श्री विजय सिंह :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सबसे पहले उनके रेकार्ड से पूछना चाहती हूं कि यह जो आपने कहा कि उदयपुर बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री जो है, नम्बर वन, जो आपकी लिस्ट में है, इसको आपने 12-2-85 को नोटिस दिया था कि प्रदूषण के लिए व्यवस्थित कार्यवाही करनी है, वह 31-12-85 से पहले कर लिया जाये क्या यह सही है ? और उसकी अनुपालना नहीं हुई और अब दुबारा आप उनको नोटिस दे रहे हैं कि 89 में कोई पर्टिकुलर डेट आपने दी है कि तब तक इसे पूरा कर लिया जाये। तो मैं यह कहती हूं कि अगर सरकार 12-2-85 को उनको नोटिस देती है और वार्निंग देती है टाईम पीरियड देती है कि 31-12-85 तक पूरा कर लिया जाये, जब उसने नहीं किया तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? मेरी जानकारी है कि आपने कोई कार्यवाही नहीं की और अब आप फिर नोटिस दे रहे हैं कि 89 की तारीख भी दे रखी है, 89 तक का टाइम दिया है। यह सरकार खुद अपने आदेशों की अवहेलना करके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती ? क्योंकि मेरी जानकारी में है कि नहीं की।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(14)



(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपके इस उदयपुर बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री में यह प्रेसिपिटेटर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रो-स्टेट प्रेसिपिटेटर, ई. एस. पी. जो आप बोलते हैं, वह भी लगा हुआ है उसके बाद भी प्रदूषण है। एक तो मेरा प्रश्न यह है कि आपके हुक्म की पालना क्यों नहीं और नहीं करवाई तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने यह कहा कि प्रदूषण फैक्ट्री के बड़े होने पर निर्भर करता है, कितनी बड़ी है, मुझे अफसोस इस बात है कि यह सर्वे आपके पास उपलब्ध नहीं है यह जवाब आप दे रहे हैं, होना तो यह चाहिये कि सर्वे आपकी तरफ से हुआ करे कि किस एरिया में, और आप कह रहे हैं कि सर्वे ही उपलब्ध नहीं है। जब यह कर्मचारी अधिकारी केवल फैक्ट्री ही देखकर आ जाते हैं, यह नहीं देखते कि वहां सोइल इरोजन हो रहा है, वहां के लोगों को टी. बी. कितनी हो रही है, नुकसान कितना हो रहा है... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीया विद्या जी, कृपया अब विराजें। बहुत हो गया।

**श्रीमती विद्या पाठक :** मैं प्रश्न पूछ रही हूं साहब।

**श्री अध्यक्ष :** आप प्रश्न पूछ रही हैं, प्लीज शार्ट इट।

**श्रीमती विद्या पाठक :** इनके अधिकारी सिर्फ फैक्ट्रियों पर प्रदूषण देखते हैं, और जिन पर प्रभाव पड़ता है : लैण्ड पर, पानी पर, सोइल पर और लोगों, पशुओं की हैल्थ पर, क्या उनका सर्वे करना इनका काम नहीं है, यह सर्वे कहीं आसमान से टपकेगी ? दो प्रश्न तो मेरे ये हैं। यह आपका सर्वे का तरीका भी गलत है। तीसरा, मैं मन्त्री महोदय, यह पूछना चाहती हूं कि—

**श्री अध्यक्ष :** आप तो उनको पूछिये, क्वेश्चन नम्बरिंग कर लेंगे ?

**श्रीमती विद्या पाठक :** तीन प्रश्न, मैं तीसरा प्रश्न पूछ रही हूं। मैं फिर रिपीट दूंगी, छठा नहीं है। मैं स्पष्ट पूछना चाहती हूं, पहला मेरा प्रश्न यह है कि उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री में यदि आपके हुक्म की पालना नहीं की गयी, तो वह क्यों नहीं की और उसकी पालना करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? उसके विरूद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ? दूसरा यह है कि आपका सर्वे उपलब्ध नहीं है तो आपने सर्वे क्यों नहीं करवाया ? यह भी क्या हमें बताना पड़ेगा सदन को बताना पड़ेगा कि रिजल्टेड पशु हैं, मनुष्य हैं, सोइल इरोजन है, वाटर पोल्यूशन है। यह सीमेंट फैक्ट्रियों की तरफ से हुआ है। यह आपके प्रदूषण-मूल्यांकन का क्या तरीका है इसको आप बताइये। तीसरा, आप इस विज्ञान के युग में कहते हैं कि हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि प्रदूषण कितना हुआ, तो यह आज के वैज्ञानिक युग में इतनी बड़ी विपदा लेकर क्यों बैठे हैं ? केन्द्र में रोज इस बात का शोर हो रहा है। इनके पास इस वैज्ञानिक युग में मापदण्ड उपलब्ध नहीं है, स्पेसिफिक ये तीन प्रश्न हैं। छठे का कहीं सवाल नहीं है, इनके उत्तर दें।

**श्री अध्यक्ष :** श्री माणक डाणी।

**श्री माणक डाणी (ब्यावर) :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले दो बातें कहनी हैं आपसे, एक तो आप यह ट्यूब लाइट बन्द करें तो आपकी यहां आइकैच हो सकती है नहीं तो हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। दोनों मेरे हाथ इस प्रकार से दुखने लग गये। यह क्या बात हुई? सब मेरे लिये कह रहे हैं, सब जने चिल्ला रहे हैं, उसके बाद दस जने बोल गये।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मानक जी, आपका नाम लिखा है, मैंने बोल दिया है। पहले से लिखा हुआ है।

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इनका हाथ खड़ा हुआ था, आपने नम्बर ही नहीं दिया।

**श्री माणक डाणी :** मैं तो यह पूछना रहा था कि प्रश्न संख्या दो में कितने-कितने क्षेत्रों का मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया, कितने कितने क्षेत्र की बात वह पचा गये नम्बर एक। नम्बर दो, ई. एस. पी. के बावजूद क्या इन फैक्ट्रीज की आस पास की जमीनों का सर्वे किया गया है? जिस तरह से जमीनें बेकार हो गयी हैं, यह बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है जिस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विभाग तो नोटिस दे सकता है अपनी तरफ से और फैक्ट्रियों पर पाबन्दी भी लगा सकता है, लेकिन कम से कम इतना अवश्य है कि प्रदूषण को रोकने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये कि वह रुके ही रुके। दोनों कार्यवाहियां साथ-साथ हों नोटिसबाजी भी चलती रहे, प्रदूषण रोकने की सक्षम कार्यवाही भी हो, यह अत्यधिक आवश्यक है। यह जो सीमेंट जमीनों पर फैल रहा है, इसकी तरफ विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बता दें?

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिकुमार औदिच्य। (व्यवधान) मैं नाम नोट कर लिया करता हूं, नम्बर से बोल देता हूं। चाहे एक सदस्य खड़ा हो या दो और जिन लोगों को ज्यादा देखता हूं, उनको देखकर पचास हाथ खड़े होते हैं यह और है। मैं नम्बर से बोला करता हूं।

**श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) :** मन्त्री महोदय ने यह अभी बताया कि सीमेंट के जितने भी उद्योग हैं, यह प्लांट लगे हुए हैं, अगर बन्द होते हैं तो बिजली की कमी से, बिजली नहीं मिलने पर बन्द कर दिये जाते हैं मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस विभाग के पास यह भी रिकार्ड होगा कि यह प्लांट प्रोडक्शन में कितने घण्टे चलाये और ई. एस. पी. प्लांट कितने घण्टे चलाये हैं। यह ब्यौरा आपके डिपाटमेंट ने क्या निकाला है? दूसरी जानकारी मैं ई. एस. पी. प्लांट के बारे में चाहूंगा, आपने कहा कि नये कानून के अन्तर्गत हम उन्हें कच्चा माल बन्द कर सकते हैं, बिजली बन्द कर सकते हैं, उद्योग बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही आपने आज तक किस-किस व्यक्ति के खिलाफ की? अगर नहीं की, तो क्या उनके खिलाफ आपको कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी? दूसरे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ई. एस. पी. प्लांट के बारे में आपका डिपार्टमेंट तो कोई जांच करेगा नही, क्या आपके पास उस इलाके के रहने वाले नागरिकों की, जनता की शिकायत प्राप्त हुई है,

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

अगर हुई है तो उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की ? और एक जानकारी चाहूंगा कि क्या आपको और सरकार को इस बात की जानकारी है कि....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ।

**श्री हरिकुमार औदिच्य :** कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की वजह से कोटा नगर में भारी प्रदूषण है । लोगों के मकान....

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** यह सीमेंट का प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मन्त्री जी ।

**श्री हरिकुमार औदिच्य :** तो ये तीन प्रश्न मेरे सीमेंट से सम्बन्धित हैं, इनका जवाब दिलवाइये ।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रदूषण के बारे में अपने प्रश्नों के माध्यम से चिंता व्यक्त की है । उतनी ही चिंता सरकार को भी प्रदूषण के विषय में है....

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** नाटक है खाली, कोई चिन्ता नहीं है आपको ।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि पर्यावरण का सिद्धान्त है कि विकास विनाश के बगैर किया जाय । हम विकास चाहते हैं । आज प्रदूषण की जो समस्या है वह एक विकास की प्रवृत्ति है, विकास का इविल इफेक्ट है, हमें भुगतना पड़ेगा । इसको किस तरह कम कर सकते हैं या बिल्कुल कम कर सकते हैं, इसके अलग-अलग तरीके हैं । जहां तक सीमेंट उद्योग की बात है, बड़े उद्योग हैं उनमें जो धुएं के कण निकलते हैं उन कणों से जो नुकसान होता है वह एक काश्तकार होने के नाते मैं भी जानता हूं और जो व्यथा गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की है वह मैंने स्वयं ने भी चित्तौड़ में देखी है । होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, जब वह कण हवा में ऊपर जाकर वापिस आकर जमीन पर जमते हैं तो जमीन में छेद होते हैं जिनके कारण से हवा और पानी पेड़ों को मिलता है. वह छेद बन्द हो जाते हैं उससे फसल को भी नुकसान होता है । उसके साथ-साथ मनुष्य जब इसको ग्रहण करता है श्वांस के जरिये, जब हम उसको अन्दर लेते हैं तो उसके जरिये भी तपेदिक आदि के रोग होते हैं । लेकिन पर्यावरण मण्डल का, पर्यावरण विभाग का एक बहुत ही सीमित दायरा है । जैसा अभी सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी, मैं खुद चाहता हूं कि हम इस पर रिसर्च करें, हम इस पर सर्वे करें लेकिन हमारा बहुत सीमित दायरा है, उसके तहत ही हम कर सकते हैं । हमें यह काम दिया गया है कि हम यह देखें कि जो इससे प्रदूषण हो रहा है, जो ओमिशन हो रहा है, चिमनी से जो धुंआ निकलता है उससे कितना प्रदूषण होता है, वह मापदण्ड के अनुसार ज्यादा तो नहीं है । अगर वह ज्यादा हो–उसके मापने का यन्त्र वहीं लगा रहता है उससे हम पता लगा लेते हैं । अगर कहीं ज्यादा हो रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं । मैंने यह कटु शब्द कहे हैं कि हमने कोई सर्वे नहीं कराया । मैं यह नहीं कहना चाहता कि

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

राजस्थान में नहीं कराया बल्कि मैंने कोशिश की है इसका साहित्य पढ़ने की, केवल एक उदाहरण मेरे को मिला है कि कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** कुछ शोध छात्रों ने उसके ऊपर कोई रिसर्च किया था, उन्होंने यह पाया है कि पौने तीन बीघा तक इसका इफेक्ट पड़ता है और जितनी हवा होती है, जितनी मात्रा में कण होते हैं उसके अनुसार नुकसान होता है। यह भी एक विवाद का विषय है। अगर वहां अमरूद के वन होंगे, अमरूद के बगीचे होंगे तो अगर वह कण गिरते हैं, हवा में प्रदूषण उसके ऊपर जाकर ठहरता है तो उससे उसको फायदा होगा....(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह :** जवाब दिलाकर छुट्टी करें, सारे प्रश्न पड़े हैं। क्या तरीका है यह, भाषण हो रहा है।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** सबसे पहले प्रतिक्रिया बतलाइये, आप तो भाषण दे रहे हैं....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री देवी सिंह भाटी :** यह आपके जानने का विषय है, आप जानते रहिये....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय देवीसिंह जी।

**श्री देवीसिंह भाटी :** इतना लम्बा समय नहीं लें....

**श्री अध्यक्ष :** लम्बा समय नहीं ले रहे हैं। माननीय जोशीजी।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** यह तो आपका प्रगति प्रतिवेदन आ रहा है, जवाब नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय जोशीजी। गोविन्द सिंहजी साहब, एक मिनट मेरी अर्ज सुनिये।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं कोई प्रगति विवरण नहीं रख रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** यह इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इसके क्या-क्या कारण हैं। इनको तो सीधा जवाब दे दीजिए। वे इस चीज को चाहते ही नहीं। मेरी राय में जो आप बोल रहे थे बड़ी इन्टरेस्टिंग चीज थी, अच्छी है। नहीं चाहते तो आप उतना ही जवाब दे दीजिए।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, साहब।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** यह सवाल पूछा है इन्होंने....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जो माननीय मंत्रीजी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, ठीक बोल रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते।

**एक माननीय सदस्य :** लेकिन कुछ होता नहीं है, इसी की तो शिकायत है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, या तो आप तय कर दीजिए कि किस माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देना है....

**श्री अध्यक्ष :** यह हमको जरूरत नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, इसकी स्टडी की हमको जरूरत नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** यह सदस्यों ने पूछा है क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, मैं बता रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** वे इसको सुनना नहीं चाहते। जो इसके साइंटिफिक रीजन्स है, वे इसको पसन्द नहीं करते, सुनना ही नही चाहते।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अगर वे नहीं सुनना चाहते तो उनको पूछना भी नहीं चाहिए।

**श्री पंकज पंचोली :** मंत्रीजी पूरा जानते हैं।

**श्री मोतीलाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, सदन का समय खराब हो रहा है, क्या तकलीफ है ?

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री मानिकचन्द सुराना :** अध्यक्ष महोदय, जो नीति इन्होंने प्रतिपादित की है, उसको आपने तो एप्रीसियेट कर लिया....

**श्री अध्यक्ष :** अपनी अलग-अलग कोई राय हो सकती है....

**श्री मानिकचन्द सुराना :** लेकिन जो विशिष्ट मुद्दे हैं....

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** वो उठा रहा हूं...

**एक माननीय सदस्य :** जो उत्तर मंत्री महोदय बोल रहे हैं उससे भी प्रदूषण फैलता है....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी।

**श्री बिरदमल सिंघवी :** कब तक इसको बन्द करवा दोगे, आप तो यह बताइये।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** क्या बन्द कराना चाहते है ?

**सुश्री पुष्पा जैन :** अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण दो चल रहे हैं। एक तो प्रदूषण यह चल रहा है दूसरा भ्रष्टाचार रूपी प्रदूषण चल रहा है...

**श्री सी. पी. जोशी :** पूरी बात सुनेंगे, हमें ज्ञानवर्द्धन करना है। पूरी बात सुनने दें आप।

**श्री अध्यक्ष :** स्टडी की जरूरत नहीं है, वी डोन्ट वान्ट स्टडी।

**श्री शोपत सिंह :** डिस्टर्ब नहीं करते तो अब तक बता देते सारी बात।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** मैंने इनकी बात सुनी है....

**श्री माणक डाणी :** अध्यक्ष महोदय, ज्ञानवर्द्धन हो रहा है, मंत्रीजी का जवाब सही आ रहा है, आप तो बारह बजे तक जवाब चलने दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हमने पूछा था, जवाब यह आ रहा है।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** सदन को सदन ही रहने दो।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सदस्यों ने इस बात के

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

ऊपर चिन्ता व्यक्त की है कि संयंत्र लगा होने के बावजूद भी प्रदूषण होता है, मैंने अपने सवाल के जवाब में तीन कारण बताये....

**श्री नाथूसिंह** : आप तो रोकने की बता दें। आप आधे घण्टे से भाषण दे रहे हैं, आपसे ज्यादा समझते हैं हम प्रदूषण पर। क्या भाषण दे रहे हैं आप ?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : आप सुनने का माद्दा रखिए। अध्यक्ष महोदय, सुनने का माद्दा भी रखना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी। यह मानकर चलिए कि सब आपसे ज्यादा समझते हैं, आप पढ़िये।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : प्रभावी कार्यवाही कब तक हो जायेगी, इसकी घोषणा कर दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि........

**श्री पंकज पंचोली** : जवाब पूरा सुनना पड़ेगा, हम सुनना चाहते हैं सब।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : जो संयंत्र लगे हुए हैं उनकी सूची....(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न समाचार पत्रों के विज्ञापन का है वह इस सदन में आज आयेगा नहीं। जानबूझकर टालना चाहते हैं, यह साजिश है। सवाल टालना चाहते हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, 25 प्रश्न पूछे हैं, उन्हें पूरी बात सुननी पड़ेगी। इनका उत्तर भी इनको सुनना पड़ेगा। आप तो पूरी बात सुनाइये साहब। पूरा ज्ञानवर्द्धन करें....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठें थोड़ी देर।

**सुश्री पुष्पा जैन** : ये पाबूजी की फड़ सी पढ़वा रहे हैं आप, यह पाबूजी की फड़ नहीं सुननी हमको।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : आप क्या सुनना चाहते हैं, वह बता दें।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, हम सुनना चाहते हैं....(व्यवधान)

**श्री पंकज पंचोली** : हम सब सुनना चाहते हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : यह क्या मतलब हुआ, 25 प्रश्न पूछे हैं . (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठिए। सुनें। माननीय मंत्रीजी।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, यह आपको निवेदन किया.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सुनें।

(80)



**श्री सी. पी. जोशी** : अब आइन्दा प्रश्न मत पूछना।

**श्री अध्यक्ष** : जोशीजी, जोशीजी, माननीय जोशीजी (व्यवधान)

**सुश्री पुष्पा जैन** : या तो प्रदूषण बन्द करो या आप बैठो।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रोस्टिक जो इस उद्योग के लिए प्रदूषण निवारण का यंत्र है, जो मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है....

**श्री नाथूसिंह** : इनको ही लगा दीजिए वहां पर यह कोई तरीका है।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिए। आप हरेक पर बोलते हैं। दिस इज वैरी बेड।. (व्यवधान)

**श्री बिरदमल सिंघवी** : आपने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य का कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला हो तो उनको पहले सोचना चाहिए था, ज्यादा सवाल न करते, प्रश्न करना चाहते है तो प्रश्न के उत्तर तो सुनें उत्तर तो पूरा सुनना पड़ेगा। अच्छा लगे या नहीं लगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह समाचार पत्रों का गला इस प्रकार नहीं घोटा जायेगा।

**श्री सी. पी. जोशी** : गला आपने घोटा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपने घोटा है, आप विज्ञापन को अधिकार बनाकर समाचार पत्रों का गला घोटना चाहते हैं.... (व्यवधान)

**श्री माणक डाणी** : समाचार पत्रों की चिन्ता आपको ही नहीं है हमको भी हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नोट नहीं किया जाय। किसी का नोट नहीं किया जाय।

**श्री सी. पी. जोशी** : XXX

**श्री नाथूसिंह** : XXX

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : XXX

**श्री भैरूलाल मीणा** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : इस हाउस को कुछ दिन और चला लीजिए, बाद में कौन आता हैं, कौन नहीं आता है, यह नहीं कह सकता हूं। मैं यह कहता हूं कि इतने तो प्रश्नकर्ता हो गये अवसर नहीं दिया तो बीच में बोल रहे थे, अब मैं जवाब दिला रहा हूं तो जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। बीच में टोक दिया, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेना चाहता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, अगले प्रश्न को यह टालना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यह गलत बात है। (व्यवधान) माननीय जोशीजी फिर खड़े हो गये। मैं दिलवाऊंगा। आप न मिनिस्टर की सुनना चाहते हैं न मेरी सुनना चाहते

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

हैं। कई माननीय सदस्यों को तो बुखार है, अक्ल का बुखार है, पता नहीं क्या बुखार है। मैं इतनी जल्दी लेना चाहता हूं, लेकिन वे सुनना नहीं चाहते हैं, न कोई करना चाहते हैं, अगला प्रश्न। पहले तो हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। वैरी सैड।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय ...

**श्री अध्यक्ष** : नहीं। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, वह सुनना नहीं चाहते हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे होगा ?

**श्री रतनलाल ताम्बी** : जवाब आना चाहिए अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं मंत्रीजी को चार मिनट का समय देता हूं जवाब दीजिए। I will take next question. अगर पूरा नहीं होता है तो I will take another question.

**श्री यदुनाथ सिंह** : Four minutes for what question ?

**श्री अध्यक्ष** : Neither you want to finish. You want another question should come. Very bad of you people.

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किये हैं उनका एक-एक करके अपना जो उत्तर है वह आपके सामने कुछ क्षणों में रख रहा हूं मिनिटों में नहीं। माननीय जोशीजी ने, दाऊदयालजी जोशी ने लाखेरी में जो सीमेण्ट का, ए.सी.सी. का कारखाना है उसके सम्बन्ध में पूर्व में कोई प्रश्न किया था गत विधान सभा के सत्र में, मैं भी उस समय मौजूद था, उस समय जो स्थिति वहां थी, आज भी वही स्थिति है, वह मानने में मुझे एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि एक तरफ हजारों मजदूर हैं....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : और धीरे बोलें।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : यह उनका काम है कि वह मेरी आवाज को ऊंचा करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : धीमी गति से........

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : तेज गति से भी चलूंगा।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज यह षडयंत्र किया गया है समाचार पत्रों का प्रश्न नहीं आना चाहिए। आप यह बता दें कि सवाल आयेगा या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : आप आने देना चाहते हैं या नहीं आने देना चाहते हैं ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उन्होंने मना कर दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : यू डोण्ट वाण्ट। सुनना नहीं चाहते हैं ?

(22)



**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : यह सवाल आयेगा या नहीं आयेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पहले हम को सब को मिलकर के अपने माइण्ड को बनाना होगा। (व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आयेगा या नही आयेगा ?

**श्री सी. पी. जोशी** : आप कम्पेल कैसे कर सकते हैं। टाइम होगा तो आयेगा।

**श्री शोपत सिंह** : आप भी तो भाभड़ा साहब लगाम दीजिए। आप लीडर हैं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उन्होंने मना कर दिया, हम सुनना नहीं चाहते।

**श्री शोपत सिंह** : मना करने से क्या होगा, सारा टाइम बरबाद कर दिया।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उनका जवाब सुनकर ही संतुष्ट हो गये। (व्यवधान) जान-बूझकर इस सवाल को टालने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा मालूम होता है रात को मीटिंग में तय किया है कि यह सवाल नहीं आना चाहिए और इसलिए आप इस....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसको अपोज करता हूं मैं खुद फील करता हूं कि अपोजिशन मुझे को-आपरेट नहीं कर रहा है।.... (व्यवधान) मैंने कह दिया मैं लूंगा इस क्वेश्चन को फिर भी वह नहीं लेने दे रहे हैं। मुझ से को-आपरेट नहीं करते हैं। (व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : +++

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप अपने निर्णय पर टिके रहें। आपने 99 नम्बर का सवाल ले लिया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भाभड़ाजी, मैंने कहा मैं इस प्रश्न को लूंगा। चार मिनट का टाइम दिया था।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप अपनी बात पर टिके रहेंगे ना ?

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कह दिया चार मिनट का समय देकर ले लूंगा। चार मिनट नहीं लेने देना चाहते हैं।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : आपने सदस्य का नाम पुकार लिया है।

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट बैठें।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, आप पर आरोप लगा रहे हैं +++ बन गये....(व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सारे सवालों का जवाब सरकार देने में सक्षम है. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई नोट नहीं किया जाय। किसी का नोट नहीं किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुझे को-आपरेट करें अगर आपस में एक-दूसरे को नहीं करें तो मुझे को-आपरेट

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

करें। Cooperate with me, if you don't want to cooperate with each other. पहले ही कार्यवाही में है कि मैंने कहा था कि चार मिनट में ही प्रश्न लेना चाहता हूं। यह कह दिया था कि चार मिनट में लेना चाहता हूं। चार मिनट भी नहीं देना चाहते हैं। मैं इस प्रश्न को लेता हूं। श्री हरजीराम बुरड़क।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : मैं चार मिनट में बात कर दूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठें। जवाब नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है।

**श्री सी. पी. जोशी** : जवाब सुनने दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्त्ता नहीं चाहते हैं, इसलिए बैठें।

**श्री माणक डाणी** : अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हो रहा है कि माननीय मंत्री जवाब देना चाहते हैं और.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय डाणीजी बैठें। यह किसी का दुर्भाग्य नहीं है, चेयर का है और किसी का नहीं, न आपका है न और का है। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क।

(म. 12.00)

**अखबारों को विज्ञापन**

99. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग में अखबारों को विज्ञापन देने की क्या प्रक्रिया है? कृपया नियम, आदेश आदि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग ने कौन-कौन से समाचार पत्रों को विज्ञापन के लिए स्वीकृत कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वर्ष और गत वर्ष में किस-किस समाचार पत्र को कितनी राशि का विज्ञापन के रूप में भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कई विभाग या निगम सीधे ही अखबारों को विज्ञापन देते हैं? यदि हां, तो क्यों।

**श्री अध्यक्ष** : श्री खेमराज कटारा।

**सूचना एवं जन सम्पर्क उपमंत्री (श्री खेमराज कटारा)** (1) राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त विज्ञापनों को समस्त स्वीकृत समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 के तहत जारी किया जाता है। नियमों एवं आदेशों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा विज्ञापनों के लिए स्वीकृत किये गये समाचार पत्रों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) चालू वर्ष एवं गत वर्ष में जिन-जिन समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किये गये हैं, उनको की गयी भुगतान की राशि

(सूचना एवं जन सम्पर्क उपमंत्री)

का विवरण क्रमशः "ग" और "घ" पर संलग्न है।

(4) अल्प बचत संगठन, स्टेट लाटरी पर्यटन विभाग, परिवार कल्याण एवं इन्दिरा गांधी नहर मण्डल को राजकीय विज्ञापन सीधे समाचार पत्रों को जारी करने की छूट दी हुई है, क्योंकि इनके विज्ञापन विशेष प्रकृति एवं महत्व के होते हैं। उक्त विभागों में से इन्दिरा गांधी नहर मण्डल केवल सजावटी विज्ञापन ही सीधे जारी करता है। इनके अतिरिक्त अन्य समस्त विभाग अपने-अपने विज्ञापन जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से ही जारी कराते हैं। निगम एवं स्वायत्त शाषी संस्थायें अपने विज्ञापन सीधे समाचार पत्रों को जारी करते हैं, क्योंकि ये संस्थाएँ राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

(नियमों की प्रति एवं सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

**श्री हरजीराम बुरड़क :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर दिया भाग चार में, सारे निगम और बोर्ड इन नियमों से मुक्त रखे गये हैं। जब नियम, 1962 में बनाये उस समय निगम और बोर्डों की संख्या कम थी या उस समय इनके इतने विज्ञापन नहीं थे? आप देखते हैं हर अखबार में कि जितने राज्य सरकार अपने विभाग के माध्यम से विज्ञापन देती है उतने विज्ञापन एक-एक बोर्ड और निगम देते हैं और उन नियमों में छूट का नाम लेकर लाखों रुपये विज्ञापनों में अपने मन-माने तरीके से सरकार खर्च करती है। दूसरा मेरा यह था कि स्मारिकाओं के नाम से आपने जो विज्ञापन यहां दिखाये जबकि आपने रूल्स में स्मारिकाओं के नाम से आपने जो विज्ञापन यहां दिखाये जबकि आपके रूल्स में स्मारिकाओं के लिए विज्ञापनों की कोई व्यवस्था नहीं है। आप उत्तर दीजिए इन दो प्रश्नों का।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी।

**राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क (श्री अश्क अली टाक) :** माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आप उनसे ज्यादा होशियार हैं?

**श्री अध्यक्ष :** आप इस प्रश्न को शान्ति से सुनना चाहेंगे या टाइम निकालना चाहेंगे?

**श्री अश्क अली टाक :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि विज्ञापनों के नियम 1962 के हैं। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि सदन के पटल पर जो नियम रखे हुये हैं उस पर 1 जनवरी, 1986 तक के अमेण्डमेंट लागू कर दिये गये है इसके अलावा जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई नियमों में परिवर्तन भारत सरकार के, डी. ओ. पी. के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनको हम लागू करने में तत्पर रहते हैं। बाकि इस सवाल का जहां तक प्रश्न है निगम बने नहीं थे या बाद में बने है। क्या प्रक्रिया अपनाई है इसलिए मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि रूल्स जो है 1986 तक के लागू किये जाते हैं। जिसमें सिर्फ इन निगमों

(श्री अश्क अली टाक)

और उन स्वायत्त शाषी संस्थाओं को छूट दी हुई है जो कि सीधे रूप में जारी कर सकते हैं। राज्य सरकार भी इस गम्भीरता को समझती है और हाल ही में यह निर्णय करने जा रही है कि 25% जो उनके विज्ञापनों की मद में रखा गया है वह डी. पी. आर. के माध्यम से जारी किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री घनश्याम तिवाड़ी। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने, क्या यह सही है कि जो अखबार प्रारम्भ होते हैं उसको जब तक तीन महीने कम्पलीट नहीं होते हैं तब तक विज्ञापन नहीं दिया जाता और किसी अपवाद स्वरूप दैनिक निराला संध्या अखबार है राजस्थान का, उसको तीन महीने पूरे होने से पहले मुख्य मंत्री जी के आदेश से विशेष विज्ञापन दियें गये। एक समाचार पत्र में पांच सेन्टीमीटर से ज्यादा का विज्ञापन नहीं दिया जाता। जिसको 6 माह से लगातार 200 सेन्टीमीटर का रोज यानी 2 हजार रुपये रोज का विज्ञापन दिया गया, नम्बर दो नम्बर तीन, मैं पूछना चाहता हूं और जितने भी संध्याकालीन अखबार हैं उनको 6 हजार का रोज का विज्ञापन दिया जाता है। इसकी जो मशीन है वह सबसे छोटी मशीन हैं और इससे वह सिर्फ 6 हजार पेज 24 घण्टे बिजली मिले तो छाप सकते हैं। जब इसको 24 हजार पेज का, 2 हजार से. मी. का, 2 हजार रुपये रोज का विज्ञापन दिया जाता है इस समाचार पत्र की एक ही विशेषता है कि इसमें रोज मुख्यमन्त्री का फोटो छपता है। 6 महीने में तीन फंक्शन इस अखबार में किये और तीनों फंक्शनों में मुख्यमन्त्री गये। मुख्यमन्त्री की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। मेरा आरोप है अध्यक्ष महोदय, कि इनमें विज्ञापनों में भेदभाव करके स्वतन्त्र प्रेस और स्वतन्त्र पत्रकारिता का सरकार गला घोंटना चाहती है, अखबार में कागज बढ़ा कर, इण्डियन एक्सप्रेस पर छापा मार कर... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जवाब देंगे, जवाब देंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं ....

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : इण्डियन, एक्सप्रेस के नाम से करंट लगता है इनको।

**श्री अध्यक्ष** : घनश्याम जी आप प्रश्न करेंगे, भाषण नहीं देंगे। आप तो बहुत ही विद्वान हैं, आप दूसरों को चैक करते है, भाषण मत दीजिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : क्या यह सही है कि राज इण्डिया, समाचार जगत, अम्बर जो संध्याकालीन पुराने अखबार हैं उन सब अखबारों को निराला के बजाय बहुत कम विज्ञापन दिये हैं? क्या यह भी सही है कि निराला को डी. पी. आर. से बिना आर्डर मिले दूसरे समाचार पत्रों ने जो विज्ञापन छापे हैं, अपने आप छाप देते हैं और बिना आर्डर मिले पैसे वसूल कर लेते हैं। क्या यह भी सही है कि पर्यटन विभाग और अन्य अखबारों को यह कहा गया है कि जो अखबार कांग्रेस की रीति नीतियों का प्रचार करें या इस प्रकार इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी के, मुख्य मन्त्री जी के भाषण ज्यादा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

छाप दे उनको बे रोक टोक विज्ञापन दो और जो आलोचना करे सरकार की, उन्हें किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जाये यह सरकार की नीति है और उसी के अनुरूप आपने इस प्रकार का भेद-भाव दिया है यही मेरा कहना है।

**श्री अध्यक्ष** : माणक डाणी।

**श्री माणक डाणी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो यहां सूची देखी जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की उसको देखा कि ब्यावर में एक साप्ताहिक अखबार निकलता है उसमें एक रुपये का भी विज्ञापन नहीं दिया गया है जबकि वह यहां के एडीटर है और पाक्षिक के नाम से...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय डाणी जी।

**श्री माणक डाणी** : 35 रुपये का विज्ञापन दिया गया तो यह क्या विज्ञापन देने की कोटेशन प्रणाली है ? इस बार यह व्यवस्था करें कि एक बार एक साप्ताहिक में देंगे, दूसरी बार दूसरे साप्ताहिक में देंगे या जहां चाहे जन सम्पर्क विभाग जिसको चाहे उसको इच्छानुसार विज्ञापन देता है यदि ऐसा नहीं है तो इसके उल्लघन के लिए दोषी कौन है ? ब्यावर से दैनिक वीर राजस्थान निकलता है उसको अजमेर के दैनिकों के मुकाबले विज्ञापन कम मिले है। इसी प्रकार से अन्य जगह अखबार रोज निकलते हैं उसको गलत ढंग से विज्ञापन दिये गये वह बात इस मुद्दे से सम्बन्धित नहीं है लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूसिंह जी।

**श्री नाथूसिंह** : क्या यह सही है कि राजस्थान में कोई समाचार पत्र ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन की शर्तों के अनुसार समय पर छापता नहीं लेकिन विज्ञापन ले लेता है ? क्या सरकार इस बात की जानकारी करवायेगी कि ऐसे कितने समाचार पत्र हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : उनका नाम अगर आप दे देते तो ज्यादा अच्छा था।

**श्री नाथू सिंह** : बहुत सारे हैं; एक नहीं है। क्या सरकार उन व्यक्तियों के जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, समाचार पत्र निकालते नहीं है और विज्ञापन ले लेते हैं, उनकी जांच करवायेगी ? दूसरा क्या यह सही है कि ऐसे रजिस्ट्रेशन जो सरकार के चहेते लोगों के हैं और उन्होंने करा रखें हैं और उन्होंने इन्कम का जरिया बना रखा है दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने समस्त विभागों को और सारे उपक्रमों को ऐसे निर्देश दे रखे हैं कि जो समाचार पत्र सरकार की आलोचना करे उन्हें विज्ञापन नहीं दिये जायें और दिये जाये तो बहुत कम मात्रा में दिये जायें ? क्या यह सही है कि डी पी. आर. भी जो समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध लिखते हैं उनको न तो कोई मैटेरियल सप्लाई करते हैं और न समय पर विज्ञापन देते हैं और क्या यह सही है कि उन समाचार पत्रों पर यह दिन दहाड़े अंकुश नहीं है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

**श्री अध्यक्ष** : पुष्पा जी। कृपया शार्ट में। अब दस मिनट हो गये हैं। मैं चाहूंगा

(श्री अध्यक्ष)

कोग्रापरेट करें। मैंने लिया है, जान-बूझ कर लिया है।

**श्री सी. पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे तक चर्चा कर लें, ठीक रहेगा यह इम्पार्टेन्ट मामला है, प्रेस का मसला है। इस पर आधे घण्टे तक चर्चा होने दें। क्या तकलीफ होगी ?

**श्री अध्यक्ष :** 15 मिनिट तो हो गये हैं और थोड़ी मेहरबानी करें।

**सुश्री पुष्पा जैन :** मैं यह जानना चाहूंगी कि इन समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के आधार क्या हैं, मापदण्ड क्या हैं ? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगी कि भाग संख्या 4 निगम और विभाग इन नियमों से मुक्त रखे हैं क्या इस कारण से रखे हैं कि आप जिस अखबार को चाहें इन निगमों और विभागों से ओब्लाइज करवा सकें सीधे-सीधे ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री दिग्विजय सिंह।

**श्री दिग्विजय सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय से कि क्या राज्य सरकार विज्ञापन देते समय उस पेपर के सरक्यूलेशन, उस पेपर को कितने वर्ष हो गये हैं चालू हुए, इन सब बातों को देखकर ही विज्ञापन देते हैं। या मन चाहे, नियमों को ताक में रख आप चाहे जिसको विज्ञापन दे दिया। क्या उसका सरक्यूलेशन देखते हैं, उसकी स्टैंडिंग देखते हैं। किस आधार पर आप....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय विद्याजी।

**श्रीमती विद्या पाठक :** मैं इससे हटकर यह प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या यह सही है कि सरकार स्वयं विज्ञापित करती है और क्या विज्ञापन का उद्देश्य राजस्थान को प्रोजेक्ट करने का या उसकी रीति नीति को प्रोजेक्ट करने का है। यदि उसके माध्यम से गलत रीति नीति प्रोजेक्ट की जाती है तो उसके विरुद्ध सरकार कोई नियन्त्रण रखती है कि नहीं ? उदाहरण के तौर पर पर्यटन विभाग से एक ब्रोशर निकला है। उसमें किला तो दे रहे हैं यह सामोद का और पब्लिसिटी कर रहे हैं अलवर की। अलवर के किले के नाम पर चौमूं, सामोद के किले की फोटो देकर पब्लिसिटी कर रहे हैं। यह तो सरकार स्वयं जिम्मेदार है इसके लिए। इसी तरह से लॉयन की बजाय चीते को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सिरस्का में यह तो लायन है और फोटो दे रहे हैं चीते की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं सदन की मेज पर रख दूं. गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी है इसके लिए सरकार की ? अखबारों पर तो आप कार्यवाही कर देंगे, गलत विज्ञापित करते हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मन्त्री जी।

**श्री अश्क अली टाक :** माननीय अध्यक्ष जी, सदन के काफी सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की है कि लघु समाचार पत्र जो निकलते हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाये। न केवल वह बल्कि राज्य सरकार स्वयं इस बात पर संवेदनशील हैं; चिन्तित है कि वह इस प्रकार के लघु समाचार पत्रों को संरक्षण देवे। किसी एक समाचार पत्र को अधिक दिया गया है या किसी एक समाचार पत्र को कम दिया गया। यह वकालत कोई माननीय सदस्य तो कर सकते हैं लेकिन राज्य सरकार के दृष्टिकोण से सभी लघु समाचार पत्र एक

(श्री अश्क अली टाक)

ही श्रेणी में आते हैं और उनकी वरीयता के सम्बन्ध में, उनको विज्ञापन देने के संबंध में हमने वर्गीकरण सलाहकार मण्डल का गठन कर रखा है जो हर तीन महीने के बाद क्वाटरली मिलता है और अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी सलाह जो है, जो उसके मैम्बर्स हैं, जो सभी छोटे-छोटे पत्रकार संघ हैं उनको भी उसमें डाला हुआ है और वह डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन के साथ में बैठ कर के निर्णय करता है और उस निर्णय के अनुसार जो राय है वह हमको प्रेषित करता है, हम उनके साथ न्यायसंगत निर्णय करते हैं। (व्यवधान) मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक इस कमेटी के गठन का सवाल है यह दो वर्ष के लिए गठित की जाती है और क्वाटरली इसकी मीटिंग होती है, तमाम सिफारिशें जो अब तक इसने की हैं, राज्य सरकार ने लगभग सभी को स्वीकार किया है और इसके अलावा राज्य सरकारें इस तरह के छोटे-छोटे पत्रों को, चाहे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी पत्र का हवाला दिया हो, चाहे उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी पत्र का हवाला दिया हो, चाहे सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने किसी पत्र का हवाला दिया हो, चाहे सीकर से आने वाले किसी माननीय सदस्य ने किसी बात का हवाला दिया हो। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राज्य सरकार के सामने जो भी मामले आते हैं, न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्गीकरण समिति जो है हमको प्रेषित करती है, हम उस पर न्यायसंगत निर्णय करते हैं। इस मामले में कोई किसी प्रकार की इर्रेगुलरिटी हुई है तो हम इसको देखेंगे। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उनको संरक्षण मिले और इस मौके पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि, यहां तक कि मैंने मुख्य मन्त्री जी से सम्पर्क करके, मुख्य मन्त्री जी से निर्देश प्राप्त करके इस बात को भी देखा है कि राज्य में अधिकांश पत्रों को भारत सरकार के डी. ए. वी. पी. के रेट्स जो निर्धारित हैं, उसके माध्यम से हम देते हैं। विज्ञापन के रेट्स के बारे में और हम इस बारे में हम इतने संवेदनशील हैं कि जब अधिकांश पत्रों को मिलने के बाद जो पत्र शेष रह जाते हैं उनको भी किस प्रकार लाभ दिया जाये, उनको भी किस प्रकार संरक्षण दिया जाय। यह प्रजातन्त्र में मीडियाज की जो महत्वपूर्ण भूमिका है राजनैतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि उसको किस प्रकार से संरक्षण मिले इसके लिए डी. ए. वी. पी. के रेटों को राज्य में कैसे लागू किया जाये। मैं आपको इस मौके पर एक आश्वासन देना चाहता हूं, सदन को कि 15 अगस्त तक डी. ए. वी. पी. के रेट्स राज्य में लागू कर दिए जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त किया जाता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### तहसील लाडनूं जिला नागौर के ग्राम रोजा की पेयजल समस्या

**161. श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर के ग्राम सिलनबाद से ग्राम रोजा को पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है और ग्रामवासियों की बराबर शिकायत है कि ग्राम रोजा में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? इस गांव की पानी की समस्या का कब तक समाधान हो जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम रोजा को पूरा पानी नहीं मिलने के उपरांत भी सिलनबाद से रोजा जाने वाली मैन पाइप लाइन से एक दूसरी लाइन निकाल कर एक व्यक्ति विशेष के खेत में पानी पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ? इस पर कितनी राशि खर्च हुई जिसकी स्वीकृति किस अधिकारी ने किस योजना में कब दी और यह लाइन कब डाली गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिस व्यक्ति विशेष के खेत में इस पाइप लाइन से पानी दिया गया है, वहां कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग की क्या नीति है, तथा इस अनियमित कार्य के लिये सरकार किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम रोजा को ग्राम सिलनबाद से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। कभी-कभी बिजली उपलब्ध न होने के कारण ग्राम रोजा को आवश्यक पानी नहीं मिल पाता है।

(2) बिडासरों की ढाणी के पास स्थित होद व खेली को काम लेते हुए ढाणी के निवासियों एवं जानवरों की आवश्यकता को देखते हुए पानी उपलब्ध कराया है। इस कार्य हेतु रुपये 21,300/- की राशि खर्च की गई। पाइप लाइन का कार्य मई, 1988 में करवाया गया था। स्वीकृति अपेक्षित है।

(3) ढाणी के निवासियों एवं पशुओं हेतु पेयजल उपलब्ध करवाया गया है।

## उपनिवेशन (तहसील छतरगढ़ नं. 2 में) भूमि का आवंटन

**162. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1988-89 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नं. 2 में विशेष आवंटन में किस-किस काश्तकार को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई ? विवरण निम्न प्रकार दिया जावे :-1. नाम काश्तकार 2. पिता का नाम 3. 1955 का मूल निवास स्थान।

(2) उपरोक्त आवंटन से राजकोष को कितनी आमदनी हुई ?

उत्तर

(1) उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं 2 में वर्ष 1988-89 में विशेष आवंटन में 204 काश्तकारों को भूमि आवंटन की गई है। जिनका विवरण संलग्न है।

(उपनिवेशन मन्त्री)

(2) वर्ष 1988-89 में तहसील छत्र-गढ़ नं. 2 में विशेष आवंटन की गई भूमि की कीमत 81,98,395/- रुपये थी, जिसमें से 29,48,525/- रुपये जमा हो चुके हैं। शेष राशि नियमानुसार किश्तों में वसूल की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

**गांवों में पी. एन. टी. योजना**

**163. श्री रमजान खां (पुष्कर) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांवों में पी. एन. टी. योजना के तहत पानी ऊंची टंकियां बनाने पर जो पाबन्दी लगा रखी थी उसमें कुछ संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो क्या संशोधन किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सही है कि प्रान्तों में जितने भी गांव 5 हजार की आबादी के हैं, उनमें करीब-करीब पेयजल हेतु ऊंची टंकियों का निर्माण हो चुका है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार दो हजार की आबादी तक के गांवों में पेयजल हेतु ऊंची टंकियों का निर्माण कराने का निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं, मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां।

(3) मामला विचाराधीन है।

**ग्राम राहोली तक सड़क का निर्माण**

**164. श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील निवाई ग्राम गुनसी से राहोली ग्राम तक सड़क निर्माण करा दी गई है ? यदि हां, तो कहां तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क ग्राम राहोली तक न बनाकर बीच में ही छोड़ दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब कब तक यह सड़क पूर्णरूप से ग्राम राहोली तक बना दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। आर. एल ई जी. पी. योजना के बन्द हो जाने से कार्य आगे नहीं करवाया जा सका।

(2) जी हां। आर. एल. ई. जी. पी. योजना के बन्द हो जाने से कार्य आगे नहीं करवाया जा सका।

(3) वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण और कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

**जोधपुर जिले में वन विभाग द्वारा कार्य**

**165. श्री नारायणराम बेड़ा (भोपाल-गढ़) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नारायणराम बेड़ा)

(1) जोधपुर जिले में वन विभाग द्वारा जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक कुल कितने कार्य हाथ में लिये ? उन पर कितना व्यय किया ? इसका विवरण पृथकश: कार्यवार मय कार्य के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में जितनी प्राइवेट नर्सरीज लगा रखी हैं ? उनको विभाग ने क्या-क्या सहूलियतें प्रदान की हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में विभाग की नर्सरियों पर कुल कितना वार्षिक खर्चा होता है व कितने पौधों का उत्पादन किया गया है ? विगत दो वर्षों का विवरण नर्सरी वार अलग-अलग मदवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वन विभाग द्वारा जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक करवाये गये कार्यों का कार्यवार विवरण मय व्यय के सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जोधपुर जिले मे वन विभाग द्वारा वर्ष 88-89 में चार नर्सरियां स्वीकृत की गई थी जिनमें से केवल एक कृषक श्री प्रभुराम पुत्र जेठाराम ने ही 25000 पौधे उगाने के लिये विभाग की सहायता ली। कृषकों को किसान नर्सरी लगाने के लिये विभाग द्वारा पोलीथिन बैग खाद एवं बीज आदि दिया जाता है। तैयार पौधों को विभाग 30 पैसे प्रति पौध की दर से खरीदता है।

(3) जोधपुर जिले में विभाग की नर्सरियों में गत दो वर्षों में उगाये गये पौधों एवं वार्षिक व्यय राशि का विवरण नर्सरी वार, मदवार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**राज्य में अवैध हथियार कारखाने**

**166. श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 5 वर्ष में राज्य में अवैध हथियार बनाने के कारखाने कब-कब कहां-कहां पकड़े गये ?

(2) उक्त कारखानों में किस-किस प्रकार के हथियार व सामग्री पकड़ी गई ?

(3) उक्त कारखानों से सम्बन्धित लोगों के विरूद्ध कब-कब व क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न तालिका में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त तालिका में सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

(3) सम्बन्धित सूचना उपरोक्त तालिका में दे दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

**भरतपुर में भगवान टाकीज के पास बनी पुलिया पर अतिक्रमण**

**167. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नत्थी सिंह)

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित भगवान टाकीज के पास सड़क पर पानी निकालने की जो पुलिया बनी हुई है उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुलिया पर अतिक्रमण करने से कौवा का नगला, ईदगाह कॉलोनी, हरिजन बस्ती के पानी को निकालने वाला नाला बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है ?

(3) उक्त अतिक्रमण रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पुलिया के दोनों ओर सड़क सीमा के बाहर नाले पर अतिक्रमण कर लिया है तथा कुम्हेर को जाते समय बांयी ओर तो बस्ती का निर्माण हो चुका है। नाली पर अतिक्रमण पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। दांहिने ओर अभी अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(2) कुछ हद तक सही है।

(3) नगर परिषद/नगर सुधार न्यास द्वारा दांहिने ओर कुछ अतिक्रमण हटाये गये। क्योंकि सड़क सीमा के बाहर नगर परिषद इस कार्य को करती है। तथा यह पुलिया एवं नाला नगर परिषद/नगर सुधार न्यास के क्षेत्र में है।

**पी. बी. एम. चिकित्सालय (बीकानेर) में ऑक्सीजन की कमी**

168. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) एवं श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पी. बी. एम. चिकित्सालय, बीकानेर में विगत तीन वर्षों में कब-कब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी व किस कारण से ? ऑक्सीजन की कमी से कितने ऑपरेशन स्थगित करने पड़े ? ब्यौरा महावार मय मरीज के नाम व बीमारी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिडियोट्रिक्स विभाग में कितने बच्चों की मृत्यु हो गयी ? विगत तीन वर्षों का ब्यौरा वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में पी. बी. एम. हॉस्पिटल बीकानेर में कब-कब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, का अभिलेख उक्त चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। और ऐसा कोई रेकार्ड रखा नहीं जाता है। कभी-कभी सप्लायर द्वारा समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध न करवाने पर कमी की सम्भावना हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी से ऑपरेशन के स्थगित करने का रेकार्ड स्थाई रूप से रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: रेकार्ड के अभाव में ऑक्सीजन की कमी से कितने ऑपरेशन स्थगित करने पड़े का ब्यौरा महावार मय मरीज के नाम व बीमारी के सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) ऑक्सीजन की कमी के कारण पेडियाट्रिक्स विभाग में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है तथा संकटकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की व्यवस्था येन-केन-प्रकारेण की जाती रही है।

**जयपुर शहर की गृह निर्माण योजनाएं**

**169. श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंजमण्डी) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जयपुर शहर में किस-किस गृह निर्माण सहकारी समिति की किस-किस योजना को मास्टर प्लान के अनुसार ग्रीन बैल्ट होने के उपरान्त भी उनका मानचित्र जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पास किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में मास्टर प्लान के अनुसार ग्रीन बैल्ट में सहकारी समितियों की 16 योजनाओं को तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | समिति का नाम | योजना का नाम |
|---|---|---|
| 1- | छत्रपति गृ. नि. स. स. लि. | सम्राट नगर<br>सम्राट नगर (पश्चिम) |
| 2- | ,, ,, ,, | पटवारी कॉलोनी |
| 3- | आनन्द भवन ,, ,, | पटेल नगर |
| 4- | आनन्द भवन ,, ,, | महालक्ष्मी नगर |
| 5- | माधव नगर ,, ,, | अशोक वाटिका |
| 6- | शिल्पाचार्य ,, ,, | ऋषभ नगर |
| 7- | अपोलो नगर ,, ,, | कैलाशपुरी |
| 8- | खुदाबादी ,, ,, | वर्द्धमान नगर |
| 9- | अंबेश्वर नगर ,, ,, | रजनी बिहार |
| 10- | अपोलो नगर ,, ,, | गोकुल वाटिका |
| 11- | अपोलो नगर ,, ,, | जगदम्बा नगर |
| 12- | पथिक भवन ,, ,, | स्कीम नं. 9-ए |
| 13- | आनन्द भवन ,, ,, | टैगोर नगर |
| 14- | आनन्द भवन ,, ,, | अग्रसेन नगर |
| 15- | आनन्द भवन ,, ,, | टैगोर नगर विस्तार |
| 16- | रेल्वे मेस हा. को. सो. | आनन्द बिहार |

**भरतपुर जिले में आतिशबाजी के गोदाम में आग से बच्चों की मृत्यु**

**170. श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के पहाड़ी कस्बे में आतिशबाजी के

(श्री हीरालाल आर्य)

गोदाम में आग लगने से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी तथा कुछ घायल हो गये थे ? यदि हां, तो कब ? मृतकों एवं घायलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अब तक के अनुसंधान से सर्वश्री अमरसिंह पुत्र देवीराम जाटव, 2-श्री देवीराम जाटव, 3-श्री मुन्नीलाल कायस्थ दोषी पाये गये हैं, जिनके विरूद्ध अपराध संख्या 56/89 धारा 304ए भा. द. सं., 5/6 एक्सप्लोजिव एक्ट व 3/25 आर्मस एक्ट में पंजिबद्ध किया गया। तफतीश जारी है। अमरसिंह पुत्र देवीराम जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

(अ. ता. प्रश्न सं. 171 स्थगित)

**जवाई बांध से पानी के उपयोग में प्राथमिकता**

**172. श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जवाई बांध के पानी के उपयोग में पेयजल अथवा सिंचाई में किसको प्राथमिकता दी गई है ? प्राथमिकता का निर्णय कब व किस स्तर पर हुआ है ?

(2) इस वर्ष जोधपुर शहर के लिए, पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल व सिचाई के लिए कितना-कितना पानी देना तय हुआ है व कितना-कितना दिया गया ?

(3) बांध से छोड़े जाने वाले पानी के वितरण की मात्रा का मापदण्ड क्या रखा जाता है ? इस वर्ष जोधपुर शहर के लिए कुल कितना पानी तय हुआ था व कितना शहर में पहुंच पाया ?

(4) क्या सिचाई विभाग व जलदाय विभाग तथा पाली जिले व जोधपुर जिले के बीच इस मामले में विवाद रहता है ?

(5) पानी के उपयोग की मात्रा किस स्तर पर तय होती है व इसकी क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर

(1) जवाई बांध के पानी को पेयजल हेतु प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता का निर्णय गत वर्ष मानसून समाप्ति पर राज्य सरकार के स्तर पर हुआ था।

(2) विभिन्न बांधों से इस वर्ष जोधपुर शहर, पाली शहर जोधपुर एवं पाली जिले की क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं हेतु 3769 मिलियन क्यूबिक फीट एवं सिंचाई हेतु 3402 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की मात्रा आरक्षित की गई थी। सिंचाई एवं पेयजल हेतु क्रमशः 3479.25 मिलियन क्यूबिक फीट एवं 2924.36 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की मात्रा दिनांक 30.6.89 तक उपयोग में लाई गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) पेयजल एवं सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार एवं आरक्षण के अनुरूप पानी छोड़ा जाता है। जोधपुर शहर के लिये अलग से पानी का आरक्षण नहीं किया गया। सभी योजनाओं के लिए 3769 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आरक्षित किया गया है। प्रतिदिन आवश्यकतानुसार 28 से 30 क्यूसेक्स पानी जोधपुर को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

(5) पानी के उपयोग की मात्रा का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग एवं पाली जिला प्रशासन की मांग को मध्यनजर रखते हुए पानी का आरक्षण किया जाता है।

## इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहर प्रणालियां

173. **श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) एवं श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की नहर प्रणालियां कितनी-कितनी क्षमता की कब निर्मित की गई है व आज तक प्रणालीवार उच्चतम पानी किस तिथी को कितना छोड़ा गया ? फरवरी से मई 1989 में दातौर वितरिका व बरसलपुर शाखा की शुरू व अन्तिम छोर की दैनिक गेज पठन की विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) माह दिसम्बर 1988 जनवरी व फरवरी 1989 में दातौर वितरिका व बरसलपुर शाखा की शुरू व अन्तिम छोर की दैनिक गेज पठन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दातौर वितरिका, बरसलपुर शाखा में वर्ष 1988 में 1 से 7 मार्च व 7 से 11 नवम्बर को आखिरी छोर पर पानी की प्रति दिन की गेज रीडिंग सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 3 के अनुसार उक्त तिथियों में होली व दीपावली के त्यौहार का समय था व कोई अधिकारी व कर्मचारी उक्त अवधि में अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहा ? यदि हां, तो विभाग ने ऐसे लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार किसानों की फसल को पानी के अभाव में होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये इस वर्ष की होली व दीपावली के त्यौहार पर अधिकारियों को मौके पर रहने के लिए पाबंद करेगी ? यदि हां, तो इसको कैसे चैक किया जायेगा ?

### उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की नहर प्रणालियों की क्षमता व कब निर्मित हुई, आज तक का प्रणालीवार उच्चतम छोड़ा गया पानी व किस तिथी को उच्चतम पानी की मात्रा छोड़ी गई, प्रपत्र "क" में संलग्न है। फरवरी से मई, 89 तक दातौर वितरिका व बरसलपुर शाखा की शुरू व अन्तिम छोर की दैनिक गेज की सूची क्रमशः प्रपत्र "ख" व "ग" में संलग्न हैं।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(2) माह दिसम्बर, 88 से फरवरी, 89 तक दातौर वितरिका व बरसलपुर शाखा की शुरू व अन्तिम छोर की दैनिक गेज पठन का विवरण प्रपत्र "घ" व "च" में संलग्न है।

(3) दातौर वितरिका व बरसलपुर शाखा में वर्ष 1988 में 1-7 मार्च, 7-11 नवम्बर को आखिरी छोर पर पानी की प्रतिदिन की गेज रीडिंग प्रपत्र 'छ' में संलग्न है।

(4) जी हां, यह सही है कि प्रश्न के भाग तीन के अनुसार दी गई तिथियों में होली व दीपावली के त्यौहारों का समय था किन्तु यह सही नहीं है कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी उक्त अवधि में अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहा।

(5) नहरों की देख-रेख के लिए वांछित प्रबन्ध सदैव की भांति किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

**174 श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? निजी एवं सरकारी छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले पांच वर्षों में किस-किस छात्रावास को बर्तन बिस्तर व मकान मरम्मत के लिए राशि दी गयी है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आदिवासी छात्रावास लालसोट के भवन, बिस्तर एवं बर्तनों के लिए काफी लम्बे समय से सरकार द्वारा राशि नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि राशि दी गयी, तो कब-कब ?

(4) इन छात्रावासों के लिए छात्रों को क्या न्यूनतम सुविधायें देने का प्रावधान है ? क्या कई छात्रावासों के संबंध में ऐसी शिकायतें आई हैं कि वे सुचारु रूप से नहीं चलते हैं वे छात्रों को पूरी सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं।

(5) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) राज्य में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के कुल 456 छात्रावास चलाये जा रहे हैं, जिनमें से 352 राजकीय एवं 104 अनुदानित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न छात्रावासों को बर्तन, बिस्तर व मकान मरम्मत के लिए दी गई राशि का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ब" एवं "स")

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

"अनुदानित छात्रावासों" में बर्तन एवं बिस्तर आदि के क्रय हेतु वर्ष 1985-86 में रुपये 1,29,850/– तथा वर्ष 1986–87 में रुपये 50,669/– की राशि स्वीकृत की गई थी।

(3) छात्रावासवार सूचना संकलित की जा रही है, जो प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जावेगी।

आदिम जाति सेवक संघ द्वारा लालसोट में चलाये जा रहे छात्रावास के लिए बिस्तर एवं बर्तन आदि के लिए वर्ष 1985–86 में रुपये 2100/– तथा 1986–87 में रुपये 690/– की राशि दी गई।

भवन मरम्मत के लिए संसाधनों की कमी के कारण राशि दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(4) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 1982 के नियम 8 के अनुसार निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं :–

(i) भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, साबुन, तेल, जूते आदि पर व मैस समिति जो कि इन नियमों के अन्तर्गत होगी, के द्वारा की जायेगी। इस कार्य के लिए मैस समिति को कक्षा-6 से 11 तक के छात्रों को 170/- रुपये प्रति/छात्र/माह के हिसाब से राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को 60/– रुपये/छात्र एवं कक्षा 6–8 तक के छात्रों को 40/– रुपये/छात्र/पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते हैं। यह राशि सत्र के आरम्भ में एक मुश्त ही छात्रों को जिलाधिकारी द्वारा दी जाती है।

(iii) प्रति छात्र को निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :–

एक दरी, दो कम्बल, एक तकिया मय दो गिलाफ, एक गद्दा, दो चादर, एक थाली, दो कटोरी, एक प्लास्टिक का मग बड़ा, एक चारपाई या लकड़ी का तख्ता, सामान रखने के लिए आलमारी अथवा लोहे का बक्शा।

जयपुर जिले के कुछ छात्रावासों के संचालन के सम्बन्ध में शिकायतें दि. 21.6.89 के राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसकी जांच कराई जा रही है।

(5) जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**नियोजन कार्यालय, जयपुर में स्टेनो (आशुलिपिकों) के नाम दर्ज**

**175. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नियोजन कार्यालय (जलेबीचौक) जयपुर में 1 जनवरी, 1989 को किन-किन आशार्थियों के नाम किस-किस तिथी से स्टेनो (आशुलिपिकों) हेतु दर्ज थे। सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) उक्त आशार्थियों में से नियोजन कार्यालय, (जलेबी चौक) जयपुर ने गत 1 जनवरी, 1988 से अब तक किन-किन आशार्थियों को किस-किस विभाग में कब-कब आशुलिपिक (स्टेनो) के पद पर नियुक्ति (साक्षात्कार) हेतु भेजा गया, आशार्थी का नाम, उसके स्टेनो रजिस्ट्रेशन की तिथी, विभाग जिस हेतु कार्ड भेजा गया, कार्ड भेजने की तिथी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियोजन कार्यालय जलेबी चौक जयपुर में 1 जनवरी, 1989 को स्टेनो (आशुलिपिक) हेतु 324 आशार्थियों के नाम दर्ज थे। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त आशार्थियों में से नियोजन कार्यालय, जलेबी चौक, जयपुर से गत जनवरी, 1989 से अब तक 115 आशार्थियों को विभिन्न विभागों में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति (साक्षात्कार) हेतु भेजा गया। आशार्थियों के नाम, उनके पंजियन तिथी एवं विभाग जिस हेतु कार्ड भेजा गया व कार्ड भेजने की तिथी सहित सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## जयपुर नगर की कच्ची बस्तियां

176. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)** : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं ? यह बस्तियां किस-किस सैक्टर में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगापोल दरवाजे स्थित बांसखो की मोरी के बुनकर कोली (झलकारी) बुनकर बस्ती, सीतारामपुरी कच्ची बस्ती, फकीरों की डूंगरी (दरवेश नगर) कच्ची बस्ती, न्यू इन्दिरा कॉलोनी कच्ची बस्ती किस जोन में आती है ?

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त बस्तियों में सड़क, बिजली, पेयजल व्यवस्था आदि जनसुविधाओं की पूर्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या कच्ची बस्तियों को विकसित करने से पहले उनकी वास्तविक स्थिति का मानचित्र बनाया जाता है ? यदि हां, तो सीतारामपुरी कच्ची बस्ती, बद्रीनारायण जी की डूंगरी आमेर रोड़, जयपुर का सर्वे मेप और विकास हेतु किए गए प्रस्तावित तथा फाइनल प्लान के मानचित्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) बांसखो की मोरी झलकारी बुनकर कच्ची बस्ती (गंगापोल दरवाजा के पास) में कितने सर्वेधारी हैं ? क्या सभी सर्वेधारियों को प्लाट आवंटित कर दिए गए ? यदि हां, तो कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर में 142 कच्ची बस्तियां जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तथा 37 कच्ची बस्तियां नगर परिषद

(नगरीय विकास मंत्री)

क्षेत्र में हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बुनकर कॉलोनी गंगापोल दरवाजे स्थित बांसखो की मोरी की कच्ची बस्ती बांसखो ठाकुर की निजी भूमि पर बनी हुई है। सीतारामपुरी कच्ची बस्ती, फकीरों की डूंगरी (दरवेश नगर) कच्ची बस्ती, न्यू इन्दिरा कॉलोनी, परसरामपुरी कच्ची बस्ती जोन नं. 5 के अन्तर्गत आती है।

(3) प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली उक्त बस्तियों में सड़क, बिजली, पेयजल आदि जनसुविधाओं की पूर्ति कर दी गई है।

(4) विकसित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति का मानचित्र तथा सर्वे मैप और विकास करने हेतु फाइनल मानचित्र बनाये जाते हैं। सीतारामपुरी कच्ची बस्ती, बद्रीनारायण की डूंगरी के मानचित्र संलग्न है।

(5) यह बांसखो ठाकुर की निजी भूमि है पर बनी होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर परिषद द्वारा सर्वे नहीं कराया गया है। अत: निजी भूमि के लोगों को भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूचियां एवं मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गए।)

## जयपुर जिले की बस्सी नगरपालिका को दी गई राशि

177. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले की बस्सी नगरपालिका को विकास के नाम पर पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि दी गई ?

(2) उसमें से किस-किस मद में कितनी कितनी राशि कब कब खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) नगरपालिका बस्सी को विकास कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों में 15,07,550/- रुपये की राशि दी गई।

(2) विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि का व्यय जिस-जिस मद में किया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

## जयपुर स्थित महेश नगर कॉलोनी में नागरिक सुविधायें

178. श्री राजेश (थानागाजी) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर स्थित गोपालपुरा बाई पास के निकट महेश नगर कॉलोनी में बिजली, पानी एवं सड़क, पार्क रोड लाइट आदि नागरिक सुविधायें कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम गोपालपुरा में निम्नलिखित सहकारी

(90)



(नगरीय विकास मंत्री)

समितियों की योजनाएं महेश नगर व महेश नगर कॉलोनी के नाम से तकनीकी रूप से अनुमोदित हैं।

| क्र स. | समिति का नाम | योजना का नाम | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1– | संयुक्त गृ. नि. स. स. लि. | महेश नगर "डी" | गोपालपुरा |
| 2– | अपोलो नगर गृ. नि. स. स. लि. | महेश नगर विस्तार 'ए" | गोपालपुरा |
| 3– | ,, ,, | महेश नगर विस्तार "बी" | गोपालपुरा |
| 4– | न्यू पिंकसिटी गृ. नि. स. स. लि. | महेश नगर | गोपालपुरा |

इसके अतिरिक्त महेश गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की महेश कॉलोनी ग्राम रामपुरारूपा में तकनीकी रूप से अनुमोदित है।

उपरोक्त योजनाओं में समिति अथवा व्यक्तिगत भूखण्डधारियों द्वारा जमा विकास शुल्क के आधार पर सड़क निर्माण आदि का कुछ कार्य सम्पन्न किया गया है। योजनाओं का पूर्ण विकास कार्य सम्पूर्ण विकास शुल्क जमा कराने पर ही संभव होगा।

(2) पूर्ण विकास शुल्क जमा न होने के कारण बिजली, पानी, सड़क, पार्क एवं रोड लाइट आदि की सुविधायें पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

**नगरपालिका, आबू पर्वत**

**179. श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आबू पर्वत नगरपालिका के चुनाव पिछले 14 वर्षों से नहीं कराये गए हैं और वहां पर प्रशासक ही चल रहा है? यदि हां, तो इसके चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे और इस समय प्रशासक कौन है? क्या सरकार एक मनोनयन बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि आबू पर्वत पर भवन निर्माण पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो कब से? भवन निर्माण की स्वीकृति के क्या नियम बने हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि आबू नगरपालिका में "सफरी सेस" या "ट्रेक्ट" मकान मालिक को देना होता है? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं और क्या यह अन्य नगरपालिकाओं में भी है या सिर्फ वहीं पर? यदि नहीं तो आबू पर्वत पर ही क्यों?

(4) क्या यह सही है कि प्रजापति ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा जो भवन इत्यादि बनाये हैं उनकी स्वीकृति नहीं ली गई और उन्हें बाद में नियमित कर दिया गया? यदि हां, तो कुल कितने भवन बने हुए हैं और कितने क्षेत्रफल में हैं?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(5) क्या यह सही है कि आबू पर्वत का कोई मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आबू पर्वत नगरपालिका के चुनाव अन्य सभी नगरपालिकाओं के साथ सम्पन्न कराने का प्रयास किया जावेगा। वर्तमान में प्रशासक के पद पर जिला कलक्टर सिरोही कार्य कर रहे हैं। अभी मनोनयन बोर्ड के गठन का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी नहीं। भवन निर्माण की स्वीकृति के नियम राज. नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 के तहत (आबू नगरपालिका की भवन उपविधियां 1978) प्रभावशील हैं।

(3) जी हां। इसके नियम संलग्न हैं। यह कर नगरपालिका आबू पर्वत में ही लागू है एवं बम्बई राज्य के समय से ही वसूल किया जाता है। इस कारण इस कर की वसूली जारी है।

(4) ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय आबू में कुल 9 भवन बने हुए हैं। इनमें 7 भवन एक ही रोड पर तथा एक पालनपुर हाउस के पास और एक किचन गार्डन के पास म्यूजियम बना हुआ है। कुल 9 भवनों का क्षेत्रफल लगभग 3800 वर्ग गज है। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा केवल एक भवन की द्वितीय व तृतीय मंजिल का अनाधिकृत निर्माण करवाया गया है। इसका नियमन नगरपालिका ने नहीं किया है। इसका विवाद न्यायालय में चल रहा है।

(5) जी हां। अभी ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हुआ है और मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**बस्सी (जयपुर) में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय**

**180. श्री हरि शंकर भाभड़ा (रतनगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के बस्सी में सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय की स्थापना कब हुई ? यह कार्यालय किस-किस भवन में कब-कब तक रहा और किस अधिकारी के किस तारीख के आदेश से किस भवन में स्थानान्तरित हुआ ?

(2) क्या अब विभाग का भवन बन चुका है ? यदि हां, तो जिस भूमि पर बना है उसका मालिक कौन है ?

(3) यह भूमि विभाग को कब स्थानान्तरित हुई ?

(4) इस भवन के निर्माण के लिए विभाग ने कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की ? यदि नहीं, तो इसके निर्माण पर किस किस मद में से कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के बस्सी कस्बे में सहायक अभियन्ता, न स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

विभाग ने कार्यालय की स्थापना आदेश संख्या प. 1 (75)/पी एच ई/87 दिनांक 23-5-87 द्वारा की गई एवं बस्सी उपखण्ड दिनांक 11-6-87 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। यह कार्यालय दिनांक 11-6-87 से 21-7-87 तक जन स्वा. अभि. विभाग के हैडवर्क्स बस्सी में, दिनांक 22-7-87 से 21-8-87 तक अधिशाषी अभियन्ता दौसा के मौखिक आदेशानुसार सुधीर भवन में, दिनांक 22-8-87 से माह मई, 88 तक पंचायत समिति स्थित मुर्गीखाना भवन में एवं इसके बाद विभाग के नवनिर्मित भवन में कार्यरत है।

(2) जी हां। उक्त भवन पंचायत समिति, बस्सी की भूमि पर बना है एवं भवन का मालिक जन स्वा. अभि. विभाग है।

(3) यह भूमि विभाग को आवंटित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जटवाड़ा पेयजल योजना के अन्तर्गत बस्सी में कार्यालय भवन निर्माण हेतु 0.96 लाख रुपये की राशि का प्रावधान था। योजना वर्ष 1987-88 में स्वीकृत की गई एवं मार्च, 89 तक 1,20,486 रुपये खर्च किये गये।

**चिकित्सकों के रिक्त पद**

**181. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चिकित्सकों के 800 पद रिक्त हैं ? यदि, हां तो सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों को नियुक्त करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

(2) राज्य में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार डाक्टर हैं और सरकार उनको नियुक्ति देने बाबत क्या कार्यवाही कर रही है।

**उत्तर**

(1) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) पंजीकृत बेरोजगार डाक्टर्स की सूचना इस विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है। पद रिक्त होने पर तदर्थ नियुक्तियां अखबारों में विज्ञापन देकर, नियोजन कार्यालय से नाम मंगाकर मेरिट के आधार पर नियमानुसार दी जाती है। रेगुलर नियुक्तियां राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होने पर ही दी जाती है।

**जयपुर नगर का मास्टर प्लान**

**182. श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर का मास्टर प्लान कब बनाया गया था ? इसके अन्तर्गत कुल आने वाले अरबन घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर नगर के मास्टर प्लान में कोई संशोधन विचाराधीन है ? यदि हां, तो संशोधन कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(3) क्या नगर के मास्टर प्लान में कृषि भूमि पर बने मकानों, कच्ची बस्तियों को बसाने व बदले हुए प्रयोजन के लिए मास्टर प्लान में परिवर्तित करने के लिए कोई कमेटी का गठन हुआ है ? यदि हां, तो कमेटी के सदस्यों की सूची और इनकी बैठकें कब-कब हुई व क्या निर्णय हुए का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार बदलती हुई परिस्थितियों में नगर के मास्टर प्लान में परिवर्तन करना या बिलकुल नये ढंग से बनाना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो नया मास्टर प्लान कब तक बनकर पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा 4 जून, 1976 को स्वीकृत कर लागू कर दिया गया था। इसके अरबन एरिया में आने वाले 131 राजस्व गांवों की सूची संलग्न है।

(2) कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है।

(3) जी, नहीं।

(4) मौजूदा मास्टर प्लान 20 साल की अवधि अर्थात् 1991 तक के लिये बनाया गया था, भविष्य में शहर के समुचित विकास के लिये नया मास्टर प्लान बनाना आवश्यक है जो 1991 तक बनकर तैयार हो जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**अलवर जिले में सिरस्का देवी नाले पर पुल का निर्माण**

183. श्री राजेश (थानागाजी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अलवर में सिरस्का देवी नाले पर पुल का निर्माण करना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब तक कार्य चालू करवाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय वर्ष 1989–90 की चतुर्थ तिमाही में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

**बूंदी जिले के क्रियाशील अस्पताल**

184. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले में कुल कितने अस्पताल किस श्रेणी के कहां-कहां पर क्रियाशील हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) केशवराय पाटन तहसील में लाखेरी, कापरेन, इन्द्रगढ़, केशवराय पाटन अस्पतालों में विभिन्न इकाइयों के डाक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं अभी कितने पदों पर डाक्टर्स लगे हैं ? कितने पद कब से रिक्त हैं ? अस्पतालवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर डाक्टरों को शीघ्र लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में क्रियाशील अस्पतालों की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार हैं:–

| नाम चिकित्सालय | रोगी शैयायें | श्रेणी |
|---|---|---|
| 1. सामान्य चिकित्सालय बून्दी | 150 | II |
| 2. रेफरल अस्पताल, नैनवां | 30 | V |
| 3. रेफरल अस्पताल, कापरेन | 30 | V |
| 4. रेफरल अस्पताल, तालेड़ा | 30 | V |
| 5. टी. बी. क्लिनिक, बून्दी | 10 | V |

इसके अतिरिक्त जिले में 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ाखेड़ा, कापरेन, देहीखेड़ा, डिण्डोली, डबलाना, बड़ागांव, करवर, देई, तलवास, टुबारी, बामनवास, खटकड़, ज. स. डेम, तालेड़ा, लाम्बाखो, डाबी, सुभाषा, माटून्दा तथा 7 डिस्पेंसरी केशवराय पाटन, इन्द्रगढ़, लाखेरी, आलोद, गोठड़ा, जोजावर, बासी तथा तीन मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, केशवराय पाटन, लाखेरी, नैनवां कार्यरत हैं। चाही गई सूचना इस प्रकार है :–

| संस्था का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| संस्थान | परिवार कल्याण पक्ष | चिकित्सा पक्ष | योग | कार्यरत |
| कापरेन | 1 | 3 | 4 | 4 |
| केशवराय पाटन | 3 | 1 | 4 | 4 |
| (इनमें दो पद कनिष्ट विशेषज्ञों के हैं) | | | | |
| लाखेरी | 1 | 1 | 2 | 2 |
| इन्द्रगढ़ | 1 | 1 | 2 | 2 |

(2) चिकित्सकों के कोई पद रिक्त नहीं हैं, समस्त पद भरे हुए हैं।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या**

185. श्री केशर देव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़) एवं श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में 15 जून, 1989 तक किस-किस श्रेणी में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, उक्त अवधि में बेरोजगारी कितने प्रतिशत बढ़ी अथवा घटी है ?

(श्री केशर देव महरड़ा)

(2) सीकर जिले में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं तथा इनमें से कितने अनुसूचित जन/जनजातियों के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों को क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि ?

(4) सीकर जिले में एस. सी./एस. टी. के कितने शिक्षित, प्रशिक्षित बेरोजगारों को स्टाईफण्ड दिया जा रहा है ? नाम, पता एवं श्रेणी सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा पास छात्रों को बेरोजगार रहने तक सरकार द्वारा छात्र वृत्तिका दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी कितनी राशि ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्र वृत्तिका को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या राज्य सरकार पुनः उक्त छात्रों को छात्र वृत्तिका देने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 31 मई, 1989 को राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर कुल 863738 बेरोजगार पंजीबद्ध थे जिनमें से 117499 अनु. जाति, 52002 अनु. जनजाति, 70733 महिलाएं, 9488 आई. टी. आई. प्रशिक्षित एवं 11313 विकलांग आशार्थी थे। गत वर्ष 31 मई, 88 को राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 842255 आशार्थी पंजीबद्ध थे। अतः पिछले एक वर्ष में कुल पंजीबद्ध बेरोजगार आशार्थियों की संख्या में 2.55 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(2) सीकर जिले में 31 मई, 1988 तक कुल 33991 बेरोजगार पंजीकृत थे इनमें 4296 अनुसूचित जाति एवं 475 अनुसूचित जनजाति के थे। सूची संलग्न है।

(3) जी हां। अनु. जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक एव स्नातकोत्तर बेरोजगार व्यक्तियों को राज्य सरकार निम्न दरों से बेरोजगार भत्ता देती है।

(i) स्नातक 150/- प्रतिमाह

(ii) स्नातकोत्तर 250/- प्रतिमाह।

(4) सीकर जिले में निम्न चार बेरोजगार व्यक्तियों को वृत्तिका स्वीकृत की गई है :-

(i) श्री गोपीचन्द सोलंकी (ii) श्री तोफूराम
(iii) श्री चान्दमल वर्मा
(vi) श्री माणकचन्द अलाडिया (सूची संलग्न है।)

(5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बेरोजगार व्यक्तियों को उपस्थिति दिनांक से 2 वर्ष तक के लिये दी जाती है। दो वर्ष से पूर्व

(नियोजन मन्त्री)

ही यदि अभ्यार्थी को रोजगार मिल जाता है तो उसकी वृत्तिका रोजगार पर उपस्थित होने के दिनांक से बन्द कर दी जाती है। यह निम्न दरों से देय है :–

(i) स्नातक 150/– प्रतिमाह

(ii) स्नातकोत्तर 250/– प्रतिमाह
जी नहीं।

(6 व 7) छात्र वृत्तिका को बन्द ही नहीं किया गया है अतः पुनः आदेशों की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

**कोटा, झालावाड़ व बून्दी जिलों में नवीन चिकित्सालय**

186. **श्री हरीश शर्मा (खानपुर) एवं श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)** : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झालावाड़, कोटा एवं बून्दी में इस वर्ष कहां-कहां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी नवीन चिकित्सालयों में पूर्ण स्टाफ आज तक भी नहीं लगाया है और न औषधियां ही उपलब्ध की गई हैं ?

(3) यदि हां, तो कब तक औषध व्यवस्था कर दी जावेगी तथा कब तक पूरा स्टाफ लगा दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) इस वर्ष कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

वर्ष 1988-89 में इन जिलों में स्वीकृत नवीन औषधालयों की सूची सदन के पटल पर (परिशिष्ट-1) रख दी गई है।

(2) जिला कोटा में 6 नवीन स्वीकृत औषधालयों से सम्बन्धित सरपंचों द्वारा भवन व्यवस्था कर दी गयी है एवं पांच औषधालयों मे चिकित्सक, 2 में नर्स/कम्पाउण्डर का पदस्थापन कर दिया गया है।

जिला झालावाड़ में 5 नवीन स्वीकृत औषधालयों में से 2 औषधालयों में संबंधित सरपंचों द्वारा भवन व्यवस्था कर दी गई है एवं 2 औषधालयों में चिकित्सक, एक में नर्स/कम्पाउण्डर तथा दो में परिचारक का पदस्थापन कर दिया गया है।

जिला बून्दी में 4 नवीन स्वीकृत औषधालयों के लिए सरपंचों द्वारा भवन व्यवस्था की जा चुकी है एवं इनमें से 2 में चिकित्सक/नर्स-कम्पाउण्डर तथा एक में परिचारक का पदस्थापन कर दिया गया है।

उपरोक्त 7 नवीन औषधालयों में जहां भवन एवं स्टाफ की व्यवस्था हो गयी है उनमें से 3 में औषधियों की भी प्राथमिक व्यवस्था कर दी गयी है एवं शेष में औषधियों की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।

(3) औषधि एवं स्टाफ की व्यवस्था शीघ्र ही कर दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

## कोटा नगर में (अ. श्रेणी) आयुर्वेद चिकित्सालय भवन का निर्माण

187. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा नगर में स्थित अ. श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय के भवन बदलने हेतु कब-कब क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर पर की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग को नये भवन निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजे गये हैं। यदि हां, तो कब उक्त प्रस्तावों पर क्या कोई कार्यवाही की गई। यदि हां, तो किस स्तर पर ? क्या प्रस्ताव के अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति व धन राशि राज्य सरकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) कोटा स्थित "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय के वर्तमान भवन को बदलने के लिये उक्त औषधालय के वरिष्ठ चिकित्सक ने दिनांक 7-11-88 को धन्वन्तरी जयन्ती महोत्सव के समय मण्डल आयुक्त महोदय, कोटा को मौखिक निवेदन किया। इसी सन्दर्भ में तत्कालीन कार्यवाहक उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, कोटा ने उनके पत्र क्रमांक 3539-40 दिनांक 8-12-88 एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी, कोटा ने पत्रांक 5871-72 दिनांक 7-12-88 से संभागीय आयुक्त, कोटा को उक्त चिकित्सालय का भवन अन्य उपयुक्त स्थान पर आवंटन करने के लिये लिखा गया। इन पत्रों के सन्दर्भ में संभागीय आयुक्त, कोटा ने उनके पत्र क्रमांक एफ(36) आवास/87/3509-10 दिनांक 17-12-88 से जिला कलक्टर, कोटा को उक्त औषधालय हेतु भवन का आवंटन मुख्य सड़क के पास नियमानुसार आवंटन करने की व्यवस्था हेतु लिखा गया। वर्तमान में चिकित्सालय राजकीय भवन में ही चल रहा है।

(2) जी हां, वरिष्ठ चिकित्सक, "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, कोटा ने उनके पत्र क्रमांक 436 दिनांक 23-8-88 द्वारा उक्त चिकित्सालय के भवन जीर्णोद्धार एवं नवीन निर्माण हेतु 5,74,000-00 रुपये का बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव निदेशक, आयुर्वेद विभाग को प्रेषित किये गये थे।

तदनुसार विभाग द्वारा वर्ष 89-90 के नवीन आइटम्स में उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण के प्रस्ताव भी सम्मिलित किए गये, किन्तु राज्य की गम्भीर आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये बजट निर्णायक समिति ने प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल उक्त भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

## ऊन उद्योगों के व्यवसाय में रियायतें

189. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रतिवर्ष कुल कितनी ऊन पैदा होती है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में ऊन आधारित उद्योगों की बड़ी सम्भावना है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) यदि हां, तो ऊन व्यवसाय को उन्नत करने हेतु ऊन उद्योग तथा भेड़ पालकों को क्या-क्या रियायतें दिये जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है तथा क्या वह पर्याप्त है ?

(4) क्या सरकार ऊन उद्योग को विकसित किये जाने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में प्रतिवर्ष कुल एक करोड़ साठ लाख किलो ऊन पैदा होती है।

(2) जी हां, राजस्थान में पैदा होने वाली ऊन गलीचे के लिये बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग ऊनी धागे, ऊनी कम्बल, ऊनी दरी और ऊनी कपड़ों इत्यादि में भी किया जा सकता है।

(3) ऊन व्यवसाय को उन्नत करने हेतु ऊन उद्योगों तथा भेड़ पालकों को निम्नांकित सुविधायें/रियायतें दिये जाने की व्यवस्था है, जो कि पर्याप्त है।

(i) सेल्स टैक्ससे मुक्ति।
(ii) प्राईज प्रिफ्रेंस।
(iii) टेस्टिंग इक्युपमेंट अनुदान।
(iv) आई. एस. आई. मार्का हेतु अनुदान।
(v) मशीनों पर चुंगी कर मुक्ति तथा अन्य उद्योगों की भांति सुविधाएं।

(4) जी हां, ऊन विकास के उत्पादन में भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में उद्योग विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य हाथ कर्घा विकास निगम के द्वारा ऊन विकास परियोजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है जिसके अन्तर्गत 2 उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा 6 केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 20 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऊनी उत्पादन में कच्चा माल (ऊनी धागा) क्रय किया जाकर सोडी, कम्बल, शालों का उत्पादन कराया जा रहा है तथा सरकार ऊन उद्योग को विकसित करने के लिये आर्थिक सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध करा रही है। यह योजना 5 वर्ष की है जिसके अन्तर्गत बारह हजार बुनकर (बेरोजगारों) को लाभान्वित करने की योजना है।

छप्पर योजना के अन्तर्गत सहायता

190. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि "गरीब को छप्पर योजना" के अन्तर्गत पंचायत समिति लालसोट द्वारा नकद राशि नहीं देकर चार-चार पट्टियां दी गई थीं ? यदि हां, तो पट्टियों की नाप तथा कीमत क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से इस आशय की शिकायत की थी कि अरोली की पट्टियां बतलाकर काली की खान की पट्टियां दी गई थीं जिसमें कीमत का भारी अन्तर है ?

(3) क्या यह सही है कि पट्टियों की कीमत निर्धारित राशि 750/- रु. से कम

(श्री परसादी लाल मीणा)

थी ? यदि हां, तो क्या पंचायत समिति द्वारा अनियमित किया जाना प्रतीत होता है ?

(4) कुल कितने लोगों को इस प्रकार से चार-चार पट्टियों का भुगतान किया गया है ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की किसी सक्षम अधिकारी से जांच करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) "गरीब को छप्पर योजना" के तहत नकद राशि न देकर प्रत्येक व्यक्ति को पांच-पांच पट्टियां दी गई हैं। जिसकी नाप तथा कीमत निम्न प्रकार है :-

| पट्टियां | नाप | कीमत |
|---|---|---|
| 3- | 9'×2' = 54 फुट | 9/- प्रति |
| 1- | 9'×1' = 9 फुट | वर्ग फुट |
| 1- | 10'×2' = 20 फुट | की दर से |
| | | 83'×9 = 747/- रु. |

(2) इस प्रकार की कोई जानकारी पंचायत समिति को न होना बताया गया है। पंचायत समिति ने प्रत्येक व्यक्ति को अरौली की ही पट्टियां दिया जाना बताया है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को पांच-पांच पट्टियां दी गई है। जिसकी कीमत 747/- रु. होती है। शेष 3/- रु. मजदूरों को पट्टियों की लदाई दिया जाना बताया गया है।

(4) पंचायत समिति द्वारा 96 व्यक्तियों को पांच-पांच पट्टियां अरौली की दी गई है।

(5) इस मामले की विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः जांच करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**बाड़मेर जिले में घोषित अपराधी**

**191. श्री गंगा राम चौधरी (बाड़मेर):** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में अपराध करने वाले कुल कितने व कौन-कौन से घोषित अपराधी हैं, जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ? ऐसे प्रत्येक अपराधी का नाम, पता व प्रारम्भिक अपराध जिसे घोषित किया गया, सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे घोषित अपराधी ने घोषणा के पश्चात् इस जिले में और कौन-कौन से अपराध किये ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे घोषित अपराधियों की नियमानुसार सम्पत्ति कब कुर्क एवं नीलाम की गई ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु क्या सरकार कोई विशेष अभियान के रूप में प्रयत्न करना चाहती है ? यदि हां, तो किस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**उत्तर**

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में अंकित है।

(3) संलग्न सूची में अंकित है।

(4) पुलिस मुख्यालय एवं जिला स्तर पर समय समय पर इनकी गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जाकर हर संभव प्रयास किये जाते है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

**ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन**

**192. श्री रघुवरदयाल गोयल (रामगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन लेने में एल फार्म लिये जाने का प्रावधान है।

(2) क्या संबंधित अधिकारी इसके लिये अधिकृत है कि वह अपनी इच्छा से किसी उपभोक्ता को कनेक्शन देने से इन्कार कर दे ?

(3) यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(4) आर्डर ऑफ टर्न कनेक्शन देने और उपरोक्त प्रकार की अनियमितता करने वाले अभियंताओं के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर गत 1 वर्ष में राज्य सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) इस बाबत शिकायतें प्राप्त होने पर अधीनस्थ अधिकारियों की शीघ्र जांच की जाती है।

(अता. प्र. सं. 193 स्थगित)

**आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा पुनर्भरण बिलों का भुगतान**

**194. श्री माणक डाणी (ब्यावर)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा पुनर्भरण बिलों को पास करने के बारे में कोई विभागीय नियम/निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उन नियमों/निर्देशों/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों के द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक के सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा पुनर्भरण बिलों को पारित किये जाने पर उनके विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो ब्यावर में कार्यरत रहे वैद्य विष्णुदत्त शर्मा, ने 1984-85 से 1988-89 तक किन किन माहों में उक्त निश्चित राशि से अधिक का पुनर्भरण किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री माणक डाणी)

(3) क्या प्रश्न के भाग दो में वर्णित वैद्य के द्वारा राज्य कर्मचारियों को फर्जी तरीके से खाली फार्मों पर रोग एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये गये इस मुताबिक विभाग के पास किन किन के द्वारा कब कब शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या उक्त वैद्य के विरूद्ध आयुर्वेद विभाग को गत दस वर्षों से विभिन्न माध्यमों से कई शिकायतें प्राप्त होती रही है ? यदि हां तो किन किन के द्वारा किस किस दिनांक को कौन कौन से बिन्दुओं पर शिकायतें विभागों को प्राप्त हुई ? विभाग के द्वारा उन पर कब कब जांच बैठाई गई ? जांच की रिपोर्ट कब जांच अधिकारी द्वारा विभाग को दी गई ? विभाग के द्वारा इन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण तथा मय जांच रिपोर्टों के निष्कर्षो की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सक को विभाग के द्वारा निलम्बित किया गया ? यदि हां तो कब से कब व किन आधारों पर तथा इन्हें पुन: कब व किस आधार पर निलम्बन से बहाल किया गया ? क्या बहाली के बाद भी इनके विरूद्ध जांच जारी रही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय परिपत्र क्रमांक 40640 दिनांक 28.11.78 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "1") इसके अतिरिक्त राजस्थान असैनिक सेवायें चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 प्रभावी हैं। राज्यादेश क्रमांक प 27(5) चि. स्वा./आयु./73 दिनांक 30.7.87 के द्वारा वर्तमान में सभी जिला मुख्यालयों के औषधालयों/चिकित्सालयों के चिकित्सकों के लिये चिकित्सा पुनर्भरण बिलों को प्रमाणित करने की अधिकतम मासिक सीमा 5000/- रुपये निर्धारित हैं। (परिशिष्ट ',2") तथा राज्य सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) के पत्रांक प. 27(5) चि. स्वा./ ग्रुप-3/73 दिनांक 25.10.75 के द्वारा पुनर्भरण बिलों में संदिग्धता होने, शिकायत होने अथवा एक माह में 1500/- या इससे अधिक राशि के पुनर्भरण बिल प्रमाणित करने पर इस हेतु गठित समिति द्वारा जांच करने का प्रावधान है। (परिशिष्ट "3)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक प. 27(5) चि. स्वा./ग्रुप-3/73 दिनांक 25.10.75 के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया हुआ है जो पुनर्भरण बिल में संदिग्धता होने, शिकायत होने या एक माह में 1500/- या उससे अधिक राशि के पुनर्भरण बिल प्रमाणित किये जाने पर जांच करती है और यदि पुनर्भरण में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। किन्तु जिला मुख्यालय के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित औषधालयों के चिकित्सकों के लिये औषध पुनर्भरण की कोई मासिक सीमा इसलिए निर्धारित नहीं है चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पुनर्भरण प्राय: बहुत कम मात्रा में होता है।

"अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय,

(52)



(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

ब्यावर (अजमेर) के आयुर्वेद चिकित्सक श्री विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा वर्ष 1984-85 से 1988-89 की अवधि में जिन जिन माहों में 1500/- रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि के औषध पुनर्भरण बिल प्रमाणित किये गये, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट "4")

(3) वरिष्ठ चिकित्सक "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय ब्यावर ने उनके पत्रांक 470 दिनांक 9.8.88 से विभाग को आयुर्वेद चिकित्सक श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा खाली फार्मों पर रोगारोग्य प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना दी थी। इनका परीक्षण करने पर यह पाया गया कि उक्त चिकित्सक ने बाजार में छपे हुये रोगारोग्य प्रमाण पत्र के प्रपत्रों में रोगारोग्य प्रमाण पत्र दिये हैं। प्रत्येक कॉलम की पूर्ति की हुई है। यह अवश्य है कि ऐसे रोगारोग्य प्रमाण पत्रों की कार्यालय प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह शिकायत सही नहीं पाई गई कि खाली फार्मों पर रोगारोग्य प्रमाण पत्र दिये गये। किन्तु उक्त चिकित्सक के द्वारा माह जून, 1988 के पूर्व में दिये गये रोगारोग्य प्रमाण पत्रों की कार्यालय प्रतियां "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय ब्यावर में उपलब्ध नहीं होने पर इस बिन्दु पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज. अजमेर ने पत्र क्रमांक 6249-50 दिनांक 31 3.89 से सी. सी. ए. रूल्स के नियम 17 में कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका हैं। इस बारे में आगे समुचित कार्यवाही की जा रही हैं।

(4) विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्ष 1981 से अब तक प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "5")

(5) जी हां। श्री विष्णुदत्त शर्मा आयुर्वेद चिकित्सक को आदेश दिनांक 21.3.83 द्वारा तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सक, ब्यावर (श्री नारायणसहाय शर्मा) के द्वारा दूरभाष पर यह सूचना देने पर कि श्री विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को बहकाकर उनके साथ (श्री नारायणसहाय) झगड़ा कराया गया हैं, उक्त चिकित्सक को तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक द्वारा निलम्बित किया गया। श्री विष्णुदत्त शर्मा का निलम्बन काल में मुख्यालय अजमेर में रहने से, ब्यावर चिकित्सालय की स्थिति शान्त होने के उपरांत, परिवर्तित परिस्थितियों में, जांच विचाराधीन रखते हुये, इन्हें पुनः प्रतिष्ठापित कर अजमेर जिले से बाहर औषधालय ककोड जिला–टोंक में पदस्थापित किया गया। श्री शर्मा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तत्कालीन क्षेत्रीय उप निदेशक, जयपुर द्वारा कराई गई। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में आरोप निराधार व अप्रमाणित पाये जाने पर तत्कालीन निदेशक ने आदेश दिनांक 30.7.84 से विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त कर दिया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## बीकानेर शहर में विद्यमान कच्ची बस्ती

**195. श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) एवं श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर शहर में कुल कितनी मान्यता प्राप्त व अमान्यता प्राप्त कच्ची बस्ती विद्यमान हैं ? कृपया बस्ती वार आबाद होने का वर्ष, मान्यता वर्ष, जनसंख्या सहित संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अमान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों के प्रस्ताव राज्य सरकार को कब भेजे गये ? कृपया प्रस्ताव की प्रति, डिस्पैच नम्बर व तिथि सहित विवरण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अमान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों को बसे 5 से 10 वर्ष हो गये हैं व विकास कार्य अवरूद्ध है ? यदि हां तो सरकार इनको कब तक मान्यता प्रदान कर देगी ।

(4) अमान्यता प्राप्त बस्ती में नगर विकास न्यास, बीकानेर ने विगत 5 वर्ष में वर्ष वार अब तक किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि खर्च की है ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) गत तीन वर्षों में कोलायत व बीकानेर शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नगर विकास न्यास ने किस किस कार्य हेतु वर्ष वार कितनी राशि विकास कार्य एवं सौन्दर्य-करण में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) बीकानेर शहर में कुल 52 कच्ची बस्ती विद्यमान है जिसमें से 25 कच्ची बस्ती राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है तथा 17 कच्ची बस्ती न्यास द्वारा घोषित की गई, 10 कच्ची बस्ती न तो राज्य सरकार से तथा न ही न्यास से कच्ची बस्ती घोषित है । कच्ची बस्तियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) अमान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों के सर्वे प्लान तैयार करवाए जा रहे है । सर्वे प्लान तैयार होने पर न्यास द्वारा राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकेगी ।

(3) यह सही है कि अमान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों को बने 5 से 10 वर्ष हो गये है, लेकिन उनमें विकास कार्य अवरूद्ध नहीं है । सर्वे प्लान तैयार होने के पश्चात् इन बस्तियों को मान्यता दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

(4) वर्ष 1984-85 से 1988 89 तक न्यास द्वारा अमान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों में सड़क निर्माण पर रुपये 17,73,354.75 नाली निर्माण पर रुपये 9,07,859.48 पानी/बिजली पर रुपये 1,35,825.73 तथा पार्क एवं अन्य पर रुपये 11,871.91 सौन्दर्यकरण पर रुपये 35,870.50 तथा अन्य विकास कार्यों पर रुपये 15,470 खर्च किये ।

(5) गत तीन वर्षो में कोलायत व बीकानेर शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों पर वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दिया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

### महिला बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण

196. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महिला बंदी का जेल में प्रथम दिन और रिहाई के दिन ही शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

(2) क्या सरकार इस व्यवस्था को उचित मानती है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या उनके स्वास्थ्य परीक्षण की नियमित व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) महिला बंदी के जेल में प्रविष्ट होते समय ही नियमानुसार शारीरिक/स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, अस्वस्थ पाये जाने एवं कारागृह में अस्वस्थ होने पर नियमानुसार चिकित्सा कराई जाती है।

(2) वर्तमान व्यवस्था उचित है।

(3) प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के परीपेक्ष में आवश्यकता ही नहीं है।

### शाहजहांपुर एवं बहरोड़ (अलवर) में औद्योगिक विकास

197. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शाहजहांपुर एवं बहरोड़ (जिला अलवर) में औद्योगिक विकास किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त दोनों कस्बों के भावी विकास की दृष्टि से बनाये गये मास्टर प्लान (ब्लू प्रिन्ट) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों कस्बों/औद्योगिक क्षेत्र से होकर आने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 के आवागमन को सही रखने एवं दुर्घटनाएं टालने की दृष्टि से ग्राम चोबारा (जिला अलवर) से वाया मोलावास-जाट, बहरोड़-भुनगड़ा, बड़ोंद जागुवास होकर ग्राम-शेरपुर/गुंती के पास सोता नदी के पुल से मिलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो प्रस्तावित ब्लू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखें। नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। रीको द्वारा शाहजहांपुर एवं बहरोड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये है। कस्बे के भावी विकास के लिये निगम द्वारा मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है, कस्बे का मास्टर प्लान नगर नियोजन विभाग द्वारा ही बनाया जाता है।

(2) प्रश्न में वर्णित सड़क के कुछ हिस्से को छोड़कर दो भागों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है।

(i) बहरोड़-जाट से जालावास तक चार किलोमीटर।

(ii) अप्रोच सड़क गादूवास से बीजवाड चौहान पांच कि. मी. व शेष हिस्से की किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं है व दोनों ही कार्य अधूरे है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बन्द हो जाने के कारण यह कार्य बन्द है।

## निर्वाचन क्षेत्र फलासियां (उदयपुर) में वनों की कटाई

198. श्री कुबेर सिंह (फलासियां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासियां जिला उदयपुर में विगत तीन वर्षों में वनों की अवैध कटाई के मामले पकड़े गये ? यदि हां, तो इसमें कौन कौन व्यक्ति लिप्त पाया गया एवं उसके पास कितनी लकड़ी कितनी मात्रा में कितनी लागत की पाई गई एवं उनके विरूद्ध कब कब कहां कहां केस बनाये गये ? व्यक्ति का नाम, स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो कब एवं किस किस थाने में किस किस अधिकारी द्वारा किस किस वाद में ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ? जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई उसके क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या उक्त मामलों का न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया ? यदि हां, तो किस किस मामले का किस किस न्यायालय में कब कब चालान पेश किया गया ? जिन मामलों का चालान पेश नहीं किया उसके पेश नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) इन सभी मामलों की वर्तमान में क्या प्रगति है ? प्रत्येक का संक्षिप्त प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें ?

### उत्तर

(1) जी हां, निर्वाचन क्षेत्र फलासियां में विगत तीन वर्षों में पकड़े गये अवैध वनों की कटाई के मामलों में लिप्त व्यक्तियों, दर्ज प्रकरणों में बरामद लकड़ी की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) केवल एक प्रकरण में पुलिस थाना झाडोल में श्री नानाराम वन रक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । राज्य सरकार द्वारा विभाग के अधिकारियों को वन अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण करने एवं मुआवजा लेकर प्रकरण का निस्तारण करे जाने अथवा न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करे जाने के अधिकार प्रदत्त किये हुये हैं । अतः ऐसे मामलों में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई ।

(3) जिन प्रकरणों का न्यायालय में चालान पेश किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर दिया गया है । 90 प्रकरणों के विभाग स्तर पर फैसले किये गये तथा 30 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है ।

(4) वर्तमान प्रगति परिशिष्ट "क" में अंकित कर दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

## नगर परिषद्, जयपुर में फायर आफिसर इत्यादि के रिक्त पद

199. श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल)

(1) वर्तमान में नगर परिषद, जयपुर में कितने पद फायर ऑफिसर/सब फायर ऑफिसर एवं सहायक फायर ऑफिसर के स्वीकृत हैं तथा इन पदों पर कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत हैं ? मय नाम पद के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पद हेतु कोई तकनीकी योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों ने राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से यह ट्रेनिंग कब-कब व किस वर्ष में पास की हैं। नामवार, पदवार तथा कब से कब तक ट्रेनिंग ली गई एवं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो उनके प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जयपुर में एक फायर ऑफिसर एवं चार सहायक फायर ऑफिसर के पद स्वीकृत हैं तथा इन पदों पर जब-जब से अधिकारी कार्यरत हैं के नाम व पद की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त एक फायर ऑफिसर को चीफ फायर ऑफिसर के पद के विरुद्ध पदस्थापित किया हुआ है।

(2) जी हां जिन-जिन अधिकारियों ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से ट्रेनिंग पास की है, उनकी नामवार, पदवार तथा कब से कब तक ट्रेनिंग ली गई एवं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, आदि की सूची मय प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची एवं प्रमाण-पत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

## जिला नागौर में वृक्षारोपण

**200. श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 में कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया तथा कितनी राशि आवंटित की गई है ? उस पर कितनी राशि खर्च हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) लगाये गये पौधों की संख्या, किस्म व प्रजातिवार और लगाये गये पौधे किस नर्सरी से प्राप्त किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी बार रिप्लेसमेंन्ट करवाया गया और उस पर कितना खर्च हुआ ?

(4) फैंसिग किस प्रकार की कराई गई है, यदि ऐंगल फैंसिग करवाई गई है तो क्या ऐंगल नार्मस के हिसाब से लगाई गई है ? यदि हां, तो कितने ऐंगल कुल एरिया में लगाई गई है और यह ऐंगल किस स्टोर से प्राप्त किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) ऐंगल की गढ़ाई में चूना कितना प्रयोग में लाया गया है उसकी खरीद किस फर्म से की गई है ? इसकी ढुलाई किस साधन (वाहन) से की गई है ? तथा उसका नम्बर क्या है ?

(6) लगाये गये पौधों को वर्षवार कितना-कितना पानी पिलाया गया और पानी पिलाई पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(7) वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या कितनी है ? कितने-कितने पौधे किस किस जगह हैं ?

(8) क्या इस एरिये में अवैध खनन चल रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

(9) क्या इस एरिया (एस. डी. एस.) कुचामन की पहले कभी कोई शिकायत इस सम्बन्ध में हुई थी ? यदि हां, तो उप वन संरक्षक, नागौर ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की व इस एरिया का कितनी बार निरीक्षण दौरा किया गया ? उस अवधि की डायरी एवं लोग बुक की फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1986-87 में करवाये गये वृक्षारोपण आवंटित राशि एवं व्यय राशि की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) लगाये पौधों की किस्म व प्रजातिवार एवं जिस नर्सरी से प्राप्त किये गये की नाम सहित सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दी गई है।

(3) स्थल वार करवाये गये रिप्लेसमेंट की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "ग" के अनुसार रख दी गई है।

(4) फैंसिंग, लगाये गये ऐंगल एवं स्टोर का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "घ" के अनुसार रख दिया गया है।

(5) ऐंगल गढ़ाई में प्रयुक्त चूने, की मात्रा, क्रय करने वाली फर्म, ढुलाई के साधन का विवरण परिशिष्ट "ङ" के अनुसार है।

(6) लगाये गये पौधों को वर्षवार पिलाये गये पानी एवं इसमें हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "च" के अनुसार है।

(7) स्थल वार जीवित पौधों की संख्या परिशिष्ट "छ" के अनुसार है।

(8) जी नहीं।

(9) कुचामन क्षेत्र में दि. 18-1-89 को श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी रूपपुरा एव दि. 6-4-89 को श्री भंवर सिंह निवासी रूपपुरा ने मौखिक रूप से यह जानकारी दी कि रेंज कुचामन के पांचवां, कुचामन, सवाईपुरा-पालड़ी एवं मारोठ वन खण्डों में अवैध खनन कार्य हो रहा है, जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी कुचामन सिटी को पाबन्द किया गया। जांच के उपरांत क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि सम्बन्धित वन खण्डों में किसी भी प्रकार का अवैध खनन कार्य नहीं चल रहा है। जो भी खनन कार्य चल रहा है। वह राजस्व क्षेत्र में है। उप वन संरक्षक का इस हेतु स्पष्टीकरण तलब किया जा रहा है व तुरन्त निरीक्षण करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## जिला परिषद् सीकर में अध्यापकों की नियुक्ति

201. श्री केशरदेव महरडा (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केशरदेव महरडा)

(1) क्या जिला परिषद् सीकर के कार्यालय द्वारा प्राथमिक (शिक्षा) स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वर्तमान में कोई मैरिट लिस्ट बनाई हुई है ? यदि हां, तो यह किस तिथि को बनाई गई ? इसमें सीकर जिले के निवासी कितने, शिक्षक, शिक्षिकायें आशार्थी हैं व जिले से बाहर के कितने है ?

(2) उक्त सूची में से कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवा में लिया गया है व कितने शेष हैं।

(3) सीकर जिले की कौन-कौन सी पाठशालाओं में शिक्षक, शिक्षिकाओं के कितने-कितने पद आवटित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) इनमें से किस-किस स्थान पर पद रिक्त हैं और उनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। महिला आशार्थियों की मैरिट लिस्ट दिनांक 19-11-88 एवं 12-12-88 को तैयार की गई थी। इन मैरिट सूचियों में सीकर जिले के 150 व सीकर जिले से बाहर की 46 महिला आशार्थियों का चयन किया गया है।

(2) उक्त सूची में से 168 महिला आशार्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है व 28 को नियुक्ति दिया जाना शेष है, जिन्हें नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) सीकर जिले की पंचायत समितिवार स्वीकृत पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) पंचायत समितिवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित है। नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटते ही रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

**बयाना (भानपुर) की सड़कों की मरम्मत**

202. **श्री ब्रजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना की कितनी सड़कों के मरम्मत का कार्य चल रहा है।

(2) इन सड़कों पर मरम्मत का ही कार्य चल रहा है या डामर से पुताई का कार्य चल रहा हे ?

उत्तर

(1) बयाना विधान सभा क्षेत्र की 10 सड़कों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है।

(2) इन सड़कों पर प्रीकोटेड सरफेस पेंटिंग द्वारा मरम्मत का कार्य हो रहा है।

**टोडारायसिंह क्षेत्र के ग्रामों को स्वीकृत राहत**

203. **श्री नाथूसिंह** : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नाथूसिंह)

(1) जनवरी, 1985 से लेकर अब तक टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति द्वारा कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त कार्यों पर 1,49,51,790 रुपये व्यय हुये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## शोकाभिव्यक्ति

**गृह मन्त्री** (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शम्भूसिंह जी जो प्रथम विधान सभा के सदस्य थे, आज हमारे बीच नहीं रहे उसको लेकर के मैं अपनी ओर से दुःख प्रकट करता हूं। इस सदन में जब प्रथम बार चुनाव जीतकर आये तो हिन्दू महासभा के सदस्य के रूप में आये। हिन्दू महासभा की विभिन्न समितियों में रह करके उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। श्री शम्भूसिंह जी जीवन पर्यन्त किसानों के लिए काम करते रहे और किसानों में और मजदूरों में बहुत लोकप्रिय माने जाते थे। वे जाति से राजपूत थे उसके बावजूद भी मुझे बताया गया कि किस प्रकार वे किसानों में काम करके अपने आचरण से वे अपने क्षेत्र में ब्राह्मण के रूप में भी लोकप्रिय थे। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन पर्यन्त जनता की सेवा की हो, वह हमारे बीच में नहीं रहे आज और जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूं कि उनको राजस्थान की जनता याद रखेगी और जो उन्होंने राजस्थान में विधान सभा के सदस्य के रूप में जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि वह हमारे लिये प्रेरणा स्रोत रहेगी।

मैं दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि जब कभी हम सत्र के रूप में मिलते हैं तो हमको हमारे किसी न किसी बन्धु को श्रद्धांजलि देनी पड़ती है। परन्तु प्रकृति का निर्णय है हमको उसके निर्णय को मानना ही पड़ता है। आज इसी क्रम में हम हमारे दिवंगत माननीय शम्भूसिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय शम्भूसिंह जी से मेरा व्यक्तिगत तो कोई परिचय का कभी मौका नहीं आया। वह प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे लेकिन जो कुछ उनके बारे में जानकारी मिली है उसके आधार पर उन्होंने विधान सभा में भी और विधान सभा के बाहर अपने क्षेत्र का, विशेषकर जो डाउनट्रॉडन, इस प्रकार के पिछड़े वर्ग के लोग रहे, किसान, मजदूर, उनके लिए संघर्षरत रहे, उनके हितों के लिए लड़ते रहे। विधान सभा में भी उन्होंने उनके पक्ष को हमेशा प्रबल रूप से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रखा। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम सबको उसके लिए बड़ा दुःख है।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्वर्गीय श्री शम्भूसिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव माननीय गृह मन्त्री जी ने स्वर्गीय शम्भूसिंह जी के सम्बन्ध में, जो प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे, रखा है उसमें मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भावनायें सम्मिलित करते हुए निवेदन करता हूं कि शम्भूसिंह जी प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे और वह रामराज परिषद् के टिकट के ऊपर चुनाव में जीतकर सदस्य चुने गये। उनका मेरा परिचय था हालांकि वह जब राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे तो मेरे पिताजी के साथ सदस्य थे और मेरे यहां घर पर आया-जाया करते थे। मैं बहुत छोटा था पर जिस प्रकार का उनका स्वभाव था उससे मैं प्रभावित हुआ। वह बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और एक निष्ठावान व्यक्ति थे। जब तक उनका जीवन रहा उन्होंने अपनी निष्ठा से अपनी लगन से अपने क्षेत्र की सेवा की। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे हम सबको इस बात का दुःख है।

मैं अन्त में उनके शोक सन्तप्त परिवार को भगवान धैर्य व शक्ति प्रदान करे, इसकी कामना करता हुआ अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भावनायें व्यक्त करता हूं।

**श्री शोपत सिंह** (नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शम्भूसिंह जी, जो प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे, उनके इस दुःखद निधन पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

**श्री विजेन्द्रपाल सिंह** (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय शम्भूसिंह जी को मैं अच्छी तरह से जानता था। वह मेवाड़ तहसील के अन्दर एक गांव ज्ञानगढ़ के जागीरदार थे और प्रथम हाउस के मैम्बर थे।

मैं इण्डिपैण्डेण्ट्स की ओर से और मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, शोक और दुःख के माहौल में डूबे इस सदन में माननीय सदन के नेता, विरोधी दल के नेता व अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री शम्भूसिंह जी के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आपको भी भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

स्वर्गीय श्री शम्भूसिंह का जन्म पौष कृष्ण 8 सम्वत् 1964 को ज्ञानगढ़, मेवाड़ में हुआ। आप प्रथम विधान सभा में सहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से हिन्दू महासभा पार्टी से निर्वाचित हुए थे। आप क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष और अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य रहे तथा भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में जिला सलाह-

(श्री अध्यक्ष)

कार कौंसिल के सदस्य भी रहे। आप ऐतिहासिक अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे तथा कृषकों की उन्नति के कार्य करने में भी आपकी अभिरुचि थी। स्वर्गीय श्री सिंह जन्म से राजपूत अवश्य थे किन्तु कर्म से वे ब्राह्मण माने जाते थे।

श्री सिंह का निधन दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को हुआ।

मैं दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से और इस के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शान्ति प्रदान कर उनके दुःखी परिवार-जनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रनान करे।

कृपया दो मिनट के लिए खड़े हो जायं।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

**श्री भंवरलाल शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सब अधिकारी चले जायं तब आप खड़े हुआ करें। जब सब लोग चले जाय तब आप उठा करें। आप उठते हैं और यह भी उठकर चले जाते हैं। रोज का काम है यह।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** उधर देखिये।

**श्री हीरालाल आर्य :** श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे तब भी जा रहे थे उठ कर।

**श्री अध्यक्ष :** इतना ज्यादा रिजिड मत कीजिए।

**श्री हरिकुमार औदिच्य :** आपके यहां से आफिसर्स को कार्ड इश्यु होते हैं उसमें यह जानकारी होनी चाहिए। रोज-रोज नये अधिकारी आते हैं रोज यह समस्या खड़ी होती है। इनको जो कार्ड आप इश्यु करते हैं उसमें यह जानकारी दे दी जाय।

**श्री अध्यक्ष :** चलिये, इसका कर लेंगे कुछ।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में एक सम्प्रदाय विशेष द्वारा साम्प्रदायिक दंगे करवाने के लिए निरन्तर प्रयासरत होने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(2) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में लम्बे समय से फैली बीमारियों के प्रकोप की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई कारगर उपाय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(3) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, बजाज नगर, जयपुर द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से सरकार के करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करने के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की से बून्दी एवं कोटा जिले में सोयाबीन के घटिया किस्म के बीज वितरित करने से किसानों की पैदावार में करोड़ों रुपयों का नुकसान होने के सम्बन्ध में,

(5) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की जैतारण तहसील की बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केन्द्र गनिया में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

(6) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा और श्री रामदेव, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम आसावरी तहसील नागौर में एक आसनमठ की हजारों बीघा जमीन मठ के नाम खातेदारी होने पर भी पुजारियों द्वारा अपने नाम करने व बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने हेतु गठित समता समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में,

(8) श्री शोपत सिंह, श्री देवीसिंह भाटी, श्री मानिकचन्द सुराना, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के लालगढ़ रेल्वे स्टेशन पर कुछ सैनिकों द्वारा रेल यात्रियों की पिटायी किये जाने के सम्बन्ध में। इस प्रश्न पर मैंने राज्य सरकार से बात की है। इस तीन बजे मैं स्टेटमेंट देने की चाह रहा हूं। इस पर कोई बोलने की अनुमति इस समय नहीं होगी।

### प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के कई गांव जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने के फलस्वरूप मई, जून माह में चलाये गये प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान के दौरान कोई कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(2) श्री मुल्ताना राम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी काश्तकारों को काश्त हेतु उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(3) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक के धन और जिप्सी गाड़ी का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में,

(4) श्री ऋषिकेश मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा सब तहसील मण्डारायल के गांवों में विद्युतीकरण की स्वीकृति के उपरान्त भी विद्युतीकृत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(5) श्री माणक डाणी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में कार्यरत टेलीफोन आपरेटरों को कनिष्ठ लिपिकों

(श्री अध्यक्ष)

की वरीयता सूची में सम्मिलित करने के उपरान्त भी पदोन्नत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(6) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले और नगर की पिछले चार साल से हर क्षेत्र में उपेक्षा कर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के सम्बन्ध में,

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्थित कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में, व

(8) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित नायला दुर्ग में वृहद् स्तर पर किये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

डाक्टर उजला अरोड़ा।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ, 295 में मैंने दिया था ?

**श्री अध्यक्ष :** नीनामाजी, ऐसा है कि आपके प्रस्ताव में कई आ गये थे डिपार्टमेंट, बहुत लम्बा था आपका, कृपया एक डिपार्टमेंट का आप दें वर्ना उसका परपज हल नहीं होगा। उसको आप देखकर उसको ठीक कर दें। बहुत लम्बा था, कई डिपार्टमेंट सम्मिलित थे उसमें। आप उसको ठीक कर दें। आपका पहले आ चुका था।

(व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, इस सदन में साम्प्रदायिकता पर चर्चा होगी लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जहां साम्प्रदायिक दंगे होने की सम्भावनायें होती हैं वहां पर सरकार पहले से ही कोई एक्शन ले ले तो साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे, इसी दृष्टि से डीडवाना नगर में पिछले 2 साल से ऐसी घटनायें हो रही हैं जिससे वहां साम्प्रदायिक दंगे होने की सम्भावनायें पैदा हो गयी हैं; मैं दो साल से....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कृपया बात नहीं करेंगे, भाभड़ा जी बोल रहे हैं, कृपया जोशी जी, माननीय भाभड़ा जी बोल रहे हैं, आप भाभड़ा जी को सुनते हैं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** लगातार मुख्य मन्त्री जी को वहां पर जो घटनायें हो रही हैं उनकी सूचनायें देता रहा हूं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, परिणाम यह हुआ है कि 29 तारीख को वहां पर फिर मार-पिटाई हुई है और 2-7-89 को रात को 10.30 बजे 20-30 पुलिस वाले ट्रक नम्बर, आप लिख लें आर. एन. ई. 4204 में सवार होकर बस स्टेण्ड पर पहुंचे, शराब का नशा किये हुए थे, वहां पर उन्होंने खाना खाया, होटल वाले ने पैसे मांगे, पैसे नहीं दिये तथा लाठी चार्ज किया जिसमें 5 आदमी घायल हो गये, बस यात्री घायल हो गये, पुलिस यदि स्वयं इस तरह से, वहां पर जो पहले से प्रवोकेशन हो रहा है उसको बढ़ाने में पुलिस

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

लगी हुई है, कृपया इस सम्बन्ध में आप सरकार से दो दिन में ही समय मांगकर इस पर चर्चा करवायें।

**श्री अध्यक्ष :** इस पर चर्चा होगी। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार प्रिवेन्टिव मेजर्स ले....आर्डर प्लीज। जोशी जी आप क्या रहे हैं?

**श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह कोटा और बून्दी जिले में सोयाबीन का बीज जो अपने यहां राजस्थान बीज निगम है वह वहां पर प्रोवाइड करा रहा है "सोयाबीन गौरव" जिसकी कि थैली मेरे पास है, बून्दी में गोयल ब्रदर्स द्वारा यह बीज बेचा जा रहा है, जो प्रेसक्राइब्ड है, राजस्थान सरकार से स्वीकृत शुदा है जिस पर बेच नम्बर लगा हुआ है, जिसकी सारी व्यवस्था राज्य सरकार की है, ऐसा गन्दा बीज स्टेट सीड कारपोरेशन ने अपने एजेन्ट्स के पास भेजा है जिसके कारण किसी भी मूल्य पर किसानों को अपनी उपज नहीं मिल पायेगी, ऐसे बीज को राजस्थान बीज निगम कैसे सप्लाई कर रहा है। यह अहम मुद्दा है। आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा है, आप राज्य सरकार से जानकारी तो मंगवा लें लेकिन तुरन्त यह बीज....

**श्री अध्यक्ष :** जानकारी मंगवा रहा हूं।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** कोटा और बून्दी में बिक रहा है इसको तुरन्त वापस लें....

**श्री अध्यक्ष :** मैं मंगवा रहा हूं, आप बिराजें, मैं जानकारी मंगवा रहा हूं।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मूंग का बीज जो गलत मिला था, उससे बड़े-बड़े पौधे तो हो गये थे लेकिन फली नहीं उगी उस बीज के कारण; अगर इस बीज को काश्तकारों ने डाल दिया तो करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। आप जानकारी मगाकर मुझे सूचना दें।

**श्री अध्यक्ष :** 295, श्रीमती उजला जी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष :** क्या है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में एन्टी डिफेक्शन लॉ लागू हो गया और लागू होने के बाद में रूल्स बन गये और हिन्दुस्तान की सभी विधान सभाओं में इन रूल्स को लागू कर दिया गया। राजस्थान, मणिपुर और अरुणाचल की यह तीन विधान सभायें बची हैं जिन्होंने एन्टी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं किया है। अपनी विधान सभा ने भी इस बिल की भावना का समर्थन किया है। इसके रूल्स अपने यहां बने हुये....

**श्री अध्यक्ष :** चैम्बर में बात कर लें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** अध्यक्ष महोदय, चैम्बर में नहीं, राजस्थान की जनता इस बात को जानना चाहती है कि एन्टी डिफेक्शन लॉ का जो कानून है उसको लागू क्यों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं किया जा रहा है ? उस पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके हस्ताक्षर होने हैं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं रूल्स को देख रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आप देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कब तक ?

**श्री अध्यक्ष :** मेरे सामने है, मैं रूल्स को देख रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आप कब तक देखेंगे और कब लागू करेंगे ?

**श्री दिग्विजय सिंह :** अध्यक्ष महोदय, एन्टी डिफेक्शन बिल कब पास हुआ और आप अभी 5 साल तक देख ही रहे हैं ? 5 साल होने आये।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं देख रहा हूं।

**श्री मानिकचन्द सुराना :** अध्यक्ष महोदय, यह जो आप देख रहे हैं, यह उसकी नकल तो नहीं है जो प्रधान मन्त्री कहते हैं कि 'हम देख रहे हैं" ?

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं देख रहा हूं।

**श्री सी. पी. जोशी :** हम देखेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय नाथूसिंह जी।

**श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 फरवरी, 1985 को एन्टी डिफेक्शन बिल पास हो गया, राजस्थान में 1985 में गजट में नोटिफिकेशन हो गया, हमको वह मिल भी गया। अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में है कि 1985 में इसके रूल्स लोक सभा ने बना दिये, 1985 में ही इसके रूल्स राज्य सभा ने बना दिये, केरल में जुलाई, 1986 में रूल्स बना दिये, आंध्र प्रदेश ने 19 मार्च, 1986 को रूल्स बना दिये, यू. पी. ने सितम्बर, 1986 में बना दिये, हरियाणा ने मार्च, 1987 में बना दिये, बिहार ने 1986 में बना दिये, नागालैण्ड ने 1986 में बना दिये, गोआ ने 1986 में बना दिये, वेस्ट बंगाल ने 1986 में रूल्स बना दिये, सिक्किम ने 1986 में बना दिये, तमिलनाडु ने 1986 में बना दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में यह रूल्स बनकर 1986 से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल आपको एक काम करना है उन बने हुये रूल्स को अपनी एप्रूव्ल देकर....

**श्री अध्यक्ष :** मैं इसको देख रहा हूं।

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट है, सदस्यों का राइट है और यह विभिन्न पार्टियों का राइट है।

**श्री अध्यक्ष :** मेरे सामने है, मैं उनको एग्जामिन कर रहा हूं।

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय, एग्जामिन, 1986 से लेकर 1989 आ गया, 3 साल में....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय नाथूसिंह जी और जगह यह प्राब्लम होगी, हमारे हाउस को खुशी है कि हमारे यहां यह प्राब्लम नहीं है, यह आपको खुशी होनी चाहिये इस बात से।

**श्री नाथूसिंह** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सवाल प्राब्लम का नहीं है, सवाल यह है कि जो चीज हमसे सम्बन्धित है....

**श्री अध्यक्ष** : बस आप बैठें।

**श्री नाथूसिंह** : हमसे सम्बन्धित हमारे राइट्स का मामला है, एक एक्ट बन गया उसके तहत में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 3 साल हो गये रूल्स....

**श्री सी. पी. जोशी** : आज आवश्यकता क्यों पड़ी 4 साल बाद में ?

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक साल में अगर आप एक महीने में एक रूल को देख लेते तो अब तक पूरा हो जाता।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बैठें, कह दिया आपने।

**श्री नाथूसिंह** : मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप एकाध दिन के अन्दर उन पर दस्तखत कर रूल्स बनाकर पास करें।

**श्री अध्यक्ष** : 295, श्रीमती उजला जी।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, यह 4 साल बाद अब इनको रूल्स कैसे आ गये याद ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई खास बात होगी।

**श्री सी. पी. जोशी** : मैं समझता हूं कि जब लोक दल का विभाजन हुआ और लोक दल 'अ' और 'ब' बना था उस समय रूल्स की बात याद नहीं आयी ? (व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : आप लोगों को क्या आपत्ति है ?

**श्री सी. पी. जोशी** : आपत्ति है, आपको आपत्ति मालूम है, उस समय तो आपको याद आया नहीं और अब याद आ रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : आपस में बहस नहीं करेंगे। नाथूसिंह जी, कृपया बैठें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान है कि पिछली बार 40 दिन तक राज्य कर्मचारियों ने अपनी वाजिब मांगों के बारे में हड़ताल की थी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने समझौता किया और एक समता समिति कमेटी का गठन किया और निर्धारित समय में समता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी और उसको लागू कर दिया जायेगा, मुझे जानकारी है कि समता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह समय जून माह में कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिये थी वह पूरा हो चुका है इसलिये स्वाभाविक है कि राज्य कर्मचारी उद्वेलित होंगे, उनमें आक्रोश होना स्वाभाविक है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन चल रहा है, मुख्य मन्त्रीजी समता समिति की रिपोर्ट सदन के सामने रखें और राज्य कर्मचारियों की जो वाजिब मांगें हैं उनके बारे में समता समिति की रिपोर्ट है उसको तुरन्त लागू करें। यही मुझे आपको निवेदन करना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय पुष्पा जी।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किये वह आपने सरकार को जानकारी के लिये भेज दिये उनका क्या हस्र होगा ? उनकी कोई आप समय सीमा निर्धारित करें नहीं तो यह उत्तर आयेंगे नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : 7 दिन का समय देता हूं....आपने जो दिये हैं आपके जवाब देख लेता हूं; चैम्बर में आप आ जायें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले यह समता समिति की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, 30 जून बीत गया है उससे यह बढ़ा हुआ पैसा....

**श्री अध्यक्ष** : आप डबल-डबल फायदा नहीं लेंगी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : 20 बार उठी हूं, बैठी हूं उसका इतना भी फायदा नहीं लूंगी क्या ? अध्यक्ष महोदय, 30 तारीख गई, उससे लागू हो जानी चाहिये थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि अधिकारी कर्मचारियों को उद्वेलित नहीं करें।

**श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं....

अध्यक्ष महोदय, कल भी और परसों भी इन 295 के प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमने आब्जेक्शन्स किये थे, मैं मानता हूं कि साधारणतया मन्त्रियों को, कन्सर्निंग मंत्रियों का रहना आवश्यक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक सेट-अप में कन्सर्निंग मिनिस्टर्स को जिस समय 295 का उल्लेख हो रहा हो तो उस समय हाउस में जरूर बैठना चाहिये। इस हाउस में हम आखिर में आते हैं जो कोई बात कहने के लिये आते हैं और इन 295 के सम्बन्ध में यह समझ लिया कि हमारे पास में कापी आ जायेगी और हम रिप्लाई भेज देंगे तो फिर हम भी काहे को यहां पर उल्लेख करें हम भी डाक से भेज देंगे और डाक से जवाब आ जायेगा ? मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सरकार को इस बात के निर्देश दें कि कन्सर्निंग मिनिस्टर्स जिनका 295 हो वह हाउस के अन्दर उपस्थित रहें और हम बोल रहे हैं उसको सुनें। हम आखिर सुना रहे हैं। कन्सर्निंग मिनिस्टर मौजूद नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह रोजाना चर्चा होती है। सम्बन्धित मन्त्री हाउस में नहीं हैं। हम किसको सुनायें ? हम बार-बार इस सम्बन्ध में निवेदन करते हैं। (व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह** : But the minister concerned, in Parliament, is always there.

आप यह भी देखेंगे पार्लियामेण्ट में,

**श्री अध्यक्ष** : मैंने भी अटेण्ड किया है। सवाल यह है कि जवाब आना चाहिये।

**श्री दिग्विजय सिंह** : जवाब तो है। कन्सर्न्ड मिनिस्टर उपस्थित नहीं रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** एक मैं निवेदन करूं कि यह खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहां 85 पर्सेन्ट का जवाब है जबकि लोकसभा में 60 पर्सेन्ट है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** 89 पर्सेन्ट।

**श्री अध्यक्ष :** 89 पर्सेन्ट का जवाब है।

**श्री दिग्विजय सिंह :** अध्यक्ष महोदय, उसमें आपत्ति नहीं है कि जवाब नहीं मिल रहा है। यह नहीं कि राज्य सभा में चेयर ने शेयर किया होगा। हमारा तो कहना यह है कि पार्लियामेन्ट में जो स्पेशल मेन्शन का प्रोविजन है, आपने यहां भी कर दिया। तो पार्लियामेन्ट के अन्दर कन्सर्न्ड मिनिस्टर उपस्थित रहते हैं। वहां पार्लियामेन्ट में इसको सीरियसली लेते हैं। यहां यह हाउस को सीरियसली नहीं लेते।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने भी देखा है। यह कोई नियम नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** मान्यवर, यह अच्छा हो कि मंत्री रहे। और मंत्री रहकर यदि उनको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो 295 हम पढ़े तब तो मैं समझता हूं वह बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी। मान्यवर, एक सप्ताह में मुश्किल से एक 295 का आता है। उसको भी केवल पढ़ दें और मंत्री महोदय न सुने न बोले तो मैं समझता हूं इसका कोई लाभ नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** सुन रहे हैं आपको।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** आप तो पढ़े हुए नहीं हो दिक्कत यह है। आपने कभी पार्लियामेन्ट देखी नहीं। (व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** मैं सबको कण्ट्रोल कर रहा हूं, आपको सुन रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय भार्गव साहब को-आपरेट करें।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, आपने जो 85 पर्सेन्ट और 60 पर्सेन्ट की बात कही है, मुझे यह पता नहीं यह पर्सेन्टेज कहां से निकाली आपने पार्लियामेन्ट की। मैं 6 साल पार्लियामेन्ट में रहा हूं। मैंने जितने स्पेशल मेन्शन किए एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं मिला। बल्कि स्पेशल मेन्शन छोड़िये, हम जो ग्रान्ट पर बोलते हैं उसका भी वहां जवाब आता है। किसी मिनिस्ट्री के बारे में बोलते हैं वहां से भी बिना किसी बात के वहां जवाब हर एक का आता है कि हम उसमें कई-कई बार प्वाइन्ट उठाते हैं। यहां हालत बिल्कुल विपरीत है। अभी परसों मालवीय नगर के बारे में यहां सारे मेम्बर्स उग्र होकर बोले। मुझे इस बात का खेद है कि सरकार संवेदनशील हो चुकी है कि जहां शिकायत की थी कि मुर्दा जानवर पड़े हुए हैं, गन्दगी पड़ी हुई है। पहले इस तरह कभी सवाल असेम्बली में आता तो सरकार में हलचल मच जाती थी, वहां लोग जाते, देखते कि बात सही है या नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद, हलचल की बात तो छोड़िये, चिन्ता ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो सिवाय अरण्य रोदन के कि हम यहां पर 295 में अरण्य रोदन करें, 85 पर्सेन्ट का जवाब मिल जायगा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आप उसमें प्रसन्न हो जायेंगे कि आपकी पर्सेन्टेज बहुत अच्छी है। यह साठ पर्सेन्ट कहां से लाये मुझे तो पता नहीं। लेकिन मुझे तो उससे कुछ नहीं इसका निवारण करिये। हमें जवाब से मतलब नहीं, हम जो सवाल उठाते हैं, उस सवाल में सरकार सक्रिय होकर जवाब दे इतना ही नहीं, उसके निराकरण के लिए कदम उठाये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं अब बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय उजला जी। (व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह पूछना चाहती हूं, हममें से बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हम बोलें ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : पढ़े लिखे नहीं है ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : जी हां। नहीं है पढ़े लिखे, हम दूसरों से लिखवाकर लाते हैं। 15 मिनट आधा घण्टा लगता है लिखने में।

**श्री अध्यक्ष** : वहां चैम्बर में बात करेंगे।

**श्री कालीचरण सराफ** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आपने जो व्यवस्था दी है....सुनें तो सही एक मिनट। आपने कहा कि सात दिन में जवाब आयेगा।

**श्री अध्यक्ष** : जी।

**श्री कालीचरण सराफ** : पिछले सत्र में जो 295 के आये उसका जवाब अभी तक आ रहा है। कल मिला एक का जवाब मुझे। यह कोई बात थोड़े ही है साहब।

**श्री अध्यक्ष** : जो कोई इण्डिविज्युअल केसेज हैं वह मुझे वहां रखें, यहां पर मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

**श्री कालीचरण सराफ** : जवाब ही नहीं आते।

**श्री अध्यक्ष** : चेम्बर में मुझसे बात करें। उजला जी, कृपया 295।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : निश्चित रूप से पढ़ूं मैं। अब किसी को मत बोलने देना।

**श्री अध्यक्ष** : हां पढ़िये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं 20-21 बार खड़ी हुई हूं।

**श्री अध्यक्ष** : हां शान्ति से पढ़िये। (व्यवधान) अब मेहरबानी करिये। कृपया मुझे आगे बढ़ने दीजिये।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप सरकार को आदेश दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार भी सुन रही है, मैं भी सुन रहा हूं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप आदेश दीजिये सरकार को कि एक्शन ले, केवल जवाब देकर सन्तोष नहीं करे। एक्शन ले, निराकरण करे समस्या का।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** एक्शन लेकर भी जवाब दिया जाता है, पढ़ते क्यों नहीं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बैठिये, माननीय उजलाजी।

## प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, पिछले 10 मई, 89 से 30 जून, 1989 तक चलने वाले अभियान "प्रशासन गांवों की ओर" राजस्व अभियान के माध्यम से घोषित 23 बिन्दुओं पर मेरे इलाके में कार्य न करके, अर्थात् जयपुर ग्रामीण में एक खासा मजाक किया गया है। मजाक इस मामले में कि एस. डी. एम., आमेर, तहसीलदार, बी. डी. ओ., गिरदावर, हलका कानूनगो, पटवारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी आदि पूरा तामझाम तो इन शिविरों में गया। मैं स्वयं भी पहुंची परन्तु यह क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है इसलिए यहां पर भूमि आवंटन नहीं किया जायगा। अधिकारियों से कहा गया। (2) नदी पेटे काश्त की भूमि का आवंटन अस्थायी नहीं किया जा सकता।

(12.45 म.प.)

**(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, इधर देखकर सुनें तो सही। मैं क्या कह रही हूं।

**श्री सभापति :** कृपया बोलें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** और कोई नहीं सुनें तो बरदाश्त कर लूंगी।

**श्री सभापति :** आप पढ़िये। कृपया बोलें। मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आपने जो लिखकर दिया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** (3) स्थायी खातेदारी अधिकार....माननीय घनश्यामजी मुझे पढ़ने दीजिये। स्थायी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

मैं आपको बताऊं, नम्बर(1)कि यहां पर भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता। नम्बर (2), नदी पेटे काश्त की भूमि का आवटन अस्थायी नहीं किया जा सकता। (3) स्थायी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। यानि 23 बिन्दु जो कहे गये यह काम किये जायेंगे उन बिन्दुओं में क्रमवार मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने कहा यह काम नहीं हो सकते।

(4) रूपान्तरण खोलने तक के मामलों में अड़चन डाली गई।

(5) आबादी भूमि के सामान्य प्रस्ताव मात्र स्वीकार किये गये। आबादी भूमि विस्तार तय नहीं किया गया।

(6) छोटी-छोटी भूमियां जो बीघों में भी नहीं बिस्वों में थी-उन बीघों बिस्वों की उद्घोषणा नहीं की गई। जहां उद्घोषणा की गई उसमें से भी जैसे मानपुर कलां शिविर में एक खसरा में 90 बीघा दूसरे में 48 बीघा, तीसरे में 16 बीघा जिसकी उद्घोषणा की गई उसमें भी ज्यादातर ने यह रिपोर्ट की कि केवल 5 बीघा, केवल 10 बीघा और 5 बीघा का ही आवंटन किया जा सकेगा। इतनी शिकायतें प्रार्थना पत्र और मांग खारिज की गई। उन खारिज अर्जियों का क्या होगा। जो प्रस्ताव

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

थे जो आवश्यकता थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी यह खासा मजाक नहीं तो क्या कहूं।

कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित के मामले टाले गये। उनको ग्रामीणों ने अपनी वर्षों की परेशानी बताई। रास्तों के मामलों के निपटारे के मामले जो सामने थे उन्हें अभियान के बाद मौका देखने के लिए रखा गया। न मालूम उनका निपटारा कभी होगा या नहीं या झगड़े ही चलते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की अशान्ति की समाप्ति की कल्पना की थी वह ऐसा लगता है, व्यर्थ रहेगी। उपरोक्त बिन्दुओं में से मात्र कुछ मामलात पेन्शन व ऋण के रहे। उनमें भी असन्तोष रहा। क्योंकि पेन्शन के मामले में फोटोग्राफर समय पर नहीं आया और जो नहीं आए उनको अगले कैम्प में बुलाया गया। और अगले कैम्प में भी फोटोग्राफर नहीं आया। इस तरह से ग्रामीणजनों को परेशान किया गया। जैसे मैं आपको बताऊं लांगड़ीयावास में छोटू पुत्र रत्ना ने अपनी जमीन को आधी लड़कों में व आधी लड़कियों में अपने जीवन काल में कर दी थी। वहां लड़कियों की जमीन भी लड़कों के नाम पर कर दी गई। इन्द्राज जो आपका था उनके नाम मिटा दिये। और तो और जो उसकी बेवा थी उसका नाम खाते में करने के बाद भी जोड़ा नहीं गया। (बेवा सौतेली मां है) उसको रोटी देने वाला कोई नहीं है।

इस प्रकार ध्यान दिलाने पर भी कार्य नही किया। उसे भटकाने के लिए छोड़ दिया गया है। इस बीच जयपुर ग्रामीण में चार एस. डी.एम. बदल दिये गये। (चौमूं, आमेर, जयपुर) व कृषि भूमि अभियान का खासा मजाक उड़ाया गया। मेरी यह पंचायतें हैं, जयसिंहपुरा खोर, समेल (झोटवाड़ा पंचायत समिति, तहसील जयपुर) नायला राहोरी, रूपवास, पापड़, लागड़ीयावास, सायपुरा, भानपुर कलां बासना, इन्द्रगढ़, नटाटा, जमवा रामगढ़ (तहसील जयपुर) एक पत्रक जो जे. डी. ए. के द्वारा उक्त क्षेत्र में कार्य न किये जाने के लिये निकाला गया, उसे जिलाधीश महोदय ने परिचालित कर दिया। जब उक्त ग्रामीण क्षेत्र में जे. डी. ए. की कोई योजना ही नहीं है, तब उक्त क्षेत्र के गरीब ग्रामवासी पिछड़े लोगों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने से वंचित रखे जाने का क्या उद्देश्य था समझ में नहीं आता। अर्थात उन तहसीलों में....

**श्री सभापति :** कृपया पढ़े।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** आपको स्पष्ट कर दूं, आप आदेश देंगे।

**श्री सभापति :** स्पष्ट करने का सवाल नहीं है, आपको पढ़ने का प्रश्न था।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** जे. डी. ए. की कोई योजना नहीं थी तब किसानों को वंचित रखे जाने का उनका क्या उद्देश्य था? समझ में नहीं आया। श्री शिवचरण माथुर के ही मुख्य मन्त्रित्व काल में 1984-85 में उक्त अभियान के दौरान भी एस.डी. एम. हनुमन्त सिंह बस्सा बांध पर वापस चले आये थे और तब भी उन्होंने यही कहा था क्योंकि यह क्षेत्र जे. डी. ए. में आता है इसलिये यहाँ का आवे[illegible] होगा। आप उक्त समय का [illegible]

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लें। मैंने इस बीच में पत्रों के माध्यम से मिलकर राज्य सरकार से, मुख्यमन्त्री जी से यह चाहा कि मेरे उक्त क्षेत्र को कृपया जे. डी. ए. की पाबन्दियों से मुक्त करें जब तक कि उनकी वहां उक्त पंचायतों में कोई योजना न हो। मैंने विधान सभा के माध्यम से व जे. डी. ए. से मिलकर चाहा कि वह बताये कि उसकी उक्त क्षेत्र में कोई योजना है क्या? उत्तर में नहीं शब्द ही मिला। अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, छोटे कृषक सीमान्त कृषकों के मामलों में यह अनुदार दृष्टिकोण क्यों रहा, बतलाया जावे। उक्त क्षेत्र के कार्यों का मूल्यांकन किया जाये। जे डी. ए. से उक्त क्षेत्र को अस्थायी कार्यों व योजना के अभाव में एग्रीमेंट प्रक्रिया से भूमि आवंटन की जाये। उद्घोषणा दुबारा की जाकर आवंटन हो। पुनः पुनः सामने आने वाले मामलात 1975 के श्रीमती कमला के द्वारा बांटे गये पट्टों का नियमन हो। सन् 1975 में इमरजेन्सी के काल में मेरी इस पंचायत समिति में श्रीमती कमला ने कैम्प लगाकर हजारों पट्टे बांटे जो हरिजनों को दिए गये उनका नियमन अभी तक नहीं हुआ हैं। आये दिन मामला सामने आता है और झगड़े होते हैं क्योंकि उनकी जमीनों पर और लोग काबिज होने की कोशिश करते हैं। रास्तों के विवादों को तत्काल निपटाया जावे तथा अन्य क्षेत्रों में मामलात की जांच हो। अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी रोकी जावे। जिन पटवारियों ने उद्घोषणा योग्य भूमि के खसरों को उद्घोषणा योग्य नहीं बताया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो अन्यथा ग्रामवासियों की उद्वेलित स्थिति को रोकना मुश्किल होगा। कृषकों पर इस प्रकार का अन्याय अत्याचार करना यदि सरकार का मन्तव्य है तो मुझे कुछ नहीं कहना है....

**श्री सभापति :** +++ वाहवाही यह लिखा हैं आगे आपने....

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** +++ वाहवाही लेना चाहें तो मुझे कुछ नहीं कहना हैं (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** यह कैसे पढ़ रही हैं ?

**श्री सभापति :** अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रही हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** कार्बन पेपर का था, नीचे की लाइन इसमें नहीं आई।

**श्री बुलाकी दास कल्ला :** सभापति महोदय, +++ शब्द असंसदीय है।

**श्री सभापति :** +++ शब्द को एक्सपंज कर दीजिए।

**एक माननीय सदस्य :** लिखा हुआ है।

**श्री सभापति :** लिखा हुआ है तो क्या हुआ। (व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह :** जो लिख कर दिया गया है वह एडमिट होता है तभी तो बोलने की इजाजत दी जाती है, अब आप कैसे एक्सपंज करोगे ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** वह कार्बन कापी में रह गया।

---

+++ शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

**श्री दिग्विजय सिंह** : वह तो लिखकर दिया हुआ है। नियम में है कि आप पहले देखोगे और उसके बाद एडमिट करोगे। आपने एडमिट कर दिया वह बोल दिया अब आप कैसे रहे हो, हटा दो।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय दिग्विजय सिंह जी, बैठें, मुझे पूरा कर लेने दें। मेरा एक्सटैम्पों चल रहा था सारा मामला आप गड़बड़ कर देंगे।

**श्री सभापति** : आगे बोलिये। कृपया बोलें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अगर ऐसा कहीं कार्बन कापी से छूट जाये, एडमिट कर लिया जाये तो कृपया उसको पूरा करा कर आप उपस्थित करायेंगे।

मेरा निवेदन यह है कि उसे व्यवहार में लाना चाहिये वरना जनता पार्टी के कार्यकाल से विवरण लेकर पंचायतों में कार्य करना चाहिये....

**श्री सभापति** : आगे घोषणायें कुछ काम कुछ....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं वही पढ़ रही हूं। घोषणायें कुछ . अच्छा आप पढ़ो जरा, कितना अच्छा लगेगा।

**श्री सभापति** : कृपया बोलें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : क्या पढ़ूं।

**श्री सभापति** : जो आपने लिखा है वही पढ़ें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कहां से पढ़ूं ?

**श्री सभापति** : घोषणायें कुछ, काम कुछ भी नहीं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : घोषणायें कुछ, काम कुछ भी नहीं, ऐसे अभियान चलाकर डेढ माह में स्थानीय क्षेत्रों के नियमित कामों को भी व्यवधान में डाला गया है। सरपंच भी दुखी हैं, ग्रामीण भी दुखी हैं अधिकार के अभाव में अधिकारी भी दुखी हैं। पंचायत में, उस समस्त क्षेत्रों से आये आशार्थियों की क्या दशा रही होगी, सरकार खेद प्रकट करें और उक्त क्षेत्र में कार्य हो सके इसका प्रबन्ध कर शेष कार्य की तत्काल घोषणा करे। अन्यथा ग्रामीणजन आन्दोलित होंगे और वह स्थिति संभाली नहीं जा सकेगी। यह मेरा निवेदन है कि कथनी व करनी के अन्तर को मिटाया जाये। मान्यवर मुझे सूचना मिली है कि अभी जे डी. ए. ने .

**श्री सभापति** : एक लाइन और बाकी है अभी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : जे. डी. ए. ने....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सभापति महोदय, 600 शब्दों से ज्यादा 295 में देने का कोई नियम नहीं है....

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : 500 शब्द ही हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : जैसा हरिशंकर जी कह रहे थे 295 का कोई उपयोग नहीं रहा, केवल समय का दुरुपयोग है। आप इसको कट कीजिए।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, यह आप लोग ही करते हैं....

**श्री दाऊदयाल जोशी :** कहीं न कहीं तो इस पर प्रतिबन्ध लगाइये यह तो केवल मखौल मात्र होगा। आपकी पार्टी के एक सदस्य ने डेढ़ घन्टे तक भाषण दिया था। (व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्या, समाप्त करें आप। लास्ट लाइन बोले।

**एक माननीय सदस्य :** हमने तो अपने साथी को नहीं टोका, आप अपने साथी को टोक रहे हैं।

**श्री सभापति:** आर्डर प्लीज। आप बोलें, लास्ट लाईन बोलें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** सभापति महोदय, अभी जे. डी. ए ने एक घोषणा की है कि हमने इसमें दखल नहीं दिया....

**श्री सभापति :** आप लास्ट लाइन बोल दें। आपके खुद के सदस्य एतराज कर रहे हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मेरा निवेदन है कि कथनी और करनी के अन्तर को मिटाया जावे और मुझे इस विषय पर आज ही चर्चा की अनुमति दी जाये।

**श्री सभापति :** श्री मुल्ताना राम।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मैं आपसे कहना चाह रही हूं....

**श्री सभापति :** आगे कुछ नहीं है, इतना ही है हो गया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** आपके माध्यम से जब उत्तर आवे मन्त्री महोदय ध्यान दें कि जे. डी. ए. ने कहा है कि हमने दखल की बात ही नहीं थी तो इन क्षेत्रों में दुबारा भूमि आवंटन के शिविर लगाये जाये, यह मेरा आप से निवेदन है जिससे छोटे-छोटे कृषकों को भूमि मिल सके।

**श्री सभापति :** श्री मुल्ताना राम।

**श्री मुल्तानाराम (जैसलमेर) :** सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसलमेर जिले के लिये इन्दिरा गांधी नहर जीवनदान है और राजस्थान की प्रगति की महत्वपूर्ण कड़ी है। जब इस योजना का स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा श्री गणेश किया गया था इसके पीछे महत्वपूर्ण इच्छा थी कि शीघ्र हिमालय का पानी रेगिस्तान में पहुंचा कर रेगिस्तान को हरित क्रान्ति में परिवर्तित किया जाये। साथ ही ऐसा भी उद्देश्य था कि रेगिस्तान को यदि रोकना है तो इन्दिरा गांधी नहर से पानी पहुंचाया जाये और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर रेगिस्तान एवं प्रदूषण को भी रोका जा सके। इन्दिरा गांधी नहर जैसलमेर जिले में सन् 1980 से सन् 1987 तक मैन कैनाल के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण किया जाकर उसमें पानी छोड़ा गया है। लगभग 7-8 वर्ष के उपरान्त भी सिंचाई हेतु काश्तकारों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है इससे यह निश्चित् है कि नहर के अधिकारी काश्तकारों के प्रतिकूल भावना रखते हैं।

मैन कैनाल के बाद शहीद सागरमल गोपा शाखा कार्य 1987 के बाद शुरू किया

(श्री मुल्तानाराम)

गया जिसका लक्ष्य 31 मार्च, 1988 तक ग्राम रामगढ़ तक पानी पहुंचाने का था। खेद है कि वर्तमान में तो सम्पूर्ण कार्य बन्द है और बजट को लेप्स किया जाता है। इसका क्या रहस्य है। यह सरकार ही ध्यान आकर्षित करें।

मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि शहीद सागरमल गोपा शाखा तैयार होने में कई वर्ष लगेंगे जबकि इससे निकलने वाली वितरिकाओं का निर्माण कार्य 5-6 वर्ष पूर्व ही करा लिया गया है। जिससे वर्तमान में उन वितरिकाओं में पुनः रेत भर गई है। इससे करोड़ों रुपये की हानि हुई है। सभापति जी, इसकी जांच होना आवश्यक है। वर्ष 1988-89 में इन्दिरा गांधी नहर के आवंटित बजट में जहां तक मेरी जानकारी है करीब 15 करोड़ रुपये लेप्स किये गये हैं। इसमें किस का दोष है इसका उत्तरदायित्व ठहराना आवश्यक है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए नहर के द्वितीय चरण का कार्य जैसलमेर जिले में 10 वर्ष तक पूर्ण नहीं होगा और कृषि प्रयोजनार्थ तो पानी 20 वर्ष तक उपलब्ध नहीं होगा। इससे कितना भारी नुकसान राष्ट्र का होगा इसका परिणाम सभापति जी, आप ही समझ सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 1988-89 में इन्दिरा गांधी नहर में जैसलमेर जिले के लिये आवंटित बजट में से 15 करोड़ रुपये लेप्स किये गये हैं। इसकी जांच होना आवश्यक है। इसके अलावा सागरमल गोपा शाखा का काम शुरू नहीं हुआ और उसके पहले ही वितरिकायें शुरू कर दी गई। उसमें रेत आ गई। इससे सरकार के चूना लगा है। अधिकारी रेत निकालते हैं और वापस रेत भर जाती है।...

**श्री सभापति :** कृपया पढ़ें, मन्त्री जी सुन रहे हैं।

**श्री मुल्ताना राम :** 7-8 वर्ष पहले वितरिकायें बन गई। कई बार रेत भर गई और मैंने अधिकारियों, कर्मचारियों से बात की। उनका यह मानना है कि यदि इस नहर को शीघ्र पूरा कराया जायेगा तो हमारा भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा जहां तक सम्भव हो इसको लम्बा किया जाये। ऐसे निर्देश उच्च अधिकारियों ने दिये हैं। इतना ही नहीं नहर के कर्मचारी, अधिकारी महीने में एक-दो दिन वेतन लेने जैसलमेर आते हैं। साइट पर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को काश्त हेतु शीघ्र पानी उपलब्ध कराया जाये। शहीद सागरमल गोपा शाखा वितरिकाओं का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये। अनावश्यक कार्य रोका जाकर आवंटित बजट के अनुसार लक्ष्य पूरे किये जायें जिससे इस नहर का शीघ्र लाभ जनता को मिल सके। इससे अकाल का स्थायी निराकरण भी होगा।

**श्री सभापति :** श्री दिग्विजय सिंह।

**श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री दिग्विजय सिंह)

विशेष उल्लेख मजबूरी में कर रहा हूं क्योंकि नियम 295 के उल्लेख का जो महत्व है वह अब समाप्त सा हो गया है। जिस मामले को मैं उठाना चाहता हूं वह ऐसा नहीं है यह मैं खुद मानता हूं कि वह 295 का विषय बनता हो परन्तु और कोई जरिया ही नजर नहीं आता है। इसलिए मैं मजबूरन 295 के माध्यम से इसको प्रस्तुत करता हूं। यही व्यवस्था कर रखी है।

मान्यवर, जिला टौंक सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी जब से अध्यक्ष चुने गये हैं उसके बाद से उनके द्वारा बैंक के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्री चौधरी द्वारा सहकारी बैंक में एक जिप्सी गाड़ी की खरीद की गई जिसकी अनुमति प्रबन्ध मण्डल से नहीं ली गई और खरीद की गई। इस गाड़ी को अध्यक्ष अपने निजी कार्य में उपयोग करते हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व अध्यक्ष ने इसे राज्य से बाहर मेरठ, उत्तर प्रदेश ले गये और वहां चार दिनों तक उसका दुरुपयोग करते रहे और आज भी इसका अपनी निजी यात्राओं में उपयोग कर रहे हैं। कुछ माह पूर्व मालपुरा से टौंक जाते हुए यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी और उसको भारी नुकसान हुआ।

अध्यक्ष ने अपने चहेते एडवोकेट, श्री सुरेन्द्र व्यास को बैंक के मुकदमे लड़ने के लिये 5000/- रुपये महावार पर नियुक्त कर रखा है और अब तक करीब 50,000/- रुपये दे दिया गया है और इसी प्रकार से खुले रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार व्यवस्थापकों की नियुक्ति व स्थानान्तरणों पर हजारों रुपये लेकर नियुक्तियां एवं तबादले किये जा रहे रहे हैं। इसके उदाहरण हेतु कुछ नामों का उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री बनवारीलाल शर्मा, श्री सीताराम शर्मा, श्री शोजीराम चौधरी, श्री बंसीलाल मीना, श्री बाबूलाल आचार्य, श्री जगदीश खाती इत्यादि। व्यवस्थापकों के विरूद्ध धारा 74 के तहत कई बार गबन व धन के दुरुपयोग करने में मोअत्तिल किया गया और आज उन्हें वापस बहाल करके वहीं पर नियुक्तियां दे दी गयी है जहां से उन्हें हटाया गया था। इससे स्पष्ट है कि श्री अध्यक्ष द्वारा खुले रूप से पैसे लेकर नियुक्ति दी है।

अध्यक्ष व पूर्व प्रबन्ध निदेशक गोवा यात्रा पर गये और बैंक से 10,000/- रुपये अग्रिम उठाये जिसकी बैंक के प्रबन्ध मण्डल से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। इस रुपये का आज दिन तक बैंक को हिसाब नहीं दिया गया। टौंक बैंक का एक अतिथि गृह बना हुआ है। उसको अतिथि गृह के काम में नहीं लिया जा रहा है बल्कि वह अपने निजी काम में ले रहे हैं। श्री राजेन्द्र चौधरी अध्यक्ष ने टौंक सैन्ट्रल बैंक को करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा दिया है और इसकी जांच विभाग द्वारा करायी जा चुकी है पर श्री चौधरी ने पैसे के बल पर रुका रखी है। हालत यहां तक है कि प्रबन्धक जो राज्य सरकार नियुक्त करके भेजती है उसे वहां पर चार्ज नहीं लेने देते और पिस्तौल की नोक पर व दादागिरी से आतंकित कर रखा है।

अध्यक्ष के विरुद्ध पूर्व में कई शिकायतें हो चुकी है पर आज दिन तक उनके विरूद्ध

(श्री दिग्विजय सिंह)

कोई कार्यवाही राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिये मैं नियम 295 के तहत माननीय सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान दिलाते हुए मांग करना चाहता हूं कि अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी को तुरन्त अपने पद से पृथक किया जाये और इस बैंक को आगे घाटे में जाने से रोका जावे।

**श्री सभापति :** श्री ऋषिकेश मीणा।

**श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) :** सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार, खास तौर से ऊर्जा मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1987-88 व 88–89 में मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा सब तहसील मण्डारायल के ग्रामों में विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी व कुछ ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका बताया गया है।

**श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल :** फिर भी सरकार को खबर नहीं हैं।

**श्री ऋषिकेश मीणा :** श्रीमानजी, अत्यन्त दुःख का विषय है कि बिजली विभाग आंखें मींच कर सो रहा है, विद्युतीकरण करना तो दूर रहा उन लोगों ने ग्रामों तक को जा करके नहीं देखा है। सिर्फ कागजों में ही विद्युतीकरण करना बताया गया है। आज स्थिति ऐसी है कि उन ग्रामों में बिजली के खम्भे तक नहीं पहुंच पाये हैं। मेरे को मालूम करने पर बताया गया है कि खम्भे पहुंचाने के लिये विभाग के पास कोई साधन नहीं है। खम्भे पहुंचाने हेतु ठेके दिये गये बताये जाते हैं। जबकि ठेकेदार कार्य करना नहीं चाहता है।

सन् 1987–88 एवं 88–89 में उपरोक्त क्षेत्र के निम्न ग्रामों में विद्युतीकरण की स्वीकृति हुई थी। मण्डरायल, निदर, भोजपुर, नयागांव, रानीपुरा, भटपुरा, पाचांली, बरैट, रोदई, मुंगेपूरा, खिरकन आदि। लेकिन कागजों में ही विद्युतीकरण करना बताया है जबकि लाइन व खम्भे नहीं लगाये गये हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** +++

**श्री डूंगरराम पंवार :** राज्य सरकार ने आपकी आवाज से प्रभावित होकर+++आपको नियुक्त कर लिया गया है।

**श्री ऋषिकेश मीणा :** आश्चर्य की बात तो यह है कि करौली से मण्डरायल तक की दूरी 40 किलोमीटर है, इस दूरी को करौली से ही 11 के वी. पर लिया गया है जबकि उसे 33 के. वी. पर लेकर मण्डरायल क्षेत्र के लिये मण्डरायल क्षेत्र में सब स्टेशन बना कर ग्रामों को विद्युत वितरण किया जाना चाहिये था लेकिन इस प्रकार नहीं करने से क्षेत्र में बिजली आंख मिचौनी का खेल खेल रही है। यही स्थिति अन्य ग्रामों की है। अभी तक न तो ट्रांसफार्मर रखे गये हैं और न ही सिचाई हेतु व घरों में कनेक्शन दिये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली विभाग जनता को तो धोखा दे ही रहा है लेकिन सरकार को भी मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत मन्त्रीजी से पुनः ध्यान आकर्षित कर निवेदन

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ऋषिकेश मीणा)

करना चाहूंगा कि उपरोक्त ग्रामों में विद्युत पहुंचाने की शीघ्र व्यवस्था करें जिससे डाकूग्रस्त एरिया को राहत मिल सके व अधिकारियों को निर्देश दें कि वे स्वयं जा कर वस्तु स्थिति का पता लगाकर शीघ्र कार्य को प्रारम्भ करावें। सब तहसील करणपुर को बिजली की स्वीकृति देने की कृपा करें। सपोटरा तहसील के अन्दर सिमर गांव को करीब तीन साल हो गये हैं विद्युत की स्वीकृति देते हुए परन्तु ग्राम के लिये यह भी मालूम नहीं है कि सरकार ने विद्युतीकरण लाइन किधर से निकाली है या किसी बीहड़ जंगल में घुमा दी गई है या अधिकारियों ने कागजों में रख ली है। तो मेरा, सभापति महोदय, निवेदन है कि बिजली विभाग को निर्देश दें और खास तौर से आप मन्त्री जी से कहें....

**एक माननीय सदस्य** : मुख्य मन्त्री जी से-।

**श्री ऋषिकेश मीणा** : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी जब मण्डारायल और करौली गये थे तो यह विद्युत विभाग के जितने अफसर थे, पीछे पीछे लाइन लगा कर जा रहे थे।

**श्री सभापति** : वह तो पीछे चलते हैं अफसर मुख्य मन्त्री जी के, इसमें क्या नई बात है।

**श्री ऋषिकेश मीणा** : लेकिन अब यह स्थिति ऐसी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री माणक डाणी** : पर खम्भे नहीं चले थे पीछे पीछे।

**श्री डूंगरराम पंवार** : खम्भे तो लम्बे पड़े हैं।

**श्री ऋषिकेश मीणा** : इस विभाग से कार्य को शीघ्र पूरा करवाया जाय जिससे वहां रो रही जनता को शान्त किया जा सके।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य की काफी बड़ी गम्भीर समस्या दिखती है, सदस्य की समस्या का समाधान करावें।

**श्री सभापति** : मैं सरकार से कह रहा हूं माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है....(व्यवधान)

**श्री डूंगरराम पंवार** : माणक डाणी अब शुरू करो कहानी।

**एक माननीय सदस्य** : बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य को भाषण करने का एक बार मौका और दिया जाय।

**श्री सभापति** : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अन्यथा दे दिया जाता। श्री माणक डाणी।

**श्री माणक डाणी (ब्यावर)** : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उन टेलीफोन आपरेटर्स का यहां 295 में उल्लेख करने के लिये उपस्थित हुआ हूं जिनको एल. डी. सी. और यू. डी. सी. में पदोन्नत करने के बारे में राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाये थे लेकिन इन नियमों की पालना नहीं करने के लिये राज्य सरकार ने उनके सेवा नियमों में

(श्री माणक डागी)

ही परिवर्तन करके उन पर कुठाराघात किया है। मैं इसके बारे में राज्य सरकार का 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में कई टेलीफोन आपरेटर्स कार्यरत है। इन टेलीफोन आपरेटर्स को चिकित्सा विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के समान मानकर इनकी वरिष्ठता सूची अन्य कनिष्ठ लिपिकों के साथ में लेकर जारी करने एवं पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया था और इस हेतु राजस्थान सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ 3/9 कार्मिक क-2/80 दिनांक 14-6-83 के अनुसार अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ इन्हे वरीयता सूची में सम्मिलित किया जाकर वरीयता सूची जारी कर दी। लेकिन वरीयता सूची तय करने के बावजूद भी इन टेलीफोन आपरेटर्स को आज तक भी पदोन्नत नहीं किया गया जिससे राज्य के चिकित्सा विभाग में कार्यरत इन टेलीफोन आपरेटर्स में असन्तोष व्याप्त है।

समय-समय पर टेलीफोन आपरेटर्स ने राज्य सरकार का एवं चिकित्सा विभाग का ध्यान भी आकर्षित किया है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग के किये जाने के कारण राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इनके जो सेवा नियम हैं उसके रूल 6 के अन्दर परिवर्तन करके मात्र डी. पी. सी. बैठाने की बात तय कर दी है जब कि ऐसा कोई सिस्टम राज्य सरकार ने पूर्व में तय नहीं किया था। बल्कि इनके साथ पक्षपातपूर्ण नीति अपनाते हुए वरीयता सूची जारी करने के बावजूद भी वरीयता सूची का उल्लंघन करके कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिकों में पदोन्नत कर दिया। साथ ही साथ इस विभाग में व विशेषकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में टेलीफोन आपरेटर्स के पद रिक्त हैं। जहां पर कि काम चलाने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। एस. एम. एस. चिकित्सालय के अधीक्षक की इच्छा होती है तब तक टेलीफोन आपरेटर्स को दैनिक वेतन पर रख लिया जाता है और जब इच्छा होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है। 1986 में एक टेलीफोन आपरेटर को कार्य पर लगाने के बाद 13 मई, 1987 तक उससे कार्य लिया गया यानी डेढ़ साल तक और उसके पश्चात् उन्हें 10 दिसम्बर, 1987 को कार्य पर लेकर यानी लगभग 10 महीने तक 29 सितम्बर, 88 तक कार्य पर रखा और तत्पश्चात् आवश्यकता होते हुए भी मात्र उन अधीक्षक अथवा एस. एम. एस. के कुछ अधिकारियों की स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण उस कर्मचारी को हटा कर अन्य को लगा लिया। इससे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में काफी असन्तोष है। इस असन्तोष के फलस्वरूप टेलीफोन आपरेटर्स को न्यायालय में भी शरण लेनी पड़ी। माननीय सभापति महोदय, न्यायालय में शरण लेने के बाद भी राज्य सरकार उस दावे का जवाब तक पेश नहीं कर पाई। आखिरकार उच्च न्यायालय में भी 9 जनवरी 1989 को फैसला लेकर श्री बाबूलाल शर्मा को कार्य पर लेने के आदेश भी जारी किये। साथ ही साथ कार्य पर हटाने के समय से वेतन, भत्ते देने एवं गलत

(श्री माणक डाणी)

तरीके से हटाये जाने की भी जांच करने के आदेश दिये। साथ ही साथ उन्होंने उस कर्मचारी की नियमित नियुक्ति इसी वेतन शृंखला में देने के आदेश दिये लेकिन उस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को आज तक राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए उस वेतन शृंखला को देने के आदेश जारी नहीं किये हैं जबकि मैं स्वयं भी कई बार राज्य सरकार के शासन सचिव से मिला, सम्बन्धित अधिकारियों से मिला लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए मात्र 17 रुपया दिये जाने का सबसे पहला प्रावधान था उसी के तहत आदेश जारी किये हैं। इससे न्यायालय की व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और खास करके उस कर्मचारी को फिर न्यायालय में जाकर एक और मानहानि का नोटिस फिर देना पड़ा है।

महोदय, हर व्यक्ति जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है वह खर्चे व समय की अधिकताओं को देखते हुए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता और वह राज्य की तरह न्याय के लिये उम्मीद रखता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कनिष्ठ लिपिकों के समान टेलीफोन आपरेटर्स को पदोन्नति दिलाने व न्यायालय द्वारा 9 जनवरी, 1989 के फैसले के अनुरूप कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सीकर जिले के साथ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे भेदभाव के विरोध में विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन कर रहा हूं।

महोदय, सीकर जिले एवं नगर की पिछले चार सालों से हर क्षेत्र में गम्भीर उपेक्षा की गई है एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। पिछले कई वर्षों से सीकर जिले के सलादीपुरा में पाइराइट्स पर आधारित खाद कारखाना लगाने की मांग करता रहा हूं लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि थोथे आश्वासन देते हैं एवं उद्घाटन के दिनों की घोषणा करते रहे हैं। पिछले दिनों जाखड़ साहब ने कहा था कि 16 अप्रैल को आकर उद्घाटन करूंगा। अखबारों में भी छपा था लेकिन वह नहीं आये। बिल्कुल थोथी घोषणा की गई। आज तक वह दिन नहीं आया है।

सीकर जिले में पेयजल एवं चारागाह विकास हेतु इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक लिफ्ट कैनाल से पानी देने का राज्य सरकार का प्रस्ताव भी केन्द्र में सीकर जिले के नेतृत्व की कमजोरी के कारण अस्वीकृत हो गया। राज्य सरकार ने आदेश स्वीकार करके भेज दिये लेकिन दिल्ली में हमारे प्रतिनिधि जो केन्द्र में हैं वह नहीं करा सके इसके कारण रिजेक्ट हो गया यह जवाब विधान सभा में भी दिया गया।

सीकर जिले के लिए गंगा का पानी भी केन्द्र और राज्य सरकार दिला पाने में असमर्थ है। सीकर जिले में मदर इंडस्ट्री

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लगाने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार का राज्य सरकार आज तक नहीं करा सकी। जिले में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। ज़िले में सेना के सेवा निवृत एवं पेंशन प्राप्त हजारों की संख्या में लोग हैं जिन्हें केन्द्रीय नीति के अनुसार केन्द्र सरकार की तरफ से बड़ा कारखाना लगाया जाना चाहिए था जिससे उनको रोजगार मिल सके लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई कारखाना लगाने का आधार नहीं बन पाया है। न कोई प्रस्ताव है।

सीकर जिले में अखेपुरा के पास 110 करोड़ रुपये की लागत की इण्डस्ट्री लगाने की घोषणा की गई थी परन्तु पानी की कमी का असत्य बहाना बनाकर टाल दिया गया है जबकि अखेपुरा के पास राजस्थान का सबसे बड़ा भू-गर्भ जल पाया गया है लेकिन यह कहा गया है कि पानी की कमी है इसलिए नहीं लगा रहे हैं। सीकर जिले के नेशनल हाइ-वे नं. 11 में रींगस में ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है जबकि केन्द्र सरकार ने इसके लिये बार-बार सरकार को लिखा है।

सीकर शहर के दोनों ओर तथा रींगस एवं चौमूं बाइ-पास बनाने का प्रस्ताव भी अभी तक अधरझूल में पड़ा हुआ है। सीकर शहर में दो लाख की आबादी होते हुए भी स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से किसी भी प्रकाद की सहायता नहीं दी है।

इसी प्रकार सीकर जिले में शोभावती नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव भी पिछले दस साल से लटका कर रखा गया है और सिंचाई के नाम पर फूटी कौड़ी भी सीकर जिले को आवंटित नहीं की गई है। सीकर के पास सीतोलाव क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी भू-गर्भ झील का पानी, भू-गर्भ विभाग ने पता लगाया है और उस पानी का लघु सिंचाई योजना के रूप में एवं पेयजल हेतु कार्य में लाने के प्रस्ताव को भी दीमक चाट रही है।

रवासा नमक क्षेत्र में पानी भरने की समस्या को रोकने के लिए बांध न बनाकर इस नमक क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा है। लोहागल-शाकम्भरी का अभयारण्य एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास की योजना भी धरी की धरी रह गई है। सीकर जिले में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सीकर में विज्ञान सकाय के सभी विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं की बार-बार मांग करने पर भी कक्षाएं नहीं खोली गई हैं। सीकर में सहकारी आधार पर आज तक कोई मिल नहीं लगाई गई है। सीकर शहर में सीवरेज लाइन के आदेश तो हो गये लेकिन वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। सीकर में ट्यूब वैल की सुविधा भी किसानों को प्रदान नहीं की गई है।

श्री कल्याण अस्पताल एवं नगर परिषद् की हालत भी बहुत खराब हो गई है। सीकर शहर में सब्जी मण्डी का निर्माण नहीं हुआ है और न ही मूल मण्डी का विकास हुआ। आवासन मण्डल द्वारा भी नई आवासीय कालोनी निर्माण करने का प्रस्ताव बस्तों में पड़ा हुआ है। सीकर में दूर-संचार की सेवाओं के लिए स्वचालित एक्सचेंज बहुत पुराना लगाया गया है जिन्हें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कई स्थानों से रिजेक्ट कर दिया गया था। अलवर और बीकानेर से जिस स्टाउजर मशीन को रिजेक्ट किया गया उसे सीकर में लगायी गयी है जबकि सीकर के पास झुन्झुनू है उसमें ई–10 इलेक्ट्रोनिक लगाई गई है और सीकर के साथ यह भेदभाव किया गया है। इसी प्रकार सभापति महोदय, जो एस. टी. डी. सर्विसेज हैं उसमें सीकर में सी. पी.–5 मशीन लगायी गई है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : हमारा एम. पी. तगड़ा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं मानता हूं, अयूब खां जी बलराम जी जाखड़ से अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर, सी. पी.–7 मशीन लगाई है और ई–10 भी निश्चित रूप से लगाई है। सीकर में सी. पी.–5 लगाई है और झुन्झुनू इन्टरनेशनल एस. टी. डी. से जुड़ा है जबकि सीकर सिर्फ हिन्दुस्तान भर से जुड़ा है। यह अयूब खां जी और बलराम जी का फर्क है। दुर्भाग्य है कि हमारे जाखड़ साहब हैं और आपके अयूब खां जी हैं।

इसी प्रकार हर्ष पर्वत पर बनने वाले टी. वी. टावर को सीकर शहर में लगाया गया है। सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव बीकानेर के साथ था लेकिन बीकानेर में कार्य पूर्ण होने को आ रहा है परन्तु अभी तक सीकर के लिए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : सभापति महोदय, यह बात सही नहीं है। जो सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं उनका बार-बार नाम ले रहे हैं।....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बीकानेर में ओवर ब्रिज नहीं बना क्या ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : वह तो मेरे मन्त्री बनने से पहले स्वीकृत हो गया था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बधाई है आपको, तकलीफ क्या हो रही है, हमारा हुआ नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं। बीकानेर और लोहागल रोड पर एक साथ प्रस्ताव था।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : रींगस की भी जो बात उन्होंने उठाई है उसमें लैण्ड एक्विजीशन का पैसा मिल गया है और आगे काम जारी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : वह आप जवाब में लिखित में भेज देना।

अतः विशेष उल्लेख द्वारा मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शीघ्रातिशीघ्र सीकर जिले के साथ भेदभाव दूर किया जावे अन्यथा सीकर जिले की जनता का असन्तोष भड़क सकता है जिसकी जिम्मेदारी सीकर के चुने हुए कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य, मन्त्रीगण और विधायकों की होगी। यह प्रश्न मैं कई बार उठा चुका हूं और मेरे लिए व राजस्थान के लिए बहुत अहमियत के प्रश्न हैं। इतने बड़े आदमियों के जाने के बाद भी आज तक हमारी इन मांगों का समाधान क्यों नहीं हुआ। पाइराइट्स का कारखाना क्यों नहीं लगा ? जोशी जी, माथुर साहब और जाखड़ साहब ने घोषणाएं की, ढिल्लों साहब जब कृषि मन्त्री थे तब उनसे कहलवाया कि करेंगे।

(1.30 बजे म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके जाखड़ एक्सप्रेस नहीं चली क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जाखड़ नहीं, शेखावाटी एक्सप्रेस 1978 में पास हो गई थी उसको वहां से बढ़ा कर दिल्ली तक किया गया। बस इतना ही है। आप सब जानते हैं कि मैं जाखड़ साहब की बुराई करता रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो हमेशा जाखड़ साहब, जाखड़ साहब करते हो, यह आपकी आदत बन गई है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सब यह चाहते हैं कि मैं जाखड़ साहब की बुराई करता रहूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमेशा आप करते आये है कि जाखड़ साहब, जाखड़ साहब। यह आपकी आदत बन गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जाखड़ साहब, जाखड़ साहब करता हूं और वह.... (व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुमित्राजी, आप तो मत उठो। जब वह राजभवन में आते हैं तो वहां +++ करती हो। (व्यवधान) और अब यहां करने लगी हो। यह क्या बात हुई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भी कौन से बाकी रहे हो। आपने सदन में बता दिया ना।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने खुद आंखों से देखा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या देखा ? आपने मेरे को +++ करते देखा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां यस।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जब वह आते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन जब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आकर देवीलाल जी को गालियां निकालते हैं उस समय उस बात का स्वागत नहीं करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष का सम्मान है लेकिन जब देवीलाल जी को आकर के गालियां निकालते हैं सीकर में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, देवीलालजी को राजस्थान सरकार ने पैसा दिया है वह नहर अभी तक नहीं बन रही है। यह देवीलालजी का नाम ले रहे हैं। उनसे जाकर कहें कि देवीलालजी नहर का पैसा लिये हुए बैठे हैं और कल ही सीकर में आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्टॉप इट प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : देवीलालजी ने तो राजस्थान सरकार को पैसा दिया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कल्लाजी आप तो किसी को आसमान तक पहुंचा देंगे।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । प्लीज सिट डाउन ।....हां, आप पढ़े साहब ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : तो मैं यह उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हू, मेरे यहां (व्यवधान) आखिर यह बात क्यों ? श्री शीशरामजी ओला मिनिस्टर है इसलिए वहां पर उनकी सीवरेज लाइन के लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया और छोटा सा झुन्झुनू कस्बा है, सीकर जिले की दो लाख की जनसंख्या है, सीवरेज लाइन की सैंक्शन हो गई, फाइनेन्शियल सैंक्शन नहीं जारी की । क्यों भेदभाव हो रहा है ? बीकानेर में कल्ला साहब का पुल बन रहा है, सीकर में पुल क्यों नहीं बन रहा है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Do not go beyond your papers.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : क्यों भेदभाव किया जा रहा है । यह सारा भेदभाव है इसलिए सीकर में बहुत असन्तोष है और सीकर जिल के किसान, मजदूर सरकार की इस नीति से दुखी है और आगे आने वाले चुनाव में इनको पता लगेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी गनीमत समझते हो तो यह काम जल्दी करवाओ पूरे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव । (व्यवधान)

**श्री डूंगरराम पवार** : मजदूर ही साफ करेंगे आपको तो ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य प्लीज । कृपया आप बैठिये ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : पढ़ता हूं, साहब ।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, पढ़ लीजिये । अब आप काहे को वैट करते हैं ताकि शोर और बढ़े । आप पढ़िये ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, ... ।

**एक माननीय सदस्य** : यह पहले भूमिका बनायेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नो भूमिका ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : भूमिका बनाता ही नहीं, साहब । आपके बैठ जाने के बाद मैं बहुत डरता हूं, साहब ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी भूमिका पहले बनी हुई है, आप तो पढ़ लीजिये ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, कि मेरा दुर्भाग्य तो यह है कि माननीय मंत्रीजी मेरे सामने नहीं है इसलिए कृपया करके यदि मंत्रीजी कहीं पर हो तो....

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मंत्री बैठे हैं ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मैं आप दोनों को मंत्री मानता ही नहीं हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अच्छी बात है । प्लीज आर्डर ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि पहले मंत्रीजी को बुलाइये । बड़ा अहमियत का प्रश्न है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नो नीड ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : एक सप्ताह में एक बार मुझे आपकी सेवा में

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

निवेदन करने का मौका मिलता है, बोलने का एक सप्ताह में मौका मिलता है।'

**श्री उपाध्यक्ष** : You have been doing it everyday. I have to look into it यह आपके रोज के मामले कैसे लग रहे हैं ?

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : एक सप्ताह में एक बार आता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Please go ahead.

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : एक सप्ताह में एक बार आता है, साहब। बिल्कुल नियमानुसार। मेरा जिस दिन बोलने का नम्बर नहीं होता है तो मैं फिर यहां होता ही नहीं हूं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी जो प्रोब्लम है वह यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड ने नगर की सभी हाउसिंग बोर्ड योजनाओं में शिक्षणशाला, औषधालय, चिकित्सालय व कम्यूनिटी हाल के निर्माण करने व पार्कों का विकास करने की घोषणा की थी जो केवल घोषणा मात्र ही रह गयी है। क्योंकि इस समय वर्तमान में राजीव गांधी जी के द्वारा.... ...

**श्री उपाध्यक्ष** : Please no addition in it.

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : बड़े योग्य व्यक्ति को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन...।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कोआपरेट नहीं कर रहे हैं।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : जयपुर स्थित नाहरी का नाका में 1583 आवास व 7 पार्क हैं, जवाहर नगर में 3821 आवास व 18 पार्क हैं, ज्योति नगर में 350 आवास व दो पार्क है, मालवीय नगर में 9583 आवास व 86 पार्क हैं, वन विहार में 752 आवास व 7 पार्क हैं व मानसरोवर में जो एशिया की सबसे बड़ी योजना है जहां विधायकों को, पत्रकार को, संसद सदस्यों को मकान मिले हैं उसमें 12628 मकान व 132 पार्क हैं। इन योजनाओं में पार्कों की बनायी गयी चार दीवारी टूटी हुई है व यह पार्क एक प्रकार से शौचालय, मूत्रालय बने हुए हैं व उनमें कूड़ा करकट डालने की पूर्णतया सुविधा है। फलस्वरूप उनसे पर्यावरण दूषित होने की पूरी सम्भावना रहती है व ऐसे वर्षा के मोसम में तो गन्दगी व दूषित वातावरण से बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पास में रहने वाले निवासी नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने व महामारी फैलने की पूरी-पूरी मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, गुंजाइश है।

शास्त्री नगर, नाहरी का नाका, पांचों सैक्टरों में सड़कों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। आना जाना मुश्किल व नारकीय हालत है। हाउसिंग बोर्ड....

**श्री उपाध्यक्ष** : It is no where written.

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : है, साहब इसमें। मेरे इसमें लिखा हुआ है, मेरी कापी में है, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरी कापी में नहीं है।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** मेरी कापी में है साहब, आपकी कापी में नहीं होगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** I am vigilent about it. (व्यवधान)

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** वही कह रहा हूं, साहब। कोई ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जाने, मैं जानता हूं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष :** "हाउसिंग बोर्ड द्वारा" से पढ़िये।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** जितना लिखा है उतना ही पढ़ो।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** आप कृपया मेरे ऊपर मेहरबानी रखो। मैं तो केवल जयपुर, जयपुर की बात यहां पर बोलने के लिए आता हूं। मुझ पर तो मेहरबानी रखा करो आप।

**श्री डूंगरराम पंवार :** इसमें नाहरी का नाका भी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्लीज़।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** मेरी रक्षा करिये, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष :** पढ़िये आप।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** मेरी रक्षा करो, साहब।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** आप हमारी रक्षा करो जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ो।

**श्री उपाध्यक्ष :** Please oblige me to read it.

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** उतना ही पढ़ रहा हूं, कल्ला साहब। यह बता रहा हूं कि सन् 1973 तक के लोगों को भी नहीं मिले हैं।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 1973 में पंजीकृत 981, 1979 में पंजीबद्ध 7236 व 1982 में पंजीबद्ध 708 व्यक्तियों को अभी तक बोर्ड द्वारा आवासों का निर्माण कर उनका आवंटन नहीं कर सका है यानि 1973 तक के लोगों को नहीं मिला है तो हाउसिंग बोर्ड किस तरह नित नयी विकास की घोषणा कर विकास की कल्पना कर सकेगा और उसे मूर्त रूप दे सकेगा यह सोचने का विषय है। अपेक्षा यह है कि बोर्ड अपने कार्यों को अधिक गति दे और जिन्होंने पंजीयन 15 वर्ष, 10 वर्ष व 5 वर्ष पूर्व कराया है उनको यथा सम्भव शीघ्र आवास आवंटन करने की व्यवस्था करें।

हाउसिंग बोर्ड आवास के आवंटन के साथ ही आवंटियों से विकास शुल्क, फायर शुल्क ले लेता है। खेद है कि इन शुल्कों की वसूली के उपरांत योजनाओं में विकास कार्य करने व अग्नि से जिन आवंटियों को आर्थिक क्षति हुई है उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ राशि देने के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता रहा है। स्थिति यहां तक विषम है कि बोर्ड की योजनाओं में मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़के बनायी गई है उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण व जगह-जगह से टूट गयी हैं व वर्षा के मौसम में उनके जो गड्ढे बन जाते हैं उनमें पानी भर जाता है जिससे दुर्घटना

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

होने और दुर्घटनाओं में लोगों के चोटग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। आप तो स्वयं जयपुर में रहते हैं, पधारते हैं, आपने भी कभी....

श्री उपाध्यक्ष : Please do not go beyond this.

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जवाहर नगर हो, चाहे मालवीय नगर, चाहे नाहरी का नाका हो, चाहे मानसरोवर हो सबकी हालत सड़कों की देखी होगी। मान्यवर, बोर्ड आवंटियों से वर्ष में दो बार अग्रिम रूप से लीज की राशि वसूल करता है। अगर उसे जमा कराने में विलम्ब हो जावे तो उस पर 18 प्रतिशत ब्याज भी लेता है, लीज मनी पर किन्तु ऐसी वसूली की गयी राशि का समायोजन 98 वर्ष बाद करता है। यानी आज जो लीज मनी जमा कराये वह एडवांस में रहेगी, 98 साल बाद समायोजित होगी। कौन करेगा? बेटा करेगा, पोता करेगा कि मेरे बाप, दादा कभी लीज मनी की राशि जो शुरू में जमा करावायी थी उसकी रसीद कहां है। इसलिए मेरा यहां पर निवेदन करना है कि प्रथम जो लीज मनी की किश्त ली जाय उसका उसी साल में समायोजन कर लिया जाय। प्रथम किश्त तो 98 साल बाद यदि समायोजित करेंगे तो रेकार्ड रखना बेटे और पोते के पास में बड़ा असम्भव है, एक निवेदन है। अर्थशास्त्र सामान्य विद्यार्थी भी इससे आवंटियों को होने वाली आर्थिक हानि को किसी भी रूप में उचित नहीं बता सकता है। मैं चाहूंगा कि बोर्ड इसका समायोजन हर वर्ष करने की दिशा में विचार करने और शीघ्र निर्णय लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा। यही कार्यवाही की अपेक्षा किराया क्रय पद्धति से आवंटित आवास के स्वत्वधारी भी करते हैं जिनसे 5 माह की किश्त अग्रिम रूप से बोर्ड वसूल करता है। आपको जैसे बिल मिला हाउसिंग बोर्ड का तो उन्हें पांच माह की एडवांस रकम दे दी। वह एडवांस रकम 25 साल बाद, 25 साल बाद पूरा होना है। तो 25 साल तक वह 5–10 हजार, 15 हजार बाद में जो जमा कराये हैं वे पड़े रहेंगे और हाउसिंग बोर्ड उस पर ब्याज नहीं देता है। लीज मनी जो 98 साल बाद प्रथम किश्त को, 99 साल बाद प्रथम लीज को समायोजन करेगा तो यह दोनों बड़ी विषम स्थिति है।......

श्री उपाध्यक्ष : समझ में आ रहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, समझ में आ रहा है, उनसे मैं यही चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें उसकी एवज में कुछ भी राशि का 10–12–15 वर्ष बाद भी ब्याज के रूप में भुगतान नहीं किया जाता है। मेरी मान्यता है कि इन्दिरा विकास पत्र क्रय करने पर जो पत्रधारियों को लाभ मिलता है, पांच साल में दुगुना हो जाता है, व उक्त स्वत्वधारियों को अग्रिम रूप से वसूल की गयी राशि पर दिया जाना न्यायसंगत होगा। जो हमने इसमें लिया है पांच महीने में उसको इंदिरा विकास पत्र ले ले तो वही दुगुनी चौगुनी हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार कमेण्ट्री करते रहें तो........

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सुझाव है

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कि अगर बोर्ड की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो कि समस्त योजनाओं में त्वरित विकास कार्य किये जा सकें, तो जिस प्रकार गत वर्ष 10 करोड़ टैक्स जयपुर के सभी वाहन-धारियों से लिया गया है, उसी प्रकार बोर्ड भी सभी आवंटियों से 10 वर्ष की लीज की राशि एक मुश्त ले ले तथा उसका समा-योजन तत्काल कर उसका उपभोग सभी प्रकार से विकास कार्यों को करने व उनको शीघ्र पूरा कराने में करें। हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों में जो मकान आवंटन किये गये हैं, वह भी अच्छे मसाले से नहीं बनाने के कारण वर्षा में उनमें पानी टपकता रहता है, शील आती है, पट्टियां टूट जाती हैं, गटर बैठ जाते हैं और खिड़कियों में जरा सा भी धड़कन होने पर विभिन्न प्रकार की आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि कभी भी इन बने हुए मकानों में क्षति हो सकती है। मान्यवर, आपको ध्यान होगा हाउसिंग बोर्ड के मकानों की साइज कम हो रही है, रकम ज्यादा वसूल की जा रही है और 1982 में जो पंजीकृत पत्रकार थे, उनको घोषणा के बाद भी आज तक मकान नहीं मिल सके हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आखिरी लाइनें पढ़ दीजिये आप।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : इनके मेटल बड़े घटिया किस्म के हैं, आंगन नहीं है। इन हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आंगन नहीं है तो....

**श्री उपाध्यक्ष** : क्यों बार-बार कहलाते हैं, ऐसा। नॉट टू बी रेकार्डेड। बीयोण्ड द रिटॅन, कोई रेकार्ड नहीं करेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : रेकार्ड नहीं हो रहा है। नहीं पढ़ रहे हैं आप, आपको इस तरह का व्यवहार, इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिये।....

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं बैठेंगे तो मुझे बैठाना भी आता है। मैं हाउस चलाऊंगा। हम हाउस को चलायेंगे।....(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।....(व्यवधान)

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : × × ×

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : × × ×

**श्री रघुनाथ परिहार** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप बैठिये। आप पढ़िये।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : इसलिये अन्त में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जयपुर नगर में हाउसिंग बोर्ड की बनी हुई कॉलोनियों में नागरिक सुविधा व अन्य समस्याओं की ओर गम्भी-रतापूर्वक ध्यान दे वरना इन कॉलोनियों के निवासियों को संगठित कर, जैसे मैंने कृषि भूमि रूपांतरण के बारे में निवेदन किया था, आज तीसरे दिन विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं, रोजाना पांच-पांच

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कॉलोनियों के पांच-पांच व्यक्ति यानि 25 व्यक्ति बैठते हैं 11 बजे से 5 बजे तक विधान सभा के सामने। नॉन पालिटिकल आधार पर कृषि भूमि नियम संघर्ष समिति के नाम पर बैठा रखे हैं। मैं आज हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज के जो लोग हैं, जिनके सड़कों की दयनीय, नारकीय दशा है और आज उनकी लीज मनी के नाम पर, रकम के नाम पर उन लोगों को भी विधान सभा के सामने बैठाऊंगा। मैं समझता हूं जनतंत्र और प्रजातंत्र में एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी बात कहे, जनता को आपकी विधान सभा के सामने लाये, इस पर राज्य सरकार को हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज का समाधान करायें। यही मुझे आपसे निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** सुश्री पुष्पा जैन।

**श्री कालीचरण सराफ :** मन्त्री जी कोई जवाब नहीं देते हैं, हर जगह मालवीय नगर हो, जवाहर नगर हो, शास्त्री नगर हो, हर जगह अव्यवस्था हो रही है। सफाई की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, मिट्टी भरी हुई है। 1973 में जिन लोगों ने आवेदन किया आज तक जवाहर नगर के लिये उनको मकान नहीं दिया गया आवासन मण्डल द्वारा करीब 15 साल हो गये, उनको अलाटमेंट नहीं हुआ और उनको मकान नहीं दिये गये। कब सफाई की व्यवस्था होगी, कब पार्कों का निर्माण होगा, इनसे कुछ कहलवाइये।

**श्री उपाध्यक्ष :** सुश्री पुष्पा जैन।

**सुश्री पुष्पा जैन (पाली) :** महोदय, जयपुर से 20 किलोमीटर दूर नायला गांव की पहाड़ी पर नायला दुर्ग बना हुआ है। इसका निर्माण 150 वर्ष पहले हुआ था। यह दुर्ग निर्माण शैली का राजस्थान में आखिरी और सबसे मजबूत दुर्ग है। इसकी स्थापत्य शैली इसे दुर्गों में विशेष महत्व का बना देती है। 4 मई, 1983 को ग्रामवासियों की लगातार मांग से बाध्य होकर सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया। इसकी गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गयी। दुर्ग के तत्कालीन मालिक पी. आर. एस. ओबेराय ने पुरातत्व विभाग द्वारा आपत्ति मांगने पर भी कोई आपत्ति नहीं की और आपत्ति नहीं आने पर पुरातत्व विभाग ने इसे सरक्षित घोषित कर दिया था और अपना बोर्ड भी लगा दिया था। राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा-17 के अनुसार, किसी भी संरक्षित स्थान के विभाग की बिना अनुमति के कोई भी निर्माण, तोड़-फोड़ या मरम्मत नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले के लिये 6 माह का कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। लेकिन ओबेराय होटल प्रा. लि. ने कानून की अवहेलना करते हुए राजस्थान की समृद्ध विरासत को नष्ट करने की कोशिश की। पुरातत्व विभाग के निदेशक फणीलाल चक्रवर्ती के आदेश पर जयपुर के वृत अधीक्षक ने नायला दुर्ग का दौरा करके दिसम्बर, 1988 के आखिरी सप्ताह में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में ओबेराय के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा गया कि नायला दुर्ग में वृहत् स्तर पर निर्माण कार्य हो रहा है। यह नव निर्माण इस तरह के हैं कि नायला दुर्ग का मूल

(सुश्री पुष्पा जैन)

स्वरूप नष्ट हो जायेगा। बुर्ज व अन्य हिस्सों की दीवारों को तोड़ा गया है तथा नई दीवार व हौज वगैरह बनाये गये हैं। वृत अधीक्षक ने यह भी लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि यहां एक हैलीपेड़ का निर्माण भी कराया जा रहा है तथा एक होटल चालू किये जाने की पूरी सम्भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ध्यान रखने लायक बात तो यह है कि जांच पुरातत्व विभाग ने अपनी पहल पर या विभाग की जागरूकता के नाते नहीं करवाई थी बल्कि नायला गांव से पुरातत्व विभाग को शिकायत मिली थी कि नायला दुर्ग को होटल बनाया जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने वृत अधीक्षक की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही तब तक नहीं की, जब तक राजस्थान पत्रिका में इससे सम्बन्धित खबर व नायला दुर्ग में हो रहे निर्माण कार्य की फोटो नहीं छप गई।

इसके बाद मजबूरन पुरातत्व विभाग को जमवारामगढ़ थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करवानी पड़ी। उस एफ. आई. आर. में जहां नायला दुर्ग में चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की बात थी, वहीं स्पष्ट शब्दों में मुकदमा नं. 12/89 में इस स्मारक में बड़े पैमाने पर नवीन निर्माण, तोड़-फोड़ और स्मारक का मूल स्वरूप विकृत करने के खिलाफ कार्यवाही करने की भी बात थी। लेकिन ओबेराय से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने न केवल प्रदेश के इस महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारक में ओबेराय होटल वालों के मन माफिक काम करवाने की अनुमति दी, बल्कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार बिना कोई सरकार का फैसले हुए ही, पुरातत्व विभाग ने जमवारामगढ़ थाने को लिख दिया कि इस अभियोग में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अखबारों में इस बात की फिर आलोचना हुई तथा जमवारामगढ़ थाने में सरकार द्वारा एफ. आई. आर. वापिस लिये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति मांगी तो फिर पुरातत्व विभाग को मुंह की खानी पड़ी। जिस पुरातत्व विभाग ने 20 मई, 1989 को एफ. आई. आर. में कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए लिखा था, उसी पुरातत्व विभाग द्वारा एक सप्ताह बाद ही लिखना पड़ा कि राज्य सरकार ने मुकदमा वापिस नहीं उठाया है। इस बात की जांच किए जाने की जरूरत है कि ओबेराय से प्रभावित होकर बिना राज्य सरकार के फैसले लिए किन अधिकारियों की साजिश से जमवारामगढ़ थाने को लिखा गया था कि ओबेराय होटल प्रा० लि० के खिलाफ दर्ज अभियोग वापिस लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी पूरी सूचना है कि राज्य सरकार किसी हालत में इस मुकदमें को वापिस लेने का षड़यन्त्र रच रही है जिसके कारण ही जून, 1989 के आखिरी सप्ताह में पुरातत्व विभाग के कला एवं संस्कृति विभाग के उप शासन सचिव को लिखा है कि इस मुकदमे में हमें क्या करना है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस मामले में अब तक चालान पेश क्यों नहीं किया गया ? आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मुकदमा ओबेराय प्रा. लि. तथा वर्तमान में नायला दुर्ग के मालिक ओबेराय के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया तथा उनके कर्मचारी पंकज साबू के खिलाफ ही मुकदमा क्यों दर्ज किया गया ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

मैं स्वयं नायला दुर्ग गई, वहां जाने पर मुझे पता चला कि श्रीमती बीना कॉक भी नायला दुर्ग देखने गई थी; उन्हें वहां जाने पर कुछ खास क्यों नहीं नजर आया, यह मैं नहीं जानती। लेकिन वहां जाकर कोई भी देख सकता है कि अन्दर से काफी बड़े भाग को तोड़ा गया है तथा बुर्जों और दीवारों को छोड़कर बाकी सारे पुराने निर्माण का वहां कोई नामो-निशान नहीं बचा है। पानी की पाइप लाइनें और बिजली फिटिंग के लिये तार इस तरह से बिछाये जा रहे हैं जैसे किले के हर हिस्से में होटल के लिए कमरे इत्यादि बनाने हो। दो नई बुर्ज शैली पर आधारित आधुनिक महाराजा सुइट बनाये गये हैं, जिससे किले का सारा स्वरूप अटपटा लगने लगा है; किले के अन्दर और बाहरी पहाड़ी पर करीब दस हजार से ऊपर पेड़-पौधे वन विभाग द्वारा लगवाये गये हैं। नायला गांव में आम चर्चा है कि इस बागवानी के बदले वन विभाग का एक बड़ा अधिकारी हर महीने पांच हजार रुपये लेता है।

इस दुर्ग के अलावा नायला गांव के आस-पास काफी जमीन ओबेराय होटल वालों ने बेनामी खरीदी है। बिना सरकार की इजाजत के ओबेराय होटल वालों ने एक नया रास्ता भी तैयार करना शुरू कर दिया है। किले की स्थिति का अन्दाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिये जो एक किलोमीटर से ज्यादा लम्बा रास्ता बना हुआ है उसकी बनवाई पर ही दस लाख रुपये से कम नहीं आयेगी लेकिन यह जानकर आप चौंक उठेंगे कि पूरा का पूरा किला बिकने के बदले केवल डेढ़ लाख रुपये में ही रजिस्ट्री हो गई।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह बिना सरकार की आज्ञा के नायला दुर्ग में तोड़-फोड़ करके ओबेराय ने कानून की अवहेलना की है, उसी तरह वह अब भी लगातार राज्य सरकार का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। ओबेराय और सरकार के बीच हुए करारनामे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नायला दुर्ग का वाणिज्यिक उपयोग नहीं होगा, दूसरी तरफ ओबेराय होटल प्रा. लि. ने 65 हार्स पावर का विद्युत कनेक्शन मांगा है और उसका उद्देश्य व्यापारिक बतलाया गया है। इसके अलावा किसी भी दुर्ग का कोई होटल अपने लिए उपयोग करती है तो चाहे वह अपने अधिकारियों को रखने के लिए करें या आम आदमी को ठहराये, वह वाणिज्यिक उपयोग ही कहा जायेगा। मुझे पता चला है कि ओबेराय होटल वालों ने राज्य सरकार को लिखकर दिया है कि हम इसे होलीडे होम बनायेंगे। किसी भी होटल का होली-डे होम सिवाय वाणिज्यिक उपयोग के अलावा अन्य किसी परिधि में लिया जाना महज मजाक ही कहा जायेगा। ओबेराय होटल वालों ने सरकार से करार कर रखा है कि यहां पर्यटकों को जाने की निःशुल्क सुविधा रहेगी लेकिन मेरे से पहले किसी आमजन, यहां तक कि पत्रकारों को भी दुर्ग में प्रवेश करने से रोका जाता रहा है। ओबेराय होटल वालों ने वहां सशस्त्र प्रहरी लगा रखे हैं जो राज्य सरकार और ओबेराय के बीच हुए करार की खुलें आम मखौल उड़ाते रहते हैं। इन सारी अनियमितताओं और कार्यकलापों से जाहिर होता है कि वह लापरवाहियां सब जानबूझ कर बरती गई है। मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि श्रीमती बीना काक, जो इस

(92)



(सुश्री पुष्पा जैन)

विभाग की प्रभारी मन्त्री हैं व उनके पति की विदेश यात्रा व वहां की खरीद-फरोख्त इस अनियमितता से ही मिला लाभ है।

अत: मेरा मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन है कि इस सारे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाये क्योंकि इस नायला दुर्ग के घपलों में श्रीमती बीना काक ही नहीं, पर्यटन मन्त्री सुश्री गिरिजा व्यास व कई अधिकारियों के भी नाम जुड़े हुए हैं। अत: मुख्य मन्त्रीजी इस सारे प्रकरण की न्यायिक जांच करवायें.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज कम्पलीट इट। नोबोडी एल्स।

**सुश्री पुष्पा जैन** : एवं साथ ही इस सदन को जानकारी कराएं कि नायला दुर्ग में यह सारी अनियमितताएं क्यों हुई ? किसके कहने पर हुई तथा इसकी जांच कब तक करवाई जायेगी ? धन्यवाद।

**सदन की मेज पर रखा जाने वाला प्रतिवेदन**

**राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. का 27वां प्रतिवेदन 1987-88**

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। माननीय सुश्री गिरिजा व्यास।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में दो बातें बहुत गम्भीर हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। गिरिजा जी, आप बोलिये। मैं आप से बोल रहा हूं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहती हूं ...

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं। आई डोन्ट अलाऊ। प्लीज सिट डाउन। नॉट टू बी रिकोर्डेड।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। सुश्री गिरिजा व्यास।

**सुश्री गिरिजा व्यास** (राज्य मन्त्री, वित्त) : महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1987-88 सदन की मेज पर रखती हूं।

**अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण**
**मांग संख्या 33 एवं 30 की प्रस्तुति**

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री जी। बोलिये आप। मांग रखिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इनकी आवाज में सारी बात दब गई ? मन्त्री महोदय ने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : शी केप्ट ऑन इट, प्लेट् अप। पत्र रखा है उन्होंने।

**श्रीमती कमला भील** (समाज कल्याण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 61 करोड़ 40 लाख 93 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला भील)

द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री भैरूंलाल मीणा ।

**श्री भैरूंलाल मीणा (राज्य मन्त्री जनजाति क्षेत्रीय विकास) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 72 करोड़ 25 लाख 48 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ।

**मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

**श्री चन्द्र शेखर (खैरथल) :**

1. अलवर, खैरथल जैसे बड़े कस्बों में हरिजनों को गन्दगी से छुटकारा दिलाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

(1) **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) :

(2) **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) :

(3) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) :

2. सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, अपाहिज, अपंग, पेन्शन में विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुण्डावर) :

(2) **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी):

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को गरीबी की रेखा से उपर उठाने के लिए सुविधाओं की बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये ।

4. विधवा तथा आश्रयहीन महिलाओं को दी जाने वाली पेन्शन में बढ़ोतरी नहीं की जाने से उत्पन्न सकट पर चर्चा के लिये ।

5. झुन्झुनू जिले के चिड़ावा तथा बिसाऊ नगरों में हरिजन छात्रावास बनाये जाने अथवा वहां पर निजी संस्थाओं को सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :**

6. जिला अलवर के मुण्डावर मुख्यावास पर छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुण्डावर) :

(2) **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी):

7. पोषाहार का समुचित वितरण होने और संतुलित आहार की व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :**

8. हरिजन मोहल्लों में विभाग द्वारा गोबर गैस संयंत्र एवं सौ[illegible] सुविधा की योजना बनाक[illegible]

(97)



(श्री महेन्द्र शास्त्री)

न्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा जिला बीकानेर की हरिजन बस्तियों में पानी, बिजली, सड़क तथा आवासीय सुविधाएं मुहैया कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

10. विकलांगों तथा अंधे लोगों को सहायता दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

11. विधवाओं को कपड़ा सिलाई मशीनें व अन्य सुविधाएं देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

12. कमजोर तबके के साथ हो रहे अन्याय के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से रोकथाम नहीं करने से उत्पन्न असंतोष और रोष पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) :

13. ग्राम नाजिमपुरा (अलीपुरा) पंचायत समिति हिण्डौन सिटी की अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती में नलकूप नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

14. आंगनबाड़ियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

15. पोषाहार कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

16. बालोतरा नगर की हरिजन बस्ती में पेयजल एवं नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

17. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश आंगनबाड़ियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

18. पचपदरा गांव में सभी पोषाहार केन्द्रों पर ऊंची जाति के एवं पैसे वालों का संचालन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. पचपदरा विधान सभा के गांव खारड़ा भारत सिंह एवं डेढ ढाणी (मुगड़ा पंचायत) में भीलों की बस्ती में पेयजल की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

20. पचपदरा के समाज कल्याण छात्रावास के चार कमरों वाले भवन के 2 कमरों में, 35–40 छात्राओं के आवास से उत्पन्न असुविधा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. बालोतरा स्थित किराये के समाज कल्याण छात्रावास की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने व सुविधा रहित होने से हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

22. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में भीलों तथा अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की अत्यन्त दयनीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

23. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गरीब असहाय तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के विकास एवं उत्थान के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

24. तहसील नोखा जिला बीकानेर के 15 हजार घरों की आबादी वाले गांव में समाज कल्याण छात्रावास खोलने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

25. बज्जू में अभी तक छात्रावास नहीं बनने से छात्रों के रहने में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

26. गांव बज्जू, तेजपुरा, मोठायत, गोडू, माणकासर के हरिजन मोहल्लों में समस्त सुविधाएं मुहैया कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

27. जिला बीकानेर के समाज कल्याण छात्रावासों में बच्चों को पढ़ाई हेतु किताबें व स्टेशनरी तथा खाना, कपडा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

28. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को विभागों में सर्विस न दिला सकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) :

29. ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में भी शहरों की भांति सड़क, शौचालय, बिजली आदि की समुचित व्यवस्था करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

30. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. ग्रामीण छात्रों के लिये स्कूलों में छात्रावास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) :

32. नारी शालाओं में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

33. अस्पर्शता निवारण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

34. दहेज कुप्रथा को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

35. महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी से हो रहे जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

36. आंगनबाड़ियों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था के कारण बढ़ते हुए असंतोष पर चर्चा के लिये ।

(1) श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

(2) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

37. आरक्षण का आधार आर्थिक सर्वेक्षण के बिना विशेष आधार बनाने चयन किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री हीरासिंह चौहान)

38. कमजोर एवं निर्धन लोगों की सुनवाई तत्परता से करने के लिये सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देकर पालना रिपोर्ट ली जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

39. समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य की योजनाओं से उचित लाभ दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सौलंकी (सिरोही):

40. सिरोही छात्रावास की शीघ्र मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. सिरोही नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति निगम द्वारा निर्मित दुकानों का आवंटन नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

42. शिवगंज तहसील के कैलाश नगर में स्वीकृत अनुसूचित जाति छात्रावास के भवन निर्माण कराने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।

43. शिवगंज अनुसूचित छात्रावास के भवन की मरम्मत नहीं कराने से छात्रों में उत्पन्न असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये।

44. सिरोही समाज कल्याण कार्यालय में जीप आवंटन नहीं करने से जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कार्यक्रमों की क्रियान्विति का सही आंकलन नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. सिरोही जिले में रिक्शों को अनुसूचित जाति के अधिक लोगों में आवंटन कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन):

46. धार्मिक स्थलों को सार्वजनिक घोषित कर सभी जातियों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

47 ग्रामीण क्षेत्रों के दलित, विकलांग, अनुसूचित जाति व जनजाति एवं गरीब महिलाओं को लघु उद्योगों हेतु ऋण व अनुदान विशेष अभियानों द्वारा दिलाया जाकर इनका जीवन स्तर सुधारने पर चर्चा के लिये।

48. छुआछूत कानून को कड़ाई से लागू नहीं करने के फलस्वरूप समाज में पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हो रहे अपमान पर चर्चा के लिये।

49. विभाग में आरक्षण कोटा पूरा नहीं करने से असमानता एवं बेरोजगारी की स्थिति से गरीब अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को सामाजिक उपेक्षा का शिकार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. अनुसूचित जाति के लिये बनाई गई सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार होने से दलित समाज को वांछित लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

51. अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को पर्याप्त स्थान देकर समाज में समानता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. ग्रामीण कुटीर उद्योगों में गरीब महिला एवं अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देकर आर्थिक सहयोग दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

53. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण हेतु हर माह समीक्षा करने एवं अनुसूचित जाति के अधिकारियों को इस पर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. अनु. जाति की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं गृह कार्यों आदि का विशेष प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर प्रति वर्ष दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. सामाजिक सुधार हेतु विभाग द्वारा धार्मिक उत्सवों राजनैतिक एवं राष्ट्रीय उत्सवों पर सर्वधर्म एवं जातियों के लोगों का सामूहिक खान-पान, कीर्तन-भजन, दर्शनादि कार्यक्रम रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

56. प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिये विकास योजनाओं की क्रियान्विति में विभागीय उदासीनता से उत्पन्न चिन्ता पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में दूर दराज के ग्रामीण अंचलों जंगलों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए विभिन्न वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिये कोई ठोस कार्यक्रम न होने पर चर्चा के लिये।

58. ग्रामीण अंचलों के अनुसूचित जातियों जनजातियों के मौहल्लों में पोषाहार केन्द्र नगण्य होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर के ग्राम चीकली के हरिजन मौहल्लों में हैण्ड पम्प न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर में ग्राम चीकली के हरिजन मौहल्लों के निवासियों को केन्द्रीय सरकार की योजना के तहत एक पाइंट विद्युत कनेक्शन दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

61. कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम काचरा के हरिजनों को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजना के तहत एक पाइन्ट विद्युत कनेक्शन दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

62. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों को बिजली की दरों में कोई रियायत दिलाने की योजना बनाये जाने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

63. झालावाड़ जिले के खानपुर छात्रावास एक सीलन भरे अंन्धेरे भवन में कार्यरत होने पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीश शर्मा)

64. समाज कल्याण के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को पर्याप्त भोजन, कपड़े, पुस्तकें, कापियां आदि सामग्री न देकर अधीक्षकों द्वारा राशि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

65. प्रदेश में संचालित किये जा रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों की नियमित जांच देखभाल की कोई ठोस व्यवस्था न होने से बढ़ रहे असन्तोष एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

66. प्रदेश में स्थित नारी शालाओं में रह रही आवासनियों के साथ बढ़ रहे बलात्कार एवं अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

67. प्रदेश की नारी शालाओं में रह रही आवासनियों के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

68. विभाग में पद रिक्त होने पर भी बेरोजगार पढ़े लिखे स्नातक, स्नातकोत्तर आई. टी. आई. डिप्लोमा होल्डर एवं बी. एड. आदि की योग्यताधारी अनुसूचित जाति/जनजाति के युवकों को नौकरियां दिलाने में विभाग द्वारा ठोस योजना बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

69. ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ रहे हरिजनों पर अत्याचार तथा हरिजनों की शादी ब्याह में किये जा रहे दुल्हों के साथ दुर्व्यवहार एवं बढ़ रही छुआछूत को रोक पाने में विभाग द्वारा व्यापक योजनाबद्ध कार्यक्रम की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये ।

70. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की समय के साथ परिभाषाएं नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) :

71. अनुसूचित जाति के राजकीय छात्रावास बड़ू में छात्रों की वृद्धि कराने हेतु चर्चा के लिये ।

72. अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावासों को राजकीय छात्रावासों में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. अनुसूचित जाति की छात्रावास योजना के अन्तर्गत, महंगाई देखते हुये प्रति छात्र दी जाने वाली राशि की दर में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को पूर्व में मैट्रिक छात्रवृत्ति में कक्षावार और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मोहनलाल चौहान)

76. विशेष न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वाहनों के भुगतान हेतु अधिक बजट प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

77. ग्रामीण अंचलों में हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

78. अनुसूचित जाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिलाने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. ग्रामीण अंचलों में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति का निदेशक नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की सही क्रियान्विति कराने के लिये सचिवालय स्तर पर विजिलेन्स शैल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**(1) श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ):**

**(2) श्री हरीश शर्मा (खानपुर):**

82. अनुसूचित विकास निगम सहकारी लिमिटेड द्वारा सन् 1986 में आटो-रिक्शा स्कीम में आटो अब तक उपलब्ध नहीं कराने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण हेतु आवंटित बजट का दुरुपयोग कर कल्याण कार्यों में नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. ग्राम कोबलेश्वर थाना सैंथल (दौसा) के कोली परिवारों को सवर्णों द्वारा मारपीट कर भगा देने व उनकी पारिवारिक जायदाद पर कब्जा कर लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को कोई भी रोजगार उपलब्ध न करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री मुलताना राम (जैसलमेर):**

86. समाज कल्याण विभाग का प्रशासनिक खर्चा कम करने हेतु कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. जैसलमेर जिले में राजस्थान अनुसूचित जाति निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा दुकानें आवंटन, रिक्शा दिलाने, सामुदायिक कुएं बनाने, सामुदायिक भवन निर्माण आदि की लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. राजस्थान अनुसूचित जाति निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु प्रचार नहीं करने से लक्ष्य पूर्ति नहीं होने से कोई लाभ नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री मुल्ताना राम)

89. समाज कल्याण बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं होने से सदस्यों में रोष उत्पन्न होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब वर्ग को न्याय दिलाने में पर्याप्त सहायता नहीं करने पर चर्चा के लिये।

91. राजस्थान में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के श्रमिकों को विभाग द्वारा पंजीयन कराने एवं उन्हें नियमित रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहने पर चर्चा के लिये।

92. जैसलमेर शहर और पोकरण कस्बे के गरीब वर्ग के वार्डों में आंगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. महिला पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जिले में संचालन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन करने हेतु चर्चा के लिये।

94. महिला बाल पोषाहार कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने पर चर्चा के लिये।

95. विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर के विकलांगों, दलितों एवं महिलाओं को श्रम और रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास हेतु सक्रिय एवं कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. जैसलमेर जिले में ग्राम रामगढ़ में राजकीय छात्रावास भवन निर्माण शीघ्र कराने की चर्चा के लिये।

98. राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

99. जैसलमेर जिले में छात्रावास भवन की व्यवस्था नहीं होने से छात्रों को हो रही आवासीय असुविधा पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :**

100. महिला सदनों में सरकार द्वारा कराये गये आवासनियों के विवाह का मूल्यांकन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

102 समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न निजी संस्थाओं को दिये गये अनुदानों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

103. आंगनबाड़ी कार्यक्रम में घटिया स्तर की खाद्य सामग्री वितरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. राज्य में विभिन्न स्थानों में पोषाहार कार्यक्रम के लिये की गई खरीदों में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।

105. विभिन्न नारी शालाओं के किस्से की जांच रिपोर्टों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती विद्या पाठक)

106. अजमेर नारी शाला में आवासनियों का शोषण और अत्याचार रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

107. जयपुर महिला सदन में अभी हाल ही में आवासिनी की मृत्यु के सन्दर्भ में सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

108. भरतपुर महिला सदन में न्यायाधीश एवं अदालत के आदेशों के बावजूद सुधार कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**(1) श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :**

**(2) श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय):**

109. जयपुर जिले की तहसील चाकसू के ग्राम कोटखावदा में नट जाति को उनके संस्कार सुधार एवं सामाजिक उत्थान के लिये विभाग द्वारा कोई योजना कार्यक्रम नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

110. जयपुर जिले में पिछड़ी जाति के सांसी परिवार के सामाजिक उत्थान व रोजगार के लिए विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी जा रही स्कूल ड्रेस का कपड़े व सिलाई घटिया होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :**

112. राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारने बाबत चर्चा के लिये।

113. गरीब व अनुसूचित जाति व जनजाति के ग्राम स्तर व्यक्ति को राज्य सरकार की सहायता पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. राज्य सरकार द्वारा अपंगों निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों को रोजगार देने को समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :**

115. विभाग द्वारा विकलांगों को निर्धारित कोटे के अनुसार नौकरियों में सम्मिलित कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

116. विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावासों में हो रहे घोटालों पर चर्चा के लिये।

117. विभाग के अनुदानित छात्रावास के पुराने अनुदान को नहीं दिये जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :**

118. घड़साना-राजियासर-रावला हैड 365 समाज कल्याण की तरफ से होस्टल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तथा विजयनगर में छात्रावासों के निर्माण

(श्री हंसराज मिढ़ा)

में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

120. राज्य सरकार द्वारा सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अपंग, निर्धन, निराश्रित तथा महिलाओं के कल्याण हेतु विभाग को पर्याप्त धन राशि आवटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) :**

121. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ सवर्णों द्वारा शादी ब्याह में भेद-भाव बरतने में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ मार-पीट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ छुआछूत बरतने पर चर्चा के लिये।

124. अनुसूचित जाति की महिलाओं को गृह शिक्षा रोजगार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

125. सरकारी नौकरियों में सरकार द्वारा आरक्षण का झूठा प्रलोभन आदि देने की चर्चा के लिये।

126. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ सरकारी नौकरी में अधिकारियों द्वारा छुआछूत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की ढाणियों में समुचित सुविधाएँ उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

128. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ग्रामों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र विचार प्रकट न करने के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार को रोकने हेतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ प्राथमिक पाठशालाओं में भी बैठने की व्यवस्था पर भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के हैण्ड पम्पस् से पानी नहीं भरने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

132 राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

133. ग्रामीण गरीब एवं अनुसूचित जाति के लोगों को धार्मिक स्थानों पर विभाग द्वारा समानता का अधिकार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. समाज कल्याण में गरीब, अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को आर्थिक

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल):

सहयोग देकर समानता बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) :

135. पंचायत समिति सिकराय में सिडीपियो नहीं लगाकर महिला पोषाहार कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. घुमक्कड़ जाति, नट, जाति, बंजारा, कालवेलिया आदि जातियों के लिये विशेष लाभान्वित परियोजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

137. तहसील सिकराय में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये छात्रावास भवन नहीं बनाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

138. जयपुर जिले की पंचायत समिति सिकराय एवं बांदीकुई में पोषाहार कार्यक्रम में गड़बड़ी करने के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्परता से कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण इस प्रवृति को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

139. जयपुर जिले की तहसील बस्सी एवं चाकसू में विमुक्त व घुमक्कड़ जाति बावरिया, मोग्या आदि जातियों के लिये विशेष समन्वित परियोजना नहीं बनाए जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(1) श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

(2) श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) :

140. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के अनुसूचित जनजाति के लिये समेकित जनजाति विकास परियोजना नहीं बनाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

141. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में बस्सी छात्रावास में छात्रों को नहीं रखने व केवल 4 छात्रों को रखकर पूरे छात्रों का प्रवेश बताकर उन पर खाना, कपड़े व अन्य सुविधाओं की राशि का अप्रत्येक्ष गबन करने पर चर्चा के लिये।

142. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब परिवारों के उत्थान एवं उन्हें स्व-रोजगार में जोड़ने के लिये विभाग द्वारा विशेष योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

143. जयपुर जिले में न अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की तहसील बस्सी एवं सिकराय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गृह विहीन लोगों को गृह निर्माण हेतु अधिक लक्ष्य नहीं रखे जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

144. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अनुसूचित जाति छात्रावास बांसखो में छात्रावास भवन नहीं बनाने एवं तूंगा में छात्रावास आरम्भ नहीं किए जाने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

145. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में पोषाहार कार्यक्रम में गड़बड़ी करने के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्परता से कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण इस प्रवृति को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये ।

**मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव**

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :**

1. जनजाति निगम विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं की जा रही अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर):
(2) **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) :
(3) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़):

2. जनजाति योजनाओं हेतु आवंटित की गई राशि के दुरूपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :**

3. समाज कल्याण छात्रावास–देसूरी (पाली) का भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

4. तहसील देसूरी मुख्यालय पर बाल विकास एवं पोषाहार केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :**

5. विकास विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षित कोटा पूर्ण करने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) :
(2) **श्री केदार नाथ शर्मा** (गंगानगर):

6. जनजाति क्षेत्रों के विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :**

7. विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा के आदिवासी गांव में बिजली नहीं देने से आम लोगों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

8. जिला बांसवाड़ा के आदिवासी गांवों में सड़कें नहीं बनाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

9. जिला बांसवाड़ा के जनजाति क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) :
(2) **श्री केदार नाथ शर्मा** (गंगानगर):

10. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने हेतु जनजाति विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

11. राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) :

12. जनजातिय क्षेत्रों में चलने वाली योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) :

(2) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) :

13. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शिक्षा के लगातार गिरते स्तर पर सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण बरताव करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) :

14. अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिये कोई कल्याणकारी कार्य चालू नहीं किये जाकर प्राप्त धनराशि का अधिकारियों व लीडरों द्वारा 50 प्रतिशत का दुरूपयोग करने पर चर्चा के लिये।

15. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार कार्यों में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) :

16. उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास में विभागीय शिथिलता एवं लालफीताशाही के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को पदस्थापित नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. लिमड़ी पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर के आश्रम विद्यालय भवन के तैयार हो जाने के उपरान्त भी छात्रों के प्रवेश अभी तक प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) :

19. खमनोर पंचायत समिति में रहने वाले आदिवासियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) :

20. आदिवासियों, कमजोर वर्गों एवं पिछड़ी जातियों के आर्थिक उत्थान के लिये ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सुविधा देने हेतु चर्चा के लिये।

22. पिछड़ी जाति के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी) :

23. जनजाति क्षत्रीय विकास योजनाओं की ग्राम जनता को समुचित जानकारी देने एवं आदिवासियों को लाभान्वित करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामलाल सोलंकी** (सिरोही) :

24. सिरोही जिले की बिखरी जनजाति को बैंक के ब्याज में छूट दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(106)



(श्री रामलाल सोलंकी)

25. बिखरी जनजाति के लोगों को मिलने वाले लाभों को सिरोही एवं शिवगंज तहसील के जनजातिय व्यक्तियों को लाभ नहीं देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

26. नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के चयनित परिवारों को ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उभरते असंतोष पर चर्चा के लिये।

27. लघु सिचाई योजनान्तर्गत दरबारी खेड़ा, रोबाडा, महादेव नाला बांधों का शीघ्र निर्माण करवा कर बिखरी हुई जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना):

28. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में जनजाति के ग्राम नया बास को लोन व विकास योजनाओं से वंचित रखने पर चर्चा के लिये।

29. जनजाति क्षेत्र के विकास में बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30 जमवारामगढ़ तहसील के मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में माडा योजना के तहत कार्यक्रम लागू न किये जाने से योजना की विफलता पर चर्चा के लिये।

31. पिछड़ी जातियों के लिये निश्चय के बावजूद अन्य पिछड़ी जाति मण्डल के गठन में की जा रही देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

**श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :**

32. आदिवासी क्षेत्रों में महिला शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं पारिवारिक सुधार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जनजाति बाहुल्य केशवराय पाटन तहसील में उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

34. आदिवासी क्षेत्रों में वन एवं खनिज आधारित उद्योग लगा कर नवयुवकों को रोजगार मुहैय्या करवाने पर चर्चा के लिये।

35. आदिवासी नवयुवकों को रोजगार मुहैय्या करवाने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाने एवं ऋण व अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. आदिवासी क्षेत्रों में हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

37. आश्रम स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार से आदिवासी छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

38. केशवराय पाटन जनजाति बाहुल्य तहसील में माडा योजना द्वारा लघु सिचाई एवं जलोत्थान योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

39. बून्दी जिले की जनजाति बाहुल्य केशवराय पाटन तहसील में माडा योजना द्वारा बकाया गांवों का विद्युतिकरण कर सहयोग करने पर चर्चा के लिये।

40. जनजाति क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग लगाकर उपेक्षित एवं पीड़ित आदिवासियों को सहयोग दिया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :**

41. आदिवासियों की सुरक्षा करने एवं कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :**

42. प्रदेश के दूर-दराज में बस रहे आदिवासियों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में इसाई मीशनरियों द्वारा किये जा रहे तेजी से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभावी कदम न उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के आदिवासियों, जनजातियों में इसाई मीशनरियों द्वारा विद्यालय, चिकित्सालय खोलकर परोपकार के नाम पर किये जा रहे धर्म परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के लिए नगरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें न होने तथा हर गांव में विद्यालय न होने पर चर्चा के लिये।

45. जनजातियों के विकास के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनिकी का प्रयोग न करने पर चर्चा के लिये।

46. आदिवासी क्षेत्रों की लोक कलाओं एवं नृत्यों को संरक्षण न मिलने पर चर्चा के लिये।

47. शाहबाद एवं किशनगंज की कृषि भूमि पथरीली होने तथा सिंचाई के साधनों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. कोटा जिले की तहसील शाहाबाद एवं तहसील किशनगंज के गांवों में शिक्षा के लिये भवनों का प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये।

49. तहसील शाहबाद के युवकों एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिये स्टेडियम एवं पंचायत स्तर पर खेल केन्द्र न होने पर चर्चा के लिये।

50. शाहबाद तहसील में चिकित्सा के लिये पंचायत स्तर पर डिस्पेन्सरीज तथा अन्य आवश्यक साधन न होने पर चर्चा के लिये।

51. तहसील शाहबाद एवं किशनगंज के घरहीन आदिवासियों को सस्ते एवं सुन्दर आवास उपलब्ध न करवाने पर चर्चा के लिये।

52. तहसील शाहबाद एवं किशनगंज में पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की

(श्री हरीश शर्मा)

व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

53. शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्र के पढ़े-लिखे आदिवासी युवकों के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

54. शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में वनों पर आधारित उद्योग धन्धे न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

55. शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में मछली पालन व्यवसाय को संरक्षण एवं सहायता न मिलने पर चर्चा के लिये ।

56. किशनगंज तहसील के पर्यटन स्थान कन्या दह एवं कपिल घाटा तथा शाहबाद तहसील के सीता बाड़ी कुल्डासो का विकास न करने पर चर्चा के लिये ।

57. शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में एक ही परिवार की कार्यरत सहकारी समिति द्वारा आदिवासियों की जमीनें एवं सम्पत्ति हड़पने पर जाने पर चर्चा के लिये ।

58. शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सभी पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ने से उत्पन्न जनरोष पर चर्चा के लिये ।

59. शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के आदिवासियों के लिये राज्य सरकार द्वारा यातायात, मनोरंजन, शिक्षा तथा सूचना के पर्याप्त साधन जारी न कर सकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60. शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा हर वर्ष दिये जा रहे धन (राशि) का अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग कर लेने पर चर्चा के लिये ।

61. शाहबाद एवं किशनगंज क्षेत्रों में डेयरी विकास के प्रचूर साधन होने पर भी डेयरी विकास नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

**(1) श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ):**

**(2) श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :**

62. अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि पर दिनो-दिन सवर्णों द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कब्जों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

63. जनजाति क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य बीज व कीटनाशकों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

64. विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न सेवाओं में रिक्त पड़े आरक्षित पदों पर विशेष अभियान चलाकर पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

65. जनजाति कृषकों द्वारा ट्रेक्टर डीलर को राशि जमा कराने के बावजूद समय पर ट्रेक्टर उपलब्ध न कराने पर विभाग द्वारा आवश्यक सहायता नहीं कर पाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

66. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विश्व खाद्यक्रम परियोजना के तहत श्रमिकों को कोई सुविधा उपलब्ध न करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. जनजाति क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का द्रुतगति से नहीं चला पाने के कारण फैली बेरोजगारी एवं भुखमरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बेरोजगारी मिटाने के लिए श्रम प्रदान बड़े उद्योगों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. जनजाति क्षेत्र में शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा एवं शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त विद्युतिकरण नहीं करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मत्स्य विभाग हेतु, बीज तैयार करने में तथा दूषित पानी को समाप्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या के अनुपात में अपर्याप्त दुकानें उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर के कार्यालय में सभी वर्गों के पदों में आरक्षित कोटा नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर की आवासीय योजनाओं में अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायत ऊकरूंद में स्वीकृत वानिकी नर्सरी को सवर्ण बाहुल्य ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग में स्थानान्नरित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायत बाड़ाबुजुर्ग तहसील महुआ में वानिकी कार्यक्रम में वृक्षारोपण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. अनुसूचित जनजाति परिवारों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र गंगापुरसिटी के स्कूल में विज्ञान संकाय उपलब्ध नहीं करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को आवास व वाहन हेतु विशेष ऋण व्यवस्था नहीं करा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पिलोदा (पंचायत समिति गंगापुर-सिटी) को दीर्घावधि से सड़क से नहीं जोड़ पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(110)



(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

81. जनजाति क्षेत्रों में सरकार द्वारा पर्यटन की कोई सही व्यवस्था नहीं कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर गंगापुर सिटी में सवर्ण द्वारा 'लाल मन्दिर टाकीज' के नाम से कब्जा कर सिनेमा हाल बना लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुल्तानां राम (जैसलमेर):

83. जैसलमेर जिले में सीमान्त एवं रेगिस्तानी आदिवासी (भीलों) के लिये योजनाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल):

84. बांसवाड़ा जिले में जनजाति किसानों पर सेटलमेंट (पेमाइस) के अभाव में 60,000 (साठ हजार) नाजायज मामलों द्वारा 21,78,515 रु. पैनल्टी की वसूली बाबत चर्चा के लिये।

85. जिला बांसवाड़ा के नियोजन कार्यालय से आदिवासियों को समय पर एम्प्लायमेंट नम्बर जारी नहीं करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

86. पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में पोषाहार ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्राम सेविका द्वारा वर्ष 1987–88 में जनजाति की महिलाओं की आड़ में 4,00,000 (चार लाख) रुपयों का घोटाला किया उस पर चर्चा के लिये।

87. जिला बांसवाड़ा के 1463 ग्रामों का सर्वे करा, हैण्ड पम्प लगाने की चर्चा के लिये।

(1) श्री कुबेर सिंह (फलासिया):
(2) श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा):
(3) श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया):
(4) श्री सूरमा राम (पिण्डवाड़ा):
(5) श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी):

88. जिला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में चल रहे आदिवासी छात्रावास भवनों की जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण उनकी मरम्मत कराने की चर्चा के लिये।

89. आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये।

90. आदिवासी क्षेत्रों में अधूरे पड़े एनीकटों को पूरा कराने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

(1) श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा):
(2) श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी):

91. गोगुन्दा एवं कोटड़ा आदिवासी क्षेत्र के समाज कल्याण छात्रावास भवनों की मरम्मत नहीं होने की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर विभाग का नियन्त्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(111)

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

93. आदिवासी किसानों को समय पर खाद बीज नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. आदिवासियों की ढाणियों एवं गांवों में विद्युतिकरण पर अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :**

95. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में रिहायसी प्लाटों पर मकान बनाने के लिये सहायता न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :**

96. समाज कल्याण विभाग द्वारा तहसील बस्सी में बिखरी जनजाति आबादी वाले ग्राम बड़वा, नांगल बोहरा, किशनपुरा, अपेटरा, कानेटा, झाझवाड़, दौपुर में पानी खारा व जहरीला होने के कारण एवं पीने योग्य पानी का अन्य स्रोत नहीं होने पर भी तथा पी. एच. ई. डी. के नियम व मापदण्डों में आने के बावजूद इन ग्रामों को जटवाड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से पाइप लाइन डालने व टांके बनाने का प्रस्ताव जिला विकास अभिकरण द्वारा विभाग को भिजवाने की असफलता पर चर्चा के लिये।

97. ग्रामीण विकास एवं पंचायत विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण आवास के लिये गरीबों को छप्पर के लिये 750 रुपये की अपर्याप्त सहायता दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

98. तहसील बस्सी में जनजाति के लघु व सीमान्त कृषकों के कुएं जो पड़त में हैं उनमें ब्लास्टिंग व बोरिंग के लिये जिला विकास अभिकरण द्वारा भू-जल विभाग को देने तथा कार्य समय पर नहीं करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

99. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के साढ़ा क्षेत्र में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण 90 प्रतिशत सिंचाई के कुंए सूख जाने पर भी निःशुल्क बोरिंग व ब्लास्टिंग के लिये कृषकों के पड़त कुओं को सर्वे नहीं कराये जाने व पर्याप्त स्वीकृति जिला विकास अभिकरण जयपुर द्वारा नहीं दिये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

100. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के आदिवासी परिवारों का पुनर्वास सहायता योजना में सहायता से वंचित रखने पर चर्चा के लिये।

101. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को छोटी परचूनी दुकानों हेतु 2000 रुपये का सामान अनुदान के रूप में क्रय नहीं करवाये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

102. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में मिनी आई. टी. आई. स्वीकृत नहीं कर व्यवसायिक प्रशिक्षण से वंचित रखने के क्रम में चर्चा के लिये।

**श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :**

103. केशवरायपाटन जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों के अभाव से उत्पन्न जन समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री नवनीतलाल निनामा (घाटोल) :**

104. आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 33 एवं 30 पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री देवेन्द्र कुमार मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री चन्द्रशेखर। (खैरथल) (अनुपस्थित)

माननीय श्री रतन लाल ताम्बी।

**श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या 30 और 33 पर विचार कर रहे हैं और जब हम इन मांगों पर विचार करते हैं तो सहसा हम समाज के उस उपेक्षित, पिछड़े और पददलित तबके के बारे में आज की सामाजिक और राजनैतिक ढांचे में जो उनकी स्थिति है, उसका चित्रण हमारे सामने उपस्थित होता है। यह सही है कि आजादी से पहले इन वर्गों की बड़ी उपेक्षा हुई, इनसे बैठ-बेगार ली जाती थी। सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह पिछड़े रहे थे। किन्तु आजादी के आंदोलनों के साथ-साथ जब इन लोगों की यातनाओं और स्थिति पर आजादी के आंदोलन में काम करने वाले लोग महसूस करते तो ज्योंहि यह प्रजातंत्र आया, इन पिछड़े हुए तबकों के लिए एक वरदान के रूप में समय आया। हमारे संविधान में भी उनकी सुरक्षा के लिए गारण्टी दी गई और उसके बाद कई प्रकार की योजनाएं बनी जिनके आधार पर उनके उत्थान की दिशा में सोचा गया। आज हमारे सामने प्रश्न इस बात का है कि इतनी योजनाओं के बाद भी क्या हम इस समाज में पिछड़े और उपेक्षित तबके का सामूहिक रूप में विकास कर पाये हैं और जितनी योजनाएं इनके लिए लागू हैं, उनका उन तक सही ढंग से लाभ पहुंच पाया या नहीं। इस बात को देखने की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कहता, हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि गरीबी की रेखा में चयनित लोगों में अधिकांश प्रतिशत आदिवासियों का नहीं, उन लोगों का है। उन लोगों तक सरकार की योजनाओं का या अनुदान का पैसा, पहुंचता है तो वह 15-15 प्रतिशत पहुंचता है तो यह हमारी चिन्ता का विषय है। इस परिपेक्ष्य में हम इन योजनाओं को देखें तो हमको देखना होगा कि इन योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आना चाहिए, जो काम होना चाहिए वह उस प्रकार नहीं हो रहा है। इस प्रकार जो अब तक हुआ वह समय निकल गया। अब तो अगले वर्ष का बजट हम पास कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में इन सब बातों को देखने की आवश्यकता महसूस की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन गांवों की ओर में, मुझे कई गांवों में जाने का मौका मिला तो मेरे सामने ऐसा सवाल और दृश्य आया कि उस गांव के गरीब रेगर, चमार, बलाई, भील उन लोगों के नाम चयनित लिस्ट में नहीं पाये गये और ऐसे लोग भी सामने आये जिनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, कुवे और जमीन भी है, वह चयनित हो गये। इस चयनित की परिभाषा में ऐसे लोग लाभ उठा गये। इसलिए मैं समाज कल्याण विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग को मैं सबसे पहले सुझाव देना चाहूंगा कि वह अपनी एजेंसियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम का, इन लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण कराये और आर्थिक सर्वे-

(श्री रतन लाल ताम्बी)

क्षण के आधार पर उनको चयनित प्रक्रिया में शामिल करें ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। एक तो मेरा यह सबसे बड़ा और प्रमुख सुझाव है जिस पर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां पर लगभग 22 प्रतिशत ट्राइबल लोग हैं और लगभग 16 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग वहां निवास करते हैं। उन लोगों को मैं देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा जनजाति विकास विभाग की बात को, कि माडा योजना का जो कार्यक्रम चलता है उसको लेकर अपनी बात कहना चाहूंगा कि आज माडा क्षेत्र का निर्धारण जो होता है उसमें जिस गांव में जनसंख्या ज्यादा होती है उन गांवों का तो हम चयन कर लेते हैं मगर कुछ कम जनसंख्या के गांव हैं तो उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। बिखरी हुई जनजातियों के नाम से कुछ योजनाएं बनाने की बात तो होती है परन्तु बहुसंख्यक समाज के लोग जो बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए होते हैं, जनजाति क्षेत्रों में वह इन योजनाओं को समझ लेते हैं और पहुंच जाते हैं बाकी पिछड़े हुए लोग हैं वह इन योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिखरी हुई जनजातियों के विकास के लिए भी हमें विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की बात के साथ जब शैक्षणिक विकास करना चाहते हैं तो छात्रावासों की एक अच्छी व्यवस्था है। जिसके माध्यम से कई छात्र जो पढ़ नहीं सकते थे, पढ़कर आगे बढ़े है परन्तु छात्रावासों के नाम पर जो कुछ व्यवस्था है वह हम देखते हैं तो बड़ा तरस आता है कि राजकीय छात्रावास और दूसरे लोग जो छात्रावास चलाते हैं उनके बीच में बड़ा अन्तर है। एक मेरा कहना है कि इस वर्ग में भी विषमता बहुत है। कई लोग इस वर्ग में पैसे वाले होते हैं, लखपति होते हैं, जिनके कई धन्धे भी होते हैं, खेती भी होती है, मकान भी इनके पक्के होते हैं वह लोग इन योजनाओं में सबसे पहले आगे मिलेंगे। आपको कम से कम छात्रावासों में आर्थिक आधार पर बालकों का चयन करना चाहिए। ताकि वह ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकें। अभी कुछ छात्रावासों में कमेटी के साथ जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि उसमें सब तरह के लोग आ गये, उस वर्ग के सम्पन्न लोग हैं वह भी आ गये, पर गरीब लोग ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाते हैं, उनको आवेदन-पत्र नहीं मिल पाते हैं, उनको भर्ती करने में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। यह कमी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि छात्रावासों की संख्या कम है इसलिए इस बात का प्रयत्न किया जाय कि गरीबी की रेखा के नीचे चयनित जो इस वर्ग के हैं वह, चाहे आय से मान लीजिए चार हजार रु. वार्षिक आय है उससे नीचे के छात्र हैं उनको प्रवेश मिल जाये ऐसी व्यवस्था होगी तब तो गरीब लोग अध्ययन कर सकेंगे। एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि पहले छात्रावासों में सामग्री दी जाती थी आज प्रति छात्र नकद राशि दी जाती है। जब से नकद राशि की व्यवस्था हुयी है तब से

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उनका शोषण होना शुरू हो गया है कोई सामग्री ठीक ढंग से नहीं मिलती है। लिहाजा पहले की तरह उनको सामग्री प्रति छात्र वितरित करने की व्यवस्था की जाय ताकि छात्रावास ठीक प्रकार से चले। जो सामग्री पहले मिलती थी वही व्यवस्था चलाइये। बजाय आजकल नकद राशि के। आजकल जब से नकद राशि देने की व्यवस्था हुयी है इसमें बहुत घपले होते हैं, बहुत घोटाले होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने कटौती प्रस्तावों को देखा होगा इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के छात्रावासों के बारे में घपले, अनियमितताएं, घोटालों के बारे में बहुत कटौती प्रस्ताव हैं। इसलिए इस बात की व्यवस्था की जाय। सामग्री प्रति व्यक्ति देने की व्यवस्था करें और साथ ही उनकी सलाहकार समिति, संचालन समिति ऐसे लोगों की गठित की जाय जिसमें उनका शोषण न हो, घपलेबाजी नहीं हो। पूरी सामग्री उनको मुहैय्या कराने की व्यवस्था राज्य सरकार करती है वह उन तक पहुंचे इस बात की प्रभावी व्यवस्था आज के दिन नहीं है और बड़े घपले हो रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सामग्री की व्यवस्था की जाय और सलाहकार समितियां ठीक ढंग से गठित की जाय और उसके आधार पर छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार किया जाय।

यह बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि अनुसूचित जाति विकास निगम बना हुआ है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रावासों के भवन निर्माण करता है, उनकी व्यवस्था के लिये भवन बनाने का प्रावधान मौजूद है। जनजाति विकास के लिये, उनके छात्रावासों के भवन के लिए, उनकी हालत देखते हैं तो आप उनको उनके लिए ग्राण्ट नहीं देते हैं।

माननीय जनजाति विकास मंत्री महोदय बड़ा स्वागत है कि आप इसका काम सम्भाल रहे हैं। आप भी पहले बहुत बोला करते थे। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा उनके छात्रावासों के भवन बनाये जाते हैं वैसे ही जनजाति विभाग भी अपने छात्रावासों के भवन बनायें वर्ना इन छात्रावासों के भवन की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। माणिक्यलाल वर्मा जिनका नाम आप तभी जानते हैं उन्होंने जनजाति के विकास में, भीलों के विकास में काफी काम किया। उनके सुझाव पर राजस्थान में आदिम जाति संघ गठित किया गया। उसने उस समय कुछ छात्रावास चलाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उस जमाने के छात्रावासों की दशा आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी दयनीय हालत है। उनकी मरम्मत नहीं होती है और वह भी गिर सकते हैं। इसका नमूना जहाजपुर का छात्रावास देखले। यह तहसील के आगे ही स्थित है। 30 साल पहले बना उसमें आज तक कोई सुधार नहीं। हमने हमेशा बात की जनजाति संघ से और राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ से तो वह कहते हैं कि हमको पैसा ही नहीं देते हैं, सरकार पैसा ही नहीं देती है, मेडिकल की व्यवस्था पूरी नहीं देती है छात्रों के लिये सामग्री की व्यवस्था पूरी नहीं वह कैसे छात्रावास चलायें ? वह कहते हैं आप जनजाति के लिये चन्दा इकट्ठा करें। आज के दिन इस जमाने में जनजाति विकास के लिये न माणिक्यलाल

(श्री रतन लाल ताम्बी)

वर्मा हैं और न भोगीलाल पंड्या हैं और न इस तरह के निष्ठावान लोग हैं जो सारा समय देकर काम कर सकें, ऐसे कार्यकर्त्ता और नेता भी आज नहीं हैं इसलिए उनकी दुर्दशा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनजाति छात्रावास की व्यवस्था उसी तरह से करें जिस तरह अनुसूचित जाति छात्रावास की निगम करता है। सबसे पहले तो मेरा यह सुझाव है और इसके साथ वर्तमान में जो महंगाई है उसमें प्रति व्यक्ति जो पैसा दे रहे हैं वह अपर्याप्त है। महंगाई को देखते हुए वह आज के दिन अपर्याप्त है इसलिए उनको पूरी सामग्री नहीं मिलती है, पौष्टिक सामग्री नहीं मिलती है, दवाइयां, दाल, तेल, कपड़ा, जूते, पाठ्य सामग्री, सबकी हालत देखें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक नाम मात्र का जैसे विभाग चल रहा है इस तरह की स्थिति होती जा रही है। उसमें भी मैंने कहा, इसमें कितना प्रतिशत कहां जाता है, कितना उनके पैसे का उपयोग होता है? यह मामला गम्भीर चिन्तन का विषय है। इस तरफ आपका ध्यान जायेगा ऐसा मुझे आपसे निवेदन करना है माडा योजना के लिये मेरा एक और निवेदन है। यह भी अनुचित है कि माडा योजना के अन्तर्गत सारा प्रोग्राम आप डी.आर.डी.ए. के थ्रू आपरेट करते हैं और डी.आर.डी.ए. पंचायत समिति के थ्रू आपरेट करती है। अब आप जानते हैं डी.आर.डी.ए. के थ्रू और पंचायत समिति के बीच में होने के कारण इनके बीच काम करने की प्रवृतियां, सारी शक्ति लग नहीं पाती क्योंकि विभिन्न योजनाओं के काम हैं उनके पास। इसमें एक तो सुझाव यह भी है कि जिस तरह पंचायत समिति काम करती है उसी तरह माडा योजना के लिए एक संगठन प्रत्येक माडा क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। आर.ए.एस. कैडर का अधिकारी हो, उसमें अकाउन्टेन्ट हो, उसमें टैक्निकल स्टाफ हो और उसमें एल.डी.सी., यू डी.सी. हो और सारा एक गठन उसका अलग से हो उसकी एक जीप हो इलाके में सवा सौ गांव हैं सवा सौ गांवों में कौन काम देख रहा है? कुछ नहीं देख रहे हैं। पंचायत समिति को जो पैसा देंगे वह अपने ढंग से दे देंगे जहां देना हो और वहां सारा काम होता नहीं इसलिए माडा प्रवृत्ति की जो सारी योजनायें हैं उनके संचालन के लिए जिला स्तर पर उसकी एक समिति गठित की जाये और ब्लॉक्स स्तर पर या खण्ड स्तर पर उनका अलग से एक संगठन बनाया जाये जिसमें इस तरह के अधिकारी लगा करके वह योजनायें क्रियान्वित करेंगे तब जाकर योजनायें ठीक प्रकार से गठित होंगी। इन योजनाओं में आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में छोटे-छोटे एनीकट्स बने हुये हैं जिससे आदिवासी जन जाति के लोग उनसे सिचाई की व्यवस्था ठीक कर सकें, उनमें खेती का उत्पादन बढ़ा सकें क्योंकि जमीन तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें हमको ज्यादा साधन बढ़ा करके जलोत्थान योजनायें हैं, सामूहिक पम्प सैट की योजनायें आपने चालू की हैं यह सब की सब योजनायें हैं उनको जब तक अलग उनका सारा कार्यक्रम, संचालन की व्यवस्था और जैसे ब्लॉक या पंचायत समिति है वैसे अलग से इनको व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक यह काम ठीक प्रकार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

से नहीं चलेगा। इसके साथ आज पेय जल की योजनायें जहां तक चलती है, कहीं आप इन बस्तियों में जाकर देखें नल योजनायें धरी की धरी रह गयी वहां तक लाइनें नहीं पहुंचती, बिजली नहीं पहुंचती है। खम्बे के लिए पंचायत या म्युनिसिपैलिटी पैसा दे, इतने जमा करायेंगे हरिजन बस्ती इतने पर्सेन्ट से ज्यादा जन संख्या में मानते हैं कहीं 10% कम रह गये। मेरे वहां पर खम्बे नहीं पहुंचे, लाइन नहीं पहुंची तो इन सबका एक ऐसा मास्टर प्लान बनना चाहिए जिसके आधार पर यह सारी की सारी योजनायें ठीक प्रकार से लागू हों और ऐसे लोग गरीबी की रेखा में है उनको कुटिर उद्योगों के लिए अनुदान व ऋण, आपको उनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ राजस्थान का चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर में रहा होगा तो हमारे इलाके के इस तरह के जो बिखरे हुये लोग हैं वे पूरे टाडा में नहीं आते हैं तो माडा जो क्षेत्र हैं उनमें इन योजनाओं को भी टाडा की तरह लागू की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साहब थोड़ा शिड्यूलकास्ट पर और बोलना है, जो पहले बोल गये हैं उनका भी समय जोड़ दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो उनको वापस बुलायें। 10–15 मिनट हो गये हैं आपको।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : पांच मिनट। तो मैं यह चाहता हूं कि इस आधार पर सारी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करें और साथ ही साथ इन शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को, आज भी नगरपालिका एरिये में, जहाजपुर की बात कहना चाहता हूं वहां डेढ़-सौ, दो-सौ परिवार शिड्यूल कास्ट के हैं जो पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार आवासीय समस्या के लिए अनुरोध करते हैं उनकी रेट लगा दी जाती है, पांच रुपया प्रति वर्ग गज से दे। अब 5 रुपया प्रति वर्ग गज वह शिड्यूल कास्ट का व्यक्ति दे सकता है क्या ? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो रेट वहां की निर्धारित 25% से अधिक उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। 25% रेट पर उनकी आवासीय व्यवस्था कम से कम रोटी कपड़ा और मकान यह तो हमारी सबसे दैनिक व्यवस्था की एक गारन्टी दी हुई है। तो मैं समझता हूं मकानों के मामले में विशेष तौर से ध्यान दिया जाये। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जहाजपुर में डेढ़-सौ, दो-सौ परिवार हैं उनके लिए, मकानों के लिए, आवास की व्यवस्था नहीं है। कई पीढ़ियों से पुराने मकानों में रहते हैं, सदस्य उनके दुनिया भर के बढ़ गये पर आज जो स्थिति बनी हुई है मैं समझता हूं उनके लिए अनुदान की विशेष तौर से व्यवस्था करें और इसके साथ-साथ जैसा मैंने अनुरोध किया उनके कई छात्र इन छात्रावासों में शिक्षण के बाद अच्छे पढ़ गये उनको सर्विजेज नहीं मिलती है। आये दिन बेकार फिरते हैं। यह स्वरोजगार योजना में पहुंच नहीं पाते उनके लिए उन विभागों के माध्यम से अनुदान दिया जाये ताकि वह अपने उद्योग खड़े कर सकें, रोजगार खड़ा कर सकें। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का जो आपका निर्धारित कोटा है उसके अनुसार सर्विसेज में भी उनको स्थान दिलाने की बात तो होती है। कई स्थान खाली पड़े हैं। मैं समझा हूं मैंने भेड़ व ऊन विभाग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के मन्त्री जी से भी निवेदन किया था हमारे इलाके के और कई लोग, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लड़के जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आये हैं उनको पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा मैं इसमें काफी गम्भीरता से कर रहा हूं आश्वस्त किया है। स्टाइफण्ड का मामला है और उन लोगों को कम से कम जो स्थान भेड़ व ऊन विभाग में हैं। उन प्रशिक्षित युवकों को जितने भी स्थान रिक्त है एक बार उन सबको लगा दिया जाये ताकि उन गरीबों को रोजी-रोटी मिल सके। इस तरह की व्यवस्था के बारे में सरकार जितना कह रही है उतना नहीं होता है ऐसी जो मान्यता बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए कथनी और करनी में अन्तर नहीं आये उस दृष्टि से इसके बारे में मैंने जो सुझाव दिया है उसको गम्भीरता से लेंगे। सुझाव और भी कुछ हो सकते हैं खास तौर से उन एरियाज में सड़कों का सवाल है, कई गांव जुड़े हुए नहीं हैं बहुत दूर दूर हैं। जन जातीय विकास विभाग उन सड़कों को ठीक करने के बारे में, सड़कों को बनाने के बारे में प्रावधान करता नहीं है और बहुत बडी समस्या आज भी आजादी के 40 वर्षों के बाद भी इन गांवों में बनी हुई हैं वह इन गांवों से जुड़ी हुई है उनको पूरी सुविधायें मिली हुई नहीं है तो इस दिशा में जन जातीय विकास विभाग खास तौर से ध्यान देगा और शिड्यूल्ड कास्ट्स की जो बातें मैंने बताई उनको गम्भीरता से लिया जायेगा और छात्रावास भवन बनाने के बारे में जो सुझाव दिये उस पर विचार किया जायेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री किरोड़ी लाल।

## स्पष्टीकरण

**सुश्री गिरिजा व्यास का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण**

**सुश्री गिरिजा व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इससे पूर्व में सुश्री पुष्पा जी ने कुछ आरोप लगाये, मैं कुछ कार्य कर रही थी पूरी बात मैं सुन नहीं पाई। लेकिन ऐसा लगता है किसी मसले में मेरा नाम व्यक्तिगत रूप से जोड़ा है। मुझे इसके लिए पुष्पाजी की तरफ से अफसोस है कि उनकी जैसी जागरूक सदस्या इस तरह के आरोप सदन में लगाती हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को एक बात कहना चाहती हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप क्यों कह रही हैं किसी को, आप अपने राइट्स सीमित रखिये। हर एक के अपने-अपने राइट्स सुरक्षित हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी की एब्सेन्स में कोई.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इस तरह से आवाज देकर बोलती हैं वह ठीक नहीं है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं निवेदन यह करना चाहती हूं काउन्टर चार्ज लगाते समय....

**श्री उपाध्यक्ष** : काउन्टर चार्ज कहां है? नहीं है।

**सुश्री गिरिजा व्यास :** काउन्टेर चार्ज का मतलब माननीय सदस्या को समझना चाहिए, यह स्पष्टीकरण है। मैं एक बात कहना चाहती हूं। सदन में होने का यह मतलब नहीं कि दूसरे व्यक्ति को आप करप्ट समझें। हम लोग जो भी चाहे वे वहां पर बैठने वाले हों या यहां पर बैठने वाले लोग हों हम निश्चित रूप से ईमानदारी की प्रतिबद्धता के साथ ही इस सदन में आते हैं। ईमानदार होना हमारा पहला गुण होना चाहिए। हम ईमानदार हैं तो किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, किसी को ग्रोब्लाइज नहीं कर रहे हैं। बल्कि अपनी ईमानदारी का दूसरों पर प्रोजेक्शन करना, दूसरों को बेईमान समझना मैं समझती हूं पुष्पाजी जैसी समझदार, अच्छी विधायिका को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** कुछ नहीं आपने नाम जोड़ा था ना, पर्सनली एक्सप्लेशन किया है।

**सुश्री पुष्पा जैन :** गिरिजा जी, शायद आप सुन नहीं पाई 295 निकाल कर पढ़ें मैंने क्या बोला है ...

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं तो उसमें कुछ आप पर भी आरोप नहीं लगाया है।

**सुश्री गिरिजा व्यास :** पर आप कह रही हैं पुष्पा जी जैसा....

**श्री उपाध्यक्ष :** चार्ज नहीं है। डॉ. किरोडीलाल जी।

**मांग सं. 33 व 30 पर विचार**

**श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 व 33 पर अनुसूचित जाति व जनजातियों के मामले को लेकर बहस की जा रही है। इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने जो स्पेशल राइट्स दिये हैं उन राइट्स की पूरी तरह से पालना नहीं हो पा रही है और एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गयी। सरकार घोषणायें तो लम्बी-पूरी करती है। राजीव गांधी जी रोज टी. वी. पर देखने को मिलते हैं और शिवचरण माथुर रोज कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का कोटा भर रहे हैं। तीन महीनों के बाद सारा कोटा भर दिया जायेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति को परेशान जो करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक कोली परिवार जो काबिलेश्वर थाना सैंथल जिला दौसा में पड़ता है उसको सवर्ण जाति के लोगों ने 16-10-88 को मारा पीटा और पिटाई इतनी ज्यादा की कि मारपीट के बाद में उनके हाथ से बच्चा छीन करके उनके जले हुए मकान में फेंक दिया। इस आशय की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मुख्य मन्त्री के पास में लोग गये, दूसरे मन्त्रियों से भी मिले, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। गरीब कोली परिवार का, एस. सी. का व्यक्ति हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा और हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया कि जितने भी इसमें गुण्डे इन्वाल्व हैं, 8 लोगों के नाम थे, वह 8 लोग 6 महीने तक इस गांव में नहीं रहेंगे और इस परिवार को

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

रहने देंगे परिणामस्वरूप इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें तब कहीं जाकर के वह 6 महीने रह सके लेकिन 6 महीने बाद जैसे ही वह गुण्डे गये उन्होंने 15-6-89 को दुबारा इस कोली परिवार को मारा पीटा, उनकी जायदाद लूटी और उनके मकानों में आग लगाकर भगा दिया। अभी परसों मेरे पास आये थे।

**श्री सुंदरमल वर्मा :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की मुझे पूर्णतया जानकारी है, यह निराधार, असत्य बोल रहे हैं।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** यह व्यक्ति अब वहां से आकर जयपुर में रहने लग गये हैं। जयपुर में आकर डी. जी. पी. से मिले, डी. जी. पी. की आदत है कि एक बड़ी कलम हाथ में ले लेते हैं और एस. पी. को निर्देश कर देते हैं लेकिन एस. पी. की भी आदत बिगड़ गयी कि वह डी. जी. पी. के आदेश नहीं मानते और बड़ी शान से बड़ा अच्छा लिखते हैं। उनका पता नहीं किस ढंग का असर है। उसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के पूरे प्रमाण पास हैं, एफ. आई. आर. की नकल है, मकान जलाने का मामला है और जो चोटें लगी हैं, बच्चा जला है और जिन-जिन अधिकारियों, प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री सबसे मिले उनका चिट्ठा है। अगर माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें, किसी प्रकार का स्पेसिफिक टर्न देना चाहें तो मेरे बाद में दे सकते हैं। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि वह स्पेशल प्रोटेक्शन सरकार कर रही है। जहां सारे हरिजनों को, गरीब तबके के लोगों को, जिन पर सवर्ण लोगों ने हमला किया, उनको बचाना चाहती हैं, बचाने में कुछ माननीय सदस्य जैसे यह खड़े हुए। इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। इनको अपने क्षेत्र में लोगों को बचाना चाहिए बल्कि किसी प्रकार का कोई काउण्टर अटैक नहीं करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का सीकर के एक हरिजन छात्र के निष्कासन का मामला है। सीकर जिले के दिवराला गांव में छात्र राजेन्द्र मैथ्यू को मटके से पानी पीने से, अध्यापक द्वारा उसे अनिश्चितकाल के लिए निकाल दिया गया, हैड मास्टर ने उसको निकाल दिया तो वह सब जगह गया, मुख्य मन्त्री से भी मिला और दूसरे लोगों से भी मिला लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। वह हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने यह आदेश निरस्त किये तो सारे के सारे हरिजन हाई कोर्ट के चरणों में जा रहे हैं। इनके पास कहां से पैसा आयेगा? यह सकार उनकी रक्षा कर नहीं रही। मटके से पानी पी ले और उस बच्चे को स्कूल से निकाल दें, यह कोई मूली का खेत नहीं है कि आप उनको उखाड़-उखाड़ कर फेंक दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक हरिजन अत्याचार का मामला है। गांव कुलोट कलां, जिला झुन्झुनू का है। एक हरलाल चमार की नाबालिग कमला को सरपंच के भतीजे व अन्य सवर्ण लोग छेड़ते थे। इसकी जब उसने 26-8-86 को शिकायत, प्रभावशाली दरिन्दे से की तो उस दरिन्दे ने गरीब हरलाल के नामजद रिपोर्ट कराने पर पुलिस द्वारा 27 अगस्त को गिरफ्तार करने के

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

बाद में, राजनैतिक प्रयास से और बदले की भावना से इसके साथ ऐसी चोट की, कि उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, बलात्कार के बाद में उस लड़की को चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया। ऐसे जघन्य अपराध कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक। इसी प्रकार का मामला जोधपुर जिले के नानर गांव के एक स्कूल में हरिराम चमार अपने बेटे से मिलने गया, वहां कुर्सी पर बैठ गया, उसी समय स्वर्ण जाति का एक व्यक्ति जब्बर सिंह आया, उसे देखकर खड़ा नहीं हुआ। खड़ा नहीं होने का दण्ड उसको इतना बड़ा मिला कि रात में जब्बर सिंह कुछ गुण्डों को लेकर उसके घर में घुस आया।

## सूचना

(आस्ट्रेलिया के सीनेटर बादेन टिग्यू का सदन में आगमन)

श्री उपाध्यक्ष : May I interrupt you for a minute ?

I have to inform this House that Senator Baden Tiague and his Mrs. are with us. I will request you to welcome them both.

(Welcome thumping of tables by Hon. Members).

## मांग संख्या 33 व 30 पर विचार

श्री किरोड़ीलाल मीणा : और उस हरिराम चमार पर कातिलाना हमला किया जिसके कारण वह मर गया। उस पर पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कांग्रेस की सरकार जो स्पेशल प्रोटेक्शन कर रही है आदिवासी और हरिजनों के लिए रात दिन जिस ढंग का एडवरटाइजमेंट कर रही है वह सारी बात निराधार है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं ऐसा मामला एक सीकर का दूसरा भी है। ग्राम छाजड़गढ़ थाना खण्डेला का जिसमें ग्राम छाजड़ स्थान खण्डेला में सीकर में एस. टी. के दो भाइयों को 9 जून, 1989 को पकड़ कर 14 जून तक लगातार थाने में पीटा, 15 जून को गिरफ्तारी दिखाकर 16 को अदालत में पेश किया किन्तु पुलिस गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बता सकी जिस जुर्म में गिरफ्तार दिखाया उसमें 25 अप्रैल को जमानत हो चुकी थी। बीरबल, पुत्र श्री भीलाराम ने यहां हाई कोर्ट में आकर प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई तब कहीं जाकर उसको छोड़ा गया। जो ज्यादती उसके साथ की थी, थाने में मारा पीटा वह बात तो दूर थी लेकिन वह वहां के के सभी लोगों से मिला, यहां मुख्य मन्त्री तक से भी मिला, सबको ज्ञापन दिये लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। जब हाई कोर्ट में आये तो हाई कोर्ट ने एस. एच. ओ. को डाइरेक्शन दिये कि सी. एम. एच. ओ. के यहां जाकर आप उसका मेडिकल करवायें और वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को यह जांच दी गयी है जब इस ढग के आचरण हो रहे हैं, किसी को कोई मार देता है तो एस. एच. ओ. उसका मेडिकल नहीं करवाता है। मेडिकल के लिए पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर वहां उसका मेडिकल नहीं करते हैं। मेडिकल भी हो जाने के बाद में यह सारी जांच होकर कोई कार्यवाही नहीं होती।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

इसी ढंग का एक मामला गंगानगर का प्रकाश में आया है। गंगानगर का हरिजन कालूराम नाम का व्यक्ति वहां एस. डी. ओ. से मिलने गया था। सुखबीर सिंह से काम था, केवल नामान्तरण को खुलाने का काम था। सुखबीर सिंह एस. डी. ओ. ने उससे पैसे मांगे। पैसे नहीं दिये तो मेरा स्पष्ट चार्ज है एस. डी. ओ. ने उसको मारा पीटा। एस. डी. ओ. कोर्ट से मार-पीट कर बाहर भगा दिया। उस एस. डी. ओ. के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां प्रशासनिक अधिकारी मारने पीटने में लगे हों, जो सरकार के ऐसे अच्छे अधिकारी हैं। सरकार केवल नाममात्र का ढकोसला करके अपना प्रचार-प्रसार कर रही है। मेरे जिले सवाई माधोपुर में करनोदा गांव पड़ता है। वहां बागरी की एक लड़की है, उस बागरी की एक लड़की को एक जुम्मन नाम का एक गुण्डा व्यक्ति रात को खाट सहित उठा ले गया। उसकी रिपोर्ट सवाई माधोपुर में दर्ज हुई, थानेदार को कहा, एस. पी. से मिले, यहां पर मुख्यमन्त्री से भी मिले, हमारे पास भी आये लेकिन आज तक वहां की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। किस ढंग के कार्यक्रम हो रहे हैं ? एक बच्ची को खाट सहित उठा ले गये और उस व्यक्ति को वहां की पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई।

श्रीमान् जी एक दूसरा इसी ढंग का उदाहरण है। एक महिला का एक कागज मुझे मिला। खण्डार के थानेदार ने शम्भु-दयाल की धर्मपत्नी के साथ जबरन बलात्कार किया और विशेषता यह है कि सूरज देवी ने पत्र भेजा है इस पत्र में उसने लिखा है कि मेरे पति तो शान्ति सेना में हैं लेकिन मेरे साथ यहां तक दुर्व्यवहार किया कि जब मैं एस. पी. से मिलने गयी तो एस. पी. ने कहा कि तेरा चरित्र ही इस ढंग का है। क्या कानून की रक्षा इसी ढंग से हो सकेगी ? एस पी. ने किस ढग का जवाब दिया। वह औरत जो व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने गयी तो उसका पति एक तरफ तो शान्ति सेना में देश के लिए लड़ रहा है और उसकी पत्नि के साथ इस ढंग का दुराचार होने के बाद भी एस. पी. उससे क्या कहने पर उतारू हुआ है।

सम्माननीय, यही नहीं अभी ट्राइब्स एरिया की बात चल रही है सरकार ने बहुत से पैसे लगा दिये ट्राइब्स के विकास के लिए, मगर हालत यह हो गयी है कि उदयपुर के आदिवासी, विशेषकर कोटड़ा क्षेत्र में भोजन के अभाव में हिंसक पशुओं को भोजन बना रहे हैं। ऐसे ही वहां एक परिवार की एक औरत ने भूख से क्लान्त होकर अपने दो बच्चों को जंगल में भेड़ियों को खाने के लिये छोड़ आयी। यह स्थिति वहां पर पैदा हो गयी।

**श्री कमला भाई मीणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले के आदिवासी इतने कमजोर हैं कि जानवर खा रहे हैं ? इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप समय ले रहे हैं बोलने का। समय पर बोलियेगा।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** : माननीय सदस्य जिस ढंग से उत्तेजित हो रहे हैं, मैं

(122)



(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

तो इस मामले को इसलिए प्रकाश में लाया कि ट्राइबल डवलपमेंट के नाम से सरकार करोड़ों रुपये ले गयी, वहां करोड़ों रुपये लगा दिये, कागजों में करोड़ों रुपये खर्च हो गये उसके बाद भी वहां आदिवासियों की हालत यह है कि आज वह पत्ते खाने को मजबूर हो रहे हैं, मांस खाने को मजबूर हो रहे हैं और उनके भूखे बच्चों को घरों में छोड़ कर आ रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** इनकी कमजोरी बता ही क्यों रहे हो, दर्द होता है, इनके।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्लीज, घनश्याम जी, बैठें आप।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** यही नहीं, एक ऐसा मामला और प्रकाश में आया है। बांसवाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर बनाला गाव की, ध्यान से सुन लो, 35 वर्षीय आदिवासी विधवा अणद की करीब 20 बीघा सिंचित जमीन पर वहां के पुलिस के अधिकारी ने कब्जा कर लिया। वह अपने चार बच्चे लक्ष्मण, पूजी, माला और सीता के साथ दर-दर की ठोकरें खा कर इधर-उधर भटक रही है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष :** यह अखबारी कटिंग पढ़ रहे हैं ?

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** डी. एस. पी. का मेरे पास नाम है, मैंने पहले बोला। जमीन पर कब्जा कर रखा है और उस औरत को वहां से बाहर निकाल दिया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा....

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मैं डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि सदन को आप गुमराह कर रहे हैं, उस जगह वास्तव में जाकर आये हैं ? (व्यवधान) मेहरबानी करके चुप रहिये, मेरे को पूछ लेने दें।

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** यह जितनी बातें हैं सही हैं, मैं प्रमाण देता हूं।

**श्री मोतीलाल मीणा :** यह कौन होते हैं पूछने वाले ?

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, सिट डाउन। (व्यवधान)

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा :** मैं पूछ क्या रहा हूं आप सुन क्या रहे हो ? सुन ही नहीं रहे हो। आप मुझे कम से कम पूछ तो लेने दें। आप को पता ही नहीं है, बोल रहे हो, बीच में। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय जयकृष्णजी।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा :** मेरा सवाल तो यह है, माननीय सदस्य महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष :** जयकृष्णजी की बात रिकार्ड नहीं होगी। प्लीज सिट डाउन।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा :** ××× (व्यवधान)

---

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं बैठिये आप।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : ×××

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई रिकार्ड नहीं हो रही है। (व्यवधान) नवनीतलाल जी, बैठें आप। आप अनर्गल सवाल पूछ लेते हैं बीच में और हाउस को इस तरह से टैम्पर्स में ला देते हैं। प्लीज सिट डाउन। डॉ. किरोड़ीलाल।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : मेरा निवेदन यह है कि रियलटी है तो फिर हम भी बोलें। मेरा निवेदन यह है, और कुछ नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय पर जवाब दीजिए। (व्यवधान) जब समय आये अपनी बात कहियेगा। वैसे तो बोलते नहीं हैं आप लोग।

**एक माननीय सदस्य** : आप कौन होते हैं पूछने वाले ? और अगर यह बात सत्य है तो आप इस्तीफा दे दोगे क्या।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अखबार की कटिंग नहीं पढ़िये, आप अपने फैक्ट्स बताइये जो हैं आपकी जानकारी में।

**एक माननीय सदस्य** : कहां है, साहब? कोई कटिंग नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने देखा नहीं मैंने देखा है, He was reading from papers.

**श्री मोतीलाल मीणा** : सवाई माधोपुर में एक थानेदार ने लड़की को रेप किया, क्या झूठा है यह मामला ? यह सारी बात सत्य कह रहे हैं।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** : आदिवासी एरिया में हालत यह हो गयी है। प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा कर दी कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जवाहर रोजगार योजना चालू कर दी लेकिन बेरोजगारी के चक्कर में वह आदिवासी मारा-मारा भटकता फिर रहा है। माननीय सदस्य, इस बात का बुरा नहीं मानें। रोजगार के लिए आदिवासी तड़प रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। यह जवाहर रोजगार योजना अगर आदिवासियों के काम नहीं आयी तो किसके काम आने वाली है ? मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस सबका फायदा उठाने के लिए वहां पर क्रिश्चियन घुस गये और धर्मान्तरण करा रहे हैं, सारे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। यह सारे वहां पर बैठे हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं रखती। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मान्तरण का काम क्रिश्चियन मिशनरीज कर रही हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है उनकी जमीन को झपटा जाता है और धर्मान्तरण किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला सर्विसेज में चल रहा है कि नौकरियों में सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बाड़मेर नौकरी करने कोई नहीं जाता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जिस किसी

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

को पोस्टिंग देते हैं, बाड़मेर के नाम से कांपता है। लेकिन एक डॉक्टर मेरे को आज ही मिला, वह शिड्यूल्ड कास्ट का है। उसने कहा कि बाड़मेर में लगा हूं। वह कोटा का रहने वाला है, डॉक्टर आर.एस. मेहरा। बाड़मेर पी.एस.सी. पर पोस्टेड है। उस डिस्पेंसरी में उच्च, सवर्ण जाति के लोगों ने उसको मारा-पीटा और मार-पीटकर डिस्पेंसरी से बाहर निकाल दिया। श्रीमान् इसका मुकदमा उसने थाने में दर्ज कराया, जिस एफ आई.आर. की ओरिजिनल कापी मेरे पास है। थाने में जैसे ही उसने मुकदमा दर्ज कराया तो लोगों ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया। गांव से मार-पीटकर बाहर निकालने के बाद जब वह जाकर उच्चाधिकारियों से मिला तो डाइरेक्टर, एम.एच.एस. का आदेश है: संस्था/सी एस/89/924, जून, दिनांक 30-6-89। उसमें लिखा है कि डॉक्टर राधेश्याम मेहरा, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, सरणू, जिला बाड़मेर की तदर्थ सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने के कारण उक्त डॉक्टर मेहरा की सेवायें एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। यह तो मेरे पास प्रमाण है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Now please go ahead. डॉक्टर किरोड़ीलाल, बोलें। आप अपने साथियों को समझायें आपका समय ले रहे हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इस तरह क्या कर रहे हैं आप लोग? Don't make market of it.

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने निर्देश दिया कि आप प्रमाण सहित बोलो इसलिए प्रमाण हैं।

**श्री उपाध्यक्ष : अच्छा किया आपने।**

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** : आप इसकी क्या व्यवस्था कराओगे? डी एम.एच.एस. ने यह आदेश कैसे प्रसारित कर दिये? यह कौन सा स्पेशल प्रोटेक्टशन है? यह कौन सा रिजर्वेशन है कि एक हरिजन डॉक्टर को सवर्णों ने मार पीटकर भगा दिया उसने मटके से यदि पानी पी लिया? उसको चाय पिलाने के लिए फोर्थ क्लास देते नहीं। मारपीट करने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया। यह कोई खेती की मूली नहीं है कि चाहे जिसको निकाल दो। मैं सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं कि या तो इसको गम्भीरता से लें वरना इसके परिणाम गम्भीर होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। इस प्रकार के मामलों में यह बड़ा ही गम्भीर मामला है, आप इस पर विशेष ध्यान दें, सरकार में जो मन्त्री बैठें हों वह।

(समय : 2.37 म. प.)

**(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)**

बड़ी दुहाई देते हैं कि हम एस. सी. एस. टी. को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक डॉक्टर आपकी शरण में आया था। हैल्थ मिनिस्टर को लिखकर दरख्वास्त दी है। मैं हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि बड़ी मुश्किल से रोजी-रोटी मिलती है, आप उसको वहीं लगा दें या दूसरी जगह लगा दें। डाइरेक्टर ने जिस ढंग के आदेश किये हैं वह आदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ है। डाइरेक्टर के खिलाफ कार्य-

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

वाही की जानी चाहिए माननीय सभापति महोदया, इस प्रकार का एक मामला और है आर. एस. एस. भैंरूलाल मीणा का। उसके लिये माननीय राज्यपाल ने डेढ़ वर्ष पूर्व मर्सी पिटीशन पर निर्णय देते हुए सरकार को उक्त अधिकारी को पदस्थापित करने के लिये कहते हुए सूचित करने के निर्देश दिये किंतु आज तक उक्त अधिकारी बहाल नहीं हुआ है। माननीय राज्यपाल के आदेश नहीं माने। डेढ़ साल से वह अभी तक सड़कों पर फिर रहा है। राज्यपाल के आदेश नहीं माने जा रहे और सरकार यह कह रही है कि हम स्पेशल कोटा भरेंगे, स्पेशल रिक्रूटमेण्ट करेंगे। राज्यपाल के आदेश जयपुर की सड़कों पर पड़े हैं और भैंरूलाल इधर से उधर सड़कों पर चक्कर काट रहा है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या आप इसको रिलीफ दे देंगे। आपके प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है....

**श्री भंवरलाल शर्मा :** राजीव गांधी शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, उनकी कौन मानेगा ?

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** अभी तीन तारीख को हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं। हरिजन अध्यापकों ने एक रिट याचिका की। हरिजनों का रिजर्व कोटा था। मामला झुंझुनूं जिले का है, सुमित्राजी फिर कहेंगी। अध्यापकों में आठ लोगों को नियुक्ति नहीं दी। वह हाई कोर्ट गये, हाई कोर्ट में आकर रिट की। हाई कोर्ट ने क्लीयर कट आदेश दिये हैं कि आरक्षण कोटा पूरा होने तक अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है। एक तरफ तो सरकार घोषणा कर रही है कि सारे बैकलॉग को भरो, आरक्षण का कोटा जितना है पूरा करो और यह आपके सामने जीता-जागता नमूना है। 3 तारीख को हाई कोर्ट ने एक आदेश प्रसारित करके उनको नौकरी देने के लिये आदेश दिये हैं, अभी पुलिस में भर्ती हुई 41 लोगों का सलेक्शन किया सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के लिये उनमें से केवल 1 एस. टी. और एस. सी. का व्यक्ति लिया गया बाकी 38 सवर्ण जाति के हैं, आखिर इस रिजर्वेशन का पालन कहां हुआ है ? मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एस. टी. और एस. सी. का रिजर्वेशन कहां से होगा ? न आपने कभी पर्सेन्टेज का ध्यान रखा, न आपने कभी रोस्टर सिस्टम का ध्यान रखा, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है कि आपने यह केवल एक एस. टी. और एस. सी. के व्यक्तियों को नियुक्ति देकर उनके अधिकारों का हनन किया है, महोदया, यह केवल एक ही मामला नहीं है सेल्स टैक्स का मामला है.... (व्यवधान) सुनाई नहीं दे रहा है।

**श्री सभापति :** आप कन्टीन्यू रखें।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** 21 सितम्बर, 1986 को 23 इन्सपेक्टर्स को ए. सी. टी. ओज के लिये पदोन्नत किया गया, माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक भी एस.टी./एस. सी. के व्यक्ति को इनमें से सलैक्ट नहीं किया, किसी का प्रमोशन नहीं किया।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

इसी ढंग से अक्टूबर, 1986 में ए. सी. टी. ओज से 11 सी टी. ओज के प्रमोशन हुये किन्तु एक भी व्यक्ति एस. टी./एस. सी. का सलैक्ट नहीं किया। इसी तरह से सैल्स टैक्स में अवलोकन करें उन्होंने आरक्षण की नीतियों को प्रधान मन्त्री राजीव गांधी की नीतियों को इन्होंने पूरा किया। राजस्थान की सरकार के कान में तो तेल भरा हुआ है। यह सरकार तो सुनने वाली नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर इसी ढंग से रिजर्वेशन के मामले में धांधली चलती रही तो हम इन बैंचेज पर बैठे हुए व्यक्ति इसको सहन नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदया, मेडिकल डिपार्टमेण्ट में देखें, उधर अवलोकन करें तो यहां पर जितनी पोस्ट्स है। एम. बी. बी. एस., डी. जी. एस., एम. डी., एम. एस. और जितने प्रोफेसर्स हैं उसमें से, यहां पर जो एम. बी. बी. एस. हैं उनमें केवल 6 पर्सेन्ट-कोटा पूरा हुआ है और 14 पर्सेन्ट एस. सी. का हुआ है और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं उनमें तो कोटा ही नहीं चल रहा है और प्रोफेसर एक भी नहीं है। टैक्नोलोजिस्ट, रेडियोग्राफर, थैरेपिस्ट, फिजियो थैरेपिस्ट यह पद तो बिल्कुल खाली पड़े हैं और एस. टी./एस. सी. को तो भरने का नाम ही नहीं लेते हैं मैं सरकार के मन्त्रियों से कहना चाहता हू कि आखिर उन पदों को कब भरेंगे? आपके तीन महीने कब पूरे होंगे? या फिर आप इसलिये नहीं करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आये और उन कोटों को भर दें। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करके कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी, राजीव गांधी चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड में 1407 पद है.... (व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

**श्री पोकरलाल परिहार :** कुछ धीरे बोलें तो समझ में आये कि आप क्या कहना चाहते हैं, बोलने की स्पीड बहुत तेज है।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** यह हाउसिंग बोर्ड में 1407 पदों में एस. टी. के लिये 5.06 पर्सेन्ट कोटा अब तक भरा गया है और एस. टी. का 0.56 पर्सेन्ट कोटा भरा गया है, अब इनका कोटा कहां से पूरा हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड में वेकेन्सीज पड़ी हैं। आप रोज एडवरटाइजमेण्ट निकाल रहे हैं अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये विशेष सुविधायें मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

इन पिछले 40 वर्षों में राजस्थान की सर्विसेज में जो आर. ए. एस. और आर. पी. एस. आफिसर्स थे उनमें से 200 को आई. ए. एस. बनाया गया, 150 को आई. पी. एस. बनाया गया लेकिन उनमें एक भी एस. टी. और एस. सी. का प्रमोशन नहीं किया गया। केवल एक ही ऐसा आई. पी. एस. अधिकारी है जो एस. सी. का है जिसको प्रमोशन दिया गया, बाकी क्या हालत है आप देखिये, जिस एस. सी. और एस. टी. के व्यक्ति के ऊपर चार्ज लग जाते हैं वह अधिकारी चाहे सड़क पर घूमता रहे उसकी कोई नहीं सुनता लेकिन सवर्ण जाति के व्यक्ति कुछ भी करते रहें इनके लिये कुछ नहीं। सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है और झूठे वायदे करके

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

इन एस /टी/एस. सी. के लोगों को परेशान करने की दृष्टि से यह सब कुछ योजनायें चलायी जा रही हैं।

इसी प्रकार से हमारे स्टेटिक्स डिपार्टमेण्ट में 60 वैकेन्सीज निकली। 60 में से 53 वैकेन्सीज भरीं। उनमें से एक भी एस. टी./एस सी. का नहीं लिया गया। सरकार के मन्त्री बैठे हैं, वैसे अब की सरकार ने एक काम तो जरूर किया है। अब की जो मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया उसमें एस. टी /एस. सी. का कोटा पूरा भर दिया। 6 तो मीणा ले लिये और 6 एस. सी. के लिये। यह तो कोटा पूरा कर दिया लेकिन बाहर जो बैठे हैं उनका उन्होंने कोटा पूरा नहीं किया। मैं एस. टी. और एस. सी. के मन्त्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा जोर लगाओ। अपने मुख्य मन्त्री से कहें ताकि वह कोटा पूरा कर दें। (व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य आप कन्टीन्यू करें।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** सारी सर। यह शिक्षा विभाग का मामला है। यूनिवसिटी में कहते हैं कि अनु० जाति/जनजाति के लिये कोटा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लेक्चरर्स भी हैं, रीडर भी हैं लेकिन मैं वहां की शैक्षणिक स्थिति बताता हूं। प्रोफेसर 7 हैं। जिनमें से अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी नहीं है। रीडर 316 हैं जिनमें से एस. टी. /एस. सी. का एक भी नहीं है। लैक्चरार 440 हैं जिनमें से एस. सी. का कोई नहीं है और एस. टी. का एक है। अशैक्षणिक स्टाफ-डिप्टी रजिस्ट्रार 13, एस. सी. का कोई नहीं है। एस. टी. का कोई नहीं है। सहायक रजिस्ट्रार 36 एस. टी./एस सी. का कोई नहीं है। कनिष्ठ लिपिक 943– एस. सी. के 23 और एस. टी. के 11। बहुत सारा इस ढंग का लम्बा पूरा मामला है और ऐसी बात नहीं है कि अभ्यर्थी नहीं हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में न कोई व्यवस्था है और न सरकार उनकी सुनना चाहती है। सरकार तो कोरा एडवरटाइजमेण्ट निकाल कर अपना प्रतिबिम्ब जनता पर फेंकना चाहती है यह कोरा ढकोसला है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो स्थिति बनी है राजस्थान की सरकार घोषणायें लम्बी-चौड़ी कर रही है, अखबारों में रोज देखने को मिल रहा है। ए. सी. टी. ओज के मामले पर यह मेरे आदिवासी भाई चिल्ला रहे थे मैं उनसे माफी मांगते हुए अब मैं मेरे क्षेत्र का मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बड़ा गम्भीर मामला है। माननीय सभापति महोदया, आप इस मामले पर विशेष ध्यान देकर कोई व्यवस्था देंगी। (व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर आर्डर प्लीज।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** माननीय सभापति महोदया मेरे सारे विधायक-काल में मेरे क्षेत्र में सवाई माधोपुर में कचोबा बाबा का आश्रम है, कचोबा बाबा का आश्रम जो रावला ग्राम में है। जहां बहुत से लोग दर्शन के लिये जाते थे, उनके चेलों में वहां का एस. पी. भी और दूसरे अधिकारी भी हैं जो कचोबा बाबा के पास जाते हैं। एस पी. के. के. शर्मा उनका चेला है, रात में वह वहां पर जाता है,

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

सवेरे भी वह वहां पर जाता है। नवरात्रा में बाबा उसके यहां रहा लेकिन बाबा के आश्रम....

**श्री मोतीलाल मीणा :** के. के. शर्मा एस. पी. सवाई माधोपुर....

**श्री डूंगरराम पंवार :** साधू नहीं तो स्वादु होगा।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** उसकी एक घटना प्रकाश में आयी, एक मासूम लड़की जिसका नाम कैलाशी है जिसका लिखा हुआ पत्र मेरे पास है। महोदयाजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह मासूम लड़की वहां पर गयी। वहां पर जाने के बाद में इस लड़की के साथ में पहले तो एस. पी. ने बदसलूकी की, उसके बाद में वहां के बाबा ने इस लड़की को प्रसाद खिलाया, प्रसाद में नशीली चीज दी, उस नशीली चीज के कारण यह मासूम लड़की, 16 साल की बेहोश हो गयी और फिर इस बच्ची के साथ में बाबा ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब यह बच्ची खड़ी हुई तो बच्ची ने बाबा को कहा कि बाबा हम तो तुमको भगवान मानकर चलते थे, तुमने हमारे साथ में यह क्या काम किया ? तो बाबा ने कहा, धमकी दी कि अगर तूने यह बात किसी को बतायी तो तू जानती है कि एस. पी. मेरे पास आता है, पुलिस के दूसरे आफिसर्स मेरे पास आते हैं, तुम्हारे परिवार को जेल में रखा दूंगा और तेरे को और तुम्हारे परिवार को पागल करवा दूंगा। बच्ची इस धमकी से डर गयी, इतनी आतंकित हो गयी, उस आतंक के कारण उस बच्ची के साथ वह बाबा 6 महीने तक सितम करता रहा। माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस दौरान, कचोबा बाबा जिसने एस. पी. के घर पर नवरात्रा को वह बच्ची एस.पी. के घर पर आयी, एस. पी. के. के. शर्मा के जानकारी में था। बच्ची के गर्भ रह गया तो उस युवती ने कहा कि बाबा मेरे को गर्भ रह गया है तो बाबा ने उसको दवा दी। पहले तो दवा दी फिर काड़ा पिलवाया और काड़ा पिलाने के बाद वह स्वयं असफल हो गया तो एस. पी. से पूछा, तो एस. पी. ने उसको कहा कि यहां पर चौधरी नर्सिंग होम है चौधरी नर्सिंग होम पर एस. पी. ने टेलीफोन किया। इसका गर्भ मैं गिरा देता हूं तुम किसी तरह की चिन्ता मत करो। यह नाबालिग बच्ची है केवल 16 साल की, इसका गर्भ चौधरी नर्सिंग होम में गिराया। वहां का रेकार्ड मेरे पास है। पहले दिन जब उस बच्ची को दिखाया तो उससे 25 रु. फीस के ले लिये जिसमें लिखा हुआ है कि 25 रुपये बकाया कचोबा बाबा यह रेकार्ड बोल रहा है। और पुलिस की जीप। इसके गर्भ गिराने के बाद में जो जीप गयी, उसका नम्बर मेरे पास है, जीप पुलिस के एस.पी. की थी जो बच्ची के गर्भ गिराने के बाद में उसको छोड़ने के लिये गयी। पुलिस की जो जीप नम्बर आर. जे. ई. 6139-22-5 और 28-5- की तारीख है ड्राइवर पूर्णसिंह के द्वारा वह वहां के एस. पी. के कहने पर इस बच्ची को वहां पर छोड़ा इसके बाद में इसकी स्थिति तनावपूर्ण है और तनावपूर्ण इसलिये हुई कि एस. पी. ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 26 तारीख को घटना हुई और एस पी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, 30 तारीख को बाबा हॉस्पिटल

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

में भर्ती करवा दिया गया। बाबा के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद एस. पी. ने मना कर दिया कि आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे लेकिन माननीय सदस्य श्री मोतीलालजी मीणा वहां पहुंच गये और मैं भी वहां पर पहुंच गया, हमारे पहुंचने के बाद एस. पी. तो छुट्टी लेकर भाग गया, हमने मुकदमा दर्ज करवाया। और उस अपराधी बाबा को गिरफ्तार करवाया लेकिन अब क्या शर्मनाक घटना हुई है हमारे आने के बाद में माननीय सभापति महोदया 376 की धारा हटाकर उसकी जमानत ले ली गयी ... (व्यवधान)

**श्री शोपत सिंह** : किसको शेम, कोई है क्या यहां। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : सारे के सारे 9 मिलकर पूर्ण हैं, क्या करेंगे सारे ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : +++ इसके बाद भी कुछ बचा है क्या ?

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

**श्री शोपत सिंह** : सभापति महोदया, इस तरह के....

**एक माननीय सदस्य** : मुख्यमंत्रीजी को सदन में बुलवाइये।

**श्री डूंगरराम पंवार** : गृहमन्त्रीजी कहां गये।

**श्री शोपत सिंह** : इस तरह के गम्भीर मामले पर अगर गृहमन्त्रीजी यहां पर नहीं हों, राज्य गृहमन्त्रीजी यहां पर नहीं हों, मुख्य मन्त्रीजी यहां पर नहीं हों तो आखिरकार हम यहां पर +++ थोड़े ही आते हैं। कहने से तात्पर्य क्या होगा। कोई बात कहें तो कोई खास मकसद से कही जाती है।

**श्री सभापति** : समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे है। (व्यवधान)

**श्री शोपत सिंह** : हम एक बात पूछना चाहते हैं गृह मन्त्रीजी यहां आयें और जवाब दें। हम आज इस सवाल पर जवाब लेना चाहते हैं। (व्यवधान) इस बात पर जवाब लेना चाहते है, गृह मन्त्रीजी आयें और जवाब दें कि इस मामले में क्या कार्यवाही हुई ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री शोपत सिंह** : बुलवाइये आप जिम्मेदार मन्त्रीजी को यहां पर।

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

**श्री मोतीलाल मीणा** : आठ महीने हास्पिटल में रखा....कहां छिप रहे हैं होम मिनिस्टर।+++

**एक माननीय सदस्य** : जयकृष्णजी तोसावड़ा साहब बोलिये।

**श्री सी.पी. जोशी** : सभापति महोदया, डिबेट हो रही है डिमाण्ड के ऊपर।........ जवाब आपके पास आ जायगा। (व्यवधान)

**श्री मोतीलाल मीणा** : ऐसे एस पी. को मुख्य मन्त्रीजी बरखास्त करें।

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : माननीय सभापति महोदया, यह सरकार अनुसूचित जातियों का भला नहीं चाहती। अगर भला चाहती तो....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की दुहाई देती है। यह प्रश्न वास्तव में संवेदनशील है। संवेदनशील बात के प्रति हम आज गम्भीर चिन्तन कर रहे हैं, गम्भीर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य गम्भीर बात कह रहे हैं और मुझे खेद और भय है कि आज इस संवेदनशील चर्चा पर राज्य का कोई भी जिम्मेदार मन्त्री यहां पर उपस्थित नहीं है। +++ भैरूलालजी और +++ कमलाजी भील, इन दोनों के अलावा कौन है ?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : नो नो। अनुसूचित जाति का संवेदनशील प्रश्न है। बहुत संवेदनशील है। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरा पॉइन्ट आफ आर्डर है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : कितने हित चिन्तक हैं।

**श्री सभापति** : समाज कल्याण मन्त्री और जनजाति राज्य मन्त्री दोनों ही यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : यह सारे के सारे अण्डर ट्रेनिंग हैं।

**श्री हीरालाल आर्य** : आप लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए इस मामले में। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : इश्यू का कण्टेस्ट टूट गया, इतना गम्भीर मसला माननीय सदस्य बता रहे थे।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : हमें डाक्टर चाहिए कम्पाउण्डर नहीं। (व्यवधान)

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : महात्मा गांधी ने हरिजनों और आदिवासियों की सेवा के लिए दक्षिणी अफ्रीका से सत्याग्रह शुरू किया। आजाद हिन्दुस्तान में हमारे यहां जवाहरलाल नेहरू.... (व्यवधान) आदिवासी हरिजनों के लिए किताबें छपवाई गई, जो हिन्दुस्तान के कोने-कोने में....... (व्यवधान) इस विभाग के मन्त्री मौजूद नहीं हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : माननीया सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य किरोड़ीलालजी मीणा ने जो गम्भीर आरोप लगाये उसका उपचार डॉक्टर से ही हो सकता है कम्पाउण्डर से नहीं। +++ इनसे कोई उपचार नहीं हो सकता। डॉक्टर किरोड़ीलालजी ने जो तथ्य पेश किये हैं उसमें नर्स और कम्पाउण्डर क्या करेंगे ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, सम्बन्धित विभाग के मन्त्री हैं और उनको

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

ही यहां बैठना है। (व्यवधान) नो टाकिंग एनी मोर।

**श्रीमती कमला भील** : माननीय सभापति महोदया, माननीय दाऊदयालजी जोशी ने मन्त्री महोदय पर आरोप लगाया कि × × × (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आरोप नहीं है।

**श्री सभापति** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

**एक माननीय सदस्य** : यह आरोप नहीं है,.... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आपका क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है ? (व्यवधान) माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री सी. पी. जोशी** : बहुत हो गया।

**श्री सभापति** : प्लीज सिट डाउन। क्या पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय सभापति महोदया, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इन्होंने एक स्पेसिफिक चार्ज लगाया है वहां के एस. पी. के खिलाफ, गाड़ी का नम्बर बताया है, ड्राइवर का नाम बताया है। यह सारे सबूत दिये हैं। बाबा की सारी बातें बताई हैं। यह जो समाज कल्याण मन्त्री हैं यह अपने विभाग से सम्बन्धित बातों का जवाब देंगे। एस.पी. को किसी भी तरह से सस्पेण्ड करने का या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में वह कुछ कहने में सक्षम नहीं हैं।

**श्री सभापति** : समाज कल्याण मन्त्री जी होम मिनिस्टर को रेफर करेंगे।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मुख्य मन्त्रीजी कहां हैं, यह गम्भीर बात है। आप उन्हें बुलवाइये। या तो गृह मन्त्रीजी आयें या मुख्य मन्त्रीजी आयें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य नियम यह है कि जिसकी डिमाण्ड होगी उसके मन्त्री यहां मौजूद रहेंगे। होम डिपार्टमेन्ट के दिन अगर यह इश्यू आता है उस वक्त होम मिनिस्टर का यहां होना जरूरी है। सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट....

**श्री शोपत सिंह** : अभी तीन बजे गृह मन्त्रीजी का स्टेटमेन्ट है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : तीन बजने को आ रहे हैं।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : माननीय सभापति महोदया, जिस पर बोलने के लिये कहा गया है उससे सम्बन्धित सारे महकमें जुड़े हुए हैं केवल समाज कल्याण विभाग या जनजाति का मामला नहीं है। जो कटौती प्रस्तावों की सूचना दी गई है उसमें सारे जुड़े हुए हैं। अब आप यह कहकर नकार दें कि इससे किसी का सम्बन्ध नहीं है....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री शोपत सिंह :** माननीय सभापति महोदया, अभी तीन बजे गृह मन्त्रीजी जवाब देंगे बीकानेर की घटना के सम्बन्ध में। मैं यह चाहता हूं कि मामला बहुत गम्भीर है। यह तो दुर्भाग्य है हमारा कि आज इस शर्मा की जगह कोई हरिजन होता तो सदन की हालत निश्चित रूप से और होती।

**श्री सभापति :** आर्डर माननीय सदस्य।

**श्री शोपत सिंह :** यह समझते हैं क्योंकि वह एक आदिवासी गरीब महिला थी वह लड़की गरीब थी। एस.पी. के ऊपर इल्जाम है और अब इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और न सदन ले रहा है इसको गम्भीरता से। आखिरकार....

**श्री सभापति :** इसको बहुत गम्भीरता से लिया जा रहा है।

**श्री शोपत सिंह :** कोई गम्भीरता से नहीं लिया, क्या किया अब तक। इस मामले में क्या हुआ? यह आज की घटना नहीं है। यह घटना 5-10 दिन पहले की है। उसमें दो माननीय सदस्य इस सदन के मौजूद हैं उन्होंने गिरफ्तार कराया था। वहां पर एक गुण्डा है....

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, इसका जवाब दिया जायगा।

**श्री शोपत सिंह :** जवाब क्या देंगे। समाज कल्याण मन्त्री जवाब देंगे क्या? कोई गम्भीरता है क्या इसमें। आप इसको टालें नहीं और बीकानेर की घटना के बाद में जवाब देने का आदेश दिया जाय, उसके बारे में क्या हालत है। कैसे जमानत हुई। (व्यवधान) और गुण्डे ने जीप में बैठकर बलात्कार किया वह आदमी जमानत पर छूट गया। (व्यवधान) वह आदमी आज जमानत पर छूट जाय।

(म. प. 3.00)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप अपनी बारी आये तब पूछना कि क्या किया है?

**श्री मांगीलाल मेघवाल :** माननीय सभापति महोदया, अनुसूचित जाति की लड़की का मामला है, एक नाबालिग लड़की के साथ इतना बड़ा कुकर्म किया है....

**एक माननीय सदस्य :** बीकानेर की घटना के बारे में होम मिनिस्टर को स्टेटमेन्ट देना ही है, इसलिये उनको अभी बुला लीजिये....

**श्री सभापति :** आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री मांगीलाल मेघवाल :** पुलिस ने क्या किया?

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य को बोलने देंगे?

**एक माननीय सदस्य :** तीन बज रहे हैं सभापति महोदया, होम मिनिस्टर को बुलवा लीजिये आप....

**श्री शोपत सिंह :** बोलने का मतलब क्या हुआ? माननीय सदस्य बोल कर बैठ ही गये, कौन सुनता है उनकी व्यथा को?

**श्री सभापति :** आर्डर, आर्डर,

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, आपने समाप्त कर दिया है ?....

**श्री डूंगरराम पंवार :** इस सदन में कोई सुनना नहीं चाहता ।

**एक माननीय सदस्य :** आप ऐसी व्यवस्था नहीं दें तो इससे ज्यादा क्या बात होगी ।

**श्री सभापति :** इस वक्त जवाब देने की कोई प्रक्रिया नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री देवेन्द्र कुमार मीणा । (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस हाऊस को चलने दीजिये आपकी गम्भीर बातें गम्भीरता से आने दीजिये ।.... (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी :** सभापति महोदया, आन ए पाइंट ऑफ आर्डर ।

सभापति महोदया, तीन बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा था कि बीकानेर से सम्बन्धित होम मिनिस्टर साहब वक्तव्य देंगे, उनको बुला लीजिये ।

**श्री सभापति :** उन्होंने लिख कर भेजा है 4.30 बजे होगा । अब अगर आप समाप्त कर चुके हों तो मैं दूसरे को पुकारूं ? (व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा :** सभापति महोदया, मांग सं. 33....

**श्री सभापति :** Have you finished ? (व्यवधान)

आर्डर प्लीज । Have you finished? माननीय सदस्य, आपस में इशारे नहीं होंगे । माननीय सदस्य, आप समाप्त कर चुके हैं ?

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** समाप्त कब किया है ?

**श्री सभापति :** अब आप इसको कन्कलूड करिये, You have taken lot of time अब जल्दी समाप्त कीजिये । सीरियस बात को सीरियसली समाप्त करिये उसकी सीरियसनेस से कोई डिनाई नहीं करता.... (व्यवधान) आर्डर प्लीज ।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** माननीय सभापति महोदया, आज का यह मामला काफी गम्भीर है.... (व्यवधान)

**श्री पोकरलाल परिहार :** माननीय सभापति महोदया, मामले की गम्भीरता को देखते हुए काफी चिन्ता जाहिर की गई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये, उधर से महात्मा गांधी के नाम का भी उच्चारण किया गया है जब जनता पार्टी का राज आया, आरक्षण समाप्त किया जा रहा था ।

**श्री सभापति :** समाप्त करें । This is nothing. Now seriously please finish it up soon, within five minutes. पांच मिनट में समाप्त कर दें ।

**एक माननीय सदस्य :** जनता पार्टी के राज में तो एक पर्सेन्ट भी नहीं हुआ ।

**श्री सभापति :** आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य ।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** कैलाशी पुत्री मंगला उम्र 15 वर्ष जाति मीणा हाल

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

निवासी रावल कोतवाली सवाई माधोपुर ने अपने बयान दिये हैं कि मैं सच और झूठ में अन्तर समझती हूं और सभी सामान्य बातें अच्छी तरह जानती हूं कि मैं और मेरे पिता मंगला और मेरे भाई हरिमोहन पिछले तीन वर्षों से कचौबा वाले बाबा सत्य नारायण के चेले हैं, हमारे खेत बाबा की कुटिया के पास ही हैं मैं जब से बाबा की चेली हूं तभी से बाबा की सेवा करती आई हूं। आज से करीब नौ-दस माह पूर्व एक दिन बाबा ने मुझे प्रसाद खिलाकर मेरे साथ जबरन बुरा काम किया। जब मुझे होश आया तो मैंने कहा कि बाबा आपने मेरे साथ यह क्या किया ? बाबा ने बुरा काम करने के बाद मुझे एक धमकी दी कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई और मैं तुझे और तेरे घर वालों को पागल बना दूंगा और एस. पी. को, थानेदार को कहकर तुम्हारे सारे घर वालों को जेल में रखा दूंगा। एस. पी. वहां बीच-बीच में आया करता था। एस. पी. ने भी इस बात की धमकी मारी। बाबा ने मुझे यह भी कहा कि तू रोज कुटिया पर आयेगी और मैं जैसा चाहूंगा वैसे काम करवायेगी। बाबा और पुलिस के डर के कारण मैंने यह सारी बात किसी से नहीं कही और बाबा मेरे साथ लगातार बुरा काम करता रहा। इस दौरान मैंने पुलिस के कई थानेदार और एस. पी. को वहां देखा। यहां आते जाते देखा। बाबा के बुरा काम करने के कारण मेरे बाबा का गर्भ रह गया। जब मैंने बाबा को बताया कि मेरे पेट में बच्चा रह गया है। तब बाबा ने बच्चा गिराने के लिये पहले मुझे गोलियां दीं, एस. पी. के निवास पर ले गया और एस. पी. ने टेलीफोन करके चौधरी नर्सिंग होम पर भेजा। जब पेट से बच्चा नहीं गिरा तब यह उसके बाद की घटना है। उसके चार दिन बाद दुबारा मैं, मेरा भाई, मेरी बहिन, मेरी भुआ बाबा के कहने पर पुलिस की जीप द्वारा....

**श्री सभापति :** पूरा लैटर नहीं पढ़ेंगे माननीय सदस्य, सिर्फ आपरेटिव पार्ट पढ़िये, This take a lot of time, you know. अगर आप हर लैटर पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। जो उसका सैंसेटिव पार्ट है, जो उसका जरूरी पार्ट है उतना सा पढ़ दीजिये आप। (व्यवधान) आॅर्डर, आॅर्डर। समय भी जरूरी है और उसकी गम्भीरता को भी लाना जरूरी है।

**श्री शोपतसिंह :** वह सारा का सारा जरूरी है। उसको सुनते हुये शर्म आ रही है उधर शर्म आ रही है कि नहीं ? हमारे लिये यह खुशी का बायस नहीं है।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** आप ज्यादा लम्बी बातें नहीं सुनना चाहती है तो मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि बाबा और एस.पी. के कहने से इस लड़की का नाम कैलाशी की जगह उस नर्सिंग होम में कमला लिखाया गया। और एस पी. के कहने से जीप वहां पर गई है उस लड़की को नर्सिंग होम में लाये हैं और एस.पी. के कहने से उस नर्सिंग होम में उस लड़की को गर्भ गिराया है। पहली बार तो 22-5-89 को लाये हैं दूसरी बार 26-5-89 को लाये हैं और तीन दिन तक उस लड़की को भर्ती रखा है उसके बाद भी जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो बाबा को एस. पी. ने अस्पताल

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

में भर्ती करा दिया। इतना जबरदस्त अनुसूचित जनजाति की लड़की के साथ बलात्कार हो जाये, एस.पी. 376 की धारा को हटा दे उसको बैल आऊट कर दे और बाबा को छुड़ा लें। यह बाबा रहने वाला है बगेर गांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर का। जहां से 302 का अपराध करके यह भागा है और 302 का अपराधी आश्रम में बैठा है जिसके चेले वहां के एस. पी. और पुलिस के अधिकारी हैं और हमारी मां-बहिन और बच्चियों के साथ बलात्कार हो और आप होम मिनिस्टर को बुलायें नहीं। मैं आपसे मांग करता हूं यहां पर होम मिनिस्टर को बुलायें। मैं निलम्बन की मांग करता हूं आप इस स्थिति को बचाना चाहती हैं बात दूसरी है वरना आप होम मिनिस्टिर को बुलायें और इस बात का जवाब दें। आप होम-मिनिस्टर को बुलाइये। अनुसूचित जनजाति की लड़की है उसके साथ बलात्कार हुआ है। अबार्शन अस्पताल में करवाया है। गर्भ गिराने में और सारे काण्ड में एस. पी. अभियुक्त है। इसलिये एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही होना नितान्त आवश्यक है। एस. पी का ट्रांसफर हो गया था इस बात का जैसे ही पता लगा कि मेरे पर इसके चार्ज लगेंगे यहां पर पांच लाख की भेंट कर गया और अपना ट्रांसफर कैन्सिल करा गया और इस मामले को दबा दिया।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। इस बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो हुआ लेकिन एस. पी. ने क्या किया कि गाँव वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जिसका एफ. आई. आर. नम्बर 273/89 है, जिसमें धारायें लगाई 147, 148, 149, 448, 323, 307, 504, 342 आई. पी. सी. की धारा उनके घर वालों के खिलाफ लगाकर के पुलिस उनको गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुकदमा तो पहले दर्ज हुआ और उसके बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका एफ आई आर नम्बर 275/89।

**श्री सभापति :** यह चालान कोर्ट में पेश हो गया है क्या ?

**श्री किरोड़ीलाल मीणा :** बाबा तो बाहर निकल आये, चालान किसका पेश करें। अब तो उल्टा पीछे भग रहे हैं, पुलिस उनको परेशान कर रही है पुलिस यह चाह रही है कि किसी न किसी तरह लड़की इस बात को मना करे या लड़की का बाप मना करे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार को जवाब आज देना पड़ेगा। मैं एस. पी. के निलम्बन की मांग करता हूं। मैं इस हाउस में स्पेसेफिक चार्ज लगाना चाहता हूं, एस. पी. इसमें लिप्त है, एस. पी. उसको बचाना चाहता है।

**श्री सभापति :** सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट इसको टेक-अप करे और होम डिपार्टमेंट से उसकी कार्यवाही जल्दी करवाये....

**एक माननीय सदस्य :** गृह मन्त्री महोदय को बुलवाइये और जवाब दे इसका।

**श्री सभापति :** सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया है कि इस हिस्से को होम डिपार्टमेंट से टेक-अप करके

(श्री सभापति)

इसके चालान को अदालत में प्रस्तुत करवाये।

**एक माननीय सदस्य** : यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है ?

**श्री सभापति** : बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट इस केस को टेक-अप करके होम डिपार्टमेंट को भेजे और होम डिपार्टमेंट दोषी अधिकारियों के विरूद्ध चालान शीघ्रातिशीघ्र पेश करे। (व्यवधान)

**श्री शोपत सिंह** : सभापति महोदय, यह क्या ? होम डिपार्टमेंट एक्शन लेगा और इसको सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट भेजेगा। यह क्या बात रही। यह कानून आप कहां से ले आयी। गरीब के साथ बलात्कार हो, जुल्म हो और एस.पी. उसमें शामिल हो। समाज कल्याण विभाग इसको टेक-अप करेगा फिर गृह विभाग क्या करेगा ? गृह विभाग क्यों नहीं कार्यवाही करेगा। सभापति महोदय, इस सदन ने पहले आदेश दिये हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन के अन्दर पुलिस को यह आदेश दिया गया है, इस सदन के द्वारा कि फलां-फलां मुल्जिम को गिरफ्तार किया जावे। (व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : सभापति महोदय, बीकानेर की घटना पर तीन बजे.......

**श्री सभापति** : वह स्टेटमेंट 4.30 बजे होगा।

**श्री शोपत सिंह** : सभापति महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं आज नहीं तो कल गृह मन्त्री का इस पर स्टेटमेंट होना चाहिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय मंत्रीजी पाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे है।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** : एक जिम्मेदार एस. पी. बलात्कार करता है, एक अधिकारी शामिल है, दोषी है इसलिये आसन माननीय गृह मंत्रीजी को सदन में आमंत्रित करे।

**श्री सभापति** : आर्डर आर्डर....

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब होम डिपार्टमेंट की मांग हो तो उस समय यह प्रश्न उठावें या अन्य नियमों के जरिये, या कार्य संचालन सम्बन्धी जो नियम हैं, नियम 127, या एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये या नियम 295 के जरिये और भी कई तरीके हैं, जब इतना संगीन मेटर आप समझते हैं, तो उन नियमों के अन्तर्गत आप उठा सकते हैं। इतना टाइम लग जाये यह कहां तक उचित है ? (व्यवधान) कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के कई नियम हैं उनके जरिये, उसके अन्तर्गत आप उठावें।

**श्री सभापति** : समाप्त करिये। माननीय सदस्य आपने एक घंटे का समय ले लिया है।

**श्री सी. पी. जोशी** : पाइंट ऑफ आर्डर।

**श्री अमरचन्द** : सभापति महोदय, और भी सदस्य बोलने वाले हैं ...

**श्री शोपत सिंह** : आप क्या बोलेंगे ? +++ बोल कर क्या करेंगे ?....

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय सभापति, आज 4.30 बजे बीकानेर की घटना के सम्बन्ध में स्टेटमेंट आयेगा....

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** : सभापति महोदया, हमारे यहां यह सबसे बड़ी घटना है....(माननीय सदस्य सीट पर से खड़े होकर आसन के पास आ गये) ...मैं सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा । (व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है....(व्यवधान)

**श्री सभापति** : कृपया सुन लीजिये ।

**श्री सी. पी. जोशी** : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने एक गम्भीर प्रश्न उठाया है । इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज 4.30 बजे एक स्टेटमेंट होने वाला है वह कल कर दें और माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप भी आप गृह मन्त्रीजी से बात कर लें और डिबेट भी चलती रहे । डिबेट भी नहीं हो और यह भी नहीं हो, यह तो ठीक नहीं है । माननीय सदस्य की जो भावना है उस सम्बन्ध में आप बात करें । 4.30 बजे स्टेटमेंट आयेगा । डिबेट भी पूरी नहीं होगी । अतः इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें । आपको बिजनेस रेगुलरेट करना चाहिये । यह तरीका नहीं होता है । सेन्टीमेन्टस् हो सकती हैं यह मैं मानता हूं परन्तु हाउस को रेगुलरेट करना होगा ।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।....

**एक माननीय सदस्य** : इस घटना पर गृह मन्त्री सारे फैक्टस् ले लें और कल बयान दे दें । (व्यवधान)

**श्री रघुनाथ परिहार** : सदन को गरिमा से चलाना चाहिये ।

**एक माननीय सदस्य** : आप आसन से व्यवस्था दें ।

**श्री शोपत सिंह** : इस गम्भीर मामले पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज ।

**श्री शोपत सिंह** : कल गृह मन्त्रीजी से स्टेटमेंट दिला दें । (व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्लीज सीट डाउन । आर्डर प्लीज ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : सभापति महोदया, यह समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित मामला है । माननीय सदस्य ने जितने मुद्दे उठाये हैं वे सब हरिजनों से सम्बन्धित मामले हैं । आज समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित डिमाण्ड है । हरिजनों पर आज जितने भी अन्याय, अत्याचार और व्यभिचार हो रहे हैं....उस पर कार्यवाही होनी चाहिये । सरकार इनको दबाना चाहती है । (व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** : सभापति महोदया, आज इस हाउस में अनुसूचित जाति ...

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

**श्री मोतीलाल मीणा** : एस. पी. इस तरह की कार्यवाही करे और आप दबा दें।........

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : सभापति महोदया आज की तारीख में हरिजन समाज को सुरक्षा की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति की लड़कियों को सुरक्षा दी जानी चाहिये।....(व्यवधान) आपको सामाजिक सुरक्षा की डिमाण्ड को सदन में नहीं लाना चाहिये था। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करिये आप।

(3.22 म. प.)

**(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : सारा का सारा माननीय सदस्य ने लिखित में रिकार्ड दिया है, प्रूफ दिया है। सामाजिक सुरक्षा की डिमाण्ड है, हरिजनों का मामला है। या तो आप सामाजिक सुरक्षा की डिमाण्ड को हटा दीजिये, हम नहीं मानेंगे। सामाजिक सुरक्षा की आप डिमाण्ड लाये.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। चुन्नीलालजी, आपका नाम है। You will speak, please sit down.

**श्री मोतीलाल मीणा** : तो आतंकवाद को रोकने के लिये पंजाब में डेपूटेशन कराओ इनका। उपाध्यक्ष महोदय, कइयों के फातिहे पढ़ गये, इनके भी पढ़ जायेंगे। वहां भेजो इन सूरमाओं को पब्लिक को पीट रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मानिकचन्द सुराना।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : उपाध्यक्षजी, अभी हाउस में जो कुछ हुआ वह आपने अपने चेम्बर में सुना होगा। मसला बहुत गम्भीर है। बहुत गम्भीर आरोप सवाई-माधोपुर के एस. पी. के खिलाफ वहां बलात्कार के मामले में और वह भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो कुछ किया गया उसके बारे में बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन डा. किरोड़ीलालजी इस सदन के माननीय सदस्य ने किया। मसला सिर्फ यह है कि उस सारे मुद्दे पर गृह मन्त्री वक्तव्य दें चाहे वह मामला समाज कल्याण की डिबेट पर उठ गया, ग्रांट पर उठ गया लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं वह तथ्य मिले-जुले हैं। वह गृह विभाग से भी सम्बन्धित हैं, समाज कल्याण विभाग को उसका काग्नीजेंस लेने का पूरा अधिकार है। चेयर से यह रूलिंग भी हुई है कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री तीन दिन में इसमें फौरी कार्यवाही करें और इस सदन को रिपोर्ट भी करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मामला आ गया है, हाउस इसलिये एजीटेटेड है कि उस पर राज्य सरकार का गृह विभाग और आज की डिबेट का समाज कल्याण विभाग जो जवाब दे वह दे ही लेकिन इस पर कल गृह मंत्रीजी समुचित उत्तर दें, समुचित कार्यवाही करें और उस एस.पी. के खिलाफ जो गम्भीर आरोप आये हैं, यह हाउस में टाक आउट नहीं हो जाय, उस पर पाइन्टेड कार्यवाही हो जाय, यह हम सब लोगों की मंशा है और हम यह चाहते हैं कि इस सदन में जो कुछ यह सारी चर्चा हुई है उसमें आपका प्रोटेक्शन मिले, गाइडेंस मिले और सरकार को यह निर्देश मिलें कि कल उस पर गृह मंत्रीजी वक्तव्य दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूं कि मेरे पूर्व जो चेयर पर....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : माननीय सदस्य पर, व्यक्तिगत इन पर लाठीचार्ज हुआ था वही एस. पी. वहां था, मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था हम इसकी जांच करायेंगे । (व्यवधान) नहीं, सुन लीजिये पहले आप । उसकी जांच हुई नहीं । उसकी जांच हुई नहीं, अभी जो मामला आपने रखा है बलात्कार का....

**श्री शोपत सिंह** : इसको मिक्स-अप करें । डोंट मिक्स-अप ।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : पहले मेरी बात सुन लीजिये आप । मेरी बात आप सुन नहीं रहे । आज जो बलात्कार का मामला रखा है वह बहुत ज्यादा गम्भीर है । यह जरूरी है कि इस मामले में राज्य सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिये । आज यह जो साढ़े चार बजे आ रहे हैं उस समय दें तो बहुत अच्छा है नहीं तो कल इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि हाउस में एजीटेशन इस मामले को लेकर हो रहा है वह शांत हो सके । (व्यवधान)

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : एक मामला नहीं है, डाक्टर साहब ने एक दर्जन मुकदमों का सबूत दिया है, इसलिये सारे मुकदमों की जांच होनी चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके लिये तो मेरे पूर्व जो पदासीन थे इस आसन पर उन्होंने एक व्यवस्था दी है, मैं समझता हूं कि उस मामले में वह व्यवस्था समुचित है, पर्याप्त है । तीन दिन में उनसे कहा गया है आप इस पर कोई फौरी कार्यवाही करके उसका कोई जवाब दें और उसमें कोई कार्यवाही करनी हो तो कार्यवाही करायें । (व्यवधान)

**श्री मोतीलाल मीणा** : कार्यवाही करनी हो तो, क्या मतलब है इसका । बहुत आश्चर्य का विषय है ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : के. के. शर्मा की बात है....(व्यवधान) उसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता क्या है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप एक सैकण्ड बैठिये । प्लीज सिट डाउन । मैं कह रहा हूं । आप क्या मानते हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं, जो निर्देश चेयर से आये हैं उनमें क्या समाज कल्याण विभाग सक्षम होगा कि वह कोई इन्क्वायरी करे। नेचुरली....

**श्री शोपत सिंह** : काहे का सक्षम होगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सुनिये तो सही आप । आप सुनेंगे भी नहीं । आप आसन को भी नहीं सुनना चाहते । (व्यवधान)

**श्री मोतीलाल मीणा** : गृह विभाग से जुड़ा हुआ है सीधा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कह रहा हूं । Who will do it ? (व्यवधान) अब इस बात को लाजिक्स को नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं । पहले लाजिक्स को समझिये । (व्यवधान) बैठिये । बैठिये ।

**श्री मोतीलाल मीणा** : के. के. शर्मा, एस. पी. ने यह कहा है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Please sit down. I say sit down.

**श्री मोतीलाल मीणा** : आप मुझे सस्पैण्ड कर दीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कहूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Please sit down, I say

**श्री मोतीलाल मीणा** : मैं मेरी बात कहूंगा, सर। के. के. शर्मा, एस. पी. ने यह कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मोतीलाल मीणा, मेरे से कहा, आपने यदि इस साधु के खिलाफ यहां आवाज उठाई, जिन्होंने लड़की का बलात्कार किया तो मेरे पास....(व्यवधान) के. के. शर्मा ने मेरे से खुद ने कहा है --

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये, बैठिये। आप अपनी बात को गौण कर देते हैं। आप अपनी बात को बिल्कुल गौण कर देते हैं। उसको अनइम्पार्टेण्ट बना देते हैं। मैं कहने क्या जा रहा हूं। आप मेरी बात को नहीं सुन रहे। समाज कल्याण विभाग इसमें इन्क्वायरी करेगा ? कोई सक्षम है ? नेचुरली होम से ही करवायेगा इस मामले में। सारे रिकार्डस मंगवायेगा आप आफ्टर-आल किसी बात को समझने की कोशिश तो कीजिये ।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** : जब तक तो वह सारे गांव को खाली करा देगा। वह एस. पी. सारे गांव को खाली करा देगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। इससे आगे अब फरदर निर्देश नहीं दूंगा। फिर आप देख लीजिये। नो डायरेक्शन। No further direction. No direction. (व्यवधान) समाप्त करें आप। बैठिये आप।

**श्री मोतीलाल मीणा** : उनके परिवार-जन पर मुकद्मे बना रही है पुलिस झूंठे, दबाने के लिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। बैठ जाइये। बैठ जाइये अब आप।

**श्री मोतीलाल मीणा** : यह समाज कल्याण विभाग के बस की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सम्बन्ध गृह विभाग से है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। मैंने क्या कहा ? मैंने क्या कहा ? मैंने यही तो कहा है।

**श्री मोतीलाल मीणा** : तो आप सारी बात कहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो क्या कहूं ? क्या कहना है आपको ?

**श्री हीरालाल आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, आप होम मिनिस्टर को कहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आसन की व्यवस्था हो चुकी है, तीन दिन बाद बात होगी इस पर। बैठिये आप। डा किरोड़ीलाल मीणा। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल आर्य** : समाज कल्याण मन्त्री इनको कहेंगे, फिर वह कुछ रिलीफ देंगे। फिर कार्यवाही करेंगे। सीधे होम मिनिस्टर क्यों नहीं करते ?

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन।

(श्री उपाध्यक्ष)

कृपया बैठें आप । देवेन्द्रजी मीणा । Enough time has been taken. Enough time. Please sit down. आप बैठें । प्लीज सिट डाउन । मैं सारे मामले की गम्भीरता समझ गया हूं । मैं आपसे ज्यादा गम्भीर हूं । प्लीज सिट डाउन । प्लीज सिट डाउन । प्लीज सिट डाउन । (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सरकार कुछ नहीं बोलेगी इस मामले पर ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : डायरेक्शंस दे दिये गये । उसके बाद क्या बोलेगी ? डायरेक्शन दिये हुए हैं । प्लीज सिट डाउन । (व्यवधान)

**श्री मोतीलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, यही बात आज यदि किसी सवर्ण महिला के साथ....

**श्री उपाध्यक्ष** : नो इंस्ट्रीगेशन । No instigation. No instigation to each other.

**श्री मोतीलाल मीणा** : एस. पी. कह रहा है दोनों एम. एल. ए. को गोली से उड़ा दूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब कृपया बैठें । अब कोआपरेट कीजिये । अब कोआपरेट कीजिये । बैठ जाइये आप । प्लीज सिट डाउन ।

**श्री मोतीलाल मीणा** : एस. टी. की लड़की से रेप किया जाय (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : What happened to you ? What has happened to you ? कृपया बैठें आप ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हाउस के मेम्बर इतने उद्वेलित नहीं होते, हालांकि यह समाज कल्याण विभाग की डिबेट चल रही है....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप क्या बोल रहे हैं ? आर्डर में आ गया फिर आप....

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह मामला गम्भीर है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Not to be recorded.

**श्री मोतीलाल मीणा** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । I am not allowing you to speak. This is not forum.

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री नारायण राम बेड़ा** : XXX

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव देना चाहता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सुझाव देंगे ? मैंने व्यवस्था दे दी । प्लीज सिट डाउन ।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन, नारायण राम जी, बैठिये आप ।

**श्री नारायण राम बेड़ा** : XXX

---

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (विधि मन्त्री) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए उद्वेलित हैं और हाउस का वातावरण भी गर्म है। इस चीज को देखते हुए इस बारे में स्पीकर साहब, होम मिनिस्टर तय करके सदस्यों से तय करके अगर स्टेटमेंट देने की आवश्यकता हो तो कल दे देंगे, जैसे भी दे देंगे, इससे सन्तुष्ट करा देंगे। कल ही यह फैक्ट्स ले लेंगे और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** At last Daniel has come.

**श्री दिग्विजय सिंह :** विश्नोई साहब, आपने पहली बार सही बात कही है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** पहली बार समझदारी की बात की है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :** उपाध्यक्ष महोदय, जन जाति के लोगों के लिए उपयोजना का डिपार्टमेंट खोला है उसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। आजादी के बाद जो आदिवासी बिका हुआ, उसकी खराब हालत, किसी के सामने बोल नहीं सकता था, उसके लिए, उन आदिवासियों को लाभ देने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमारी सरकार ने जनजाति उपयोजना का डिपार्टमेंट खोला उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। उसमें कई तरह के आज हमारे काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उदयपुर सम्भाग जो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां की आबादी बिखरी हुई, शिक्षा का अन्धकार, सिंचाई की असुविधा और सब तरह के आवागमन आदि की दिक्कतें हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमारी सरकार ने उस क्षेत्र के लिए, उन आदिवासियों के लिए आवागमन के साधन दिये, हमको सिंचाई के साधन दिये और सब तरह की सुविधा दी।

मैं मानता हूं कुछ कमियां हैं। उन कमियों की ओर हमें सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां पर हम गत वर्ष के भयंकर अकाल की स्थिति से उबरे हैं....

**एक माननीय सदस्य :** यह माननीय सदस्य, अपनी आत्मा से कह रहे हो क्या ?

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा :** आप क्यों बोल रहे हैं ? आपको कौन पूछ रहा है ? आपकी बारी आए तब बोलना।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि भील, मीणों की स्थिति आज किस प्रकार की है जो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं, जिनके पास जमींदारी देखिये आप, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने की सुविधा देखिये लेकिन जिस आदिवासी के पास रोटी खाने को नहीं, बच्चों के पास स्कूल जाने को किताब नहीं, जिस आदिवासी के पास मोटर में जाने का पैसा नहीं उन आदिवासियों के लिए जनजाति उपयोजना खोली है लेकिन स्व. पूज्य वर्मा साहब ने हमारे साथ अन्याय किया कि सारा समूह एक बड़ा और एक छोटा झुण्ड सारा इकट्ठा करके उनको एक

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

रिजर्वेशन दे दिया । मैं कहता हूं कि इसमें भी तुलना होनी चाहिए कि जो लोग ज्यादा संख्या में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसके आधार पर सरकार को एक नमूना बनाना चाहिए ताकि एक गरीब आदमी इस जनजाति उपयोजना के अन्दर फायदा ले सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां उदयपुर का मामला है, आज मैं मानता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर से हमारा एक भी आदमी सर्विस में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें इतना कम्पीटीशन है। हमारे पास में खाने की सुविधा नहीं, पढ़ाने की सुविधा नहीं। बहुत कम हमारे पास जमीन है, उससे क्या हम निर्वाह कर सकते हैं। तो जो लोग ज्यादा उछल रहे हैं। हम पर हावी हो रहे हैं, हमारी बात को कहने नहीं देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको शंका पैदा हो गई है कि यह लोग हमको दूर करना चाहते हैं और हमारी इसी तरह बेइज्जती करना चाहते हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कमियां हैं गत साल अकाल के टाइम पर सड़कों के काम पर हमारी सरकार ने बहुत पैसा लगाया और काम भी हुआ लेकिन बहुत काम अधूरा है उसको हमारी सरकार को देखना है कि उन अधूरे कामों को कैसे पूरा किया जाय। उनमें हमारा जो पैसा लगा उसके वेस्टेज को कैसे रोका जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं चाहे इरिगेशन हो, पी. डब्ल्यू. डी. हो, स्कूल भवन हो, जो भी काम हो वह सरकार जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत लेकर के उनको पूरा करे और इस मौके पर आपके द्वारा मन्त्रीजी और सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो कमियां हैं, जनजाति निगम बना हुआ है, आज हमें आदिवासी एरिया में 1.55 रुपये किलो गेहूं मिलता है, सब राशन मिलता है लेकिन उसमें क्या होता है कि जो खेरवाड़ा का बोर्डर है गुजरात से लगा हुआ वहां पर जो व्यापारी है वह लोग हमारा अनाज ले जाते हैं। कई लोग उनको अनाज निकाल देते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी लोगों में राशन की वस्तुयें वितरण करने के लिए आपको अपनी तरफ से आदिवासी लोगों को ही सही ढंग से लाइसेंस देने चाहिए ताकि उनमें हिम्मत नहीं हो कि चोरी कर सकें और चोरी करके ले जाते हैं उनके ऊपर सजा की कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें ढील नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोग भी गत साल सभी एरिया में घूमे हैं, समाज कल्याण विभाग का भवन भी देखा है, छात्रों के लिए जो छात्रावास की व्यवस्था है उसको देखा है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जैसे कोटड़ा की बात कह सकता हूं, झाड़ोल की बात कह सकता हूं। वहां पर जो समाज कल्याण की तरफ से भवन बने हैं वे खुर्द-बुर्द हो गये हैं, बहुत पुराने हो गये हैं, कभी भी लड़कों के ऊपर गिर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, उन छात्रावासों को ठीक करना चाहिए और लड़कों को ओढ़ने व बैठने के लिए सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इस मौके पर आपसे एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे उस एरिया का विकास करना है, उस क्षेत्र

144



(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

को ठीक ढंग से लाना है तो इस योजना के अन्तर्गत एग्रीकलचर और सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। जो हमारे काम रह गये हैं, सिंचाई का पानी जो बह रहा है उसको जाने से रोकें। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे झाड़ोल के पास से होकर के जो गोगून्दा से बाकल निकली है उसका सारा पानी गुजरात में जा रहा है। हमने निवेदन किया कि कोटड़ा का पानी, कोटड़ा का सारा हिस्सा आ गया, सारा पहाड़ी इलाका है। तो उस एरिया में पानी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन लोगों को पानी की, सिंचाई सुविधा मिल सकें।

मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हमारी नीति है, हमारी कांग्रेस सरकार की जो नीति है उस नीति को सक्सैज करने में, कई लोग कुछ टाइम पहले, मैं इस हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम गरीब, अदर कास्ट और आदिवासी भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। चाहे कोई बनियां हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी आदिवासी बाहुल्य हो, हमें एक भाई की तरह रहना चाहिए। लेकिन कुछ समय पहले, आप रोज कुण्ड की बात ले लीजिये, कोटड़ा की बात ले लीजिये वहां पर हम लोगों में फूट डालने के लिए कई ऐसे लोग ऐसे तत्व हैं जो अलग-अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विकास के अन्दर, विकास के प्रति जो भावना है और विकास के अन्दर जो फूट डालने वाले लोग हैं उनसे सावधान रखकर हमारे आदिवासी क्षेत्र का विकास करना चाहिए। जो कमियां है, हमारे डिपार्टमेंट को ध्यान देकर के उन कमियों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 समाज कल्याण और समाज, की सुरक्षा के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे वर्षों से देश को ज्यों ही देश को आजादी मिली और हमारी चुनी हुई जनता की इस देश में एक व्यवस्था लागू हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कर जो समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी को हरिजनों को मुहैया कराना, उनके मोहल्लों में बिजली लगाना आदि आप लम्बे अर्से से समाज कल्याण का प्रोग्राम चला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता कि काम बिलकुल नहीं हो रहे हैं लेकिन जो होने चाहिए वे काम समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन मौहल्लों में पीने का पानी और बिजली का पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार कुछ बजट देती है नाम मात्र का फिर भी यदि वह बजट हरिजन मौहल्लों में पानी और बिजली का लगता तो कुछ निश्चित रूप से काम होते। लेकिन बिजली के खम्भे हरिजनों के मौहल्लों के नाम से, पाइप लाइन हरिजन के मौहल्लों के नाम से सैंक्शन और लग जाती है दूसरे मौहल्लों में। इसलिए मैं आपकी मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, चाहूंगा राज्य सरकार से खास तौर से समाज

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कल्याण मन्त्रीजी से कि इसको आप देखें और इस व्यवस्था को ठीक ढंग से सुधारें।

उपाध्यक्ष महोदय, रहा सवाल समाज कल्याण के राजस्थान में छात्रावास का। उपाध्यक्षजी, राजस्थान बनने के बाद यह निश्चित बात है कि समाज कल्याण एक बहुत बड़ा और हरिजन जो दबे हुए गरीब समाज का, इस देश के बहुत नीचे का तबका जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में और उनका सुधार करने के लिए आर्थिक विकास करने के लिए निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि छात्रावासों की व्यवस्था की गई है लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि इतने हरिजन छात्रों को पढ़ाने के लिए, उपाध्यक्षजी, आप ताज्जुब करेंगे कि सिर्फ 140 रुपया मासिक देते हैं और उससे थोड़ा ऊपर पढ़ने वाले को 145 रुपया। 145 और 140 रुपये से क्या इन्सान पढ़ सकता है ? क्या वह अपनी बुद्धि का विकास दूसरे लड़कों के मुकाबले कर सकता है ? इसलिए मैं लम्बी बात नहीं कह कर समाज कल्याण के मन्त्रीजी से आपके मार्फत चाहूंगा कि जो विद्यार्थी को, हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति शिक्षा के लिए छात्रावास में दे रहे हैं वह 140 नाम मात्र का है। न नाश्ता है, न साबुन है, न तेल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस 140 की जगह पर आप 300 रुपये कीजिये ताकि उनका स्टेण्डर्ड सुधरे और दूसरे 145 की जगह आप 350 रुपया कीजिये। तो हम मानेंगे कि इस प्रांत में, ग्रामीण क्षेत्र में आप हरिजन के प्रति, हरिजन छात्रों के प्रति कुछ सरकार जागरूक है। नहीं तो 45 साल का जन्मा हुआ बच्चा, उनकी आज 45 साल की उम्र हो गई है परन्तु उनको कुछ नहीं मिला है। मन्त्रीजी मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम हाउस में, मैं भारतीय क्रान्ति दल का विधायक रहा हूं, कांग्रेस का भी रहा हूं। आपकी जगह पर आपके पिताजी हमारे गुरुजी भीखा भाईजी यहां मन्त्री थे। यह बात चाहे कांग्रेस में हो, चाहे इधर हम बैठे हों, हमने यह मुद्दा उठाया है लेकिन उसमें कोई, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक सुधार नहीं हुआ है। मैं इस बात को समझ गया, चाहे कोई महकमा हो, समाज में सुधार तभी होगा जब हम सब समाज के प्रति जागरूक होंगे। समाज में लोगों की कुछ ताकत, माली हालत, आर्थिक और शारीरिक ताकत होगी तब इस समाज का सुधार होगा। कमजोर वर्ग की आज इस दुनिया में, इतिहास में किसी ने नहीं सुनी। कमजोर व्यक्ति आज तक कुचला गया है, चाहे आप कितनी ही ताकत लगा लो उनका सुधार नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के दूसरे हमारे सम्बन्धित मन्त्री हैं, बैठे हैं उनका समाज तो हमसे भी ज्यादा दबा हुआ है। भंगी मुक्ति। आज यह विषय है। आपने 40 साल तक, मैं किसको सम्बोधित करूं अब, सारे मेरे मित्र हैं। उस मुक्ति आन्दोलन में आज तक आपने भंगियों का क्या सुधार किया ? आज भी कष्ट मुक्ति के सिर पर वही टोकरा है, चीफ व्हिपजी। जहां इस देश में अंग्रेज राज करते थे, इस देश में नवाब और राजा राज करते थे उस राज व्यवस्था को बदलने के बाद भी क्या सुधार कर रहे हो। गांधी के चेले बनकर राज बदलने के बाद आज भंगी के सिर पर वही

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

गन्दगी का टोकरा है। इसलिए आप किसका सुधार कर रहे हो। +++ कि आज हम को इस तरह से +++ खुश करना चाहते हो। हम न आपकी टिकट से राजी होंगे, न आपके +++ राजी होंगे हम चाहते हैं कि समय है, मंत्रीजी वक्त है आपके हाथ में। आप कहेंगे राज के मंत्रीमण्डल में कि यह हमारे ऊपर दाग है। आज भारत आजाद है, आजाद हिन्दुस्तान में जिन लोगों के नाम से, उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये साल में खा रहे हैं लेकिन उसके सिर पर वही गन्दगी का, मैले का टोकरा। यह क्यों आप उपदेश दे रहे हैं ? इसलिए मैं खास तौर से मेरे मित्र माननीय मंत्रीजी मांगीलाल जी आर्य से निवेदन करूंगा कि आप छोड़िये मंत्रिमण्डल में कुछ नहीं हैं। आप उस दबे हुए गरीब समाज के जिसके सिर पर गन्दगी की टोकरी है, उसको उतारने के लिए समाज में चेतना लाइये, समाज में क्रांति लाइये। यह सरकार झुकेगी जब जाकर के समाज में सुधार होगा। वरना मंत्रीजी चाहे चुन्नीलाल इन्दलिया एम. एल. ए. बन जाय, चाहे आप कुछ भी बन जायें। मंत्री का सन्तरी होता है, सन्तरी का मंत्री होता है। यदि आप समाज में चेतना लाना चाहते हैं क्यों भई आपके पास ताम्र पत्र है क्या कि मेहतर ही इस देश का गोबर ढोयेगा। लानत है इस सरकार को, लानत है डेमोक्रेसी को, लानत है जनतन्त्र को जो इस जनतंत्र में चुनी हुई सरकार बैठ कर आज भंगी मुक्ति का नाम लेकर और लाखों रुपयों का बजट खा रही है; समाज को धोखा दे रही है। इसलिए समाज में, उपाध्यक्ष महोदय चेतना आनी जरूरी है। इसलिए मैं मांगीलाल जी आर्य मेरे मित्र हैं उनसे आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह इस समाज में क्रान्ति लायेंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास के बाद एक मामला और है। हमारी चुनी हुई सरकार ने इस राजस्थान में चयनित परिवार, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उनका हम आर्थिक विकास करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय; इन्होंने दबे हुए हरिजनों को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए भारी प्रयास किये। इसकी मैं बुराई नहीं करता। इस सत्ता में, इस पार्टी में हैं कुछ लोग हैं, गांधी भक्त हैं, पण्डित जवाहर लाल नेहरू के भक्त हैं इन्दिराजी के भक्त हैं लेकिन वह नाममात्र के हैं उनका बहुमत नहीं है। बहुमत उन लोगों का है, इस देश पर जो शासन करने वाले नरेश और इस देश के मौजूदा पूंजीपति लोग हैं। इसलिये आप मंत्री बन जाओ, चाहे एम.एल.ए. बन कर राजी हो जाओ, लेकिन आपको दबे हुए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदमियों को उठाना है। आपने आदेश दिया है, इस देश, प्रदेश राजस्थान में सर्वे कीजिए कि किस गांव का कौन ग्रामीण गरीबी के मापदण्ड से नीचे है। नारायण सिंह जी जानते हैं कहां से आये हुए हैं, गरीब लोगों को चयनित किया जाता है; समाज कल्याण की भी व्यवस्था में इनका सहयोग है। जमीन का जहां मामला आये, चयनित परिवार के आदमी का आर्थिक विकास करने के लिए ये भूमिहीन हैं, यह

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिये इसको सरकार खेती के योग्य भूमि दे। सरकार ने भी क्या किया? चयनित लोगों के नाम से इंदिरा नहर क्षेत्र सिंचित एरिया में नारायण सिंह जी, आप जानते हैं, कैसे अलाटमेंट किया है। लेकिन मुझे खेद है, यह बात कर रहे हैं गरीबों और हरिजनों की। जितनी भी भूमि आज से 14 साल पहले भूमिहीन हरिजनों को दी गयी थी, वह चयनित परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे। उन सारे हरिजनों की भूमि खारिज करके और धनाढ्य लोग जो खास करके बड़े लोग हैं, नारायण सिंह जी, आप तो जानते हैं, होकर आये हैं बीकानेर के इलाके में अलाटमेंट उन लोगों ने लिया है। क्या समाज कल्याण करेंगे? आप दबे हुए लोगों को नहीं नकार सकते। दबे हुए लोग जिस दिन मैदान में आयेंगे, मंत्री जी, जिस दिन उनको इशारा होगा कि सर को उठाइये इन्कलाब के नारे लगाइये और गांधी जी की तस्वीर घरमें लाइये। बगावत होगी, जो शोषण करने की आपकी प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ। तब जा करके समाज कल्याण और उन दबे हुए लोगोंका जो आर्थिक विकास करना चाहते हैं, उन लोगों में कुछ विकास होगा।

इतना ही नहीं, सरकार ने बहुत एक और सुन्दर व्यवस्था की है ग्राम सेवा सहकारी समिति। मुझे याद है, हमारे यहां चौधरी मोतीलाल जी थे, खाटू के एम. एल. ए. अच्छे विद्वान और विदेशों में पढ़ कर आये थे। उस वक्त सुखाड़िया जी को, प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि हमारे देश में गरीब बहुत ज्यादा हैं, इन गरीब लोगों के लिये कोई न कोई रास्ता निकाला जाये। इस बोहरे प्रतिशत से पिंड छुड़ाएं नहीं तो इस देश का शोषण होगा, इस गरीब का शोषण होगा। लेकिन इस गरीब को बोहरे खा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मोतीलाल जी कांग्रेस के यहां के विधायक थे, वह बाहर विदेशों में गये और अध्ययन करके आये पंडित जी के आदेश से तो उन्होंने कहा कुछ हम ग्राम सेवा सहकारी समिति, को-आपरेटिव बनायें। उनके जरिये राजस्थान में शायद रघुनाथ जी विश्नोई को भी इस बात का पता हो, वह एक्ट लागू हुआ ग्रामीण सेवा सहकारी समिति। मतलब इसका यह था कि हरिजनों का जो घोर शोषण चल रहा है ब्याह शादी में ओसर में, पोसर में, खेती-बाड़ी में, तो यह ब्याह प्रथा और बोहरे प्रथा खतम नहीं की जायगी तो हमारी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की। हमारे ऊपर इस देश और प्रदेश के गरीब का यह दाग है। इसको धोना है को-आपरेटिव द्वारा। गांव के बोहरे, गांव के बहुत बड़े धनी लोग, गांव के भूतपूर्व जागीरदार लोग, बोहरे बड़े नाराज हुए कि कांग्रेस ने तो मरवा दिया। यह ग्राम सेवा सहकारी समिति क्या है? तो कई वर्ष तक वह नाराज रहे। तब तक हमारा सहकारी आंदोलन बहुत अच्छी तरह चला। गरीबों को लाभ मिला लेकिन उन लोगों ने गुरुमंत्र दिया नाराज होने से पार नहीं पड़ेगी। तो कि आप ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मेम्बर बन करके इसके अन्दर घुस करके अपना बहुमत सिद्ध करके और इसका ग्राम सेवा सहकारी समिति का शोषण करने के लिये अध्यक्ष बनो। वह

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मेम्बर बने। उसके अंदर आये, बहुमत सिद्ध किया आज की तारीख में रघुनाथ जी विश्नोई साहब राजस्थान में सारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर किसी पर भी हरिजन, का किसी कमजोर वर्ग के लोग का नामोनिशान नहीं है। उनके नाम पर झूठे कर्जे स्वीकार हो जाते हैं, उन लोगों का बहुत शोषण किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा समाज कल्याण मंत्रीजी आप ग्राम सेवा सहकारी समिति में उन हरिजनों, कमजोर वर्गों के लिये कोई नयी व्यवस्था लायें। कोई संशोधन कीजिये ताकि उन लोगों का कोई शोषण नहीं कर सके।

मैं लम्बा भाषण नहीं देकर कांग्रेस के मेरे मित्र विधायकों और खास करके जो मंत्री हो गये हैं, को भी कुछ बात बताऊं। आप संविधान को भूल नहीं सकते। डा. भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत का संविधान बनाया। संविधान को घर में रख करके अगरबत्ती दिखाते हैं, बड़े-बड़े मंत्री सुबह और शाम अगरबत्ती दिखाते हैं। कहते हैं इस दुनियां में प्रकट होकर बाबा डा. अम्बेडकर तुमने भारत का संविधान बनाया, हम तुम्हारे संविधान पर जिंदा हैं, लेकिन उस गरीब के लिये जो योजना संविधान में बनी है, उन हरिजनों को संविधान के तहत हम लाभ नहीं देंगे इस तरह की इन लोगों ने शपथ खायी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। आपका और हमारा इशारा एक तरफ है। मैं एक बात जरूर कहूंगा इस देश में वोट का राज है। इस देश में जनतंत्र है। लेकिन यह रघुनाथ जी विश्नोई अपनी ही बात करते हैं, अपन दोनों के लिये नहीं। विशेष कर जनतंत्र का खयाल रखते हैं, इसको सुरक्षित रखना है। यदि आप पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको कुछ मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये। हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं इस देश में जो बाबू जगजीवन राम पैदा हुए, जिनके नाम पर इस पार्टी ने तीस साल तक वोट लिये उनकी तस्वीर दिखा कर, लेकिन उनके इस दुनियां से जाने के बाद उनकी दिल्ली में महात्मा गांधी, नेहरू जी के और इंदिराजी के बराबर समाधि नहीं बन सकी, क्योंकि वह हरिजन थे इसलिये अलाऊ नहीं किया। बहुत से हरिजन गिरफ्तार हुए उस टाइम मैं भी दिल्ली में था। उनका दाह संस्कार करने के लिये इस सरकार में बैठे हुए पूंजीपति लोग, पुराने नवाबों, राजाओं की जो विचारधारा वाली संतानें हैं, उन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिये आपको गुमराह किया कि चमार की समाधि इस दिल्ली में नहीं होनी चाहिये। समाज में चेतना जरूरी है। चौधरी चरणसिंह जी गुजर गये इस देश से, तीन दिन तक दिल्ली में उनकी लाश रोकी गयी कि दाह संस्कार के लिये जगह नहीं है। लेकिन मैं यू.पी. के किसानों को धन्यवाद देता हूं, सेना में रहे हुए उनके दादा, उसके बेटे और पोते लेफ्टिनेन्ट यू.पी. से ट्रेक्टर लेकर गये थे और गांधीजी की समाधि के पास हाथ में गेंती लेकर के भारत सरकार को ललकारा कि हम किसान हैं, वे इस धरती के मालिक हैं, तुम तो शोषण करने वाले लोग हो, इसलिये चौधरी चरण सिंह जी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
की समाधि दिल्ली में इसी जगह पर रहेगी राज घाट पर। तुममें ताकत नहीं है। रात को सब मंत्रियों के और भारत सरकार के, जो नाक सिकोड़ रहे थे, इन सबके पेट में दर्द कम हो गया। चलो पिंड छूटा। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि दिल्ली में लगी। इसलिये मैं माननीय मांगीलाल जी आर्य साहब, चाहता हूं इस समाज में क्रांति लायें. आज माननीय समस्त विधायक आप भी सब वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, मैं भी उस घर में जन्मा हूं, लेकिन मैं डा. किरोड़ी लाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा मय सबूत, रेकार्ड सहित आज सुरक्षा की जो डिमाण्ड है, उसमें उन्होंने सबूत के साथ दिये हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आशा करता था माननीय सदस्य पोकरलाल जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई ड्रामा देख रहे हों, आपको शांत रहना चाहिये था, आप सत्ता में बैठे हैं। यदि पोकर लाल जी, मैं माननीय सदस्यों में ही व्याप्त हूं. जो यहां बैठे हैं यह हाल रहा तो सत्ता में बैठे हुए लोगों से इस देश-प्रदेश के समाज कल्याण के लोगों को खतरा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप सरकार को ठीक तरह से चलायें ताकि समाज का हम कल्याण कर सकें। आपकी मेरे ऊपर बड़ी दया रही, आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री रेवतराम चौधरी।

**व्यक्तिगत स्पष्टीकरण**

**श्रीमती बीना काक, राज्य मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण**

**श्रीमती बीना काक :** On a point of Personal Clarification Sir.

**श्री उपाध्यक्ष :** पर्सनल एक्सप्लेनेशन ? आरोप लगा है क्या ?

**श्रीमती बीना काक :** मैं आयी ही देर से थी।

**श्री उपाध्यक्ष :** चलो देर आये दुरुस्त आये।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया :** आप पर तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता।.... मगर एक आरोप है जरूर। मैं कह दूं उनकी तरफ से। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सुन लें, बुरा मत मानिये।

आरोप यह था, कल इनकी काली ड्रेस थी। हमारे यहां गांव की संस्कृति रही है कि काली ड्रेस बुरी लगती है। इसके अलावा कोई आरोप नहीं है। आप की क्या सुन्दर भाषा तथा निजी भाषा, आपका भाषण हम सुनना चाहते हैं, कोई आरोप नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि उनके आरोपों के बहाने उनकी भाषा हम सुनें।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्लीज आप बैठिये।

(4.00 म.प.)

**श्रीमती बीना काक** (राज्य मंत्री, कला एवं शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शून्य काल के दौरान पाली से आने वाली माननीय विधायिका ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत, निराधार, तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप लगाये हैं। मेरे खयाल से उनकी आदत सी बन गई है इस तरह के आरोप लगाने की। इसलिए सदन

(श्रीमती बीना काक)

को इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाना चाहिए ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रेवतराम चौधरी (अनुपस्थित)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया। (अनुपस्थित)

**श्री डूंगर राम पंवार :** आरोप नहीं लगाया, प्रशंसा की थी कि आपकी जो वाणी है, नारदजी की वीणा के तार की झन्कार की तरह से है, यह बताया था उन्होंने। आरोप नहीं लगाया।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री राम लाल सोलंकी।

**मांग सं. 33 व 30 पर विचार**

**श्री रामलाल सोलंकी** (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बजट सत्र के मौके पर जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण विभाग की डिमांड्स हैं इन पर अपने कुछ विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर छात्रावासों की जो हालत है और जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं, इनको देखते हुए मंत्री महोदय को गम्भीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए और जो व्यवस्थाएं हैं, और सरकार द्वारा जो मिलनी चाहिए वह पूर्ण सामग्री और पूर्ण रिलीफ नहीं मिल पा रही है और जो लोग इन संस्थाओं को चलाते हैं, भले ही सरकारी स्तर पर हो या एफिलियेटेड हो, ये लोग पूर्ण रूप से इनका शोषण करते हैं।

मैंने कई होस्टलों में देखा है जहां घटिया किस्म का आटा एवं ऐसे वस्त्र उन बच्चों को दिये जाते हैं जो अगर अपने खुद के पैसे से कोई खरीदना चाहे तो ऐसे घटिया वस्त्र नहीं खरीदेगा। होस्टलों की जो हालत है, उनके भवनों की जो हालत है, उनमें न बत्तियां है न पानी की माकूल व्यवस्था है और बच्चों के रहने की जो खाटें है, उनकी आलमारियां हैं, मैंने उन होस्टलों को देखा है जो नये खुले हैं, आप अगर उनका फर्नीचर देखें, उनके बिस्तर, उनकी चेयर, उनके बेडिंग वगैरह देखें तो वे घटिया किस्म के मिलेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसी कोई कमेटी बनाकर इनका निरीक्षण करा दिया जाय तो पूर्ण स्थिति समझ में आ जायेगी। चूंकि विधान सभा के माननीय सदस्यों की कमेटी बनी हुई है वह भी समय-समय पर निरीक्षण करती है। उन्होंने कई मूल्यवान सुझाव दिये हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि

(म. प. 4.05)

**(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)**

वे इसको देखें और उन सुझावों को कार्यान्वित करे जितने लोगों को लाभ मिल सके। जो सरकार की, कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, जो सरकार देना चाहती है, उन गरीबों तक पहुंचाना चाहती है वह उन तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था देखें। एक बिखरी हुई जनजाति की व्यवस्था है। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के अन्दर प्रोग्राम्स हैं, माडा-टाडा के तहत और सरकार ने एक और प्रोग्राम लिया है बिखरी हुई जनजाति के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां हैं कि

(श्री रामलाल सोलंकी)

नगरपालिका क्षेत्र में चयनित परिवारों को जो लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है वह अनुसूचित जाति को तो होता है पर जनजाति को नहीं मिल पाता। इससे लोगों में इस बात की बड़ी भ्रांति है कि जनजातिय लोगों को लोन क्यों नहीं बांटा जाता और नगरपालिका क्षेत्र में क्यों बांटा जाता है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इसे देखें और इस व्यवस्था में सुधार लायें। इसमें जो त्रुटि है या कोई भ्रांति है, उसे शीघ्र मिटाये ताकि जो जनजाति के लोग पालिका क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें भी सुविधा मिल सके। जहां बिखरी हुई जनजाति के लोग ज्यादा तादाद में रहते हों वहां एनीकट्स की सुविधा हो ताकि वे लोग आपस में मिलकर सामूहिक रूप से खेती करके अपने जीवन स्तर को सुधारे और तरक्की कर सके।

सरकार ने ट्राइबल एरियाज के अन्दर जो स्कीम चलाई है, उन स्कीमों की तरफ अगर देखें तो पता चलेगा कि ट्राइबल एरिया में गेहूं दूसरे क्षेत्रों से सस्ता मिलता है परन्तु शिकायतें यह मिली हैं कि यह गेहूं उनको उपलब्ध नहीं होता है और मार्केट में बिकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन मामलों में शिकायत आई है उनको गम्भीरता से ले और पुलिस से जांच कराये जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो और लोगों का शोषण न हो। चयनित परिवारों के लोगों को जो सुविधाएं होनी चाहिए, आई.डी.बी.आई. के अन्दर जो बैंकों द्वारा ऋण मिलता है उसके अन्दर बहुत बड़े घपले की शिकायत सामने आई है। लोग कहते हैं कि हमने तो लोन लिया ही नहीं, हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किये और हमारे ऊपर लोन लिखा हुआ है। इस प्रकार की शिकायतें जगह-जगह मिल रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसीडी की राशि मिलती है उसके अन्दर राज्य सरकार के इतने पैसे होते हैं कि जो छोटे-छोटे किसान है जिन्होंने भूमि विकास बैंक से या किसी भी बैंक से लोन लिया है, उनके ऊपर ब्याज की मात्रा इतनी चढ़ गई है कि वे रिपेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इनका जो सेल बना हुआ है, इनका कार्पोरेशन बना हुआ है, उसके माध्यम से ब्याज की छूट दिलाये ताकि इन लोगों को, जो डिफाल्टर हैं, जिन्होंने बहुत छोटी रकम ली है और पुनः दूसरी रकम नहीं मिल सकती, इसलिए वे लोन लेने से डिबार हो गये हैं, इन्हें पुनः स्कीम में लाने के लिए उनके ऊपर जो छोटा कर्जा है, कार्पोरेशन के माध्यम से उसके ब्याज की पूर्ति करवायें और लोन दिलवायें ताकि लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सके और अपनी तरक्की कर सके।

जो नगरपालिका क्षेत्र में रिक्शे की सुविधा है, दुकानें अलाटमेंट की सुविधा है, कई जगह तो उनमें कोई काम नहीं हुआ है। मैं मेरे सिरोही नगरपालिका क्षेत्र का निवेदन करना चाहूंगा जहां अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कार्पोरेशन के माध्यम से दुकानें बनी है। वे दुकानें आज तक अलॉट नहीं हुई है। वे दुकानें श्मशान घाट के ऊपर, गांव के बाहर जंगल के अन्दर बनी है। आप सोचिये सभापतिजी, अगर यह दुकानें उनको अलॉट कर दें तो उनका क्या होगा? इससे पहले कि दुकानें बने, स्थान

(श्री रामलाल सोलंकी)

का चयन बढ़िया होना चाहिए। ऐसे स्थान उनको मिलने चाहिए कि वहां से लोग अपना जीवन-यापन कर सके और धन्धा कर सके। इसके बारे में जो कमेटी बनी हुई है वह पहले का निरीक्षण करे, फिर चयन करे। अगर उनको लाभ देना चाहते हैं तो उनको सही जगह लाभ दें तो ही ये लोग अपनी तरक्की कर सकेंगे और जो सरकार की भावना है, मन्शा है, यदि सरकार उनको ऊंचा उठाना चाहती है तभी वे ऊंचे उठ पायेंगे अन्यथा अगर उनको इग्नोर करके, उनको एक तरफ रखकर, उनकी बिना सुने, उनको विशेष सुविधाएं दिये बिना वे तरक्की नहीं कर सकते। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो मैंने छोटे-छोटे सुझाव दिये हैं इनको कार्यान्वित करें और जो समाज कल्याण मंत्री महोदया हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि मेरे सिरोही जिले में कैलाश नगर में एक छात्रावास मंजूर हुआ है इसलिए उसके निर्माण हेतु रकम भी स्वीकृत करावें ताकि वह होस्टल जल्दी शुरू हो जाय और उस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ मिल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका आभार मानता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति :** माननीय श्री हरिकुमार औदिच्य।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज-मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 33 और 30 की अनुदान मांगों के लिए हम सदन में विचार कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम लिये गये हैं। निःशुल्क छात्रावास सुविधा, छात्रवृति, स्कूलाश्रम, स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को भत्ता, खनन पट्टे, कृषि ऋण पर ब्याज और राजस्थान सहकारी विकास निगम। इस प्रकार की कई योजनाएं राज्य सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों के लिए लागू की हैं। किन्तु पिछले वर्षों में इन योजनाओं के माध्यम से वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कितनी राहत मिल पाई है, इसकी जानकारी मैं समझता हूं, सदन के माननीय सदस्यों को है और मेरे पूर्व वक्ता माननीय ताम्बीजी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वे स्वयं और उनके प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि जितना पैसा इन योजनाओं के ऊपर राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से खर्च होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उतनी राहत नहीं मिल पाती है। इन योजनाओं को लागू करने में यहां पर वास्तविक तौर पर चलना चाहिए वह वस्तुओं के आधार पर न होकर केवल मात्र खानापूर्ति होती जा रही है। उनमें प्रमुख जो दृष्टिकोण रखा वह शिक्षा के बारे में रखा, मैं अपनी बात लम्बी न करते हुए केवल मात्र शिक्षा के ऊपर ही निवेदन करना चाहूंगा।

समय-समय पर इस सदन में जब चर्चाएं होती हैं तो चाहे इस पक्ष के लोग बैठे हों या उस पक्ष के बैठे हों, हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की स्थिति पर हम बराबर विचार करते रहे है और चिन्ता व्यक्त करते हैं किन्तु इस सारी बात

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

के होने के बावजूद भी आज भी उन लोगों की, उन पिछड़े हुए लोगों की वही स्थिति बनी हुयी है जो आज से चालीस साल पहले थी। हमारे कई बन्धु जब जनजाति विकास की बात करते हैं तो आजादी से पहले राजाओं और सामंतीय व्यवस्था की बात करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो राष्ट्र जो समाज, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वह पीछे की ओर नहीं देखता है और आप आगे बढ़ना चाहते है, अगर आप समाज के लोगों को आगे लाना चाहते हैं तो आपको आज आगे की तरफ देखना पड़ेगा। उस समय तो हुआ जो हुआ लेकिन आज आपने पिछले चालीस वर्षों में इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ क्या किया ? इसके बारे में विचार करना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था शिक्षा के बारे में। सभापति महोदय, शिक्षा समाज के अन्दर इतनी आवश्यक वस्तु है कि चाहे हरिजन या अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति क्यों न हों या सवर्ण परिवार का व्यक्ति क्यों न हो और चाहे भूमिहीन हो, ब्राह्मण हो, किसी भी परिवार का व्यक्ति हो उसके अन्दर शिक्षा का प्रसार नहीं हो तो वह आगे जाकर ऐसी स्थिति में आ जाता है। पिछड़ेपन की सबसे बड़ी निशानी शिक्षा-विहीनता है लेकिन जब हम शिक्षा की दृष्टि से इन अनुसूचित जाति और जनजाति को राज्य सरकार की इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के माध्यम से जो सहायता दी जा रही है, जो कार्यक्रम दिये जा रहे हैं उसके ऊपर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार भी प्रामाणिकता के साथ उन कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर पा रही है। इस बजट के अन्दर जो शिक्षा के ऊपर व्यय बताया है। 8 आश्रम स्कूलों पर 80 लाख 21 हजार, प्रारम्भिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये 12 लाख 52 हजार रुपया, शिशु पाठशालाओं के संचालन के लिये 4 लाख 50 हजार, सब कुल मिलाकर 25 लाख 23 हजार रुपया उन्होंने इसके अन्दर बताया। कल खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे गुरुकुल की बात कर रहे थे, बात कर रहे थे विद्यापीठ की, इस प्रकार अगर आप चाहते है कि गुरुकुल स्थापित हो या शिक्षा का प्रसार समाज के अन्दर हो, आश्रम स्कूल या किसी भी रूप में, तो 8 लाख रुपयों में आप किस प्रकार राहत दे पायेंगे। इसी प्रकार जो शिक्षित बेरोजगार हैं बी.ए., एम. ए., इनके बारे में आपको मालूम है मैंने कई स्थानों पर देखा है, इन बेरोजगारों के प्रार्थना पत्र नहीं आते हैं, विभाग की तरफ से प्रयास नहीं किये जाते हैं और उन बेरोजगारों को पिछले तीन साल से केवल मात्र इस विभाग द्वारा 45 हजार रुपया दिया जा रहा है और इस वर्ष भी 45 हजार दिया है। मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कि जो किसान हैं, जो गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के, उनको राहत देने के लिये, राज्य सरकार सहायता दे। आपको ताज्जुब होगा कि कृषकों को ज्यादा ब्याज भुगतान का जो आइटम है उसके अन्दर केवल मात्र पिछले तीन सालों से एक लाख रुपया दिया जाता रहा है। अब आप जो इतना बड़ा बजट मंजूर कराने जा रहे हैं 27 करोड़ 11 लाख 60 हजार का। आप आखिरकार भुलावे में डालने

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

वाली योजनाए पैदा करके कैसे इन योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति की जनता को ऊंचा उठा पायेंगे ? यह नहीं उठा सकते हैं। जब तक आप वास्तविकता के आधार पर योजनाओं को लागू नहीं करेंगे। आपने 88-89 में 17 नये छात्रावास खोलने की घोषणा की थी और 17 में से 10 भी नहीं बने होंगे। इस साल मुख्यमंत्रीजी ने 12 प्रस्तावित किये हैं। 12 प्लस 17, कुल 29 बनाने की बात है अगर वास्तव में शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं 29 छात्रावासों से ही आप इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं।

मेरे से पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि जो छात्रावास चलते हैं, छात्रावासों की योजना अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लागू की है, बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन आखिर आपने कभी इन छात्रावासों की स्थिति को जाकर देखा ? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के कम से कम तीन जिलों के छात्रावासों को मैंने स्वयं ने जाकर देखा है और वहां छात्रावासों की स्थिति यह है कि पिछले 10 सालों से उनमें बच्चों को लेटने के लिए तख्ते नहीं दिये गये, जमीन पर लेटते हैं। 10 साल से दरी, कम्बल या चादर नहीं दी। कभी हम लोग जाते हैं तो बड़ी-बड़ी नयी-नयी चादर लाकर बिछा दी जाती हैं। टेंट हाउस से या किराये पर ले आयेंगे। उन लोगों को नाश्ता नहीं दिया जाता है हमने मैस के लोगों से पूछा, अधिकारियों से भी पूछा तो कहा कि 140 और 145 रुपये में हम कितने साधन जुटा सकते हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने इस बजट में 170 और 175 की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि शिक्षा पर चर्चा चल रही थी तो जो शिक्षा में पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उन पर 800 से 1000 तक एक विद्यार्थी पर खर्चा वहां होता है और साधारण परिवार के पढ़ते हैं उनको भी 150 से 200 तक एक बच्चे पर खर्च करना पड़ता है चाहे एल. के. जी. और यू.के.जी. में पढ़ने वाला बालक हो। अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को खाने-पीने, तेल, सामान, स्टेशनरी, साबुन, किताबें, कपड़े, लत्ते सबको मिलाकर आप क्या देना चाहते हैं 170 से 175 रुपया लेकिन यह 175 जो बताया गया है यह पर्याप्त नहीं है। कम से कम साधारण तरीके से निर्वाह करे तो 200-250 की सहायता दी जानी चाहिए तब तो आपके छात्रावास चल सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा अधिकांश छात्रावास व्यक्तिगत प्रभाव से, नेताओं के प्रभाव से बिल्डिंग को किराये पर ले रखी है और एक-एक बिल्डिग, एक कमरे में....

**श्री के. सी. बिश्नोई** : किया तो कांग्रेस ने ही है।

**श्री शोपत सिंह** : +++

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : कांग्रेस के के ही माजने बता रहा हूं। मैंने नागौर जोधपुर कई जगह जाकर देखा, आज

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

छात्रावासों की स्थिति देखें–एक कमरे में बिजली के तार लटका रखे हैं, तार लटका दिये और होल्डर लटका दिया तो लट्टू नहीं, एक कमरे में 10–10, 15–15 विद्यार्थी हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावास है उनमें रहते हैं। वह बिल्डिंग तो क्या तीन-तीन, चार-चार कमरे हैं, उनको जाकर देखा तो एक तरह से बूचड़खाने की स्थिति बनी हुयी है। जिसके अन्दर आप छात्रों को रख रहे हैं और आप उनका विकास करना चाहते हैं। यह केवल मात्र अपने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की बिल्डिंग किराये पर ले रखी है। कोई छात्रावास राजस्थान के अन्दर ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा की तरक्की हो तो राजकीय छात्रावास, सरकार के बनाये हुए छात्रावास हैं, वही हों। एक बीमारी और है कई स्थानों पर अनुदानित छात्रावास चलते हैं, वह क्लियरकट दुकानें हैं। खाली रजिस्टर बना लेते हैं 40 विद्यार्थी हैं। 40 में से 20 वहां मिलेंगे और अनुदान ले लेते हैं 40 के नाम पर वह नेता लोगों के मिलने वाले और इस प्रकार के लोग होते हैं। आखिरकार यह स्थिति क्या है? सभापति महोदय, माननीय सदस्य आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि इन छात्रावासों को कभी किसी बड़े अधिकारी ने जाकर, जांचा नहीं, जांच नहीं की, यह चोट हमारे साथ हो गयी। हम जैसलमेर गये, हमने कहा हम रामगढ़ का छात्रावास देखेंगे। अधिकारी महोदय, रामगढ़ जाकर बैठ गये, बोले मुझे तो पता नहीं है छात्रावास कहां है? गांव के लोगों से पूछा कि छात्रावास कहां है? उन्हें पता नहीं कि छात्रावास कहां चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में जहां कहीं छात्रावास है आपको यह तो मालूम पड़ेगा, कहने को छात्रावास है लेकिन विद्यार्थियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पोषाहार केन्द्र चला रखे हैं यह भी दुकानें हैं और पुराने जो साथी रहे होंगे, कार्यकर्त्ता रहे होंगे, इस प्रकार के लोगों ने पोषाहार केन्द्र ले रखे हैं। पोषाहार केन्द्र के नाम से सामान आता है और सीधा बाजार में चला जाता है। यह मैं नहीं कहता हूं कि सभी केन्द्रों में ऐसा होता है लेकिन मेरे कोटा के 40 केन्द्रों में से अधिकांश में मैंने देखा है 95 नहीं तो 80/90% में इस प्रकार की पोल चलती है। कहीं जाकर देख लेना वहां आपकी कांग्रेस की कार्यकर्त्ता बैठी हुई है वह आपके पोषाहार केन्द्र को चलाती है वह महीने में जाकर हिसाब दे देती है। माल सीधा मोदी के यहां चला जाता जाता है। यह स्थिति आपके पोषाहार केन्द्र की है। अभी बस्तियों का जिक्र कर रहे थे। अभी मेरे पहले एक हरिजन बस्ती का जिक्र कर रहे थे। उस बस्ती की क्या स्थिति है? मैं उस बस्ती का जिक्र कर रहा हूं माननीय सदस्य यहां का बीना मंत्री, जो पिछले 10–15 साल से चुन कर आये हैं, हम झुन्झुनू में एक बस्ती में चले गये वहां सड़कें नीची हैं। वहां न नल, न बिजली, न पक्की सड़क, वह जिले से कम से कम 50 गज दूरी पर सड़क है लेकिन हमारी बस्ती में कोई सड़क नहीं है। मैंने कहा आप अब तक खड्डे में

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

क्यों बैठे रहे तो कहा साहब, चुनाव के टाइम शीश राम जी हर बार आवे हैं और पेड़ के हाथ लगाकर सोगन खा कर चला जावे छः कि अबकी बार सब करा दूंगा। अब यह तो आप जोधपुर के अंदर जाकर देखिये। जोधपुर के मंत्री भी यहां पर, जोधपुर की बस्ती में पाकिस्तान से आये हुये शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं वह कहते हैं कि इस नाले के अन्दर हम कहते-कहते थक गये दो बच्चे डूब कर मर गये। जो हरिजनों की बस्ती है, वहां नीचे से होकर नाला निकल रहा है लेकिन कोई चिन्ता ही नहीं करता है और चिन्ता क्यों नहीं करता यह बात भी आप सुन लीजिए। मंत्री जी आप भी सुन लो। मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह स्थिति क्यों है। जैसी तेरी घूघरी वैसे तेरे गीत। आपके अधिकारी नहीं मानते हैं कि समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण के लोगों का भी कोई अस्तित्व है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी समाज कल्याण की कमेटी जोधपुर में गयी और तीन बार बुलाने के बाद भी 11 बजे से एक बजे तक कमेटी ने इन्तजार किया लेकिन वहां कलक्टर नहीं आया। कमेटी ने 15 दिन पहले प्रोग्राम दिया था। वहां के लोगों से पूछा तो बोले कि साहब आप हो, हमारे चुन्नीलालजी भी थे। वे बोले कि आप काहे को बैठे हो, बोले कलक्टर आयेगा कलैक्टर नहीं आया। कल मीटिंग कर ली कि यह कमेटी ट्रांसफर थोड़े ही कर सकती है। कोई बड़ा अधिकारी उस मीटिंग के अन्दर समाज कल्याण जिसे आप क्या बोलते हो मिनी असेम्बली। तो यह तो आपके समाज, की ओर आपकी मान्यता हो गई है तो फिर क्यों आप उम्मीद करते हो कि जो समाज के कार्य करने वाले हैं, कुछ करेंगे। या सरकारी अधिकारियों को कोई.... सभापति महोदय मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि उस मामले में मुख्य सचिव तक लिखा गया, मुख्य मंत्री तक लिखा गया सबको लिखा गया लेकिन मेरा खयाल है वह फाइल गायब हो गई क्योंकि वह आई.ए.एस अधिकारी से सम्बन्धित है। तो आखिरकार इस प्रकार की स्थिति चला कर के आपका एडमिनिस्ट्रेशन चले। दोनों इसी समाज से सम्बन्धित हैं। मैं तो सभापति महोदय, 15 मैम्बरों में एक ब्राह्मण था बाकि 14 वे ही थे....

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : मैं एक दो मिनिट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं 2-4 कारण रखना चाहूंगा। अभी असेम्बली में टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, ने एक नमक काण्ड रखा था। उन्होंने कहा था समाज कल्याण विभाग को जितने नमक की आवश्यकता है उससे ज्यादा नमक क्यों खरीदा गया? क्योंकि जो सांभर साल्ट है वहां का तो एक रुपया किलो का भाव था और विभाग वालों ने 2 रुपये किलो से दूसरे दुकानदार से खरीद लिया तो नाथूसिंह जी को जवाब क्या मिला यहां से, जरूरत के मुताबिक ही खरीदा है, जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदा गया है। डेढ़ साल नमक खाने के बाद और माननीय सभापति महोदय, एक टेण्डर निकला 23-6-79 को, 1676 है टेण्डर

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

उसमें क्या निकला, बाड़मेर का 100 क्विटल, धोरामन्ना, बायतू, सिमदड़ी, सींव यहां के नमक, दूसरी जगह ट्रान्सपोर्टेशन के लिए टेण्डर मांगे हैं कि लोग ले जाने के लिए ही टेण्डर दे। जब विधान सभा में आपके उन अधिकारियों ने इस चक्कर में दे दिया कि जब नमक जरूरत से ज्यादा खरीदा ही नहीं तो इतना नमक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। और तो और दूसरा इसकी अगर आपने जांच की तो उस जांच का क्या किया। और दूसरा क्या है कि जो सामान छात्रावासों के लिए खरीदते हैं वह इन्होंने लोकल लेवल पर खरीदने के अधिकार दे रखे हैं। लोकल लेवल पर खरीदते हैं तो माननीय सभापति महोदय, कुछ स्थानों के अन्दर भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, उदयपुर, टोंक यहां सामान खरीदने के लिए टेण्डर लिया और टेण्डरर्स लेने के बाद एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट करने के बाद उस पार्टी ने आपको जानकर ताज्जुब होगा, अलग-अलग इन्हीं स्थानों पर टेण्डर हुए हैं जिनका नाम मैंने गिनाया लेकिन जयपुर की फर्म अलग-अलग नामों से जाकर वहां टेण्डर देती है। और जब सामान के भाव बढ़ गये तो उसने माल देने से मना कर दिया और जब माल देने से मना कर दिया तो उसकी अर्नेस्ट मनी या सिक्यूरिटी जो भी थी वह जब्त होती या उसने या डिपार्टमेंट ने दूसरे से जो माल खरीदा उसमें जो ज्यादा पैसा लगा उसको वसूल करते, वह दोनों कार्यवाही नहीं हुई। न तो उसकी अर्नेस्ट मनी जमा करी न सिक्यूरिटी जमा करी और न उससे अधिक राशि वसूल की गयी। जयपुर की फर्म है वह तो, इसलिए यह जो दुकानदारी है उसमें आपका एक जूनियर एकाउन्टेण्ट वहां पर बैठता है वह सारा फैसला कर लेता है। यह परचेज आपकी डाइरेक्ट लेवल पर होनी चाहिए। एक बात मैं यह कह रहा था इसी तरह चूरू के अन्दर भर्ती का सवाल आया। चूरू के अन्दर भर्ती के लिए वहां के जो ए. डी. डी. ने लिखा कि साहब मेरे यहां भर्ती की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कलक्टर से बात कर लीजिए और उनसे नाम लेकर भर्ती कर लीजिए। उन महाशय ने क्या किया ए. डी. डी. जो वहां थे उन ए डी. डी. साहब ने खुद ही भर्ती कर ली अपने रिश्तेदारों की। जब कलक्टर को मालूम हुआ तो कलक्टर ने डिपार्टमेंट को लिखा कि इन्होंने मुझसे बिना पूछे ही भर्तियां कर ली हैं इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने क्या कार्यवाही की यह बताया जावे। इससे भी गम्भीर दो मामले रह गये हैं एक तो वह मामला आ जायेगा जो अभी डॉ. किरोड़ीलाल जी रख रहे थे। एक तो उदयपुर के आर. डी. डी. से कोटड़ा सी. डी. पी. ओ. के यहां जो है एक टेम्परेरी ड्राइवर रखा। उस ड्राइवर के पास परमानेन्ट ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था लर्निंग लाइसेन्स था और उस ड्राइवर को जीप दे दी गयी ठीक करने के लिए पांच हजार रुपये दिये जबकि टेम्परेरी कर्मचारी को किसी प्रकार का एडवांस नहीं दिया जाता है। पांच हजार रुपये दिये उस ड्राइवर ने क्या समझदारी दिखाई कि जीप तो गिरवी रख दी और पांच हजार रुपये खा गया। जीप का कोई पता नहीं ड्राइवर का कोई पता नहीं। आखिरकार इस प्रकार के कांड होते हैं। एक बात मैं अन्त में और कहना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा था डॉ. किरोड़ी लाल जी उस समय जैसलमेर के आर. डी.

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

डी. जो हैं उन्होंने 2-10-88 को पोकरण की परियोजना में काम करने के लिए श्रीमती भदोरिया को वहां के आर. डी. डी. 2-10-88 को अपने साथ लिये रात भर अपने पास रखा और रात को जाकर के वे घर छोड़ आये। भदोरिया ने लज्जा के मारे दूसरे दिन ही आत्म हत्या कर ली। वह इसी विभाग में काम करती थी और सारे सबूत मौजूद हैं। वहां के आर. डी. डी. उसको लेकर आये अपने साथ रखा और रात को जाकर उसके घर छोड़ आये उसको। और सुबह उसने आत्म हत्या कर ली। इसको आज करीब 10 महीने हो गये।....मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थी, लड़के आगे बढ़ें तो आखिरकार आपको एक प्रेक्टिकल योजना बनानी पड़ेगी उनके जो पढ़ाने की योजना है आप जरूरी कर दीजिए कि 15 साल तक के अनुसूचित जाति के लड़कों को पढ़ना ही पड़ेगा और यह जवाबदारी आप पंचायत समितियों को सौंपिये। जिस प्रकार आप टारगेट देते हैं ना जैसे आपने स्प्रिंकलस का दिया था, अब अनुसूचित जाति के लोगों को फव्वारों से खेती करने के लिए दे दिया। उनके तो घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, वह खेती नहीं कर सकते और हमारी सरकार ने उनको फव्वारों से खेती करने के लिए दिया है, इस प्रकार की योजनायें हैं, आखिरकार आप उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं अगर आप शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं तो उनके लिए आप शिक्षा को जरूरी करिये। आप यहां पढ़कर बोल देते हो। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह अनुसूचित जनजाति की बात है। अभी माननीय देवेन्द्र कुमार जी सज्जन ने भी कहा कि अनुसूचित जनजाति के नाम के पिछड़े वर्ग के लोग, जो आदिवासी लोग हैं इनको कोई राहत पूरी नहीं मिल पाई है। वह तो कह रहे थे कि एक वर्ग विशेष के लोग ही फायदा उठाते रहे लेकिन सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि वास्तव में जो जंगल में रहने वाले भील लोग हैं, मेरे इलाके में भी कई भील लोग हैं, सरकार ने कौन सी योजना उनको दी और अनुसूचित जनजाति के नाम पर जो समाज के अन्दर पहले भी समृद्ध थे, आज भी समृद्ध हो गये हैं वह फायदा उठाकर के आगे हो जायें और वह भील आज भी हम उसके दायरे की बात करते हैं, झोंपड़ी की। उस भील के पास झोंपड़ी भी नहीं है।

आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं चाहूंगा कि मुख्यमन्त्री जी भी आ गये हैं और उनके ऊपर ध्यान देंगे।

**श्री सभापति :** माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

**श्री शोपतसिंह :** 4.30 पर स्टेटमेण्ट है बीकानेर पर। (व्यवधान) आप भी कोई समझदारी से काम लिया करो।

**श्री सभापति :** चेयर तो हमेशा समझदारी से काम लेती है। मुझे इस व्यवस्था का पता नहीं था इसलिए मैंने नाम पुकारा।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले जब यह चर्चा चल रही थी तो सवाई माधोपुर से,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें ऐसी कही थीं, कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे थे जिसमें सरकार का दखल बहुत जरूरी था और यह मांग की गयी थी कि गृह मन्त्री जी आयें, उनके सामने बात रखी जाये, वह उस पर कॉग्नीजेंस लें। अब गृह मन्त्री जी यहां विराजमान हैं, आ गये हैं, उस विषय पर भी गृह मन्त्री जी अपनी बात कहें।

**श्री सभापति :** कल के लिए कहा था, आज के लिए नहीं कहा था।

**श्री रघुनाथ परिहार :** माननीय सभापति महोदय, इस मामले में शून्यकाल में स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था देते समय माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, उसको आप देख लें।

**श्री सभापति :** गृह मन्त्री जी।

**शासकीय वक्तव्य**

**लालगढ़ रेल्वे स्टेशन पर सैनिकों द्वारा रेल यात्रियों की पिटाई से उत्पन्न स्थिति**

**गृह मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) :** माननीय सभापति जी, दिनांक 4 जुलाई, 1989 को रेल्वे स्टेशन, लालगढ़, जंक्शन बीकानेर पर हुई घटना के सम्बन्ध में ट्रेन 340 डाउन लालगढ़-अम्बाला पेसेन्जर लालगढ़ जंक्शन स्टेशन से रात्रि 10.30 पर अम्बाला के लिए रवाना होती है। दिनांक 4-7-89 की रात इस ट्रेन से रवाना होने के लिए 24 मिलिट्री के जवान जो बीकानेर में तैनात हैं, अवकाश पर जाने के लिए स्टेशन पर आये। लगभग 10 पी. एम. पर जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, मिलिट्री के ही हवलदार जसपाल सिंह, जो लालगढ़ स्टेशन पर मूवमेंट कन्ट्रोल कार्यालय में काम करते हैं, की इन 24 जवानों में से तीन-चार जवानों से यह कह कर बोलचाल हो गयी कि मिलिट्री के 24 जवानों में से कई लोग शराब के नशे में हैं। बोलचाल के दौरान छुट्टी पर जाने वाले जवानों ने जसपाल सिंह की पिटाई कर दी। स्टेशन पर उपस्थित जी. आर. पी. के लांसनायक व दो आरक्षों ने बीच-बचाव किया, तो उन्होंने इनको पीट दिया। इसके बाद जनता के कुछ लोगों ने भी जब जसपाल सिंह के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मार-पीट की गयी। रेल्वे के कुछ कर्मचारियों के भी चोटें आयी हैं। कुछ प्राइवेट ठेले व खोमचे उलट दिये। रेल्वे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के शीशे तोड़ दिये। रेल्वे कार्यालय में भी घुस गये व वहां मौजूद लोगों व कर्मचारियों को भी पीटा गया। इस बीच अवकाश पर जा रहे जवानों में से एक जवान उस ट्रक के द्वारा जो उन जवानों को स्टेशन पर लाया था, यूनिट हैड क्वार्टर पर गया व कुछ ही क्षणों में दो फौजी वाहनों में लगभग 80 जवान स्टेशन पर आ गये, इनके हाथों में छोटी स्टिक, लोहे के सरिये, एंगल आइरन, तम्बुओं के पिकेट व एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। इन फौजियों ने स्टेशन पर पहुंचते ही बर्बरता से काफी नुकसान किया। रेल्वे स्टेशन के शौचालय के दरवाजे तोड़कर उनमें छिपे लोगों को भी पीटा। सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में घुस गये, जहां कण्ट्रोल मशीनरी व रेल्वे टेलीफोन को तोड़ दिया और उपस्थित ड्यूटीरत रेल कर्मचारियों को भी

(श्री अशोक गहलोत)

पीटा। भागते हुए मुसाफिरों व रेल कर्मचारियों को पीटा गया। यात्रियों का सामान भी तोड़ फोड़ हुआ व यात्रियों के सामान की लूट-पाट भी हुई।

इत्तला मिलते ही उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक ने सिटी कण्ट्रोल रूम से फ्लाइंग स्क्वेड व नजदीकी पुलिस स्टेशन नयाँ शहर के थाना प्रभारी को मौके पर जाने के आदेश दिये गये। एस. एच. ओ., जो रात्रि गश्त पर थे, भी तुरन्त मौके पर पहुंच गये। अपर पुलिस अधीक्षक, बीकानेर व पुलिस उप अधीक्षक मय पुलिस लाइन स्टेशन पर पहुंच गये।

इस बीच उप महानिरीक्षक पुलिस ने फौज के अधिकारियों से सम्पर्क किया। लगभग 11.15 पी. एम. पर पुलिस अधीक्षक भी लालगढ़ स्टेशन पर पहुंचे और मौके पर पांच जवानों को पकड़ लिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 30/89 अन्तर्गत धारा 121, 126, 126 "ए", 127, 128, 129 इण्डियन रेल्वे एक्ट व धारा 395, 357, 332, 333 व 353, आई. पी. सी., जी आर. पी. पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज किया।

हिंसा पर उतारू फौजियों ने जी. आर. पी. की लालगढ़ चौकी को भी क्षतिग्रस्त किया तथा जी. आर. पी. के सिपाहियों की दो राइफल मय 40 कारतूस छीन ली जो बाद में मिलिट्री एरिया में पड़ी मिली। इस सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 31/89 धारा 395, 397, 332 व 352 आई. पी. सी. थाना बीकानेर में दर्ज किया। अब तक मिली सूचना के अनुसार इस घटना में 48 व्यक्तियों को चोटें आयी हैं। घायलों को जनरल अस्पताल की एम्बुलेंस व पुलिस की गाड़ियों से रेल्वे अस्पताल व जनरल अस्पताल में तुरन्त भेजा गया। रेल्वे के कुछ अधिकारी तथा ए. डी. आर. एम. भी मौके पर पहुंच गये। रेल्वे प्रशासन द्वारा गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को एक हजार रुपये व अन्य घायल प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये तत्कालीन सहायता के रूप देने की घोषणा की गयी है। तोड़-फोड़ व खोई हुई सम्पति के विषय में एक अधिकारी को स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी बल घटना स्थल पर मौजूद हैं। यह गाड़ी आज प्रातः 6 बजे स्टेशन से रवाना हो गयी थी और बाद में 8.16 पर एक अन्य पेसेन्जर इसी स्टेशन से रवाना हुई थी। परन्तु अभी प्राप्त सूचना के अनुसार बीकानेर व लालगढ़ रेल्वे स्टेशन पर कार्य अवरुद्ध है। रेल्वे सुरक्षा के अधिकारियों ने स्टेशन पर फैले हुए यात्रियों के सामान को इट्ठा कर दिया है ताकि उन्हें सम्बन्धित यात्रियों को लौटाया जा सके।

निश्चित रूप से यह घटना निन्दनीय है। जहां निर्दोष व्यक्तियों को अकारण ही नुकसान उठाना पड़ा है। समुचित कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय रेल्वे व मिलिट्री अधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए है। राज्य सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार के गृह व रक्षा मन्त्रालय से सम्पर्क कर रही है। जिससे दोषी व्यक्तियों को समुचित सजा मिल सके और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

**श्री शोपत सिंह :** माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : प्रश्न के रूप में पूछें।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, एक तो मैं यह चाहूंगा कि इस तरह की गम्भीर और शर्मनाक घटना यहां राजस्थान में, और बीकानेर में, खास तौर से उस क्षेत्र में घटी है जो हमारा फील्ड फायरिंग का रेंज है। हमने वहां इस दृष्टिकोण से उस जगह को दिया था कि हमारे देश की रक्षा करने वाली सेनायें इधर आयेंगी उसमें कुछ प्रेक्टिस करेंगी और हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करेंगी। इस घटना के बाद सारे बोर्डर क्षेत्र के अन्दर भयंकर आक्रोश लोगों में पैदा हो गया है। यह कोई मामूली घटना नहीं है बहुत गम्भीर घटना है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाये, थोड़ी है और गृह मन्त्री को इस सवाल पर स्तीफा देना चाहिए।

श्री सभापति प्रश्न पूछिये आप।

श्री शोपत सिंह : It is a blot our name.

एक माननीय सदस्य : गृह मन्त्री नहीं देंगे तो आज यह जरूर दे देंगे। यह दे देंगे शर्म के मारे।

श्री पोकरलाल परिहार : पश्चिमी बंगाल में आये दिन गोलीकाण्ड होता है, बंगाल में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री शोपत सिंह : आप चाहते क्या हैं ? किस तरह से, कितनी घृणित कार्यवाही की है ? मैं एक सवाल आप से पूछना चाहूंगा कि आपने जो एफ. आई. आर. दर्ज करायी है, दो एक्शन आपने लिये कि नहीं लिये ? वहां पर शुरू होता है झगड़ा लगातार दो घण्टे तक झगड़ा होता रहा। सिपाही गया, वहां पर अपने कैण्ट से ट्रक लेकर आ गया मगर बीकानेर के अन्दर बैठे हमारे पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं कर सके। उस घटना के बाद आये और सिर्फ चार आदमियों को पकड़ कर लाये। आपके पुलिस के उन अधिकारियों को मेडल मिलना चाहिए, डी. आई. जी. को किस तरह की कार्यवाही की। चार आदमियों को पकड़ने में कामयाब हो गये, आपने बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया।

श्री सभापति : प्रश्न पूछें, माननीय।

श्री शोपत सिंह : 150 लोग वहां पहुंचे, छावनी से जाकर मिलिट्री आयी मगर हमारी पुलिस वहां नहीं पहुंच सकी। डी. आई जी. वहां पर, कलक्टर वहां पर, तमाम अधिकारी वहां पर, हमारी आर. ए. सी. वहां पर, सारा हैडक्वार्टर वहां पर। कितने लोगों पर एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी है, इसको भी आप क्लीयर कीजिए।

श्री अमरचन्द : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए भाषण देने का नहीं।

श्री शोपत सिंह : एफ. आई. आर. कितने लोगों के नाम पर दर्ज करायी है ? आपने एफ. आई. आर. उन चार लोगों पर दर्ज करायी है या 104 लोगों पर जो इसमें इनवाल्व थे आपके स्टेटमेंट के लिहाज से।

श्री सभापति : मानिकचन्द जी सुराना। कृपया बैठें, आपने कह दी बात।

**श्री शोपत सिंह** : उन रक्षा अधिकारियों के खिलाफ, जिस कैण्ट से सिपाही आये, आखिर वह छावनी कर क्या रही थी ? उन अधिकारियों को पता नहीं लगा ?

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : तो कार्यवाही हो रही है न, आप भाषण क्यों दे रहे हो बिना बात में ?

**श्री शोपत सिंह** : आपको कोई+++

**श्री डूंगरराम पंवार** : कार्यवाही क्या हो रही है ? अच्छी तरह पिटाई कर दी और जाकर अपनी छावनी से ट्रक भर कर लाये.... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर प्लीज।

**श्री डूंगरराम पंवार** : अगर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो क्या कार्यवाही है ?

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। श्री मानिकचन्द सुराना, कृपया प्रश्न पूछें।

**श्री डूंगरराम पंवार** : फिर पुलिस ने क्या किया ? जो सी. आर. पी. और आर. ए. सी. वहां पर थी, मौके पर सिपाही थे लेकिन क्या हुआ ? कुछ भी नहीं।

**श्री मानिकचन्द सुराना** (लूणकरणसर) : माननीय गृह मन्त्री जी के वक्तव्य से अनेक सवाल पैदा हो गये हैं। मैंने आज सुबह स्थगन प्रस्ताव भेजने के साथ ही माननीय गृह मन्त्री जी को फोन भी किया कि बीकानेर में जो घटना हुई है उसके सम्बन्ध में मैं स्थगन भेज रहा हूं और आप भी विस्तृत जानकारी शीर्षस्थ पुलिस अधिकारियों से करायें। मुझे अफसोस इस बात का है, सभापति जी, कि गृह मन्त्री जी को उस वक्त तक इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जानकारी की। जानकारी किये बिना यह वक्तव्य नहीं आता। जानकारी उन्होंने की। जानकारी के बाद आपने यह नहीं बताया कि झगड़ा होने के बाद आपकी पुलिस, एस. पी. और डी. आई. जी. कितनी देर बाद वहां पहुंचे। यदि एस. पी. और डी. आई. जी. वहां पर सवा घण्टे के बाद नहीं पहुंचते तो इतना बड़ा यह हादसा नहीं होता। चार किलोमीटर है लालगढ़ बीकानेर से, एस. पी. का रेजीडेंस है उससे सिर्फ चार किलोमीटर की दूरी है, डी. आई. जी. का रेजिडेंस है उससे चार किलोमीटर की दूरी है। मकराना में दंगा हो जाय तो हम कह सकते हैं कि सवा तीन घण्टे बाद पुलिस फोर्स पहुंची क्योंकि नागौर से आनी थी, अजमेर से आनी थी। लालगढ़ में तो बीकानेर से जानी थी और पुलिस लाइन से तो वह तीन किलोमीटर भी नहीं है। सेना के 150 जवान वहां पर और आ गये, पांच आदमी तो दूसरे लोगों को पीट ही रहे थे वहां पर, सभापति महोदय। कोई ट्रेन का डिब्बा ऐसा नहीं बचा कि जिसके कांच नहीं तोड़ दिये गये, जिसकी खिड़कियां नहीं तोड़ दी गयीं। कोई यात्री ऐसा नहीं बचा जिसका सामान ट्रेन से बाहर नहीं फेंक दिया गया, जिसके साथ लूटपाट नहीं की गयी और महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं की गयी। ऐसा कोई यात्री उस ट्रेन का नहीं था। रात को सवा दस बजे, साढ़े दस बजे जाने वाली ट्रेन आपने कहा, सुबह 6 बजे रवाना हुई, अभी भी यात्रियों का

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

सामान वहां इकट्ठा है आपका उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। यात्री कुछ भाग ही गये। क्या यह बतायेंगे कि जिन यात्रियों ने रात की ट्रेन का टिकट लिया था उनमें से कितनों ने सुबह यात्रा की और कितने ऐसे हैं जिनका पता नहीं है? जो चोटें आयी हैं, लालगढ़ के अस्पताल में, पी. बी. एम. हॉस्पिटल में कितने लोग अभी भी भर्ती हैं? उनमें कितने गम्भीर हैं, आपने नहीं बताया? रिपोर्ट आ रही है कि 12 आदमी गम्भीर हैं। दोपहर तक मेरे पास रिपोर्ट थी कि तीन आदमियों की हालत अत्यधिक गम्भीर हो गयी है। सभापति महोदय, यह एक इण्डिकेशन है जो जबर्दस्त स्थिति बन रही है उसका। देश में हम पुलिस की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, आतंकवाद का खतरा है, सेना की संख्या में भी वृद्धि कर रहे हैं। फील्ड फायरिंग रेंज पाकिस्तान से रक्षा के लिए बनने जरूरी हैं। 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फील्ड फायरिंग रेन्ज है। सेना वहीं रहेगी, सेना का जमावड़ा वहां रहेगा लेकिन क्या सेना के हाथ में जो बन्दूक है वह लोगों पर चलाने के लिए है? आतंकवाद के भय के नाम पर सेना पर जो हमारा एम्फेसिस है लेकिन सेना के दृष्टिकोण में आप परिवर्तन नहीं लाये तो यह सेना के हाथ की बन्दूक आम जनता पर चलनी बाकी नहीं है। डण्डे चल गये, सम्बल चल गये, आपने खुद अपने बयान में कहा है। हाकी स्टिक लेकर आये। जब रक्षक ही भक्षक बन जाय, सेना के 150 लोग, पुलिस और आम नागरिकों का, जो निहत्थे, मुकाबला करने के लिए आ गये। लड़े भी आपस में, रेल्वे कर्मचारियों से भी उनका कुछ झगड़ा हुआ। पूरा रेल्वे स्टेशन तहस-नहस कर दिया। आप कह रहे हैं कि सवा ग्यारह बजे हमारे एस. पी. और डी. आई. जी. वहां पहुंच गये थे। सवा घण्टे की देरी के बाद आपके पुलिस अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, इसका आप जिक्र नहीं करें....

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि फील्ड फायरिंग रेन्ज वहां रहेगी, मुख्यमन्त्री जी, तो सेना के 5–10 हजार लोग भी वहां रहेंगे। सेना के लोगों ने खारा गांव में, याद होगा कल्लाजी को, कि खारा गांव की झोंपड़ियों में यही सैनिक घुसे थे, इन्होंने बलात्कार किये थे। आज बलात्कार की कहानी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी कह रहे थे। सेना के जवानों ने दो साल पहले खारा गांव में बलात्कार किया। लोगों के घरों में ट्रक चलाते हैं। यह शराब पीकर ट्रक चलाते हैं, लोगों के घरों में ट्रक चले गये लालगढ़ में। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप ऑन दी स्पॉट जायं और ऑन दी स्पॉट जाकर सारी स्थिति का जायजा लें। सिर्फ दूरभाष से जो सूचना आपने ली है वह सूचनायें आपको अधूरी भेजी गयी हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस घटना में बीकानेर के एस. पी. और डी. आई. जी. की लायतलाली रही है, उनकी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी रही है। यदि यह अपनी ड्यूटी का अंजाम सही तरीके से देते तो बीकानेर में यह इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती जिसकी आपने निन्दा की है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सरकार में बैठकर निन्दा कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(164)



(श्री मानिकचन्द सुराना)

आप सरकार में बैठकर निन्दा करेंगे या नियन्त्रण करेंगे ? आप को तो इस पर नियन्त्रण करना है कि ऐसी घटनायें न हों। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो सवाल इससे पैदा हुए हैं, सवा घण्टे के बाद पुलिस क्यों गयी, आपने सिर्फ पांच आदमियों को मुलजिम क्यों बनाया ? 150 लोगों ने वहां मारपीट की है आम जनता के साथ उन 150 को आपने अभी तक मुलजिम क्यों नहीं बनाया ? इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकेगा, गृह मन्त्रीजी, चाहे वह सेना का कोई सिपाही हो, सेना का कर्मचारी हो, आफिसर हो। जिन 150 लोगों ने आई. पी.सी. के जुर्म किये हैं उनके खिलाफ आपकी पुलिस क्या कार्यवाही करेगी, आप उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं करवाते ? सेना की भी अदालत है, सेना की अदालत से उनको तत्काल सजा क्यों नहीं दिलवाते ? सेना की अदालत से उनको तत्काल दण्डित करवाइये। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार इन सब लोगों को तत्काल दण्डित करवाये और जो 150 लोग अभी मुलजिम नहीं हैं, जिन्होंने मारपीट की है, तफ्तीश करवाकर उनको मुलजिम बनायें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** सभापति महोदय, मैंने सुबह सबसे पहले यह प्रश्न रखा था।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** माननीय गृह मन्त्रीजी, एक तो यह बतायें कि यह झगड़ा कितनी देर तक चलता रहा, पहला सवाल यह है। क्या यह सही है कि जब झगड़ा समाप्त हो गया तब आपके पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हैं यह जानकारी करने के बाद कि अब झगड़ा समाप्त हो गया है ? आपने एफ.आई.आर. कब लॉज करायी ? इस एफ.आई.आर. के हिसाब से कितने लोग मुलजिम हैं, उनकी संख्या बता दीजिए। आपने खुद यह बताया कि मिलिट्री का एक जवान अपनी मदद के लिए वहां से रवाना हुआ, मिलिट्री कैण्टीन से लोगों को लेकर आया। इतने समय तक आपकी पुलिस क्या करती रही ? क्या इत्तला हो गयी थी आपके पुलिस अधिकारियों को ? इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को कितने बजे हुई ? उन्होंने आने में कितना समय लगाया ? यह दो-तीन सवाल हैं इनका जवाब दीजिए कि एफ.आई.आर. कितने बजे लॉज हुई, एफ. आई. आर. के हिसाब से कितने मुलजिम हैं आपकी निगाह में और जिन लोगों के नाम एफ.आई आर. में हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की आपने।

**श्री सभापति :** श्री देवीसिंहजी भाटी।

**श्री देवीसिंह भाटी :** सभापति महोदय, जहां यह घटना हुई वह कोलायत विधानसभा क्षेत्र में हुई। मुद्दा मुख्य यह है, सभापति महोदय, कि फौजी जवान सिक्ख लाइट इन्फेन्टरी ने यह पहल नहीं की। इससे पूर्व में खारा के अन्दर एक औरत के साथ 1983 के अन्दर गेंग रेप हुआ। 7 जवानों ने एक औरत के साथ गेंग रेप किया था। उसके बाद दुबारा घटना होती है, सभापति महोदय....

**श्री सभापति :** आप इस घटना के ही प्रश्न पूछें। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ....

**श्री देवीसिंह भाटी** : नहीं, नहीं. सिर्फ इस घटना के ऊपर ही नहीं, सारी बातें....

**श्री यदुनाथ सिंह** : आप इश्यू को डिफ्यूज क्यों कर रहे हैं ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : जिसको तकलीफ होती है, सभापति महोदय, वही जानता है सिर्फ चर्चा करने से ही कुछ नहीं होगा ?....

**श्री शोपत सिंह** : आप आसन पर किस लिये बिराजते हैं, आपको केवल समय का ही ध्यान रहता है ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : वहां महिलाओं की इज्जत ली गई और जो स्टेशन पर ताण्डव नृत्य किया उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?....(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बीच में कहां से खड़े हो गये वह बोल रहे हैं। प्रश्न के रूप में पूछें कृपया।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सभापति महोदय, मैं सारे परिप्रेक्ष्य में जाऊंगा कि यह बार-बार घटनायें क्यों हो रही हैं और क्यों नहीं इनको रोका जा रहा है ?

**श्री सभापति** : जो प्रक्रिया और कन्वेन्शन है उसी में फुलफिल करेंगे, कृपया प्रश्न पूछें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सभापति महोदय, उसके बाद में मन्जू बलात्कार और हत्याकाण्ड हुआ, जो एक मुद्दा मैंने उठाया मेरा 7 दिन के लिये सस्पेन्शन हुआ, ट्रेजरी बैंचेज ने तैयारी कर ली थी कि मेरी सदस्यता ही खतम कर दी जाय जिसके तकलीफ होती है, अभी किरोड़ीलालजी मीणा मुद्दा उठा रहे थे, जिसके तकलीफ होती है वह अपने तरीके से उठाता है, उठाना पड़ता है लेकिन वह आपको मन्जूर नहीं। आप तो केवल लीपापोती करके उसको खतम करना चाहते हैं।

जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि हमारे वहां पूरा डिवीजनल हैड क्वार्टर है, वहां पर हर वक्त 6-7 हजार जवान रहेंगे। मगर एक जवान की अलग बात होती है - वह आदमी के तौर पर अच्छा होता है लेकिन मोब मेन्टेलिटी है उसको कन्ट्रोल क्या अब तक किया गया ? पूर्व में जो काण्ड हुए कल्ला साहब वह आपकी जानकारी में है उनके लिये सिर्फ वहां लोकल फौजी जवान अधिकारी हैं उनसे बात कर ली गयी और मुद्दे वहीं खतम कर दिये गये। यह मुद्दे सिर्फ बात-चीत करके उसी वक्त एफ. आई. आर. दर्ज कर चालान करा दिया जाय उससे यह मुद्दे खतम नहीं होंगे।

मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इनके लिये प्रधान मन्त्री से, डिफेन्स मिनिस्टर से, डिफेन्स विभाग से बात की जाय कि इस प्रकार की बार-बार जो घटनायें होती हैं इनको कैसे रोका जाय ? आखिर गांव में एक्सरसाइज के लिये जाते हैं, लोग-बाग ढाणियों में रहते हैं - वहां यह फौजी मर्जी आये वहां घुस जाते हैं और मर्जी आये वह कार्यवाही करते हैं। +++ वह अपनी इज्जत के डर से बोल नहीं पाते हैं, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाते हैं, मुद्दे

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

सामने नहीं आते हैं। जिस घर की इज्जत जाती है वही जानता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज इनकी सिर्फ एक घटना हुई है उसके तौर पर न लें आप इसके लिये दिल्ली के अन्दर बैठें, मैं कहता हूं कि अभी यह एक ही घटना नहीं है। अभी जब सर्दी आयेगी उसके अन्दर कम से कम 5-6 ऐसे काण्ड और होंगे। इन केसेज के अन्दर मारपीट के अलावा वहां जो केसेज होते हैं वह बलात्कार के होते हैं। आखिर हमारी भी इज्जत है। आखिर वह फौजी हैं, अनुशासित फौजी हैं लेकिन जहां शिकायतें मौके पर आ रही हैं उनको हम कैसे कन्ट्रोल करेंगे ताकि दुबारा यह काण्ड न हो इसके लिये प्रयास किये जायं।

मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मन्त्री ने फरमाया, जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुबह गृह मन्त्रीजी से बात की। गृह मंत्रीजी को पता नहीं हो, रात को डेढ़ बजे मेरे पास ट्रंककाल आता है, रात को डेढ़ बजे मुझे सूचना मिलती है कि घटना होने के बाद, पहले तो वहां झगड़ा होता है उसके बाद में, जो जवान सिक्ख लाइट इन्फेन्टरी के थे वह ट्रक भरकर लाते हैं और करीबन डेढ़ घण्टे तक वहां मारपीट का ताण्डव नृत्य होता है, इन्होंने सिर्फ प्लेट फार्म का हवाला दिया, मेरा वह विधान सभा क्षेत्र है उसके पास में लालगढ़ रेल्वे स्टेशन रामपुरा मोहल्ले के अन्दर जहां से कि फौजी जवान टी. वी. उठाकर ले आये थे वह बरामद किया आपकी पुलिस ने, यह आपकी जानकारी में नहीं है। उसी के पास ही रेल्वे स्टेशन के पीछे इन्दिरा कॉलोनी, कल्ला साहब आपके आर. सी. पी. विभाग की कॉलोनी उसके अन्दर घुस-घुसकर, आखिर उसकी दूरी का अन्दाजा लगाइये। आधा-आधा, एक-एक किलोमीटर दूरी पर यह बस्तियां बसी हुई हैं उसके घरों के अन्दर घुस के उन्होंने खुले आम मारपीट की है, इज्जत ली है।

मैं आपको उदाहरण दूं गृह मंत्री महोदय, आप शायद कह देंगे सिर्फ आलोचना मात्र कर रहे हैं। यह हमारे यहां 6 तारीख को जूनागढ़ के पास आग लगती है, मैं रात को डेढ़ घण्टे तक प्रयास करता रहा कि कलक्टर से, किसी प्रकार बात हो जाय। रात को पौन बजे मुझे सूचना मिलती है कि जूनागढ़ के पास एक पैट्रोल पम्प की दुकान के अन्दर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं डेढ़ घण्टे तक प्रयास करता रहा लेकिन जिलाधीश ने बात नहीं की। घर पर उनके लड़के ने टेलीफोन उठाया तो कहा कि हमारे पापा सो रहे हैं, मैं उनको कैसे उठाऊं। तो मैंने कहा कि गम्भीर मामला है, फायर ब्रिगेड रेल्वे के पास है, रेल्वे वाले यह कह रहे हैं कि जब तक हमें कलक्टर या सिटी मजिस्ट्रेट नहीं कहें हम फायर ब्रिगेड नहीं देंगे लेकिन बात नहीं हुई। आखिर हमने अपने प्रयास से टैंकर भेजा और आग बुझाई। दूसरे दिन कलक्टर ने सिर्फ सॉरी फील कर ली। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जो आपको यह सरकारी सूचना मिली है यह बिल्कुल गलत है। आप भी अन्दाजा लगायें कि डेढ़ घण्टे तक जहां पर बराबर वारदात होती रहे, पुलिस वहां पर मदद के लिये नहीं पहुंचे। आखिर जनता किसके भरोसे है, क्या जरूरत है पुलिस और सरकार की?

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री रघुनाथ परिहार** (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

**श्री सभापति** : सदन की आज्ञा हो तो सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

### शासकीय वक्तव्य

**श्री देवीसिंह भाटी** : सभापति महोदय, वहां बराबर डेढ़ घण्टे तक मार-पीट होती रही। आपने स्वयं ने माना है कि करीब सवा ग्यारह बजे आपके अधिकारी स्टेशन पर पहुंचे....

**श्री सभापति** : संक्षेप करें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं आपसे निवेदन करूं जो फैक्ट्स मेरे पास हैं, अभी हाल ही में मेरी टेलीफ़ोन से बात हुई है, टेलीफोन से बात करके आया हूं, सारी अधिकृत सूचना मिली है....

**श्री शोपत सिंह** : आपको इन्टरबीन करने में मजा आता है क्या ? इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल पर....(व्यवधान)

**श्री के. सी. बिश्नोई** : क्या आपसे सीरियस कोई सदस्य नहीं हैं ? (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : प्लीज। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय, इसकी पूरी अधिकृत जानकारी लें आखिर डेढ़ घण्टे तक अधिकारी वहां क्यों नहीं पहुंचे ? एस.पी. वहां पर, कलक्टर वहां पर, डी.आई.जी. वहां पर लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। बराबर यह सूचना दूसरी जगह पहुंच गयी और हनुमान हत्या से बराबर वहां से जो लोग छोड़कर आये थे उनको सूचना मिल गयी, वह वापस वहां भागकर आये मदद के लिये, लोग-बाग वहां पहुंच जाते हैं लेकिन आपके पुलिस के अधिकारी और जिलाधीश कोई नहीं पहुंचे। आखिर जिलाधीश की और जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। इस तरह के अचानक काण्ड हो सकते हैं, कोई किसी को जान से मार सकता है लेकिन जब इतना समय निकल जाय उसके उपरान्त भी कोई सुरक्षा के लिये नहीं आये तो जनता को इस सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर कैसे विश्वास रहेगा ? मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं मुख्य मंत्री महोदय कि यह अधिकारीगण

(4.58 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां पहुंचे उसके बाद जो ब्रिगेडियर फौज का इन्चार्ज है वह भी वहां पर पहुंचा। उस ब्रिगेडियर ने यह कहा कि इन जवानों को मैंने भेजा है, क्योंकि हमारे जवान की पिटाई हो रही थी इसलिये उनको भेजा है। मैं कहता हूं कि ऐसे ब्रिगेडियर को जो उनको यह एन्करेज करे इस बात के लिये, अगर ब्रिगेडियर यह बात करे, तो फौज के जवान से तो आम जनता वैसे ही डरती है, वह अगर उनका प्रोटेक्शन करे, उनको

(श्री देवीसिंह भाटी)

बचाने की कोशिश करे तो क्यों नहीं ऐसे आदमी को भी उसमें शामिल किया जाय एफ.आई.आर. के अन्दर, यदि वह होसला बढ़ाता है तो....

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार ऐसी घटनायें होती है, आपने यह भी हवाला नहीं दिया कि जो टी.वी. बरामद किया पुलिस ने उसकी भी आपको सूचना नहीं दी गई, आपको यह भी जानकारी है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं कि 48 आदमी वहां पर घायल हुये और उनकी मार-पीट की गई, उपाध्यक्ष महोदय, 24 आदमी तो पी. बी. एम. हॉस्पिटल के अन्दर एडमिट हैं और इसके अलावा करीब 36-37 आदमी रेल्वे हॉस्पिटल के अन्दर भर्ती हैं यह भी आप विचार कीजिये, सोचिये कितने आदमी चोटें खा खाकर घरों में चले गये, हॉस्पिटल नहीं गये; छिप गये डर से घरों में बैठे हुये हैं, आपने यह भी कतई आश्वासन नहीं दिया कि जिन घरों के अन्दर जाकर उन्होंने नुकसान कर दिया उनको मुआवजा देंगे, सर्वेक्षण करके जो भी राहत देने की बात है करेंगे यह भी बात आपने नहीं की....

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सूचना मुझे मिली है कि जो ट्रेन जोधपुर से आने वाली थी उदयरामसर के अन्दर खड़ी है, कोई भी वहां पर कार्य करने वाला नहीं है, कार्य करने को तैयार नहीं है, रेल्वे वाले अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं, जनता अपनी जगह पर कार्य कर रही है, जनता वहां पर धरना लगाये बैठी है जिलाधीश कार्यालय के सामने, इसके लिये होना तो यह चाहिये था कि तुरन्त गृह मंत्रीजी वहां पर पहुंचते. स्थान पर कन्ट्रोल नहीं हो रहा था, ऐसे काण्ड हो जायं और आतंकित है बीकानेर की जनता और बाहर के आये हुये यात्री जो वहां पर आये हुये थे लेकिन इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई....

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा यही सिर्फ काण्ड नहीं है, इसके लिये बात करें, मुख्य मंत्री महोदय प्रधान मंत्री से बात की जाय क्योंकि सभी एक्सरसाइज में जाते हैं फौजी जवान तो खेतों में घुस जाते हैं, ढाणियों में घुस जाते हैं, इज्जत लूट लेते हैं उसको कैसे कन्ट्रोल करें ताकि इस प्रकार से कैसेज दुबारा न हों, इनकी पुनरावृत्ति न हो, मैं चाहूंगा कि सरकार इसको सिरियस लें।

(5.00 म. प.)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** उपाध्यक्ष महोदय,

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आपका तो इसमें है नहीं। सवाल पूछ लें। घनश्याम जी तिवाड़ी। माननीय मन्त्रीजी बैठें। घनश्याम जी बोलें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में जब मैंने चर्चा की थी, मुझे इस बारे में आश्वस्त किया गया था, अध्यक्ष महोदय, की ओर से कि जब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस विषय पर चर्चा होगी तो बोलने का अवसर दिया जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** बोलने का नहीं, पूछने का।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** हां।

**श्री उपाध्यक्ष :** तो सवाल पूछ लेना।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय गृह मन्त्री महोदय से एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा जो आपके वक्तव्य से पैदा हुए हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यह एफ. आई. आर. दर्ज किसने कराई ? रेल्वे आॅथोरिटी ने कराई है या जो लोग पिटे उन्होंने कराई है। एक एफ. आई आर. हुई या आप यह बता दीजिये कि जिन लोगों के घरों में जाकर माल लूटा गया, मेरी सूचना के अनुसार उनकी ओर से भी एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। कुल कितनी एफ आई. आर. दर्ज हुई हैं। माल के लूटने की, मारपीट की, यह सारी घटना आपने नहीं बताई। एक तो यह कि एफ. आई. आर. कितनी दर्ज हुई ?

दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि रेल्वे स्टेशन से छावनी कितनी दूर है और रेल्वे स्टेशन से एस. पी. का घर और आॅफिस, और डी. आई. जी. का घर और आॅफिस कितनी दूर है ? इनको पहली सूचना आपके वक्तव्य के अनुसार 10 बजे घटना हुई और डेढ़ बजे डी.आई.जी. ने मिलट्री के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया मेरा प्रश्न यह है कि जब यह घटना दस बजे प्रारम्भ हुई, डेढ़ बजे सम्पर्क स्थापित किया, डेढ़ बजे तक आपका डी. आई जी और एस.पी अगर गाड़ी में बैठ कर कैम्प में जाते तो भी वहां पहुंच सकते थे। आपने उसकी रेस्पान्सिबिलिटी को किस तरह से फिक्स किया किस तरह से फिक्स नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है।

तीसरा मेरा सवाल है रेल्वे स्टेशन से छावनी कितनी दूर है ? ट्रकों के जाने और आने में कितना समय लगा और लालगढ़ थाने में, जी. आर. पी. का थाना है वह थाना पुलिस लाइन से कितनी दूर है ? पुलिस लाइन से वह डेढ़ घण्टे में जाकर वापिस आये। इतने समय तक फोर्स वहां पर नहीं पहुंची इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** डाक्टर उजला अरोड़ा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** मैं यह पूछ रहा हूं कि सारी घटना के बाद में जैसा आपने कहा 48 आदमी घायल हुए, 48 आदमी घायल नहीं हैं घायलों की संख्या 100 से अधिक है। पचास-साठ आदमियों को तो मरहम पट्टी करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, यह हाॅस्पिटल के रिकार्ड में है। इसके अलावा हाॅस्पिटल में जो 48 आदमी भर्ती हैं उनमें तीन आदमियों की हालत ऐसी है कि उनका कभी भी देहांत हो सकता है। क्या यह भी सही है कि सेना के जवान जो गाड़ियों में आये, साथ में लाठियां लेकर नहीं आये शस्त्र लेकर आये और स्टेशन पर गोलियां भी चली। गोलियां चलने के बाद में....यह सही बात है, आपके पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं थे जब तक। डेढ़ बजे बाद में सेना से सम्पर्क होने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के बाद आये और उनके साथ आपका डी. आई. जी. और एस पी. आये। इसके पहले डी. आई. जी. और....एस. पी. रेल्वे स्टेशन पर मौके पर नहीं थे।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा। प्लीज सिट डाउन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां मैं बैठ रहा हूं। यह घटना इस बात को प्रतिबिम्बित करती है कि आप किसी की रेस्पान्सिबिल्टी फिक्स करें। आप रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, गृह मन्त्री से त्याग पत्र की बात लागू होती है। मैं नहीं कह रहा हूं। मेम्बर नहीं हैं विधान सभा के, तो इनके त्याग पत्र की कोई बात नहीं है। किसी न किसी की तो आपको जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। डी. जी. की कर दीजिये, गृहमन्त्री जी की नहीं तो मुख्य मन्त्री जी की कर दीजिये, डी.आई.जी. की कर दीजिये। यह आखिर पैसा लेकर यहां पर बैठे किसके लिए हैं। सादूलशहर का काण्ड होता है किसी की जिम्मेदारी नहीं, बीकानेर का काण्ड होता है किसी की जिम्मेदारी नहीं, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सादूलशहर के काण्ड के अन्दर जिम्मेदारी फिक्स नहीं की। बीकानेर के काण्ड में आप जिम्मेदारी फिक्स नहीं करना चाहते। आप किस पर टालना चाहते हैं। यहां सदन में प्रश्न पूछ कर इस बात को समाप्त नहीं कर सकते। कल की बीकानेर की घटना इस बात का प्रमाण थी कि राजस्थान में राज नहीं था, बीकानेर में अराजकता का साम्राज्य स्थापित किया गया था। यह शर्मनाक घटना है हमारे लिये। महिलाओं की इज्जत लूटी गई, रेल्वे स्टेशन पर पड़े हुए पेटीकोट, उनके अम्बार लगे हुए हैं, आप मजाक की बात कर रहे हैं। यह दूसरा रविन्द्र सरोवर काण्ड हुआ आपके राज में। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के सभी पार्टियों के एम.एल एज की कमेटी वहां पर जाय और कल जाकर इस सारी घटना की जांच करे और लोगों के बयान ले वहां पर।

श्री इकबाल अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण की इजाजत दे दी क्या आपने..? (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हमारी आवाज बन्द करना चाहते हैं, आप में तो गैरत नहीं, है, हिम्मत नहीं है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय शोपत सिंह जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय...

श्री उपाध्यक्ष : You have asked so many questions उसका जवाब तो आने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : I will ask thousand questions.

श्री उपाध्यक्ष : और भी पूछने वाले हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और भी पूछेंगे लेकिन मैं जानता हूं वह मैं पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रक्षा मंत्रालय से आपने क्या बात की, यह बताइये। डिफेन्स मिनिस्ट से, लेफ्टिनेन्ट जनरल जो इनका इन्चार्ज था उनसे बात करके क्या कार्यवाही की । यह भी सदन को बताइये कि कोर्ट मार्शल करने के लिए आपने लिखा या नहीं ? आप सदन को यह भी बताइये कि ट्रेन में सामान लूट कर ले गये कितने लोग किस-किस स्थान पर थे, कहां से भाग कर चले गये ? आप यह बताइये उनके भोजन पानी की व्यवस्था की या नहीं ? आप सदन को यह भी बताइये कि जिन लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो गई, आप हजार रुपये की बात कहकर टाल गये, उनको आप मुआवजा क्या दे रहे हैं ? अन्त में कहना चाहूंगा इस पापपूर्ण घटना के लिए राजस्थान सरकार की असफलता के लिए, लोगों को अनाथ छोड़ने के लिए यहां किसी को अपराधी घोषित करना पड़ेगा । वह अपराधी मुख्यमन्त्री जी आप हो सकते हैं, वह अपराधी पिलानिया साहब हो सकते हैं, वह अपराधी डी.आई जी. तिवाड़ी जी वहां पर बैठे हैं वह हो सकते हैं । इसके लिए किसी का सर चाहिए और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस सरकार को उसका सिर देना पड़ेगा और मेरी यह मांग है कि एम.एल.एज की कमेटी जाय, सारी घटना की जांच करे और जांच करने के बाद में उस कमेटी की सिफारिशों पर कार्यवाही की जाय । अगर सरकार इसबात से सहमत नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, छोटा सा वक्तव्य देकर और लुन्जपुन्ज बात कहकर सरकार इस बात को समाप्त नहीं कर सकती । यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । डा. उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो गृह मन्त्रीजी ने यहां बोला उससे यह जाहिर नहीं होता है कि यह जो सारी घटना घटी यह किस प्रक्रिया स्वरूप हुई, नम्बर (1) नम्बर (2) क्या वायरलैस से सूचना मिल सकती थी । क्या वहां की पुलिस, सी.आर.पी. थाने में नहीं थी, शेष पुलिस के अधिकारी इतनी घटना घटने के बाद, भी सोते रहे जी.आर.पी. के लोग पीटे गये, रेल्वे कर्मचारी पीटे गये । डिब्बों में घुसकर औरतों और बच्चों को आतंकित किया गया, खून बहा इसके बावजूद इतनी देर से लोग पहुंचे । इनकी जिम्मेदारी क्या थी ? क्या जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी ? इन लोगों को सूचना मिलती है तो सोते रहते हैं । मैं पूछना चाहती हूं कि पुलिस का क्या कर्तव्य था, उन्हें सूचना तत्काल देनी चाहिए । ब्रिगेडियर के कहने से फौज के लोग पहुंच गये । पुलिस नहीं पहुंची । यह जो सारी अव्यवस्था फैली आप बताइये कि सारी घटना क्यों घटी ? फिर नहीं घटे इसके लिए आपकी ओर से क्या तैयारी है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष

172



(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं सही तथ्य भी नहीं बता सकता। गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया लगभग सन्तोषजनक है। एक तो आप इस बात की जानकारी कीजिये, आपका कहना है 40 जवान थे और हमारा दावा है 150 जवान थे, इसकी जांच कर लीजिये। बाकी घनश्याम जी ने जो क्वेश्चन रखा कि मुकदमा किसी व्यक्ति की तरफ से किया। या राज्य सरकार की तरफ से? कुल कितने मुकदमे हुए यह आप बता दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में हरिदेव जी जोशी जब मुख्य मन्त्री थे दो साल पहले बोर्डर का दबे हुए शब्दों में मैंने सुझाव दिया, बोर्डर पर कार्यवाही करने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसका बैंकग्राउण्ड क्या है। मैं अलग मुख्य मन्त्रीजी से और गृह मंत्रीजी से बात करूंगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा यदि आप एक्शन लेंगे तो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर की 27 मार्च को कुछ तथ्य दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ तथ्य तो रखूंगा मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि दबना नहीं चाहिये, यह देश का और राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का, मुख्य मन्त्री जी, हैड क्वार्टर नोखा है और वहां पुलिस स्टेशन है वहां भी ऐसे लोगों का अड्डा है और आज से नहीं है वह अखाड़ा जब मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां थे तब से चालू है। मुख्य मंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं लम्बी बात नहीं कह कर के मैं सिर्फ राजस्थान की सीमा जो गंगानगर जिला चूरू की कुछ तहसीलें, राजगढ़ और तारानगर, डूंगरगढ़ को छोड़ दीजिये लूणकरणसर तहसील पूरी, बीकानेर तहसील का कुछ भाग और हमारा लालगढ़ स्टेशन इसके उत्तरी भाग में मुख्य मंत्री जी जहां हमारी इन्दिरा गांधी नहर का सिंचित इलाका है उसमें आपका गंगानगर, घड़साना, रावला, खाजूवाला और पूगल यह जो पूरा पार्ट, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है वहां धर्म के नाम पर कई बोर्डर पर चौकियां बनी सुरक्षा की दृष्टि से हमने खतरा महसूस किया और मैंने दबी हुई आवाज में कहा रातों रात राज्य सरकार ने कार्यवाही करके सीमा का इलाका उन देश द्रोही लोगों से खाली करवाया। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे तथ्य, देश का मामला है, सुरक्षा का मामला है, मैं सदन में नहीं रखूंगा, राज्य के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जी को बताऊंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती विद्या पाठक।

**श्रीमती विद्या पाठक** : उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष** : बहुत हो गया, आपका इससे कोई कनसर्न भी नहीं है आपने कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी पार्टी के बोल लिये

**श्री शोपत सिंह** : सारे देश का कनसर्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Will everybody speak? would you like me to allow everybody to speak?

**श्री शोपत सिंह** : सारे देश का कन्सर्न है। स्टेटमेंट भी आयेगा, after all

(श्री शोपत सिंह)

we have to act according to rules. कुछ सीमाओं में भी चलेंगे।

**श्रीमती विद्या पाठक** : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट अभी माननीय गृह मंत्री जी ने दिया, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि राजस्थान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस फोर्स ने प्राम्पट एक्शन नहीं लिया उसके लिये पुलिस की सीधी गलती मानी जायेगी। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इसका असर यह होगा कि आज राजस्थान का हर नागरिक हर जगह असुरक्षित महसूस होगा अगर बचाने वाले समय से नहीं पहुंचते है तो उसकी रक्षा, आर्मी वाले तो उनको मारने को आये और पुलिस वाले बचाने के लिये भी नहीं पहुंचे, तो फिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा। तो इन सैंस आफ अनसिक्योरिटी पूरी स्टेट में होना स्वाभाविक है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहती हूं यह बोर्डर का बहुत सैंसेटिव इश्यू है। इसमें देखने की बात राजस्थान सरकार की विशेष तौर से यह होनी चाहिये कि यह घटना तो हो गई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अब हमको केस को डील करने के साथ-साथ प्रिकाशन्स ज्यादा लेने पड़ेगे। कैनटूनमेंट और नागरिकों में, नागरिकों और नागरिकों में और आर्मी की यूनिट्स के भीतर कहीं इसका रीपर्कशन डीसेंशन न हो। पर्टीकुलर एक कास्ट को उसके लिये ब्लैक शीप न बना दिया जाये। इसके लिये आप क्या प्रिकाशन्स ले रहे हैं कनसील्ड बर्ड में आप इतना समझ लीजिये और उसके विषय में बतायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : केवल एक प्रश्न करूंगा। चालीस कारतूस जो सेना के लोग लेकर चले गये। उनके नम्बर, क्या वह मिल गई, कारतूस प्राप्त हो गये? कारतूस और राइफल जैसी चीज पुलिस के हाथ से छीन कर ले जाये, छीनते समय उन पुलिस के व्यक्तियों ने सेना के व्यक्तियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया या यों ही ले जाने दिया? राइफल प्राण के समान होती है, पुलिस के व्यक्ति के लिये। पुलिस वालों ने छीनने वालों के खिलाफ कितना प्रतिरोध किया? यह बताने का कष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुश्री पुष्पा जैन।

**सुश्री पुष्पा जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, सुना था आर्मी और पुलिस जनता की रक्षा के लिये होती है लेकिन जब आर्मी और पुलिस ही भक्षक बन जायेगी तो मेरी समझ में नहीं आता गृह मंत्री जी कि किसको जाकर फरियाद करेंगे? आपने अपने स्टेटमेंट में कहा, आपने जो एक घटना का ब्यौरा दिया आपने उसमें राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की कॉलोनी का जिक्र नहीं किया। गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की कॉलोनी में पूरी रात जब महिलाओं के साथ ताण्डव नृत्य होता रहा, क्या आपने इसकी भी जांच करवाने की कोशिश की? आपको इस बात की जानकारी है कि महिलाओं के साथ कितना ज्यादा अत्याचार हुआ है, उनको पूरी रात हवश का शिकार बनाया गया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आप इस पूरी स्थिति की जांच दुबारा से करवायें जैसा कि घनश्याम जी ने कहा,

(174)



(सुश्री पुष्पा जैन)

अच्छा होगा, आप इस सदन की कमेटी बनायें और उसमें ज्यादा से ज्यादा महिला सदस्यायें भी भेजे ताकि महिलायें जो खामोश और मूक कहानी अपनी किसी से कह नहीं सकती, उनकी असली दशा का आपको भान हो सके। दूसरा मैं यह भी जानना चाहूंगी कि ठेली वाले, दुकान वाले और जो वहां पर सामान बेचने वाले थे उन निरपराध लोगों का जब भयंकर नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लेने का भी आपने कुछ प्रयास किया? आपने इसके लिये भी किसी को अपाइंट किया है कि सारे नुकसान का जायजा लिया जाये और उन गरीब लोगों को खमियाजा देंगे या नहीं देंगे? इस बारे में भी आप सदन को कुछ जानकारी दें। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब पहली घटना आपने बताई कि जसबीरसिंह जी की और कुछ अन्य स्टेशन पर तैनात लोगों की पिटाई हुई और उसके बाद वह दुबारा गये और दुबारा वहां पर आर्मस समेत भर कर आये तो पहली घटना के बाद पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई? स्टेशन पर इतनी बड़ी घटना हो जाये, उपाध्यक्ष महोदय, और घटना हो जाने के बाद आर्मी के लोग वापिस जायें और अपने दल-बल सहित आयें। तो एक तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जब वह दुबारा आये तो इसमें किसी उच्च अधिकारी की इजाजत से तो नहीं आये। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब एक बार स्टेशन पर ठोकने के बाद वहशीपन दिखाने के बाद जब दुबारा वह अपने हैड क्वार्टर पर गये तो वहां वह किसी उच्च अधिकारी की इजाजत से, यह सरिये वगैरा जो लेकर आपने आना बताया, उच्च अधिकारी की इजाजत लेकर वह सारा सामान लेकर स्टेशन पर वापिस आये हैं उसके बाद उन्होंने यह सारा ताण्डव नृत्य चालू किया। इसके लिये आपने पांच आदमियों को गिरफ्तार किया। यह पांच आदमियों के खिलाफ आपने मुकदमें बनाये मेरी समझ में नहीं आता इस पर आपको बधाई दी जाये या आपसे स्तीफे की मांग की जाये। इतना बड़ा काण्ड हो जाये 150 आदमी अस्पताल में है हंसने की बात नहीं है गृह मंत्री महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। मुझे बड़ा खेद है कि आपके चेहरे पर गमी होनी चाहिये थी और आप बड़े आराम से मुस्करा रहे हैं....

**श्री उपाध्यक्ष :** आप सवाल पूछिये।

**सुश्री पुष्पा जैन :** +++ राजस्थान का सर झुक जाता है इस घटना के बाद, किस को जाकर कहें हम लोग, आप जैसा +++ गृह मंत्री हो....

**श्री उपाध्यक्ष :** ऐसे शब्द मत यूज करिये।

**सुश्री पुष्पा जैन :** तो मुझे लगता है ऐसी वारदातों का क्रम बढ़ता जायेगा आप संजीदगी से इसकी जांच करवायें, मुझे कहना चाहिये कि एक कमेटी बनायें और महिला सदस्यों को वहां भेजें और जिन महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है उसका पूरा ब्यौरा इस सदन में आये और जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें आप। इसके लिये अगर

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

आपको भारत सरकार से भी मदद लेनी पड़े तो उससे आपको चूकना नहीं चाहिये, डरना नहीं चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

**श्री अशोक गहलोत (गृह मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो स्टेटमेंट मैंने कल की घटना के बारे में दिया है और जिसको लेकर यह सारा सदन चिन्तित है वह स्वभाविक है। सदन ही नहीं, राजस्थान की पूरी जनता इसको सुनकर चिन्तित है और इसीलिये आज मैंने स्वयं ने अध्यक्ष महोदय से यह आग्रह किया इसके बारे में सरकार अपनी तरफ से सारी जानकारी करके अपना स्टेटमेंट दे जिससे सदन में इस पर चर्चा हो सके और सारे तथ्य जो सामने आयें उसके आधार पर चर्चा हो सके। मैं समझता हूं कि हमारे देश की फौज के बारे में हमारे देशवासियों को ही नहीं बल्कि दुनिया को गर्व है और यह हमारी फौज ने कर दिखाया जब-जब मौका मिला। इसलिये अगर एक घटना अलग रूप से होती है या चन्द जवान कोई गलती कर बैठते हैं तो इसका मायना यह नहीं होता कि हम पूरी फौज के बारे में कोई बात करें....

**श्री शोपत सिंह** : पूरी फौज के बारे में किसने बात की है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी नहीं कर रहे हैं, यह भी नहीं कर रहे हैं।

**श्री अशोक गहलोत** : जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनका आक्रोश तो मेरी समझ में आता है और मैं समझता हूं कि अगर हम सच्चाई पर जायेंगे और सच्चाई के आधार पर बात करेंगे तो जो मन्शा आप लोगों की है उसके आधार पर सरकार को कार्यवाही करने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। मैं किसी की भावना के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता। मुझे किसी की डिग्निटी पर शक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुखद घटना को लेकर जो बात कही गई है उससे ऐसा लगता है कि हमारे प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं सुबह से ही बराबर इस बात की कोशिश करता रहा कि यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई? पुलिस के हमारे अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी ने क्या कार्यवाही की। यह तथ्य आपके सामने समय के साथ स्वतः ही आ जाएगा। मैं समझता हूं कि आप भी क्वीन्स होंगे। सुनी सुनाई बातों के आधार पर, जो बातें आप तक पहुंची है उसके आधार पर आपने अपनी बात रखी। मैं समझता हूं कि आप में से जो बोलने वाले हमारे माननीय सदस्य हैं उनमें से अधिकांश उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर यह घटना हुई है। इसलिये मेरा मानना है कि हम और अधिक गहराई के साथ में, और अधिक सच्चाई को लेकर बात करें तो मैं समझता हूं कि हम इस केस को, जो दुखद घटना हुई है उसके बारे में कार्यवाही करवाने में ज्यादा सफल हो सकेंगे।

यह कहा गया कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की या समय पर कार्यवाही नहीं की। मैं ऐसा मानता हूं कि जो जी आर.पी. के लोग वहां पर थे, इस घटना की शुरूआत ही उनके बीच बचाव से हुई। वहां पर 24 जवान जाने वाले थे उस ट्रेन से....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है। जिस तरह से मामला आया है, मैं समझता हूं इस मामले में दोनों ओर से इस बात में एकमत है। इसमें केवल मात्र इस घटना का ही सवाल नहीं है, इससे राजस्थान की आम जनता में कितनी बड़ी असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जो फायरिंग रेंज जगह-जगह बनायी जा रही है, अभी भी बनने की प्रोसेस में है उसमें जनता कितनी उग्र होगी, जब यह सारी बातें हमारे ध्यान में आ रही है तो अब गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कुछ जवाब देने के बजाय मुख्य मन्त्री जी राजस्थान की जनता को किस तरह से आश्वस्त करते हैं कि उनकी सुरक्षा उनके हाथ में सुरक्षित है, यह आवश्यक है। मिलिट्री विदेश से, दुश्मन से लड़ने के लिये है, हमारी जनता को मारने के लिये नहीं है। यह छूट आप देंगे तो इसका मतलब सरकार है ही नहीं। इसलिये बजाय इसके गृह मन्त्री महोदय किसी तरह अपने डिपार्टमेंट को डिफेन्स करने के लिये बात कहें, मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में क्या सोच रहे हैं, घोषणा करें। बतावें कि उन्होंने क्या सोचा है, वरना इसका अन्त नहीं होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : डिफेन्स करने की बात तो नहीं कही है....

**श्री शोपत सिह** : और इससे ज्यादा क्या होगा ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मामला बहुत गम्भीर है, बहुत सेन्सेटिव है। आज हम यह फील कर रहे हैं कि राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। यह तो मिलिट्री के लोग हैं। कहीं भी 100/50 की गैंग बनाकर इस तरह हत्याएं कर सकते हैं। कोई भी लूट मार कर सकता है। हमारा पुलिस पर से भरोसा उठ गया है। राजस्थान में सरकार या पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। इस घटना के बाद, इसको रेस्टोर करने के लिये सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाये, इस तरह की लीपापोती से कोई शान्ति होने वाली नहीं है, कोई लाभ नहीं है।....

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब आने दीजिये। कृपया बैठिये।

**श्री दिग्विजय सिंह** : गृह मन्त्री जी जवाब पूरा कर लें।....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज माइण्ड यूअर लेंग्वेज प्लीज।

**श्री अशोक गहलोत** : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना को राजनैतिक रूप से नहीं लिया जाये....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया सुनिये।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : डेढ़ घण्टे तक इतनी बहस हुई कहीं राजनीति का शब्द आया है ? गृह मन्त्री राजनीति ला रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : पार्टी से ऊपर उठ कर बात करें। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : It is below standard.

**श्री उपाध्यक्ष** : ये बिलो स्टेण्डर्ड बात नहीं कर रहे हैं आपकी और हमारी सबकी भावना कह रहे थे।

**श्री शोपत सिंह** : कहां राजनीति की बात आई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री शोपत सिंह** : आप कह रहे हैं वह राजनीति की बात नहीं है और हम कह रहे हैं वह राजनीति की बात है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : No body has politicalised it. Please sit down.

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : इस मामले को गम्भीरता से लें। इसको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए।

**श्री अशोक गहलोत** : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, अगर कोई ईमानदारी के साथ से उस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करे तो मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट का एप्रिसिएशन होना चाहिए था। जिस प्रकार सारे फैक्ट्स सरकार ने सदन के सामने रखे हैं, कोई बात छिपाई नहीं गई है, जो बात सामने आई है....

**श्री शिवचरण सिंह** : आप कैसे अच्छे माने जायेंगे कोई बात छिपायेंगे तो....

**श्री उपाध्यक्ष** : No comments.

**श्री अशोक गहलोत** : जैसे ही घटना की शुरूआत हुई, उससे लगा करके घटना के समाप्त होने की सारी जानकारी सदन को दिलायी गयी है। इस बात का आपको स्वागत करना चाहिए। हम आपकी भावना के साथ भावना मिलाकर जो भी निर्णय सदन करेगा, जो भी कार्यवाही करनी होगी जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, चाहे जिला प्रशासन का हो, पुलिस का हो, कार्यवाही करेंगे उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यह मामला गम्भीर है इसलिए पहले आपसे तीन बजे के टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया गया, फिर आग्रह करके 4.30 बजे का टाइम बदलवाया। हम चाहते हैं कि आपकी भावना के अनुरूप कार्यवाही करें। केन्द्र सरकार के पास जाना पड़े तो वहां जाकर बात की जाएगी। जिला प्रशासन ने गड़बड़ की है, तो किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी परन्तु जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको सुनने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हम यह आरोप लगावें कि वहां पुलिस नहीं पहुंची या जिला प्रशासन नहीं पहुंचा....मेरी बात सुनिये।....

**श्री उपाध्यक्ष** : इन्टरप्ट न करें। नो इन्टरप्शन प्लीज।

**श्री अशोक गहलोत** : जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं वह सदन को बताने में एतराज नहीं होना चाहिए उसके बाद यदि यह लगे कि यह फैक्ट्स गलत हैं, गलत फैक्ट्स दिये गये हैं. आपको हक है अपनी बात कहने का, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। कोई गलत तथ्य दिये गये हैं तो किसी को बख्शा नहीं जायेगा। यह ऐसा मामला है जिससे हमारी आम जनता चिंतित हुई तो सरकार के अन्दर बैठे हुए नुमाइन्दों का फर्ज बनता है कि वह बाकायदा गम्भीरता के साथ में कार्यवाही करें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है, इसकी शुरूआत ही इसलिए हुई कि जो जवान थे वे आपस में लड़ पड़े। जी. आर. पी. के लोग खड़े थे उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, मारपीट शुरू हो गई। जब ज्यादा बात बढ़ने लगी तो कंट्रोल रूम को इत्तिला दी गई। यह दस, साढ़े

(श्री अशोक गहलोत)

दस बजे के बीच की घटना है और उसके तत्काल बाद वहां के एस. पी., डी. आई. जी. ने कंन्ट्रोल रूम और एडीशनल एस. पी. से सम्पर्क किया गया, जो सबसे नजदीक का थाना था उससे सम्पर्क किया गया। पुलिस फोर्स भेजी गयी । साइमल्टेनियसली वहां पर जो मिलीट्री के अधिकारी थे उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की गई। क्योंकि यह मामला इतना नाजुक था कि अगर एस. पी. कलक्टर वहां पहुंच भी जाते, पुलिस फोर्स पहुंच जाती तो क्या हम यह उम्मीद करें कि मिलिट्री और पुलिस के बीच कन्फन्टेशन होता तब ही हम समझते कि पुलिस ने अच्छी कार्यवाही की है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उनको मरने देते। अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ती तो चलानी चाहिए थी (व्यवधान) यह गलत बात है।

**श्री अशोक गहलोत** : पुलिस पहुंच चुकी थी यह मैं आपको कह रहा हूं। दस, साढ़े दस बजे के बीच यह घटना हुई। पुलिस वहां पर पहुंची और साइमल्टेनियसली सम्पर्क किया गया मिलिट्री के अधिकारियों के साथ....

**श्री शोपतसिंह** : पांच लोगों को आपने पकड़ा है। बाकी लोग कहां चले गये। यह पुलिस कार्यवाही को स्पष्ट करता है।....

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। शोपत सिंह जी बैठ जाय।

**श्री अशोक गहलोत** : इसके बाद सवा ग्यारह बजे एस पी. खुद पहुंच जाते हैं घटना स्थल पर। जो गिरफ्तारी हुई है उसके पहले वह लोग जा चुके थे। उसके बाद....(व्यवधान) शोपत सिंह जी, आप मेरी बात सुन लें, आपकी बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी थी।

मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से जो लोग वहां घायल हुए थे रात को, पूरे हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने रात भर लगाकर एक तरफ उनका इलाज कराया, ए. डी. आर. एम. को बुलवाया गया और लोगों को शान्ति करने की कोशिश की गई। क्योंकि वहां के जो नागरिक थे वह भी स्टेशन पहुंच गये थे। जिस प्रकार का जिला प्रशासन ने रोल अदा किया है उसका एप्रिशियेशन होना चाहिए था। अगर हमारे विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास कोई ऐसे तथ्य मिले....

**एक माननीय सदस्य** : यह बहस का मुद्दा है।

**श्री अशोक गहलोत** : तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। अगर इसमें आपको लगे कि कोई कोताही बरती गयी है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, उसको बख्शा नहीं जायगा। पर कम से कम जो सच्चाई सामने है उसके आधार पर बात होनी चाहिए। जो एफ. आई. आर. लॉज कराने की बात कही गई है तो इसमें एफ. आई. आर. एक लॉज तो फौज के हवलदार जसपाल सिंह ने कराई।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : कितने बजे ?

**श्री अशोक गहलोत** : यह सारी चीजें अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या आपको ? वह फौज के व्यक्ति ने करवाई जिसके साथ पहले लड़ाई हुई है, घटना हुई है । आप तो यहां कास एग्जामिनेशन करने लगे, कोर्ट खड़ी कर दी ।

श्री अशोक गहलोत : रेन्ज हैडनायक नानू खां, जी. आर. पी. ने लिखवाई है । मैं समझता हूं कि अभी यह मेरे पास फिगर नहीं हैं कि साहब, जो पांच लोग अरेस्ट हुए हैं । दिन भर से हमारे कमिश्नर के वहां मीटिंग चल रही है, फौज के अधिकारियों के साथ में बातचीत चल रही है क्योंकि फौज के जो अपने कानून हैं, आपसे छिपी हुई बात नहीं है ।

जहां तक कानून की बात है, उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी । जो मुलज़िम अरेस्ट नहीं हुए हैं फौज के लोग हैं, अब कानून क्या कहता है उसके आधार पर हम मुलजिमों को लेने की बात करेंगे, उसमें मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है । अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो हम दिल्ली तक जाकर इसके लिए बात करेंगे । पर हम आपको इतना यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप जितने चिंतित हैं उससे कम सरकार चिन्तित नहीं है ।

पाली से आने वाली विधायिका जी ने जब यह बात कही कि मैं हंस रहा हूं या मुस्करा रहा हूं मुस्कराना कोई बुरी बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो कमेंट्स । आपको सुना है आप सुनिये ।

श्री अशोक गहलोत : आप मुस्करा रही हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी मुंह पर हाथ दे देकर मुस्करा क्यों रही हैं अभी ।

श्री अशोक गहलोत : मैं समझता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या पूछी गई है, वह 48 घायल लोग हैं । 5 लोगों को छुट्टी दे दी है और उनका पूरा उपचार चल रहा है । 1000 रुपया ए. डी. आर एम. ने रेल्वे की तरफ से घोषणा की है और 500 रुपये जो कम चोटग्रस्त हैं उनको दिया जायगा । माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से भी उनको....

एक माननीय सदस्य : आप ही तो सरकार हैं, अब आप ही बनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है, ठीक है । बात एक ही है । आप पहले कह रहे थे मुख्य मन्त्री जी बोलें, अब यह कह रहे हैं मुख्य मन्त्री जी घोषणा करें ।

श्री अशोक गहलोत : जितनी मदद उन्होंने दी है उतनी तात्कालिक मदद राजस्थान सरकार की तरफ से भी उनको मिल जायगी । मैं समझता हूं, चूंकि इसमें फौज का इन्वाल्वमेंट है, माननीय सदस्यों ने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं छुटपुट घटनायें कहीं-कहीं खेत पर या बाहर भी हुई हैं । उस पर चिन्ता प्रकट की है । उनकी चिन्ता में मैं अपने आपको शरीक करता हूं और यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जहां हम लोग बैठकर आपस में चर्चा कर सकते हैं । पर फौज ने जो हमारे देश में नाम कमाया है उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, और मैं समझता हूं, इसमें किसी पक्ष की कोई दो राय नहीं हो सकती है । जहां भी ऐसी कोई घटनायें ध्यान में

(180)



(श्री अशोक गहलोत)

आती हैं उस पर कड़ी कार्यवाही की जायगी। उस पर किसी प्रकार दोषी को बख्शा नहीं जायगा। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : डॉक्टर जितेन्द्र।

**श्री यदुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वेरी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : What is the question ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : आपने आगे के लिए क्या प्रिकाशन लिए हैं कि यह घटना का मेग्नोट्यूट बढ़े नहीं, इसका असर दूसरी जगह न हो। उसके लिए क्या व्यवस्था की है ?

**श्री यदुनाथ सिंह** : आप सुनिये तो सही। सुन तो लें मेरे को तभी पता चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार मानती है और सदन के सारे सदस्य मानते हैं कि घटना हुई है और बहुत बड़ी जघन्य घटना हुई है और उसकी निंदा की जाय। सरकार ने खुद ने भी निन्दा की है। अब झगड़ा इतना रहा है कि प्रशासन के क्या लैप्सेज रहे उसमें डिस्प्यूट है माननीय सदस्यों और सरकार के दृष्टिकोण में।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह लैप्सेज के लिए भी कह दिया ना कि बख्शा नहीं जायगा।

**श्री यदुनाथ सिंह** : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जैसा माननीय घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था कि गृह मन्त्री जायं और एक कमेटी कांस्टीट्यूट की जाय जिसमें सभी पक्षों के सदस्य वहां जाकर ऑन दी स्पॉट स्टेडी करके लायें। उससे आपको बल भी मिलेगा, डिफेन्स मिनिस्ट्री से बात करने में भी आपको बल मिलेगा और वहां के लोगों को एक विश्वास पैदा होगा, जो घबराहट और डर पैदा हो गया है लोगों में आर्मी से, जो छुटपुट घटनायें और इस घटना के बाद भय का वातावरण जो है राजस्थान की जनता में, खास तौर से बोर्डर की जनता में एक कांफीडेन्स डवलप होगा। इसलिए एक समिति गृह मन्त्री के साथ वहां पर कांस्टीट्यूट की जाय वह समिति वहां जाकर ऑन दी स्पॉट स्टडी करे।

**श्री अशोक गहलोत** : ऐसा है, मैं स्वयं जाऊंगा घटना स्थल पर और वहां जा करके और जानकारी प्राप्त करेंगे और जनता के मनोबल को बढ़ायेंगे, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि यह सैन्सेटिव मैटर है, इसमें फौज का इन्वाल्वमेंट है, फौज के कुछ जवानों का इन्वाल्वमेंट है इसलिए इस पर ज्यादा बहस करना मैं उचित नहीं मानता। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Stop it. Close it please.

**श्री शोपत सिंह** : अपन चलेंगे, जाकर देख कर आयेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी देखिये ना। माननीय शोपत सिंह जी। प्लीज सिट डाउन नाऊ। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार का अपना काम है। सरकार के पास अपनी ऑन मशीनरी है

(श्री हरिमोहन शर्मा)

वह सारी बातों की जांच करे। कमेटी बनाने की राय न तो उचित है और न तर्क संगत है। (व्यवधान) और अगर कोई अधिकारी कोई कमी के लिए या काम नहीं करने के लिए दोषी पाया जाय तो सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। कमेटी बनाने की राय बिल्कुल गलत है और हम इससे सहमत नहीं हैं।

**श्री यदुनाथ सिंह** : एक एडीशनल एस. पी. के लैप्सेज को लेकर हाउस की कमेटी बनाई गई....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप लैप्सेज ले आइये। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : आप अपने दल की कमेटी बनाकर जायं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें। आपस में बात न करें। प्लीज सिट डाउन। हरिमोहन जी बैठें आप। (व्यवधान) माननीय शोपत सिंह जी, प्लीज सिट डाउन।

**श्रीमती विद्या पाठक** : कल इसका रिपरकशन्स कहीं और हुआ तो क्या होगा? मैंने बार-बार पूछा है कि इसके लिए कोई अपील निकाल रहे हो, कोई और कार्यवाही क्या कर रहे हो? इसके रिपरकशन्स न हो इसके लिए।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : आप कर आओ अपनी जांच।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज हरिमोहन जी। कुछ कहना है?

**श्री मानिकचन्द सुराना** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने काफी विस्तार से पहले भी और जवाब में भी सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया है। हम लोगों को जो सूचनायें हैं उनके मुताल्लिक हमने यहां बात कही। श्री देवीसिंह भाटी, जो कोलायत से आते हैं ने वह बात कही। सरकार के, हमारे वर्शन में अभी काफी गैप है। चूंकि मुद्दा बहुत गम्भीर है, गृह मन्त्री जी ने कहा है कि इसमें फौज का इन्वाल्वमेंट है। इसमें जो फौज के जवानों का इन्वाल्वमेंट है....

**श्री अशोक गहलोत** : फौज का नहीं, जवानों का।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : फौज के जवानों का इन्वाल्वमेंट है, वही मैं बोल रहा हूं। फौज के जवानों का इन्वाल्वमेंट है। तो जो यह इन्वाल्वमेंट है, यह इन्वाल्वमेंट एन्टी पीपुल है। जो बीकानेर में हुआ है यह एन्टी पीपुल है, यह जन विरोधी है। जो जन विरोधी इन्वाल्वमेंट है उसमें मैं उम्मीद तो यह करता था कि गृह मन्त्री जी यह कहेंगे, जब उन्होंने यह कहा कि इसको हम राजनैतिक स्तर पर न लें, तो राजनैतिक स्तर पर तो इसमें किसी ने लिया ही नहीं था। इस सारी बहस में, उपाध्यक्ष जी, आपने नोट किया होगा कि किसी ने कोई राजनीति से सम्बन्धित, राजनीति का मतलब आम तौर पर राजनीति किसको कहा जाता है, वैसे मैं राजनीति को बहुत ऊंचाइयों में मानता हूं, लेकिन छिछली राजनीति की कोई बात इसमें नहीं आई थी। इसलिए मैं यह उम्मीद करता था, वह यह कहेंगे कि मैं भी बीकानेर जाऊंगा और विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी इन्वाइट करता हूं

(श्री मानिकचन्द सुराना)

कि वे भी मेरे साथ बीकानेर चलें। खैर यदि

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** यह कहा है।

**श्री मानिकचन्द सुराना :** नहीं, यह नहीं कहा है। यह नहीं कहा। खैर, वह नहीं कहें, कोई बात नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** हम जाना भी नहीं चाहते आपके साथ।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपस में बात नहीं करें शोपत सिंह जी।

**श्री मानिकचन्द सुराना :** हम को जिन लोगों ने यहां भेजा है चुन करके, हम अपनी जिम्मेदारियों से खूब वाकिफ हैं इसलिए हम विपक्ष के लोग भी कल बीकानेर में होंगे भा. ज. पा. के दो तीन साथी जो भी नेता और प्रमुख विधायक और जनता दल के भी हमारे दो तीन साथी और सी. पी. एम. के शोपत सिंह जी, हम लोग भी कल बीकानेर में होंगे और जो घटना हुई है उसको अलग से भी देखेंगे और माननीय गृह मंत्री जी चाहेंगे तो हम उनके साथ जाकर भी देखेंगे ताकि कसैन्स में जो गैप है वह भी पूरा हो और राज्य सरकार इस पर एक समन्वित दृष्टिकोण लेकर जो कार्यवाही हम को करनी चाहिए वह कार्य इस सदन के दोनों पक्षों की तरफ से मिलजुल कर करेंगे यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सी. पी. जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भावना लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभिव्यक्त की है, कमेटी बनाने की तो आवश्यकता नहीं है....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** कमेटी की बात आप और मुख्य मंत्री जी दोनों ने की, अब क्यों मना कर रहे हो। हमारे सारे प्रश्नों का जवाब नहीं देने दिया इस बात पर तो हमारा मुंह चुप कर दिया। मैं अब पूछूंगा प्रश्न।

**श्री सी. पी. जोशी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....(Interruptions) Let me speak what I am saying Why are you putting things in my mouth. Let me say वही बात कह रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता में कांफीडेंस रेस्टोर हो और मिलिट्री के कुछ आदमियों ने, बाई एण्ड लाज मिलिट्री के सम्बन्ध में राजस्थान की जनता को गर्व है, उनको एप्रिशियेट करते हैं, इन्वाल्वमेंट रहता है। इस सारी दुःखद स्थिति के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए जब माननीय गृह मंत्री जी जा रहे हैं तब हमारे विपक्ष की जो स्थिति है जो इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति के बारे में गृह मंत्री जी को अवगत करायेंगे। वह भी उनके साथ चले जायं और स्पॉट पर बात देख लें जिससे जनता में भी कांफीडेंस रेस्टोर हो सके। वह स्थिति ठीक रहेगी मैं समझता हूं कमेटी बनाने की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य गंगानगर साइड के हैं और जहां पर रतनगढ़ रेंज एरिया है उन लोगों में कांफीडेंस रेस्टोर करने के लिए कुछ साथियों को भी

(श्री सी.पी. जोशी)

साथ लेकर जांच और उनके साथ जाकर वस्तुस्थिति की जानकारी कर लें तो यह सही परम्परा होगी । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे पर कोई अहसान नहीं किया जा रहा है कि आप हमको कहें कि वहां जायं । हम भी जा सकते हैं । सवाल तो यह है कि जब हाउस में इतना बड़ा मसला उठा । सारे माननीय सदस्य चिन्तित हैं और वह साबित हो गया कि लड़ाई के बाद वहां पुलिस पहुंच गई, उनका इलाज करवाया और वहां सब गये ।

सवाल यह नहीं है । सवाल तो यह है कि हमारी सुरक्षा की गारन्टी क्या है ? आज बीकानेर की जनता इस बात को समझ चुकी है कि राजस्थान की सरकार हमें बचा नहीं सकती । जिन लोगों ने मार-पीट की वह बटालियन बना कर नहीं आये । वहां कोई मिलिट्री की बटालियन बन कर नहीं आई । वहां कुछ लोगों ने गुण्डागर्दी करके मारपीट की है कोई बटा-लियन नहीं आई । वहां पर कोई मिलिट्री का एक्शन नहीं था । वह तो कुछ गुण्डों का था और आप हमको बचा नहीं सकते ।

**श्री उपाध्यक्ष** : उसको ही तो कहा है । उस गुण्डागर्दी को मिलिट्री का एक्शन थोड़े ही कहा है....It is individual goondas' action.

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप जनता के कांफीडेंस को जब तक रेस्टोर नहीं करेंगे, लीपापोती नहीं चलेगी ...

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन के नेता बोल रहे हैं । (व्यवधान) बैठें, इन्दलिया जी, प्लीज सिट डाउन ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : मैं एक सैकिण्ड में बोल दूंगा । मुख्य मंत्री जी, आप हाउस की कमेटियां और कुछ बनाओ तो गम्भीर रहना । मामला और है । इसको इतना हल्का मत लीजिए । पहले गृह मन्त्री जी, आप अपना प्रश्न मान कर इस बात को देखो उसके बाद कमेटी की बात करना । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन । शिवचरणसिंह जी, आप बैठिये ना । अंकित नहीं करें । (संकेत से)

**श्री शिवचरण सिंह** : × × ×

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : जो होगा वह आपके सामने आ जायगा । यह मामला कोई हल्की बात नही है । राष्ट्र की सीमा का मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला .... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय को सीरियसली लेना चाहिए ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो अलग से बात करने वाले हैं । बात कर लीजियेगा बाद में बैठें ।

**श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, कल जो बीकानेर में घटना हुई है यह बहुत गम्भीर है । हम इसको स्वीकार करते हैं । न इधर के न उधर के लोग यह मानते हैं कि इसमें गम्भीरता नहीं है । बाकी गम्भीर घटना है और इसको उसी तरह से लेना चाहिए लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को घटाया

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री शिवचरण माथुर)

है और जिस आर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं उसकी एक पेचीदगी भी इसमें शामिल है। कुछ 10, 20 या 50 लोगों ने कुछ गलती कर दी उससे हम सारी सेना के बारे में चर्चा करने लगें....

श्री शोपत सिंह : क्या कहना चाहते हो, किसने कहा सेना के बारे में ?

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी, उत्तेजित न हों। बार-बार उत्तेजित हो जाते हैं। आपने भी कुछ कहा है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हमने सेना के बारे में कहा ? यह पैरोकार बन रहे हैं, हम पैरोकार नहीं हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बात किसी ने नहीं की और गलत इन्टरप्रेट नहीं करें.... पूरी सेना के लिए किसी ने नहीं कहा।

श्री शिवचरण माथुर : आपने ब्रिगेडियर का कहा था।

श्री शोपत सिंह : सेना के अन्दर अनुशासन है। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में कानून का राज है। हर घटना के लिए कानून की व्यवस्था है। मैं यह Criminal Procedure Code की धारा 472 और 475 आपको पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें प्रावधान दिया गया है....

"Delivery to Commanding Officers of persons liable to be tried by Court Martial : The Central Government may make rules consistent with this Code and the Army Act 1950 (46 of 1950), Navy Act 1957 (62 of 1957) and the Air Force Act 1950 (45 of 1950) and any other law relating to the armed forces of the Union for the time being in force as to cases in which persons subject to Military, Naval or Air force law or such other law, shall be tried by a court to which this Code applies or by Court Martial, and when any person is brought before a Magistrate and charged with an offence for which he is liable to be tried either by a court to which this Code applies or by a Court Martial, such Magistrate shall have regard to such rules and shall in proper cases deliver him, together with a statement of the offences of which he is accused, to the Commanding Officer of the nearest Military, Naval or Air Force station, as the case may be, for the purpose of being tried by a Court Martial." यह व्यवस्था है कि अगर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के द्वारा इस प्रकार का ओफेंस करते हैं तो उसको दूर करने के लिए कानून में कोड आफ क्रिमीनल प्रोसीजर में पूरी तरह से व्यवस्था दी हुई है।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं समझता हूं कि राजस्थान की पुलिस ने मौके पर. अभी गृह मंत्रीजी ने बहुत विस्तार से आपको बताने की चेष्टा की कि कहीं पर भी पुलिस की तरफ से लेप्स, जो अभी फैक्ट्स हमारे पास हैं, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर दूसरी तरफ के फैक्ट्स आपके पास हैं, अदरवाइज, जो आप समझते हैं गैप है, जैसा कि लूनकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सुरानाजी ने कहा कि हमारी जानकारी और आपकी जानकारी में काफी गैप है। तो गैप अगर है और उसको आप बताएंगे तो माननीय गृह मंत्रीजी ने बहुत स्पष्ट रूप से उस बात को कहा कि हम कभी भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहते। बहुत गम्भीर और पेचीदगी भरा सवाल है इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का सवाल नहीं है। अगर हमारी जानकारी में और आपकी जानकारी में कुछ गैप है और उसमें कुछ सच्चाई है तो उस गैप के आधार पर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा उसके साथ कार्यवाही की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से गृह मंत्रीजी ने आपके सामने इस बात को रखा और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मैं स्वयं वहां पर जाऊंगा और जाकर, जो भी माननीय सदस्य वहां जांय, उनके पास जो जानकारी हो वह उनको बतावें, साथ में जावें तो इसमें कोई आपको अलग ले जाने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि कमेटी का अपना सोचने का तरीका होता है। माननीय सदस्य जानते हैं पिछले, एक दो सत्र पहले इस सदन की कमेटी बनाई थी....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** फैक्ट फाइंडिग कमेटी की बात थी। आप चाहें तो मना कर दें। आपने हां भरी थी।

**श्री शिवचरण माथुर :** यह बात आप गलत कह रहे हैं कि कमेटी की बात मैंने स्वीकार की थी। मैंने नहीं की। मैंने कहा कि गृह मन्त्रीजी जायेंगे और जाकर के कोई भी जानकारी आपके पास हो....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आप घर में बैठ जांय या बंगले में जाकर सो जाएं लेकिन बदलो मत।

**श्री शिवचरण माथुर :** कौन घर में बैठता है। यह तो आगे देखा जायेगा। आपके कहने से कोई घर में नहीं बैठेगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** नाउ घनश्यामजी बैठिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** क्या बैठिये। इतनी बड़ी घटना हो गई, राजस्थान की सरकार को शर्म नहीं आ रही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** उत्तेजित नहीं हो। आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य :** कमेटी बनाना चाहते हो या नहीं बना सकते हो.... (व्यवधान)

**श्री शिवचरण माथुर :** गृह मंत्रीजी स्वयं वहां पर जायेंगे। लोगों से मिलेंगे और जो जन मानस की भावना है....

**एक माननीय सदस्य :** कमेटी की बात ही नहीं कर रहे हैं वहां पर भाइयों से मिलेंगे।

(188)



**श्री शिवचरण माथुर** : लोगों से मिलेंगे, नागरिकों से मिलेंगे, घायलों के पास जायेंगे और जो सहायता के लिए जैसा गृह मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की कि अगर रेल्वे ने जो सहायता दी है उससे ज्यादा जो कुछ भी सहायता की जरूरत होगी, कोई सीमा नहीं है, जितनी सहायता की जरूरत होगी राजस्थान सरकार उसको सहायता देने के लिए तत्पर है उसमें न तो कोई सीमा है क्योंकि अगर मान लीजिये कोई बहुत गम्भीर है उसको ज्यादा सहायता दी जायेगी। इसलिए हम इसको बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें जो तरीका बनाया गया है उन उन तरीकों को आपको फोलो करना चाहिए। जो उसमें एक बारीकी है उसके लिहाज से उसको हम कैसे डील करें इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। जहां तक भारत सरकार से सम्पर्क का सवाल है। मैं स्वयं रक्षा मंत्रीजी से इस बारे में चर्चा करूंगा, गृह मंत्रीजी से चर्चा करूंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा कि लोगों की फीलिंग को Assuage करने के लिए इसमें कार्यवाही की जानी चाहिए। यही मुझे कहना था। गृह मंत्रीजी ने बहुत स्पष्ट रूप से बातें बता दी है। गृह मंत्रीजी अर्लिएस्ट अपाचुनिटी पर वहां जायेंगे। आप भी वहां उनसे मिलें और जो जानकारी आपके पास हो वह उनको दीजिये। साथ में भी जायें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री पोकरलालजी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मेरा एक निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण से कि जानबूझकर के इस सवाल में जो कानून इन्होंने पढ़कर सुनाया है उससे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम सेना के खिलाफ बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं। ऐसा नहीं है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : हमारी सेना से कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हमारी शिकायत सरकार से और सरकार के पुलिस प्रशासन से है कि वह हमारी सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। घटना हो गई। अब आप जो करेंगे वह कानून के मुताबिक ही करने वाले हैं, हम समझते हैं इस बात को लेकिन हमारी शिकायत यह है कि इतनी बड़ी घटना के लिए आपका इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट आपकी पुलिस यह सब क्या कर रहे थे। सवाल हमारी सुरक्षा का है। जनता असुरक्षा से चिन्तित है। मान्यवर, किसी भी सरकार का....(व्यवधान) ऐसा लगता है कि राजीव गांधी की सरकार से लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं। सरकार के भय से काम होते हैं। आपका भय निकल गया। इसका मतलब जो भी गुण्डागर्दी करने वाले हैं उनको पुलिस ने शह दे रखी है।....(व्यवधान) यहां पर लीपापोती करें यह सवाल नहीं है। बस इतना सवाल है, पूरी भावना का सवाल है। आज जो लोगों में एक बार असुरक्षा की भावना पैदा हो गई उस असुरक्षा की भावना के लिए आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप कमेटी बनाये न बनायें। आप जायें, जिनको जाना है तो जाना है हम किसी के उसमें नहीं है लेकिन सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आप क्या

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करना चाहते हो यह बताइये आप ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय यदुनाथजी बैठें।

**श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :** मैं मेरे दल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की घोषणा करता हूं। श्री मानिकचन्द सुराना, श्री देवीसिंह भाटी और श्री चुन्नीलाल इंदलिया जाकर परसों फाइनल रिपोर्ट देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री पोकर लाल परिहार।

**मांग संख्या 33 एवं 30 पर विचार**

**श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :** उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 30 सामाजिक सुरक्षा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 30 के ऊपर सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी कल्याण के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी इस वक्तव्य के पूर्व में जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के ऊपर माननीय विपक्ष के सदस्य जिस तरीके से गहरी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय बी.डी. कल्ला साहब बैठे आप।

**श्री पोकरलाल परिहार :** यह बात जरूर है कि इन लोगों का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ मगर विपक्ष की तरफ बैठने वाले सदस्यों, जो अभी मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर विशेष चिन्ता जाहिर कर रहे थे। मैं उनको इस बात के लिए कहता हूं कि कम से कम विपक्ष के लोगों को तो इस बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब चूंकि यह चुनावी वर्ष है, विपक्ष के लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन नजदीक है इसलिए वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। जबकि उनके दिल में किसी तरह की कोई उनके प्रति भावना नहीं है।....

**श्री डूंगरराम पंवार :** जाने दो। पूंजीपतियों के साथ आप....

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन। पवार साहब बैठे। पंवार साहब की बात अंकित नहीं हो।

**श्री डूंगरराम पंवार :** ××× 

**श्री पोकरलाल परिहार :** इस सन्दर्भ में आदिवासी विकास के बारे में....

**श्री उपाध्यक्ष :** एक मिनट बैठे परिहारजी। I would like that House should come to order. Please. शांत रहे। इधर से आ रही है उधर से भी आवाज आ रही है। पोकरलालजी परिहार जरा जोर से बोलें।

**श्री पोकरलाल परिहार :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष की तरफ से आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए मगरमच्छी आंसू बहाये जा रहे थे। ये उनकी

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री पोकरलाल परिहार)

कल्याण की बात कर रहे थे। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं ...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : ऐसे शब्दों का माननीय सदस्य प्रयोग करेंगे तो फिर हम भी करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी कर लीजिये।

**श्री पोकरलाल परिहार** : विपक्ष की तरफ से ये मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप तो ××× आप काहे को कह रहे हो।

**श्री डूंगरराम पंवार** : यह सत्तारूढ़ पर लागू होता है मगरमच्छी आंसू।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप तो ×××।

**श्री पोकरलाल परिहार** : आप सुनिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप तो ×××।

**श्री पोकरलाल परिहार** : विपक्ष के लोगों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब गलती से 1979 के अन्दर जनता पार्टी का राज बन गया था उस समय उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य ने ××× (व्यवधान)

**श्री पोकरलाल परिहार** : यह कांग्रेस पार्टी की देन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान) एक्सपंज करवा दिया है मैंने। अब आप बैठिये।

**श्री पोकरलाल परिहार** : यह कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि आज ये विधायक अनुसूचित जाति के यहां विधान सभा में पहुंचे हैं। नहीं तो विपक्ष का और सत्ता का कोई भी....

**श्री डूंगरराम पंवार** : कांग्रेस पार्टी की देन है क्या कह रहे हो।

**श्री पोकरलाल परिहार** : डूंगररामजी अगर कांग्रेस पार्टी के राज में यह संविधान में संशोधन करके बात नहीं होती, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होती तो डूंगररामजी आप जैसे का यहां नम्बर नहीं आता। आज आप बैठे बैठे कह रहे हो। आपका नम्बर विधान सभा में कभी नहीं आ सकता था। यह कांग्रेस पार्टी की देन है।

**श्री डूंगरराम पंवार** : यह आपकी मेहरबानी नहीं है। यह जनता–जनार्दन आदमी को देखकर ही वोट देती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज पंवार जी अब आप बैठे।

**श्री पोकरलाल परिहार** : मैं पूर्व के इतिहास की तरफ नहीं जाना चाहता।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री पोकरलाल परिहार)

तुलनात्मक अध्ययन कीजिये कि देश के आजाद होने के पहले सामन्ती राज के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को....(व्यवधान)

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** देखिये, ये कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान के इतिहास.... कभी स्थिति देखी है या खाली पुस्तक पढ़ी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** नीनामाजी आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

**श्री पोकरलाल परिहार :** इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज ये माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के विधायक जोर से बोल रहे हैं। (व्यवधान) आपने ज्यादा पढ़ाई की है। हिस्ट्री पूरी पढ़िये आप पहले। (व्यवधान) मैं खुद कह रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या हो रहा है आज आपको। इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। बोलने दें उनको।

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** वह अपनी बात को तो बोलते नहीं और विपक्ष-विपक्ष करते हैं।

**श्री ग्यारसीलाल परिडवाल :** यह अपनी बात को तो बोलते नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह खुद ही अपनी....

**श्री पोकरलाल परिहार :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि....

(सायं 6.00)

**श्री उपाध्यक्ष :** बैठिये आप, माननीय सदस्य, बैठें आप। इनका अंकित नहीं होगा। Not to be recorded.

**श्री पोकरलाल परिहार :** ....देश की आजादी के पहले जैसे डूंगररामजी बोल रहे थे, इनको बोलने का अधिकार नहीं था। गांवों में इनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिये जाते थे, इनकी औरतें हाथों में जूते लेकर चलती थी। उनको रावलों के आगे से निकलने नहीं दिया जाता था, स्कूल में उनको प्रवेश का अधिकार नहीं था। अब जो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण की व्यवस्था की है....

**श्री उपाध्यक्ष :** आप प्लीज इधर मुंह करके बात कीजिये, वहां बात क्यों कर रहे हैं उनसे।

**श्री डूंगरराम पंवार :** ×××

**श्री उपाध्यक्ष :** पंवार जी, मैं आपका नाम लूंगा। अगर इस तरह से बार-बार बोलेंगे तो....

**श्री डूंगरराम पंवार :** ×××

**श्री पोकरलाल परिहार :** मैं पुराना इतिहास दोहराना नहीं चाहता। अनुसूचित जाति के लोगों से बेगार करवाया जाता था, देश की आजादी के बाद में जब से कांग्रेस पार्टी राज में आयी है, इस संविधान में आरक्षण करके विधायकों की सीटें आरक्षित की, एम. पी. की सीटें आरक्षित की। यह जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान

---

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री पोकरलाल परिहार)

बनाया उसी की देन है कि आप यहां विधायक बनकर आये हैं, बाकी यह विधायक चुन कर यहां नहीं आ सकते थे। मैं देश की आजादी के बाद का विधान बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का राज आने के बाद.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** आप जवाब दीजियेगा समय आने पर। प्लीज डूंगरराम जी....

**श्री पोकरलाल परिहार :** जब से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी है, जनता वोट देकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लायी है, तब से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये कई तरह की विकास योजनायें लागू की गयी हैं। गांवों के अन्दर आप बलात्कार, अत्याचार की घटनायें बतायें तो ढाई सालों के जनता राज ने अत्याचार और जुल्म के रिकार्ड तोड़े हैं उतना कभी नहीं हुआ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** उस समय तो आप भी जनता पार्टी में थे श्रीमान्।

**श्री पोकरलाल परिहार :** हम तो जनता पार्टी और किसी साम्प्रदायिक पार्टी में कभी नहीं रहे। हमारा कोई साम्प्रदायिक पार्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम लोग जनमत प्राप्त कांग्रेस के मैम्बर हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** सुमित्रा जी, आप इतनी सीनियर मैम्बर हैं, बार-बार बीच में उठती हैं। आप इसका जवाब दे सकती हैं, कुछ देर बाद दे देना। आपको तो कुछ नहीं कहा उन्होंने।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** वह जनता पार्टी में थे उस समय, जनता शासन काल में।

**श्री पोकरलाल परिहार :** उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कभी भी साम्प्रदायिक पार्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। हम जन्मजात कांग्रेस के हैं कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस की, राजीव गांधी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। विपक्ष की लुभावनी बातों में आने वाले नहीं हैं। लॉ-ग्रेजुएट रहा हूं, पढ़े-लिखे आदमी के पास दिमाग है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** निष्ठावान नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्या, यह क्या हो रहा है।

**श्री पोकरलाल परिहार :** यह सुमित्रा सिंह जी भी पहले कांग्रेस में थीं। अब वहां जा कर कांग्रेस की खिलाफत कर रही हैं। अब आप देख रही हैं कि इस समय होतीं तो मन्त्री बनतीं। उधर जाकर पछता रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्लीज, पोकरलाल जी, इधर बात कीजिये।....आज क्या बात है पंचायत मन्त्री जी नहीं हैं।

**श्री पोकरलाल परिहार :** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने घोषणा करके आरक्षण की अवधि 10 साल और बढ़ाई है। ढाई साल के राज में जनता पार्टी ने आरक्षण समाप्त करने का एक सुनियोजित तरीके से षड़यन्त्र रचा था, और जनता पार्टी ने भली प्रकार विचारा और आपको हरा दिया, वरना हमारा आरक्षण समाप्त हो जाता। इस

(श्री पोकरलाल परिहार)

तरह से जनता पार्टी के राज में आरक्षण समाप्त होने की बात होती थी। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने आरक्षण की अवधि 10 साल और बढ़ाने की बात कही है, निश्चित रूप से गरीब तबका, कमजोर तबका उससे आगे बढ़ेगा और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी ने जो 67वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, उसमें पंचायतों के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। अदरवाइज, विधायक और एम. पी. के तो आरक्षण थे, मगर पंचायतों में जिला प्रमुख और प्रधानों का आरक्षण नहीं होने की वजह से यह गरीब तबका अभी भी जीत नहीं सकता था। अब प्रधान मन्त्री जी ने जो 67वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है....(व्यवधान)

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। एक बात बता दीजिये कि आरक्षण से जो 29 प्रतिशत निवासी लाभान्वित हो गये उसमें कितने परिवार ऊंचे उठे। आप बता दीजिये।

**श्री पोकरलाल परिहार** : उसके ऊपर भी आ रहा हूं। आप मेरी सारी बात सुनते जाइये सारी बातों का खुलासा मैं दूंगा। आप लोग तो ..(व्यवधान) उसे समाप्त कर देना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : हरिकुमार जी, कृपया समय पर जवाब आ जायेगा।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : मैं आपका समर्थन करता हूं लेकिन बता दीजिये 29 प्रतिशत जो आरक्षण है, इसमें कितने परिवार ऊपर उठे हैं।

**श्री पोकरलाल परिहार** : जो यहां विधान सभा में विधायक बैठे हैं, यह भी आरक्षण की ही देन है। इस तरह से प्रधान मन्त्री जी ने 67वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया है, उसमें पंचायतों के अन्दर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण किया है, महिलाओं के लिये भी 30 प्रतिशत आरक्षण का कोटा किया है और आने वाले पंचायतों के चुनाव में 30 प्रतिशत के लोग ही जीत कर आयेंगे, उनकी सीटें आरक्षित होंगी तथा इन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे संविधान में समाजवाद की जो बात कही गयी है, उससे समाजवाद की नीतियों को लागू करने में मदद मिलेगी। इस तरह से हम प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इसके बाद शिवचरण माथुर का भी आभार प्रकट कर दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, आज कल बहुत विटी हो रही हैं आप।

**श्री पोकरलाल परिहार** : हमारे मुख्य मन्त्री जी का तो विशेष आभार है कि यह हमेशा गरीब लोगों की तरफ ध्यान देते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की तरफ हमारे मुख्य मन्त्री जी हर समय चिंतित रहते हैं आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद में काफी लोग नौकरियों में लगे हैं, आर. ए. एस., आई. पी. एस. बने हैं यह सारी देन आरक्षण की है। और विपक्ष की तरफ से अभी

(श्री पोकरलाल परिहार)

काफी लम्बे चौड़े चिट्ठे पेश किये गये थे कि नौकरियां इनको नहीं दी गयी हैं, और कुछ भी नहीं हुआ है। इलेक्शन आने पर हमेशा कई तरह के +++ यह करते रहते हैं। राजस्थान सरकार में मुख्य मन्त्री का भी हम आभार मानते हैं कि राजस्थान सरकार के अन्दर राजस्व मन्त्री, जो महत्वपूर्ण पद है, वह भी हमारे अनुसूचित जाति के मन्त्री बरबड़ साहब को देकर के हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी जो मन्त्रिमण्डल का विस्तार हुआ है, उसमें....हमारे प्रधान मंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप मुख्य मन्त्री जी ने एस. सी. एस. टी. के लोगों को अधिक सदस्यों को पद देकर के हमें लाभान्वित किया है।

**श्री डूंगरराम पंवार :** आपका नम्बर नहीं आया।

**श्री पोकरलाल परिहार :** मेरा नम्बर नहीं आया, उससे कोई चिंता नहीं है। जो भी बने हैं, हमारी पार्टी के बने हैं और कांग्रेस पार्टी के बने हैं। जो भी बने हैं मैं समझता हूं मैं उनसे पहले बना हूं। हमारे अन्दर स्वार्थ की भावना नहीं है। यह हमारी पार्टी की एकता की बात है। हमें आपस में लड़ाने वाली नीति आपकी चलेगी नहीं। हमारी पार्टी में कोई नाराज नहीं है। इस तरह से संक्षेप में काफी बातें मैं कहूंगा। अनुसूचित जाति के लोगों का काफी कल्याण और विकास हुआ है। हर साल बजट रखा जाता है लोगों को लाभान्वित किया जाता है। विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। पहले छात्रवृत्ति कम थी, वह हमारे मुख्य मन्त्री जी ने 145 से 175 रुपये कर दी है। मैं मांग करूंगा कि इससे भी बढ़ाकर कम से कम डेढ़ सौ रुपये कर दिया जावे तो समाज कल्याण मन्त्री जी इसकी ओर ध्यान देंगे। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटाने की मैं मांग करता हूं कि अभी जो हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर रोस्टर प्रणाली से कोटा पूरा करने के लिये जो सभी डिपार्टमेंट में मांग की और कार्यवाही की है, उसी तरह से मैं मुख्यमन्त्री जी से मांग करूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को एक विशेष नियुक्ति और विशेष भर्ती का अभियान चलायें, नियुक्ति पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाकर और इन लोगों को वेकेंसी निकाल करके भर्ती किया जाये ताकि आरक्षण का कोटा पूरा हो सके और उन लोगों को नियुक्ति मिल सके।

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** भर्ती की रेट क्या होगी ?

**श्री उपाध्यक्ष :** इस तरह का इन्ट्रप्शन नहीं करें।

**श्री पोकरलाल परिहार :** यह तो जनता पार्टी के राज में आपने किया होगा, आप जानें। भारत सरकार से भी निवेदन है एवं भारत सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि हर जिले के अन्दर जहां एस. पी. और कलक्टर लगें उनमें से एक अनुसूचित जाति और जनजाति का होगा। ऐसे भारत सर-

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पोकरलाल परिहार)

कार के आदेश हैं। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से मांग करूंगा कि आप भारत सरकार के आदेश की पालना के अनुरूप हर जिले के अन्दर एस. पी. और कलक्टर दोनों में से एक अनुसूचित जाति और जनजाति का लगाएं। जहां अगर कलक्टर दूसरा लगता हो तो ए डी. एम. अनुसूचित जाति और जनजाति का होना चाहिए। अगर एस. पी. दूसरी कास्ट का लगा हुआ हो तो एडीशनल एस. पी. अनुसूचित जाति और जनजाति का होना चाहिए ताकि इन लोगों के ऊपर ..

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : हमारे यहां तो दोनों ही एस. सी. के हैं, आप चिन्ता न करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**सुश्री पुष्पा जैन** : पोकरलाल जी...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय पुष्पा जी, बैठिये आप।

**श्री डूंगरराम पंवार** : अनुसूचित का अर्थ है कि उसकी कोई सूचना ही नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : परिहार साहब भी वहीं पर थे, इन्होंने ही लिखित में शिकायत की थी कि इनको हटाया जाय, एस. सी. के थे उनको हटवाया है इन्होंने।

**श्री पोकरलाल परिहार** : नहीं-नहीं। हमने कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करने का काम विपक्ष का है, हमारा नहीं है।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : घृणा की भावना आपके अन्दर है।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : आपका काम तो डिजायर का है।

**श्री उपाध्यक्ष** : संक्षिप्त में कहें, समाप्त करें।

**श्री पोकरलाल परिहार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और जुल्म की जहां कहीं भी घटना होती है या छुआछूत की घटनाए होती हैं उनके लिए एक विशेष सैल बनाया जाय और मैं तो यह मांग करूंगा कि उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष अदालतें बनाई जाय ताकि उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र हो सके ...

**श्री डूंगरराम पंवार** : सारे सेल फ्यूज हो गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका सैल फ्यूज नहीं हो रहा है, मुझे एक दिन करना पड़ेगा।

**श्री पोकरलाल परिहार** : समाज कल्याण होस्टल के सम्बन्ध में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि समाज दिये कि समाज कल्याण के जो होस्टल चल रहे हैं, उनके अन्दर जहां कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है उन व्यवस्थाओं को सुधारा जाय और इस तरह की जांच कमेटी बनाई जाय जहां अगर बच्चों की भोजन व्यवस्था में या सामान में कमी महसूस होती हो....

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री पोकरलाल परिहार** : तो उनको सुविधा दी जाय। मेडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज में आरक्षण के कोटे के हिसाब से इन लोगों को भर्ती किया

(श्री पोकरलाल परिहार)

जाय और देसूरी के अन्दर एक बाल विकास परियोजना केन्द्र की मांग है कि वहां एक सी. डी. बी. ओ. का केन्द्र बनाया जाये। देसूरी सुरक्षित क्षेत्र है जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं। वहां माडा योजना भी लागू की जाये। माननीय मन्त्री जी ने इस तरह से हमारे देसूरी और सादड़ी के अन्दर दो नये छात्रावास स्वीकृत किये हैं और छात्रावासों के भवन बनाने के लिये भी साढ़े ग्यारह-ग्यारह लाख रुपये की स्वीकृति दी है उसके लिये भी मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि उस राशि को जल्दी से जल्दी लगाकर भवन निर्माण का काम शीघ्र पूरा कराया जाय ताकि किराये पर रहने में जो तकलीफ आ रही है उसको दूर किया जा सके....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करें, आप।

**श्री पोकरलाल परिहार** : इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में जहां लोगों को जमीन अलॉट हुई है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कब्जे नहीं मिलने की जगह से शिकायत मिली है, ऐसी सूचियां तैयार की जावे कि किन-किन जगहों पर उन लोगों को जमीन पजेशन नहीं मिला है, उन लोगों को जमीन का पजेशन प्राथमिकता से दिलाया जाय। इसी तरह से बिजली कनेक्शन के अन्दर घरेलू कनेक्शन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो प्रायोरिटी पहले थी वह समाप्त कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि वह प्राथमिकता प्रायोरिटी पुनः लागू की जावे अन्यथा भीड़-भड़ाके में उनका नम्बर नहीं आने वाला है। मन्त्री महोदय, मुझे जानकारी है, लैटर की कॉपी मेरे पास है।

पेयजल की व्यवस्था के लिये हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। जहां एक हैण्ड पम्प सैंक्शन होता है तो एक हैण्ड पम्प अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों में लगाने की व्यवस्था की जाय। अभी जो जवाहर रोजगार योजना के अन्दर पचायतों के मार्फत काम होता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों में खंजर निर्माण और नाली निर्माण का काम और आदिवासी मोहल्लों में तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिये और गरीब लोगों के मोहल्लों में महिला शौचालय बनाने की व्यवस्था की जाय। इन लोगों के विकास के लिये गांवों में कुटीर उद्योग लगाये जायं ताकि उनको रोजी-रोटी वहीं मिल सके और उनको बाहर नहीं जाना पड़े। स्वरोजगार योजना जो लागू की गई है, अभी तक उद्योग विभाग के आंकड़े पूरे नहीं होते हैं, स्वरोजगार योजना में इनके फार्म भरवाये जायं और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाय। गांवों के अन्दर, पंचायतों के अन्दर, नगरपालिका क्षेत्र में दुकानें बनाई जायं और इन लोगों को आवंटित की जाय। कई जगहों पर इस काम को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, इन दुकानों का अलॉटमेंट कराया जाय। इन्दिरा आवास योजना में जहां कहीं भी मकान बने हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करें, बहुत हो गया।

**श्री पोकर लाल परिहार** : वे मकान उनको अलॉट नहीं हुए हैं और जहां कहीं

(श्री पोकरलाल परिहार)

भी अधूरे मकान बने हैं वे मकान बनाये जाय। ऋण व्यवस्था में जो अनुदान की राशि मिलती है, गांवों में शिकायत मिलती है कि वह राशि गांवों में बिचोलिये खा जाते हैं, वह अनुदान की राशि दूसरे नहीं खा सकें इसके लिए कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और....

श्री उपाध्यक्ष: अब बाकी मंत्रीजी को लिखकर दे दीजियेगा।

श्री पोकर लाल परिहार : अन्त में, मैं यह मांग करूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विशेष कल्याण के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाय ताकि वह देख सकें कि राजस्थान सरकार का जो बजट बनता है वह बजट पूर्ण रूप से लागू होता है या नहीं होता है, वह बजट कहीं लैप्स तो नहीं होता है। सेन्टर से भी बजट आता है और राजस्थान सरकार से भी बजट आता है, कई बार शिकायत मिलती है वह बजट लेप्स हो जाता है, उन लोगों तक पहुंचता नहीं है, लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मैं मांग करूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाय ताकि उन लोगों की तकलीफें आरम्भ से दूर हो सके। मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहन लाल जी।

(6.15 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति जी आज मांग संख्या 33 और 30 सामाजिक सुरक्षा और जनजाति विकास के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो रही है। भारत के संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार दिये गये हैं—शैक्षणिक विकास, सामाजिक उत्थान योजनाएं एवं आर्थिक उत्थान योजनाएं। ये संवैधानिक अधिकार हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने दिये हैं। चाहे सत्ता पक्ष में बैठने वाले हों चाहे विपक्ष में बैठने वाले हों, माननीय सदस्यों को डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना चाहिए। माननीय सदस्य पोकरलालजी, जो देसूरी से आये हैं, वह कह रहे थे कि कांग्रेस की देन है, यह आपकी भूल है। डॉक्टर अम्बेडकर को अपने को याद करना चाहिए, उनकी देन है। संवैधानिक अधिकार है....

श्री पोकरलाल परिहार : मुझे पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर लोकदल के नहीं थे।

श्री मोहन लाल चौहान : सभापति महोदय, मैं इस पवित्र सदन में आज सामाजिक सुरक्षा, अनुसूचित जाति, हरिजनों के अत्याचार के सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में आप देखिये; हरिजनों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी वाले दुहाई देकर आज राज करने बैठे हैं और आप देखिये, आज इस सदन में भी कितने तो मंत्री हैं और सब आदिवासी या अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य बैठे हैं। आप देखिये कि यहां भी भेदभाव है। पवित्र सदन में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए नहीं बैठ सकते हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को दुहाई

(श्री मोहन लाल चौहान)

देते हैं कि हम आपका उत्थान कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह भेद-भाव, जो हरिजनों के साथ हो रहा है, इस पवित्र सदन में आप नहीं चूकते हैं तो गांवों में क्या हालत होगी। आप देखिये गांवों में हालत क्या होती है ? मैं अपनी बात पर आता हूं.... (व्यवधान) समाज कल्याण के अन्तर्गत जो छात्रावास योजनाएं चलाई जा रही है उसके सम्बन्ध में माननीय कमलाजी ने छात्रावास के प्रत्येक छात्र को 170/– रुपये देने की अभी बजट में घोषणा की है, यह बहुत कम है। आज इस महंगाई के जमाने में छात्रों के लिए कपड़े, रहन-सहन, किराया, मकान आदि सब तरह की व्यवस्था उन पैसे से नहीं हो सकती है। मेरी मांग है कि कम से कम तीन सौ रुपये प्रति छात्र होने चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृति आप देती हैं और स्वीकृति करती हैं, छठी से आठवीं के छात्र के लिए पन्द्रह रुपये और नौवीं से ग्यारहवीं के छात्र के लिए तीस रुपये, माननीय मंत्री महोदय, ध्यान दीजिए, मेरा सुझाव है कि जो छात्रवृति पूर्व मैट्रिक छात्रों को दी जा रही है वह बहुत कम है आप देखिए 15 रुपये से आप साल भर में आठ दस महीने में उसको 150 रुपया देते हैं। छठी से आठवीं क्लास तक और 30 रुपया मिलता है: 9वीं से ग्यारहवीं तक आप क्यों देकर चकमा दे रहे हैं। वह न तो समय पर मिलता है। मार्च के आखरी महीने में आकर के मिलता है और वह भी हैड मास्टर अगर भला हो तो नहीं तो वह पैसा वह लोग उनके नाम से उठाकर खा जाते हैं।

उत्तर मैट्रिक छात्रों के लिए जो आप द्वारा छात्रवृति स्वीकृत की जाती है 80 से लेकर 200 तक। अब इंजीनियरिंग पढ़ने वाले के लिए आप 200 और रुपये जो ग्रेजुएशन में कॉलेज में पढ़ रहा है। अगर आपको सहायता ही करनी है, आपका करोड़ों रुपये का बजट आता है। आपका बजट पर तो वाच होता नहीं कि कितना बजट लैप्स होता है आपने कभी वाच किया कि कितना बजट आया और कितना बजट लैप्स हुआ। इसमें आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मामले में आपको बड़े जोर से विचार करना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा के मामले। सभापति महोदय, न्यायालय, विशेष न्यायालय मेरे नागौर में खोला आपने और आप सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं। नागौर में परबतसर और नावां से लोग एस. सी. के लोग वहां मुकदमा लड़ने जाते हैं, मुस्तगिस बनकर और उनकी तरफ से पांच दस गवाह भी ले जाने पड़ते हैं और गवाहों को खर्चा देने के लिए आप बजट पूरा नहीं देते हैं। मेरे नागौर विशेष न्यायालय में हजारों दरख्वास्त एवीडेंस देने वालों की पेण्डिग पड़ी है। उनको गवाही का खर्चा नहीं मिलता है। बजट नहीं है। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो जांच उनको भत्ता मिले या यह न्यायालय समाप्त कर दें ताकि अपने क्षेत्र में जो मुन्सिफ कोर्ट है उसमें तो न्याय ले सकते हैं। सस्ते के बजाय उनको महंगा पड़ रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो बजट एवीडेंस एक्ट के तहत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को इमदाद के रूप में दिया जाय वह पर्याप्त मात्रा में दिया जाय।

(श्री मोहनलाल चौहान)

आप छुआछूत की बात करते हैं यहां बैठकर लम्बी चौड़ी बात करते हैं। छुआछूत देखिये गांवों में हरिजनों के साथ कैसा व्यवहार होता है। आप उसके लिए मनन करते हैं? कोई पार्टी के लोग मीटिंग में जाते हैं तो हरिजनों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से समस्या सुनकर के हरिजनों के साथ गले से गला लगाने की बात करते हैं। कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। यह एक शर्मनाक बात है। यह हिन्दु समाज के लिए एक कलंक है तो इसको आपको समझना चाहिए।

आर्थिक सामाजिक विकास। विशिष्ट योजना, बीस सूत्री कार्यक्रम का ढिढोरा पीटते हैं। आई. आर. डी. पी. में अनाप-शनाप चयनित करते हैं, हजारों की संख्या में चयनित हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को आई. आर डी. पी. में पैसा नहीं मिला है और पचास प्रतिशत से ज्यादा लोगों को चयनित नहीं किया गया है और दूसरे लोग सवर्ण जाति के लोग चयनित हो जाते हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं किया है अगर 50 प्रतिशत हो गये हैं तो उनको 50 प्रतिशत से ज्यादा का लोन नहीं मिला है, न लाभान्वित किया गया है, न फाइनेंस किया गया है। ऐसी योजना को आप कभी जाकर देखते हैं। डी.आर.डी.ए. में कितना पैसा आप निगम को देते हैं। कितना पैसा जिला मुख्यालय पर जाता है, आप कभी मीटिंग लेते हैं, मंत्री महोदय आप जांच करते हैं वाच करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक तो सचिवालय लेबल पर विजिलेंस सैल खोला जाय और ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए आपको विचार करना चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पूरा लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। इन योजनाओं में लाभ मिलता है या नहीं मिलता है और मैं यह भी मांग करता हूं कि सचिवालय में आप विजिलेंस सैल खोलते हैं तो सुपर टाइम हाई स्केल का शिड्यूल्ड कास्ट्स का आई.ए.एस. लगाना चाहिए तब तो आपकी इन योजनाओं से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार का डिस्ट्रिक लेबल पर भी एक सैल होना चाहिए। डिस्ट्रिक लेबल पर भी योजनाओं की क्रियान्वित के लिए सैल होना चाहिए ताकि गरीबों को उसका लाभ मिल सके।

पेयजल योजनायें। गांव में सवर्ण जाति के लोग हरिजनों के नाम से जो योजना लागू होती है बिजली की, पानी की वह अपने मौहल्ले में लगा लेते हैं। गुमराह करा कर उनका शोषण किया जा रहा है। आज आप कह रहे है कि कोई शोषण नहीं हो रहा है। जागीरदारों से ज्यादा शोषण इस समय हो रहा है। राजाओं से भी ज्यादा शोषण हो रहा है। वहीं के वहीं हैं कोई तरक्की नहीं। बोलने की आजादी ही है बाकी कुछ नहीं है। बाकी का उत्थान कुछ नहीं हुआ है। गरीब, गरीब बनता जा रहा है और धनवान, धनवान बनता जा रहा है। वास्तव में मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गांव के लोग कैसा जीवन यापन करते हैं उनको दो टाइम भोजन नहीं मिलता है ऐसी स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप हरिजनों के लिए काम करना चाहते हैं तो आप रचनात्मक काम करायें।

(श्री मोहनलाल चौहान)

आरक्षण के लिए कोटा की बात करते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट में आरक्षण कोटा की पूर्ति नहीं की गयी है। अभी 19 जून को शिक्षा विभाग को परीक्षण के लिए बुलाया गया था शिड्यूल्ड कास्ट्स कमेटी में, ऐसा जवाब दिया कि इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, यह योग्य नहीं है, ऐसा जवाब देकर के शिड्यूल्ड कास्ट की तीन-तीन साल से वेकेंसी को केरीफारवर्ड की जाती है वहां बैक लोक को मार करके सवर्ण जाति के लोगों को नियुक्तियां दी गयी है। आप यह कहेंगे कि सब्जेक्ट के के टीचर नहीं हैं लेकिन जो शिक्षा विभाग का मसला रखा कि 38 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए कौनसी विषय की जरूरत रहती है कौन से सब्जेक्ट की जरूरत रहती है, बताइये आप? सीनियर टीचर या सब्जेक्ट टीचर तो हो सकता है लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए कौनसे सब्जेक्ट की जरूरत है। 38 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अपाइंटमेंट अन्य जाति के कर लिये शिक्षा विभाग ने। अब बताइये आप यह कैसे हो रहा है? कैसे कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का उत्थान कर रहे हैं ऐसा उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और आप आंख मींचकर देख रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे को थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। आज तक हरिजनों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार, अत्याचार, जो मुकदमें गांव में हो रहे हैं जब अत्याचार की बात करते हैं तो कहते हैं विशेष न्यायालय क्यों खोले गये। इतने अत्याचार हरिजनों के साथ हो रहे है कि विशेष न्यायालय राजस्थान सरकार को खोलने पड़े। क्यों खोले? जब हरिजनों के साथ अत्याचार होते हैं तब ही खोले जाते हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? आप कह रहे हैं कि इतने अत्याचार नहीं हो रहे हैं। यह तो राजाओं से भी ज्यादा अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं गांवों में और आप दुहाई दे रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमको बहुत लाभ मिला है, हमको बोलना सीखा दिया, हमको खाना सिखा दिया, हमको पीना सिखा दिया। क्या कांग्रेस सरकार ने सिखा दिया है? यह संवैधानिक अधिकार मिला है आजादी मिली है तो सभी 36 कौमों को मिली है और कहते हैं कि हमारा तो बहुत उत्थान किया। आप इस तरह की हीनता की भावना रखकर के दबाव में बोल रहे हैं। ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह के मामले रखकर के संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको और ज्यादा दबाया जायेगा। तो माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया, आपको धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री सी. पी. जोशी।

**श्री डूंगरराम पंवार :** अब श्रीमान सी. पी. जोशी राम करे सो होसी।

**श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :** माननीय सभापति महोदय, मैं मांग पर अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का

(श्री सी. पी. जोशी)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ट्राइबल एरिया डवलपमेंट पर। माननीय सभापति महोदय ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में दो तरह की स्कीमें लागू की गई हैं एक है इण्डिविज्युअल बेनीफिट्स की स्कीम और दूसरी है एरिया डवलपमेंट की स्कीम पिछले लम्बे समय का यह अनुभव बताता है कि हमने खास तौर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में रहने वाले आदिवासी भाइयों का जो कल्चर बैक ग्राउण्ड है उसको हमने डवलपमेंट इनपुट्स का पार्ट नहीं बनाया और हमने इण्डविज्युअल बेनीफिट्स की जितनी स्कीमें लागू की हैं चाहे लेम्प्स, लेम्पस के माध्यम से उनकी कोऑपरेटिव एक्टीविटीज को जनरेट करने की कोशिश की है, चाहे हमने इण्डिविज्युअल बेनीफिट्स के लिए और जितने इनपुट्स किए हैं उनको 70-80 प्रतिशत जित्ता लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन एरिया डवलपमेंट के सम्बन्ध में यदि आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के स्तर पर आयेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पंचायत समितियों में तो एरिया डवलपमेंट हुआ है, कई डेम बन गये हैं तो कहीं कैनाल का फायदा हुआ है लेकिन आज भी बांसवाड़ा की कुछ पंचायत समितियों में उसका फायदा नहीं मिल पाया। एरिया डवलपमेंट का डूंगरपुर की कुछ पंचायत समितियों में लाभ नहीं मिल पाया। ठीक इसी प्रकार जितना लाभ एरिया डवलपमेंट का मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के सम्बन्ध में हमने जो अपना कन्सेप्ट बना रखा है वह कन्सेप्ट केवल मात्र एलोकेशन आफ फण्डस के आधार पर हमने एक मिनी सेक्रेटेरियट पैदा कर दिया है, उदयपुर के अन्दर। जिसमें कमिश्नर पहले ट्राइबल एरिया डवलपमेंट का एक्सक्लुसिवली काम लेते थे अब हमने उसको ओवर बर्डन कर दिया है। होना तो यह चाहिए कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट का कमिश्नर एक्सक्लुसिव काम देखता लेकिन शायद हमने समझा कि ट्रायबल एरिया डवलपमेंट के कमिश्नर के पास काम कम है इसलिए हमने उसको कमिश्नर बना दिया उदयपुर सम्भाग का। जहां एक तरफ एक्सक्लुसिवली ट्राइबल एरिया डवलपमेंट का कमिश्नर ट्राइबल की समस्या के सम्बन्ध में अपना टाइम डिवोट करता था अब उसका आधे से ज्यादा टाइम कमिश्नर का काम देखने का है। इसलिए चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की जो दूसरी समस्या है। लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या है, डवलपमेंट की समस्या है, उसकी काउण्टेबिलिटी हमने कमिश्नर के ऊपर कर दी। इसलिए मैं नहीं समझ पाया अभी तक कि हमने कमिश्नरी का कन्सेप्ट बनाकर ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के सम्बन्ध में ज्यादा ध्यान देने की मंशा रखी या हमने यह मानकर की ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के सम्बन्ध में उनका काम कम है और ओवर बर्डन नहीं है इसलिए हमने उनको काम को करने के लिए कमिश्नरी का कन्सेप्ट दिया। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हम 250 करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं केवल मात्र एरिया डवलपमेंट की 11 डिस्ट्रिक्ट पर। राजस्थान की 11 डिस्ट्रिक्ट पर ढाई सौ करोड़ रुपया एरिया डवलपमेंट का खर्च हो रहा है। उदयपुर सम्भाग में जिसमें चित्तौड़,

(श्री सी. पी. जोशी)

बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की बात करता हूं मैं उसमें यदि आप अकाल का काम बाहर निकाल दें तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे मुझे मन्त्री महोदय शायद ठीक करेंगे कि 8 करोड़ रुपया तो स्टेट का कण्ट्रीब्यूशन है और 11-12 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया का कण्ट्रीब्यूशन है। मतलब चित्तौड़ का प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इसकी इतनी बड़ी पापूलेशन पर हम खर्च कर रहे हैं 20 करोड़ रुपया और डेजर्ट डवलपमेंट में स्पेशल स्कीम के नाम से 250 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। वहां अकाल का पैसा खर्चा होता है वह तो होता ही है लेकिन 250 करोड़ रुपया हम उस पर इसमें खर्च कर रहे हैं। खर्च हो रहा है उसके लिए मैं मना नहीं करता लेकिन मैं जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी गंगानगर गये परसों के दिन और हम बिल भी कालोनाइजेशन एक्ट में संशोधन करने के लिए कि 8 हजार आदमी जिनके पास खातेदारी राइट्स हैं या उन्होंने अलोटी के नाम पर जमीन बेच दी है उनको रेग्यूलराइज कर देंगे पचास हजार रुपये लेकर। उदयपुर सम्भाग में हजारों आदिवासी हैं जो जमीन पर काबिज है जिसको सरकार कहती है फोरेस्ट की जमीन है। हजारों आदिवासी इस जमीन पर काबिज हैं जो बिला नाम की जमीन है। जो चरनोट की जमीन है कानून की दृष्टि से जंगलात की जमीन खाते में, चरनोट की जमीन खाते में नहीं हो सकती क्योंकि आदिवासी आर्गेनाइज नहीं हैं आदिवासी में आर्टिक्युलेशन नहीं है इसलिए उस जमीन को रेग्युलराइज करने के लिए हम कोई बिल नहीं ला सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आवश्यकता इस बात की है कि गंगानगर में जो आप कर रहे हैं उससे ज्यादा आदमी राजस्थान में कास्ट और ट्राइब के आदमी चरनोट की जमीन पर काबिज हैं, जंगलात की जमीन पर काबिज है, उनकी जमीन को रेग्युलराइज करना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि उनके सोर्स ग्राफ इन्कम लिवलीहुड केवल मात्र जमीन ही है और हमारे इलाके में तो अकाल का जो कन्सेप्ट है माननीय सभापति महोदय, लेंड होल्डिंग उदयपुर में एक बीघा और दो बीघा का है अच्छी बरसात हो जाये तो हमारे यहां चार बोरी और पांच बोरी मक्का होती है। और चार पांच बोरी मक्का की कीमत होती है ग्यारह सौ बारह सौ रुपया। एक आदिवासी अपनी अच्छी वर्षा के समय में पांच बोरी मक्के की आ जाय तो अपने पूरे साल भर जीवन का निर्वाह करता है और यदि वर्षा फेल हो जाये तो उसकी पांच बोरी नहीं होती। हमारी यूनिट का जो आदर्श है वह 1200 रुपये की मक्की का है, वह उसकी सारी एक्टिविटीज को जनरेट करने का साधन है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय देना चाहते हैं।

अभी हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के साथी आते हैं मांग करते हैं। खालों की कीमत माफ की जाय। 65 करोड़ रुपया और 56 करोड़ रुपया उसका ब्याज का बनता है। 110 करोड़ रुपया के सम्बन्ध में गंगानगर के खालों के लोगों के लिए बनता है। 120 करोड़ का गंगानगर जिले के

(श्री सी. पी. जोशी)

किसानों को फायदा होगा । डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन आदिवासी भाइयों को 20 करोड़ रुपये में 8–10 करोड़ रुपया हम केवल मात्र एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च कर रहे हैं आवश्यकता इस बात की है माननीय सभापति महोदय, आठवीं योजना में हमको फाइनेंस कमीशन के सामने भी रिप्रजेण्ट करना चाहिए था पता नहीं क्यों नहीं किया ? मुझे मालूम नहीं पर मेरा कनविक्शन है इस बात का कि यदि आपको ट्राइबल की लिवली हुड को बढ़ाना है उनकी मालीय हालत को सुधारना है तो जिस तरह से आपने डेजर्ट डवलपमेंट की समस्या के निवारण के लिए स्पेशल स्कीम बनायी है । 250 करोड़ रुपये का प्रोविजो रखा है ठीक उसी प्रकार 500 करोड़ रुपये का प्रोविजो आपको आठवीं योजना में बांसवाड़ा, डूगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के जो हमारे सम्भाग हैं जिसमें हमारे अधिकांश आदिवासी भाई रहते हैं उनकी इकॉनोमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए । इण्डिज्वुल बेनीफिट स्कीम के नाम पर यदि इतना मेजर इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हैं तो आपकी जितनी इण्डिज्वुल स्कीम हैं, आई. आर. डी. पी. की स्कीम मान लें, आई. आर. डी. पी. की स्कीम में हम क्या कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, हम उसको गाय दे रहे हैं उसको बैल दे रहे हैं, बकरी दे रहे हैं, मुर्गा दे रहे हैं । अकाल पड़ता है पांच साल में चार साल तो उस गाय, बैल, भैंस, बकरी के लिए चारा कहां से लाये ? वह उसको बेच देता है । हमको यह समझने की आवश्यकता है कि इस इलाके की समस्या क्या है ? मिनरल पोटेंशियल उदयपुर डिवीजन में, फोरेस्ट उदयपुर डिवीजन में और आदिवासी का सारा जीवन जंगल के ऊपर, हम उसको डिस्पोसेस करते जा रहे हैं । जंगल में रह नहीं सकता, जंगल में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है, गुड्स प्रोड्यूस पर भी टी. ए. डी. का अधिकार है । वह प्रोड्यूस भी माइनर प्रोड्यूस हैं, वह टी. ए. डी. खरीदेगी । आदिवासी कहीं जाकर बेच नहीं सकता है । उस आदिवासी की इस एक्टिविटी को भी हमने कण्ट्रोल कर दिया है । टी. ए. डी के माध्यम से । माइनर जो प्रोड्यूस है उसको प्रिक्योर करने का राइट ट्राइबल एरिया के लैम्पस और पेप्स को होगा । वह गरीब आदिवासी पहले तो वहां से व्यापारियों से दुखी था, अब वहां के सरकारी अधिकारियों से दुखी हो गया । उसके दिमाग में इकॉनोमिक एक्टिविटीज करने का कोई कन्सेप्ट ही नहीं है । हम सारा टाइम लेम्पस और पेप्स की एक्टिविटीज के नाम पर देना चाहते हैं और यह मेरा चार्ज है हमने एक नयी क्लास पैदा कर दी है लेम्पस और पेप्स के नाम पर व्यवस्थापकों की । माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे सीमेंट, फर्टीलाइजर और शुगर इनका कन्जमशन आदिवासी नहीं करता है । आज भी आप उठाकर देख लें आंकड़े मैं जानना चाहता हूं कि 100 में से 90 आदिवासी के मकान कच्चे हैं । तो 100 में से 90 मकान आदिवासी के नाम पर सीमेंट आ रही है और सीमेंट कहां जा रही है ? जो गेहूं आ रहा है माननीय सभापति महोदय, वह वहीं गुजरात में जा रहा है । वह गेहू बांसवाड़ा से गुजरात जाता है, खैरवाड़ा से गुजरात

(श्री सी.पी. जोशी)

जाता है, दुर्भाग्य और सौभाग्य से इसी ट्राइबल बैल्ट से लगती हुयी हमारी बोर्डर है। हम जो 165 रुपये के जो गेहूं की बात करते हैं माननीय सभापति महोदय, जांच करवालें आज भी जो राशन कार्ड हमारा बना हुआ है उस राशन कार्ड पर कितना हमारा आदिवासी गेहूं लेता है और कितना वहां का व्यवस्थापक उस के नाम पर गेहूं के ट्रक के ट्रक बाहर भेज रहा है। फर्टीलाइजर्स के सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे सब्सिडाइज फर्टीलाइजर देते हैं। लेण्ड होल्डिंग उसके पास नहीं, फर्टीलाइजर को वह कहां डालेगा। लेकिन फर्टीलाइजर भी हम कागजों में बराबर बांट रहे हैं। पिछले 10 साल में जितनी स्कीमें, जितनी सीमेंट, जितनी शुगर और जितनी फर्टीलाइजर है। उस सारी चीजों को हमने ब्लैक करने के लिए एक एजेंसी पैदा कर दी व्यवस्थापक की।

माननीय सभापति महोदय, इस समस्या के साथ एक और बहुत गम्भीर समस्या जुड़ी है जिसके ऊपर राजस्थान सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज गुजरात में शराब बन्दी है, प्रोहिबिशन है। टोटल गुजरात की शराब सप्लाई हो रही है उदयपुर डिवीजन से। वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल गुजरात का जो कन्जम्शन है वह उदयपुर डिवीजन से सप्लाई हो रही है चाहे बांसवाड़ा से हो या उदयपुर से हो या डूंगरपुर से हो या चित्तौड़ से हो। जिससे आज वहां बने हुए हैं टैंकर-वर्ड यूज कर रहा हूं टैंकर उनको वहां पर लाने के काम आते हैं पेट्रोल के। कितने पेट्रोल पम्प हैं उदयपुर डिवीजन में उतने टैंकर हैं। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे टैंकर के टैंकर शराब उदयपुर डिवीजन से गुजरात में जा रही है। और लाखों करोड़ों रुपयों की शराब की तस्करी इस इलाके के अन्दर हो रही है और यहां उदयपुर से लगाकर गुजरात बोर्डर तक एक डी. वाई एस.पी. का सर्किल नहीं आता है। खैरवाड़ा थाना पड़ेगा सलूम्बर से डी. वाई. एस. पी. साहब आयेंगे उन सबका नेशनल हाईवे से 50 कि. मी. से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब माननीय सभापति महोदय, हमने शराब बन्दी कर रखी है जो आदिवासी के जीवन का एक बहुत बड़ा लिवलीहुड है। अच्छा होता हम डिस्टिलरी लगाते उस इलाके में। आदिवासी भाइयों को जो शराब की व्यवस्था है, हमने उनको रोका है और रोकने के साथ हमने शराब के नाम पर गुजरात में शराब बन्द करने की व्यवस्था पैदा कर दी। इस सम्बन्ध में भी हमारा ध्यान नहीं गया। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आने वाले डिकेड में अगले 10 साल हैं, उस दस साल के प्रोजेक्शन क्या हैं सभापति महोदय, एग्रीकल्चर का जो पोटेन्शियल है राजस्थान का चाहे वह माही से पैदा हो, चाहे वह जाखम से हो, अगले डिकेड में एग्रीकल्चर पोटेन्शियल सबसे ज्यादा उदयपुर डिवीजन के अन्दर क्रियेट होगा और वहां का काश्तकार खेती नहीं जानता। फर्स्ट जनरेशन, वहां पर खेती कर रही है बांसवाड़ा में। जाखम की जनरेशन खेती करना शुरू करेगी बांसवाड़ा में जैसे-जैसे पानी आता जा रहा है। वैसे लोग खेती करते जा रहे हैं और वहां पर भी जमीन खरीदने का धन्धा गुजरात के पटेलों ने शुरू कर दिया है फिर

(श्री सी. पी. जोशी)

आज से पांच साल बाद गंगानगर के काश्तकारों की तरह एक आर्डिनेंस लायेंगे और कहेंगे कि बांसवाड़ा की जिन पटेलों ने जमीन खरीद ली वह जमीन 10 हजार, 15 हजार रुपये देकर खाते में करवा सकता है, यह व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में खालों के लिए 110 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने की सोच रहे हैं लेकिन ट्राइबल इलाके का जो आदिवासी है, जिसने कोआपरेटिव का लोन ले लिया है। वह को-आपरेटिव का लोन उसने व्यवस्थापक को दे दिया, व्यवस्थापक ने खाते में जमा नहीं कराया ऐसे व्यवस्थापक हजारों रुपये खा गये लोगों को। आज भी आदिवासियों के खाते में लोन बाकी है। व्यवस्थापक ने पैसा ले लिया है, उसका पैसा जमा नहीं हुआ है। इस व्यवस्थापक के कारण आज भी काश्तकार को दुबारा लोन नहीं मिल रहा है। सारी को-आपरेटिव एक्टीविटिज स्टैण्ड स्टिल हैं उदयपुर डिवीजन में आदिवासी मन्त्री महोदय, हमारे जो इस समस्या से जुड़े हुये हैं उस जमीन से निकल कर ऊपर आये हैं उनके मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके में आपको ब्लैंकेट फैसला करना पड़ेगा। जिस तरह से खालों को माफ कर रहे हैं उसी तरह से आपको को-आपरेटिव लोन को भी माफ करना पड़ेगा। यदि को-आपरेटिव लोन को आप माफ नहीं करेंगे तो दुबारा को-आपरेटिव एक्टिविटीज को आप री-जनरेट नहीं कर सकते। आई.आर.डी.पी. के परिवार के नाम पर उसको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि वह डिफाल्टर है। जो आप गरीब को सीमारेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, उस गरीब की सीमा रेखा को ऊपर उठाने में भी उस आदमी का चयन इसलिए नहीं हो रहा है कि वह को-आपरेटिव सोसायटी का डिफाल्टर है। उसके बाद हम किस तरह की व्यवस्था करके उसको इन्डीविजुअल बेनिफिट्स की स्कीम में हम लाभान्वित करना चाहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे उदयपुर जिले में सारे ट्राइबल इलाके में एक भी कालेज नहीं है। उदयपुर जो जिला है उस जिले में खेरवाड़ा, सलूम्भर, कोटड़ा, गोगुन्दा, झाडौल, जो हमारे सात विधान-सभा क्षेत्र हैं। माननीय सभापति महोदय, आपका तो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, चित्तौड़गढ़ में कालेज है, निम्बाहेड़ा में कालेज और एक जगह प्रतापगढ़ में कालेज है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एण्टायर ट्राइबल पापुलेशन की नीड्स को कैटर करने के लिए एक भी कालेज ट्राइबल इलाके में नहीं है। हमने आई.टी.आई. भी खोली है। माननीय गिरिजा जी तकनीकी शिक्षा मन्त्री यहां पर बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, व्यवस्था करनी चाहिए। हमने एक भी आई.टी.आई. ट्राइबल इलाके में नहीं खोली, हमने एक भी कालेज ट्राइबल इलाके में नहीं खोला है। किस तरह एजूकेशन के सम्बन्ध में हम कन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं? हमने उदयपुर में एक विश्वविद्यालय बनाया, उससे ट्राइबल का वैलफेयर होगा। हमारे यहां का ट्राइबल, माननीय सभापति महोदय, आज भी 100 में से 2 लड़के हायर सैकेण्ड्री पास हैं, कुछ इलाकों में ज्यादा लड़के पढ़े लिखे हैं, खेरवाड़ा का एक हमारा प्रोजक्ट है, मिलिट्री

(श्री सी. पी. जोशी)

की छावनी की वजह से वहां स्कूलें ज्यादा हैं। आज कोटड़ा, भाड़ौल और आप जानकर आश्चर्य करेंगे वहां लिट्रेसी पर्सेन्टेज आज भी सात पर्सेन्ट हैं। हमने बीकानेर डिवीजन का जो हमारा इलाका है, जहां पर हम राजस्थान कैनाल डवलप कर रहे है, काश्तकार की हैसियत बना रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया से स्पेशल स्कीम है, हाजिरी करवाने के लिए पैसा मिलता है, माननीय मन्त्री जी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी की अटैण्डेंस करने के लिए पैसा कौन देगा, उसके लिए हमने क्यों नहीं सोचा. सीमावर्ती इलाके के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, स्कूल बनेंगे उसका पैसा देंगे, अटैण्डेंस होगी, उसका पैसा देंगे। उदयपुर संभाग में आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है। उसको ट्रेड की ट्रेनिंग कौन देगा ? उसको स्कूल जाने के लिए इन्सेण्टिव कौन देगा ? इस सम्बन्ध में हमने काम नहीं किया है, हमने तो राज किया है, हमने तो राज किया है मेवाड़ वालों ने, राज हमारा था, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मन्त्री रहे, हरिदेव जोशी मुख्य मंत्री रहे हैं, माथुर साहब मुख्य मन्त्री हैं, राज हमारा है। और राज के बाद बीस करोड़ रुपये में हम निपट रहे हैं। आज तीन हजार करोड़ रुपये की सातवीं पंचवर्षीय योजना, सभापति महोदय, उस तीन हजार करोड़ में 85 करोड़ रुपया हमारा कण्ट्रीब्यूशन है, 85 करोड़ में भी एरिया डवलपमेंट का खर्चा कितना होगा उसको निकाल दें तो इन्डीविजुअल बेनिफिट पर पैसा भी नहीं आयेगा, आप टोटल पॉपुलेशन को भाग दें इन्डिविजुअल बेनिफिट्स का तो How much money we are spending for individual family ? उसका खर्चा आयेगा, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। उस फिगर में जाना नहीं चाहता लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर व्यक्ति खर्चा सबसे लोएस्ट कहीं हो रहा है तो आदिवासी इलाके में हो रहा है इसका मेजर इन्वेस्टमेंट माही का डेम बनाने पर खर्च किया है, जाखम का डेम बनाने में खर्च किया है हमने, माननीय सभापति महोदय, अभी भी उदयपुर डिवीजन एक्सपोज्ड नहीं है, वर्ल्ड से। टी वी. सारे राजस्थान, हिन्दुस्तान में सब जगह पर लगा हुआ है। केवल मात्र, उदयपुर शहर के लोग टी. वी का फायदा उठा सकते हैं। ट्राइबल को टी वी. को एक्सपोज्ड नहीं कर रहे हैं। ट्राइबल के समझ जायें टी वी. से एक्सपोजर करने के लिए इसलिए हमने कभी मांग नहीं की। उदयपुर के ट्रांसमीटर की केपेसिटी बननी चाहिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जोशी जी आपका राज रहा है और आपने उन लोगों को हमेशा भूखा नंगा ही रखा है, यह लोग बैठे-बैठे, अगर यह अलग राज्य की मांग नहीं करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह अलग राज्य की मांग नहीं करते हैं।

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय सभापति महोदय, हमारे संभाग का विधायक घनश्याम जी की तरह से नहीं है कि रामदेव सिंह जी हो तो भी फायदा उठा ले और कोई हो तो भी, इसलिए यह तकलीफ तो हमको रहेगी ही।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री सी.पी. जोशी)

मैं यह सब बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले तीस चालीस सालों में हमने फिजिकली असैट डवलप किये हैं, उस ट्राइबल इलाके में सड़क बनवाई है, हमने स्कूल बनवाये हैं, भवन भी बने हैं, यहां सब सेन्टर भी खुले हैं परन्तु जो राजस्थान की दूसरी जगह पर एक स्थिति बनती है जमीन के कारण, पानी के कारण वह हमारे इलाके के लोगों की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं खास तौर से यह बात जानते हुये भी हमने जितना डवलपमेंट अभी पूरा डवलपमेंट नहीं है और वह स्कोप जब तक हम स्पेशल स्कीम नहीं बनायेंगे आदिवासी के लिए, उनके इन्डिविजुअल बेनिफिट के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं हमारे आर.एस.एम.एम है वहां पर आर.एम.एम.एम. के पोटेंशियल का हारनेस कैसे करें, मारबल के पोटेन्शियल का हारनेस कैसे किया जाये? यह सब ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मेन पावर को खपाया जा सकता था वहां हमने मैकेनाइजेशन कर दिया जहां राक फास्फेट के ओवर लोड को, ओवर बर्डन को हटाने के लिए मैन्युअल लेबर अ गेज की जा सकती थी वहां हमने आटोमेटिक इम्पर लोकर उसको हटाने का काम शुरू किया। जहां मारबल में एज कटिंग के लिए हमारे जोधपुर की मशीने काम आ सकती थी, देशी मशीनें वहां हमने इटली का डायमण्ड कटर लगा कर उसको भी हम मेन पावर को हारनेस नहीं करना चाहते। मतलब मिनरल वैल्थ इण्डस्ट्री जहां पर मेन पावर को हारनेस किया जा सकता था, जहां क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जहां ट्रेड ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी हमने उन लोगों के साथ अन्याय किया है। बीस-पच्चीस साल बाद, जब यह टोटल मिनरल वैल्थ को हम एक्सप्लाइट कर देंगे तब उदयपुर डिवीजन के लोग जो आज रोजगार में लगे हुये हैं उन सबकी रोजगार की स्थिति क्या बनेगी?

माननीय सभापति महोदय, हमारे गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य की जो फिलिंग थी कि जवाहर रोजगार योजना हमने लागू की है। जवाहर रोजगार योजना में एक पंचायत से हम 50 से 60 आदमियों को एम्पलाई कर रहे हैं। पचास हजार रुपये हम आइडल मानें पचास हजार रुपये वैसे तो पूरे मिलते नहीं हैं किसी पंचायत को एक लाख रुपया, लेकिन मैं मान लेता हूं एक लाख रुपया मिलता है, पचास हजार रुपया मेटेरियल कम्पोनेंट के खर्च कर दें, पचास हजार उसके लेबर कम्पोनेंट के बचे, 14 का उस का भाग दे दें तो 350 आदमियों को हम 100 दिन का वेजेज दें सकते हैं। हमारी एक-एक पंचायत में 800–900 आदिवासी रहते हैं सौ दिन का आप एक दिन में दें दे तो 350 आदमियों को मिलता है, व्हाट अबाउट रेस्ट, 350 अलग इसलिए मैंने बताया लैण्ड होल्डिंग कम, बरसात हो जाये तो आदमी की स्थिति नहीं बने। वहां केवल मात्र मेन पावर को हारनेस करने की आवश्यकता है। उसके लिए ट्राइबल एरिया डवलपमेंट ने कोई काम नहीं किया है। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट केवल मात्र इकॉनोमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के

(श्री सी. पी. जोशी)

लिए जयसमन्द की फीशिंग का काम अपने हाथ में लिया है। शक्कर, गेहूं और रोटी का काम अपने हाथ में लिया है। लेकिन मेन पावर को हारनेस करने के लिए, ट्रेड ट्रेनिंग देने के लिए हम कितने ट्रेड सिखा सकते हैं उनको उस ट्रेड के लिए हमने कोई एक्सपान्शन एक्टीविटीज प्रारम्भ नहीं की है।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारा माडा है, टाडा के बाद माडा और माडा के बाद स्कैटर्ड पोपुलेशन, स्कैटर्ड पापुलेशन मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। 18 हजार मेरे वोटर हैं नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी। वह 18 हजार लोग इस टाडा स्कीम में भी कवर नहीं होते हैं; माडा स्कीम में भी कवर नहीं होते हैं। उसके नियम बना रखे हैं कि रेवेन्यू विलेज में यदि 50 पर्सेण्ट पापुलेशन आदिवासियों की हो तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। मेरे यहां कहीं 25 पर्सेण्ट है, कहीं 13 पर्सेण्ट है, कहीं 12 पर्सेण्ट है, कहीं 11 पर्सेण्ट है। उन 18 हजार आदिवासियों को कवर करने की सरकार की स्कीम पिछले दो साल में बनी। उसमें एलोकेशन ऑफ फण्ड्स कितना किया? माननीय मन्त्री महोदय, 70 लाख रुपये। इस रुपये में हम स्कैटर्ड पापुलेशन की नीड्स को कैटर करेंगे। उसमें क्या करना हमको? एरिया डेवलपमेंट के लिये स्कूल नहीं बनवा सकते, उसमें हम कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते। 70 लाख रुपये किसकी नीड्स को कैटर करेंगे? आवश्यकता है कि इसमें हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करें।

माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स 25 घरों की बस्ती के लिये शिड्यूल्ड कास्ट्स कार्पोरेशन पोल पहुंचाने की व्यवस्था करता है, उसका पैसा शिड्यूल्ड कास्ट्स कार्पोरेशन देता है। लेकिन वह ट्राइबल जो स्कैटर्ड रहते हैं। एक पंचायत मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर 50 घरों, 100 घरों की बस्ती में? मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं नाम बता सकता हूं, पंचायत मचीन, पंचायत फतेहपुर, पंचायत सलोदा, जहां आदिवासियों के 100 घरों की बस्तियां हैं और वह पंचायत मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर रहते हैं। वहां दो किलोमीटर तक पोल कौन लगाये? इसलिए वह जिन्दगी भर तक बिजली नहीं ले सकते। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स कार्पोरेशन शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्ती के लिये पोल का पैसा देता है ठीक उसी प्रकार ट्राइबल इलाके के अन्दर ट्राइबल की 50 की पापुलेशन को आधार मान लें, 100 की पापुलेशन को आधार मान लें, उस पापुलेशन के यहां बिजली पहुंचाने के लिये उसके पोल का खर्चा यदि टाडा देगा तो वहां पर लोगों के घरों में बिजली पहुंच सकेगी अन्यथा जो स्कैटर्ड पापुलेशन डिस्टेंस में रह रही है, हैमलेट में रहने वाली आदिवासी हैं उनको बिजली का लाभ कभी नहीं मिल सकता।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां नियम है कि 250 की जनसंख्या पर हैण्ड पम्प लगेगा, 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प लगेगा। हमारे यहां तो हिल्स में आदिवासियों की कहीं 10 घरों की झोंपड़ी अलग हैं कहीं 15 घरों की झोंपड़ी अलग हैं। उस आदिवासी के लिये हैण्ड पम्प के नियम क्या बनेंगे? इस सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है कि हम आदिवासी

(श्री सी. पी. जोशी)

इलाके में कम से कम बिजली, प्राइमरी स्कूल, स्वच्छ पानी के लिये एक हैण्डपम्प, इस व्यवस्था को ठीक ढंग से कर दें तो ट्राइबल इलाके में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जायेगा। सड़क और यातायात की तो मैं इसलिये आवश्यकता नहीं मानता कि वह इतना मेहनती है कि आज भी पांच किलोमीटर, आठ किलोमीटर पैदल जा रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हमने किया है पिछले समय में उस सबके बाद भी अभी बहुत स्कोप है। मैं इस बात के लिये तो मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पालिटिकल अवेकनिंग जनरेट करने के लिये आपने आदिवासी इलाके के मन्त्री बनाये हैं, हमारे उदयपुर जिले से 40 साल में पहली बार दो मंत्री बनाये गये हैं उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद। उस इलाके में पालिटिकल अवेकनिंग आयेगी, लोगों में यह बात होगी कि हमारा मन्त्री बना है जो हमारे दुःख-सुख का भागीदार बनेगा। लेकिन मन्त्री बनने के बाद उसके साथ यदि एलोकेशन ऑफ फण्ड्स नहीं होंगे तो मन्त्री की कार में लगने वाली भीड़, आस पास घूमने वाली भीड़ थोड़े दिनों के बाद छंटने लग जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, आप जान कर आश्चर्य करेंगे कि इन सारी एक्टीविटीज को जनरेट करने के लिये हमने एक ट्राइबल एरिया डवलपमेंट की कौंसिल बना रखी है। उसके लिये टाडा का चेयरमैन बना रखे हैं सुपर टाइम स्केल के आई. ए. एस.। उसके नीचे गवर्निंग कौंसिल में 12-13 अफसर हैं। उनमें हमारे आदिवासियों के भी दो-तीन आदमी जाकर बैठते हैं। वह गवर्निंग कौंसिल में पॉलिसी डिसीजन में क्या रोल रखेंगे, क्या चेंज कर पायेंगे? हमको इस सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है कि जो गवर्निंग कौंसिल हमने बना रखी है उस गवर्निंग कौंसिल को हम मजबूत कैसे करें, उस गवर्निंग कौंसिल में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे हो। उस पार्टिसिपेशन को और स्ट्रैंथन करने के लिये अभी तक तो, मेरी जानकारी है कि जो गवर्निंग कौंसिल हमने बना रखी है उसकी एक साल में एक मीटिंग होती है। या साल में एक-दो मीटिंग होती होंगी नॉमिनल। मैं समझता हूं कि उसमें भी आदिवासी लोगों के पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। जो नया पालिटिकल सिस्टम आ रहा है पंचायती राज का, माननीय सभापति महोदय, उसके बाद वोट देने का अधिकार सी. पी. जोशी को भी एक है और आदिवासी भाई को भी एक वोट देने का अधिकार है। लम्बे समय तक इस इग्नोरेंस का फायदा नहीं मिल सकता। अभी तक हम समझते हैं कि इललिटरेट आदमी है। इसलिए उसकी इग्नोरेन्स के आधार पर हम अपना मैसिव इन्वेस्टमेंट एरिया डवलपमेंट पर कर रहे हैं इण्डिवीजुअल बेनिफिट पर नहीं कर रहे हैं। आज भी एरिया डवलपमेंट और इण्डिवीजुअल बेनिफिट स्कीम का जो रेशो है वह 20 और 80 का है, 20 पर्सेण्ट एक्सपेण्डीचर इण्डिवीजुअल बेनिफिट स्कीम में और 80 पर्सेण्ट इन्वेस्टमेंट एरिया डवलपमेंट में। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे मन्त्री भैरूलाल मीणा जिनके पास स्वतन्त्र चार्ज है टी.

(श्री सी. पी. जोशी)

ए. डी. का, इस सम्बन्ध में चिन्तन करेंगे, मनन करेंगे और माननीय मुख्यमन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस सम्भाग के लिये स्पेशल स्कीम बनाने की नितान्त आवश्यकता है। आठवें प्लान में 500 करोड़ का एक्सक्लूसिव प्रोविजन इस इण्डिवीजुअल बेनिफिट की स्कीम को जनरेट करने के लिये आप नहीं करते हैं तो आप इस इलाके के साथ पालिटिकल न्याय नहीं कर पायेंगे। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में किसानों को लाभ देने के लिये आप 110 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे इलाके के जो आदिवासी भाई हैं जिनके को-आपरेटिव लोन हैं जिनका अमाउण्ट 100-150 करोड़ से ज्यादा नहीं आयेगा, मैं दूसरे लोन माफ करने की नहीं कहता कि सब माफ करो लेकिन जो ट्राइबल क्लास के हैं उनके लोन को माफ करने की निश्चित तौर पर घोषणा करनी पड़ेगी जिससे उसका लाभ मिल सके जिस तरह आप आठ हजार काश्तकारों के लिये पचास हजार में जमीन की खातेदारी का राइट दे रहे हैं ठीक उसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, जो चरनोट की जमीन पर बैठे हुए हैं, जंगलात की जमीन पर बैठे हुए हैं उस जमीन को ब्लैंकेट पॉलिसी से रेगुलराइज करने की आवश्यकता है, उनसे कोई पैसा लेने की आवश्यकता नहीं। मैं पापुलिस्टिक वर्ड नही कहता लेकिन उनका जो राइट है, आप जाकर देखिये कि धारा 91 में तहसीलदार के यहां कितने केश पड़े हुए हैं। उसमें 60 पर्सेण्ट लोग आदिवासी हैं जो रोज पेशी पर आ रहे हैं। 91 में जो पेशी पड़ती है उसमें ब्लैंकेट फैसला कर लीजिए कि 91 की पेशी हम खत्म करते हैं। आज राजस्थान में 17 करोड़ की रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं, खाली 18 करोड़ रुपये जबकि 110 करोड़ तो केवल गंगानगर का माफ कर रहे हैं। टोटल राजस्थान के काश्तकारों को 18 करोड़ माफ कर दें, लोग आपको याद रखेंगे कि राजस्थान में इतना बड़ा निर्णय लिया। किसी जात का काश्तकार हो उसका आप लगान माफ कर दें। कोई जरूरत ही नहीं है। 18 करोड़ रुपये में क्या करेंगे आप ? एक बहुत बड़ा फैसला हो जायेगा और पटवारी की इन्स्टीट्यूशन भी खत्म हो जायेगी और गांव का आदमी पटवारी के शोषण से बच जायेगा। यह सब निर्णय हमें करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता, और माननीय सदस्य साथी बोलेंगे। मैं समाज कल्याण के सम्बन्ध में संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के नाम पर एक ऐसी जमात पैदा हो गयी है राजस्थान में जो केवल कागजों के ऊपर सब काम कर रही है। शिशु-पालन गृह हो, और जितनी एक्टिवीटिज है, वूमेन को एजुकेट करने के लिये हमने कई ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे है या और कुछ कर रखा है, माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें केवल कागजों के ऊपर सब कार्यवाही ठीक ढंग से चल रही है। समाज कल्याण में समाज का वह वर्ग जिसमें आर्टिकुलेशन नहीं है, जो कागजी कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं कर सकता उसे उसका लाभ जिस ढंग से मिलना चाहिए उस ढंग से नहीं मिल रहा है। इसलिए दोबारा यह सोचने की आवश्यकता है कि जो संस्थायें बनी हुई हैं, जिस नाम से स्कीम

(श्री सी. पी. जोशी)

का पैसा ले रही हैं उस स्कीम का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाल कल्याण के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी ने एक कोष बना दिया, हमने नियम बना दिये लेकिन आज भी कोई ऐसा कस्बा या शहर नहीं है जहां पर आठ से दस साल का लड़का होटल में नौकरी नहीं कर रहा है क्योंकि उनका सोर्स आफ लिवलीहुड कुछ भी नहीं है। हमने आज भी इस सम्बन्ध में कोई स्ट्रिक्ट कार्यवाही नहीं की है, कोई एग्जम्प्लरी पनिशमेंट नहीं दिया है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिये हमने कोई काम नहीं किया। इस सम्बन्ध में भी हमें कुछ सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं यह सब बातें इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि मुझे विश्वास है। हमारी समाज कल्याण मन्त्री जो माननीय कमलाजी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि वह शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स बोर्ड, हिन्दुस्तान के चेयरमैन की पुत्री हैं, उनका खुद का कन्विक्शन, खुद का जीवन ट्राइबल इलाके में रहा है, वह समझ सकेंगी कि समाज कल्याण विभाग की महत्ता राजस्थान में क्या है जहां 27 पर्सेण्ट लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं। समाज के इस वर्ग को बेनिफिट देने के लिये हमारा विभाग जिस तरह चुस्त होना चाहिए, जिस तरह मुस्तैद होना चाहिए उस तरह से मुस्तैद और चुस्त नहीं है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जो स्कॉलरशिप है, वह चाहे प्री-मैट्रिक, हो या पोस्ट मैट्रिक, उसका पैसा बहुत कम है। इस सम्बन्ध में हमको निर्णय लेना चाहिए, 30 रुपये, 25 रुपये से कुछ नहीं होगा, 100–200 रुपये हमको निश्चित तौर पर करने चाहिए जिससे वह लड़का पढ़ सके, किताबें ले सके और कुछ कर सके। आपने नामिनल व्यवस्था कर रखी है वह व्यवस्था ठीक व्यवस्था नहीं है। कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि उसमें सब्सटैंशल अमाउण्ट बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे उसका लाभ मिल सके।

होस्टल मैनेजमेंट के बारे में लीस्ट सैड दी बैटर, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर इस बात पर ध्यान दें

**श्री माणक डाणी :** माननीय सी. पी. जोशी साहब, एक सैकेण्ड।

मन्त्री जी, आप यह देखें कि छात्रवृत्ति का बना हुआ पैसा मार्च के महीने में पड़ा रह गया डिपार्टमेंट में लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। यह स्थिति है डिपार्टमेंट की।

(7.00 स. मं.)

**श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :** माननीय सभापति महोदय, अपनी बात करने से पहले मैं न्याय नहीं करूंगा यदि मैं आई सी. डी एस. के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा तो क्योंकि माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कुछ बोला नहीं है और माननीय मन्त्री महोदया ने तो आई. सी. डी. एस. के सम्बन्ध में काम किया है और एक्सपान्सन एक्टीविटीज इम्प्रूव हुई हैं लेकिन मुझे आज भी यह समझ में नहीं आया कि आई. सी डी. एस. की एक्टीविटीज दो डिपार्टमेंट चला रहे हैं-समाज कल्याण

(श्री सी. पी. जोशी)

विभाग चला रहा है और कुछ पंचायतें भी चला रही हैं, आई. सी. डी. एस. डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आई. सी. डी. एस. का कोई भी अधिकारी पंचायत समितियों की मीटिंग में नहीं जाता है। आज मुझे भी 9 साल हो गये एम. एल. ए. बने हुए, मैंने आई. सी. डी. एस. बड़गांवा पंचायत समिति के किसी अधिकारी की शकल पहली बार, अबकी बार देखी अपने 9 साल में। मुझे यह जानकर पता लगाना है कि आई सी. डी. एम. हाइपोथेटिकल काम कर रहा है, आप कह दें नियम बना लें जहां आई. सी. डी. एस. सेन्टर चल रहे हैं वहां सुपरविजन का अधिकार सरपंच को देना पड़ेगा, वहां पंचायत समिति में जो मीटिंग होती है उसमें आई. सी. डी. एस. का अधिकारी जाय उसमें प्रधान को, बी. डी. ओ. को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वह सेन्टर को चैक कर सके।

आई. सी. डी. एस. डिपार्टमेंट का कोई कोर्डिनेशन पंचायत समिति और पंचायत की इंस्टीट्यूशन से नहीं है। आप आई. सी. डी एस. के केन्द्र क्यों खोलते हैं, कहां खोलते हैं उसके सम्बन्ध में खाली एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया एक मापदण्ड बना दें, मैं अपने इलाके की बात कर सकता हूं। पंचायत समिति खमनोर में आज 18 हजार ट्राइब्स के आदमी हैं और 14 हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी हैं, लैण्ड होल्डिंग वहां पर दो बीघा, तीन बीघा से ज्यादा नहीं है। पंचायत समिति, खमनोर में आई सी. डी. एस. सेन्टर अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हो सका और पंचायत समिति, खमनोर के अलावा बड़गांवा में शुरू हो गया, राजसमंद में शुरू हो गया, मावली में शुरू हो गया, वल्लभनगर में शुरू हो गया। वहां लैण्ड होल्डिंग ज्यादा है, काश्तकार की हैसियत ठीक है। इसका मतलब है कि मापदण्ड के आधार पर आई. सी डी. एस. केन्द्र नहीं खोल रहे हैं। अब यह केन्द्र कौन से हैं कि भाई मुझे जानकारी नहीं है कि एम. एल. ए. जहां का तेज होता है वहां नहीं खोलते हैं तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा वहां आई. सी. डी. एस. केन्द्र खोल देना, खाली यही हो कि जहां शिकायतें होती हों तो वहां पर नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलें। हमें कोई तकलीफ नहीं है उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए लेकिन निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर की कोई भी पंचायत समिति यदि आई. सी. डी. एस. से वंचित रहती है तो हमारे मापदण्ड में कहीं न कहीं कमी है। उस मापदण्ड में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मैं विश्वास करता हूं कि आई. सी. डी. एस. डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग में much scope of improvement किया है, आप जाते हैं, चैक करते हैं लेकिन अभी तक यह स्टैण्डिंग आर्डर्स पास नहीं किये हैं इनको कोर्डिनेट करने के लिये पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद के हमारे प्रमुख और पंचायत समिति के सरपंच इनके साथ कोर्डिनेशन नहीं बैठायेंगे तो आई. सी. डी. एस. स्कीम में जितना पिलफरेज आ रहा है, जितनी लीकेज आ रही है, ठीक है समाजवादी है, वह बच्चा नहीं खा रहा है तो मास्टर साहब खा रहे होंगे, मास्टर साहब नहीं खा रहे हैं तो मास्टर की जगह महाजन बेच रहा होगा तो कहीं न कहीं

(श्री सी. पी. जोशी)

लग रहा है तो उस दृष्टि से काम ठीक हो रहा है लेकिन जिन लोगों के लिये लगना चाहिए, उन लोगों के हित में लगे, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

मैं विश्वास करता हूं कि आई. सी. डी. एस. के सम्बन्ध में जैसे वैस्टर्न राजस्थान में पिछली बार सभी पंचायत समितियों में आई. सी. डी. एस. प्रारम्भ कर दी थी—जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में वैसे ही ब्लैंकेट फैसला आपको लेना पड़ेगा और जिस पंचायत समिति में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की पोपुलेशन ज्यादा है वहां के लिये क्राइटेरिया बना लें, हर पंचायत समिति में आई. सी. डी. एस. निश्चित तौर पर लागू होनी चाहिए यही बात मुझे आपसे कहनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मन्त्रियों में क्षमता है, उनमें पूरा काम करने की निष्ठा है कि वह हमारे तुच्छ सुझावों के आधार पर यह कोशिश करेंगे कि टी. ए. डी. का एलोकेशन आफ फण्ड इस तरह से हो कि आदिवासी इलाके का, एरिया का विकास भी हो सके और व्यक्ति का विकास भी ठीक ढंग से हो सके।

आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम पंवार।

**श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :** माननीय सभापति महोदय, आज मांग 30 और 33 के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है—इसमें आदिवासी, हरिजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये दो विभाग हैं, इनको सुविधा देना, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, शिक्षा दिलाना, हर तरह से उनके लाभ के लिये यह बने हुए हैं, परन्तु इनमें जो कमी है, प्रथम तो यह है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं समाज कल्याण और अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम इन दोनों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या नगण्य है, यह नहीं होना चाहिए। आखिर किस समाज का कल्याण करने जा रहे हैं? समाज का तो कल्याण हुआ नहीं इनके अधिकारी उच्चाधिकारी, उनके बच्चों का, रिश्तेदारों का तो कल्याण हो गया लेकिन समाज का नहीं हुआ। सरकार से इनके लिये जो पैसा मिलता है इन तक सही मायने में नहीं पहुंचता है। उसके लिये अलग अलग सीगे बना रखे हैं लेकिन उनको कार्यरूप देने में असमर्थ हैं। कागजों में जरूर है लेकिन कभी यह जाकर नहीं देखा कि उन तक वह सहायता पहुंची है या नहीं? पहली बात यह है।

फिर सरकार का दावा है कि हम हरिजन समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं मित्र हैं, मित्रता में विश्वासघात हो उससे कैसे बचा जाय? आज जैसे—

"दुश्मन वार करता है कह कर,
दोस्तों का भरोसा नहीं।
डस ले सांप तो बच जाय इन्सां,
कांग्रेस का भरोसा नहीं॥"

(व्यवधान)

इस प्रकार धोखा करने वाले दुश्मन से बचा जा सकता है कि वह कह कर वार करता है लेकिन दोस्त से कैसे बचा जाय?

(श्री डूंगरराम पंवार)

"दुश्मन वार करता है कह कर,
दोस्ती का भरोसा नहीं।
इसलिये सांप तो बच जाय डंसा,
कांग्रेस का भरोसा नहीं।
ऐ गरीब न गुजर उस गली से,
उस गली का भरोसा नहीं।"

तो इस प्रकार से हरिजनों के नाम पर पैसा डकारा जाय लोग मजे लूटें उन तक पहुंचे नहीं ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा ?

आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये कहीं कह दिया, जैसा कि अभी जोशीजी कह रहे थे मुर्गा बकरी दिलवा दो, क्यों दिलवा दो मुर्गा-बकरी ? आज जैसी जहां की भोगोलिक स्थिति है, जिस एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं उसके अनुसार ही उनको काम दिया जाना चाहिये। जैसे बांसवाड़ा आदिवासी एरिया है जिनका मुख्य धंधा वनों से लकड़ी काट कर लाकर बेंचने का काम है और यदि वह धंधा चलता रहेगा तो वन सम्पदा खत्म हो जायेगी, और अगर वह काम नहीं करने दिया तो वह भूखे मर जायेंगे, उनको अगर मुर्गा-बकरी दे दो तो उनके पास जिनके पास जमीन ही नहीं है। इसलिये उनके लिये रोजगार के अवसर जुटाये जाने चाहिये, उनको फैक्ट्री में जगह देनी चाहिये, यहां पर शराब का जिक्र आया, शराब की तस्करी होती है राजस्थान से गुजरात जाती है। वह लोग शराब बनाने में सबसे ज्यादा माहिर हैं, महुआ होता है। सुना है महुआ की शराब बहुत बढ़िया होती है। तो मेरा यह सुझाव है कि उन आदिवासियों को शराब बनाने का लाइसेन्स दिया जाय और बढ़िया किस्म की शराब वह बनायें और सरकार उनसे खरीद कर ठेकेदारों को सप्लाई करे। अगर वह यह नहीं बेच सकते है तो जैसा कि राजस्थान कैनाल है, जैसे मोहनगढ़ हैं, मोहनगढ़ बड़ी तहसील है, इतना बड़ा भू-भाग है, राजस्थान कैनाल के नीचे कई जिले बसाये जा सकते हैं, उन जिलों में रहने वाले लोगों को अलाट की है जमीन लेकिन वह कब्जा नहीं ले रहे है। क्योंकि वहां पर पशुपालन का काम हो रहा है, जिन लोगों को अलाटमेंट किया वह आते नहीं और जो जमीन काश्त करना चाहते हैं उनको जमीन मिलती नहीं है। एक तो जिनके पास जमीन नहीं है आदिवासियों को वहां जमीन अलाट की जाय बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, कम से कम एक मुरब्बा 25 बीघे से कम नहीं होनी चाहिये, उससे कम में उनका गुजारा नहीं होता है। उन लोगों को वह जमीन दी जाय वह काश्त योग्य जमीन है, अनाज का उत्पादन बढ़े और उन गरीबों की भूख मिट जाय उद्योग धन्धों में उनको काम दिया जाय, इण्डस्ट्रियल एरियाज में जिसमें लघु उद्योग हैं, जहां पर मेटेरियल है, कच्चा माल उपलब्ध है उसी तरह से उनको उद्योग के लिये बिना ऋण ब्याज दिया जाय।

अब सवाल है छात्रावासों का जिनमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपने जाकर देखा होगा, उनके बिस्तर, बैडशीट्स, तौलिया, इतने गन्दे, मैले और कुचैले। दस दिन में एक साबुन। पैसा भी कम है और एक महीने में दो साबुन दिये जाते हैं। इसमें कितने कपड़े धोयेंगे और उनके लिए जो सामान दिया जाता है वह भी इतने घटिया किस्म का, बिल ऊंचा और सामान कम

(श्री डूंगरराम पंवार)

पैसे का और उसमें भी पैसा खाया जाता है। उनको अच्छी डाइट नहीं मिलती और जो छात्रावास हैं, जैसे भरतपुर में पांच छात्रावास चला रखे हैं। पांच होस्टल, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी छात्र नहीं है। उनको क्यों नहीं सहकारी निगम के तहत लिया जाय ताकि उनको एड तो मिले। उसमें पैसा काफी होता है। उनको समाज कल्याण से हटाकर, उन छात्रावासों को जिनमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र नहीं हैं अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के तहत लिया जाय ताकि पैसा मिले। इस तरह जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र नहीं हैं उन सभी छात्रावासों को अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के तहत कर दिया जाय। यह मेरा सुझाव है। जिन छात्रावासों में कोई देखरेख नहीं हैं, मौके पर जाकर कोई देखता नहीं, उसकी चैकिंग साल में चार मर्तबा होनी चाहिए, तीन-तीन महीने से उनका निरीक्षण होना चाहिए। बाकायदा देखभाल होनी चाहिए और केवल यह नहीं कि छात्रावासों को देखकर आ गये, होस्टल इन्चार्ज से बात कर ली। उन बच्चों से अलग पूछना चाहिए कि जो आपको मिल रहा है वह आप तक पहुचता है या नहीं तब आपको पता चलेगा कि बच्चों को कुछ मिल रहा है या नहीं। यह सही बात है कि अधिकारियों से सम्पर्क करके आ जायेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा कि बच्चों को क्या तकलीफ है। लेकिन उनसे पूछेंगे तो असलियत सामने आ जायगी। जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं उनसे उस बात का जवाब लीजिये और अब आ गया सवाल हरिजनों की सुरक्षा का। आज देश में कमजोर वर्ग पर जो अत्याचार हो रहा है उतना किसी पर नहीं, और फिर उसकी सुनवाई नहीं है अपने पैसे के बल पर, प्रभाव के बल पर गरीब की आवाज को दबा दिया जाता है। देश के अन्दर अगर सबसे पिछड़ा हुआ अगर वर्ग है तो मेहतर समाज है। आजादी के 44 साल बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी वह मैले की टोकरी उठा रहा है, जिसमें कोई आधुनिकीकरण नहीं किया गया सफाई का जिससे कि उसको उससे छुटकारा मिले। आप ताज्जुब करेंगे सीवरेज का जो कर्मचारी है कितना खतरनाक धन्धा है, वह उस गटर लाइन के अन्दर जाता है, गैस से उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी बड़ी गैस कि आप खड़े नहीं हो सकते। उसमें आप उनको जोखिम भत्ता क्या दे रहे हैं? जोखिम भत्ता केवल दस रुपये। कोई उस काम को कर नहीं सकता हजार रुपया दिन का दें तो भी। देश के अन्दर सबसे ऊंची सेवा दो हैं। सैनिक सेवा और सफाई सेवा। हमारे जवान और सेना के बगैर देश सुरक्षित नहीं रह सकता और सफाई के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। सबसे अच्छी सेवा है उनकी हालत क्या है, उनकी बस्ती में जायेंगे तो वहां पर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किस तरह से पड़ा हुआ है गरीब फुटपाथ पर कि जैसे मलमूत्र का कीड़ा रेंगता है। यह हालत हैं। आपके बंगले साफ चमकते हुए करके देता है और उनकी बस्तियों में जाकर देखिये सड़कें टूटी हुई हैं, कीचड़ फैला हुआ है, नाली नहीं है न कोई सुविधा है। उनके लिए जो सफाई का काम करते हैं गन्दगी को साफ करने का काम करते हैं

(श्री डूंगरराम पंवार)

उनको चिकित्सा भत्ता सबसे ज्यादा दिया जाना चाहिए। लेकिन उनके लिए नहीं जो खतरनाक काम है, जिनकी काया गन्दगी से जीर्ण-शीर्ण रहती है, चेहरा मुरझाया रहता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसकी हालत वही है, उससे नफरत करते हैं। बड़ी विडम्बना है कि जो जगह को मैली कर दे, गन्दी कर दे वह तो छूत और इसको साफ-सुथरी बना दे वह अछूत। आम हरिजन की बात नहीं करता हूं। जहां छुआछूत का सवाल आता है बुद्धिजीवी, मास्टर, डाक्टर, वकील व्याख्याता, आपकी राजधानी, जयपुर में अगर कोई ट्रान्सफर होकर आ गया, किराये के मकान के लिये पूछता है, अधिकारी या कर्मचारी तो कहते हैं कि हां मिल जायगा। बाद में पूछेंगे कि तेरी जात क्या है, बैरवा, नहीं, बैरवाओं का मोहल्ला उधर है। कौन मेहतर, नहीं-नहीं, मेरा मकान देने का नहीं है।

**श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल :** माथुर, शिड्यूल्ड कास्ट्स में थोड़े ही आता है।

**श्री डूंगरराम पंवार :** माथुर नहीं, मेहतर। बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ आप देखें, आप पूछिये सरकारी कर्मचारी से जो हरिजन हैं, गिरदावर, पटवारी, नायब तहसीलदार, क्या जात? चमार, थानका, भंगी, बोरी बिछाकर नीचे बिठाते हैं और कर्मचारियों की हालत क्या होगी। आज इस देश के अन्दर अस्पृश्यता को गोविन्दबल्लभ पन्त ने कलंक बताया था, अस्पृश्यता कलंक है देश के लिए, वह अभी तक लागू है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किस मुंह से दावा करते हो।

**श्री सभापति :** समाप्त करें। काफी बोल गये।

**श्री डूंगरराम पंवार :** कि हमने हरिजनों को अपना लिया है। भारी छुआछूत है। भारी उसका अपमान है, जगह-जगह ठुकराया जाता है। और यही हाल सर्विस में है। अगर वेकेन्सी होती हैं, कोटा जरूर होता है लेकिन पहले से जो बैठे हैं एडवांस से राजघराने के वक्त से ही, श्रीवास्तव, भटनागर, माथुर, सक्सेना, शर्मा, वर्मा, चौधरी, गुप्ता, अग्रवाल, यह पहले से बैठे हैं तैयार। पहले पद भरकर वहां लिख दिया जाता है योग्य नहीं मिले, सारे अयोग्य हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बेरोजगार फिर रहे हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लेकिन उनको वंचित कर दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह का भेदभाव चल रहा है और जो पहले से लगे हुए हैं, उन्हें आज देखो तो दुख होता है। जब यह कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में सबका मान-सम्मान एक है, मान-सम्मान एक कहां है सारा असत्य है। जो अधिकारी आलरेडी लगे हुए हैं—

**श्री सभापति :** समाप्त करें।

**श्री डूंगरराम पंवार :** उनसे पूछिये अलग जाकर, रो देंगे। उनकी सबकी सी आर खराब कर रखी है जो शिड्यूल्ड कास्ट्स

(श्री डूंगरराम पंवार)

में हैं। मैंने भी सरकारी नौकरी की थी, मैं भी ऐसे जूतमजूत होकर आया हूं। रिजाइन देना पड़ा मेरे को 61 में। मैं भी सरकारी नौकरी में था।

**श्री सभापति :** अच्छा।

**श्री डूंगरराम पंवार :** लेकिन हमारा एरिया तो ऐसा है गंगानगर का, हम लाठी खेंच लेते हैं, बराबर मंजाई कर देते है।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :** आप कलक्टर थे कि तहसीलदार।

**श्री सभापति :** नौकरी क्यों छोड़ी आपने ?

**श्री डूंगरराम पंवार :** छोड़ दी छुआछूत की वजह से।

**श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल :** आप कलक्टर थे कि तहसीलदार।

**श्री डूंगरराम पंवार :** जो भी था, सरकारी कर्मचारी था, अधिकारी नहीं था, कर्मचारी था। अब इस वक्त लोगों के बार-बार तबादले और ऐसी जगह तबादले जहां पूरी उनको नसीहत मिले। इस तरह के ट्रांसफर किये जाते हैं। अभी-अभी एक महेन्द्र सिंह पंवार व्याख्याता है उसका ट्रांसफर टोंक से भरतपुर कर दिया गया। वह लोक प्रशासन का है, वहां अर्थशास्त्र में लगा दिया। है कोई ऐसी मिसाल ? क्या पढ़ाएगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसका जवाब दें। जिस व्यक्ति के पास लोक प्रशासन का सब्जेक्ट है,

**श्री सभापति :** कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य, काफी बोल लिये।

**श्री डूंगरराम पंवार :** अर्थशास्त्र में भरतपुर लगाया और एलिगेशन क्या कि इसका चरित्र ठीक नहीं है। वहां पर लगाने से चरित्र ठीक हो जायगा ? चरित्र का सर्टिफिकेट इन्हीं के पास है। जो हरिजन है उसका चरित्र खराब है। इस तरह के असत्य एलिगेशन लगा-लगाकर राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। सुखी कौन है जो ज्युडिशियरी में चला गया। वहां तो इनके बस की बात नहीं है। जो प्रशासन में उनको नाक से चने चबवा रखे हैं।

**श्री सभापति :** समाप्त करें काफी अच्छा बोल लिये।

**श्री डूंगरराम पंवार :** अच्छा तो नहीं बोला....

**श्री सभापति :** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री डूंगरराम पंवार :** और दूसरी बात है हरिजन कमजोर है, हरिजन को कमजोर समझ कर ही इनको छात्रवृत्ति दे रहे हो, रियायतें दे रहे हो लेकिन जब जमीन का अलाटमेंट होता है, जब आवासीय भूखण्ड अलाट होते हैं....

**श्री पोकरलाल परिहार :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिये कि आरक्षण की व्यवस्था किस पार्टी की देन है ? कांग्रेस पार्टी की देन है आरक्षण की।

श्री डूंगरराम पंवार : यह देन तो आप ही लोगों की है क्योंकि असली कांग्रेस का गला घोट दिया और नकली हो गये, मैं यह भी बता देता हूं स्वतंत्र संग्राम के अन्दर, जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे वह स्वतंत्रता सैनानी अभी तक बैठे हैं जिनका नामोनिशान नहीं है और जो यातनायें देते थे राजा-महाराजा और पूंजीपति जो अंग्रेजों के समर्थक थे आज सारे के सारे आप में आ गये हैं, वह कांग्रेस नहीं है नकली है। इसलिये यह आपकी देन है। आज पूंजीपति सब आपसे जुड़े हुए हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, फिर वह बोलेंगे इस तरह से टाइम खराब होगा।...

श्री डूंगरराम पंवार : जब चुनाव आता है बिरला, शाहू, गोयनका, तापड़िया तातिया इनकी कारें मिलती हैं आप सबको। और ताजा उदाहरण बताऊं, सीमेंट की लेवी क्यों हटा दी, लूटो, हमको दो जो 54 रुपये में लेवी का सीमेंट मिलता था अब 75 हो गया। और 65 पर्सेंट चीनी की लेवी थी घटाकर 50 कर दी। 15 पर्सेंट वह कह दी कि लाओ। वह त्रिमूर्ति लगी हुई है पैसे इकट्ठे करने के लिये चुनाव के लिये कहो तो नाम बता दूं।

श्री सभापति : समाप्त करें, विषयांतर हो रहा है।

श्री डूंगरराम पंवार : बहुत शोषण हो रहा है इसलिये कृपा करके सिर्फ हरिजन, हरिजन का नाम उछालकर के झूठे हितैषी मत बनो। इनके लिये सरकार से जो सुविधा है वह सही मायने में पहुंचनी चाहिये और आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर दिये जाने चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : इनके बच्चों की पढ़ाई और इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सरकार ऐसे कदम उठाये ताकि वह बीच के बिचौलिये न खा सकें और उन तक पहुंच सके। आपने मुझे टाइम दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : डा० जितेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कुबेर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कमला भाई।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, हमारा नम्बर आयेगा कि नहीं ?

श्री सभापति : आयेगा, नेक्स्ट।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब हमारा नम्बर होना चाहिये। उनके दो नाम आप बोल चुके।

श्री सभापति : इसके बाद बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अगर एबसेंट हैं तो हम बोलेंगे।

श्री मुल्तानाराम : सभापति महोदय, बीच में भी देखो। आप इशारा दोनों तरफ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कमला भाई, आप बोलें।

**श्री कमला भाई (लसाड़िया)** : सभापति महोदय, मांग संख्या 33 और मांग संख्या 30 को हाऊस में पेश की गई है। माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये सन् 1975 में जनजाति आयुक्त का कार्यालय उदयपुर में कायम किया। आज माननीय सदस्य कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया ? हमारे देश को नेता प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और हमारे प्रदेश के नेता मोहनलाल सुखाड़िया और माणिक्य लाल वर्मा, इन लोगों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का सुधार किया। आज उनके बनाये हुए क्रम संख्या 141 तक हैं। उनके सुधार के लिये योजना इन्होंने बनाई है, यह जरूर हो सकता है इसमें किसी काम में कमजोरी भी हो उसका सुधार जरूर होगा। माननीय सभापति महोदय, आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जो आरक्षण है शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का 16 प्रतिशत है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का 12 प्रतिशत है। आज हर पंचायत मुख्यावास पर मिडिल स्कूल है और हायर सैकेण्ड्री भी हो जायेगी....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : कब तक हो जायेगी।

**श्री कमला भाई** : हो ही रही है। उस जिले की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कायम होना चाहिये। माननीय सी. पी. साहब ने कहा तहसील लेवल पर ट्राइबल क्षेत्र में आई. टी. आई. खोलनी चाहिये। आज हमारे उदयपुर जिले में सात या आठ ट्राइबल के एम. एल. एज हैं, मगर एक ही तहसील बाकी है कि वहां कालेज नहीं खोली गई है। तो मैं माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर तहसील सब डिवीजन है और बहुमूल्य वहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर कालेज खोलना बहुत ही जरूरी है। खोलना न खोलना तो सरकार की मर्जी पर है पर मैं तो अपना सुझाव रख सकता हूं।...

(7.27 म. प.)

(श्री इकबाल अहमद, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा आज जो सी. पी. साहब ने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूं, कि उदयपुर जिले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चित्तौड़ में लैण्ड होल्डर कम हैं। वहां अरावली से भूमि लगी हुयी है। उस भूमि का सुधार करना बहुत जरूरी है। छोटी-छोटी जोत है। जहां जमीन ढालू है। वहां छोटे-छोटे नदी नाले हैं। वहां लघु सिचाई योजना लागू की जाये ताकि वहां की भूमि का कटाव होकर समुद्र में न जाये। मिट्टी बहने से मिट्टी चली जाती है और खाली चट्टान निकल आती है। तो वहां कोई वृक्ष भी पैदा नहीं होते हैं। आज कितने ही पैसे सामाजिक वानिकी में खर्च किये जाते हैं। इसलियें उन कटावों को रोका जाये तो उससे वहां का उत्पादन भी बढ़ेगा, वानिकी का भी सोर्स बढ़ेगा वहां की वन सम्पदा भी बढ़ सकती है तो इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को यह करना अनिवार्य है। हमारे प्रधान मंत्री जानते हैं कि कांग्रेस को जिन्दा रखने वाले कौन हैं। कांग्रेस को जिन्दा रखने वाला उदयपुर डिवीजन है, राजस्थान के अन्दर, क्योंकि मारवाड़ तो है, उदयपुर डिवीजन भी है।

(२५८)



(श्री कमला भाई)

आप देख लीजिये, 15 से लेकर आज तक मैजोरिटी उदयपुर डिवीजन की रही है और रहेगी.... (व्यवधान) राज तो राजस्थान में रहने वाली सभी जातियों का है पार्टी के अन्दर मगर कांग्रेस के वफादार वही आदिवासी हैं यह आप दिल से मानें या न मानें। आज यह कह रहे हैं, मुझे इस बात का दुःख है, आप हमेशा शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का नाम मत लीजिये, कारण यह लोग इस धरती पर पहले पैदा क्यों नहीं हुए। राजा महाराजा के जमाने में आपका भी समाज था, हमारा भी समाज था। आज इस हाऊस में एक मसला लेकर के खड़े हो जाते हो, कि बलात्कार, किस का होता है शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का। तो इतनी मोटी जनसंख्या के समाज को आप शर्मिन्दा क्यों करते हो। देखिये आप इस बात को सोचिये। दूसरा कोई नहीं है, परन्तु मेरी आत्मा में मुझे दुःख होता है.... मुझे यह दुःख होता है हमारे समाज से घृणा क्यों? हमारे में क्या कमजोरी है? आप जो बात कहते हैं वह मैं समझता हूं। कारण यह है कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के मतदाता ज्यादा हैं। आप उनका भला नहीं कर सके। 1977 में आप सरकार में बैठे मगर इन लोगों का भला नहीं कर पाये इसलिये आप लुढ़क गये। वरिष्ठ नेता महोदय, कारण यह है कि आपको वोट दे देते हैं जो सामंतशाही विचारधारा रखते हैं, या पूंजीपति वोट देते हैं इसलिये आपको उनकी पैरवी करनी पड़ती है। कांग्रेस हमेशा गरीबों का साथ देती आयी है, उनको नीचे से उठाया है, कांग्रेस की मंशा उनको ऊपर लाने की है और रहेगी। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने कुछ घोषणाएं की हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को पूरा आरक्षण दिया जाये। वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान वे होंगे, चालीस साल बाद होंगे मगर जरूर होंगे। यह हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी करेंगे।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, हमारे आदिवासी क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी है। बिखरी हुई आबादी में कम से कम 500 की जनसंख्या के गांव को मुख्यावास से जोड़ा जाये। वहां सड़कों का अभाव है। लोगों की धारणा और लोगों की मंशा क्या है वह मैं कह रहा हूं। इसके अलावा तहसील कार्यालय से तीस किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग रहते हैं उनको तहसील मुख्यावास से सड़क से जोड़ा जाये और यातायात से भी जोड़ा जाये ताकि आवागमन की सुविधा हो सके।

हमारे उदयपुर डिवीजन में धरियावाद और सलूम्बर में सोम और जाखम दो नदियां हैं। इन नदियों में लिफ्ट योजना लागू कर सिंचाई की सुविधा दी जाये तो वहां का उत्पादन बढ़ सकता है और गरीबों की गरीबी दूर हो सकती है।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री कमला भाई :** स्वास्थ्य के लिये डिस्पेन्सरी, रेफरल अस्पताल खोलने की बात कही जाती है। मेरे आदिवासी क्षेत्र में यह सुविधा कम मात्रा में है। पंचायत समिति मुख्यावास पर यह सुविधा खोली

(श्री कमला भाई)

जाये ताकि आदिवासी लोगों को सुविधा मिल सके। यह मेरी सरकार से मांग है।

माननीय सी.पी. साहब ने वन विभाग की बात कही है। यह हमारे गृह राज्य मंत्री महोदय भी जानते होंगे। मुख्य मंत्री महोदय भी जानते होंगे। मुख्य मंत्री साहब को तो कई बार मैंने निवेदन किया है। हमारे ट्राइबल एरिया में यह भयंकर समस्या है। आज भी लोगों के खिलाफ मुकदमें लगे हुए हैं। अदालत में मुकदमें चल रहे हैं। इनका भूमि पर कब्जा है। इन लोगों ने वहां पर मकान बना लिये हैं, कुए खोद लिये हैं और मेडबन्दी कर दी है। फलदार वृक्ष आम और महुवा के लगा दिये हैं और अब उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इसलिये वन भूमि पर जो काबिज है उसको रेगुलराइज करें, यह मेरी मांग है। यह वन विभाग की भूमि है।

इसके अलावा जो चरनोट की भूमि है वह कमाण्ड एरिया में है। इसको चरनोट में माना जा रहा है। पानी वहां होकर जाता है। दूसरे पैसे वाले लोग उस पर काश्त करते हैं। इस जमीन को कमांड में लेकर चरनोट से लेकर रेवेन्यू में परिवर्तित कर गरीब आदिवासी को एलाट की जाये ताकि इससे आदिवासियों का भला हो।

जो छात्रावास खोले गये हैं उनमें ऐसी कन्डीशन है कि बच्चों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। धरियावाद, बहराना मूंगाना और पालसोड़ा जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, वहां दस, पन्द्रह साल पहले के छात्रावास खुले हैं मगर भवन का अभाव है। छात्र किसी सेठ के मकान में रहते हैं या किसी ठाकुर साहब के मकान में रहते हैं जहां ठाकुर साहब के घोड़े, गधे बंधे रहते हैं। इस तरह आदिवासी के लड़के पड़े रहते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये और छात्रावास के भवन बनने चाहिये। जो कमी है उसको कह रहा हूं और आशा है इसको पूरा करेंगे। सुझाव देना मेरा काम है।

इसके अलावा इन्दिरा आवास कॉलोनी की जो योजना है, इसमें काम बहुत ही गलत हुआ है। इस हिसाब से गलत हुआ है कि एक ही जगह कॉलोनी बना दी। आदिवासी के पास छोटी-छोटी पांच, छः बीघा जमीन है, एक टुकड़ा यहां है, तो दूसरा वहां है इसलिये वे इस कॉलोनी में नहीं रह रहे हैं। मेरे क्षेत्र की बात मैं आपको बताऊं कि वहां कोई नहीं रह रहा है। वहां गधे के अलावा कोई नहीं रह रहा है।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य समाप्त करें। काफी बोल चुके हैं।

**श्री कमला भाई :** सभापति महोदय, यह योजना लागू की, बहुत अच्छा किया। योजना बेस्ट है परन्तु यह देखा नहीं कि कौन गरीब है। सरकार का पैसा खर्च हो गया परन्तु गरीबों को फायदा नहीं हुआ, उसका उपयोग नहीं हुआ। उपयोग के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इसका उपयोग होना चाहिये जो सरकार खर्च करे। यह योजना बन्द नहीं करनी चाहिये। जिस व्यक्ति के लिये मकान बने वह उसके खेत पर बनाया जाये ताकि वह उसके जानवर को वहां रख सके और अपने बाल बच्चों

(श्री कमला भाई)

को रख सके। यह होना चाहिये पैसा खर्च होता है और उसका सही उपयोग नहीं होता है तो वह बेकार हो जाता है।

सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया में कई पढ़े-लिखे लोग है, बी. ए एम. ए. सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, पढ़े-लिखे हैं परन्तु वे बेरोजगार हैं। उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 200/300 ऐसे पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। राजस्थान में कितने होंगे? इन पढ़े-लिखे आदिवासी बच्चों को रोजगार मिलना चाहिये उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वे चोरी करेंगे इसलिये इन लोगों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। यही मेरे सुझाव हैं। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री नवनीत जी।

**श्री उम्मेदीलाल** : सभापति महोदय, मैं ज्यादा न बोल कर दो मिनिट बोलूंगा।

**श्री सभापति** : माननीय श्री नवनीत जी।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 व 33 अनुसूचित जाति व जनजाति पर चर्चा चल रही है। मान्यवर, मेरा यह मानना है, सदन में जो आज चर्चा सुनी कई बातें मैंने इस चर्चा से सीखीं। आपके माध्यम से मैं सरकार को निवेदन करना चाहूं, याद दिलाना चाहूं कि हमारी सरकार जिन बातों को भूल गई याद कराना जरूरी है। अनुसूचित जाति व जनजाति ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा तबका रहता है, हरिजन शहरों में रहते हैं और अनुसूचित जनजाति गांवों में रहती है। हार का कारण, यह सारी योजनाएं फेल। करोड़ों रुपया केन्द्र से आया, हमारी बैंक थी सहकारी समितियां। सहकारी समितियों के भवन गिर गये तो हमारे आदिवासियों और पिछड़े तबके का ऊंचा आने का सवाल नहीं। क्योंकि हमारी बैंक गांवों में थीं वह बैंक के भवन नहीं हैं। बैंक ही अगर खतम हैं तो आर्थिक दृष्टि से किसान या पिछड़े तबकों का ऊंचा आने का सवाल नहीं आता।

रहा सवाल पढ़ाई का। प्राथमिक जो स्कूल हैं वह अभी तक गांवों व छोटे पहाड़ों में पहुंचे ही नहीं हैं। तो वहां शिक्षा का अभाव है और रहेगा। रहा सवाल न्याय और कोर्ट का, हमारी ग्राम पंचायत थी। हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरूजी ने 1959,2 अक्टूबर को नागौर में पंचायती राज सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इन तीन संस्थाओं का निर्माण किया था वह तीनों संस्थाएं आज फैल हैं। तो पिछड़ा तबके को ऊंचा उठाने की चर्चा चल रही है वह फेल होगी और फेल रहेगी। आप कितनी भी कोशिश करो, आप सफेद गाड़ियां लेकर गांवों में दौड़ते हो, सड़कों पर दौड़ते हो, इसका रिकार्ड रखते हो, रजिस्टर रखते हो उन रजिस्टरों से कुछ होना जाना नहीं है।

रहा सवाल आदिवासी व देहाती लोगों को ऊंचा उठाना। जंगल की बरबादी पशुपालन की बरबादी है। यह पशु खरीदने का जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है, सब जगह-जगह पशु खरीदे जा रहे हैं। मेलों में, हाटों में पशु दिलाओ। घास

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

दिलाग्रो। घास है नहीं, जंगल है नहीं। जंगल की रक्षा करो तो ग्रादिवासी या पिछड़े तबके की रक्षा हो सकती है। जंगल की रक्षा तभी हो सकती है कि बड़े-बड़े वन हैं वहां पर सड़क ग्रापकी घुस गई है सड़कों को बन्द करो। ग्रगर सड़क जंगल से होकर निकल रही है ग्रौर वन विभाग कह रहा है कि जंगल की रक्षा कर रहा हूं तो यह मेरी समझ में गलत है। क्यों गलत है ? इसलिये कि यह जंगल सड़क के माध्यम से शहरों की ग्रोर रवाना हो गया, विदेशों को रवाना हो गया। जंगल नहीं रहे तो ग्रादिवासियों का ऊंचा उठना या उसका जीवन ठीक ढंग से चालू रहना सम्भव ही नहीं रहा ग्रौर होने वाला भी नहीं है। ग्राप कितने ही मंत्री गांवों में दौड़ो, सड़कों पर दौड़ो, कितना ही करोड़ों रुपया खर्च करो, बजट पास करो, करते रहो, इससे कुछ होना जाना नहीं है क्योंकि उसकी व्यवस्था का नक्शा गलत फस गया है। सड़क जो जंगल के लिये गई है उस सड़क को बन्द करना पड़ेगा तब तो जंगल की रक्षा होगी ग्रन्यथा सम्भव नहीं है।

मान्यवर, सारे दिन से मैंने सुना मैं इस बात पर ग्रा पहुंचा हूं कि हमारे ग्रादिवासी व हरिजन की व्यवस्था में धन का दुरुपयोग जो रहा है उसकी सही रक्षा करने के लिये मेरी एक मांग है कि ग्रलग से जिला मुख्यालय पर कलक्ट्री कार्यालय की शाखा कायम की जाय। ग्रलग से व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो सामूहिक कलक्ट्री में हमारी व्यवस्था चालू है उससे पैसे की वितरण व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही है। तो मैं यह मांग करता हूं कि ग्रलग से कलक्ट्री कार्यालय हर जिला हैड क्वार्टर पर कायम किया जाय ग्रौर जो केन्द्र से पैसा ग्राता है या राज्य से पैसा ग्राता है उसकी वितरण व्यवस्था उस कलक्ट्री शाखा से हो। कलक्ट्री शाखा नहीं खोलो, ग्राप एक बाबू बैठा दो, ग्रादिवासी, हरिजन के लिये एक बाबू काफी है पूरे जिले में। वह उसी से बात करे, उसका नाम कलक्टर रख दो। उसमें ज्यादा झंझट की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में वह देखे कि यह पैसा कहां गया। तालाब से पानी छूटा वह खेत में सप्लाई हो रहा है या नाले में गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिये यह योजना फेल है ग्रौर हम फेल रहे हैं। केन्द्र ग्रौर राज्य सरकार का पैसा, बजट कितना भी पास करा लो लेकिन यह जो हम फेल हो रहे हैं वह इस जगह हो रहे हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : हम नहीं, ग्राप फेल हो रहे हैं।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : हम भी फेल हो रहे हैं इसमें। हम भी फेल हो रहे हैं, सुबह से बैठे हैं तभी ग्रब बोल रहे हैं।

ग्रब, मान्यवर, मेरा यह कहना है, ग्रनुसूचित जाति, जनजाति को ऊंचा उठाने की सरकार योजना बना रही है, इनके पिछड़ने का कारण क्या है ? ज्यादातर खेतिहर मजदूर हैं। मजदूरी के रेट्स ग्रापके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, तीन-चार लाइनें पढ़ना चाहूंगा। मैंने एक नक्शा तैयार किया है, यही हालत पूरे राजस्थान ग्रौर देश की है। मुझे ग्रनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का सदस्य के नाते दक्षिण भारत में भी घूमने का मौका मिला, उड़ीसा, ग्रान्ध्र प्रदेश, केरल ग्रन्य सदस्यों से भी जानकारी लेने

(222)



(श्री नवनीतलाल नीनामा)

का मौका मिला। परिस्थिति क्या है हमारी ? आज बांसवाड़ा जिले का नक्शा, पिछड़े तबके के साथ अन्याय क्या हुआ, वह मैं पेश कर रहा हूं। बांसवाड़ा जिले में 7000 नाजायज कब्जों की मिसले आज हरिजन और आदिवासियों पर चल रही हैं। उसका तहसीलवार ब्योरा इस प्रकार बांसवाड़ा की नाजायज कब्जों की मिसलें 12000, घाटोल में 9000, बागीदोरा तहसील में 12000, गढ़ी तहसील में 14000, कुशलगढ़ तहसील में 13000 इस प्रकार 60 हजार नाजायज कब्जों की मिसलें आज की तारीख में चालू हैं। 1981–82 से लेकर 85–86 तक नाजायज कब्जों से दण्ड और पैनल्टी का कितना आया ? साढ़े तीन लाख रुपया बांसवाड़ा का लगान है और पांच वर्षों की पैनल्टी 21 78,515 रुपये है। यह गवर्नमेंट का आंकड़ा है। हर साल किसानों के साथ यह परिस्थिति है। यह कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, तहसीलदार से, तहसीलदार के बाबुओं से आंकड़ा निकाला हुआ है। 21,78,515 रुपये नाजायज कब्जों से वसूल हो रहे हैं। अब आप हमको ऊंचा उठाना चाहते हो या पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने की योजना चल रही है, इस तरह से ऊंचा उठ रहे हैं। हमारा जो शोषण हो रहा है, पिछड़े तबके का जो शोषण हो रहा है वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इनका पता तक नहीं है।

मान्यवर, साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा अभी मेरे पूर्व वक्ता वन विभाग की चर्चा कर रहे थे। मैं शोषण का नमूना बताना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का। पंचायत कांजी का गडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में निम्नलिखित पाड़े व मजदूरों की जनसंख्या है। जनसंख्या इस प्रकार है। 730 मकान हैं, वोट देते हैं कांजी का गडा पंचायत में और इनका सारा राशन, शक्कर, गेहूं ग्राम पंचायत घाटोल में जाता है। वहां के सरपंच ने बार-बार मांग की। मेरे सामने यह नक्शा है जो मैं आपकी टेबल पर रखना चाहता हूं। इस तरह से शोषण हो रहा है। पूरा लिखा लिखाया रेकार्ड आता है वोट कानजी का गढ़ा में पड़ता है वोटर लिस्ट कानजी का गढ़ा बनी हुई है। इसकी पूरी शासन व्यवस्था है। अब जवाहर योजना का पैसा मिला है वह भी घाटोल पंचायत समिति में जमा हो रहा है। इस प्रकार का गलत का नक्शा, सामने रेवेन्यू अफसर बैठे हैं, अन्य अधिकारी बैठे हैं, फिर भी उनको देखने की न तो फुरसत है न कोई देखने के लिये विचार करता है।

मान्यवर, पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने के लिये राज्य सरकार ने चयनित परिवारों की जो व्यवस्था की है। मैं पढ़ना चाहूंगा, ग्राम पंचायत चन्दुजी का गढ़ा में चयनित परिवारों का जो विकल्प बनाया गया है। एक से लेकर 18 तक चयनित परिवार है उनको आज तक कोई विकल्प नहीं दिया गया है। मैं उनके नाम पढ़ना चाहूंगा। यह तीरगर जाति के व्यक्ति हैं सरगड़े, हरिजन कहें, जो तीर बनाते हैं उनको लिया गया है। उनके नाम हैं :—

1. देवा पुत्र मगुड़ा तीरगर
2. मोगा पुत्र धनजी ,,
3. मणीलाल पुत्र मोगजी ,,
4. गलती पुत्र कूरीया ,,

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

5. मंगूलाल पुत्र गौतमलाल तीरगर
6. कवा पुत्र खेमजी ,,
7. वेलिया पुत्र मोगजी ,,
8. भूरा पुत्र धनजी ,,
9. कचरू पुत्र धनजी ,,
10. प्रताप पुत्र नाथू रावल
11. नगा पुत्र आकरिया ,,
12. धूलिया पुत्र गौतम ,,
13. प्रभु पुत्र हीरा ,,
14. कानजी पुत्र कोदर ,,
15. रतना पुत्र रंगजी ,,
16. लगजी पुत्र धनजी ,,
17. हरदारिया पुत्र पूजिया ,,
18. मगला पुत्र धनिया ,,

यह चयनित परिवार के व्यक्ति ग्राम पंचायत चन्दुजी का गढ़ा तहसील पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा के हैं। वहां के सरपंच केसरीमलजी से मैं दस बार मिला। यह प्रमाण बता रहा है, राजस्थान का रेकार्ड है। यह हालत है। तो चयनित परिवारों को ऊंचा उठाने की योजना चलाई जा रही है। आज पंचायत राज पुस्तिका में यह पोषाहार कार्यक्रम बताया गया है। इस पोषाहार कार्यक्रम में हमारे यहां गत वर्ष 87-88 में ग्राम पंचायत घाटोल में वितरण व्यवस्था ऐसी की गई कि 4 लाख रुपया ग्राम पंचायत घाटोल में आया और एक लाख रुपया ही वहां वितरण हुआ। वहां पंचायत समिति के विकास अधिकारी और प्रधानजी ने ऐसा नक्शा बनाया कि कहीं तो टोकरियां बनवाईं, कहीं सन कटाई की ट्रेनिंग दी। अब रस्सियां और टोकरियां बनाने में तो पीढ़ियां निकल गई आदिवासियों की। अब सरकार इसमें क्यों फंस गई है जाकर के। क्या जरूरत है? वहां टोकरियां बनाने के लिये सरकार पहुंच गई। केन्द्र सरकार पहुंच गई। मैं राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के, देश के प्रधान मन्त्री पर आरोप लगाता हूं, रस्सी बनाने के लिये गवर्नमेंट दौड़ पड़ी, क्या जरूरत है, क्यों बरबाद होते हो? हमारा परम्परा से धन्धा, महिलायें करती हैं, बच्चे करते हैं। पेड़ों के नीचे करते आये है, करते चले जायेंगे। आप हमारे धन्धे पर क्यों निगरानी रखते हो और इसी प्रकार पोषाहार कार्यक्रम पर पिछड़े हुए तबके का पैसा लगाकर फार्म भर देते हो और अपनी मोटर साइकिलें खरीदना शुरू कर देते हो। तो यह क्यों? इतना अन्याय क्यों है हम पर? यह अन्याय है क्योंकि इसका मुकाबला करने के लिये हमारे पास ज्ञान नहीं है। सत्यनारायण की कथा नहीं है। पहले भी मामला चला था बीकानेर की तरफ, तो वही हालत हमारी होगी जो वहां हालत हो गई थी पहले।

**श्री सभापति :** समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** तो करोड़ों रुपया इस तरह से पिछड़े तबके के नाम पर बहाया जाता है। यह एक भारी भूल है।

मान्यवर, यह जो इन्दिरा आवास योजना बनाई। मेरे से पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने कहा। परिस्थिति यह है कि वह माननीय सदस्य और मैं पूरे दक्षिण भारत में घूमे हैं। उन्होंने ठीक कहा है।

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

यह आवास योजना जयपुर की सड़कों पर जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, उनकी योजना है। कहां किसानों के घर पहुंच गये आप, यह मेरी समझ से बाहर है। किसान और आदिवासी देहातों में गरीब हैं लेकिन उनको बड़ा मकान चाहिए यह जो पान का गल्ला लगाते हैं, कम्पनी में मजदूरी करते हैं उनकी योजना है। आप किसान के घर पहुंच गये। वहां बैलगाड़ी रखनी पड़ेगी। कुत्ते रहेंगे, ऊंट रहेगा। किसान को कितना लम्बा-चौड़ा मकान चाहिए। इसमें यह जो सड़क के किनारे गरीब लोग बैठे रहते हैं उनकी योजना है और भूल करके किसी का खोपड़ा खराब हो गया और बड़े-बड़े खेत और प्लाट वाले लोगों के पास इन्दिरा आवास योजना को लेकर पहुंच गये।

**श्री सभापति** : समाप्त करें। बहुत बोल चुके आप।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूं, भुगत भी रहा हूं और करोड़ों का खर्चा भी मेरे पर ही हो रहा इसलिए कहना पड़ रहा है। अभी गत अभियान में आदिवासियों और पिछड़े तबकों को ऊंचा उठाने की योजना में हल्का पटवारी मुगसेल में जो अभियान चलाने की तैयारी की है उसमें पासिया पुत्र सोमवारिया, हुरजी पुत्र जीवणा, नाकू पुत्र भोगला, नाकू पुत्र तेजिया हर किसान से 40-40 रुपये चन्दा लिया। यह लिस्ट में टेबल पर रख दूंगा। इस तरह का छिछलापन हर अधिकारी द्वारा पटवारी, ग्राम सेवक, मास्टर, डॉक्टर पढ़े-लिखे हैं। अनपढ़ लोग कहते हैं कि पढ़े-लिखे होने से व्यक्ति ज्ञानवान होता है और यह पढ़े-लिखे व्यक्ति शोषण करते हैं तो क्या इनको ऐसी पुस्तक दे दी गई है? ऐसी पुस्तक कहां से आती है जिसमें यह ज्ञान भी होता है नवोदय विद्यालय में कहीं आ गई हो तो वह बात अलग है। तो करोड़ों रुपये इस तरह से गलत रास्ते से खाने के तरीके अपना लिये जाते हैं। तो मेरी मांग है कि इस प्रकार की गलत व्यवस्था जो सरकार की हो रही है उसके लिये 3 संस्थायें ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और प्राइमरी स्कूल तीनों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाय यह मेरा आग्रह है राज्य सरकार से और जिला स्तर पर जो आते हैं हमारे राजस्थान के जनजाति आयुक्त उदयपुर में बैठे हैं, 1975 से इस योजना की व्यवस्था की गई। मान्यवर, इन डायरेक्टर साहब से कई बार मेरे को मौका मिला।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : तो हमको यह इस प्रकार समझाते हैं कि यह एम. एल. ए. हैं और यह भी हम से सीखने आये हैं। मान्यवर, हमारे सामने राज्य मन्त्री भैरूंलाल जी मीणा विराजे हुए हैं मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं सिरोही जिले में आदिवासी छात्रावास की हमने चैकिंग की, छात्र को एक तरफ लेकर पूछा कि यह चद्दर खादी की कब से दी है तो बोला, आज ही दी है और कल वापिस देनी है। यह लड़के का बयान मिला। अब कहां तक बरदाश्त करें। हमारा तो निवेदन करना है कि आप खेती करने की जो जमीन है वह हमारे नाम कर दीजिये। देहातों में ज्यादा

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

से ज्यादा जमीन अलॉट कर दी जाय यह हमारी मांग थी। वह जमीन अलॉट नहीं की गई और करोड़ों रुपया दण्ड और पैनल्टी के रूप में, आपके सामने यह नक्शा रख ही रहा हूं। इस पर विचार करें।

पंचायती राज के नाम पर क्या कहूं, बाड़िये बना बना कर प्रधान और प्रमुख के चुनाव जीत जाते हैं। मैं कहता हूं कि यह कौरव-पाण्डवों में जो हुआ था, लाख का मकान बनाया गया था। आज की तारीख में अगर एक तालाब में जहर डाल करके सौ चुनाव अधिकारी कैम्प लगाते हैं उसमें एक तावड़े में जहर डाल दो, सब ढेर हो जायेंगे वहां पर।

(8.00 रात्रि)

आज विकास के नाम की चर्चायें वैसे चल रही हैं। आजादी आ गई पंचायती राज हो गया। जिनके पास में काम करने की योजनायें, जिनके पास में पैसा था वे आदमी प्रधान बने, प्रमुख बने, सरपंच बने।....
(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस पंचायती राज में आदिवासी और हरिजन गरीब तबके को ऊंचा उठाने की योजना सरकार बनायेगी। इसलिए मान्यवर सभापति महोदय,....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें। चेयर को सहयोग करें।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : मैं चेयर को सहयोग ही कर रहा हूं। इस तरह से यह अन्याय क्यों? मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में जो जवाहर योजना के नाम से पैसा आ रहा है। राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार और यह कांग्रेस पार्टी अब पीछे जा रही है। अभी तो कुछ दिन पहले यह था कि प्रधान मन्त्री के नाम से पेड़ लगाओ। इनके नाम से करना है तो करो। अब वापस जवाहर योजना आयी है। अब तो गांधी भवन बनेंगे आइन्दा से। पीछे जा रहे हैं। मतलब वापस गांधी जी, विनोबा जी, इस तरह से उतरते जाओ नीचे। आज यह हालत क्यों हो गयी है? अब आप में योग्यता नहीं है। आपके अफसरों में काम करके ऊंचा उठाने की योग्यता नहीं है। तो इस तरह से गई गुजरी बात के नाम से योजना बनाया जाना इससे स्पष्ट होता है कि हमारे में योग्यता नहीं है। तो मान्यवर मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिये नहीं, न ही मेरे लिये है। मेरे में काम करने की योग्यता नहीं है, मैं गांव में सही पब्लिक की सेवा नहीं कर सकता इसलिए मैं मेरे बाप की पुकार करता रहता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों है? एम. एल. ए. तो मैं हूं और बाप के नाम की योजना का भाषण देता हूं। ऐसा क्यों? तो मेरा यह कहना है आपके सामने....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य समाप्त करें। बहुत लम्बा बोल चुके हैं। समाप्त करें। बैठें कृपया।

**श्री पोकरलाल परिहार** : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन था कि माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि जवाहर योजना जो लागू की है सिर्फ इन्होंने कागजों में देखा है पढ़ा नहीं है। यह कितनी

(श्री पोकरलाल परिहार)

उपयोगी योजना है। पंचायतों को सीधा चैक देकर के निर्माण के काम होंगे।....

**श्री सभापति** : आप बैठें माननीय सदस्य।

**श्री पोकरलाल परिहार** : देखिये, जवाहर योजना की आपको पूरी जानकारी नहीं है। कम से कम बोलने से पहले पूरी जानकारी रखिये।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : मैंने हिन्दुस्तान का इतिहास पढ़ा है। महात्मा गांधी के वे लोग कौन-कौन हैं जो आजादी के लिये आये थे। यह प्रजामण्डल के नाम से आजादी मिली है, कांग्रेस के नाम से नहीं। यह तो....

**श्री पोकरलाल परिहार** : महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं। यह जनता राज है। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : मैं यह कागजात सदन के पटल पर रखता हूं।

**श्री सभापति** : हां, यहां रख दीजिये।

**श्री पोकरलाल परिहार** : सभापति महोदय, इनको जवाहर योजना के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, तो इनको अध्ययन करके आना चाहिये।

**श्री सभापति** : आप बैठें।

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल मेघवाल।

**श्री देवीलाल** : सभापति जी, म्हारी भी अर्ज सुनियो। (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय मांगीलाल जी बोलिये आप।

**श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)** : सम्माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति और जनजाति के बजट पर मांग संख्या 30 और 33 पर जो विचार किया जा रहा है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

सम्माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये, गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये जो राज्य सरकार द्वारा योजनायें बनायी जा रही हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो यहां राजस्थान में है वह अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम है। इसके माध्यम से चाहे वह कुओं को गहरा करने की योजना हो, बिजली पहुंचाने की योजना हो, वानिकी के माध्यम से पेड़-पौधे लगाने की योजना हो, आॅटो रिक्शा हो, दुकान हो, लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही हो, छात्रावास बनाने की योजना हो। ये सारी योजनायें अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से सम्पन्न कराई जा रही है। सौभाग्य का विषय है 29 मार्च 1980 को जब से अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की स्थापना हुई आज तक केन्द्र

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

सरकार से 72 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के निमित्त दिया गया है। बड़े दुःख का विषय है माननीय सभापति महोदय, करोड़ों रुपयों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ, 7-8 वर्ष में फालतू पड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो योजनायें बनायी हैं और उसके माध्यम से जो पैसा खर्च किया है, यह मैं अपने घर से नहीं यह जो महालेखाकार ने ऑडिट किया है उसकी रिपोर्ट है जो मेरे को विधान सभा प्रश्न के माध्यम से दी गई है। इसमें ऑडिट आब्जेक्शन लगाया गया है। किस तरह से यह शिड्यूल्ड कास्ट्स के पैसे को उन लोगों के विकास के लिये उपयोग कर रहे हैं। यह मैं आपके सामने पेश करूंगा।

सभापति महोदय, 31.3.1982 को 45 लाख रुपया चमड़ा उद्योग निमित्त भीनमाल, जालौर, हरमाड़ा, अजमेर और जयपुर के किसी भी क्षेत्र में तीन चमड़ा उद्योग लगाने के लिये 45 लाख रुपये की योजना बनी। बाकी बहुत दुःख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें से आज तक एक पैसा खर्च नहीं होकर के 7 वर्षों से यह पैसा बेकार पड़ा है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, शहरों में गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये दुकानें बनाने की योजना चलाई गयी। इसके निमित्त 31.3.1983 को 98 लाख रुपया दिया गया और 31.3.1684 को 51 लाख रुपया। इस तरह से 150 लाख रुपया जो दुकानें बनाने के लिये दिया गया है उसका भयंकर रूप से दुरुपयोग होकर के आज भी इसके निमित्त 62 लाख रुपया फालतू पड़ा है। दुकानें कहीं बनी नहीं और बनी तो किस तरह से बनी। मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सिरोही से आने वाले ने बताया था कि श्मशान में बनी है। शहर से तीन किलोमीटर दूर बनी हैं, जहां पर कोई अनुसूचित जाति का भाई दुकान लगाकर के अपना धन्धा करके अपनी रोजी-रोटी नहीं चला सकता है। इस तरह से आज की तारीख में भी 7-8 वर्ष में 62 लाख रुपया पड़ा है जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लघु उद्योग चलाने के लिये 1981 में 10 लाख रुपया दिया गया और 5 लाख रुपया हिस्सा खरीदने के लिये। तो माननीय सभापति महोदय, इस 15 लाख रुपये का कोई भी उपयोग नहीं होकर के यह फालतू पड़ा हुआ है। किस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह से इस सहकारी विकास निगम के माध्यम से ऑटो रिक्शा की एक योजना बनायी गयी। ऑटो रिक्शा का लक्ष्य रखा गया जो आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। पैसे पड़े हैं सन् 85-86 में सात लाख रुपये कोटा की स्टेट बैंक आफ इन्दौर शाखा को दिये गये। मगर उनको पांच वर्ष से कोई पैसा नहीं दिया गया। यह पैसा किसको दिया गया? बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुन करके राजस्थान मोटर्स, प्राइवेट संस्थान को। और राजस्थान मोटर्स प्राइवेट संस्था द्वारा उस पैसे में से किसी भी एस. सी. के भाई को ऑटो रिक्शा नहीं दिया गया। और अधिकारियों ने बैठ करके निर्णय लिया पांच साल बाद पैसा ढाई पर्सेण्ट ब्याज सहित वापस ले लिया

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जाये। ढाई पर्सेण्ट ब्याज तो चालू खातों में भी बैंकों में नहीं दिया जाता है। इस तरह से व्यक्तिगत आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिये सात-सात लाख रुपये पांच-पांच वर्ष तक दिये जा रहे हैं और अनुसूचित जाति के आदमियों को कोई भी ऑटो रिक्शा की योजना नहीं दिया जा कर उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने स्टेट एण्टरप्राइजेज डिपार्टमेंट को पांच लाख रुपये राजस्थान स्टेट, टेनेरीज को दिया, जिसको आज दिन तक मिला कर चार लाख 39 हजार रुपये ब्याज होता है। यह सारा मैं अपने घर से नहीं, ऑडिट के आक्षेप लगाये गये हैं, आज माननीय मंत्री महोदया आप विशेष ध्यान दें। यह सफेद हाथी जो पाला जा रहा है, और 72 करोड़ रुपये का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है यह उसकी एक बानगी है। राजस्थान के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, उनको विभिन्न व्यावसायिक बैंकों को हिस्सा पूंजी के रूप में मार्जिन मनी 83 और 84 में दी गयी। स्टेट बैंक आफ बड़ौदा अजमेर को दो लाख रुपया दिया गया, राजस्थान बैंक जनता कॉलोनी जयपुर को एक लाख 19 हजार रुपये। राजस्थान बैंक टोंक को एक लाख रुपये, राजस्थान बैंक बून्दी को एक लाख राजस्थान बैंक सवाई माधोपुर को, एक लाख रुपये और उदयपुर को एक लाख रुपये। इस तरह से सात लाख 19993 रुपये दिये गये। इस पैसे में से एक कानी कोड़ी भी आज तक किसी शिड्यूल्ड कास्ट के भाई को नहीं दी गयी और यह पैसा आज भी वहां पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, 30-3-82 को किसानों के खेतों पर पेड़ लगाने की एक योजना बनाई गयी, और योजना मात्र दस लाख रुपये की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा कृषि विभाग से सम्बन्ध रहा है, पेड़ों के बीज बोए गये, बीज बीस दिन में नर्सरी तैयार होकर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। बहुत आश्चर्य का विषय है। किसी सब्जी का नहीं, छायादार पेड़ों की नर्सरी लगायी गयी और बीस दिन में वह पौधा तैयार होकर के ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इस तरह की एक असत्य योजना और किनके यहां? लघु सीमांत कृषकों के यहां एस. सी. के किसानों के पास जमीन ही बहुत कम है और उसके बाद में यह पैसा कितना दिया गया? मेरे किसी गरीब भाई को आठ हजार पेड़ दिये गये, किसी मेघवाल भाई को सात हजार पेड़ दिये गये, ऐसा सम्भव है? सौभाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति कमेटी का सदस्य होने के नाते हमने इसको एक्जामिन करना चाहा। दुःख का विषय है कि इस तरह का षड़यन्त्र करके किसी भी एडपोस्ट पर हमको ले जाकर सत्यापन नहीं करवाया गया और हमने बजट सत्र 85 में 2 जुलाई को यह मामला यहां हाउस में मैंने और हीरालाल जी आर्य ने उठाया। तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने इसके लिये जांच कराने की बात कही थी। पर यह जांच और आश्वासन सब असत्य साबित हो रहे हैं और क्योंकि एस सी. के पैसे आप लोगों के लिये खाने को हैं, उन लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिये होता तो आज इस तरह की योजनायें नहीं बनती। 10 लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

एवं आज तक किसी भी पंचायत समिति के माध्यम से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट निगम को प्राप्त नहीं हुए हैं। और, इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है।

इसी तरह से राजस्थान वित्त निगम को एस. सी. के लोगों को लघु उद्योग, उद्योग लगाने के लिये ताकि वह कुछ धन्धा करके अपना जीवन ऊंचा उठाये, 20 लाख रुपये 14-8-80 को दिये गये और उसका ब्याज भी ऑडिट ने लगाया है 1,82,833 रुपये आज नौ वर्ष से पड़े हैं और उनका कोई उपयोग नहीं। यह 72 करोड़ रुपये आपके पैसे नहीं हैं, राज्य के पैसे नहीं हैं, यह केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है और उस पर आफीसर और आप लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो कई ऐसे मामले थे वह अभी तक सामने नहीं लाये गये हैं। जो ऑडिट के सामने नहीं लाये गये। वह भी बहुत सारे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट को 20 लाख रुपये दिये गये वह उसकी ऑडिट के सामने नहीं लाये गये। इस तरह से दो करोड़ रुपये दिये हैं, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, अगर आप में थोड़ी नैतिकता हो, तो इस पैसे का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो और सहकारी विकास निगम में जो प्रबन्ध निदेशक बैठे हैं उनको वहां से तत्काल हटाया जाये। और उनकी जगह किसी अनुसूचित जाति के आई. ए एस. अधिकारी को बैठायें। ताकि जो योजनाएं बनायी जा रही हैं इनका सही उपयोग हो, गरीब भाइयों को पैसा मिले, उनका जीवन स्तर उठे, जो पैसा हो, उसका उपयोग हो, इसलिये मेरी मांग है कि उनको तत्काल हटाया जाकर और अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाए क्योंकि वहां वर्तमान में मिस्टर अग्रवाल बैठे हैं। इन्होंने यह मेरे पास तीन आदेशों की प्रतियां हैं, कि वित्त विभाग ने इन पर पाबन्दी लगायी थी कि 27 अगस्त, 87 को, कि कोई भी सहकारी नियुक्ति नहीं की जायेगी और न कोई पर्चेजिंग की जायेगी। लेकिन बहुत दुःख का विषय है कि 27 को प्रतिबन्ध लगाया गया था और उसके बाद में 7-8 नवम्बर को 58 कर्मचारियों को अपनी मन मर्जी से, उनसे पैसे खा कर के नियुक्तियां दी गयी हैं। दूसरा आदेश 24-3-88 को दिया गया जिसके मुकाबले में भी 31-3-89 को 7-8 और 9 जून को कर्मचारियों को नियुक्तियां दी गयी और इसी तरह से सरकार के आदेशों के बाद भी कि कोई भी नई नियुक्तियां नहीं की जायें और पर्चेजिंग नहीं की जाये, उसके बाद में भी 12 नई कारें खरीदी गयीं। जबकि पूर्व में वहां पर सारी व्यवस्थायें थीं। अधिकारियों की कोई संख्या नहीं बढ़ायी गयी फिर भी अपना कमीशन प्राप्त करने के लिये 12 नई कारें खरीदी गयीं। वहां पर्याप्त टाइप मशीनें होने पर भी छः इलैक्ट्रिक टाइप मशीनें खरीदी गयीं जिसमें एक की कीमत 30 चालीस हजार रुपये होती है। फोटो स्टेट की जो मशीन है, वह समाज कल्याण के दफ्तर से फोटो स्टेट की जा सकती है इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सवा लाख रुपये की फोटो स्टेट मशीन अपना कमीशन खाने के लिये खरीदी गयीं। पी.पी. एक्स के माध्यम

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

से काफी दुरुपयोग किया गया है हजारों रुपये अनावश्यक रूप से। यह सारा आक्षेप ऑडिट में लगाया गया है। तो मेरी मांग है कि पूरी जांच करवाकर इन दोषी अधिकारियों को वहां से हटाया जाये।

यही आर्थिक प्रोग्राम हैं, जिसके माध्यम से इन अनुसूचित जातियों के भाइयों का जीवन स्तर उठाया जायेगा, जिसकी बानगी मैंने आपके सामने रखी है। दूसरे और कई कार्यक्रम हैं जो समाज में समानता लाने के लिये राज्य सरकार द्वारा केवल कागजों में बताये गये हैं, जातिवाद को मिटाने, जैसे छूआछूत के कार्यक्रम बना रखे हैं राज्य सरकार जवाब क्या दे सकती है कि छूआछूत के मामले में कितने लोगों को आज तक सजाएं हुई हैं? आपने एक कार्यक्रम बनाया समाज कल्याण के माध्यम से। जो कोई भाई अपनी जाति में विवाह नहीं करके अन्तर्जातीय विवाह करता है राज्य सरकार ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में दिया है कि उसको पांच हजार रुपये दिये जाते हैं। यह मेरे 1980 से लेकर अभी तक के आंकड़े हैं जो विधान सभा के माध्यम से दिये गये हैं, मात्र सात युवकों को अन्तर्जातीय विवाह के मामले से पैसे दिये गये हैं। अभी-अभी मेरे विधान सभा प्रश्न के बाद में माउण्ट आबू से एक भाई देवीराम बैरवा ने मुझे पत्र लिखा। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदया को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी और सारे प्रमाण दिये हैं कि उसके फोटो हैं और उसके बाद में भी समाज कल्याण विभाग से क्या उत्तर आया आप आर्थिक दृष्टि से इस काबिल नहीं हैं। जहां जाति का मामला आता है, वहां आर्थिक दृष्टि कहाँ से आ गयी? अगर आर्थिक दृष्टि से किसी विशेष जाति का मामला हो तो माननीय बूटासिंह जी को किसी अनारक्षित सीट से लड़ने दीजिये, वह आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, आज महामहिम जो राज्यपाल बन कर यहां से गये हैं जगन्नाथ पहाड़िया, उनको भी किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं है। यह आर्थिक दृष्टि के मामले लेकर के जाति में अवरोध पैदा करने की सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। अगर आप में नैतिकता है, तो आप घोषणा करें अभी कि जहां भी अन्तर्जातीय विवाह कोई भाई करता है, तो उस पर किसी तरह का आर्थिक या किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं अटकायेंगे। पहले तो छूआछूत की बात आ गयी। प्रदेश में माउण्ट आबू का सर्टिफिकेट दिया गया। बाकी इसको नकारा है। यह आदमी साल भर से रो रहा है, अभी कोई पैसा दिया ही नहीं है। यह सामाजिक समानता लाने का एक नमूना है। अगर इसी तरह से कहीं कम्पीटिशन की बात, तो आप देखिये। जोधपुर विश्वविद्यालय में प्राणीशास्त्र कोई एक छात्र, मानाराम प्रतापराम मेघवाल ने जैसलमेर में कम्पीटिशन में 12 सौ में से 781 नम्बर प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने का हकदार था। बाकी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किस प्रकार का षड़यन्त्र किया जाता है वहां की एक कोई रेखा सक्सेना नाम की लड़की है, उसकी दो मुआएं वहां प्राध्यापक हैं, इस नाते इस आदमी को खिसका कर नीचे कर दिया। इस आदमी ने राज्यपाल महोदय को, माननीय नरपत राम बरबड़ जी को, मुख्य मंत्री जी को लिखा और मेरे जैसलमेर से

(श्री माँगीलाल मेघवाल)

आने वाले माननीय सदस्य श्री मुल्ताना राम जी ने विधान सभा के समक्ष उठाया, न जाने क्या हुआ होगा ? इस तरह से योग्य लोगों को भी षड़यन्त्र करके धकियाये जाने की जो योजना बनाई जा रही है, इस तरह के जो षड़यन्त्र किये जा रहे हैं, इनको रोका जाय। जहां आरक्षण की बात आई, मैं आपको यह कहता हूं....

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : किसी भूखे को अगर रोटी देनी हो तो उसकी चार रोटी की क्षमता हो तो उसको एक साथ दे दीजिए, उसका पेट भर जायेगा। आपकी ऐसी गलत नीति है कि आप एक रोटी देते हो और जोर से कहते हो कि हमने रोटी दे दी है। फिर जब चुनाव का मौका आता है तो आपको विश्वास है कि वह आपके साथ नहीं रहेगा तो फिर आप आधा टुकड़ा और देते हो और फिर कहते हो कि देखो हमने दो रोटी दे दी है। फिर जब मौका आता है, उसका पेट कुलबुलाता है, वह आपसे बगावत करता है तो फिर तीसरा टुकड़ा देते हो। इस तरह से आपने आरक्षण की नीति बना रखी है। अगर सही अर्थों में आप आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो एक साथ दीजिए। मैं आपको चुनौती के साथ यह कहता हूं कि दो डिपार्टमेंट में आप आरक्षण पूरा कर दीजिए। पहला है आपका देवस्थान विभाग, जहां के कितने पुजारी किस तरह से आरक्षण में लगाये जायं उनको लगा दीजिए। दूसरे, आपकी स्वायत्तशासी संस्था है, उसमें सफाई कर्मचारी लगाइये किसी पण्डित को, झाड़ू लगवाइये सड़कों पर। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आरक्षण की व्यवस्था कैसी है। मैं नहीं चाहता कि किस तरह से कहां होता है ? आरक्षण की व्यवस्थाओं की बात आयेगी। मेरे पूर्व वक्ता परबतसर से आने वाले माननीय साथी ने कहा था, अभी-अभी 19 जून को विधान सभा की कमेटी ने शिक्षा विभाग का सत्यापन किया था। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापकों को यह कहा कि उनका अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन नहीं हुआ है, उसमें योग्यता नहीं थी और मैं आपके सामने, आप चाहें तो सदन के पटल पर रखूंगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यह हालत है कि 59 बैक-लाग कोटा था। 83 में रेगुलर में 39, इस तरह से 98 जो अनुसूचित जाति के लोगों की पोस्टें थी उनमें से 36 भरी गई, 57 बाकी रह गई और उसके विरुद्ध 22 जनरल लोगों को ले लिया गया। यह कौन से सलेक्शन की बात थी ? यह हमने उस समय भी कहा है, अधिकारियों ने इस बात को माना है। यह जानबूझकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है इससे गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा।

माननीय सभापति महोदय, किस तरह से प्रमोशन किये जाते हैं ? जो निदेशक महोदय ने लिखा है उसमें अभियोजन सेवा के लिए लिखा है—सहायक लोक अभियोजक-इसमें दिया गया है, 82 में 11 स्थान पदोन्नत किये गये जिसमें से सामान्य 9, एस.सी. और एस.टी. 1-1; इसी तरह से 84 में जनरल 25, एस. सी. एस. टी. शून्य, 85 में कुल 48, जनरल 47, एस. सी. एस.टी. शून्य। इसी तरह से 110 लोगों को क्रमोन्नत किया गया, उनमें से

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पदोन्नतियां दी गयी 106 जनरल को, एक एस. सी को और एक एस. टी. को। इस तरह से पदोन्नतियों में जो भेदभाव बरता जा रहा है, उसकी एक बानगी है। माननीय सभापति महोदय, अगर आप सही अर्थ में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, यह रोजगार के आंकड़े हैं, अभी-अभी विधान सभा के प्रश्न के उत्तर के माध्यम से दिया गया है यह केवल 86-87-88 के हैं। अनुसूचित जाति एक लाख नौ हजार आठ सौ इक्यासी और इसके मुकाबले में एस.सी. के लोगों को रोजगार दिया गया है, केवल मात्र 2210, कहां दस लाख और कहां दो हजार ? इस तरह से यह आंकड़े साबित करते हैं कि राज्य सरकार की नीति अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देने की नहीं है, केवल मात्र छलावा करने की है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से कई ऐसे आंकड़े हैं, अगर आप इनका स्पष्ट नीति से मूल्यांकन करें तो आपकी आत्मा अपने आप कहेगी। अभी अनुसूचित जाति के छात्रावासों की हालत पर चर्चा हुई। अभी लोग बाग कह रहे थे कि दरियां बिछाई और वह किराये पर दी गई। सन् 1965 और 1967 से अभी तक कोई नई पर्चेजिंग हुई तो मुझे बता दीजिए। इसलिए मेरी मांग है कि राजस्थान में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास चल रहे हैं, जितना भी पुराना सामान है उसको आप खारिज करवायें और नई सामग्री खरीदने की व्यवस्था कराएं....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : माननीय सभापति महोदय, आप समानता की बात कर रहे थे। आप धार्मिक समानता की बात करिये। नाथद्वारा का काण्ड, जो सारे देश में ही नहीं, विदेशों में विख्यात हो गया, सारे मुख्य मन्त्री फौज लेकर जैसे किसी को नदी पार करनी हो, तूम्बे लेकर या ट्यूब पर बैठ कर नदी पार करवाई जा सकती है, इसलिए राजस्थान सरकार को जाकर नाथद्वारा में अनुसूचित जाति के लोगों को दर्शन कराने चाहिए। यह आपकी समानता की बानगी है। इसलिए आप सही अर्थों में अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको सामाजिक समानता देना चाहते हैं तो सच्चे दिल से लग जाइये। यह आपके ऊपर अहसान कर रहे हैं। आपको सत्ता में बैठा रहे हैं। एक बार नहीं आठ-आठ बार दिल्ली और राजस्थान की कुर्सियां बनाई है। इसलिए आप अहसान नहीं कर रहे हो इन पर, इनके पैसे का आप दुरूपयोग कर रहे हैं। इनके पैसे पर आपके अधिकारी गुलछर्रे उठाते हैं और उनमें अपनी दलालियां वसूल करते हैं। यह खुली बात है। इसलिए आप सही अर्थों में इनका सुधार चाहते हैं तो सच्चे दिल से आइये नहीं तो कोई आपको बख्शने वाला नहीं है। वह समय अब नहीं रहा है जब आपको ये बख्श देंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि निगम के प्रबन्ध निदेशक को तत्काल वहां से हटाया जाकर उसकी जगह अनुसूचित जाति के किसी भाई को....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : एक दो मिनट में कर रहा हूं। मेरी मांग है कि

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के प्रबन्ध निदेशक को तत्काल वहां से हटाया जाय। माननीय सभापति महोदय, आज वे कहां है, कहीं बिराजे हैं क्या अधिकारियों की लाबी में ? वह छुट्टी पर हैं और जब भी विधान सभा का सेशन आता है तो छुट्टी पर पधार जाते हैं क्योंकि यहां उनकी खिचाई होती है। इबको तत्काल हटाकर किसी अनुसूचित जाति के अधिकारी को बैठाया जाय जिसके दिल में पीड़ा होगी। इसलिए मेरी मांग है कि इनको तत्काल हटाया जाय और मन्त्री महोदय जब जवाब दें इसका, तो वह निश्चित रूप से इसकी घोषणा करें, नहीं तो आपको सारे अनुसूचित जाति के विधायकों का विरोध झेलना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहें।

जिस तरह केन्द्र सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों के जो रिक्त स्थान है, उनको भरने के लिए जो स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, मेरी मांग है कि राजस्थान में भी इस तरह का विशेष अभियान चलाया जाय। जैसे आयुर्वेद में 200 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त स्थान है, क्यों नहीं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लगा रहे हैं ? ए क्लास अधिकारियों की मांग हो रही है, अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन दिये जा रहे हैं, एक-एक विज्ञापन पर लाखों रु० खर्च किये जा रहे हैं, उस विज्ञापन के पैसे से आप दस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उनके परिवारों को पाल सकते हैं। इस तरह की सच्ची नीति बनाइये, केवल दिखाने की नीति से अनुसूचित जाति के लोगों का भला नहीं होने वाला है, न आप भला करने वाले हैं। होता तो चालीस वर्ष में, पैंतालीस वर्ष में हो जाता।

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : छात्रावासों में छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाय और छात्रावासों में जितना भी पुराना सामान है उसको राइट ऑफ करके नई खरीद की जाए। जितने भी अनुदानित छात्रावास हैं उनको बन्द करके राजकीय छात्रावास घोषित किया जाय। यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मन्त्री महोदया विशेषकर मेरे इन प्रश्नों का जवाब दें और इस पर ध्यान दें तभी आप सही अर्थों में समाज कल्याण की मन्त्री साबित होंगी और लोगों का भला कर पायेंगी। नहीं तो कुर्सी पर तो आप जैसे कई मन्त्री बैठ गये और चले गये, उससे कोई लेना-देना नहीं है। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री सूरमा रामजी।

**श्री सूरमा राम (पिंडवाड़ा)** : सभापति महोदय, आज विधान सभा के अन्दर काफी माननीय सदस्यों ने मांग संख्या 33 और मांग संख्या 30 पर काफी सुझाव दिये हैं और उसके अन्दर मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए आज दूर-दराज की ढाणियों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकता रोटी-रोजी और कपड़ा है, जब तक हम आदिवासी इलाकों में उनकी यह मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तब तक हम आदिवासियों का उत्थान नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमारे आदिवासी

(श्री सूरमाराम)

इलाके के अन्दर जनजाति क्षेत्रीय विभाग की तरफ से एनीकट, विद्युत, समय पर खाद-बीज, भूमि सुधार, मेड़बन्दी, शिक्षा प्रचार, कुओं को गहरा करवाना, छात्रावास भवनों की मरम्मत करवाना आदि के कार्य करवाये जाएं और दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है वह पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी क्षेत्र है जहां जमीन में नाले निकल रहे हैं। उन नालों पर छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जाय तो वहां के रहने वाले आदिवासियों को काफी लाभ मिलेगा। निचलागढ़, ऊपलागढ़, दोइ-थरा, भांमरिया, रणोरा और बालेड़िया यह जितने भी गांव आये हुए हैं, यह पूरे के पूरे पहाड़ी क्षेत्र में हैं और पहाड़ी क्षेत्र में जो नाले निकलते हैं उनका पानी सीधा गुजरात में जाता है। उस पानी को अगर रोका जाय तो वहां के रहने वाले आदि-वासियों को काफी लाभ मिलेगा। मेरा यह सुझाव है और जिन नालों से पानी निकल रहा है उस पानी को रोका जाय।

दूसरा मेरा निवेदन विद्युतीकरण के बारे में था। आदिवासी इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है जिससे वहां रहने वाले आदिवासी लोगों को लाइट की सुविधा नहीं मिल पा रही है और जैसे मैंने पहले बताये थे कि मोरस के अन्दर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसके बाद रोणेरा, भामरिया यह सारे जो गांव हैं, पहाड़ी गांव हैं आलोरिया, चीलवा, गुला और उसके बाद तलेटी ऐसे जो गांव हैं टोटली ट्रायबल हैं, आदिवासी लोग हैं और उसके विद्युतीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गांवों का,आदिवासी इलाकों में विद्युतीकरण करायें ताकि वहां के आदिवासी लाइट से लाभान्वित हो सकें।

दूसरा मेरा निवेदन खाद, बीज के बारे में यह था कि बरसात हो गयी है और उसके बाद जो आदिवासी इलाके में खाद, बीज मिलता है, वह बहुत लेट मिलता है जबकि आदिवासी बुवाई कर देता है और बुवाई करने के बाद जो ग्राम सेवक है वह आकर उस खाद, बीज को लेकर बाद में देता है उससे आदिवासियों का जो भला करना चाहते हैं, आदिवासियों को उठाना चाहते हैं वह बात नहीं रहती है क्योंकि जिस टाइम पर बरसात आती है उस समय यदि बीज, खाद समय पर मिल जाये तो समय पर मिलने के बाद में वह अच्छी तरह फसल बो सकता है। इसलिए खाद, बीज लेट मिलने की वजह से खाद, बीज का दुरूपयोग होता है और न समय पर बो पाता है और बीज, खाद वैसे के वैसे पड़े रहते हैं और आदिवासी भूखा मरता हुआ उस बीज को ही पीस के खा जाता है। इसलिए जो खाद, बीज के वितरण की व्यवस्था है वह बरसात से पहले ही वित-रण कर दिया जाय तो आदिवासी समय पर बो देवें। खाद, बीज लेट मिलने के कारण आदिवासी उस बीज का क्या करें। इसलिए मेरा यह सुझाव है।

दूसरा मेड़बन्दी के बारे में सुझाव है। कई आदिवासी इलाकों में, मेरे आबू पिण्ड-वाड़ा क्षेत्र में तो मेड़बन्दी योजना के तहत कुछ काम हुए हैं और मिट्टी डालकर के चले जाते हैं और बरसात आने के बाद वह वापस वैसे ही हो जाते हैं और जिस खेत

(श्री सूरमाराम)

को समतल करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आदिवासी इलाके के अन्दर उनकी जमीन को समतल करना चाहते हैं तो उन्हीं काश्तकारों को पैसा दिया जाय ताकि वह अपनी जमीन को समतल कर सके क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जमीन को समतल करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरा यह सुझाव है।

कुए गहरे करवाने के बारे में गत साल अकाल के अन्दर काफी आदिवासियों के कुए खोदे गये, सरकार ने अच्छी व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद दूंगा। बाकी मेरा यह कहना है कि आदिवासी इलाकों में कुए गहरे करने के लिए जो ब्लास्टिंग होता है वह इस साल तो बिल्कुल ही किसी कुए में ब्लास्टिंग नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है, मन्त्रीजी से निवेदन है कि आदिवासियों के कुए में पानी नहीं है तो एक तरफ तो अकाल पड़ गया और उनके कुओं में पानी नहीं है। इसलिए उन कुओं को गहरा करना बहुत आवश्यक है। आदिवासी इलाके में कई कुवे ऐसे हैं जो सूखे पड़े हैं और घण्टा आधा घण्टा चलते हैं उनको गहरा कराना बहुत आवश्यक है। इस साल ब्लास्टिंग की व्यवस्था नहीं हुयी। हर साल तो होती है पर इस साल कोई गहरा कराने का या ब्लास्टिंग की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। कुए अकाल राहत में खोदे गये थे उन कुओं को गहरा करना जरूरी है उनमें पानी नहीं है।

(8.35 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इन कुओं को गहरा कराया जाय।

दूसरा छात्रावासों के भवन की मरम्मत कराना। मेरे यहां एक-दो छात्रावासों के भवन खराब हैं जिनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। दूसरा मेरे यहां जितने छात्रावास खोले गये हैं, होस्टल खोले गये हैं उनमें कहीं पूरी व्यवस्था नहीं है। बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं वह या तो अपने घर से बिस्तर लेकर आते हैं या छात्रावासों में रहने वाले बच्चे हैं उनको खाट देते है और इसके अलावा वह खाट के ऊपर सोते हैं भीष्म पितामह की तरह, भालों के ऊपर भीष्म पितामह सोते थे उसी तरह आदिवासियों को भी पट्टों पर सुलाया जाता है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और छात्रावासों के अन्दर जो खाने-पीने की सामग्री है वह समय पर मिलती नहीं है और समय पर नहीं मिलने के कारण कई छात्र छात्रावासों को छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। भूखी दुनिया में इन्सान का ईमान भी बदल जाता है इसलिए अगर छात्रों को खाने-पीने का होस्टल के अन्दर पूरा नहीं मिलेगा तो वह अपने घर चला जायेगा। सरकार आदिवासियों को उठाने के लिए और आदिवासियों की उन्नति के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, खर्च करने के बाद वह व्यर्थ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासियों के जितने भी छात्रावास हैं उनमें समय पर तेल, साबुन या आटा है जो सरकार दे रही है वह समय पर दिया जाय। समय पर आयेगा तो बच्चे समय पर पढ़ सकेंगे। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आदिवासियों के छात्रावासों में लाइट का अभाव है। आज मेरे यहां मोरस में एक आदिवासी

(श्री सूरमाराम)

छात्रावास बने 10 साल हो गये और आज दिन तक लाइट नहीं है। वहां 50 बच्चे पढ़ रहे हैं वह किस तरह से पढ़ेंगे ? उससे तो उल्टा उनकी आंख कमजोर हो रही है। लाइट की व्यवस्था हो जाये तो अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि मोरस के अन्दर जो छात्रावास है उसके अन्दर लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां लाइट की व्यवस्था करायें। दूसरा जो आश्रम है वह लोहाणा के अन्दर है वह गत साल बना है उसमें भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। वहां भी लाइट की व्यवस्था करायें। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आबूरोड़ के अन्दर तीन होस्टल हैं एक आबूरोड़ में है दूसरा ओहर में तीसरा नीचलागढ़ में है। वहां एक ही होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट है वही तीनों को देखता है। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि तीनों होस्टलों में अलग-अलग सुपरिन्टेन्डेन्ट लगाये जायं जिससे एक ही सुपरिन्टेन्डेन्ट होने से जो मनमानी कर रहा है, वह बन्द हो।

मेरी ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं मोटर साइकिल या गाड़ी खरीदूं लेकिन वह होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट है वह मोटर साइकिल और गाड़ी खरीद रहा है तो धन कहां से आया ? तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट की जांच करनी चाहिए और वह पैसा कहां से आया, उसके पास पैसा आया तो आदिवासी छात्रावासों में जो सामग्री जाती है उसमें कटौती करता होगा, यह भ्रष्टाचार फैला रहा है तो ऐसे मामले को देखकर आप जांच करायें और जांच करके उसके बाद दोषी हो तो दण्ड दें।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में काफी सड़कें पहले से बनी हुयी हैं आज राजमोर से फोटेसर की रोड़ है वह 10 साल पहले की ग्रेवल सड़क बनी हुयी है आज दिन तक न तो कंकर पड़ते हैं और न बनती है और वह दिनो दिन टूटती जा रही है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाय। राजमोर से तलहटी, मालेरा से बालोदिया, नीचलागढ़ से काकिया। इन आदिवासी क्षेत्रों में जो पहले से रोड़ बनी हुयी है। उन रोड़ों को जल्द से जल्द तैयार करायें ताकि वहां पर हम आदिवासी लोग रहते हैं, वह पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको आने जाने में, बीमार के लिए लकड़ी में डालकर झूला बनाकर मरीजों को लाना पड़ता है, जिससे रोड़ बन जायेगी तो आदिवासियों को मरीजों को लाने में दिक्कत नहीं होगी और रोड़ से लेकर सीधा चिकित्सालय पहुंच जायेगा। यह मेरा निवेदन था।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री सूरमा राम** : एक और है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि माडा और टाडा में गेहूं की जो व्यवस्था हो रही है और गेहूं की सप्लाई हो रही है उसमें टाडा के अन्दर 1.55 पैसे किलो गेहूं मिल रहा है और माडा वाले 2.35 पैसे में मिल रहा है। वह आदिवासी आपस में कह रहे है कि टाडा में रहने वाले भी आदिवासी हैं और माडा में रहने वाले भी आदिवासी हैं उनको डेढ रुपया दे रहे हैं और हमको 2.35 में दे रहे

(श्री सुरमाराम)

हैं हमको भी डेढ़ रुपये में क्यों नहीं दे रहे हैं। यह क्या बात है आपस में आदिवासी इसकी चर्चा करते हैं तो मन्त्री महोदय से निवेदन है कि टाडा और माडा में सब आदिवासी हैं तो फिर माडा वाले आदिवासियों को 2.35 में क्यों दे रहे हैं और टाडा वालों को 1.50 रुपये में क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ भेदभाव क्यों? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि टाडा और माडा वाले आदिवासियों को एक लकड़ी से हांके। समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दयारामजी परमार।

**श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या 30 और 33 पर विचार कर रहे हैं। जो मांग संख्या 30 है वह ट्राइबल एरिया सम्बन्धी है और 33 है वह समाज कल्याण से सम्बन्धित है। मैं ट्राइबल एरिया क्षेत्र से आता हूं इसलिए मुझे विशेष बात ट्राइबल एरिया से सम्बन्धित आपको निवेदन करनी थी....

**श्री हरिमोहन शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के केवल तीन आदमी यहां बैठे हैं, और जो जनता दल आगे सरकार बनाने की कल्पना कर रहा है वह इस डिमान्ड पर केवल डेढ आदमी है, कल्पना कर रहे है आप....

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : यह तीन तो आपके 30 के बराबर है।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : हम इसलिए बैठे हैं कोरम पूरा रहे।

**श्री दयाराम परमार** : हमारे देश में 23 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर आदिवासी 60% से 80% के बीच निवास करते हैं। उन पंचायत समितियों में, और उस एरिया को ट्राइबल एरिया कहा गया है। उस ट्राइबल एरिया के विकास के लिए ट्राइबल सब प्लान बनाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस ट्राइबल सब प्लान को बनाते वक्त यह मन्शा थी कि ट्राइबल एरिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पर सभी तरह का विकास नहीं के बराबर हुआ है। न वहां सड़कें है, न स्कूल है, न अस्पताल है। इसी प्रकार की कमी को महसूस करके ट्राइबल सब प्लान बनाया गया और वह ट्राइबल सब प्लान बना करके ऐसी व्यवस्था की गयी ट्राइबल एरिया में जो विकास कार्यक्रम, सामान्य योजनाओं का कार्यक्रम चलेगा इसके अतिरिक्त पैसा ट्राइबल सब प्लान का लगा करके जितनी गति से विकास किया जाये कि जहां पर दूसरों के एरिये के बराबर वहां विकास हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उस मंशा के अनुसार वर्तमान में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत काम नहीं हो रहा है हमारे ट्राइबल एरिया में आज कोई भी किसी तरह का काम होता है तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा तो हमारा वहां पर लगा दिया जाता है और सामान्य योजनाओं का पैसा नहीं लगाया जाता है। उस योजना को, ट्राइबल सब प्लान को बनाया नहीं बनाया के बराबर है। आज स्कूल खोलते हैं तो अगर कोई मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को प्रमोट किया जाता है तो पूरे प्रदेश में दो-दो स्कूल आते हैं, ट्राइबल एरियाज में भी दो-दो स्कूल खोले जाते हैं जबकि होना यह चाहिए था कि सामान्य

(श्री दयाराम परमार)

बजट के माध्यम से जो स्कूल खोलते हैं इसके अलावा ट्राइबल सब-प्लान में एक या दो स्कूल उस पर्टीक्यूलर एरिया में ज्यादा खुलने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे इस ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत एक सारे ट्राइबल एरिया में विकास होने की स्कीम ली गयी है दूसरे नम्बर पर। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत विकास के सम्बन्ध में जो योजनायें हैं उसके अन्तर्गत ट्राइबल एरिया में ट्राइबल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये ड्रेस और पुस्तकें दी जाती हैं। वे ड्रेस और पुस्तकों का पैसा उसके लिये पंचायत समिति को ट्रान्सफर कर दिया जाता है और उनको यह निर्देश दिये जाते हैं कि यह पैसा जो भी सामान खरीदे, वह पुस्तकें खरीदते हैं तो कन्ट्रोल के भाव से खरीद करके इन बच्चों में बांटी जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि पंचायत समितियों में एक रुपये की किताब पांच रुपये में खरीद कर वहां रखी जाती है और मार्च के अन्त में जाकर के वह किताबें बच्चों को वितरित की जाती है। जहां तक ड्रेसों का सवाल है, वहां ड्रेस इस तरह से बना दी जाती है कि वह लड़का पहन नहीं पहन सके, उसका नाम ड्रेस हो जाना चाहिए, उसका नेकर हो जाना चाहिए, बुशर्ट हो जाना चाहिए और लाकर उस बच्चे को दे दी जाती है तो वह ड्रेस न तो बच्चा पहन सकता है और न वह किताबें उसके साल भर पढ़ने के काम आ सकती है तो धन का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है तो मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को अगर अधिकारियों के स्तर पर उसको बदला नहीं गया तो वह उसके कमीशन के चक्कर में उस पंचायत समिति के लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं यह अन्दाजा लगाने की बात है कि एक रुपये की किताब अगर पांच रुपये में खरीद कर दी जाये तो फिर उन बच्चों का, आदिवासियों के विकास के लिये, व्यक्ति के लिये हम पैसा लगा रहे हैं वह किस तरह का लगा रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी ऐसे कई कार्यक्रम हैं, आई. आर. डी. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत हमने उन लोगों को चयनित कर दिया कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको साधन मुहैया करवा कर उनको ऊपर उठा देंगे लेकिन हो क्या रहा है कि हमने मान लो एक आदमी को भैंस लेने को कहा, उस भैंस की कीमत कर दी तीन हजार रुपये और तीन हजार रुपये देने के लिये उस भैंस के खरीदने की सारी फोर्मेलिटीज पूरी कर दी। डॉक्टर को बुला लिया उसके टैग लगा दिये, सब कर दिया लेकिन बैंक जो है उस आदिवासी काश्तकार को एक भी नये पैसे का लोन नहीं देती है और केवल सब्सिडी का पैसा जो उसका 50% होता है उसमें से 100 रुपये तो डॉक्टर साहब ले जाते हैं कुछ और ले जाते हैं और उस काश्तकार को तीन हजार में से जो उसको कीमत के रूप में पैसा मिलना चाहिये था, उसमें उसको भैंस तो मिली नहीं और केवल एक हजार रुपये का अनुदान का पैसा मिल जायेगा और फिर हमने आंकड़े लिख कर बता दिया कि उसको हमने गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया। अगर

(श्री दयाराम परमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार रुपये सब्सिडी देना ही है हमें तो इतना सारा नाटक क्यों करें सीधा बुला कर ही उसको दे दें ताकि वह आदमी एक हजार रुपये लेकर सीधा घर पर जाये, लेकिन हम उसको भैंस खरीदने के बहाने वहां बुलाते हैं। किसी और भाई की भैंस पकड़ लायेंगे वहां पर, उसके टैग लगा देंगे और सारा नाटक कर देंगे। लेकिन वास्तव में वहां पर वह भैंस खरीदता ही नहीं है। और इसलिये नहीं खरीदते हैं कि बैंक अपना कोई लोन देने को तैयार नहीं है। बैंक अपने सारे कागजात पूरे कर देगा, और काश्तकार का सेविंग्स बैंक अकाउन्ट खोलकर, उसके बैंक का पैसा जो 50 प्रतिशत है वह उसके खाते में जमा कर देगा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा अगर सरकार इस कार्यक्रम के लिये उनके दिल में मन्शा है गरीबों को ऊपर उठाने की, तो इस कार्यक्रम में तब्दीली लायें, तब ही वहां पर उन लोगों को फायदा हो सकता है, वरना कोई फायदा नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कार्यक्रम और चलता है हमारी ट्राइबल एरिया में जिसको मैसिव कार्यक्रम कहते हैं। उसमें काश्तकारों को इन्जिन खरीदने के लिये पैसा देते हैं। उस इन्जिन खरीदने के लिये आधा पैसा वही सब्सिडी से आता है और आधा पैसा बैंक को लोन देना है। लेकिन हमारे इन्जिन के जितने के भी डीलर्स हैं, एजेन्ट्स हैं, वह इतने होशियार हैं कि यह देखे बिना कि उसके कुएं में पानी है या नहीं, इन्जिन तो उसको पकड़ा देंगे। फिर उसके साथ में डीपनिंग ऑफ वेल के नाम पर 4000 रुपये और उससे ले लेंगे उसके नाम पर ले लेंगे और 4000 रुपये वह ही खा जाते हैं और हमारे काश्तकार उस कर्ज को लेकर बरसों तक भरता रहता है। इसको रोकने के सम्बन्ध में न तो हमारे जिला अधिकारी कोई कदम उठाना चाहते हैं और न सरकार ही इस बात को रोकना चाहती है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से जो हमारा शोषण हो रहा है ट्राइबल एरिया में लोगों का, उस पर सरकार पाबन्दी करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट और लूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** दो मिनट।

**कुछ माननीय सदस्य :** पांच मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप सब की ओर से ?

**श्री दयाराम परमार :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खैरवाड़ा में एक मेवाड़ भील कौर के नाम से फोर्स है जिसको अंग्रेजों ने 1938 में वहां पर स्थापित किया। उसमें तात्कालिक व्यवस्था में जब उनको भरती किया तो 95 प्रतिशत आदिवासियों को उसमें भरती किया जाता था और शेष 5 प्रतिशत अन्य लोगों में से भरती किया जाता था। लेकिन अब जब कभी उस फोर्स में कोई भरती होती है तो आदिवासियों में से केवल 12 प्रतिशत भरती किया जाता है। शेष में अगर एक आदिवासी केन्डीडेट 80 प्रतिशत अंक लाता है तो दूसरे 25 प्रतिशत वाले को लेना पड़ेगा और वह 80 प्रतिशत वाला रह जायेगा। मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार मेवाड़ भील कौर में 80 प्रतिशत वापिस ट्राइबल्स के लिये रिजर्वेशन करें। और सरकार अगर वास्तव में यह मन्शा

(श्री दयाराम परमार)

रखती है कि आदिवासियों का विकास हो, उनका भला हो, तो दो नई कम्पनियां खड़ी करे और खड़ी करके, पढ़े लिखे आदिवासी लोग जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको भरती करे और उनकी सेवाओं का फायदा उठाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बातें और निवेदन करनी हैं। हमारे ट्राइबल एरिया में, अभी माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी साहब बोल रहे थे, ट्राइबल्स का शराब पीना कल्चर के बराबर माना जाता है। लेकिन इस तरह से सरकार ने उसको बन्द तो कर दिया, लेकिन जिस महुआ से शराब बनती है, वह बाहर गुजरात में है और वह महुआ वहां से लाने की पूरी छूट दे रखी है। ट्राइबल्स वहां से महुआ लाते हैं और शराब बनाते हैं, जिसके लिये सैकड़ों हजारों आदमियों पर मुकदमे चल रहे हैं और वे मुकदमा लड़-लड़ कर बरबाद हो गये। तो मैं यह चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि या तो वह शराब एब्सोल्यूटली बन्द कर दी जाये और गुजरात से आने वाले महुर को यहां राजस्थान में नहीं आने दिया जाये पर फिर उनको दारू बनाकर पीने की छूट दी जाये। नहीं तो वह लोग वहां बरबाद होते रहेंगे। वह पीयेंगे तो बचेंगे भी सही इसलिए सरकार को एक नीति निर्धारित करनी चाहिए वरना वह लोग बरबाद ही होते रहेंगे हमेशा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समाज कल्याण के कार्य सम्बन्धी भी बहुत बड़ी प्रदेश के छात्रावासों की बात नहीं करनी। मेरे वहां पर दो छात्रावास हैं एक खैरवाड़ा मुख्यालय पर एक लड़कों का होस्टल है और एक लड़कियों का है, उसमें 80 लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन उन 30 लड़कियों का वहां रहने के लिये मकान तो है पर उनके वहां पर नहाने धोने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है। उनके वहां पर लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, सबको जाना पड़ता है नदी में और वहां पर पी. टी. एस. के जवान भी नहाने आते हैं, वह लड़कियां भी जाती है और हमेशा आये दिन कभी न कभी छेड़ छाड़ की घटनायें होती रहती हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे बलात्कार वाली बात, कि इसी तरह वहां बलात्कार हुआ। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां का आदिवासी उन लोगों से भिड़ जायेगा और वहां अशान्ति फेलेगी। समाज कल्याण विभाग को चाहिए कि उन लड़कियों के लिये वहां पर पानी की व्यवस्था करे, लैट्रिन की व्यवस्था करे ताकि उनको नदी में नहीं जाना पड़े। उन्होंने एक छोटा पाइप जोड़ रखा है जिससे उनके पीने के पानी के मटके ही नहीं भरते हैं तो वह 80 लड़कियां, हायर सैकण्ड्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां नदी में नहाने जाती हैं और वह पी. डी. एस. के जवानों के साथ में जाती हैं तो इससे बड़ी खराब बात और क्या हो सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष :** धन्यवाद। अब आप समाप्त करें।

**श्री दयाराम परमार :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और बॉयज का होस्टल हमारे खैरवाड़ा में चलता है उसके बारे में निवेदन करना है, इसके बाद समाप्त करना चाहता हूं। उस होस्टल को लड़कों से हम

(श्री दयाराम परमार)

पैसा लेकर के मकान किराया देकर के हम उस होस्टल को चलाते हैं। हमने उस विभाग को इस सम्बन्ध में जानकारी दी कि उसका पैसा, हमें मकान किराया का पैसा दिया जाये तो डाइरेक्टर साहब ने सेंक्शन कर दिया और दूसरी तरफ मना कर दिया। दो साल से उन लड़कों से हमने पैसा नहीं लिया। अब वह मकान मालिक हमसे आठ हजार रुपये मांगता है कि पैसे लाओ और वह व्यवस्थापक है साठ रुपये वाला वह भागता फिरता है कि, अब मैं आठ हजार रुपये कहां से दूं। मैं माननीय मन्त्री महोदया जी से यह चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में विचार करके उस सम्बन्धित होस्टल को पैसा दें ताकि वह होस्टल समय पर उनका पेमेण्ट कर चल सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें अब आप।

**श्री दयाराम परमार** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की राय हो तो मन्त्री महोदय से जवाब दिलायें।

**श्री जगदीश तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट....

**श्री प्रभुलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, ...

**श्री हीरालाल सहरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे भी बोलना है। (व्यवधान) अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है।

**श्री प्रभुलाल मीणा** : दो-दो मिनट सबको दिये जायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : तिवाड़ी जी बोलें पहले। दो मिनट बोल लें।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता। नीतिगत प्रश्न हैं उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न इतना सा है कि एक अनुसूचित जाति या जनजाति के लिये को-आपरेटिव बैंक या सोसायटी के लिये हिस्सा राशि खरीदने के लिये अपन अनुदान और ऋण देते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिये अनुदान दिया जाता है हिस्सा राशि के लिये और अनुसूचित जाति के लिये लोन दिया जाता है। इस प्रकार का भेद-भाव क्या सरकार मिटाना चाहती है? अनुसूचित जाति के लिये भी अनुदान की व्यवस्था करेगी? एक प्रश्न तो मेरा नीतिगत यह है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह कि सिंचाई के कुओं को गहरा कराने के लिये या ब्लास्टिंग के लिये, बोरिंग के लिये पैसे तो स्वीकृत कर दिये गये लेकिन उनमें से 10 प्रतिशत कुएं आज भी ब्लास्टिंग और बोरिंग नहीं हो पाये उसका कारण यह है कि वाटर डवलपमेंट कारपोरेशन को यह पैसा भेज देते हैं। वाटर डवलपमेंट कारपोरेशन की क्षमता नहीं है कि जितनी तादाद में इन्होंने सहायता दी है उतने कुओं को गहरा करा सकें। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि केवल स्वीकृति देने या सहायता देने से ही क्या राज्य सरकार सन्तुष्ट है और उन काश्तकारों के कुओं

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

में बोरिंग और ब्लास्टिंग करने के लिये तात्कालिक व्यवस्था क्या करना चाहती है ?

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर जिले में छात्रावासों में जो व्यवस्था है उसके लिये क्या राज्य सरकार स्थानीय नागरिकों की निगरानी कमेटी बनायेगी ? हालात यह है कि चार छात्र छात्रावास में रह रहे हैं और साठ छात्रों का खर्चा उठ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार एक निगरानी कमेटी स्थानीय आदमियों की बनायेगी ?

एक मेरा प्रश्न और है, जयपुर जिले में गरीब को छप्पर केलिए साढ़े सात सौ रुपये हमारे यहां दिये जाते हैं। साढ़े सात सौ रुपये में आज छप्पर भी नहीं बन सकता। यह सहायता देना, नहीं देने के बराबर है, तो राज्य सरकार आज जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसके अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए साढ़े सात सौ से गरीब को छप्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल जी सहरिया।

**श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 30 और 33 की जो डिमाण्ड समाज कल्याण सुरक्षा और जनजाति पर चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं, कोटा जिला, तहसील शाहबाद और पंचायत समिति किशनगंज, सहरिया सबप्लान से आता हूं इसलिए मुझे दो मिनट तो बहुत कम हैं लेकिन मैं अपने सुझाव ही रखूंगा। सहरिया परियोजना चल रही है शाहबाद में लेकिन जब से यह परियोजना चल रही है उसका बजट जितना भी आता है, वह बजट सहरियों पर खर्च नहीं होकर दूसरे डिपार्टमेंटों को दे दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि ट्रान्सफर आफ मनी हम केवल कर रहे हैं और उससे यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल पाता है उसकी वजह यह होती है कि जो काम हमारा हो रहा है वह नहीं होने के बराबर है, पैसे का अपव्यय हो रहा है। उसका कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक हमें नहीं मिला है।

दूसरा मेरा इसमें एक सुझाव और है कि हमारे यहां उदयपुर डिवीजन में जो गेहूं दिये जा रहे हैं 162 रुपये प्रति क्विंटल के वह हमारे सहरिया ट्राइबल में इस गेहूं के लिये मैं बार-बार लिख चुका हूं। उसके बावजूद भी 162 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं हमें भी दिया जाता है उसमें हमको भी जोड़ा जाये।

तीसरा मेरा सुझाव है कि निराश्रित बालगृह, जो समाज कल्याण चलाता है उनका पैसा बहुत कम है। जिस तरह से छात्रावासों का पैसा बढ़ाया गया है उसी तरह निराश्रित बालगृहों के बच्चों के लिये भी पैसा बढाया जाये। इसमें मेरा यह सुझाव है।

मेरा एक सुझाव और है जो राशि छात्रों को पुस्तक, स्टेशनरी के लिये उपलब्ध कराई जा रही है, 40 और 60 का जो रेश्यो है उससे इस पुस्तक स्टेशनरी का खर्चा नहीं हो पाता है। हर एक माननीय

(श्री हीरालाल सहरिया)

सदस्य यह जानता है कि चालीस रुपये में कोई भी पुस्तक नहीं आती है। आठवीं पढ़ने वाले छात्र को चालीस रुपये की स्टेशनरी से क्या होगा ? इसमें मेरा एक सुझाव है कि चालीस और साठ रुपये का जो पुस्तक और स्टेशनरी का पैसा दिया जाता है वह कम से कम बढ़ा कर के 100 रुपये किये जावें।

एक सुझाव और है कि अनुदानित छात्रावासों की जो बिल्डिंग, माननीय सदस्य ताम्बीजी ने जैसा कहा कि वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है वह कभी भी गिर सकती है और उससे जन-जीवन का नुकसान हो सकता है। मेरा सुझाव है कि इनकी रिपेयर के लिए, इनके रख रखाव के लिए इनको अनुदान राशि उपलब्ध कराई जायें ताकि इनकी मरम्मत कराकर जन मानस को बचाया जा सके। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(रात्रि 9.00)

**श्री प्रभुदयाल मीणा** (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 33 और 30....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब छोड़ो फार्मेलिटी, अपनी बात कहो।

**श्री प्रभुदयाल मीणा** : जनजाति क्षेत्रीय विकास की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत माडा और टाडा दो योजनायें बनी हुई हैं। इनके अन्दर करोड़ों रुपए केन्द्र सरकार देती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माडा और टाडा योजनाओं के अन्दर लाभ तो काफी पहुंचता है पर इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग यूं होता है कि इसका जो भी पैसा देते हैं, 50 करोड़, 30 करोड़ या 20 करोड़, उसी में से वह अपने साधन भी जुटाते हैं। गाड़ी भी उसी में से खरीदते हैं, सारा खर्चा इसके अन्दर से ही उठता है। आधे पैसे तो उस विभाग के खर्चे में ही चले जाते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा इसमें से न होकर दूसरी योजना के अन्दर हो।

छात्रावासों की हालत कई जगह ऐसी है कि उनकी बिल्डिंग्स गिरने जा रही हैं। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सिकराय में लड़कियों के एक छात्रावास के लिए तीन साल से लगातार फाइल चल रही है। ट्राइबल एरिया होने के बाद भी लड़कियों का छात्रावास नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सिकराय में लड़कियों का छात्रावास खोलने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माडा योजना के अन्दर विकास विभाग से डी.आर.डी ए. के माध्यम से जो पैसे आते हैं वह कई बार लैप्स होते हैं। या तो योजना नहीं बना पाते या खर्च नहीं कर सकते। इसलिए इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं आपके आदेश की पालना करता हुआ आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नवरंग सिंह, दो मिनट में।

**श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात तो राज्य सरकार से यह कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि हरिजन आदिवासी कर्जे से पीड़ित हैं, किसी भी सूरत में वह कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी सारी सम्पत्ति कुर्क हो रही है। मैं सरकार से, और खास तौर से मन्त्री महोदय से, निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम छोटा कर्जा, 10 हजार तक का कर्जा, आदिवासियों और हरिजनों का, आज माफ करने की घोषणा करें ताकि वह उस पीड़ा से छूट सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि प्रधान मन्त्रीजी ने तीन महीने में आरक्षण का जो गैप था उसकी पूर्ति करने की घोषणा की है। प्रधान मन्त्रीजी के तीन महीने 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। मैं राज्य सरकार और खास तौर से इन विभागों से यह कहना चाहूंगा कि यह तमाम काम कब तक कर देंगे ? बहुत थोड़ा टाइम रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इसमें बिलकुल निष्क्रिय रही है। आज से दो दिन पहले माननीय न्यायाधीश दिनकर लालजी ने झुंझुनूं की जिला परिषद् के बारे में एक फैसला दिया है। उनमें उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं, सारे चयन को स्थगित कर दिया है, इसमें आरक्षण की पालना नहीं हुई है। इस सारी चीज को देखा जाय। इसलिए मेरी मांग है आपके माध्यम से कि इस बात की घोषणा करें माननीय मन्त्रीजी कि क्या एक महीने के अन्दर-अन्दर जो आरक्षण प्रधान मन्त्रीजी की घोषणा है पूर्ति होने की, वह पूर्ति हो जायेगी ?

मेरा एक निवेदन छात्रावास के संबन्ध में है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (विधि मन्त्री) : जो आप कर्जे का कह रहे हो, किस टाइप के कर्जे हैं ?

**श्री नवरंग सिंह** : मैंने आपको बताया आदिवासी और हरिजनों के।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : कर्जे किस टाइप के हैं ? कोआपरेटिव के हैं, बैंकों के हैं, क्या हैं ?

**श्री नवरंग सिंह** : मुख्यतः कोआपरेटिव के हैं या निगम के हैं या सरकार के मुख्यतः ऐसे 10 हजार तक के कर्जे को माफ करना चाहिए।

मैं एक निवेदन यह करना चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, कि छात्रावासों के लिए बिल्डिंग की स्वीकृति देते हैं। मैंने देखा है, झुंझुनूं में इस वर्ष दो स्वीकृतियां हुई छोटे-छोटे गांवों की, एक सूड़ी है एक बुडाना है, जहां छात्रावास नहीं हैं। 50 हजार की आबादी का नवलगढ़ कस्बा है। वहां दो तहसील हैं, दो विधान सभा क्षेत्र हैं लेकिन आज तक सरकार समाज कल्याण विभाग के छात्रावास का भवन नहीं बना सकी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नवलगढ़ में नये छात्रावास भवन की आज घोषणा की जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में करप्शन है। इनकी कोई योजना हो, दलिये की योजना है, दूसरी योजना है, उनमें भयंकर करप्शन है। इसलिए मैं खासकर

(श्री नवरंगसिंह)

माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, वैसे वह स्वयं भी सारी स्थिति से परिचित हैं। उसको पकड़ कर ठीक किया जा सकता है ताकि गरीब आदमी को, हरिजन को, इसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री उम्मेदीलाल। (अनुपस्थित)

श्री देवीलाल। (अनुपस्थित)

माननीय श्री शंकरलाल अहारी। Last and the best.

**श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 30, सामाजिक सुरक्षा और अनुसूचित जाति व जनजाति की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिये हैं। मैं भी अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने कम ही समय दिया है। मैं बहुत ही कम बोलता हूं असेम्बली में। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे पांच मिनट दिये जायं।

**श्री उपाध्यक्ष :** दो मिनट।

**श्री शंकरलाल अहारी :** मुझे अच्छी तरह से पता है, दिल्ली में एस. टी. और एस. सी. की कांफ्रेंस हो रही थी जिस में हमारी स्वर्गीय इन्दिराजी ने यह कहा था कि इस देश में अगर कोई जाति पुरानी है, तो आदिवासी हैं, इस देश की मूल जाति आदिवासी है, जो पुरानी है। उसी हिसाब से आदिवासी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया था कि आदिवासी का मतलब सबसे पुरानी जाति है, हमारा इतिहास और आदिवासियों का इतिहास जुड़ा हुआ है। एक समय था जब हमारे पैतृक वनों में घूमते थे, उनके तन पर वस्त्र नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, जहां रात पड़ जाती थी वहां विश्राम कर लेते थे। आज आजादी के बाद जिन लोगों ने हम लोगों को हाथ पकड़ कर चलाया है, सिखाया है उन लोगों को हम भूल नहीं सकते। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, प्रधान मन्त्री स्वर्गीय इन्दिराजी और इधर हमारे बागड़ में मेवाड़ की धरती पर रहने वाले माणिक्य लाल वर्मा, भोगीलाल पण्ड्या, गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर। इन लोगों ने आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्थान के लिए अलख जगायी और अलख जगाते हुए हम लोगों को राह बतायी। आज जो हम लोग बोल रहे हैं इस असेम्बली में वह कांग्रेस की देन है। उन बुजुर्गों की देन है कि आज हम विकास करके इस असेम्बली में आ कर जनता की आवाज को उठा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा नहीं जाऊंगा, मैं आप से यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने हम आदिवासी लोगों के लिए काफी कल्याणकारी योजनायें बनायी हैं। मैं राज्य सरकार का शुक्रगुजार हूं कि समय-समय पर हमें हर प्रकार की योजनायें दीं और हम उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चलते रहे। आज आवश्यकता इस बात की है, अगर हम

(श्री शंकरलाल अहारी)

आदिवासियों का तहे दिल से विकास करना चाहते हैं, आदिवासियों को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आदिवासियों के लिए उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मास्टर प्लान बनाने होंगे। चिकित्सा सुविधा के लिए उस क्षेत्र के हिसाब से मास्टर प्लान अलग से हो, विद्युत व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान अलग हो, पेयजल के लिए अलग मास्टर प्लान हो। समाज कल्याण के लिए भी मास्टर प्लान बनाया जाय, शिक्षा के लिए भी मास्टर प्लान बनाया जाय। मजदूरी और रोजगार का भी, कि कितने लोग वहां बेरोजगार हैं, एक मास्टर प्लान बनाया जाय जिससे हम उन लोगों को रोजगार से जोड़ सकें। मुझे याद आया, माननीय सी.पी. जोशी ने यह कहा था कि आदिवासी अक्सर चरनोट और जंगलात की जमीन पर कब्जा करके बैठे रहते हैं। वास्तव में भी उनके शब्दों में अपने शब्द सम्मिलित करता हूं क्योंकि हम तो उसमें रह रहे हैं, चरनोट की जमीन और जंगलात की जमीन में ही हमारे मकान हैं, कुएं और मेड़बन्दियां हैं। वह आप उठा नहीं सकते हैं, 100-100 साल हो गये हम लोगों को। इसमें यह निवेदन है कि इसको रेगुलराइज कराया जाय।

दूसरा, हम आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम को जोड़ा। वह हम आदिवासियों के लिए रखवाले के रूप में हैं। इनकी रखवाली करने की आवश्यकता है, निगरानी और देख-भाल करने की आवश्यकता है, आज हम यह महसूस करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र विकास निगम की तरफ से काफी विकास इन लोगों ने किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज।

**श्री शंकरलाल अहारी** : जैसा कि गत वर्ष रिलीफ चली, उसमें मैं उदयपुर जिले का उदाहरण दे रहा हूं कि हमने 12000 कुए आदिवासियों के खुदवाने के लिये दिलवाये थे, 12 हजार कुओं में से 3500 कुए पूरे हुये और 8500 कुए आज भी अधूरे हैं, अधूरे कुए जो हमने फैमिन में खुदवाये थे उसका आज कौन जिम्मेदार है? हमारा टी.ए.डी. विभाग जिम्मेदार होगा। और वह विभाग मनन करे, चिन्तन करे हमारे लोगों के लिये और वह कुए खुदवाने के लिये कोई फण्ड तैयार करे।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करिये।

**श्री शंकरलाल अहारी** : निगम से हमारा यह निवेदन है कि जो राशि भारत सरकार और राजस्थान सरकार से मिलती है उस राशि को बड़ी-बड़ी योजनाओं में नहीं लगाना चाहिये। अक्सर यह देखा गया है कि उस राशि को बड़ी-बड़ी योजनाओं में लगाया गया जिससे कि आम आदमी को लाभ नहीं मिला, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि व्यक्तिगत इकाईयों में उस राशि को दिया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग ले सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करे।

सुश्री गिरिजा व्यास।

Please sit down. बैठें आप, आप

(श्री उपाध्यक्ष)

बहुत अच्छा बोले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया, बैठिये। Now sit down. (व्यवधान) कन्क्लयूड हो गया साहब.

**सुश्री गिरिजा व्यास** (राज्य मंत्री, महिला-शिशु एवं पोषाहार) : मैं बोल देती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....
(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप मुख्य सचेतक हैं, क्या करते हैं आप ? Neither you have control over your members. अब्सेण्ट रहते हैं समय पर, फिर आप उनकी सिफारिश करना चाहते हैं।

**श्री शंकरलाल अहारी** : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में, मैंने स्वयं ने भी देखा है मैं उदयपुर भी गया, बांसवाड़ा भी गया, डूंगरपुर में, जो जो होस्टल्स चलती हैं उन सब का मैंने निरीक्षण किया है, उनमें मैंने यह अभाव पाया है कि जो छात्रवृति के रूप में मिलने वाली राशि है वह समय पर नहीं मिलती है, कुछ समय पहले उस राशि को थोड़ा बहुत सरकार ने बढ़ाया भी है। इस सम्बन्ध में मेरा राज्य सरकार से निवेदन और सुझाव है कि उस राशि को महंगाई को देखते हुए 300 रुपये बढ़ाने का विचार करे तो हम पर बड़ी कृपा होगी।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि वहां के जो भवन हैं वे भवन बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, बिल्कुल टूटे-फूटे हैं, यहां तक कि दो-तीन छात्रावासों में सांप निकले, हमारे बच्चों को काटा भी है, और दो बच्चे मर भी गये हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन करना है कि छात्रावास के भवनों को अच्छी तरह से बनाया जाय, धन्यवाद साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : सुश्री गिरिजा व्यास।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के अन्तर्गत आज महिला विकास एवं आई.सी.डी.एस. के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा और स्वयं कुछ सदस्यों ने सदन में बोल कर के सदन का ध्यान आकर्षित किया और मुझे फीड बैक दिया उसके लिये मैं सदस्यों की बहुत-बहुत आभारी हूं,

सम्भवतः दो वर्ष पूर्व इसी सदन में मैंने एक बात कही थी—

"मदद मांगती है यह हव्वा की बेटी,
यशोदा की हमजन, जुबेदा की बेटी"

शायद यही आवाज भारत के हर कोने से, हर कूचे से, हर गली से, हर शहर और गांव से उठी और वह आवाज हमारे युवा प्रधान मंत्रीजी तक पहुंची, और मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले दो तीन वर्षों से महिलाओं के सम्बंध में बहुत कुछ निर्णय केन्द्र सरकार ने लिये हैं। सबसे बड़ी बात नेशनल प्रस्पैक्टिव प्लान सन् 2000 तक का बन कर तैयार हुआ और उस प्रस्पैक्टिव प्लान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें यह लिखा है कि अब हमें महिलाओं के लिये वैलफेयर से हटकर, महिलाओं के डवलपमेंट पर ध्यान देना आवश्यक है, कल्याण की अब उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि महिलाओं के विकास की। दूसरा मुद्दा प्रस्पैक्टिव प्लान का यह है कि अब हमें महिलाओं की सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

(सुश्री गिरिजा व्यास)

इसी कड़ी में प्रधान मंत्रीजी ने पंचायती राज में 30 प्रतिशत तक महिलाओं की भागीदारी को स्वीकारा, आज सदन में सभी सदस्यों, और खासकर महिला सदस्याओं के माध्यम से मैं प्रधान मंत्रीजी तक इस बात के लिये बधाई पेश करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की स्थिति जैसी है वह कोई छिपी हुई नहीं है, इतने सारे प्रस्पैक्टिव प्लान बनने के बाद और विभिन्न घोषणाओं के होने के बाद भी आज महिलायें तो वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं यह कहने में मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं सदन को यह भी बता देना चाहती हूं कि महिलाओं के सम्बन्ध में कुछ निर्णय भी इन वर्षों में हुये और उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को भी बधाई देना चाहती हूं कि पिछले बजट भाषण के अवसर पर आपने विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिये आपने कुछ सुविधायें दीं। उन सुविधाओं को सभी सदस्य महोदय जानते हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती। केवल एक निवेदन करना चाहती हूं कि जो भी सुविधायें महिलाओं को दी हैं उन सब के प्रति हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। प्रधान मंत्रीजी बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि जो सुविधायें, चाहे केन्द्र से दी जाती हैं, चाहे राज्य सरकार से दी जाती हैं, ऐसा लगता है कि वह सुविधायें कहीं बीच में अटक जाती हैं। यह बीच में अटकाव कहां से आ जाता है, यदि हम लोग इसके लिये जागरूक नहीं रहेंगे तो यह बात पूरी नहीं हो पायेगी। इसलिये जागरूकता आवश्यक है।

इसी सन्दर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अब महिलायें स्वयं जागी हैं। महिलायें एवं बाल विकास विभाग का अच्छी तरह से गठन 1985 में हुआ और निरन्तर विकास के कार्यक्रमों में एक गति आयी है। आज चाहे हमारे ग्राम की महिला हो, चाहे शहर की महिला हो, चाहे पढ़ी लिखी महिला हो चाहे अनपढ़ महिला हो, उसमें एक चेतना निश्चित रूप से आयी है कि उसने अब यह कह दिया है अपने कार्यों के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा कि उसे अब केवल वस्तु नहीं समझा जाय, उसे कोई घटना भी नहीं समझा जाय। वह तो एक सम्पूर्ण पर्सनल्टी और व्यक्तित्व है और जिस प्रकार का एक पुरुष व्यक्तित्व रखता है उसी प्रकार वह व्यक्तित्व रखती है और वह चाहती है कि पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर के वह राजस्थान के विकास में भागीदार बने।

महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का मैं विवरण नहीं देना चाहती, सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि महिला विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों के विकास के कार्यक्रम की परियोजना 7 जिलों में चल रही है, समेकित बाल विकास योजना केन्द्र के भी 99 यूनिट यहां पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसरण में बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सेवायें प्रदान करने के लिये समेकित बाल विकास सेवायें 1975 में चालू की गयी और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाती महिलाओं को समेकित सेवायें दी जाती हैं, छठी पंचवर्षीय योजना तक

(सुश्री गिरिजा व्यास)

राजस्थान में 25 परियोजनायें थीं, अभी 99 परियोजनायें हैं, जिसमें 8 लाख 18 हजार बच्चे और गर्भवती महिलायें लाभांवित होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनमें 83 परियोजनायें केन्द्र द्वारा संचालित है और 16 परियोजनाओं का भार राज्य सरकार वहन करती है।

मुझे कहते हुये खुशी है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र के सभी 23 पंचायत समितियों में इसका विस्तार कर दिया गया है। यहां मैं इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन करना चाहती हूं, जिस ओर श्री सी. पी. जोशी ने इशारा किया था, कि शताब्दी के भयंकर अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1987-88 में 20 परियोजनायें रेगिस्तान के 6 जिलों—बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, जालौर और नागौर में खोले गये उनमें 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक दिन दो बार पोषाहार वितरण किया गया।

इसी प्रकार मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोटड़ा और गोगुन्दा परियोजना, कोटा की शाहबाद और किशनगंज की दूसरी परियोजनाओं में भी 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को दो बार पोषाहार देने की सुविधायें भी हमने गत वर्ष दी। बाड़मेर जिले में 214 आंगनबाड़ी केन्द्र अतिरिक्त खोले गये और मुझे यहीं पर यह कहते हुए दुःख होता है कि जैसे केन्द्र सरकार ने जब कहा कि हम उन क्षेत्रों में जहां पर भयंकर अकाल है विशेष आंगनबाड़ी केन्द्र खोलें, कुछ जल्दी में इस प्रकार के केन्द्र खोले गये कि हम पूरी तरह से उन पर विचार नहीं कर सके और कुछ इस प्रकार के भ्रष्टाचार की यहां जो बातें आती हैं वह उन्हीं केन्द्रों की आती है, वहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स का चयन अच्छी तरह से नहीं कर पाये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, खत्म करें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मान लिया।

**श्री सी. पी. जोशी** : सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

**सुश्री गिरिजा व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सेवा समेकित बाल योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा, इस सेवा के 6 मूलभूत सिद्धान्त हैं, पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षा, शालापूरन, अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य जांच और सन्दर्भ सेवा। इसलिए हमने लिया है कि माह में एक बार स्वास्थ्य दिवस मनाया जाय और पांच दिन चिकित्सा अधिकारी को भी वाहन की सुविधा दी जाय ताकि वे हमारे अधिकारी के साथ जाकर बच्चों का निरीक्षण कर सकें।

एक विशेष योजना इस विभाग द्वारा खिलौना बैंक की खोली गई और इससे विभिन्न परियोजनाओं में अच्छे खिलौना बैंक खोले हैं, सबसे बड़ी बात, अभी माननीय नवरंग सिंह साहब जिस ओर इशारा कर रहे थे, कि इस विभाग को, मुझे कहते हुए अफसोस भी है, केवल दाल और दलिया का विभाग समझ लिया था। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि दाल और दलिया

(सुश्री गिरिजा व्यास)

या पूरक पोषाहार सामग्री देना हमारा एक कार्य है। लेकिन इस कार्य को थोड़ी नई दिशा देने के लिए अब हमने निर्णय लिया है कि इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को हम पूर्व-पाठशाला केन्द्रों में परिवर्तित करें। हमने केन्द्र सरकार को योजना भेजी और केन्द्र सरकार ने इसे मन्जूरी दी। दस लाख रुपये की विशेष स्वीकृति हमें इसके अन्दर दी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि अब पूरक पोषाहार सामग्री को आप मिड-डे मील के रूप में लें और प्राथमिक कार्य पूर्व प्राथमिक शालाओं के रूप में लें।

अभी कल आचार्यजी एक बात कह रहे थे, जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी, कि राजस्थान में लिटरेसी पर्सेन्टेज बहुत कम है। ड्राप आउट भी बहुत ज्यादा है। और खासकर पूर्व प्रामिक शालायें तो नहीं के बराबर हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि इनको पूर्व पाठशालाओं में परिवर्तित किया जाय। तीन महीने में हमारी "किलकारी" पत्र निकलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का भी हमने निर्णय लिया है। विश्व खाद्य संस्थान के द्वारा 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करायेंगे। एक बात बार-बार कही जाती है और जिसका मुझे भी बहुत अफसोस है कि बहुत बार खराब सामग्री यहां पर भेज दी जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए स्टोरेज टैंक्स भी, विश्व खाद्य के अन्तर्गत हम जो आंगनबाड़ी केन्द्र बनायेंगे, उसमें बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त हमने स्टेट वेयर-हाउसिंग कार्पोरेशन को भी निवेदन किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है, कि वे अब हमारे भण्डारों का रख-रखाव करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक भागीदारी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हमने महिला मण्डलों की स्थापना की घोषणा की। अब तक हमने 600 महिला मण्डल विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में खोले हैं, और इन महिला मण्डलों का कार्य प्रोढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे भी लिटरेसी पर्सेन्टेज आगे बढ़ेगा। ग्रामीण मार्ग दर्शिका तथा प्रोढ़ शिक्षा की अनुदेशिका हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स होंगी और वे एडल्ट एजुकेशन सेन्टर्स को चलायेंगी। इससे एक बात और सामने आयेगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो अभी बहुत कम पैसा मिलता है, वे यदि ग्रामीण मार्गदर्शिकायें तथा प्रोढ़ सिक्षा की अनुदेशिकायें बन जाती हैं तो उनको इसमें अलग से पैसा मिलेगा और वे अपने कार्य को सुचारू रूप से चला पायेंगी। हमारा मुख्य उद्देश्य लिटरेसी पर्सेन्टेज का इन माध्यमों से आगे बढ़ाना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है कि हमने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आंगनबाड़ियों की बात कही क्योंकि बार-बार बहुत से सदस्य इस बात की मांग करते हैं। 83 आंगनबाड़ियां केन्द्र द्वारा संचालित हैं उनमें 2612 आंगन-बाड़ियां नई खुलेगी जो लगभग बीस केन्द्रों के अतिरिक्त होंगी। मुझे सदन को यह कहते हुए भी हर्ष है कि हमें 26 नई बाल विकास परियोजनायें केन्द्र से मिली हैं। अब माननीय सी. पी. जोशीजी ने जो मुद्दा उठाया था, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती

(सुश्री गिरिजा व्यास)

हूं कि निश्चित रूप से केवल खमनौर में ही नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में........ (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : केवल उन्होंने मुद्दा उठाया वहीं खुलेगी या और कहीं भी खुलेगी ?

**सुश्री गिरिजा व्यास** : दूसरी जगह भी। 26 हमने कहा था, हमारे मैन्युअल के अनुसार उन्हें खोल दिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि अभी राज्य में 11610 आंगनबाड़ियां हैं, 23 हजार आंगनबड़ी महिला वर्कर्स को हमने नौकरी दी है, रोजगार दिया है। कुछ कठिनाइयां उसमें हैं, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो बातें हैं उनमें दम भी है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस बात में हमारा सहयोग करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके आदेश वे मान लें जब हैं ना। माननीय मन्त्रीजी, आपके आफिसर सहयोग लें जब हैं ना। मैं आपको एक सुझाव देता हूं। आप हर जिला लेवल पर जाइये और आई. सी. डी एफ. के प्रोग्राम को देखिये। स्वयं कह सकती हैं।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : हमने लिया है। (व्यवधान) हमने इस निर्णय को लिया है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की और स्टेट लेवल की परामर्शदात्री कमेटी बना दी है और मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहती हूं कि पहली डिस्ट्रिक्ट लेवल की हर कमेटी की मीटिंग में मैं स्वयं जाऊंगी और अपने आफिसर्स को भी मैंने कहा था कि वे हर दो माह की मीटिंग में एक-एक आफिसर्स वहां पर जाय।

अब मैं कुछ विशेष प्रश्न जो उठाये थे उन पर अपने उत्तर देना चाहती हूं लेकिन उसके पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, खास कर कोटा के संबंध में। माननीय औदिच्य साहब ने प्रश्न उठाया था, 23.6 89 को बीस सूत्री कार्यक्रम एवं समन्वय समिति बाल विकास कार्यक्रम का निरीक्षण किया। समिति की टिप्पणी है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के बाद पहले की अपेक्षा कार्य अधिक सुचारू रूप से पाया गया। लेकिन हम यहीं तक बन्द नहीं होंगे इसे और अधिक सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए हम लोग कृत-संकल्प हैं। वैसे मैं कह दूं कि इसमें एम. एल. ए. महोदय भी हैं और दूसरे हमारे आफिसर्स भी हैं।

गुड़ की सप्लाई के सम्बन्ध में आपका प्रश्न बहुत समीचीन था। भरतपुर के क्षेत्रीय उप-निदेशक के सम्बन्ध में, यह बात सही है कि बहुत बार रेट्स के बढ़ जाने से हमें सप्लाई नहीं मिलती है। मैं सदन को निवेदन करना चाहती हूं कि हमने भरतपुर के सन्दर्भ में जो पचास हजार धरोहर राशि थी उसको जब्त कर ली। दूसरी जगह पर भी जहां पर इस प्रकार के मामले आये, हमने धरोहर राशि को जब्त किया है। इस सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं सदस्यों से कि यदि सामग्री के पहुंचने में विलम्ब हो तो हमने सी.डी. ओज को यह पावर दे रखे हैं कि पांच हजार तक की सामग्री खरीद लें। यदि वह नहीं खरीदते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम

252



(सुश्री गिरिजा व्यास)

इस सन्दर्भ में उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए कुछ करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि निश्चित रूप से विभाग इस ओर भी पूरी तरह से सचेत है कि भ्रष्टाचार के मामले कम से कम हों और भ्रष्टाचार इस विभाग से हटे। मैं बार-बार निवेदन करती हूं मेरे आफिसर्स को और उनके नीचे तक के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को।

**श्री उपाध्यक्ष** : निवेदन मत करो उनको ऑर्डर दो। आप ऑर्डर दीजिये उनको।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : ऑर्डर तो मैं देती हूं लेकिन उनको निवेदन यह करती हूं कि यह विभाग भ्रष्टाचार का विभाग नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के मुंह से कौर छीनते हुए तो लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। वैसे मैं सदन को सूचना के लिए बता दूं कि इस वर्ष कुल मिलाकर 130 शिकायतें प्राप्त हुई इनमें से 9 प्रकरणों में प्राथमिक जांच की गई, 35 प्रकरण बेनामी निकले और पांच प्रकरणों पर....

**श्री सूरमाराम** : मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में भी आकर निरीक्षण करें। काफी भ्रष्टाचार हो रहा है.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : Please sit down.

**सुश्री गिरिजा व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिलाती हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**सुश्री गिरिजा व्यास** : आप इसमें सहयोग करें। उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। सदन की विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने फीड बैक भी दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती कमला भील आप तो ब्रीफ में दे सकती है, कोई बात नहीं। आपकी तबियत ठीक नहीं है, मुझे मालूम हुआ है।

**श्री देवीलाल** : एक मिनट, माननीय मन्त्रीजी को मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्ती में आंगनबाड़ी खोलने के लिए कोई मना है क्या? इसका जवाब दें। नो सवाल से वहां, जो भी लिखा पढ़ी है, निवेदन करता हूं कि हमारी शाहपुरा तहसील शिड्यूल्ड कास्ट्स की तहसील है, मैं 9 वर्षों से निवेदन कर रहा हूं। उसमें आंगनबाड़ी नहीं खोली, कोई मना है क्या....

**श्री उपाध्यक्ष** : आयेंगे, आयेंगे आपके पास।

**श्रीमती कमला भील** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 35 समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में आज सदन में बहुत सी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बहुत से मूल्यवान सुझाव दिये। और विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी जानकारियां भी दी जिससे विभाग को चलाने के लिए हमें काफी मार्गदर्शन मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रही थी कि यह विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु, विमुक्त जाति और पिछड़ी जाति और कमजोर वर्ग

(श्रीमती कमला भील)

के शैक्षणिक आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक उत्थान का कार्य भी चलाता है। यह सबको विदित है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही लगातार यह समाज कल्याणार्थ कार्य कर रहा है और आप यह भी जानते हैं कि यह समाज, जो कि पिछड़ा समाज कहलाता है, यदि यह समाज पिछड़ा ही रहा, तो निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।

यह ठीक है भाषा और शैली और बोलने की जो लोगों में प्रवृत्ति है वह मेरे में नहीं हो सकती है, परन्तु यह सच बात है कि हमारे महान् नेताओं ने, चाहे वह प्रधान मन्त्री नेहरू जी हों, चाहे इन्दिरा गांधी हों, उन्होंने इस पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिये हमेशा चिन्ता व्यक्त की है, यदि हमें आगे बढ़ना है, यदि आगे उन्नति करनी है, इस राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो जब तक यह समाज प्रगति नहीं करेगा और समानता के आधार पर नहीं आयेगा तब तक राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।

इसलिये समाज के इस भाग के लिये सदन के माननीय सदस्यों ने काफी गम्भीरता से अपने सजेशन दिये हैं, और आगे बढ़ाने की बातें कहीं हैं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है और सच बात यह है कि जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदली जायेगी, तब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि इस अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिये कार्य करें। हमें संविधान ने बहुत कुछ दिया है, जो डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल हैं जो स्टेट्स को निर्देश दिये हैं, कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत नीतियों के अनुसार स्टेट्स इस तरह के नियम, नीतियां बनायें जिससे पिछड़े वर्ग की उन्नति हो सके, आर्थिक उत्थान हो सके और उनका सामाजिक उत्थान हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाह रही हूं, विभाग द्वारा गत वर्ष और वर्तमान में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार आपको बताना चाहती हूं। समाज कल्याण का प्रथम सूत्र 11-ए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये एक सूत्र है, जिसमें वर्ष 1989-90 में 1.65 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी क्रियान्विति के लिये राजस्थान प्रारम्भ से ही उस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आपको विदित ही है, और माननीय सदस्य मांगीलाल जी मेघवाल ने काफी कुछ बताया था कि विशिष्ट सगठन योजना जो कि कम्पोनेन्ट प्लान कहलाता है, उसके तहत हमारी हरिजन बस्तियों और मौहल्ले के उत्थान के लिये, उनकी क्रियान्विति के लिये, जहां छठी पंचवर्षीय योजना में 14250 बस्तियों में पीने के पानी की सुविधा दी गई वहां 1988-89 के अन्त तक 24250 बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराया गया तथा 13200 बस्तियों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाये। जैसा कि इन्दोलिया साहब ने भी कहा था, कई एक बस्तियां हैं, जहां अभी भी पानी और

(श्रीमती कमला भील)

बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 1980 में एक अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की स्थापना हुई और उस अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम का सबसे बड़ा काम यह है कि आर्थिक रूप से उन पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से उन्नत करे। इसमें कई तरह की योजनायें हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में पैकेज प्रोग्राम, जिसके अन्तर्गत चमड़े का कार्य, प्रिन्टिग प्रेस, सांगानेरी छपाई, सोप पाऊडर बनाना, कारपेन्टिग, इन्जीनियरिंग इकाइयां और फैबरिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स आदि योजनायें हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा योजना, मकान योजना, प्रशिक्षण एवं रोजगार की योजना, सामुदायिक विकास के माध्यम से सिंचाई कुओं की ब्लास्टिंग एवं बोरिंग, डेयरी विकास, सामाजिक वानिकी, कृषकों के लिये हिस्सा राशि सीड, हाथ कर्घा योजना, शैक्षणिक कार्यक्रम आदि हैं।

माननीय मेघवाल जी ने इसी कारपोरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था, परन्तु मैं माननीय सदस्य से कहना चाह रही हूं कि आपने कई बार इसका प्रश्न भी उठाया और उसका हमने उत्तर दिया। इसके अलावा आपने जब नियम 127 में मुद्दा उठाया तो उसमें भी आपको बिन्दुवार उत्तर दिया गया है। आपका जो मानना है और आपने आरोप लगाये हैं वह बिल्कुल निराधार है। इसका विस्तृत उत्तर आपको दिया चुका है। माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहती हूं कि निगम की कई उपलब्धियां हैं। उस पर आप चाहे आप आरोप प्रत्यारोप मढ़ते रहें, परन्तु उसका एक पक्ष अच्छा भी है और वह है इस विवरण से बताना भी चाह रही हूं। वर्ष 1988-89 में 200 के लक्ष्य के विरूद्ध 245 ऑटो रिक्शा दिलवाये गये हरिजनों को स्काइट योजना के अन्तर्गत भी 6000 के लक्ष्य के विरूद्ध 6473 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। पम्प सैट 250 के लक्ष्य के विरूद्ध 469 लगाये गये। 500 शैड के लक्ष्य के विरूद्ध 593 शैड का निर्माण कराया गया। 1000 दुकानों के विरूद्ध 1160 दुकानों का निर्माण कराया गया। माननीय सदस्यों को यह बताना चाह रही थी कि दुकानों के आवंटन के लिये सरकार के विचाराधीन है। नीति सम्बन्धी विचार किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिये इस कारपोरेशन द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

कई माननीय सदस्यों ने छात्रावासों के बारे में विशेष चिन्ता की है। कइयों का कहना है कि छात्रावास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं। अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाह रही हूं कि निगम ने 71 के करीब भवन निर्माण कार्य जारी कर दिये हैं और वह भवन सभी स्थानों पर बनने शुरू हो गये हैं। मार्च, 19"9 में, मुख्यमन्त्री के बजट घोषणा की क्रियान्विति में, छात्रों को दी जाने वाली छात्र राशि 140 व 145 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इन छात्रावासों में वर्ष 1984-85 में 232 लाख रुपये खर्चा था....

**श्री कमला भाई मीणा** : भवन के लिये मन्त्री महोदया ने कहा। आज राजस्थान में कितने भवन किराये पर चल रहे हैं और कितने भवन छात्रावास के लिये बनाये हैं यह आप बताओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्रीमती कमला भील** : इसी प्रकार लाभान्वित छात्रों की संख्या 1984-85 में 15000 से बढ़कर 18000 से अधिक हो गई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बैठ जाइये।

**श्रीमती कमला भील** : पिछले वर्ष 38 नये छात्रावास खोले गये तथा इस वर्ष भी 12 नये छात्रावास खोले जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री भैरोंलाल जी मीणा।

**श्रीमती कमला भील** : अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम ने 71 छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है अधिकांश छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। कई माननीय सदस्यों ने छात्र वृत्ति के बारे में बोला था। उपाध्यक्ष महोदय, जहां वर्ष 1984-85 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा ढाई लाख छात्रों को लाभान्वित किया गया, उसके मुकाबले में वर्ष 1988-89 में 6.27 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं और सवा चार लाख छात्रों को लाभान्वित किया गया है। (व्यवधान)

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : यह क्या आप प्रगति रिपोर्ट पढ़ रही हैं? आप तो घोषणा करो। छात्रावासों में सन् 1964 से सामान पड़ा हुआ है। उसको आप राइट आफ करके नई खरीद करेंगी या नहीं? (व्यवधान) करोड़ों रुपया निगम में आता है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : सभी माननीय सदस्यों ने छात्रावासों के बारे में चिन्ता प्रकट की है। (व्यवधान)

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : मन्त्री जी जवाब दे रही है तो सवाल भी पूछेंगे।....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब सवाल नहीं।

**श्रीमती कमला भील** : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने भंगी कष्ट मुक्ति के बारे में कुछ आरोप लगाये थे। यह दुःख की बात है कि मैला सिर पर ढोया जाता है परन्तु अब इसको कानूनी रूप से बन्द कर दिया गया है। एक लाख शौचालयों को सूखे तहारतों में बदला जा चुका है और इस साल बीस हजार फ्लश बदलने का लक्ष्य है।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हू, मैं विस्तार से कहना चाहती थी, वह नहीं बोल सकी परन्तु माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो कुछ सुझाव आपने दिये हैं, उन पर कार्यवाही करने के लिये मैं आपको आश्वस्त करती हूं। मैं भी एक आदिवासी महिला हूं, मैं जागरूक हूं। इस विभाग को अधिक से अधिक इफेक्टिव करने के लिये मैं पूरा

(श्रीमती कमला भील)

प्रयास करूंगी और जो कुछ सुझाव आपने दिये हैं उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भैरूंलाल मीणा।

**श्री भैरूंलाल मीणा** (राज्य मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर इस सदन के काफी सदस्यों ने चर्चा की। 21 सदस्यों ने अपने विचार रखे और 104 कटौती प्रस्ताव आये। इन सब का मैं स्वागत करते हुए हार्दिक बधाई देता हू कि आपने अपने सुझावों से, कटौती प्रस्तावों से अनियमितताओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं बिल्कुल नया हूं और पहली बार इस तरह का जवाब दे रहा हूं। पहले मैं खुद इस विभाग से सवाल जवाब पूछता था परन्तु अब यह मेरे जिम्मे आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने मुझे यह विभाग दिया है तो मैं थोड़ा संक्षेप में मेरे जीवन के बारे में भी आपको निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे पिताजी मुझे छोटी उम्र में छोड़ कर गये। दूसरी क्लास पास करके मैंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी करते हुए असिसटेण्ट सर्वेयर बना। केटेगरी वन से केटेगरी थ्राइन तक मजदूरी में गया। उस पीरियड में मजदूरी आठ घण्टे करता और शाम को एक घण्टा मजदूर मूवमेंट में काम करता। उसमें कार्यकारिणी के सदस्य से सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट और वर्किंग प्रेसीडेन्ट तक रहा। इस तरह जब मैं दूसरी क्लास पास करके मजदूरी में लगा तो आठ घण्टे मजदूरी करने के बाद रात को एक घण्टा पढ़ाई करता और फिर घण्टा मजदूरों का काम करता। रात को सड़क पर जो होटल चलते हैं उनले हरीकेन कैम्प के नीचे बैठ कर पढ़ाई किया करता था। इस तरह से मैंने हायर सैकेण्डरी पास किया। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी से कोई जीच नहीं मांगी। मैं 14 वर्ष तक न्याय पंचायत का चेयरमेन रहा जिसमें मैंने कभी भी एक नया पैसा खर्च नहीं किया। और पैसा लेने वाली बात, यह मैं नहीं कहता, यह तो अपने आप मालूम होती है। दो बार विधान सभा का चुनाव लड़ा उसमें भी मैंने अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं किया। इस वक्त भी मैंने कहीं भी जाकर चमचागिरी या सिफारिश नहीं करायी कि मुझे मन्त्री मण्डल में शामिल किया जाये। मैं जब जयपुर आया तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे मन्त्री मण्डल में शामिल किया गया है। इस तरह मैं एक नया व्यक्ति हूं जो इस मन्त्री मण्डल में शामिल हुआ है।

माननीय सदस्य यहां पर विचार व्यक्त कर रहे थे। आदिवासियों और पिछड़े वर्ग को जो आगे उठाने की बात है, जिस तरह से मैं योग्यता के अनुसार काम करता रहा उसी तरह आदिवासियों को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिये। हम अपनी होशियारी करें। कोई हमको लकड़ी देकर चलाने की कोशीश करता है, सहारा देता है, तो उस सहारे को सम्भालते हुए हम अपने पैरों पर खड़े हों, यह प्रवृत्ति हमारे में आनी चाहिये, जिस तरह से मैंने शुरूआत की।

पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने के लिये ही इस विभाग का गठन किया गया है, 1975 में इसकी स्थापना की गई। उदय-

(श्री भैरूंलाल मीणा)

पुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ज्यादा आदिवासी रहते हैं, इसके कारण मुख्यावास उदयपुर में रखा गया है। इस विभाग के द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये बहुत कार्य किया गया। आज इस क्षेत्र की जनसंख्या 27.57 लाख है जिसमें आदिवासियों की जन संख्या 18.30 लाख है। इस प्रकार जन संख्या में इस क्षेत्र में आदिवासियों का प्रतिशत 66.39 है। सन् 1975 से आज तक यह विभाग काम कर रहा है और विभिन्न योजनाओं के द्वारा पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिये योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैंने भी इस सम्बन्ध में काफी चिन्ता व्यक्त की है। मैंने भी अपने विचार विधान सभा में रखे हैं। उसके बाद मैंने इस क्षेत्र में जाकर देखा है। पहले पटवारी की लाइन में कोई व्यक्ति नहीं था। इसमें ट्रेनिंग लेकर बहुत से आदिवासी पटवारी की लाइन में जाने लगे हैं। इसी प्रकार जो राज्य परिवहन निगम है, उसमें नहीं लिये जाते थे। ट्रेनिंग के बाद इस विभाग में भी लिये जा रहे हैं। जो होना चाहिये उतना नहीं है, लेधिन धीरे-धीरे प्रगति होती जा अब माणिक्यलाल वर्मा संस्थान उदयपुर में चल रहा है। जब कभी प्रश्न पूछा जाता था, तो विभाग वाले यह जवाब देते थे कि पिछड़े वर्ग के योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। तो उनको योग्य करने के लिये माणिक्यलाल वर्मा संस्थान काम कर रहा है। परीक्षा के पूर्व, या विभाग में इन्टरव्यू देने जाने के पहले ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जाता है ताकि वे इन्टरव्यू में उत्तीर्ण हों। इस तरह का प्रोग्राम चालू किया गया है। मैं चाहूंगा कि यह प्रोग्राम अच्छा चले और आपके जो सुझाव हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए इस विभाग की मदद करूं। मैं ज्यादा विस्तार से उत्तर नहीं दे पाऊंगा, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि यह विभाग मुझे नया-नया मिला है, आपने जो सुझाव दिये हैं उनका उत्तर मैं आपको एक महीने में भिजवा दूंगा। आपके सुझाव अच्छे हैं उनको उपयोग में लाने की कोशिश करूंगा। समय बहुत कम रहा है, अब चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जायेगी, काम करने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस समय के अन्दर जो सुझाव आपने दिये हैं, विभाग को पूरी तरह से मैं सतर्कता से देखते हुए इस कार्य को ठीक से चलाने की कोशीश करूंगा।

श्री सी. पी. जोशी ने उदयपुर क्षेत्र के पूरे आदिवासियों का जो ढांचा है, वह सारा बता दिया है। उन्होंने कुछ मांग और की है। कुछ आपने सुझाव दिये हैं कि जो बिखरे हुए आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों को वह सुविधा नहीं मिलती है जो सुविधा जनजाति क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को मिलती है। मैं कोशीश करूंगा कि उन लोगों को भी सुविधा दी जाय। इस प्रकार का हम विचार करेंगे। आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

**मांगों का पारण**

**मांग संख्या 33**

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त

258



(श्री उपाध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,40,93,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, जनजाति क्षेत्रीय विकास, के सम्बन्ध में 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,25,48,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 6 जुलाई, 1989 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9.53 बजे, बृहस्पतिवार, दिनांक 6 जुलाई, 1989 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

## परिशिष्ट–1

### अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

वर्ष 1987–88 में तहसील सरदार शहर जिला चूरू में स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइयों की सूची

| क्र सं. नाम कामगार मय पिता | जाति | गांव | उद्योग | ऋण | सहायता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1–श्री भागीरथ/गणेशाराम | रेगर | सरदार शहर | चर्मजूता | 2250 | 250 |
| 2–श्री हणमाना/माडूराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 3–श्री चोरूराम/मोलकराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 4–श्री कालूराम/रावतराम | ,, | ,, | चर्मरंगाई | 3750 | 750 |
| 5–श्री प्रकाश/सांवलराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 6–श्री मदनलाल/भूराराम | ,, | ,, | चर्मजूता | 2250 | 250 |
| 7–श्री सीताराम/चूनाराम | ,, | ,, | चर्मरंगाई | 3750 | 750 |
| 8–श्री भीमाराम/हरकाराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 9–श्री नेकचन्द/मत्थूराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 10–श्री मांगीलाल/मालाराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 11–श्री प्रभूदयाल/मोतीराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 12–श्री प्रताप/सैतानराम | मेघवाल | बिल्यूवास रामपुरा | चर्मजूता | 2250 | 250 |
| 13–श्री कानाराम/पूर्णाराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 14–श्री भंवरलाल/बुद्धाराम | ,, | साईबडी | ,, | 2250 | 250 |
| 15–श्री सोहनलाल/गिरधारीराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 16–श्री भंवरलाल/भागीरथ | रेगर | सरदार शहर | ,, | 2250 | 250 |
| 17–श्री शंकरलाल/नरसाराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 18–श्री मनोज कुमार/चीमनाराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 19–श्री नानूराम/कृपाराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 20–श्री नरसाराम/पेमाराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | -श्री खेताराम/चौथूराम | रेगर | सरदार शहर | चर्मजूता | 2250 | 250 |
| 22 | –श्री नरसाराम/सेवाराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 23 | –श्री घमाराम/लादूराम | मेघवाल | सवाईबंड़ी | ,, | 2250 | 250 |
| 24 | –श्री मदनसिंह/भैरूसिंह | राजपूत | मेलूसर | रेशा | 3470 | 470 |
| 25 | श्री बोईताराम/हरावाराम | रेगर | सरदार शहर | चर्मरंगाई | 3750 | 750 |
| 26 | -श्री टीकूराम/छोटूराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 27 | श्री पूनम/मेघाराम | मेघवाल | मोहरासर | कलीचूना | 5000 | – |
| 28 | -श्री गोपालसिंह/पेमसिंह | राजपूत | राजासर | ,, | 5000 | – |
| 29 | –श्री जगदीश/बुद्धाराम | सांसी | मेलूसर | चर्मजूता | 2250 | 250 |
| 30 | -श्री फूलाराम/गोपालराम | नायक | ,, | रेशा | 3470 | 470 |
| 31 | -श्री रामकुमार/हंसराम | मेघवाल | हरियासर | रेशा | 3470 | 470 |
| 32 | –श्री चौथूराम/रूघाराम | ,, | ,, | बांसबंत | 1100 | 100 |
| 33 | –श्री लादूराम/भैंगाराम | रेगर | सरदार शहर | चर्मरंगाई | 3750 | 750 |
| 34 | –श्री जयचन्द/माणकचन्द | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 35 | –श्री पूनमचन्द/तनसुखराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 36 | -श्री मोतीराम/हरकाराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 37 | –श्री मंगाराम/खेताराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 38 | -श्री भागीरथ/खेताराम | ,, | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 39 | –श्री नत्थूराम/रावतराम | चमार | सवाईबाड़ी | चर्मजूता | 2250 | 250 |
| 40 | –श्री ईसर राम/हस्ताराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 41 | -श्री गोविन्दराम/गिरधारीराम | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 42 | –श्री ताबूराम/गिरधारीलाल | ,, | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 43 | -श्री श्यामलाल/बुद्धाराम | ,, | मेलूसर | ,, | 2250 | 250 |
| 44 | –श्री डूंगरराम/रूद्धाराम | ,, | हरियासर | ,, | 2250 | 250 |
| 45 | -श्री ओमप्रकाश/हीराराम | शर्मा | सरदार शहर | रेशा | 3470 | 470 |
| 46 | -श्री मोहम्मद याकूब/नत्थूजी | तेली | ,, | पावरघाणी | 7500 | – |

वर्ष 1988–89 में तहसील सरदार शहर जिला चूरू में स्वीकृत
ग्रामोद्योग इकाइयों की सूची

| क्र. सं. 1 | नाम कामगार 2 | ग्राम 3 | उद्योग 4 | ऋण 5 | सहायता 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1– | सर्वश्री गंगाराम/अर्जुनराम | पातलीसर | कुम्हारी | 3765 | 3765 |
| 2– ,, | गणपतराम/चन्द्राराम | मेलूसर | ,, | 3765 | 3765 |
| 3– ,, | हड़मान्तराम/हरजीराम | ,, | दर्जी | 8900 | – |
| 4– ,, | मुखराम/लिखुराम | भोजरासर | सुथारी | 3900 | 900 |
| 5– ,, | सोहनलाल/भीमाराम | मेहरासर | सुथारी | 3900 | 900 |
| 6– ,, | भेरूराम/जीवनराम | ,, | लुहारी | 4800 | 1800 |
| 7– ,, | भंवराराम/सुगनाराम | जैतासर | रंगाई | 3750 | 750 |
| 8– ,, | गिरधारीलाल/ब्रह्माराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 9– ,, | जयचन्द/सुगनाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 10– ,, | मानकचन्द/सोहनलाल | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 11– ,, | ओमप्रकाश/धन्नाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 12– ,, | सन्तलाल/धन्नाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 13– ,, | मूलचन्द/कुम्भाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 14– ,, | मूलचन्द/सुगनाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 15– ,, | घीसाराम/रतनाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 16– ,, | राजूराम/मोहनलाल | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 17– ,, | भजनलाल/पुरखाराम | बरडासर | जैता | 2250 | 250 |
| 18– ,, | भंवरलाल/सोहनलाल | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 19– ,, | प्रभुराम/नोपाराम | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 20– ,, | मालाराम/बुद्धाराम | रुपलासर | ,, | 2250 | 250 |
| 21– ,, | फूलाराम/बुद्धाराम | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 22– ,, | सूरजाराम/जेठाराम | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 23– ,, | हनुमान/मामचन्द | जैतासर | ,, | 2250 | 250 |
| 24– ,, | रुपाराम/भागूराम सांसी | सारसर | ,, | 2250 | 250 |
| 25– ,, | लूनाराम/सेदूराम | उडसर | ,, | 2250 | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26– श्री | लिछया/रेवतराम मेघवाल | लिकासर | जूता | 2250 | 250 |
| 27– ,, | मांगीलाल/लिछमणराम | खारसर | ,, | 2250 | 250 |
| 28– ,, | बिशनाराम/लिछमणराम | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 29– ,, | सियाराम/लादूराम | कर्णसर | ,, | 2250 | 250 |
| 30– ,, | रामेश्वरलाल/खिवाराम | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 31– ,, | पन्नाराम/लादूराम | मालस्वसर | ,, | 2250 | 250 |
| 32– ,, | मामराज/चोखाराम | ,, | ,, | 2250 | 250 |
| 33– ,, | खेताराम/कानाराम | मालखसर | जूता | 2250 | 250 |
| 34– ,, | शिशपाल/मोटूराम | जेतसर | ,, | 2250 | 250 |
| 35– ,, | हनुमानराम/मोटूराम | , | ,, | 2250 | 250 |
| 36– ,, | चातराराम/सूरजाराम | जयसिंहसोर | ,, | 2250 | 250 |
| 37– ,, | नन्दराम/मंगलाराम | भोलूसर | ,, | 2250 | 250 |
| 38– ,, | बीरबलराम/हेमाराम | उडसर | ,, | 2250 | 250 |
| 39– ,, | नानूराम/रेवन्तराम | भोलूसर | ,, | 2250 | 250 |
| 40– ,, | नीमाराम/झाबरराम | बरडासर | रेशाबाणमशीन | 3470 | 470 |
| 41– ,, | हजारीलाल/न्योलाराम | मेहरसर | ,, | 3470 | 470 |
| 42– ,, | नोरंग/टोऊराम | मेलूसर | ,, | 3470 | 470 |
| 43– ,, | निराणाराम/रावतरामनायक | कर्णसर | ,, | 3470 | 470 |
| 44– ,, | नोरंगलाल/मंगलूराम | मेलूसर | ,, | 3470 | 470 |
| 45– ,, | मुम्ताकखां/फरीदखां | कालूवालिया | ,, | 3470 | 470 |
| 46– ,, | भादरसिंह/सगतसिंह | जेतासीसर | ,, | 3470 | 470 |
| 47– ,, | शंकरलाल/सुगनाराम | ,, | ,, | 3470 | 470 |
| 48– ,, | श्रीमति लिणादेवी/भंवरलाल | भोलूसर | टेलरिंग | 8900 | – |
| 49– ,, | रतनादेवी/भंवरलाल | ,, | ,, | 8900 | – |
| 50– ,, | लिछमादेवी/धीराराम | उडसर | ,, | 8900 | – |
| 51– ,, | भंवरीदेवी/हेतराम | भोलूसर | ,, | 8900 | – |
| 52– ,, | मोहनराम/राजेराम | जेतसीसर | ,, | 8900 | – |
| 53– ,, | भागाराम/उदाराम | ,, | ,, | 8900 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54- श्री | बलाराम/मामदीन | जेतसीसर | टेलरिंग | 8900 | - |
| 55- ,, | बीरबलराम/मूलाराम | ,, | ,, | 8900 | - |
| 56- ,, | दुर्जनसिंह/भंवरसिंह | ,, | ,, | 8900 | -- |
| 57- ,, | नारायणसिंह/गोपालसिंह | ,, | हालोब्लाक्स | 10000 | - |
| 58- ,, | गुगना/छोगाराम | भोलूसर | चूनाचाक | 9000 | - |
| 59- ,, | श्रीमति हुसना/कसमीखां | कालूवासिया | अगरबत्ती | 8000 | - |
| 60- ,, | श्रीमति पूरादेवी/चीमाराम | जेनसीसर | चर्मरंगाई | 3750 | 750 |
| 61- ,, | कुम्भाराम/भोमाराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 62- ,, | श्रीमति सन्तली/लीलाधर | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 63- ,, | कोजूराम/बीरबलराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 64- ,, | मनसाराम/ख्यालीराम | ,, | ,, | 3750 | 750 |
| 65- ,, | ओंकारमल/हरीराम पारीक | उडसर | अ.दा. पापड | 4000 | - |
| 66- ,, | कादरबानो/इकबालखां | कालूवासिया | ,, | 4000 | - |
| 67- ,, | रामेश्वरलाल/ख्यालीराम | जेतसीसर | घरट | 4150 | 1150 |
| 68- ,, | रामचन्द्र/लिखूरामसुथार | भोजरासर | सुथारी | 3900 | 900 |
| 69- ,, | भूराराम/उदाराम | उडेरा | घरट | 4150 | 1150 |
| 70- ,, | तोहनलाल/ढ़ड़ाराम | उडसरा | चर्मजूता | 2250 | 250 |

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 98 की सूची

वायु प्रदूषक सीमेंट उद्योगों की सूची एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण :-

| क्र. सं. | उद्योग का नाम | की गयी कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **वृहद् श्रेणी के सीमेंट उद्योग** | |
| 1- | मै. उदयपुर सीमेंट, बजाज नगर, उदयपुर। | सम्मति निरस्त की गयी, उद्योग ने सितम्बर, 89 तक किलन नं. 3 पर ई. एस. पी. लगाने का वादा किया है, जो कि निर्माणाधीन है, उसके बाद अभियोजन प्रस्तावित है। |
| 2- | मै. ए. सी. सी., लाखेरी। | सम्मति निरस्त की गयी। एक किलन पर ई. एस. पी. लगा है एवं 2 किलन पर पूर्ण व्यवस्था की जानी है। ई. पी. एक्ट, 86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु केन्द्र सरकार को लिखा गया। |
| | **मध्यम श्रेणी के सीमेंट उद्योग :-** | |
| 3- | मै. जन लघु सीमेंट उद्योग, (नया नाम जनप्रिय सीमेंट लि.) नीमका थाना। | उद्योग ने मल्टी साइक्लोन लगा लिया है, मोनिटरिंग की जानी शेष है। कानूनी नोटिस दिया गया। |
| 4- | मै. सोलर सीमेंट प्रा. लि., लक्ष्मणगढ़, सीकर। | उद्योग ने "वेट फिल्टर लगाया परन्तु सही कार्य नहीं करने के कारण कानूनी नोटिस दिया गया। |
| 5- | मै. मारुति सीमेंट लि., सीकर। | उद्योग को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार साइक्लोन लगाने के निर्देश दिये गये। |
| 6- | मै. हिन्दुस्तान सिन्थेटिक्स, श्रीमाधोपुर। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7– | मै. जोबनेर सीमेंट, फुलेरा । | उद्योग को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार साइक्लोन लगाने के लिये कहा गया। |
| 8– | मै. खेमका सीमेंट, बहरोड़ । | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है एवं उसे संयुक्त मोनिटरिंग के लिये कहा गया है । |
| 9– | मै. सालूजा सीमेंट, बहरोड़ । | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है, साइक्लोन में उचित सुधार के निर्देश दिये गये । |
| 10– | मै राजधानी एसोसियेट, बहरोड़ । | उद्योग को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार साइक्लोन लगाने के लिये कहा गया है । |
| 11– | मै. ढिल्लो सीमेंट, बहरोड़ । | उद्योग ने प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगा लिये हैं । मोनिटरिंग की जानी शेष है । |
| 12– | मै. अग्रवाल सीमेंट, गोटन । | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। उद्योग ने साइक्लोन क्रय करने के लिये आदेश दे दिये हैं । |
| 13– | मै. खारिया सीमेंट, खारिया, मीठापुर । | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है । उसमें सुधार हेतु निर्देश दिये हैं । |
| 14– | मै. जोधपुर सीमेंट, जोधपुर । | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। उद्योग ने साइक्लोन क्रय के आदेश दे दिये हैं । |
| 15– | गंगा सीमेंट, जोधपुर । | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है, मोनिटरिंग रिपोर्ट आना शेष है । |
| 16– | मै. सुदर्शन सीमेंट, आबू रोड । | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया । उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है, सुधार अपेक्षित है । |
| 17– | मै. सिरोही सीमेंट, सिरोही । | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है, मोनिटरिंग रिपोर्ट आना शेष है । |

(266)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18– | मै. सिल्वर सीमेंट, सिरोही। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया, उद्योग ने साइक्लोन क्रय करने के आदेश दे दिये हैं। |
| 19– | मै. श्री शक्ति सीमेंट, आबू रोड। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। |
| 20– | मै. जवाई सीमेंट, आबू रोड। | उद्योग को कानूनी नटिस दिया गया। |
| 21– | मै. श्री नाथ सीमेंट, सिरोही। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। उद्योग ने साइक्लोन क्रय के आदेश दे दिये हैं। |
| 22– | मै. सरावगी सीमेंट, चूरू। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। उद्योग ने साइक्लोन क्रय करने के आदेश दे दिये हैं। |
| 23– | मै. श्री लक्ष्मी सीमेंट, हिन्डौन सिटी। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। उद्योग ने साइक्लोन क्रय करने के आदेश दे दिये हैं। |
| 24– | मै. ब्रह्मानी सीमेंट, भीलवाड़ा। | उद्योग को कानूनी नोटिस दिया गया। |
| 25– | मै. भिवाड़ी सीमेंट, बहरोड़। | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है। मोनिटरिंग रिपोर्ट अपेक्षित है। |
| 26– | मै. साबू मिनरल्स, जोधपुर। | उद्योग ने साइक्लोन लगा लिया है तथा उसे उचित सुधार हेतु कहा गया है। |
| 27– | मै. यूनीलिंक, आबू रोड। | उद्योग को नोटिस दिया गया। |
| 28– | मै. सर्राफ सीमेंट, सीकर। | उद्योग को नोटिस दिया गया। |
| 29– | मै. कुमार स्वास्तिक, बहरोड़। | उद्योग को नोटिस दिया गया। |
| 30– | मै. गोदा एन्टर प्राइजेज, उदयपुर। | उद्योग को नोटिस दिया गया। |

नोट :–जिन उद्योगों को नोटिस दिये गये हैं, उनके द्वारा पालना न करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक "ख"

सीमेंट उद्योगों की सूची जिनके द्वारा ई. एस. पी. लगाया हुआ है :–

| क्र.सं. | उद्योग का नाम | ई. एस. पी. लगाने का वर्ष |
|---|---|---|
| | **वृहद् श्रेणी के सीमेंट उद्योग** | |
| 1– | मै. श्री सीमेंट लि., ब्यावर। | 1985 |
| 2– | मै. उदयपुर सीमेंट, बजाज नगर, उदयपुर। | 1970 किलन नं. 1, 1981 किलन नं. 2 |
| 3– | मै. जे. के. सीमेंट, निम्बाहेड़ा। | 1981 किलन नं. 1, 1979 किलन नं. 2, 1975 सीमेंट मिल–1, 1980 सीमेंट मिल–2 |
| 4– | मै. मंगलम सीमेंट, मोडक। | 1983 |
| 5– | मै. ए. सी. सी., लाखेरी। | 1988 |
| 6– | मै. जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर। | 1985 |
| 7– | मै. श्रीराम सीमेंट, कोटा। | 1987 |
| 8– | मै. बिरला सीमेंट, चित्तौड़गढ़। | 1988 |
| 9– | मै. लक्ष्मी सीमेंट, सिरोही। | 1982 |
| 10– | मै. जे. के. व्हाइट सीमेंट, गोटन। | 1984 |
| 11– | मै. चित्तौड़ सीमेंट, चित्तौड़गढ़। | 1988 |
| 12– | मै. राजश्री व्हाइट सीमेंट, जोधपुर। | 1988 |
| 13– | मै. जे. के. सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। | 1982 |

## परिशिष्ट–3

### समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

#### पंचायती राज सम्बन्धी अधिनियम

**100. श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :** क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायती राज सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से कोई राय मांगी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त संबंध में केन्द्र सरकार को कोई राय दी है ? यदि हां, तो कब व क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में संशोधन करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

#### झाड़ोल पंचायत समिति की जल प्रदाय योजना

**101. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) :** क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, झाड़ोल जिला उदयपुर में किस किस स्थान हेतु विगत दो वर्षों में जल योजना स्वीकृत की गई ? उस पर कितनी लागत आई तथा कितना-कितना कार्य वर्तमान समय तक पूरा हो गया ? कृपया स्थान का नाम, स्वीकृति दिनांक एवं उस पर कुल स्वीकृत लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बागपुरा पंचायत समिति झाड़ोल में कोई जलदाय योजना पूर्व में स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को पुन: स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग ने उच्च अधिकारियों के पास भेजा है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर में विगत दो वर्षों में ग्राम ओगणा, फलासिया एवं कोलियारी हेतु पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई । योजनाओं के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट–"क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां । ग्राम बागपुरा पंचायत समिति झाड़ोल को हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित किया जा चुका है । बागपुरा–ग्राम के लिये संवर्द्धन योजना की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है । नीति एवं आयोजना समिति ने उक्त योजना का और अध्ययन एवं अनुसंधान करने हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये हैं ।

परिशिष्ट-"क"

**पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर में विगत दो वर्षों में स्वीकृत की गई योजनाएं**

| क्र.सं. | योजना का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (लाख रु. में) | मार्च 89 तक खर्च की गई राशि (लाख रु. में) | कार्य विवरण | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संवर्द्धन पेयजल योजना ओगणा | 3.12.87 | 4.91 | 0.07 | कुएं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। | |
| 2. | संवर्द्धन पेयजल योजना फलासिया | 3.12.87 | 4.97 | 0.83 | कुएं का कार्य करवाया जा रहा है। | |
| 3. | संवर्द्धन पेयजल योजना कोलियारी | 3.12.87 | 4.97 | 1.00 | कुएं का कार्य करवाया जा रहा है। | |

## नर्सिंग डिप्लोमा

**102. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जो छात्र राजस्थान में नर्सिंग काउन्सिल का तीन वर्षीय डिप्लोमा करते हैं उन्हें केवल मात्र 75/–रुपये मासिक छात्रवृत्ति लम्बे समय से मिलती है जबकि लड़कियों को इसी कोर्स में 150/–रुपये मासिक छात्रवृति मिलती है ? उक्त छात्रवृत्तियां कब से मिल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि आस-पड़ौस के अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार के तीन वर्ष के कोर्स में लड़के तथा लड़कियों दोनों को ही 300/-से 350/- रुपये मासिक तक की छात्रवृत्ति मिल रही है ?

(3) क्या वर्तमान में महंगाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस छात्रवृत्ति को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जनरल नर्सिंग डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को 75/-रु. प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति 3 वर्ष तक दी जाती है। महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष में 125/- रु, द्वितीय वर्ष में 130/-रु. एवं तृतीय वर्ष में 135/-रु प्रतिमाह की दर से दी जा रही है।

यह छात्रवृत्तियां पुरुष/महिलाओं को उक्त दर से अक्टूबर 1986 से दी जा रही है।

(2) पड़ौसी राज्यों में देय छात्रवृति की जानकारी नहीं है।

(3) वित्तीय साधनों को देखते हुए छात्रवृत्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## सपोटरा क्षेत्र में औषधालय

**103. श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा):** क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा का क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी लम्बा है, गांव दूरदराज तक फैले हुये हैं, आवागमन के साधनों का अभाव है तथा पहाड़ी क्षेत्र भी है लेकिन चिकित्सा सुविधा समुचित नहीं होने के कारण जनता को तकलीफ होती है ?

(2) उक्त समस्या को देखते हुये क्या सरकार निम्न ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा रखती है :–

1. चदेलीपुरा, 2. सपोटरा, 3. नैनिया की, 4. बहादरपुर, 5. बुगड़ार, 6. महाराजपुरा, 7. मोंगेपुरा।

(3) यदि नहीं, तो क्यों।

### उत्तर

(1) जी हां।

(2 व 3) वर्ष 1988-89 में 200 नवीन औषधालय स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 2 औषधालय सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में खोले गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में 200 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है। स्थानों का चयन करते समय इन ग्रामों के बारे में भी विचार कर लिया जावेगा।

## पाली जिले के गांवों में पेयजल

104. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर), श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में कुल कितने राजस्व गांव हैं ? उनमें ढाणियों, बाड़ियों की संख्या क्या है और किस-किस गांव में पेयजल की क्या-क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील के राजस्व गांव सोडपुरा, जगमालपुरा, चीग, बाड़ी पोल और चावडिया तथा सबलपुरा और नगरपालिका रायपुर का राजस्व गांव खीवल में पेयजल का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त गांवों में उनकी ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पाली जिले में पेयजल समस्या को निपटाने हेतु गत वर्ष व इस वर्ष कितनी धनराशि का बजट प्रावधान किया गया है तथा इस बजट में से कितनी-कितनी धन राशि किस-किस कार्यों पर व्यय की गई ? कृपया विवरण तहसीलवार के सदन की मेज पर रखें।

(4) आय-व्ययक 1988-89 में पेयजल समस्या के निवारण हेतु विभिन्न जिलों में आवंटित राशि में से कितनी धनराशि व्यय नहीं की जा सकी ? कृपया जिलेवार कुल राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) पाली जिले में कुल 910 ग्राम एवं 692 ढाणियां व बाड़ियां हैं। पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों का विवरण संलग्न प्रपत्र "क" में दे दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) पाली जिले में पेयजल व्यवस्था हेतु गत वर्ष व इस वर्ष क्रमश: 366.22 लाख एव 132.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तहसीलवार वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) वर्ष 1988-89 में पेयजल समस्या के निवारण हेतु विभिन्न जिलों में आवंटित व व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## परिवार कल्याण केन्द्र, नोखा में स्टॉफ

105. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पांचू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के ग्रामीण परिवार कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र पर उसकी स्थापना से अब तक नियमित डॉक्टर व नर्सिंग स्टॉफ की व्यवस्था नहीं की हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार मरीजों की संख्या को देखते हुए कब तक डॉक्टर व नर्सिंग स्टॉफ की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(272)



उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, पांचू पर कुल 11 पद चिकित्सक, नर्सिंग एवं अन्य के स्वीकृत है, जिनमें से केवल एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं एक पद संगणक को छोड़ कर सभी पद भरे हुए हैं।

रूपारेल नदी पर पुल

106. श्री रघुवरदयाल (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति, रामगढ़, जिला अलवर के ग्राम जातपुर से मालाखेड़ा जिला अलवर को जाने वाले रास्ते के बीच से रूपारेल नदी पड़ती है, जिस पर पुल बन जाने से इस इलाके की मालाखेड़ा की दूरी बहुत कम रह जाती है? यदि हां, तो कितनी कमी हो जावेगी?

(2) क्या सरकार का इस पुल को बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नदी पर पुल एवं जातपुर से हलदीना तक सड़क बना दी जाय तो 12 कि.मी. के लगभग दूरी कम हो सकती है।

(2) जी नहीं। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण प्राथमिकता के आधार पर इसे स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।

वृद्धावस्था, अपंग एवं विधवाओं को पेंशन

107. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वृद्धावस्था, अपंग, विधवा आदि कितने स्त्री-पुरुषों को कब से पेंशन दी जा रही है? कृपया जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार का हरियाणा की तरह से बिना शर्त वृद्धावस्था पेंशन चालू करने का प्रस्ताव है?

(3) पंचायत समिति, नवलगढ़, जिला झुंझुनू में कितने स्त्री-पुरुषों को पेंशन दी जा रही है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1,21,578 वृद्धावस्था अपंग, विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। जिसमें पुरुष 46943 तथा स्त्री 74629 है। यह पेंशन 1-6-74 से दी जा रही है। जिलेवार सूचना संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) पंचायत समिति नवलगढ़, जिला झुंझुनू में 230 स्त्री व 76 पुरुषों को पेंशन दी जा रही है। ग्रामवार सूची संलग्न है।

## वृद्धावस्था, अपंग, विधवा पेंशनरों की सूची

| क्र.सं. | नाम जिला | कुल | पुरुष | स्त्री |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 10535 | 4749 | 5786 |
| 2. | अलवर | 6416 | 2270 | 4146 |
| 3. | बांसवाड़ा | 1346 | 1033 | 313 |
| 4. | बाड़मेर | 1437 | 1142 | 289 |
| 5. | भरतपुर | 6318 | 1791 | 4527 |
| 6. | भीलवाड़ा | 3733 | 1311 | 2424 |
| 7. | बीकानेर | 1955 | 523 | 1432 |
| 8. | बून्दी | 1594 | 470 | 1124 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 2722 | 1600 | 1122 |
| 10. | चूरू | 3358 | 1009 | 2849 |
| 11. | धौलपुर | 4385 | 1740 | 2645 |
| 12. | डूंगरपुर | 1127 | 175 | 952 |
| 13. | श्री गंगानगर | 3713 | 1948 | 1765 |
| 14. | जयपुर | 11541 | 4529 | 7012 |
| 15. | जैसलमेर | 881 | 260 | 621 |
| 16. | जालौर | 1103 | 431 | 672 |
| 17. | झालावाड़ | 3040 | 1261 | 1779 |
| 18. | झूंझुनूं | 3099 | 735 | 2374 |
| 19. | जोधपुर | 1896 | 744 | 1152 |
| 20. | कोटा | 8976 | 3435 | 5541 |
| 21. | नागौर | 3229 | 872 | 2357 |
| 22. | पाली | 13912 | 8250 | 5662 |
| 23. | सवाई माधोपुर | 635 | 1348 | 5387 |
| 24. | सीकर | 4122 | 1249 | 2873 |
| 25. | सिरोही | 1090 | 324 | 766 |
| 26. | टोंक | 5433 | 997 | 4438 |
| 27. | उदयपुर | 7676 | 2741 | 4935 |
| | योग | 121278 | 46943 | 74335 |

## पेंशनर की नामों की सूची

| क्र.सं. 1 | पेंशनर का नाम 2 | गांव का नाम 3 |
|---|---|---|
| 1. | सर्वश्री कजोड पुत्र शकरू | परसरामपुर |
| 2. | अवधि पत्नी कजोड | ,, |
| 3. | सूरजी पत्नी श्री चन्द्रा | ,, |
| 4. | धावी पत्नी सूरजाराम | ,, |
| 5. | बालूराम पुत्र लोभाराम | गोठड़ा |
| 6. | नवलदास पुत्र खेताराम | ,, |
| 7. | बनारसी पत्नी अर्जुनराम | ,, |
| 8. | मोहरी पत्नी गोविन्दाराम | ,, |
| 9. | इन्द्रकंवर पुत्र खेतसिंह | ,, |
| 10. | जैतकंवर पत्नी लादूसिंह | ,, |
| 11. | सूरजकंवर पत्नी समन्दरसिंह | ,, |
| 12. | पूरणमल पुत्र हरदेवा | ,, |
| 13. | जानकी पत्नी बालूराम | ,, |
| 14. | रामादेवी पत्नी गणेशाराम | देवगांव |
| 15. | बरजी पत्नी रामकुमारसिंह धाबाई | ठिगाल |
| 16. | धोकलराम पुत्र सूरजाराम | ,, |
| 17. | सांवलराम पुत्र गोपाल | ,, |
| 18. | अहरनीदेवी पत्नी गोपालसिंह | कसेरू |
| 19. | श्रीचन्द पुत्र ओंकारमल | निवाई |
| 20. | मुरलीधर पुत्र खेताराम बुनकर | नवलगढ़ |
| 21. | रामादेवी पत्नी हुक्माराम रैगर | ,, |
| 22. | जडाव पत्नी पन्नेसिंह | ,, |
| 23. | सोनीदेवी पत्नी सेडूराम रैगर | ,, |
| 24. | पूनिया पत्नी धर्नसिंह | ,, |
| 25. | दुर्गी पत्नी गणपतराम ब्राह्मण | ,, |
| 26. | तरवीणी पत्नी लक्ष्मीनारायण | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27. | सुन्दरी पत्नी नारायण नायक | नवलगढ़ |
| 28. | भंवरसिंह पुत्र चैनसिंह दरोगा | ,, |
| 29. | भालाराम पुत्र श्री पेमाराम | ,, |
| 30. | भंवरी पत्नी भालाराम | ,, |
| 31. | सुरेशकुमार पुत्र पूर्णमल दाधिच | ,, |
| 32. | राधा पत्नी सुखदेव माली | ,, |
| 33. | सरस्वती पत्नी श्योजी सिंह दरोगा | ,, |
| 34. | बनारसी पत्नी गणेश नायक | ,, |
| 35. | जगूराम पुत्र गोपाल माली | ,, |
| 36. | डाली पत्नी बुद्धराम माली | ,, |
| 37. | दुर्गी देवी पत्नी गोविन्दराम पुरोहित | ,, |
| 38. | रामदेव पुत्र श्योजी रैगर | ,, |
| 39. | कूरडाराम पुत्र कुशलाराम सैनी | ,, |
| 40. | भगवती पत्नी श्री निवास डिडवानिया | ,, |
| 41. | भगवती पत्नी पन्नालाल चमार | ,, |
| 42. | श्रीराम पुत्र ब्रजलाल सूरेखा | ,, |
| 43. | श्रीमती चिडीया पत्नी मोती सांसी | ,, |
| 44. | तीजा पत्नी धन्नाराम जोगी | ,, |
| 45. | श्रीयाराम पुत्र श्योजीराम कुम्हार | ,, |
| 46. | नानूडी पत्नी लादूराम बलाई | ,, |
| 47. | लाली पत्नी गोपीराम माली | ,, |
| 48. | धपली पत्नी रामेश्वर स्वामी | ,, |
| 49. | गिनी पत्नी रामेश्वर सुनार | झाझड़ |
| 50. | मूलकंवर पत्नी कंजूसिंह राजपूत | ,, |
| 51. | जूमली पत्नी फूलाराम हरिजन | ,, |
| 52. | राकोरी पत्नी भूथाराम माली | ,, |
| 53. | सूरजकंवर पत्नी सुगनसिंह | ,, |
| 54. | बरजी पत्नी कालूराम माली | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 55. | सोनकी पत्नी लादूराम हरिजन | झाफड़ |
| 56. | मूलकी पत्नी चूनाराम माली | ,, |
| 57. | मणीदेवी पत्नी किशनाराम जाट | ,, |
| 58. | पूसाराम पुत्र घीसीलाल | ,, |
| 59. | रामकोरी पत्नी लछमणदास | ,, |
| 60. | मनकोरी पत्नी भागू माली | ,, |
| 61. | गणेश पुत्र सुखाराम दरोगा | ,, |
| 62 | पतासी पत्नी मोहनलाल | ,, |
| 63. | दाखा पत्नी खीरसिंह | ,, |
| 64. | अरचकंवर पत्नी रिचपालसिंह | ,, |
| 65. | सोनी पत्नी भदाराम | डून्डसोद |
| 66. | गोदावरी पत्नी रामअवतार कुराडवाल | ,, |
| 67. | लोडी पत्नी मोहनलाल | ,, |
| 68. | धापादेवी पत्नी मथुराप्रसाद पुजारी | ,, |
| 69. | सीताराम पुत्र मल्लूराम मनियार | ,, |
| 70. | मोतीसिंह पुत्र रघुनाथसिंह | ,, |
| 71. | बनवारी पुत्र हनुमान नायक | ,, |
| 72. | मीरा पत्नी पीरू छीपी | ,, |
| 73. | श्योकारी पत्नी भैरूराम चमार | ,, |
| 74. | मनभरी पत्नी बजरंगलाल | ,, |
| 75. | कजोडमल पुत्र सूरजराम नाई | ,, |
| 76. | गोपनाराम पुत्र घडसीराम | ,, |
| 77. | लाडूडी पत्नी भालाराम हरिजन | लोहरडा |
| 78. | बोदी पत्नी इन्द्रराराम चमार | ,, |
| 79. | गिनडी पत्नी पन्नाराम स्वामी | ,, |
| 80. | दडकली पत्नी नाथूराम गूर्जर | ,, |
| 81. | बोदूराम पुत्र गंगूराम गूर्जर | ,, |
| 82. | गुमानकंवर पत्नी रामकुमारसिंह | टोकसिन्दरी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 83. | फूलकंवर पत्नी बलदेवसिंह | टोकसिन्दरी |
| 84. | अछवकंवर पत्नी भंवरसिंह | ,, |
| 85. | सजन पत्नी सांवतसिंह | ,, |
| 86. | धनसी पत्नी जीसुख/जीवणी पत्नी धनसी | ,, |
| 87. | अनूपकंवर पत्नी मूलसिंह | ,, |
| 88. | बादामी पत्नी धन्नाराम जाट | टोकछिलाई |
| 89. | बसन्ती पत्नी जमनाधर | भोजनगर |
| 90. | भंवरकंवर पत्नी निखालसिंह | ,, |
| 91. | गुलालकंवर पत्नी सांखलसिंह | ,, |
| 92. | सज्जनकंवर पत्नी नारायणसिंह | ,, |
| 93. | सलानकंवर पत्नी रामकुवारसिंह | ,, |
| 94. | सोजनकंवर पत्नी गुमानसिंह | ,, |
| 95. | अनोपकंवर पत्नी भगेजसिंह | शाहपुरा |
| 96. | लखाराम पुत्र रूपाराम/गुलामी पत्नी लाखाराम | मोहनबाड़ी |
| 97. | सूरजा पुत्र चिमनाराम जोगी | मोहनबाड़ी |
| 98. | जमना पत्नी चिनाराम | ,, |
| 99. | भोगाराम पुत्र भोलाराम नायक | ,, |
| 100. | गोरू पुत्र रामूराम | ,, |
| 101. | सुन्दरी पत्नी गोरूराम | ,, |
| 102. | लक्ष्मी पत्नी खेताराम कायक | ,, |
| 103. | सोनी पुत्र सुभान भाट | भाडासी |
| 104. | दुर्गादेवी पत्नी लादूराम शर्मा | सागासी |
| 105. | मंगलाराम पुत्र बेगाराम चमार | ,, |
| 106. | माना पुत्र गोपाल हरिजन | ,, |
| 107. | अनारदेवी पत्नी अर्जुनराम शर्मा | घोडीवारा कला |
| 108. | ग्यारसी पत्नी भगवानाराम बलाई | घोडीवारा खुर्द |
| 109. | रामादेवी पत्नी देबूराम माली | जाटवाली |
| 110. | चौथी पत्नी मोहन नायक | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 111. | सुन्दरी पत्नी जमनाराम | जाटवाली |
| 112. | श्रवणी पत्नी दुर्गाराम मीणा | तोगड़ा कलां |
| 113. | गीता पत्नी बजरंगलाल सुनार | ,, |
| 114. | रूकमणी पत्नी मोहनलाल सोनी | ,, |
| 115. | केसरी पुत्री नागरमल शर्मा | डूंगरा |
| 116. | सिंगारी पत्नी शिवनाथसिंह | ,, |
| 117. | कमला पुत्री रामेश्वर शर्मा | राणासर |
| 118. | महावीर पुत्र भोलाराम चमार | जंजूसर |
| 119. | नारायण पुत्र लादूराम चमार | ,, |
| 120. | हुकमाराम पुत्र हेमाराम | ,, |
| 121. | भगवती पत्नी त्रिलोक जाट | ,, |
| 122. | पारीदेवी पत्नी जीताराम जाट | ,, |
| 123. | बीरबल पुत्र हरदेवाराम | गिणास |
| 124. | श्रीमती भगवती पुत्री लक्ष्मीनारायण | ,, |
| 125. | कानाराम पुत्र भूथाराम व सुन्दरी/कानाराम | चिराणा |
| 126. | चावली पत्नी नारायण चमार | चिराणा |
| 127. | ग्यारसी पत्नी गोविन्दाराम शर्मा | ,, |
| 128. | गुलाबी पत्नी गरीबाराम चमार | ,, |
| 129. | रूडी पत्नी भगवानाराम चमार | ,, |
| 130. | गिनिया पत्नी सोहनलाल ब्राह्मण | ,, |
| 131. | सूरजकंवर पत्नी समन्दरसिंह | ,, |
| 132. | सायरकंवर पत्नी फतेहसिंह | ,, |
| 133. | किरणकंवर पत्नी गिरवरसिंह | ,, |
| 134. | गोरूराम पुत्र सांवलराम | रामपुरा |
| 135. | लक्ष्मी पत्नी सुलतान मिरासी | बुगाला |
| 136. | नानगरी पत्नी आनन्दीराम राणा | ,, |
| 137. | सांवलराम पुत्र नानगराम चमार | ,, |
| 138. | मोहरी पत्नी सम्पतराम कुम्हार | ,, |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 139. | मोहनबाई पुत्री बन्नेसिंह राजपूत | बुगाला | |
| 140. | रामेश्वर पुत्र मूलराम हरिजन | सांथली | |
| 141. | भगवानी पत्नी मानाराम | ,, | |
| 142. | रजाक पुत्र रहीमबक्स मनिहार | ,, | |
| 143. | चिडिया पत्नी गरीबाराम सांसी | ,, | |
| 144. | गुलाबी पत्नी सूरजाराम चमार | नवलडी | |
| 145. | सुगना पत्नी अनूखा | ,, | |
| 146. | चावली पत्नी मंगला | ,, | |
| 147. | गुदड पुत्र खमाना | ,, | |
| 148. | मूंगा पुत्र खमाना | ,, | |
| 149. | बनारसीदेवी पत्नी मांगीलाल चमार | ,, | |
| 150. | फताराम पुत्र गीगाराम से तीजा पत्नी फताराम | | बाप |
| 151. | चोखाराम पुत्र महादेवाराम चमार | ,, | |
| 152. | केसरी पत्नी रावला चमार | ,, | |
| 153. | बुद्धाराम पुत्र कालूराम हरिजन | ,, | |
| 154. | धापादेवी पत्नी श्योलाल बलाई | ,, | |
| 155. | पारादेवी पत्नी सूरजाराम बलाई | ,, | |
| 156. | भंवरी पत्नी जोरावरसिंह | ,, | |
| 157. | जमनी पत्नी महाबीर माली | बिरोल | |
| 158. | दडकली पत्नी चोखाराम माली | ,, | |
| 159. | लालचन्द पुत्र सांवरमल सैनी | ,, | |
| 160. | नाथूराम पुत्र दुर्गाराम जाट | ,, | |
| 161. | जीताराम पुत्र खानाराम हरिजन | कोलसिया | |
| 162. | तुलसी पत्नी हरदेवराम | ,, | |
| 163. | कालूराम पुत्र लिखमाराम | ,, | |
| 164. | बनवारी पुत्र बेगाराम बलाई | काटी | |
| 165. | जडाई पत्नी रेखाराम नायक | ,, | |
| 166. | पार्वती पत्नी भूरसिंह राजपूत | ,, | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 167. | गुलाबी पत्नी लादूराम चमार | काटी |
| 168. | लीक्ष्मा पत्नी मुकन्दपुरी गोस्वामी | ,, |
| 169. | चूकी पत्नी गुलाबचन्द | जाखल |
| 170. | चूकी पत्नी सांवलराम | ,, |
| 171. | गुलाबी पत्नी मूगाराम | ,, |
| 172. | अणची पत्नी हरबक्स दरोगा | ,, |
| 173. | जानकी पत्नी चूनाराम | ,, |
| 174. | नानडी पत्नी बिरदीचन्द भंगी | ,, |
| 175. | धूपली पत्नी हरबक्स दरोगा | ,, |
| 176. | मंगेशकंवर पत्नी मोहनसिंह | ,, |
| 177. | रूकमणी पत्नी गोपाल दरोगा | ,, |
| 178. | सज्जनकंवर पत्नी बजरंगसिंह | ,, |
| 179. | जानकी पत्नी हरिबक्स दरोगा | ,, |
| 180. | सुरेन्द्रसिंह पुत्र कायमसिंह | ,, |
| 181. | बछनकंवर पत्नी रघुनाथसिंह | ,, |
| 182. | असमानकंवर पत्नी मंगेदसिंह राजपूत | ,, |
| 183. | जग्गूराम पुत्र मंगताराम दरोगा | ,, |
| 184. | दडकली पत्नी दुर्गाराम महतर | नुकन्दगढ़ |
| 185. | प्रहलाद पुत्र मंगूराम नाई | ,, |
| 186. | गुमानमल पुत्र मन्नीराम खण्डेलवाल | ,, |
| 187. | सोनी पत्नी गुलनाख जोगी | ,, |
| 188. | देवनाथ पुत्र केदारनाथ जोगी | ,, |
| 189. | कमली पत्नी मदनलाल | ,, |
| 190. | बडका पथ्तन बसेसरलाल सुनार | ,, |
| 191. | मोहरी पत्नी चौथमल | ,, |
| 192. | बनारसी पत्नी गधराम हरिजन | ,, |
| 193. | चन्द्री पत्नी बल्लूराम सरोलिया | ,, |

281

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 194. | रूकमणी पत्नी फूलचन्द माली | मुकन्दगढ़ |
| 195. | त्रिवेणी पत्नी रामगीरी | ,, |
| 196. | गीतादेवी पत्नी मुरलीधर जोगी | ,, |
| 197. | द्वारकादास पुत्र मोहनलाल पुरिया | ,, |
| 198. | दडकी पत्नी मेलाराम स्वामी | ,, |
| 199. | शान्ति पत्नी महावीर प्रसाद बरिय | ,, |
| 200. | पाली पत्नी बल्लूराम कुम्हार | ,, |
| 201. | हबीब पुत्र मोलाबक्स | ,, |
| 202. | जाफर पुत्र हासमखां कायमखानी | ,, |
| 203. | फूली पत्नी गजाधर पुजारी | ,, |
| 204. | घीसीबाई पत्नी घीसाराम | ,, |
| 205. | पार्वती पत्नी मांगीराम कुम्हार | ,, |
| 206. | नानगराम पुत्र रामसुख रैगर पाडली पत्नी नानगराम | नवलगढ़ |
| 207. | मनी पत्नी मांगूराम बलाई | नवलगढ़ |
| 208. | नारंगी पत्नी घूडसिंह | ,, |
| 209. | चन्दादेवी पत्नी आत्माराम सोनी | ,, |
| 210. | भंवरीदेवी पत्नी बल्लूराम | ,, |
| 211. | गोरखनाथ पुत्र मालूराम व बदामी पत्नी गोरखनाथ | ,, |
| 212. | देव पुत्र गणेश दरोगा | ,, |
| 213. | बिदामी पत्नी मालाराम नायक | ,, |
| 214. | कानाम/सूरजाराम व अणची/कानाराम | ,, |
| 215. | सूबरी पत्नी बंशीधर | ,, |
| 216. | मनोरी पत्नी तनसुख चमार | ,, |
| 217. | शान्ति पत्नी हरीराम नाई | ,, |
| 218. | जमना पत्नी मालाराम बुनकर | ,, |
| 219. | ललिता पत्नी कैलाशचन्द शर्मा | ,, |
| 220. | मनभरी पत्नी मालीराम जोशी | ,, |

282



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 221. | सारादेवी पत्नी सुरेश जोशी | नवलगढ़ |
| 222. | केसरदेवी पत्नी सन्हेराम जांगीड़ | ,, |
| 223. | मणी पत्यी महावीर प्रसाद | ,, |
| 224. | भगवानी पत्नी भागराज ब्राह्मण | ,, |
| 225. | ताराचन्द पुत्र रामदेव माली | ,, |
| 226. | जयदेव पुत्र भोलाराम चौकदार | ,, |
| 227. | मोतीलाल पुत्र तुलसीराम ब्राह्मण | ,, |
| 228. | मनभरी पत्नी पूरणमल बलाई | ,, |
| 229. | नाराणी पत्नी लालाराम बलाई | ,, |
| 230. | पतासी पत्नी भागीरथमल स्वामी | ,, |
| 231. | धुन्ना पत्नी नोरंग राणा | ,, |
| 232. | सरबती पत्नी भागीरथमल सैनी | ,, |
| 233 | लक्ष्मीदेवी पत्नी जमनालाल स्वामी | ,, |
| 234. | रूकमादेवी पत्नी नानगराम | ,, |
| 235. | नानगरी पत्नी केसर बलाई | ,, |
| 236. | रूकमणी पत्नी नागरमल | ,, |
| 237. | सिलोचना पत्नी भीमसिंह जोगी | ,, |
| 238. | अणची पत्नी गोदूराम माली | ,, |
| 239. | पतासी पत्नी हनुमान | चिराणा |
| 240. | गुमानी पत्नी भूराराम माली | ,, |
| 241. | चान्दली पत्नी हनुमान | ,, |
| 242. | अचरजकुमार पत्नी हीरासिंह | ,, |
| 243. | मनोहारी पत्नी मोतीराम दर्जी | ,, |
| 244. | केसरी पत्नी रामेश्वर बलाई | ,, |
| 245. | सुवाकंवर पत्नी भंवरसिंह | ,, |
| 246. | नारायणी पत्नी गोदूराम | ,, |
| 247. | महावीर प्रसाद पुत्र ओंकारमल माली | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 248. | भूरी पत्नी लादूराम | चिराणा |
| 249. | पसरा पत्नी मंजित | ,, |
| 250. | सुगनकंवर पत्नी नीमासिंह | ,, |
| 251. | अनारकंवर पत्नी छोगासिंह | ,, |
| 252. | सायर पत्नी नारायण राणा | ,, |
| 253. | भंवरकंवर पत्नी रावतसिंह | ,, |
| 254. | सूरजकंवर पत्नी भागीरथसिंह | ,, |
| 255. | मोटली पत्नी मखनलाल | ,, |
| 256. | रहमत पत्नी गुलाबखां | ,, |
| 257. | गुलाबकंवर पत्नी जीतसिंह | ,, |
| 258. | पतासी पत्नी गोदूराम | ,, |
| 259. | सुन्दरी पत्नी जीवण धानका | ,, |
| 260. | उगमकंवर पत्नी सवाईसिंह | ,, |
| 261. | मनकोरी पत्नी भोपधाराम | ,, |
| 262. | मालाराम पुत्र श्योजीराम माली | ,, |
| 263. | बसन्तीदेवी पत्नी देवीदत्त शर्मा | चैलासी |
| 264. | दुर्गादेवी पत्नी हरीसिंह | ,, |
| 265. | राजादेवी पत्नी मूंगाराम मीणा | ,, |
| 266. | रोशनीदेवी पत्नी महादेव राणा | ,, |
| 267. | सुगनाराम पुत्र टोडाराम सांसी | बलबतपुर |
| 268. | कोपली पत्नी तुलसाराम नायक | नारसिंघानी |
| 269. | बीरबल पुत्र कानाराम राणा | ,, |
| 270. | शान्ति पत्नी छोटूराम | ,, |
| 271. | सुबरी पत्नी मालाराम | ,, |
| 272. | सुबरी पत्नी माला नायक | पलाना |
| 273. | भूरी पत्नी सूखा हरिजन | ,, |
| 274. | बनवारी पुत्र मालाराम नायक | ,, |

(284)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 275. | छोटीदेवी पत्नी भवरलाल | पलाना |
| 276. | रामकोरी पत्नी सूरजाराम हरिजन | ,, |
| 277. | हजारीलाल पुत्र दुर्गालाल मीणा | ,, |
| 278. | पारी पत्नी जैसाराम ब्राह्मण | कैरू |
| 279. | परमेश्वरी पत्नी मुकन्दाराम हरिजन | ,, |
| 280. | परली पत्नी हनुमान चमार | अजीतपुरा |
| 281. | गोपालराम/भोमाराम जाट | सोम्बारा |
| 282. | मूली/नथ्तू खाती | ,, |
| 283. | रिसालकंवर पत्नी गुमानसिंह राजपूत | खिरोड |
| 284. | रासकंवर पत्नी महाबक्ससिंह राजपूत | ,, |
| 285. | भगवाना पुत्र लादूराम व बसन्ती/भगवानाराम | चैनगढ़ |
| 286. | मंगली पथ्तन नारायण चमार | बसाना |
| 287. | भोलाराम पुत्र दयालाराम चमार | ,, |
| 288. | भगवानी पत्नी नानग भंगी | ,, |
| 289. | रूकमणी पत्नी भीखाराम चमार | टोडापुरा |
| 290. | गिनाडाराम पुत्र जोधाराम मीणा | ,, |
| 291. | ओमप्रकाश पुत्र नन्दाराम महाजन | ,, |
| 292. | अतूडी पत्नी ईश्वरराम | ,, |
| 293. | जडावली पत्नी सांवतराम | ,, |
| 294. | मरेम पत्नी बजरी मनियार | ,, |
| 295 | बिलासकंवर पत्नी समेरसिंह | ,, |
| 296. | सुरजनदास पुत्र सुखाराम स्वामी | किरोडी |
| 297. | कालूराम पुत्र रामसुखदास | ,, |
| 298. | भगवानी पत्नी हरबक्स नाई | बडवासी |
| 299. | सुगनकंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत | ,, |
| 300. | नवरी पत्नी मोहनलाल शर्मा | ,, |
| 301. | जानकी पत्नी हरबक्स शर्मा | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 302. | कवलकंवर पत्नी मानसिंह | बडवासी |
| 303. | सूयार पत्नी केशरसिंह नाई | ,, |
| 304. | प्रेमकंबर पत्नी सुगनसिंह | ,, |
| 305. | बनवारी पुत्र सुन्दरलाल | ,, |
| 306. | सरसकंवर पत्नी सुगनसिंह | ,, |
| 307. | नारायण पुत्र गंगाराम | विचारीन मामले |
| 308. | अर्जुनराम पुत्र रणजीतराम मीणा | भगेरा |
| 309. | मोहरी पत्नी सूरजाराम नायक | ,, |
| 310. | राधाकिशन उर्फ गीगा पुत्र सुन्दर दर्जी | नवलगढ़ |
| 311. | भोगातीदेवी पत्नी नथमल शर्मा | ,, |
| 312. | झाबरमल पुत्र हनुमानप्रसाद शर्मा | ,, |
| 313. | दुर्गादत्त पुत्र हनुमानप्रसाद सोनी | ,, |
| 314. | सावित्रीदेवी पत्नी रामवतार | ,, |
| 315. | पतासीदेवी पत्नी आत्माराम शर्मा | ,, |
| 316. | दामोदर पुत्र टोडरराम शर्मा | ,, |
| 317. | दुर्गाराम पुत्र गंलानाथ सोनी | ,, |
| 318. | आरती बेवा बिरदूराम मीणा | ,, |
| 319. | जगदीश पुत्र कानाराम | ,, |

**आयुर्वेद निदेशक का पद**

**108. श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में आयुर्वेद निदेशक का पद कब से रिक्त चल रहा है, उक्त पद को भरने के लिए कब-कब, क्या-क्या प्रयत्न किये गये ?

(2) क्या उक्त पद को डी. पी. सी. के बाद ही भरा जाना था ? यदि हां, तो समय पर डी. पी. सी. क्यों नहीं हुई ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अब डी. पी. सी. कब तक हो जावेगी व उक्त पद कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) उक्त पद को भरने में क्या और कोई भी व्यवधान है ? यदि हां, तो क्या ?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

यदि नहीं, तो फिर अब तक पद रिक्त रहने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद निदेशक का पद दिनांक 1.9.88 से रिक्त है।

इस पद को भरे जाने के लिए विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24.12.88 को एवं पुनः दिनांक 30.5.89 को बुलाई गई।

श्री रामनिवास जोशी, उप निदेशक ने इस बीच उच्च न्यायालय में एक याचिका एवं स्थगन प्रार्थना पत्र दायर कर दी, जिसमें उन्होंने श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज, उप निदेशक की उक्त पद के लिए पात्रता की वैधता को चुनौती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर हाइकोर्ट ने आदेश प्रसारित किए कि श्री जोशी को भी मान कर इनके प्रकरण पर भी विचार किया जावे, साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि विभागीय चयन समिति द्वारा किया गया चयन उनके निर्णय के अध्याधीन होगा। चूंकि सेवा नियमों में एक पद के विरूद्ध केवल पांच पात्र अधिकारियों के प्रकरण पर ही विचार किया जा सकता है, अतः विभागीय पदोन्नति समिति ने इस पद पर चयन किया जाना तब तक उपयुक्त नहीं समझा, जब तक उच्च न्यायालय श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज एवं श्री रामनिवास जोशी की पात्रता के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट निर्णय न दे दे। विभागीय चयन समिति द्वारा ऐसा इसलिए भी किया गया, क्योंकि उनके द्वारा किया चयन उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन होता।

(2) जी हां, चूंकि ये पद इस सेवा का सर्वोच्च पद है, इसलिए इस पर नियुक्ति मेरिट से की जानी है, जिसका निर्धारण डी. पी. सी. द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, डी. पी. सी. दो बार हो चुकी है। अतः डी. पी. सी. न होने के बारे में किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

राज्य सरकार का प्रयास उक्त पद को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने का है, परन्तु यह तभी सम्भव हो सकेगा, जब उच्च न्यायालय पात्रता के सम्बन्ध में अपना निर्णय घोषित कर देगा।

(3) पद को भरे जाने के सम्बन्ध में व्यवधान का उल्लेख प्रश्न के भाग–1 में कर दिया गया है।

**भिण्डा ग्राम पंचायत की बैठकें**

**109. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत हैड क्वार्टर पर भिण्डा ग्राम पंचायत की बैठक नियमित रूप से नहीं होती ? इस सम्बन्ध में क्या जिला कलक्टर को दिनांक 13.8.1988, 16.8.1988, 31.8.1988 व 19.9.1988 तथा उसके बाद भी नियमित बैठक की तिथि को वहां के वार्ड पंचों द्वारा लिखित सूचना दे दी जाती रही है ? यदि हां, तो इन सूचनाओं के प्राप्त होने के बाद जिला कलक्टर नागौर ने वहां नियमित मीटिंग हो उसकी क्या व्यवस्था की है ?

(श्री हरिश्चन्द्रकुमावत)

(2) जवाहर रोजगार योजना में इस ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्राप्त हुई है ? ग्राम पंचायत की मीटिंग के अभाव में इस योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कराकर काम चालू नहीं हुआ तो क्या इस पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है ? सरकार इस स्थिति के निराकरण हेतु क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत भिण्डा की बैठकें नियमित रूप से पंचायत हैड क्वार्टर पर हर माह की 15 व 30 तारीख को की जाती है। कुछ वार्ड पंचों द्वारा बैठक न होने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुचामन सिटी को 25.10.88 के आदेश द्वारा जांच करने हेतु लिखा गया। विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 29.11.81 से स्पष्ट है कि पंचायत की बैठकें नियमित हो रही है इसके, पश्चात् एक और शिकायत प्राप्त होने पर बैठक पंचायत प्रसार अधिकारी की उपस्थिति में हुई तो उस बैठक में सभी वार्ड पंच उपस्थित थे।

(2) ग्राम पंचायत भिण्डा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रुपये 46,400 का चैक दिनांक 18 5.89 को विकास अधिकारी, कुचामन सिटी के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। अतः इस योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत भिण्डा को कार्य आरम्भ करने में कोई भी बाधा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.6.89 को ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाकर जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत समस्त प्रस्ताव पारित करवा दिये गये हैं जिनका अनुमोदन करने हेतु पंचायत समिति कुचामन सिटी को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। पंचायत समिति कुचामन सिटी द्वारा ग्राम सभा से पारित प्रस्तावों का अनुमोदन दिनांक 16.6.89 को कर दिया गया है जिससे वह अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य आरम्भ कर सकती है।

## चूरू जिले की सड़कें

**110. श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलशहर) एवं **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले में कौन-कौन सड़कें पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती हैं, और कौन-कौन सी 1500 की आबादी वाले गांवों को ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 5 वर्षों में चूरू जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी सड़कें नई बनाई गई तथा किस-किस सड़क पर मरम्मत की गई तथा कितनी-कितनी राशि उक्त कार्यों पर खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चूरू जिले में विभिन्न तहसीलों में कितनी-कितनी किलोमीटर सड़कें टूटी हुई हैं ? क्या सरकार उनको ठीक कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) चूरू जिले में सड़कों की सूची जो पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती है वह परिशिष्ट "क" पर दी गई है, उन सड़कों की सूची जो सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ती है, वह परिशिष्ट "ख" पर दी गई है।

(2) मार्च, 1980 से मार्च, 1989 तक चूरू जिले की विधान सभा क्षेत्रों में जो सड़कें राज्य योजना मद से बनाई गई है उसकी सूची परिशिष्ट "ग" पर मय खर्चे एवं लम्बाई के दी गयी है तथा जिन सड़कों पर मरम्मत का कार्य किया गया है उनकी सूची मय खर्चे के परिशिष्ट "घ" पर दी गई है।

(3) चूरू जिले में विभिन्न तहसीलों में कोई सड़क टूटी हुई नहीं है। इन सड़कों पर कुछ जगहों पर पेच एवं रेन कट्स होते रहते हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार समय-समय पर मरम्मत करवाया जाता है।

**उन सड़कों की सूची जो पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती है:-**

| तहसील का नाम | क्र.सं. | सड़क का नाम का नाम | पंचायत मुख्यालय का नाम | किस तरह की सड़क से जुड़ा है। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| तारानगर | 1. | तारानगर नोहर | सोमसीसर, रीडी, रैयाटुंडा | बी.टी , बी.टी. जी.आर. |
| | 2. | भालेरी साहवा | पुनरासर<br>साहवा | जी.आर.<br>बी.टी. |
| | 3. | तारानगर साहवा | झाड़सर,कान्धलान धीरवास | बी.टी. |
| | 4. | चूरू राजगढ़ | हडियाल | बी.टी. |
| | 5. | बीकानेर-दिल्ली | भालेरी<br>बुचावास | बी टी.<br>बी.टी. |
| | 6. | सांत्यू हडियाल | सात्यू<br>राजपुरा | डब्ल्यू.बी.एम.<br>डब्ल्यू.बी.एम. |
| | 7. | भनीन से बाय | बायं | बी.टी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 8. | चूरू तारानगर से सम्पर्क सड़क | आनन्द सिंहपुरा | जी.आर. |
| राजगढ़ | 1. | राजगढ़-सांखू | बैरासर छोटा | बी.टी. |
| | | | लम्बोर छोटी | बी.टी. |
| | | | लाखू | बी.टी. |
| | 2. | राजगढ़ बहल | राधा बडी | बी.टी. |
| | 3. | राजगढ़ पिलानी | नीमा | बी.टी. |
| | | | हमीरवास | बी.टी. |
| | | | चादगोठी | बी.टी. |
| | 4. | सिद्धमुख सिवानी | भीमसाना | बी.टी. |
| | | | रामसराताल | बी.टी. |
| | 5 | सादुलपुर ढिगारला | गुलपुरा | बी.टी. |
| | 6. | सम्पर्क सड़क बींजावास राजगढ़ पिलानी सड़क से | बींजावास | डब्ल्यू.बी एम. |
| | 7. | न्यांगली लखलान | लाखलान | डब्ल्यू.बी.एम. |
| | 8. | बीकानेर दिल्ली | गोठ्या बड़ी | बी.टी. |
| | | | ददेरवा | बी.टी. |
| | 9. | हरपालू कालरी | कालरी | बी.टी. |
| | 10. | सम्पर्क सड़क वांय | घनाऊ | बी.टी. |
| | 11. | राजगढ़ सिद्धमुख | चैनपुरा छोटा | बी टी |
| | | | सिद्धमुख | बी.टी. |
| | 12. | चूरू-राजगढ़ | रतनपुरा | बी.टी. |
| | | | डीकवा | बी.टी. |
| | 13. | घानोटी छोटी से गालड़ | गालड़ | बी.टी. |
| | 14. | सम्पर्क सड़क समपुरा | रामपुरा | बी टी. |
| | 15. | लसेड़ी से सूरतपुरा | सूरतपुरा | जी.आर. |
| | 16. | धोलिया से सेउवा | सेउवा | बी.टी. |
| सरदारशहर | 1. | छापर गंगानगर | मेहरासर छाछेरा | बी टी. |
| | | | साडासर | बी.टी. |
| | | | जैतासर | बी.टी. |

290



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 2. | सरदारशहर डूंगरगढ़ | भादसर दिखनादा | बी.टी. |
| | | | बन्धराऊ | बी.टी. |
| | 3. | सरदारशहर कालू | अडसीसर | बी.टी. |
| | 4. | सम्पर्क सड़क आसपालसर छापर गंगानगर सड़क से | आसपालसर | बी.टी. |
| | 5. | सरदारशहर तारानगर | मेलूसर | बी.टी. |
| | 6. | सम्पर्क सड़क फोगा सरदारशहर तारानगर सड़क से | फोगा | बी.टी. |
| | 7. | सम्पर्क सड़क राजासर बीकान.सरदारशहर कालू सड़क से | राजासर बीकान | बी.टी. |
| | 8. | सरदारशहर से नौहर | खेजड़ा | बी.टी. |
| | | | शिमला | जी.आर. |
| | 9. | चूरू सरदारशहर | पूलासर | बी.टी. |
| | 10. | सम्पर्क सड़क मालासर छापर गंगानगर सड़क से | मालासर | जी.आर. |
| | 11. | भानीपुरा से भोजासर | भोजासर उपाधान | जी.आर. |
| | 12. | साडासर बरजांगसर | जैतसीसर | जी.आर. |
| | | | बरजांगसर | बी.टी. |
| | 13. | सम्पर्क सड़क जयसिंहसर सरदारशहर तारानगर सड़क से | जयसिंहसर | बी.टी. |
| चूरू | 1. | रतननगर देपालसर | देपालसर | बी.टी. |
| | 2. | चूरू फतेहपुर | ठेलासर | बी.टी. |
| | 3. | चूरू राजगढ़ | लाखाऊ | बी.टी. |
| | | | ढाढर | बी.टी. |
| | | | सिरसला | बी.टी. |
| | 4. | सम्पर्क सड़क चूरू भालेरी से | खण्डरापट्टाचूरू | जी.आर. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 5. | चूरू सहनाली | सहनाली छोटी | जी.आर. |
| | 6. | चूरू तारानगर | सहजूसर | बी.टी. |
| | 7. | चूरू-रतनगढ़ | सारडा | बी.टी. |
| | | | बीनासर | बी.टी. |
| | 8. | सम्पर्क सड़क दूधवाखास रेलवे स्टेशन से दूधवाखरा | दूधवाखास | बी.टी. |
| | 9. | चूरू मालेरी | घण्टेल | बी टी. |
| | 10. | चूरू सरदारशहर वाया | जसरासर | बी.टी. |
| | | | खीवासर | जी.आर. |
| | 11. | ढाढर घांघू | घाघू | बी.टी. |
| | 12. | सम्पर्क सड़क चूरू बिसाऊ सड़क से | राणासर | जी आर. |
| | 13. | सम्पर्क सड़क चूरू भालेरी | पीथीसर | जी.आर. |
| | | | झारिया | जी.आर. |
| | 14. | चूरू बूंटिया | बूंटिया | जी.आर. |
| रतनगढ़ | 1. | गोगासर | मेलूसर | जी.आर. |
| | 2. | सम्पर्क सड़क टिडियासर रा.उ. मार्ग-11 से | टिडियासर | जी.आर. |
| | 3. | सम्पर्क सड़क रतनसरा चूरू रतमगढ़ सड़क से | रतनसरा | जी.आर. |
| | 4. | सम्पर्क सड़क भरपालसर रा.उ. मार्ग 11 से | भरपालसर | जी.आर. |
| | 5. | छापर गंगानगर | लोहा | बी.टी. |
| | | | पडिहारा | बी.टी. |
| | | | गोगासर | बी.टी. |
| | 6. | रतनगढ़-कुसुमदेशर | लूंछ | बी.टी. |
| | 7. | चूरू-रतमगढ़ | गोरीसर | बी.टी. |
| | 8. | सम्पर्क सड़क परसनेऊ रा.उ.मार्ग 11 से | परसनेऊ | बी.टी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 9. | लाछडलर जोरावरपुरा | लाछडसर | बी.टी. |
| | 10. | सम्पर्क सड़क डाउदसर चूरू रतनगढ़ सड़क से | दातुदसर | जी.आर. |
| श्रीडूंगरगढ़ | 1. | सम्पर्क सड़क इन्दपालसर बीदासर डूंगरगढ़ | इन्दपालसर<br>सेरवा | डब्ल्यूबी.एम.<br>बी.टी. |
| | 2. | राष्ट्रीय उच्च मार्ग 11 | जोधासर<br>लखासर<br>बिगा | बी.टी.<br>बी.टी.<br>बी.टी. |
| | 3. | सेरूणा सूडसर राष्ट्रीद उच्च मार्ग-11 से | सूडसर | बी.टी. |
| | 4. | सम्पर्क सड़क सोनियासर | सोनियासर | डब्ल्यूबी.एम. |
| | 5. | जालबदेसर-पाटमदेसर | उदरासर | बी.टी. |
| | 6. | सरदारशहर डूंगरगढ़ | आडसर<br>पुरोहितान<br>तोलियासर | बी.टी.<br><br>बी.टी. |
| | 7. | बाना उपनी सड़क बीदासर डूंगलगढ़ से | उपनी | जी.आर. |
| | 8. | सेरूना पुनरासर सम्पर्क सडक | पुनरासर | बी.टी. |
| | 9. | तुलछासर, रा.उ.मा. 11 से | तुलछासर | बी.टी. |
| | 10. | आडसर, मोमासर | मोमासर | बी.टी. |
| | 11. | बीदासर डूंगरगढ़ | बाना<br>रीडी | बी.टी.<br>बी.टी. |
| | 12. | डूंगरगढ़-कालू | गुसाईसर | बी.टी. |
| | 13. | दुलचासर सांवतसर | सांवतसर | जी.आर. |
| सुजानगढ़ | 1. | नोखा सीकर | गुलेरिया<br>लोडसर<br>बम्बू<br>साण्डवा<br>सालासर | बी.टी.<br>बी.टी.<br>बी.टी.<br>बी.टी.<br>बी.टी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 2. | शोभासर मुरडकिया | मुरडकिया | जी.आर. |
| | 3. | सम्पर्क सड़क सडू बडी नोखा | | |
| | 3. | सीकर से | सडू | डब्ल्यू.बी.एम. |
| | 4. | सुजानगढ़ बीदासर | दुनकर | जी.आर. |
| | 5. | जीली मांगरासर | मूंदड़ा | जी.आर. |
| | | | मंगरासर | जी.आर. |
| | 6. | सम्पर्क सड़क बाधसरा कानूता | कानूता | जी.आर. |
| | | | बाधसरा | जी.आर. |
| | 7. | छापर आवसर | आवसर | बी.टी. |
| | 8. | सम्पर्क सड़क इयारा | ईयारा | डब्ल्यू.बी.एम. |
| | 9. | सम्पर्क सड़क चाड़वास नोखा सीकर सड़क से | चाड़वास | बी.टी. |
| | 10 | सुजानगढ़ गोपालपुरा | गोपालपुरा | बी.टी. |
| | 11. | सालासर-रतनगढ़ | शोभासर | बी.टी. |
| | | | खुड़ी | जी.आर. |
| | 12. | सम्पर्क सड़क भींवसर नोखा सीकर से | भींवसर | बी.टी. |
| | 13. | लालगढ़ कातन | लालगढ़ | डब्ल्यू.बी.एम. |
| | | | बाढ़सर | डब्ल्यू.बी.एम. |
| | 14. | छामर राजलदेसर | जैतासर | जी.आर. |
| | 15. | सुजानगढ़ जिल्ली | जिल्ली | जी.आर. |
| | | | सारोठिया | जी.आर. |

(294)



परिशिष्ट "ख"

उन सड़कों की सूची जो 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से ऊपर की आबादी के गांवों को जोड़ती है

| तहसील का नाम | क्रमांक | सड़क का नाम | गांव का नाम | जनसंख्या | किस तरह की सड़क से जुड़ी है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तारानगर | 1. | तारानगर नोहर | रायटुण्डा | 2372 | बीआर |
| | 2. | तारानगर सावा | घीरवास, | 3267 | बीटी |
| | | | सावा | 5169 | बीटी |
| | 3. | बीकानेर दिल्ली | बुचावास | 2960 | बीटी |
| | | | भालेरी | 1661 | बीटी |
| | 4. | साँत्यु हड़ियाल | साँत्यु | 3182 | डब्लू.बी.एम. |
| | | | राजपुरा | 2690 | डब्लू.बी.एम. |
| | 5. | भनीन से बायं | बायं | 2696 | बीटी |
| | 6. | चूरू तारानगर सड़क से सम्पर्क सड़क | चंगोई | 1952 | जीआर |
| राजगढ़ | 1. | राजगढ़ शाखू | शाखू | 4007 | बीटी |
| | 2. | राजगढ़ पिलानी | चांदकोठी | 2118 | बीटी |
| | 3. | बीकानेर दिल्ली | ददरेवा | 2916 | बीटी |
| | 4. | राजगढ़ सिद्धमुख | सिद्धमुख | 3486 | बीटी |
| | 5. | घानोटी छोटी से गालड | गालड | 1706 | बीटी |
| | 6. | सम्पर्क सड़क रामपुरा | रामपुरा | 2085 | बीटी |
| सरदारशहर | 1. | चूरू सरदारशहर वाया पुलासर | पुलासर | 1725 | बीटी |
| चूरू | 1. | चूरू राजगढ़ | सिरसला | 1605 | बीटी |
| | 2. | चूरू रतनगढ़ | सातडा | 1587 | बीटी |
| | 3. | सम्पर्क सड़क दूधवा खारा से रेल्वे स्टेशन दूधवा खारा | दूधवा खारा | 3587 | बीटी |
| | 4. | चूरू मालेरी | घण्टेल | 2241 | बीटी |
| | 5. | चूरू सरदारशहर वाया पुलासर | जसरासर | 1539 | बीटी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6. | ढाढर घांघू | घांघू | 2390 | बीटी |
| | 7. | सम्पर्क सड़क चूरू भालेरी सड़क से | पीथीसर | 1631 | बीठी |
| | | | झारिया | 1639 | जीआर |
| | 8. | चूरू बिसाऊ | सांखोली | 1639 | बीटी |
| रतनगढ़ | 1. | छापर गंगानगर | गोगासर | 1608 | बीटी |
| | | | पड़िहारा | 5565 | बीटी |
| | 2. | सम्पर्क सड़क जोरावरपुरा से लाछड़सर | लाछड़सर | 2780 | बीटी |
| | 3. | सम्पर्क सड़क दाउदसर चूरू रतनगढ़ सड़क से | दाउदसर | 2404 | जीआर |
| श्रीडूंगरगढ़ | 1. | सेरूना पुनरासर | पुनरासर | 1626 | बीटी |
| | 2. | राष्ट्रीय उच्च मार्ग–11 | सेरूना | 1634 | बीटी |
| | | | बिग्गा | 3500 | बीटी |
| | 3. | सम्पर्क सड़क दुलचासर रा. रा. मार्ग–11 से | दुलचासर | 1738 | बीटी |
| | 4. | डूंगरगढ़ बीदासर | बाना | 1652 | बीटी |
| | 5. | दुलचासर सांवतसर | सांवतसर | 1534 | जीआर |
| | 6. | डूंगरगढ़ बीदासर | रीडी | 2979 | बीटी |
| | 7. | आडसर मोमासर | मोमासर | 5071 | बीटी |
| सुजानगढ़ | 1. | सम्पर्क सड़क मींवसर नोखा सीकर से | मींवसर | 1686 | जीआर |
| | 2. | सालासर रतनगढ़ | खुडी | 1514 | जीआर |
| | | | शोभासर | 2841 | बीटी |
| | 3. | नोखा सीकर | सालासर | 1662 | बीटी |
| | | | साण्डवा | 3970 | बीटी |
| | | | ढड़ीबा | 5312 | बीटी |
| | 4. | जीली से लालगढ़ | जोगलसर | 1901 | जीआर |
| | 5. | जीली कानूता | कानूता | 1786 | जीआर |
| | 6. | सुजानगढ़ गोपालपुरा | गोपालपुरा | 2009 | बीटी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7. | कातर लालगढ़ | लालगढ़ | 2459 | डब्लू.बी.एम. |
| | 8. | सम्पर्क सड़क चाडवास नोखा सीकर से | चाडवास | 3287 | बीटी |
| | 9. | छापर राजलदेसर | जोगलिया | 1821 | जीग्रार |
| | | | जैतासर | 1961 | जीग्रार |

**परिशिष्ट "ग"**

सड़कों की सूची जो योजना मद में मार्च, 1980 से मार्च, 1989 तक बनी है

| विधानसभा क्षेत्र का नाम | सड़क का नाम | स्वीकृत लम्बाई कि.मी. | राशि जो खर्च हुई (लाखों में) | सड़क की लम्बाई जो बन चुकी है एवं प्रकार (किमी.) डामर | मैटल | ग्रेवल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| तारानगर | 1– सात्यूं हड़ियाल का निर्माण कार्य 0/0 से 12/0 | 12 | 18.65 | 6 | 6 | — |
| | 2– सम्पर्क सड़क सात्यूं का निर्माण कार्य 0/0 से 17/0 | 17 | 13.91 | 15 | — | — |
| | 3– भनीन से बांय सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 8/0 | 8 | 3.03 | 8 | — | — |
| | 4– रैया टुण्डा से सोमीसर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 6/0 | 6 | 10.51 | 2 | 4 | — |
| | 5– नांगली से लाखलाप सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 0/200 | 4.2 | .96 | — | 4.2 | — |
| | 6– खुडी से बुगी सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 3/600 | 3.6 | 4.60 | 3.6 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7- घोलिया से सेडवा सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 6/0 | 6 | 8.89 | 5 | — | — |
| राजगढ़ | 1- सिद्धमुख से सिवानी सड़क का निमाण कार्य 0/0 से 21/0 | 21 | 42.73 | 21 | — | — |
| | 2- राजगढ़ वहल सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 17/100 | 17.1 | 7.81 | 16 | 1.1 | — |
| | 3- सम्पर्क सड़क बांय का निर्माण कार्य 0/0 से 19/0 | 19 | 35.05 | 17 | 2 | — |
| | 4- राजगढ़ से सांखू सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 28/0 | 28 | 38.42 | 28 | — | — |
| | 5- राजगढ़ से ढिगारला वाया गुलपुरा सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 6/0 | 6 | 7.83 | 6 | — | — |
| | 6- घानोटी छोटी से गालड सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 5/400 | 5.4 | 3.88 | 5.4 | — | — |
| | 7- राजगढ़ से सिद्धमुख सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 35/5 | 35.5 | 18.78 | 35.5 | — | — |
| | 8- सम्पर्क सड़क बींजावास का निर्माण कार्य 0/0 से 4/0 | 4 | 2.10 | — | 4 | — |
| | 9- साहुलपुर रेल्वे स्टेशन से चैक पोस्ट सादुलपुर 0/0 से 2/4 | 2.4 | 1.77 | — | 2.4 | — |
| सरदारशहर | 1- वोगेरा वाया खेजड़ा सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से | 26 | 21.84 | 15 | 3 | — |
| | 2- साडासर से बरजांगसर सड़क का निर्माण 0/0 से | 7 | 2.69 | 4 | 1 | — |
| | 3- कीकासर से सोमासर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 15/500 | 15.5 | 5.24 | सामान की आपूर्ति | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4- अडसीसर से मालकसर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 8/0 | 8 | 9.47 | — | — | — |
| चूरू | 1- चूरू सरदारशहर वाया पूलासर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 48/0 | 48 | 23.01 | 41 | — | — |
| | 2. ढाढर से घांघू सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 5/0 | 5 | 3.39 | 5 | — | — |
| | 3- चूरू से सेहनाली सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 9/630 | 9.63 | 15.58 | 9 | — | — |
| | 4- चूरू तारानगर वाया सेहजुसर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 14/0 | 14 | 10.70 | 8 | — | 4 |
| | 5- जसरासर से नाटकासर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 7/0 | 7 | 4.70 | 4 | — | 3 |
| | 6- रामपुरा रीबिया वाया खण्डवा सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 6/0 | 6 | 4.93 | 4 | — | 2 |
| डूंगरगढ़ | 1- सम्पर्क सड़क दूलचासर का निर्माण कार्य 0/0 से 11/0 | 11 | 13.20 | 11 | — | — |
| | 2- सेसना से पूनरासर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 15/0 | 15 | 3.10 | 15 | — | — |
| | 3- दुलचासर से लखासर सड़क का निर्माण 0/0 से 9/0 | 8 | 15.23 | 9 | — | — |
| | 4- डूंनरगढ़ से कालू सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 21/0 | 21.0 | 18.53 | 19.5 | — | — |
| | 5- जालबदेसर से पाटमदेसर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 20 | 20 | 34.09 | 20 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रतनगढ़ | 1– पडिहारा रेल्वे स्टेशन से गांव तक का सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 1/0 | 1 | 1.80 | 1 | — | — |
| | 2– नेशनल हाइवे नं. 11 से राजलदेसर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 1/0 | 1 | 0.45 | 1 | — | — |
| सुजानगढ़ | 1– सालासर से लक्ष्मणगढ़ सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 0/750 | 0.75 | 1.20 | 0.75 | — | — |
| | 2– सालासर से शोभासर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 6/0 | 6 | 5.94 | 6 | — | — |
| | 3– तालछापर रेल्वे स्टेशन से गांव तक सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 5/0 | 5 | 1.81 | 5 | — | — |
| | 4– लालगढ़ से कातर सड़क का निर्माण कार्य 0/0 से 21/0 | 21 | 6.42 | 21.50 | — | — |

परिशिष्ट "घ"

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | सड़क का नाम | लम्बाई कि.मी. में | राशि जो खर्च की गई | भौतिक उपलब्ध |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1– | तारानगर | बीकानेर–दिल्ली 168/0 से210/0 | 35/500 | 34,93,114/- (राजगढ़ सरदारशहर, डूंगरगढ़, चूरू क्षेत्र का खर्चा) | सरफेश ड्रेसिंग–11 कि. मी. रिकारपेट 24/500 कि.मी. |
| 2– | तारानगर | तारानगर–साहवा 0/0 से 47/0 | 18 कि.मी. | 4,41,647/- | सरफेश ड्रेसिंग 18 किमी. |
| 3– | राजगढ़ | चूरू–राजगढ़ 32/0 से 58/0 | 9 कि.मी. | 7,76,612/– (चूरू क्षेत्र का खर्च भी सम्मिलित है) | सरफेश ड्रेसिंग 5 किमी. रिकारपेट 4 किमी. |
| 4– | राजगढ़ | राजगढ़–पिलानी सड़क 25/0 से 34/0 | 12 कि.मी. | 4,65,382/– | सरफेश ड्रेसिंग 5 कि. मी., रिकारपेट 7 किमी. |
| 5– | राजगढ़ | बीकानेर–दिल्ली 210/0 से 252/500 | 21 कि.मी. | क्र.सं. 1 के अनुसार | सरफेश ड्रेसिंग 9 किमी. रिकारपेटिंग 12 किमी. |
| 6– | राजगढ़ | राजगढ़–बहल 0/0 से 17/200 | 6 कि.मी. | 11,276/– | सरफेश ड्रेसिंग 2 किमी. रिकारपेटिंग 4 किमी. |
| 7– | राजगढ़ | राजगढ़–सिद्धमुख 0/0 से 3510 | 10 कि.मी. | 1,81,372/– | सरफेश ड्रेसिंग 10 किमी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8– | राजगढ़ | सम्पर्क सड़क चैनपुरा | 1 कि.मी. | 1,52,248/– | कारपेट 1 किमी. |
| 9– | सरदारशहर | छापर–गंगानगर 62/0 से 133/4 | 29 कि.मी. | 29,55,000/– (रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का खर्चा भी सम्मिलित है) | सरफेश ड्रेसिंग 29 किमी. |
| 10– | सरदारशहर | बीकानेर–दिल्ली 110/0 से 152/0 | 10 कि.मी. | क्र. सं. 1 के अनुसार | सरफेश ड्रेसिंग 10 किमी. |
| 11– | सरदारशहर | सरदारशहर–कालू 0/0 से 37/0 | 8 कि.मी. | 1.64 लाख | सरफेश ड्रेसिंग 8 किमी. |
| 12– | चूरू | चूरू–मालेरी 0/0 से 35/0 | 11.500 कि.मी. | 3,18,712/– | सरफेश ड्रेसिंग 8 किमी. रिकारपेट 3.500 किमी. |
| 13– | चूरू | चूरू–राजगढ़ 0/0 से 32/0 | 4 कि.मी. | क्र.सं. 3 के अनुसार | रिकारपेट 4 किमी. |
| 14– | चूरू | चुरू–रतनगढ़ 0/0 से 25/0 | 12 कि.मी. | 12,51,280/– | रिकारपेट 12 किमी. |
| 15– | चूरू | चूरू–सरदारशहर वाया पुलासर 0/0 से 24/0 | 6 कि.मी. | 6,22,299/– | रिकारपेट 6 किमी. |
| 16– | चूरू | बीकानेर–दिल्ली 152/0 से 168/0 | 10 कि.मी. | क्र. सं. 1 के अनुसार | रिकारपेट 10 किमी. |
| 17– | श्री डूंगरगढ़ | बीकानेर–दिल्ली 71/0 से 11/0 | 6 कि.मी. | उपरोक्तानुसार | सरफेश ड्रेसिंग 2 किमी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- | श्री डूंगरगढ़ | बीदासर-डूंगरगढ़ 10/0 से 45/0 | 13 कि.मी. | 21,70 000/- (सुजानगढ़ क्षेत्र का खर्चा भी सम्मिलित है) | रिकारपेट 13 किमी. |
| 19- | वही | सेरुडा-पुनरासर 0/0 से 15/0 | 9 कि.मी. | 2,47,000/- | रिकारपेट 9 किमी. |
| 20- | वही | श्राडसर-मोमासर 0/0 से 6/0 | 1 कि.मी. | 0.34 लाख | रिकारपेट 1 किमी. |
| 21- | रतनगढ़ | चूरू-रतनगढ़ 25/0 से 48/0 | 15/500 कि.मी. | 2,58000/- | सरफेश ड्रेसिंग 11.5 कि. मी. रिकारपेट 4 किमी. |
| 22- | रतनगढ़ | रतनगढ़-कुसुमदेसर 0/0 से 11/0 | 3/500 कि.मी | 2,16,000/- | रिकारपेट 3.500 किमी. |
| 23- | वही | सम्पर्क सड़क बस स्टेण्ड रतनगढ़ से राजमार्ग संख्या 7, 0/0 से 3/0 | 3 कि.मी. | 54,000/- | सरफेश ड्रेसिंग 3 किमी. |
| 24- | वही | रतनगढ़-शंकरपूजी, कार्यशाला से जालान उच्च मार्ग विद्यालय एवं हनुमान पार्क 0/0 से 0/450 | 450 मीटर | 1,09,000/- | रिकारपेट एवं रेजिग एव ड्रेनेज 450 मी. |
| 25- | वही | गढ़ भवन कैम्पस रतनगढ़ में सड़क रिपेयर का कार्य | 200 मीटर | 47,000/- | कारपेट एवं रेजिग 200 मीटर |
| 26- | वही | छापर-गंगानगर 19/0 से 62/0 | 13 कि.मी. | क्र.सं. 9 के अनुसार | सरफेश ड्रेसिंग 9 किमी. रिकारपेट 4 किमी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27– | सुजानगढ़ | नौखा–सीकर 52/0 से 158/0 | 48 कि.मी. | 30,65,000/- | सरफेश ड्रेसिंग 3 किमी, रिकारपेट 48 किमी. वायडनिंग 16 किमी. |
| 28– | सुजानगढ़ | छापर–गंगानगर सड़क 0/0 से 11/0 | 11 कि.मी. | क्रमांक 9 के अनुसार | रिकारपेट 11 किमी. |
| 29– | वही | बीदासर–डूंगरगढ़ 0/0 से 10/0 | 10 कि.मी. | क्रमांक 18 के अनुसार | रिकारपेट 10 किमी. |
| 30– | वही | सुजानगढ़–गोपालपुरा 0/0 से 14/0 | 10 कि.मी. | 1,90,000/– | रिकारपेट 10 किमी., रेंजिग 1.50 किमी. |

नोट :– 1. सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू एवं रतनगढ़ में जो सड़कें एक से अधिक विधान सभा क्षेत्र में सम्मित हैं उनका खर्चा भी एक ही जगह दर्शाया गया है ।

2. वार्षिक मरम्मत के कार्य जैसे पेच रिपेयर बर्मस, रिपेयर मिट्टी का कार्य, रेनकट्स ठीक करना साइन बोर्ड एवं किलोमीटर स्टोन आदि की मरम्मत के कार्य इन सभी सड़कों पर हुआ है । जिनकी देखभाल व रख-रखाव विभाग की रुचि पर है एवं उसका खर्चा कालम 5 में नहीं दर्शाया गया है ।

(304)



**भरतपुर जिले के सेवर अस्पताल के डाक्टरों द्वारा गैर कानूनी गर्भपात**

**111. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :** क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के सेवर अस्पताल के डाक्टरों द्वारा दो हजार रुपया लेकर 5 मई, 1989 को एक विधवा के गैर कानूनी रूप से 7 माह के गर्भपात (भ्रूण हत्या) किया गया और इस मामले को लेकर आन्दोलन हुआ था और मामले की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ. सी. पी. शर्मा से कराई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच में सेवर अस्पताल में कार्यरत डाक्टरों के विरुद्ध आरोप सही पाये थे ? उक्त जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस समस्त मामले की सूचना चिकित्सा विभाग के निदेशक को दी गई और आगामी कार्यवाही के लिए निदेश प्राप्त करने चाहे ? यदि हां, तो निदेशक द्वारा क्या निर्देश दिये गये ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) जी हां, लेकिन दो हजार रुपये लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां, जांच की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां निदेशक महोदय द्वारा प्रभारी प्राथमिक स्वा. केन्द्र से स्पष्टीकरण मांगा है।

(4) जांच की प्रक्रिया चल रही है। पूर्ण होने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

From Dr. (Mrs.) C. P. Sharma
Senior Specialist (Obst. & Gyn.)
Zanana Hospital
Bharatpur.

To
The C.M. & H.O.
Bharatpur.

Subject:–Enquary Report Conducted at Savor PHC on 5.5.89 evening.

Reference:—Urgent orders of CM & HO on Complaint filed by Shree Rajendra Kuntal Distt. Secretary, Bharatpur Bhartiya Communist parry dated 5.5.89

Sir,

I am submitting here with the enquiry report of Smt. Machala a patient in Labour Room at Savor PHC on 5.5.89 evening.

I am enclosing here with the statements and records of the following.

1. Smt. Machala – The patient
2. Smt. Chandrawati ] Relatives of Machala
3. Smt. Premvati

HOSPITAL STAFF

4. Dr. Suresh Yadav
5. Smt. Saramma प्रसाविका
6. Smt. Aliamma LHV
7. Smt. Mary K. C. (Mary K. C.)
8. Shree Dindayal Sharma Class IV (Night Chowkidar)
9. Smt. Prem Devi Class IV
10. Examination report (of Machala) by Dr. (Mrs.) C. P. Sharma
11. Indoor Admission Register of PHC Savor
    ,, PHC Savor
12. O.P.D. Register: which was brought by UDC Shree Sohan Lal Dube by order of CM & HO Bharatpur after my leaving Savor PHC. One or two hours later on 5.5.89.

Comments & enclusion:—On the basis of

1. Records of PHC Savor
2. Statements of patient Machala and her relatives
3. Statements of hospital staff available
4. Examination findings in L. R. by me.
5. Circun stantial evidence.

It is evident that Machala the widow (17-18 Yrs) was an indoor patient without any entery in the Indoor Register and also without any Indoor ticket, with Seven months pregnancy.

Statements of Machala and her lady relatives show that Machala was under treatment of the only lady doctor Dr. Usha Arora for

termination of her pregnancy. This evidence is corroberated by statements of Smt. Mary K. C. that Dr. Usha Arora ordered for starting syntocinon drip at 5 P.M. in labour room. Machala also stated that some small bottle by drip was glaers in her abdoment. The needle prick mark was also conformed by me on examination (also pointed by Machala).

It is a great Surprise that Dr. Suresh Yadav did not know any thing about the case such as admission, treatment etc. and also the whose abouts of Dr. Usha Arora during hospitals lines when I wanted her for an enquiry. Dr. Suresh also stated that on 4.5.89 the patient was not at Savor hospital and was not in the hospital up to 4.30 P.M. on 5.5.89.

It is still more surprising by the statements of Dindayal Sharma W/B on night duty dated 4.5.89 that Machala and her two female relatives were staying at Dr. Usha Arora's residence. He said them on 5th morning there as well.

Inference: —Patient was in the hospital permises for treatment she wanted, on 4.5.89 (seen by W/B Dindayal) but not show admitted even up to 5 5.89 which was confirmed by Indoor Register till last.

As per statements of Dr. Suresh Yadav, Smt. Mary K. C., Dindayal Sharma, Prem W/M, The patient was brought to L. Room betveen 4.30 to 5 P. M. 5.5.89.

Attempts for termination of seven months pregnancy were done

I am submitting this enquiry report on 8.5.89 as Dr. Usha Arora the concerning female Medical Officer was not available on 5.5.89 during Enquiry at Savor and also on 6.5.89 and 7.5.89 even after orders of CM & HO to be present in CM & HO office to give her statements.

सी. पी. शर्मा

Dated 8.5.89
Enel. Nine
Two Registers.

Dr. (Mrs.) C. P. Sharma
Senior Spl. (Obst. & Gyn )
Reporting Officer

Note:—This is to be emphasized that the OPD register of PHC Savor was brought after one to two hours of enquiry late evening of 5.5.89 by Shree Sohanlal Dube on Demand of the undersigned It was noted that the name of Machala was entored in the last after completion of outdoor time,

सी. पी. शर्मा
Dr. (Mrs.) C. P. Sharma
Senior Spl. (Obst. & Gyn.)
Z. Hospitol, Bharatpur
(Reporting Officer)

8.5.89

**मकराना नगरपालिका क्षेत्र में नालियां**

112. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मकराना नगरपालिका में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालियों का दुबारा निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार नगर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान हेतु अनुरोध करेगी !

उत्तर

(1) मकराना नगर पालिका में गन्दे पानी के निकासी हेतु बनी हुई नालियों का दुबारा निर्माण नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की स्थिति में ही किया जा सकेगा ।

(2) नगरपालिका मकराना की तरफ से इस कार्य हेतु विशेष अनुदान का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

**विशेष छात्रवृत्ति योजना**

113. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से कितने विद्यालयों को कितनी राशि कितने छात्रों को सहायता के रूप में दी गई ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का लाभ स्वर्ण वर्ग के छात्रों को भी दिया जाता है ? अब तक उक्त वर्षों में विद्यालयवार कितने छात्रों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से निम्न प्रकार विशेष छात्र वृत्ति दी गई :-

(308)



(समाज कल्याण मन्त्री)

| वर्ष | अनु०जाति | | अनु० जन जाति | |
|---|---|---|---|---|
| | छात्र | राशि | छात्र | राशि |
| 84-85 | 293 | 1344134/- | 228 | 1147558/- |
| 85-86 | 278 | 1484069/- | 242 | 1460443/- |
| 86-87 | 330 | 2343817/- | 318 | 1878352/- |
| 87-88 | 283 | 2245000/- | 238 | 2180000/- |
| 88-89 | 403 | 2548000/- | 387 | 2771000/- |

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सवर्ण वर्ग के छात्रों को लाभान्वित नहीं किया गया है।

**भेड़ प्रजनन फार्मों पर चारा-दाना उत्पादन**

**114. श्री उम्मेदसिंह** (शिव) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या भेड़ ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि जयपुर, फतहपुर, चित्तौड़गढ़ व बाकलिया राजकीय भेड़ प्रजनन फार्म पर भेड़ों के चारे दाने पर बाजार से खरीद कर वार्षिक व्यय करीबन 10 लाख रुपये व आय करीबन तीन लाख रुपये की होती है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक फार्मवार वार्षिक आय-व्यय कितना होता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फार्मों पर चारा-दाना उत्पादन पर गत 5 वर्षों में वर्षवार कितना व्यय किया गया ?

(3) फार्म वार भेड़ों की कितनी संख्या उद्घाटन वर्ष के समय थी व वर्तमान में कितनी संख्या है ? वर्ष में दो बार ब्याहने पर भी भेड़ों की बढ़ोतरी नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) फार्मवार किस क्षेत्र की कौन-कौन सी जगह भेड़ नस्ल सुधार किया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत 5 वर्षों में फार्मवार स्टाफ, गाड़ी, बिजली, पानी, भवन, विकास कार्य, रखरखाव पर विभिन्न मदवार वर्षवार कितनी राशि अब तक व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार उक्त फार्मों को भेड़ पालकों को भेड़ें चराने व सिर्फ विभागीय तकनीकी मार्ग दर्शन करने का निर्णय लेना उचित समझती है ? यदि नहीं, तो सरकारी भारी व्यय करने के पीछे औचित्य क्या है ?

(7) क्या यह सही है कि पूर्व में किसी निदेशक ने विभाग का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर पशु पालन विभाग में विलय का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो इस सुझाव की क्रियान्विति में क्या अड़चन है ? कृपया निदेशक के सुझाव/रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। फार्मवार वार्षिक आय तथा चारे-दाने की बाजार से खरीद पर व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(2) उक्त फार्मों पर चारा-दाना उत्पादन पर गत पांच वर्षों में वर्षवार व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट "ब" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) फार्मवार उद्घाटन वर्ष एवं वर्तमान में भेड़ों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "स" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

भेड़ें वर्ष में केवल एक बार ही ब्याहती हैं। सामान्यत: फार्मों पर भेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बाकलियां फार्म पर भेड़ों की संख्या में कमी का कारण चोकला नस्ल की संकर भेड़ों में दूध की कमी की वजह से केवल चयनित एवं अधिक दूध वाली भेड़ों को रखा जाना है।

(4) फार्मवार नस्ल सुधार के क्षेत्र एव जगह का विवरण परिशिष्ट "द" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) गत 5 वर्षों में विभिन्न फार्मों पर मदवार व वर्षवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "य" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(6) जी नहीं। भेड़ प्रजनन फार्मों पर विदेश से भेड़ें व मैढ़े आयात कर उनका पालन-पोषण एवं उनसे स्थानीय भेड़ों में संकर प्रजनन कराया जाता है, जो भेड़ पालकों द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

(7) जी हां। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

फार्मवार वार्षिक चारे-दाने की खरीद पर आय तथा व्यय का ब्यौरा

परिशिष्ट "अ"

| क्र.सं. | फार्म का नाम | आय | चारे-दाने पर व्यय |
|---|---|---|---|
| 1– | फतेहपुर | 3,05,716 | 7,27,111 |
| 2– | जयपुर | 61,523 | 8,79,764 |
| 3– | बांकलिया | 10,893 | 76,873 |
| 4- | चित्तौड़गढ़ | 39,044 | 2,53,704 |
| | योग : | 4,17,176 | 19,37,452 |

परिशिष्ट "ब"

चारा-दाना उत्पादन पर फार्मवार व वर्षवार खर्चे का विवरण

| वर्ष | जयपुर | फतेहपुर | चित्तौड़गढ़ | बांकलिया |
|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 46,274 | 2,24,906 | 20,000 | 39,422 |
| 1985-86 | 40,850 | 1,54,997 | 19,998 | 51,862 |
| 1986-87 | 46,416 | 1,65,889 | 45,000 | 44,610 |
| 1987-88 | 56,888 | 1,39,982 | 19,999 | 47,788 |
| 1988-89 | 59,089 | 1,37,259 | 20,005 | 32,554 |
| कुल योग :- | 2,49,517 | 8,23,033 | 1,25,002 | 2,16,236 |

परिशिष्ट "स"

फार्मवार उद्घाटन वर्ष एवं वर्तमान में भेड़ों की संख्या का विवरण

| क्र.सं. | फार्म का काम | वर्ष | उद्घाटन वर्ष में | | वर्तमान में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | फतेहपुर | 1973 | 326 | | 2,453 |
| 2- | जयपुर | 1948 | 297 | (वर्ष 1966-67) इससे पूर्व की संख्या उपलब्ध नहीं है। | 901 |
| 3- | बांकलिया | 1968 | 478 | | 347 |
| 4- | चित्तौड़गढ़ | 1966-67 | 40 | | 622 |
| | योग :- | — | 1141 | | 4323 |

परिशिष्ट "द"

भेड़ों में नस्ल सुधार किए गए क्षेत्र का फार्मवार विवरण
जहां मेढ़ें भेजकर संकर प्रजनन कराया गया

| क्र.सं. | फार्म का नाम | क्षेत्र (जिला) | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1– | भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर | सीकर | सीकर, नीम का थाना । |
| | | झुन्झुनूं | झुन्झुनूं, पिलानी, नवलगढ़, चिड़ावा, मलसीसर, खेतड़ी, मुकुन्दगढ़ । |
| | | चूरू | चूरू, रतनगढ़, तारा नगर, छापर । |
| | | नागौर | लाडनूं, बाकलियां । |
| | | सूरतगढ़ | सूरतगढ़, नोहर, महाजन, अनूपगढ़, रावतसर, भादरा । |
| | | उदयपुर | कांकरोली । |
| | | डूंगरपुर | डूंगरपुर |
| | | बांसवाड़ा | घाटोल |
| 2– | भेड़ प्रजनन फार्म जयपुर | जयपुर | जयपुर, दूदू, फागी, रूण्डल, जोबनेर । |
| | | टोंक | टोंक |
| | | अजमेर | केकड़ी, भिनाय, ब्यावर |
| | | झुन्झुनुं | झुन्झुनूं, नवलगढ़ । |
| 3– | भेड़ प्रजनन फार्म, बाकलियां | नागौर | लाडनूं, डीडवाना । |
| 4– | भेड़ प्रजनन फार्म, चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़, सिहाना, घटियावली । |
| | | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा, रायपुर, मांडल, माण्डलगढ़, जहाजपुर, शाहपुरा, आसिन्द । |

परिशिष्ट "य"

## फतेहपुर फार्म पर मदवार व वर्षवार खर्चा

| क्र.सं. | मद | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88–89 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | सवेतन | 6,97,563 | 7,12,289 | 8,74,173 | 10,08,248 | 10,94,587 | 43,86,860 |
| 2– | मजदूरी | 3,70,038 | 4,09,986 | 4,40,072 | 10,82,732 | 11,49,971 | 34,52,799 |
| 3– | यात्रा व्यय | 26,983 | 24,996 | 28,221 | 25,330 | 19,988 | 1,25,518 |
| 4– | चिकित्सा व्यय | 13,000 | 14,324 | 12,900 | 13,391 | 14,790 | 68,405 |
| 5– | कार्यालय व्यय | 59,991 | 59,985 | 62,966 | 60,440 | 48,559 | 2,91,941 |
| 6– | पशु संधारण | 5,64,882 | 4,79,003 | 5,87,305 | 8,38,967 | 11,00,008 | 35,70,165 |
| 7– | चारागाह विकास | 2,24,907 | 1,54,997 | 1,65,888 | 1,39,982 | 1,37,259 | 8,23,033 |
| 8– | लघु कार्य | 49,870 | 49,769 | 40,601 | 20,000 | 19 300 | 1,79,540 |
| 9– | वाहन व्यय (जीप, ट्रैक्टर) | 74,178 | 69,999 | 74,004 | 59,508 | 55,238 | 3,32,927 |
| 10– | वाहन मरम्मत | 34,777 | 25,217 | — | — | — | 59,994 |
| 11– | टूल्स प्लान्ट्स | 968 | — |  | — | — | 968 |
|  | योग :— | 21,17,157 | 20,00,565 | 22,86,130 | 32,48,598 | 36,39,7001 | 32,92,150 |

जयपुर फार्म पर मदवार वर्षवार खर्चा

| क्र.सं. | मद | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | वेतन | 406976 | 448484 | 435614 | 542007 | 575693 | 24,08,774 |
| 2- | यात्रा भत्ता | 10251 | 9266 | 1342 | 5281 | 5234 | 31,374 |
| 3- | चिकित्सा व्यय | 7726 | 6275 | 7927 | 9505 | 8045 | 39,478 |
| 4- | कार्यालय व्यय | 28623 | 26351 | 20117 | 21877 | 23480 | 1,20,448 |
| 5- | वाहन संधारण | 11788 | 15088 | 12173 | 10041 | 8793 | 57,883 |
| 6- | मजदूरी | 25370 | 49250 | 51590 | 63794 | 93750 | 2,83,754 |
| 7- | मवेशियों का भरण-पोषण | 242056 | 318894 | 494633 | 764831 | 914334 | 27,34,748 |
| 8- | बागान | 3064 | 3927 | 2992 | — | 3507 | 13,490 |
| 9- | चारागाह विकास | 19895 | 18627 | 19803 | 20038 | 24633 | 1,02,996 |
| 10- | लघु निर्माण | — | 4894 | 3857 | — | | 8,751 |
| 11- | पशुधन | 6860 | — | 94483 | — | — | 1,01,343 |
| | योग :— | 762609 | 901056 | ˉ1144531 | 1437374 | 1657469 | 59,03,039 |

## बांकलियां फार्म पर मदवार व वर्षवार खर्चा

| क्र.सं. | मद | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | सवेतन | 193315 | 211391 | 229773 | 297451 | 306604 | 12,38,534 |
| 2– | मजदूरी | 31873 | 39284 | 34949 | 37848 | 11358 | 1,55,312 |
| 3– | यात्रा व्यय | 6876 | 7969 | 6921 | 5960 | 6999 | 34,725 |
| 4– | चिकित्सा व्यय | 3397 | 3999 | 2435 | 821 | 2983 | 13,635 |
| 5– | कार्यालय व्यय | 21039 | 23935 | 22851 | 19983 | 22992 | 1,10,800 |
| 6– | मवेशियों का भरणपोषण | 66578 | 77206 | 67292 | 82853 | 77690 | 3,71,619 |
| 7– | वाहन संधारण | 9451 | 9996 | 10000 | 9564 | 7995 | 47,006 |
| 8– | चारागाह सुधार | — | 22578 | 19661 | 19940 | 17196 | 79,375 |
| | योग :— | 332529 | 396358 | 393882 | 474420 | 453817 | 20,51,076 |

चित्तौड़गढ़ फार्म पर मदवार एवं वर्षवार खर्चे का ब्यौरा

| क्र.सं. | मद | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | संवेतन | 237609 | 248412 | 255507 | 344662 | 374424 | 14,60,614 |
| 2– | मजदूरी | 28233 | 30778 | 30000 | 50232 | 43974 | 1,83,217 |
| 3– | यात्रा व्यय | 8986 | 10945 | 10677 | 6674 | 9204 | 46,486 |
| 4– | चिकित्सा व्यय | 6043 | 4976 | 3244 | 4000 | 5501 | 23,764 |
| 5– | कार्यालय व्यय | 31907 | 30034 | 34974 | 37763 | 36500 | 1,71,178 |
| 6– | मवेशियों का भरणपोषण | 73748 | 148869 | 101145 | 59992 | 89541 | 4,73,295 |
| 7– | चारागाह सुधार | 20000 | 23177 | 45000 | 19948 | 20005 | 1,28,180 |
| 8– | वाहन संधारण | 20645 | 22173 | 12987 | 16998 | 22000 | 94,803 |
| 9– | अनुरक्षण | — | 23170 | — | 6556 | 53 | 29,779 |
| 10– | पशु धन क्रय | — | 56451 | 4500 | — | — | 60,751 |
| 11– | निर्माण कार्य | — | — | 2969 | — | — | 2,969 |
| | योग :— | 427171 | 598985 | 501003 | 546875 | 601201 | 26,75,236 |

315

## ग्राम अजाड़ी कलां (झुंझुनूं) का पंचायत भवन

**115. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी):** क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20-12-1985 को झुन्झुनूं जिले की झुंझुनूं पंचायत समिति ने ग्राम पचायत अजाड़ी कलां में ग्राम पंचायत भवन के निर्माण हेतु रुपये 40,000/- स्वीकृत किये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या पंचायत मुख्यालय गांव अजाड़ी कलां में यह भवन बना ?

(3) यदि नहीं, तो यह भवन कहां बनाया गया और क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति ली गई ? पंचायत मुख्यालय का स्थान सरकार द्वारा बदले बिना किसी अन्य स्थान पर सरपंच का अपनी इच्छा से पंचायत भवन बना देना क्या अवैधानिक और अनियमित नहीं है ? यदि हां, तो उस सरपंच से जिसने पंचायत मुख्यालय के बिना ही स्वयं अपने गांव में पंचायत भवन बना लिया है, क्या सरकार इस राशि की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) यह भवन ग्राम पंचायत अजाड़ी कलां के ही ग्राम बास नानग में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 12-1-86 में लिए गये निर्णय के अनुसार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम बास नानग पंचायत क्षेत्र के मध्य में तथा ग्राम अजाड़ी कलां पूर्व की ओर एक कोने में पड़ता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्राम बास नानग में पंचायत भवन का निर्माण किया गया था।

(4) जी नहीं। ग्राम पंचायत अजाड़ी कलां की बैठक दिनांक 12-1-86 में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्राम बास नानग में पंचायत भवन का निर्माण कार्य किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने दि. 18.7.86 द्वारा पंचायत भवन ग्राम बास नानग में ही रखे जाने का निर्णय दिया है। चूंकि पंचायत भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अतः राशि वसूल किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

## टहला-तालाब बाईपास

**116. श्री राजेश (थानागाजी) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील राजगढ़ (अलवर) में टहला-तालाब बाई पास की सरकार ने मंजूरी दे रखी है ?

(2) क्या इस बाईपास पर विभाग द्वारा कार्य कराया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो विभाग इस पर कार्य करवाने की क्या व्यवस्था कर रहा है ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा कुछ कार्य की मंजूरी अकाल राहत के अन्तर्गत दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

**अवैध औद्योगिक इकाईयों से प्रदूषण**

**117. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) :** क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में किस-किस जगह प्रदूषण फैलाने वाली कितनी-कितनी ऐसी औद्योगिक इकाईयां है जो अवैध रूप से चल रही है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों के दृष्टिकोण से चल रही वैध वृहद एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) अवैध इकाईयों के विरूद्ध प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की गई व की जा रही है :-

(अ) ऐसी इकाईयों का निरीक्षण किया गया एवं उच्छिष्ठ के नमूनों की जांच करवायी गयी।

(ब) उन्हें नोटिस जारी किये गये।

(स) प्रदूषण नियन्त्रण बाबत मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिये गये।

(द) ऐसे उद्योग जो राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरूद्ध प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु मुकदमें दायर किये गये।

**प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों के अन्तर्गत वैध वृहद व मध्यम श्रेणी की औद्योगिक ईकाइयों की तालिका**

| | | वैध इकाईयों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| क्र. सं. | स्थान का नाम | जल प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों के अन्तर्गत | वायु प्रदूषण नियन्त्रण कानूनों के अन्तर्गत |
| 1. | जयपुर | — | 04 |
| 2. | अजमेर | — | 05 |
| 3. | सीकर | — | 03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | झुंझुनू | 01 | 02 |
| 5. | टोंक | — | — |
| 6. | अलवर | 20 | 39 |
| 7. | धौलपुर | — | 02 |
| 8. | भरतपुर | 01 | 02 |
| 9. | जोधपुर | — | 06 |
| 10. | बीकानेर | — | — |
| 11. | पाली | — | — |
| 12. | श्रीगंगानगर | — | — |
| 13. | सिरोही | 01 | 04 |
| 14. | जालौर | — | 01 |
| 15. | नागौर | — | 06 |
| 16. | चूरू | — | 01 |
| 17. | कोटा | 04 | 13 |
| 18. | बून्दी | — | 01 |
| 19. | झालावाड़ | — | 01 |
| 20. | भीलवाड़ा | 08 | 10 |
| 21. | चित्तौड़गढ़ | 01 | 07 |
| 22. | उदयपुर | 06 | 14 |
| 23. | डूंगरपुर | — | 01 |
| 24. | बांसवाड़ा | — | 02 |
| 25. | सवाई माधोपुर | — | — |
| | कुल | 42 | 124 |

## झुन्झुनूं नगरपालिका क्षेत्र में सड़कें एवं नाली निर्माण

118. श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) : स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं नगरपालिका के किन वार्डों में 1 जनवरी 1987 से लेकर 1989 तक सड़क निर्माण कार्य किये गये, कितनी नालियां बनवायी गयी ? इस हेतु वर्ष 1987 में नगरपालिका झुन्झुनूं में कितना बजट था और वर्तमान में कितना बजट है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य हेतु निर्धारित राशि का उपयोग निर्माण कार्यों में न करके दुरुपयोग करने की प्रशासन एवं अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

### उत्तर

(1) नगरपालिका झुन्झुनूं में 1 जनवरी, 1987 से 31-3-89 तक वार्ड सं. 1 से 23 में 68 सड़क निर्माण कार्य कराये गये एवं 47 नालियां बनाई गई। विकास कार्यों हेतु वर्ष 1987 में 15 लाख रुपये का प्रावधान था एवं वर्तमान वर्ष 1989 में 14 लाख रुपये का प्रावधान है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जांच में यह शिकायत तथ्यहीन पाई गई। एक दूसरी शिकायत सड़क निर्माण कार्य पालिका की सीमा से बाहर होने की थी, जो सही पाये जाने पर इस सड़क निर्माण की निविदाएं ही निरस्त करदी गई थी।

### नगरपालिका झुन्झुनूं (राजस्थान)

जनवरी 1987 से 31-3-89 तक सड़क निर्माण कार्यों की सूची

| क्र.सं. 1 | वार्ड नं. 2 | कार्य का नाम 3 | विवरण 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | सड़क नं. 1 से नं. 2 तक डामर, सड़क का कार्य वाया गुडलक नर्सिंग होम। | |
| 2. | 1 | डामर सड़क निर्माण नं. 1 से सी.एम.एच.ओ. के क्वाटर से शिशुपाल के मकान तक। | |
| 3. | 1 | मान नगर में चौथमल के मकान से पी.एच.ई.डी. क्वाटर तक सड़क निर्माण। | |
| 4. | 1 | सड़क निर्माण संगम होटल के पास, रोड़ नं. 1 से रोड़ नं. 2 तक। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | 1 | सड़क निर्माण न्यू तहसील मार्केट से पार्लसिंह के मकान तक। | |
| 6. | 1 | मानननगर में बी. 86 से रोड़ नं. 2 तक वाया बी-51 तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 7. | 2 | हायर सैकण्डरी स्कूल से गुडा मोड चुंगी नाका 4 तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 8. | 2 | सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 9. | 2 | रिपेयर डामर सड़क रोड़ नं. 2 से रोड़ नं 3 डामर सड़क रिपेयर कार्य बाकरा लिंक रोड़। | |
| 10. | 2 | सड़क नं. 3 से अब्दुल हमीद मोयल तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 11. | 2 | सड़क नं. 2 बल्देव कुमावत के मकान से रोड़ नं. 3 गोपीराम चमार तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 12. | 2 | डामर सड़क निर्माण कार्य रोड़ नं. 2 से ईमाम अली शाह दरगाह तक ईमाम नगर। | |
| 13. | 3 | डामर सड़क निर्माण कार्य मोहम्मद बक्श के मकान से रेगरपुरा प्राईमरी स्कूल तक। | |
| 14. | 3 | रिपेयर डामर सड़क कार्य। | |
| 15. | 4 | सड़क मरम्मत कार्य मदीना मस्जिद से रोड़ नं. 1 तक। | |
| 16. | 4 | सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 17. | 4 | होली चौक अब्दुल करीम के मकान से नगीना मस्जिद तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 18. | 4 | सीमेण्ट सड़क निर्माण कार्य रमजू लुहार के मकान से अब्दुल मजीद के मकान तक मोहल्ला नायकान। | |
| 19. | 5 | इन्द्रा नगर में एफएच एवं जी ब्लाक में सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 20. | 5 | सड़क मरम्मत कार्य बी ब्लाक इन्द्रा नगर। | |
| 21. | 5 | सड़क निर्माण कार्य बी-28 से बी-14 इन्द्रा नगर। | |
| 22. | 5 | सड़क मरम्मत इद्दू चौबदार की दुकान से मदीना मस्जिद तक। | |
| 23. | 6 | सड़क मरम्मत मस्जिद चौबदारान से काल की हवेली तक। | |
| 24. | 6 | सड़क मरम्मत अब्दुल करीम के मकान से फतेहपुरिया मस्जिद की ओर। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | 6 | मोहल्ला फतेहपुरिया में सुबान की दुकान से यासीन के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 26. | 6 | सड़क निर्माण कार्य मोहल्ला फतेहपुरिया नत्थू व्यापारी से हाजी मुस्ताख की दुकान तक। | |
| 27. | 7 | मुखत्यार भाटी के मकान से अब्दुला जिल्दसाज फुटला बाजार सीमेंट सड़क निर्माण कार्य। | |
| 28. | 7 | फुटला बाजार नूरदीन मस्जिद से एच. जी. मेडीकल स्टोर तक सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 29. | 8 | सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 30. | 8 | सीमेंट सड़क निर्माण कार्य खेतड़ी महल से रजिया मस्जिद वाया एहले मस्जिद तक। | |
| 31. | 9 | सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 32. | 10 | दीने खां कायम खां के मकान से खैरादी मास्टर के मकान तक मोहल्ला खोरा सड़क निर्माण कार्य हेतु। | |
| 33. | 11 | सड़क निर्माण यासीन काजी के मकान से मुस्ताख मास्टर के मकान की ओर बिसाव हवेली तक। | |
| 34. | 11 | सड़क मरम्मत कार्य मोहम्मद मास्टर के मकान से मोहल्ला खोरा गैस्ट हाउस तक। | |
| 35. | 11 | डामर सड़क निर्माण कार्य पुरानी डब्लू. बी. एम. सर्फेस पर ए-17 से ए-35 तक बसंत बिहार। | |
| 36. | 12 | सीमेंट सड़क निर्माण कार्य मस्जिद चेजारा से वाई खान खत्री तक। | |
| 37. | 12 13 | सड़क मरम्मत रजिया मस्जिद से पीपसी चौक तक। | |
| 38. | 13 | काशिम चेजारा से अलादीन चेजारा के मकान तक व गिन्डा कुम्हार तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 39. | 13 | गनी मसीदा के मकान से राजाराम महाजन के मकान तक वाया आयुर्वेदिक चिकित्सालय सड़क निर्माण कार्य। | |
| 40. | 13 | सड़क निर्माण फकरूद्दीन अल्लाद्दीन चेजारा से जूथा कुम्हार के मकान तक। | |
| 41. | 14 | सड़क मरम्मत कार्य। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 42. | 14 | भाटो की गली में सड़क निर्माण कार्य एवं आनन्द जनरल स्टोर से हवेली सारा सूवतान। | |
| 43. | 14 | सीमेंट सड़क निर्माण कार्य मांगीलाल नायक से पावजी मन्दिर मोहल्ला नायकान। | |
| 44. | 15 | पण्डो के दरवाजे से जोशियान कट्टे तक सीमेंट सड़क निर्माण कार्य। | |
| 45. | 15 | सड़क मरम्मत कार्य कालूराम तुलसीयान से मोतीलाल तुलसीयान तक। | |
| 46. | 15 | निर्माण कार्य सड़क दुर्गादत्त वकील से ढोलिया गट्टा तक छावनी बाजार। | |
| 47. | 15 16 | रिपेयर डामर सड़क बगीची पुरोहितान से बड़ा मन्दिर तक। | |
| 48. | 16 | सड़क मरम्मत कार्य। | |
| 49. | वार्ड | चावो शक्ति मन्दिर के पीछे रामदेव स्वामी के मकान से पुराने पोस्ट आफिस तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 50. | 16 | मुरारीलाल स्वामी के मकान से मंगतूराम जालान के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 51. | 16 | सड़क निर्माण कार्य बड़ा मन्दिर से नथमल पंसारी के मकान तक। | |
| 52. | 16 | सड़क मरम्मत कार्य अरविन्द आश्रम से मीरा अम्बीका भवन तक। | |
| 53. | 16 | सड़क मरम्मत कार्य रानी शक्ति चौराहा से नाजीर मरिदा मकान तक। | |
| 54. | 16 | रिपेयर डामर सड़क पुराना पोस्ट आफिस से हनुमानजी मन्दिर तक। | |
| 55. | 17 | भीखा वाला कुआ से बगड़ रोड़ ट्रांसफारमर तक सड़क निर्माण कार्य। | |
| 56. | 17 | सड़क निर्माण कार्य भंवरलाल टेलर के मकान से रामनाथ तुलसीयान तक इन्द्रा पार्क के पास। | |
| 57. | 18 | पुराने बस स्टेण्ड पर सड़क निर्माण कार्य। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 58. | 18 | महेश टाकीज से गीता भवन तक सड़क निर्माण कार्य । | |
| 59. | 18 | सड़क निर्माण कार्य ईमामुद्दीन ईलाही से युसुफ ईलाही के मकान तक । | |
| 60. | 18 | सड़क निर्माण कार्य विशम्भर कईयां के मकान से मोहल्ला घासियान तक । | |
| 61. | 18 | सड़क निर्माण कार्य दुलीचन्द के मकान से ईसब ईलाही के मकान तक मोहल्ला मालयान ईलाहीयान । | |
| 62. | 19 | सड़क निर्माण कार्य राजकीय मिडिल स्कूल से फौज का मोहल्ला वाया मोतीलाल रीडर के मकान के पास । | |
| 63. | 20 | सड़क मरम्मत कार्य । | |
| 64. | 22 | सड़क मरम्मत कार्य कालती हवेली से चूना चौक शहीदान तक । | |
| 65. | 22 | सड़क मरम्मत कार्य कालती हवेली से हुसैन व्यापारी के मकान तक । | |
| 66. | 22 | सड़क मरम्मत कार्य अली हुसैन के मकान से रोड़ नं. 1 तक । | |
| 67. | 23 | सड़क निर्माण कार्य शाहू के नोहरा से युसुफ की चक्की तक । | |
| 68. | 23 | सड़क निर्माण कार्य दीनदयाल चौक से गुप्ता रोड़ लाईन्स तक । | |

## कार्यालय नगरपालिका झुन्झुनूं (राजस्थान)

जनवरी 1987 से 31.3.89 तक नाली निर्माण कार्यों की सूची

| क्र. सं. 1 | वार्ड नं. 2 | कार्य का नाम 3 | विवरण 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | नाली निर्माण कार्य लायन्स क्लब के पास । | |
| 2. | 1 | नाली निर्माण कार्य गुडलक नर्सिंग होम बस स्टेण्ड के पास । | |
| 3. | 2 | नाला निर्माण कार्य रोड़ नं. 1 हायर सैकण्डरी स्कूल से गुडा मोड़ रोड़ नं. 3 तक । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | 3 | नाली निर्माण कार्य पीली कोठी से जुम्मा खां के मकान तक। | |
| 5. | 3 | नाली निर्माण कार्य मकान मोहम्मद बक्श से राजकीय रेगर पुरा प्राथमिक विद्यालय रोड नं. 1 तक। | |
| 6. | 4 | रोड नं. 1 पर नाली क्वरींग का कार्य। | |
| 7 | 5 | नाली निर्माण कार्य एच-1 से मातादीन चेरिटेबल धर्मशाला तक सड़क नं. 1 पर। | |
| 8. | 5 | नाली निर्माण कार्य एच-16 से एच-36 एवं एच-39 से एच-61 इन्द्रा नगर। | |
| 9. | 5 | नाली निर्माण कार्य जी-43 से जी 66 तक इन्द्रा नगर। | |
| 10. | 5 | नाली निर्माण कार्य एफ-122 से एफ 139 तक इन्द्रा नगर। | |
| 11. | 5 | नाली निर्माण कार्य बी-155 से बी-175 तक इन्द्रा नगर। | |
| 12. | 5 | नाली निर्माण कार्य जी-6 से जी-33 तक इन्द्रा नगर। | |
| 13. | 6 | नाली निर्माण कार्य मदनलाल शर्मा के मकान के पास मोहल्ला महाब्राह्मणां। | |
| 14. | 7 | नाली निर्माण कार्य वशीकाजी के मकान से मो. पीरजादान तक। | |
| 15. | 8 | नाली निर्माण कार्य जहरूद्दीन खैराती के मकान के पास मो. मुगदान। | |
| 16. | 8 | नाली निर्माण कार्य बाबूलाल मोची से पीरू निलगर तक मो. मुगलान। | |
| 17. | 13 | नाली निर्माण कार्य आखागढ़ के उत्तरी पूर्वी कोने से चमारों का मोहल्ला में शकरलाल के मकान तक। | |
| 18. | 13 | नाला निर्माण कार्य मंशा देवी मन्दिर से बिसाऊ रोड पर। | |
| 19. | 14 | चौमालों के मोहल्ले में नाली निर्माण कार्य। | |
| 20. | 14 | नाली निर्माण कार्य शर्मा किराना स्टोर से चौमालों का अखाड़ा दादाबाड़ी रोड। | |
| 21. | 15 | नाली निर्माण कार्य जुम्मा मस्जिद वासुदेव मलसीसरिया मकान से विशम्भर कईया के मकान तक। | |
| 22. | 16 | नाली निर्माण कार्य रानी शक्ति रोड से ढाणी मालियान तक। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | 16 | नाली निर्माण कार्य सेठ मोतीलाल कालेज के पास। | |
| 24. | 17 | वार्ड नं. 17 नाली निर्माण कार्य भीखावाला कुआ से बगड़ रोड ट्रांसफोरमर तक। | |
| 25. | 17 | नाली निर्माण कार्य छोटूराम खण्डेलिया से मोहनलाल मालियान ईलाहीयान तक। | |
| 26. | 17 | नाली निर्माण कार्य जगदीश प्रसाद यादव के मकान से मन्दिर मालियान तक। | |
| 27. | 17 | नाली निर्माण कार्य जावरमल रैगर के पास मोहल्ला घोसियान तक। | |
| 28. | 18 | नाली निर्माण कार्य महेश टाकीज से गीता भवन तक। | |
| 29. | 18 | नाली निर्माण कार्य रामवतार सिरोलिया के मकान के पास मोहल्ला ईलाहीयान। | |
| 30. | 18 | नाली निर्माण कार्य सलीम ईलाही के मकान के पास मोहल्ला ईलाहीयान। | |
| 31. | 18 | नाली निर्माण कार्य देवराज सैनी के मकान से विशम्भर कईया के मकान के जाब और गणेश मन्दिर से खातीयान बगीची तक। | |
| 32. | 18 | पुराना बस स्टेण्ड पर नाली निर्माण कार्य। | |
| 33. | 18 | धन्नूराम जलेबी चोर से बगड रोड़ ट्रांसफारमर तक नाली निर्माण कार्य। | |
| 34. | 18 | नाली निर्माण कार्य महावीर प्रसाद से फूलचन्द घोसी तक मोहल्ला घोसीयान। | |
| 35. | 18 | नाली निर्माण कार्य बशीर के मकान से रीचपाल शर्मा के मकान तक। | |
| 36. | 18 | नाली निर्माण कार्य मुरासीलाल के मकान से नया कुआ तक मोहल्ला घोसीयान। | |
| 37. | 18 | नाली निर्माण कार्य बनवारीलाल के मकान से गीता देवी सिंघानियां के मकान तक। | |
| 38. | 18 | नाली निर्माण कार्य मुंगाराम माली के मकान से खेमाराम माली के मकान तक मोतीसिंह की ढाणी। | |

326



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 39. | 18 | नाली निर्माण कार्य रामेश्वर लाल के मकान से नत्थूराम माली के मकान तक। | |
| 40. | 18 | नाली निर्माण कार्य दीना घोसी के मकान से शकूर के मकान तक मोहल्ला घोसीयान। | |
| 41. | 18 | नाली निर्माण कार्य दुलीचन्द माली के मकान से ईसव ईलाही के ममान तक मोहल्ला मालीयान ईलाहीयान। | |
| 42. | 19 | नरोत्तम जोशी के मकान के पास नाली निर्माण कार्य। | |
| 43. | 19 | कल्याणसिंह सैनी के मकान से प्रयाग चन्द मोदी के नोहरा से नाली निर्माण कार्य। | |
| 44. | 19 | नाली निर्माण कार्य केड़िया टेक्सटाइल्स से ओ. पी. जनरल स्टोर छावनी बाजार तक। | |
| 45. | 19 | नाली निर्माण कार्य तिवाड़ी आटा चक्की से घनश्यामदास ईमाम बख्श तक छावनी बाजार। | |
| 46. | 22 | नाली निर्माण कार्य बनवारीलाल के मकान से रंगलाल श्याम सुन्दर के मकान तक। | |
| 47. | 1 से 24 | नगरपालिका क्षेत्र में नाली निर्माण (मरम्मत कार्य) | |

## नगरपालिका, झुन्झुनूं का विवरण बजट प्रावधान

### विकास निर्माण कार्य

| क्र सं. | मद | वर्ष | वर्तमान वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | विकास कार्य | | |
| | नये निर्माण कार्यों का निर्माण | | |
| क– | नई सड़क के निर्माण पर व्यय | 7,00,000/– | 7,00,000/– |
| ख– | अन्य नये निर्माण कार्यों पर व्यय | 7,00,000/– | 5,00,000/– |
| ग– | रख-रखाव पर व्यय (नाली, सड़क, भवन) | 1,00,000/– | 2,00,000/– |
| | कुल : | 15,00,000/– | 14,00,000/– |

## परिशिष्ट-4

### अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची

जोधपुर जिले में वन विभाग द्वारा जनवरी, 88 से 31.3.89 तक हाथ में लिये गये कार्य एवं उन पर किया गया कार्यवार व्यय का विवरण

| क्र.सं. | कार्य का नाम | नाम कार्यस्थल | वर्ष | क्षेत्रफल | व्यय 1.1.88 से 31.3.88 | व्यय 1.4.88 से 31.3.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1– | सिल्वी पेस्ट्रोल प्लाटेंशन | केरू | 88–89 | 50 हे. | – | 58000 |
| | | बड़ली | ,, | 81 ,, | – | 95000 |
| | | देचु | ,, | 40 ,, | – | 47000 |
| | | खुडियाला | ,, | 50 ,, | – | 58000 |
| | | भालरता | ,, | 50 ,, | – | 58000 |
| | | बावरली | ,, | 50 ,, | – | 59000 |
| | | बाप | ,, | 50 ,, | – | 58000 |
| | | मलार | ,, | 50 ,, | – | 59000 |
| | | देशोंक | ,, | 50 ,, | – | 58000 |
| | | जोड़ | ,, | 60 ,, | – | 59000 |
| | | भियासर | ,, | 50 ,, | – | 58000 |
| | | लोहावट प० ढाणी | ,, | 55 ,, | – | 64000 |
| | | राजालोनाडा | ,, | 48 ,, | – | 56000 |
| | | लोडियां | ,, | 40 ,, | | 47000 |
| | | चिड़ायी | ,, | 25 ,, | | 29000 |
| | | नेतड़ा | ,, | 65 ,, | | 76000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नानदिया कलां | ,, | 75 हे. | – | 88000 |
| | | बालरवा | ,, | 50 ,, | – | 59000 |
| | | भीकमपुर | ,, | 50 ,, | – | 58000 |
| | | मेवासा | ,, | 50 ,, | – | 25000 |
| | | | योग : | 1029 हे० | – | 11,69000 |
| | 2–टिब्बा-स्थिरीकरण | सिरना | 88–89 | 20 हे. | – | 28000 |
| | | सेतरावा | ,, | 30 ,, | – | 42000 |
| | | देचु | ,, | 30 ,, | – | 43000 |
| | | लोहावट | ,, | 75 ,, | – | 106000 |
| | | | योग : | 155 हे० | – | 219000 |
| | 3–शेल्टरबैल्ट प्लाटें० | सालावास बोरानाडा | 88–89 | 10 रोकिमी | – | 72000 |
| | | माणकलाव-रामपुरा | ,, | 10 ,, | – | 72000 |
| | | माणकलाव-मणाई | ,, | 20 ,, | – | 142000 |
| | | आसोप गोटन | ,, | 10 ,, | – | 72000 |
| | | बिलाड़ा पीपाड़ | ,, | 10 ,, | – | 72000 |
| | | | योग : | 60रोकिमी | – | 430000 |
| | 4–नगी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण | देणतू | 88–89 | 80 हे. | – | 153000 |
| | | भण्ड भाखर | ,, | 100 ,, | – | 191000 |
| | | बांसियां | ,, | 50 ,, | – | 96000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बिराई | 88-89 | 130 हे. | - | 248000 |
| | | बन्धड़ा | ,, | 50 ,, | - | 96000 |
| | | बड़ली | ,, | - ,, | - | 40000 |
| | | | योग : | 410 ,, | - | 824000 |
| 5-पुराने चारागाहों पर पुनः वृक्षारोपण | | खारीखुर्द | 88-89 | 100 हे. | - | 28000 |
| | | देचु | ,, | 50 ,, | - | 14000 |
| | | आगोलाई | ,, | 50 ,, | - | 14000 |
| | | पिल्वा | ,, | 85 ,, | - | 23000 |
| | | भिकमकोर | ,, | 100 ,, | - | 28000 |
| | | हरिखाड़ा | ,, | 100 ,, | - | 27000 |
| | | | योग : | 485 ,, | - | 134000 |
| 6-जलग्रहण क्षेत्रों पर वृक्षारोपण | | बिरानी | 88-89 | 70 हे. | - | 188000 |
| | | लवारी | ,, | 70 ,, | - | 188000 |
| | | कलावास | ,, | 50 ,, | - | 156000 |
| | | | योग : | 190 ,, | - | 532000 |
| 7-जल क्षेत्रों के नजदीक वृक्षारोपण | | नोगदड़ी | 88-89 | 1 हे. | - | 3000 |
| | | झालामण्ड | ,, | 8 ,, | - | 27000 |
| | | डोली | ,, | 8 ,, | - | 27000 |
| | | लुणावास | ,, | 1 ,, | - | 3000 |
| | | खाटावास | ,, | 2 ,, | - | 7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लोडिया | 88-89 | 5 हे. | – | 17000 |
| | | लोहावट प० ढाणी | ,, | 5 ,, | – | 17000 |
| | | ढेलाणा | ,, | 5 ,, | – | 17000 |
| | | लोहावट विश्नोईवास | ,, | 2 ,, | – | 7000 |
| | | जाम्बेश्वर खारा | ,, | 5 ,, | – | 27000 |
| | | रामपुरा | ,, | 8 ,, | – | 27000 |
| | | बावड़ी | ,, | 2 ,, | – | 7000 |
| | | आसोप | ,, | 8 ,, | – | 27000 |
| | | बोरून्दा | ,, | 10 ,, | – | 34000 |
| | | | योग : | 70 ,, | – | 239000 |

वन मण्डल जोधपुर में अकाल राहत कार्यों पर किये व्यय की सूचना

| क.सं. | नाम कार्यस्थल | क्षेत्रफल | 1.1.88 से 31.3.88 तक | 1.4.88 से 31.3.89 तक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **रोड़ साईट प्लान्टेशन** | | | |
| 1- | बिछड़ी खारा | 30 रोकिमी | – | 36160 |
| 2- | लोहावट पश्चिमी ढाणी | 40 ,, | – | 48632 |
| 3- | रोतड़ी पालड़ी | 20 ,, | – | 20228 |
| 4- | बावड़ी खेड़ापा I | 30 ,, | – | 38338 |
| 5- | रातड़ी डोडियाल | 12 ,, | – | 13212 |
| 6- | बावड़ी खेड़ापा II | 18 ,, | – | 16421 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 7-जसवन्तसागर खेजडला | 20 रोकिमी | - | 39942 |
| 8-नन्दवान रोड़ | 10 ,, | - | 22197 |
| 9-नन्दवान सर | 20 ,, | - | 68057 |
| | योग : | - | 308187 |

नंगी पहाड़ियों पर पुनरारोपण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10-कायलाना | 100 हे० | - | 112198 |
| 11-देवालु | 50 ,, | - | 121184 |
| | योग : | - | 233381 |

चारागाह विकास पर पुनः बीजारोपण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12-भीकमकोर | 200 हे० | - | 55018 |
| 13-आगोलाई | 40 ,, | - | 17183 |
| 14-ईरियाड़ा | 100 ,, | - | 26503 |
| 15-खारी खुर्द | 100 ,, | - | 36150 |
| | योग : | - | 134854 |

जल स्त्रों के पास वृक्षारोपण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-बोरून्दा | 10 ,, | - | 26032 |
| 17-आसोप | 8 ,, | - | 7596 |
| 18-डोली | 8 ,, | - | 30397 |
| 19-खाटावास | 2 ,, | - | 47457 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 20-लूणावास | 10 हे. | – | 2748 |
| 21-लोडिया | 5 ,, | पु | 15947 |
| 22-जाम्बेश्वर खारा | 5 ,, | – | 15736 |
| 23-लोहावट पश्चिमी ढाणी | 5 ,, | – | 10795 |
| 24-लोहावट विश्नोइयों बास | 2 ,, | – | 9531 |
| 25 ढेलाणा | 2 ,, | – | 10788 |
| 26-बावड़ी | 2 ,, | – | 3204 |
| | योग : | – | 146219 |
| | महायोग :- | – | 817651 |

मानचित्र

| रो. गा. | वर्ष 88-89 में पौध तैयार करना डीडीपी व्यय मदवार | फेमिन | योग |
|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 |
| | 45500 | — | 45500 |
| | 62300 | — | 62300 |
| | — | — | 33214 |
| | — | — | 52165 |
| | 32500 | — | 32500 |
| | — | — | 45439 |
| | — | — | 19494 |
| | 110001 | 11792 | 190503 |
| | 11000 | — | 11000 |
| | — | — | 4223 |
| | — | — | 29500 |
| | — | — | 35313 |
| | 27500 | — | 27500 |
| | 54523 | 14034 | 90500 |
| | 45996 | — | 73600 |
| | — | — | 20738 |
| | 68486 | 20014 | 88500 |
| | 20000 | — | 20000 |
| | 127154 | 52846 | 180000 |

334



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | तिवरी | 40000 | 75167 |
| 21. | हिगोली | 65000 | 48794 |
| 22. | बुवेटी | 7000 | 26632 |
| 23. | भोपालगढ़ | 4000 | — |
| 24. | खिवसरिया | 182000 | — |
| 25. | गिलाकोर | 15000 | — |
| 26. | भूतेश्वर | — | — |
| 27. | दईजर | — | — |
| 28. | चौरड़िया | — | — |
| | योग :— | 18,83000 | 2,38951 2 |

## परिशिष्ट–5

### अतारांकित प्रश्न सं. 116 की सूची

विगत पांच वर्षों में राज्य में अवैध हथियार बनाने के कारखाने कब-कब व कहां-कहां पकड़े गये एवं उससे सम्बन्धित की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में

| क्र. सं. | स्थान एवं जिला | अवैध कारखाने पकड़ने की दिनांक | अभियोग संख्या एवं धारा | पकड़े गये अवैध हथियार/सामग्री का विवरण | सम्बन्धित लोगों का नाम व पता | सम्बन्धित लोगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1– | बिलाड़ा जोधपुर | 25.11.87 | 219/87 दिनांक 25.11.87 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना बिलाड़ा | 1– 2 बन्दूक एम. एल. गन बिना घोड़ा व चाम<br>2– 1 बन्दूक एयर गन टाइप<br>3– 3 गज बन्दूक भरने की<br>4– 1 बैरल चीरी हुई<br>5– बल निकालने का सरिया<br>6– 3 लकड़ी के बट के ढांचे<br>7– फर्मे चार लकड़ी के बट नुमा<br>8– एक छेद निकालने की कबानी | 1– श्री रजाक पुत्र बेलीजी जाति मुसलमान निवासी बिलाड़ा | चालान 20.1.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9– चार रेती लोहे की एवं 2 ट्रेगर गार्ड | | |
| | | | | 10– चार लोहे की चाप की पत्ती मय स्क्रू | | |
| | | | | 11– दो तिलिग कड़ी लोहे की | | |
| | | | | 12– तीन लोहे के पुराने घोड़े | | |
| | | | | 13– एक लोहे का पट्टा | | |
| | | | | 14– एक लोहे के कुण्डे में गीला बारूद को सुखा कर करीबन 4.600 ग्रा. | | |
| | | | | 15– एक लोहे का स्टेण्ड चौकोर | | |
| | | | | 16– एक पकड़ जो रगड़ के काम आती है | | |
| 2– | उदय मन्दिर जोधपुर | 21.11.87 | 244/87 दिनांक 21.11 87 धारा5/25 आर्मस् एक्ट थाना उदय मन्दिर | 1– लोडेड कारतूस 1120 | 1– श्री विजयसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत, नई सड़क जोधपुर | जैर तफतीश चालान न करने के क्रम में देहली हाई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | कोर्ट का स्टे है आगामी पेशी दिनांक 19.7.89 है |
| 3– | ग्राम बनकी सवाई माधोपुर | 8.10.88 | 605/88 दिनांक 8.10.88 धारा 3/25 व 5/25 आर्मस् एक्ट थाना हिण्डौन | 1– एक देशी बन्दूक<br>2– एक निर्माण अवस्था में देशी बन्दूक<br>3– एक आरी<br>4– तीन हथौड़ी<br>5– एक बसूला<br>6– दो रेती<br>7– तीन देशी कट्टा पाइप लोहा | 1– श्री राम दयाल पुत्र श्री चुन्नीलाल सिकलीगर<br>2– श्री किशोर पुत्र श्री गिरधर सिकलीगर नि. बनकी | चालान 30.10.86 |
| 4– | भीलवाड़ा | 26.1.85 | 40/85 दिनांक 26.1.85 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना भीलवाड़ा | 1– तीन पाइप की कटी नाल<br>2– एक ट्रेगर स्प्रिंग<br>3– छः बन्दूक के बट पीतल प्लेट सहित<br>4– छः बिना छिले बट<br>5– बन्दूक बट बनाने का फर्मा एक | 1– श्री सिराज अहमद पुत्र श्री अजीज अहमद<br>2– श्री अजीज अहमद पुत्र हाजी ईलाही का नि. गांधीनगर, भीलवाड़ा | चालान 10.6.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6– एक टोपीदार बन्दूक एक नाल की<br>7– एक रिवाल्वर<br>8– अन्य बन्दूक बनाने के औजार | | |
| 5– | अटरू कोटा–ग्रामीण | 2.6.86 | 92/86 धारा 3/25 व 5/25 आर्मस् एक्ट थाना अटरु | 1– पांच 12 बौर पिस्टल<br>2– एक 12 बौर नाल<br>3– छः टोपीदार बन्दूक<br>4– टोपीदार बन्दूक की 26 नालें<br>5– 2 बारह बौर मरे कारतूस<br>6– 2 बारह बौर खाली कारतूस<br>7– हथियार बनाने के काफी औजार | 1– श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल लुहार<br>2– सत्यनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल मीणा<br>3– श्री मथुरालाल पुत्र श्रीलाल धाकड़<br>4– श्री कन्हैयालाल पुत्र भैरूंलाल धोबी<br>5– श्री प्रेमनारायण पुत्र श्री भंवरलाल धाकड़ | चालान 10.9.86 |
| 6– | ग्राम घटा–खेड़ी, कोटा ग्रामीण | 3.6.86 | 65/86 धारा 3/25, व 5/25 आ. ए. थाना छबड़ा | 1– 3 मरे कारतूस 12 बौर<br>2– 2 खाली खोखे कारतूस<br>3– 2 बारह बौर कट्टा नाल | 1– श्री रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति लुहार | चालान 7.8.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4- हेमर 5- बोडी लकड़ी<br>6- कबानी व हथियार बनाने के औजार | | |
| 7- | ग्राम मेदपुरा जयपुर ग्रामीण | 24.12.88 | 106/88 धारा 3/25 3/27, 5/28, 5/29 आर्मस् एक्ट व 420, 468, 411 व 201 मार्टर्स थाना जोबनेर | 1- एक कारतूस देशी पिस्तौल<br>2- एक जीवित कारतूस 32 बोर<br>3- दो कारतूस 32 बोर बनाते हुये<br>4- पांच कारतूस मिस<br>5- चार खाली खोखे<br>6- एक पटाखे वाला रिवाल्वर खुला<br>7- एक जोड़ी लकड़ी की बट पीस<br>8- एक लोहे की राड़<br>9- पांच स्प्रिंग<br>10- अठारह देशी पिस्तौल बनाने के पुर्जे<br>11- मोटर साइकिल के फर्जी कागजात | 1- श्री प्रहलाद सहाय पुत्र श्री हनुमान प्रसाद रेगर नि. मेदपुरा. जोबनेर<br>2- श्री राकेश कुमार पुत्र सुगन चन्द जैन, जोबनेर<br>3- श्री श्याम पुत्र श्री सुखसिंह राजपूत नि. हीरापाना जोबनेर<br>4- श्याम पुत्र शंकर माली निवासी मकराना | जिलाधीश जयपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है |

3,40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12– हथियार बनाने के काफी औजार | | |
| 8– | ग्राम चढ़ी बूंदी | 29.8.84 | 132/84 दिनांक 29.8.84 धारा 3/25, 5/27 श्रा. ए. थाना पाटन | 1– एक देशी कट्टा 12 बौर<br>2– छः कट्टे अधूरे बने 12 बौर<br>3– कट्टा बनाने की नाल<br>4– 20 कारतूस 12 बौर | 1– श्री गणेश पुत्र कालू मीना नि. चड़ी थाना के. पाटन | चालान 17.11.84 |
| 9– | ग्राम भीमा का माल बूंदी | 20.6.86 | 101/86 दिनांक 18.6.86 धारा 3, 5, 25, 27 श्रा. एक्ट थाना के. पाटन | 1– एक देशी कट्टा 12 बौर<br>2– बन्दूक देशी टोपीदार<br>3– हथियार बनाने का सामान | 1– जीतसिंह पुत्र चरणसिंह जटसिव नि. मिया का माल<br>2– गुरदीपसिंह पुत्र मदन सिंह जटसिव नि. मिया का माल<br>3– हरनेकसिंह पुत्र केवलसिंह सिकलीगर<br>4– लड्डूसिंह उर्फ दयालसिंह पुत्र केवलसिंह सिकलीगर<br>5– भजनसिंह पुत्र अन्तासिंह सिख सिकलीगर नि. माल रुघी थाना सुल्तानपुर | चालान 17.9.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10- | बोलनी अलवर | 6.6.84 | 66/6.6.84 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना किशनगढ़ | 1- एक नाल टोपीदार बन्दूक व असला बनाने के औजार | 1- मेहरसिह पुत्र पुन्नू सिह सिकलीगर सा. बोलनी | चालान 3.7.84 |
| 11- | ग्राम आलमदीका, | 6.6.84 | 67/6.6.84 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना किशनगढ़ | 1- चार नाल टोपीदार व असला बनाने के औजार | 1- नत्थूसिह पुत्र सोनासिह सिकलीगर सा. बोलनी | चालान 30.7.84 |
| 12- | ग्राम खरबड़ी अलवर | 22.7.84 | 102/22.7.84 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1- तीन देशी कट्टा 12 बोर<br>2- दो बन्दूक टोपीदार व असला बनाने के औजार | 1- बन्सीसिह पुत्र सुब्बासिह<br>2- रोशनसिह पुत्र कमालसिह<br>3- चौधरीसिह पुत्र लालसिह<br>4- शीतलसिह पुत्र चौधरीसिह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 30.8.84 |
| 13- | ग्राम खरबड़ी अलवर | 3.12.84 | 149/30.12.84 धारा 5/25 आ. ए. थाना रामगढ़ | 1- कट्टा 12 बोर एक<br>2- एक बन्दूक टोपीदार व असला बनाने के औजार | 1- बन्सीसिह पुत्र सुब्बासिह<br>2- रोशनसिह पुत्र कमालसिह<br>3- चौधरीसिह पुत्र लालसिह<br>4- शीतलसिह पुत्र चौधरीसिह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 30.12.84 |
| 14- | ग्राम शेरपुर अलवर | 28.1.85 | 10/28.1.85 धारा 5/25 आ. एक्ट थाना किशनगढ़ | 1- नाल टोपीदार एक व असला बनाने के औजार | 1- श्री कमलसिह पुत्र भोलासिह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 27.3.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15- | टपूकड़ा अलवर | 21.1.85 | 10/21.1.85 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना टपूकड़ा | 1- कट्टा देशी 12 बौर एक<br>2- बन्दूक देशी टोपीदार एक<br>3- असला बनाने के औजार | 1- जयराम पुत्र मुरराम सिकलीगर सा. टपूकड़ा | चालान 27.2.85 |
| 16- | खरबड़ी अलवर | 11.5.86 | 80/11.5.86 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1- दो कट्टा 12 बौर व असला बनाने के औजार | 1- हैप्पीसिंह पुत्र सुखासिंह लिकलीगर सा. खरबड़ी | चालान 31.5.86 |
| 17- | " | " | 81/11.5.86 धारा 3/25 आ. ए. थाना रामगढ़ | 1- दो कट्टा 12 बौर<br>2- 2 बन्दूक 12 बौर व असला बनाने के औजार | 1- हरसंतसिंह पुत्र भोलासिंह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 19.6.86 |
| 18- | खरबड़ी अलवर | 11.5.86 | 82/11.5.86 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1- दो कट्टा 12 बौर व असला बनाने के औजार | 1- रोशनसिंह पुत्र कमलसिंह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 19.6.86 |
| 19- | डुण्डा खेड़ी अलवर | 19.5.86 | 86/19.5.86 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1- कट्टा 12 बौर एक व असला बनाने के औजार | 1- मास्टरसिंह पुत्र मूलसिंह सिकलीगर नि. डुण्डाखेड़ी | चालान 21.6.86 |
| 20- | धीरीया बास, अलवर | 25.5.86 | 84/25.5.86 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना टपूकड़ा | 1- कट्टा देशी 12 बौर 2 व असला बनाने के औजार | 1- दत्तासिंह पुत्र नत्थूसिंह रायसिस नि. टपूकड़ा | चालान 30.5.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21– | करबला अलवर | 19.6 86 | 87/19.6.86 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1– कट्टा 12 बोर एक व असला बनाने के औजार | 1– बल्लूसिह पुत्र मास्टरसिंह सिकलीगर सा. डुण्डाखेड़ी | चालान 21.6.86 |
| 22– | ,, | 19.6.86 | 88/19.6.86 धारा 5/25 आ. ए. थाना रामगढ़ | 1– कट्टा 12 बोर 2<br>2– बन्दूक टोपीदार एक व असला बनाने के औजार | 1– हरवंशसिंह पुत्र हिम्मतसिंह सिकलीगर सा. डुण्डाखेड़ी | ,, |
| 23– | ग्राम खरबड़ी अलवर | 6.7.86 | 126/6.7.86 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1– कट्टा 12 बोर एक व असला बनाने के औजार | 1– हैप्पीसिंह पुत्र सूबासिंह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 31.7.86 |
| 24– | ग्राम दाउदपुर अलवर | 1.3.87 | 55/1.3.87 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना सदर | 1– बन्दूक टोपीदार एक<br>2– दो नाल व असला बनाने के औजार | 1– मंगलसिंह पुत्र झण्डासिंह सिकलीगर नि. दाउदपुर | चालान 1.4.87 |
| 25– | सिली बावड़ी अलवर | 10.5.87 | मु. नं. 15 दिनांक 10.5.87 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना प्रतापगढ़ | 1– 3 टोपीदार बन्दूक एवं बनाने के औजार | 1– हुटा पुत्र बिरधा कोली नि. सिली बावड़ी | चालान 30.5.87 |
| 26– | डूण्डा खेड़ी अलवर | 5.8.87 | मु. नं. 120 दिनांक 5.8.87 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1– दो कट्टा 12 बोर व बनाने के औजार | 1– लल्लूसिंह पुत्र मास्टरसिंह सिकलीगर सा. डुण्डाखेड़ी | चालान 30.9.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27– | डुण्डाखेड़ी अलवर | 17.11 87 | मु. नं. 179 दिनांक 17.11 87 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1– देशी कट्टा 12 बौर व बनाने के औजार | 1– मास्टरसिंह पुत्र मूलसिंह सिकलीगर नि. डुण्डाखेड़ी | चालान 31.12.87 |
| 28– | खरबड़ी अलवर | 18.5.88 | मु. नं. 82 दि. 18.5.88 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना रामगढ़ | 1– कट्टा 12 बौर एक व बन्दूक की नाल एवं बनाने के औजार | 1– जगतारसिंह पुत्र कमलसिंह सिकलीगर नि. खरबड़ी | चालान 30.6.88 |
| 29– | ग्राम सिरियावास अलवर | 11.8.88 | मु. नं. 84 दिनांक 11.8.88 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना टपूकड़ा | 1– कट्टा 12 बौर एक व बनाने के औजार | 1– दत्ता पुत्र नत्थसिंह रायसिंह नि सिरीयावास | चालान 29.9.88 |
| 30– | ग्राम कजाकपुर अलवर | 14.8.88 | मु. नं. 140 दिनांक 14.8.88 धारा 5/25 आर्मस् एक्ट थाना सदर अलवर | 1– गन 12 बौर एक व बनाने के औजार | 1– जगतारसिंह पुत्र कमलसिंह सिकलीगर सा. खरबड़ी | चालान 24.9.88 |
| 31– | 59 एफ राजसिंहपुर श्री गंगानगर | 29.6.84 | मु. नं. 19 दि 29.6.84 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना राजसिंहपुर | 1– चार कारतूस 3×3<br>2– एक लोहे का पंखा<br>3– एक लोहे का बरमा बड़ा | 1– अमरसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति मिस्त्री नि. 59एफ राजसिंहपुर | चालान 24.7.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4- एक लोहे का बरमा छोटा<br>5- एक रेती<br>6- एक कैंची लोहा<br>7- एक लोहे की राड<br>8- एक लोहा काटने की आरी | | |
| 32- | तलवाड़ा मील श्री गंगानगर | 17.9.84 | मु. नं. 107 दिनांक 17.9.84 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना टीबी | 1- पिस्तौल एक 12 बोर<br>2- पिस्तौल के पुर्जे<br>3- बांस के टुकड़े<br>4- हथौड़ा<br>5- छैनी<br>6- बरमा एवं रेती | 1- सिगारासिंह पुत्र भीमसिंह नि. तलवाड़ा | चालान 20.10.84 |
| 33- | " | 24.2.85 | मु. नं. 46 दिनांक 24.2.85 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना टीबी | 1- पिस्तौल एक 12 बोर<br>2- पिस्तौल के पुर्जे<br>3- हथौड़ी<br>4- छैनी<br>5- लाइन के टुकड़े<br>6- सण्डासी<br>7- रेती<br>8- आरी आदि | 1- रतनसिंह पुत्र मंजूसिंह सिकलीगर नि. तलवाड़ा | चालान 26.3.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34- | तलवाड़ा भील श्री गंगानगर | 30.5.85 | मु. नं. 105 दिनांक 30.5.85 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना टीबी | 1- एक बन्दूक व आधा कारतूस-12 बोर<br>2- पिस्तौल के पुर्जे 3- हथौड़ी<br>4- छैनी, पंखा, रेल्वे लाइन का टुकड़ा<br>5- रेती, लोहे का बरमा आदि | 1- आत्मासिंह पुत्र धर्मासिंह<br>2- धीरसिंह पुत्र आत्मासिंह सिकलीगर नि. तलवाड़ा भील | चालान 17.6.85 |
| 35- | संगीता सूरतगढ़ जिला गंगानगर | 31.5.85 | मु. नं. 161 दिनांक 31.5.85 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना सूरतगढ़ | 1- एक बन्दूक टोपीदार<br>2- एक हथौड़ी, रेती, एक संडासी<br>3- एक आरी, उगुला लोहा<br>4- एक बरमा, एक पंखा | 1- विजसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत नि. सनमिता | चालान 26.6.85 |
| 36- | पदमपुर गंगानगर | 13.5.86 | मु. नं. 43/13.5.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट में थाना पदमपुर में | 1- एक पिस्तौल 315 बोर<br>2- तीन कारतूस 315 बोर<br>3- रेती. बरमा व हथौड़ा | 1- सदालाल पुत्र कुन्दनसिंह सुनार नि. पदमपुर | चालान 24.6.86 |
| 37- | शामनगर गंगानगर | 28.3.86 | मु. न. 4 दि. 28.3.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना सदर | 1- एक पिस्तौल<br>2- एक आधी निर्मित पिस्तौल<br>3- असला बनाने के पुर्जे<br>4- रेती, हथौडा, बरमा, पंखा आदि | 1- जीवनसिंह पुत्र वोटसिंह सिकलीगर नि. श्यामनगर | चालान 2.2.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38– | मालसर गंगानगर | 5.3.86 | मु. नं. 9 दि. 5.3.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना मुकलावा | 1– एक पिस्तौल<br>2– एक राइफल, एक कारतूस<br>3– एक बसोला<br>4– दो हथौड़े<br>5– एक करोती<br>6– एक सन्डासी<br>7– दो रेती आदि | 1– ठाकरराम पुत्र पोखरराम विश्नोई नि. सालसर | चालान 28.5.86 |
| 39– | जैतासर गंगानगर | 14.5.86 | मु. नं. 59 दिनांक 14.5.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना विजयनगर | 1– एक पिस्तौल 12 बौर<br>2– 12 बौर कारतूस<br>3– आरी लोहा काटने की<br>4– रेती, सुवा, हथौड़ी आदि | 1– जसवन्तसिंह पुत्र जंगसिंह रामगडिया सिख नि. जैतासर | चालान 24.6.86 |
| 40– | गाधीवडी गंगानगर | 8.5.86 | मु. नं. 29 दि. 8.5.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना भिरानी | 1– एक कारतूस 32 बौर<br>2– पांच खाली खोखे 32 बौर के<br>3– 5 लोहे की छोटी छड़ें<br>4– फायरिंग पीन, टोपीदार बन्दूक का घोड़ा आदि | 1– मनोहरलाल पुत्र रामकरण जाति गूजर नि. गाधीबड़ी | चालान 12.6.86 |
| 41– | धूदवाला गंगानगर | 27.3.86 | मु. नं. 31 दिनांक 27.3.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना पदमपुर | 1– एक राइफल 315 बोर व कारतूस<br>2– हथियार बनाने के औजार | 1– देशराज पुत्र मोताराम चमार नि. दूधवाला | चालान 7.6.86 |

347

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42- | 53 टीबीसी अनूपगढ़ गंगानगर | 17.8.86 | मु. नं. 205 दिनांक 17.8.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना अनूपगढ़ | 1- एक पिस्तौल 12 बौर<br>2- एक बारह बौर पिस्तौलनुमा पाटा<br>3- पिस्तौल की स्प्रिंग<br>4- हथियार बनाने के औजार | 1- उजागरसिंह पुत्र कुन्दासिंह मिस्त्री नि. अनूपगढ़ 53 टीबीसी | चालान 27.9.86 |
| 43- | हनुमानगढ़ जंक्शन गंगानगर | 11.8.86 | मु. नं. 221 दिनांक 11.6.86 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना हनुमानगढ़ जंक्शन | 1- हथियार बनाने के औजार<br>2- रेती, गाडर, शिकंजा, पंखा, आरी आदि | 1- भजनसिंह पुत्र सावतसिंह नि. हनुमानगढ़ जंक्शन<br>2- सुखदेवसिंह जटसिख नि. चढ्ढा | चालान 15.9.86 |
| 44- | रावतसर गंगानगर | 6.2.87 | मु नं. 12 दि. 6.2.87 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना रावतसर | 1- एक पिस्तौल 12 बौर<br>2- रिवाल्वर 32 बौर<br>3- 5 कारतूस<br>4- एक बन्दूक का बट दो नाले आदि<br>5- असला बनाने के औजार | 1- इन्द्रसिंह पुत्र भागसिंह जटसिख नि. रावतसर | चालान 7.3.87 |
| 45- | सरका गंगानगर | 16.10.87 | मु. नं. 176 दिनांक 16.10.87 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना टिब्बी | 1- एक बन्दूक 315 बौर<br>2- एक पिस्तौल की नाल<br>3- हथौड़ी, साइकिल की रिम आदि असला बनाने के औजार | 1- सुपरसिंह पुत्र पीरासिंह सिकलीगर नि. सामसनी<br>2 मखनसिंह पुत्र सुमरसिंह | चालान 26.11.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिकलीगर सा. मसानी<br>3- सुभाष पुत्र मतीराम विश्नोई सा. मसानी | |
| 46- | 31 जी मुकलावा गंगानगर | 8.11.87 | मु. नं. 87 दिनांक 8.11.87 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना मुकलावा | 1- एक पिस्तौल<br>2- 3 × 3 एक कारतूस<br>3- बन्दूक का हथा<br>4- एक फुट लम्बी, एक लोहे का पाइप आदि हथियार बनाने के औजार | 1- छबीलाराम पुत्र सोहनलाल सुनार सा. सूरतगढ़ हाल डाबला | चालान 19.12.87 |
| 47- | हनुमानगढ़ टाउन गंगानगर | 14.11.88 | मु. नं. 300 दिनांक 14.11.88 धारा 25 आर्मस् एक्ट थाना हनुमानगढ़ टाउन | 1- एक बन्दूक का ट्रिगर, एक कारतूस 12 बौर आदि<br>2- हथियार बनाने के औजार | 1- भजनसिंह पुत्र सावलसिंह सिकलीगर नि. हनुमानगढ़ टीबी रोड | चालान 23.12.88 |
| 48- | आवर भीलवाड़ | 23.5.89 | मु. नं. 38 दिनांक 23.5.89 धारा 3, 5, 25, 26 आर्मस् एक्ट दि. 23.5.89 थाना पगारिया | 1- देशी कट्टे 12 बौर के दो<br>2- पुरानी एम. एल. गन की नाली सात<br>3- एम. एल. गन की लकड़ी के बट सात व औजार, प्लायर पेचकस, रेती व आरी लोहा काटने की आदि । | 1- कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल<br>2- दिनेश पुत्र कन्हैयालाल जाति लुहार साकिन आवर | जैर तफतीश |

नोट :- कुल 48 अभियोग दर्ज हुए हैं। इन अभियोगों में 72 अभियुक्त हैं जिनमें से 65 अभियुक्तों का चालान 45 मुकदमातों में पेश न्यायालय किया जा चुका है। तीन मुकदमात 7 अभियुक्तों के खिलाफ चालान करना शेष है जो अनुसंधानाधीन हैं।

349

## परिशिष्ट–6

### अता. प्रश्न संख्या 170 की सूची

नाम व पता घायल हुए बच्चे मु. नं. 56/89 धारा 304 ता. हि. व एक्सपिलोजिव एक्ट थाना पहाड़ी :–

1. महेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण उम्र 5 साल निवासी पहाड़ी
2. तपेदिया पुत्र सुरेश चन्द्र जाति तिवाड़ी उम्र 8 साल ,, ,,
3. अर्चना पुत्री ,, ,, ,, ,, 6 साल ,, ,,
4. मायादेवी पुत्री धनेश चन्द्र ब्रा उम्र 6 साल ,, ,,
5. सोनू पुत्री सर्वसुख जाति गूजर उम्र 8 साल ,, ,,
6. रैनू ,, ,, ,, उम्र 7 साल ,, ,,
7. सतवीर पुत्र करन जाति गूजर उम्र 7 साल ,, ,,
8. सुमन देवी पुत्री डालचन्द ब्रा. उम्र 6 साल ,, ,,
9. रामहरी देवी पुत्री डालचन्द ब्रा. उम्र 5 साल ,, ,,
10. ममता पुत्री रामहरी वैश्य उम्र 6 साल ,, ,,
11. सन्जय पुत्र मुरारी जाति नाई उम्र 8 साल ,, ,,
12. बबीता पुत्री गुरुदयाल जाति नाई उम्र 6 साल ,, ,,
13. अमित पुत्र सुभाष नाई उम्र 6 साल ,, ,,
14. राजु पुत्र लीली जाति धीमर उम्र 7 साल ,, ,,
15. दिनेश चन्द पुत्र दौलत जाति कोली उम्र 7 साल ,, ,,
16. प्रकाश पुत्र राम स्वरूप जाति ब्रा. उम्र 7 साल ,, ,,
17. धर्म पुत्र रामबाबू हरीजन (भंगी) उम्र 6 साल निवासी कोसी कला थाना कोसी (यू. पी.)
18. अन्जू पुत्री बिमल गुप्ता जाति गुप्ता उम्र 6 साल पहाड़ी
19. मुकेश पुत्र सुरेश गुप्ता जाति गुप्ता उम्र 7 साल कस्बा ,,
20. कल्पना पुत्री ,, ,, ,, उम्र 5 साल ,, ,,
21. प्रभूदयाल पुत्र इनामी जाति धीपर उम्र 25 साल निवासी जनूथर थाना डीग
22. सन्तोष पुत्र जगदीश जाति ब्रा. उम्र 8 साल निवासी पहाड़ी
23. पुष्पेन्द्र पुत्र रामअवतार वैश्य उम्र 8 साल ,, ,,
24. शखी पुत्र मुरारीलाल वैश्य उम्र 7 साल ,, ,,

25. योगेश पुत्र रजनी कान्त ब्रा. 9 साल ,, ,,

26. लक्ष्मीनारायण पुत्र रजनी कान्त ब्रा. उम्र 6 साल ,, ,,

नाम व पता मरने वाले बच्चे मु. नं. 56/89 थाना पहाडी

1. श्री पदमर्यसिंह पुत्र भदई जाटव उम्र 15 साल निवासी पहाडी विद्यार्थी
2. ,, कन्हैया पुत्र फूल सिंह जाटव उम्र 12 साल ,, ,,
3. ,, उमेश चन्द पुत्र परमानन्द जाति धीमर उम्र 9 साल निवासी पहाडी ,,
4. ,, रामसिंह पुत्र लल्लू जाति जाटव उम्र 15 साल निवासी पहाडी मजदूर
5. ,, राजपाल पुत्र राम प्रसाद जाटव उम्र 8 साल ,, ,, ,,
6. ,, दानवीर पुत्र फतेहसिंह जाटव उम्र 12 साल ,, ,, ,,
7. ,, कुवर पुत्र गोली जाटव उम्र 16 साल ,, ,, ,,
8. ,, वेद प्रकाश पुत्र खेमी जाटव पुत्र 15 साल ,, ,, ,,
8. सुश्री मन्जू पुत्री शिवचरन जाति ब्रा. उम्र 7 साल निवासी पहाडी विद्यार्थी

ह०

(पुलिस अधीक्षक)

भरतपुर

परिशिष्ट- 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूची

गत तीन वर्षों में प्राप्त विकास कार्यों हेतु अनुदान की राशि के व्यय का विवरण

| क्र.सं. | जिस मद पर राशि व्यय की गई | कितनी राशि | कब व्यय की गई |
|---|---|---|---|
| 1. | सड़क निर्माण कार्य | 23,283.72 | 21.4.86 |
| 2. | ,, | 1,731.13 | 24.4.86 |
| 3. | ,, | 1,409.21 | 24.4.87 |
| 4. | ,, | 1,144.67 | 24.4.86 |
| 5. | ,, | 576.11 | 24.4.86 |
| 6. | ,, | 38,101.89 | 16.5.86 |
| 7. | ,, | 22,776.84 | 21.5.86 |
| 8. | ,, | 9,642.07 | 1.9.86 |
| 9. | ,, | 10,298.00 | 1.9.86 |
| 10. | काजवें | 8,797.96 | 9.9.86 |
| 11. | सड़क निर्माण कार्य | 37,997.35 | 9.9.86 |
| 12. | ,, | 20,271.96 | 15.10.86 |
| 13. | ,, | 13,169.65 | 15.10.86 |
| 14. | ,, | 12,598.04 | 21.10.86 |
| 15. | नाली निर्माण कार्य | 18,541.54 | 21.10.86 |
| 16. | नाली निर्माण कार्य | 6,425.90 | 21.10.86 |
| 17. | नाली निर्माण कार्य | 18,481.91 | 21.10.86 |
| 18. | सड़क निर्माण कार्य | 9,098.18 | 21.10.86 |
| 19. | नाली निर्माण कार्य | 21,777.30 | 21.10.86 |
| 20. | सड़क निर्माण कार्य | 31,348.06 | 23 10.86 |
| 21. | सड़क निर्माण कार्य | 16,250.89 | 23.10.86 |
| 22. | सड़क निर्माण कार्य | 29,050.41 | 27.10.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | सड़क निर्माण कार्य | 16,431.17 | 27.10.86 |
| 24. | सड़क निर्माण कार्य | 33,071.09 | 27.10.86 |
| 25. | नाली निर्माण कार्य | 9,904.56 | 27.10.86 |
| 26. | नाली निर्माण कार्य | 16,687.93 | 27.10.86 |
| 27. | सडक निर्माण कार्य | 8,503.57 | 30.10.86 |
| 28. | नाली निर्माण कार्य | 12,889.72 | 30.10.86 |
| 29. | सड़क निर्माण कार्य | 31,416.48 | 10.3.87 |
| 30. | सड़क निर्माण कार्य | 47,984.22 | 10.3.87 |
| 31. | नाली निर्माण कार्य | 6,602.94 | 12.3.87 |
| 32. | सड़क निर्माण कार्य | 12,668.48 | 12.3.87 |
| 33. | सड़क निर्माण कार्य | 8,472.96 | 12 3.87 |
| 34. | सड़क कार्य | 17,775.18 | 12.3.87 |
| 35. | सड़क कार्य | 17,848.32 | 20.3.87 |
| 36. | दुकान निर्माण कार्य | 21,887.20 | 19.6.86 |
| 37. | दुकान निर्माण कार्य | 25,128.05 | 27.10.86 |
| 38. | दुकान निर्माण कार्य | 25,961.71 | 27.10.86 |
| | वर्ष 86-87 | 666,016·78 | |

गत तीन वर्षों में प्राप्त विकास कार्यों हेतु अनुदान की राशि के व्यय का विवरण
वर्ष 1987-88 का

| क्र.सं. | जिस मद पर राशि व्यय की गई | कितनी राशि व्यय की गई | कब व्यय की गई |
|---|---|---|---|
| 1. | पांच दुकान निर्माण कार्य | 8483,16 | 4.9.87 |
| 2. | पांच दुकान निर्माण कार्य | 6,766.87 | 5.9.87 |

वर्ष 87-88 में कुल व्यय = 15,250.03

354



गत तीन वर्षों में प्राप्त विकास कार्यों हेतु अनुदान की राशि के व्यय का विवरण
वर्ष 1988-89 का

| क्र.सं. | जिस मद पर राशि व्यय की गई | कितनी राशि व्यय की गई | कब व्यय की गई |
|---|---|---|---|
| 1. | सड़क निर्माण कार्य | 3480.72 | 6.4.88 |
| 2. | ,, | 8628.88 | 8.7.88 |
| 3. | ,, | 32017.88 | ,, |
| 4. | ,, | 56991.20 | ,, |
| 5. | ,, | 21638.94 | ,, |
| 6. | ,, | 9286.20 | ,, |
| 7. | नाली निर्माण कार्य | 42338.50 | 12.8.88 |
| 8. | ,, | 7778.51 | 29.8.88 |
| 9. | ,, | 15631.91 | ,, |
| 10. | ,, | 10379.31 | ,, |
| 11. | ,, | 14964.30 | ,, |
| 12. | सड़क निर्माण कार्य | 29427.84 | ,, |
| 13. | ,, | 26130.23 | ,, |
| 14. | पांच दुकान निर्माण कार्य | 23687.15 | ,, |
| 15. | नाली निर्माण कार्य | 9627.16 | ,, |
| 16. | ,, | 14380.06 | ,, |
| | वर्ष 88-89 का योग | 3,31,887.55 | |

अकाल राहत

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | तलाई खुदाई कार्य | 38,819.00 | 12.11.88 |
| 2. | सड़क निर्माण कार्य | 28,072.00 | 12.11.88 |
| 3. | तलाई खुदाई कार्य | 26,939.00 | 25.4.88 |
| 4. | सड़क निर्माण कार्य | 31,724.00 | 25.4.88 |
| 5. | सड़क कार्य | 30,353.00 | 25.5.88 |
| 6. | प्याऊ मजदूरी | 300.00 | 9.6.88 |
| 7. | तलाई खुदाई | 54,891.00 | 20.7.88 |
| 8. | सड़क निर्माण कार्य | 62,379.00 | 20.7.88 |
| 9. | सड़क कार्य | 46,362.00 | 20.7.88 |
| 10. | प्याऊ मजदूरी | 300.00 | 18.8.88 |
| 11. | सड़क कार्य | 20,440.00 | 13.9.88 |
| 12. | तलाई खुदाई कार्य | 16,044.00 | 21.10.88 |
| 13. | सड़क निर्माण कार्य | 23,296.00 | 21.10.88 |
| | वर्ष 88-89 में व्यय कुल राशि | 3,72,919.00 | |

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूची

No. M. U. N. B. K. 24

Ahmedabad, 11rh July, 1952

Raed : The letter No. M.U.N. 43-A dated 8-4-52 from the Collector of Banaskantha forwarding a letter No. 423 dated 24-3.1952 with its accompaniments, from the President Mt. Abu Municipality regarding framing of General Sanitary Cess Rules.

ORDER

Sanction is accorded to the rules framed by the Mount Abu Municipality for levy of general sanitary cess under section 46(1) of the Bombay District Municipal Act, 1901 (vide General Board Resolution No. II dated 10-3-1952).

2. A copy of the sanctiond rules is appended hereto.

Sd/–

Director of Local Authorities

Northern Division

To

The Collector of Banaskantha.

2. The rules 5 is not sanctioned as there is already a provision to that effect in section 83 of the District Municipal Act and the Schedule-B (form of notice) attached to section 82 of the said Act.

The President, Mount Abu Municipality.

Rules for the levi of General Sanitary Cess as sanctioned by the Directors of Local Authorities, N.D.

1. The terms which are not defined in these rules shall have the same meaning as they are defined in the rules for the levy of House tax and Act III of 1901.

2. The General Sanitary cess shall be levied at the rate of $5\frac{1}{2}\%$ on the annual letting value of houses or buildings and shall be payable quarterly in advance for the quarters ending on the 31st March, 30th June, 30th September and 31st December.

3. EXEMPTION. (i) All houses or buildings the annual letting value of which does not exceed Rs. 100/–.

(ii) All Government and Municipal buildings used solely for public purposes and all buildings used exclusively for religious purposes both not yielding any income.

4. REMISSION OR REFUNDS. (i) In the case of a house remaining vacant for the whole year–12 months continuously or over ...............2/3rd of the rate.

(ii) In case of a house remaining vacant for over 6 months but less than 1 year............1/3rd of the rate.

Provided that no such remission or refund shall be granted unless notice in writing of the building being vacant has been given to the Municipality and that no remission or refund shall be admissibly for any period previous to the date of receipt of such notice.

## परिशिष्ट–9

### अतारांकित प्रश्न संख्या 182 की सूची

जयपुर मास्टर प्लान के तहत अधिसूचित अरबन एरिया में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची

### जयपुर तहसील

1. मानपुरा सरवा
2. किलनगढ़
3. विजय महल
4. सन्तोक महल
5. तालकटोरा
6. नाहरगढ़
7. मोतीकटला
8. बदनपुरा
9. गलता
10. जामडोली
11. चकभवानी शंकरपुरा
12. महादेवपुरा
13. मोती डूंगरी
14. भवानी शंकरपुरा
15. किशनपोल
16. हथरोई
17. भोजपुरा
18. चकसुन्दर का बास
19. रामपुरा रूपा
20. मानपुरा
21. सुदर्शनपुरा
22. करतारपुरा
23. सिवेज फार्म
24. चक सुदर्शनपुरा
25. सोडावाला
26. बृजलालपुरा
27. चक चूहावास
28. चूहावास
29. प्रेमपुरा
30. मदरामपुरा
31. हसमपुरा
32. बडोदिया
33. बस्सी सीतारामपुरा
34. चक हसनपुरा
35. शाजपुरा
36. जगन्नाथपुरा
37. सालियावास
38. बीड़खातीपुरा
39. खातीपुरा
40. झोटवाडा
41. परसरामपुरा
42. किशनबाग
43. बीड पापड
44. बीड सरकारी
45. महापुरा उर्फ ककरखेडा
46. श्री मुरलीपुरा
47. चिरनन्दी
48. नगल जैसाबोरा

49. हरनाथपुरा
50. गोविन्दपुरा
51. चकपीथावास बदराम
52. गोकुलपुरा
53. बिशनवाला
54. लावास उर्फ मीणावाला
55. कनकपुरा
56. पांचा की नांगल पांचावाला
57. लालापुरा
58. गिरधरपुरा
59. हीरापुरा
60. बदरवास
61. गर्जसिंहपुरा
62. धाहोवास
63. सिरसी
64. चक पीथावास उर्फ जयपुर का बाग
65. किशोरपुरा चारण
66. नानूसरा
67. विजयपुराबास नानूसर
68 सिवाड
69. निमेडा
70. बिन्दायका
71. मुकन्दपुरा

## सांगानेर तहसील

72. श्री रामजीपुरा
73. किशोरपुरा
74. भांकरोटा कलां
75. हसनपुराबास भांकरोटा
76. चिमनपुरा
77. श्रीरामपुराबास भांकरोटा
78. अशरपुरा
79. सियारपुरा
80. गणपतपुरा
81. चक गणपतपुरा
82. मांग्यावास
83. नन्दकिशोरपुरा उर्फ मांग्यावास
84. आनन्दपुरा-सकलपुरा
85. डोरी
86. गोपालपुरा
87. रामसिंहपुराबास मेडाउ
88. झालाणा चौड
89. सुखालपुरा
90. मानपुरा देवरी
91. रामसिंहपुरावास डोलई
92. बलरामपुरा उर्फ खेजडा का बास
93. बाढ मोहनपुरा
94. कल्याणपुरा
95. सखिया
96. जैतपुर हाजीवाला
97. सांगानेर
98. मदरामपुरा
99. कैलाशपुरा कोकावास
100. रामसिंहपुरा
101. कैंटावाला
102. बम्बाला
103. शोपुरा

104. डेलावास
105. लक्ष्मीदामोदरपुरा उर्फ नगरीयावाला
106. चक गैटोर
107. बुद्धसिंहपुरा
108. कोकावास
109. डोली का बास
110. सूरजपुरा
111. गैटोर
112. चैनपुरा
113. दुर्गापुरा
114. रामजीपुरा
115. चकघूला
116. बिन्दायका
117. घूला
118. जगतपुरा
119. मनोहरपुरा
120. बाढ टीलावाला
121. टीलावाला
122. डोडा रमजानपुरा
123. खो नागोरिया
124. पालडी मागा

आमेर तहसील

125. मोचेडा
126. हरमाडा
127. बदरना
128. बीर जगाशा
129. आमेर
130. किशनपुरा लालबास
131. जयपुर शहर

## परिशिष्ट-10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची

### वृत्तिका प्राप्त व्यक्तियों की सूची

(1) श्री गोपीचन्द सोलंकी (अनुसूचित जाति)
पुत्र श्री बसन्तीराम सोलंकी, एम. काम.-II
ग्राम पोस्ट गणेश्वर ढाणी, जिला सीकर (उपस्थिति नहीं दी)

(2) श्री तोफूराम वर्मा (अनुसूचित जाति)
पुत्र श्री भूराराम, ग्रा. पो. करड वाया खाचरियावास, सीकर
एम. काम.-II

(3) श्री माणकचन्द अलाडिया (अनुसूचित जाति)
पुत्र श्री नाडूराम अलाडिया ग्रा. कन्दलाई
तह. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (बी. ए.-II)

(4) श्री चान्दमल (अनुसूचित जाति)
पुत्र श्री दुर्गाराम वाया जाजोड़ तहसील ग्रा. पो. सोना
श्रीमाधोपुर (सीकर) एम. काम.-II

### सीकर जिले के पंजीकृत आवेदकों की सूची

| | |
|---|---|
| कुल आवेदक | 33991 |
| अनुसूचित जाति | 4296 |
| अनुसूचित जनजाति | 475 |

## परिशिष्ट-11

### अतारांकित प्रश्न संख्या 186 की सूची

वर्ष 1988-89 में कोटा, बून्दी झालावाड़ जिलों में स्वीकृत किये गये औषधालयों की सूची

| क्र.सं. | स्थान औषधालय | जिला | चिकित्सा पद्धति |
|---|---|---|---|
| 1- | मुन्डवा | कोटा | आयुर्वेद |
| 2- | वसूलिया माताजी | " | " |
| 3- | कडैया नौहर | " | " |
| 4- | पीलाई कलां | " | " |
| 5- | कोटडी (गोवर्धनपुरा) कोटा | " | " |
| 6- | काचरी (अन्ता) | " | " |
| 7- | सीतापुरा | बून्दी | " |
| 8- | दुगारी | " | " |
| 9- | बसवाडा | " | " |
| 10- | गुढा | " | " |
| 11- | झालरापाटन | झालावाड़ | " |
| 12- | पारा पीपली | " | " |
| 13- | सुनेल | " | " |
| 14- | बनेट | " | " |
| 15- | कुंवरपुरा | " | होम्योपैथी |

नोट:-यूनानी चिकित्सा पद्धति का कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है।

## परिशिष्ट-12

### अतारांकित प्रश्न सं. 191 की सूची

बाडमेर जिले में घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में

परिशिष्ट "अ"

| क्र.सं. | नाम पता घोषित अपराधी मय थाना व जिला | नाम थाना जिसमें मतलूब है। | अपराध का विवरण जिसमें अपराधी घोषित हुआ। | घोषित अपराध होने के बाद दर्ज हुए अप. का विवरण | सम्पत्ति जो जब्त (कुर्क) की ता० | सम्पत्ति जब्त (कुर्क) की गई का विवरण | किस प्रकार सम्पत्ति जब्त (कुर्क) की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1– | श्री जयसिंह पुत्र रेवतसिंह निवासी तेजमालता थाना झिझनियाली, जैसलमेर, | शिव<br>,,<br>गिराब<br>,,<br>,,<br>विजराड<br>रामसर | 7-11/75 धारा 307<br>2-18/78 धारा 392<br>3-4/74 धारा 307<br>4-5/74 धारा 398<br>5-6/74 धारा 398<br>6-37/75 धारा 398<br>7-64/83 धारा 307 392 आई.पी.सी. | नहीं | 16.11.76 | घरेलू सामान, देगची, लोटा, सरवी, बोरा, 9 गाय एक गाय की बछडी दो बछडा | धारा 83 सी.आर.पी. सी. के कुर्की वारंट के अनुसार दि. 15.7.76 व 19.10.85 को कुर्क की गई। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2– | श्री स्वरूपशिंह पुत्र गोरधरसिंह राजपूत नि. बडईया | गिराव विजराड | 1-32/74 धारा 395, 398 ता. हि.<br>2-37/75 धारा 392 | नहीं | 21.7.76 | घरेलू सामान बाजरी ग्वार, रजाई वगैरह | धारा 83 सी.आर.पी.सी. के तहत कुर्क की गई । |
| 3– | श्री आईदानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत नि. सनावडा | सदर बाडमेर | 1-12/73 धारा 379 आई.पी.सी. | नहीं | – | कोई सम्मत्ति इसके नाम नहीं है । | धारा 82 सी.आर.पीं.सी. कार्यवाही दिनांक 31.12.73 को की गई |
| 4– | श्री भगवानसिंह पुत्र दलीपसिंह राजपूत नि. बेरसियाना | विजराड | 1-19/83 धारा 3/6 आई.पी.आर. | नहीं | – | कोई सम्पत्ति नही | धारा 82,83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही दि. 6.11.86 को की गई । |
| | | गढरारोड | 2-27/83 धारा 394 आई.पी.सी | | | | |
| 5– | श्री मानसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत नि. तेजमालता | रामसर | 1-64/83 धारा 394 307 आई.पी.सी. | नहीं | – | कोई सम्पत्ति इसके नाम नहीं है । | धारा 82, 83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही दि. 9.10.88 एवं 6.4 87 को हुई । |
| | | रामसर | 2,6/84 धारा 379 215 आई.पी.सी. | | | | |
| 6– | श्री झण्डसिंह पुत्र हाथी सिंह नि. साकंडा | रामसर | 1-64/83 धारा 394, 307 आई.पी.सी. | नहीं | – | ,, | धारा 82, 83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही दि. 9.10.85 को हुई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7– | श्री राजूडा पुत्र रूपा-राम मेघवाल नि. धूरढ़्या | बायलू<br>,, | 1-32/83 धारा 302 आई.पी.सी.सी. | नहीं | – | ,, | – |
| 8– | श्री जबरसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत नि. चोकडा | ,,<br>,,<br><br><br>बीजरा | 1-14/82 धारा 379<br>2-32/83 धारा 379 144 आई.पी.सी.<br>3-35/83 धारा 307<br>4-59/83 धारा 3/6 पी.पी.आर. एक्ट | नहीं | – | ,, | धारा 82, 83 की कार्यवाही दिनांक 29.3.83 व 6.11.86 को की गई । |
| 9– | की भेरसिंह पुत्र कलसिंह राजपूत नि. हड़वा | शिव<br>,,<br>,,<br>,, | 1-32/67 धारा 379<br>2-13/67 धारा 324<br>3-22/70 धारा 307 | नहीं | – | ,, | धारा 82, 83 सी.आर. पी.सी. की कार्यवाही दि. 21.8.67 को की गई । |
| 10– | श्री शैतानदान पुत्र मानदान चारण नि. भीयाडा | शिव | 1-38/79 धारा 147 447,325 आई.पी.सी. | नही | – | ,, | धारा 82, 83 की कार्यवाही की । |
| 11– | श्री मोकमसिंह पुत्र खण्ड सिंह राजपूत नि. मगरा | शिव<br>गिराव<br>गडरारोड | 1-34/82 धारा 379<br>2-27/83 धारा 392<br>3-17/82 धारा 325 आई. पी.सी. | नहीं | – | ,, | धारा 82 सी.आर.पी.सी. कार्यवाही दिनांक 15.4.83 को हुई । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12- | श्री शक्तिदान पुत्र दीद सिंह राजपूत नि. बीजावल | गिराव रामसर गडरारोड | 1-22/83 धारा 392,34 2-34/80 धारा 457,380 3-28/82 धारा 352 307 आई.पी.सी. | नहीं | – | ,, | ,, ,, 17.10.82 एवं 30.6.84 को हुई। |
| 13- | धमण्डा पुत्र चुतरा सुनार नि. पिपराडी | गुडामालानी | 1-25/75 धारा 302 | नहीं | – | ,, | ,, ,, 11.8.73 को हुई। |
| 14- | श्री इन्दरसिंह पुत्र भाखर सिंह राजपूत नि. चैतरोडी | बिजराड | 1-37/75 धारा 392 आई.पी.सी. | नहीं | 17.11.76 | ,, | ,, ,, 17.11.76 को हुई। |
| 15- | श्री जगदीश पुत्र किशन जटिया नि. बाडमेर | गडरारोट | 1-7/82 धारा 452 आई.पी.सी. | नहीं | – | ,, | ,, ,, 6.11.86 को हुई। |
| 16- | श्री जबरिया पुत्र लाधाराम मेहरा नि. मेहरों का चौक | बालोतरा | 1-2/62 धारा 302 आ.पी.सी. | नहीं | – | ,, | ,, ,, 7.9.62 को हुई। |
| 17- | श्री मोहनिया पुत्र सांवला दरोगा नि. वापली | बालोतरा | 1-52/75 380 आई.पी.सी. | नहीं | – | ,, | ,, ,, 2.8.76 को हुई। |
| 18- | श्री राधेश्याम पुत्र रूघा राम दरोगा नि. डीडवाना | बालोतरा | 1-81/78 धारा 438 आई.पी.सी. | नहीं | – | ,, | ,, ,, 20.2.79 को हुई। |

365

## परिशिष्ट-13

### अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची

### कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

राजस्थान राज्य सरकार, जयपुर दिनांक 5.9.56 क्रमांक डी/10503/एफ 1(क) (1) एलएचजी/55 के अन्तर्गत 25 कच्ची बस्तियां घोषित की गई है। यह कच्ची बस्तियां सन् 1971 के पूर्व की है।

1. मोहल्ला पंजाबगिरान
2. मोहल्ला घोसियान
3. मोहल्ला भूटान
4. मोहल्ला धावड़ियान
5. मोहल्ला बागवानान
6. रानीसर मालियान
7. मेघवालान रोशनीघर
8. हलाल खोरान
9. टिकलियान स्वामियान
10. जसोलाई मेघवालान
11. हरिजनान इस्ट ग्राफ भटिण्डा रेल्वे लाईन
12. मेघवालान ग्राउट साइड पाबूबारी
13. हरिजनान बड़ी गुवाड़
14. नायकान गजनेर रोड़
15. जस्सूसर बास मालियान और मेघवालान
16. नत्थूसर बास मालियान एवं भाटान
17. हरिजन ग्राउट साइड नत्थूसर गेट
18. नायकान गंगाशहर
19. हरिजनान ग्राउट साइड गोगा गेट
20. अमरसर बैल
21. रानी बाजार मालियान
22. मेघवालान अमरसिंहपुरा
23. नियर रेल्वे टैंक
24. रानीसर मालियान ग्राउट साइड सीतला गेट
25. नायकान हनुमान हत्था

## कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

न्यास द्वारा समय-समय पर घोषित कच्ची बस्तियां का विवरण निम्न है।
यह कच्ची बस्तियां सन् 1971 के बाद घोषित हुई है।

| क्रमांक | बस्ती का नाम | न्यास द्वारा घोषित दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | सादुलगंज | 17.10.74 |
| 2. | मोहल्ला पंचमुखा हनुमानजी | 22.12.75 |
| 3. | मोहल्ला गुजरान कब्रिस्तान | " |
| 4. | मुक्ताप्रसाद योजना (रामपुरा) | " |
| 5. | बंगला नं. 10 के पीछे | " |
| 6. | इण्डस्ट्रीयल एरिया | " |
| 7. | चोखटी सांसियान | " |
| 8. | कच्ची बस्ती इनसाइड मघाराम | " |
| 9. | जस्सूसर गेट बाहर | " |
| 10. | मोहल्ला हरिजन कोरियान | " |
| 11. | सर्वोदय बस्ती नरसिंहसागर | " |
| 12. | कमला कोलोनी | " |
| 13. | सुभाषपुरा | " |
| 14. | फतीपुरा मेघवालात | " |
| 15. | हमालों की बारी भादानियों की बगीची के बाहर | " |
| 16. | इन्द्रानगर कच्ची बस्ती | " |
| 17. | पाबूबारी प्रताप बस्ती हरिजन बस्ती | " |

### अघोषित बस्तियां

1. सागर रोड़
2. भाटों का बास
3. गुजरान का कब्रिस्तान के पूर्व में
4. कसाईयों की बारी बाहर खटीकान
5. गुजरान गोगागेट
6. गेरसरियान लाईन के पास
7. रोशनीघर चीलों के पास
8. रथखाना नाले के पास
9. बंगला नगर
10. आदेश कोलोनी

परिशिष्ट 'ख"

**कोलायत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**

| वर्ष | सड़क निर्माण | नाली/नाला निर्माण | बिजली व्यवस्था | पानी व्यवस्था | पार्क निर्माण | सौन्दर्यकरण व अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | 2,63,768 | 2,80,490 | 7,37,580 | 7,37580 | 2,86,351 | 34,821 |
| 1987-88 | 1,04,026 | 5,28,528 | 10,53,395 | 23,97,546 | 63,184 | 1,21,047 |
| 1988-89 | 2,28,022 | 9,88,979 | 8,21,128 | 46,380 | 53,154 | 43,417 |

**बीकानेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**

| वर्ष | सड़क निर्माण | नाली/नाला निर्माण | बिजली व्यवस्था | पानी व्यवस्था | पार्क निर्माण | सौन्दर्यकरण व अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | 1,22,160 | 92,867 | — | — | — | — |
| 1987-88 | 1,13,773 | 1,62,146 | — | — | 33,256 | 2,283 |
| 1988-89 | 2,99,511 | 2,80,641 | 28,170 | — | — | 1,700 |

## परिशिष्ट-14

### अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम | अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्वीकृत पद | | | कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या | | | रिक्त पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य | ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत | योग | सामान्य | ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत | योग | सामान्य | ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1– | खण्डेला | 241 | 44 | 285 | 233 | – | 233 | 8 | 44 | 52 |
| 2– | नीमकाथाना | 355 | 70 | 425 | 338 | 53 | 391 | 17 | 17 | 34 |
| 3– | फतेहपुर | 187 | – | 187 | 186 | – | 186 | 1 | – | 1 |
| 4– | दांतारामगढ़ | 377 | 84 | 461 | 341 | 37 | 378 | 36 | 47 | 83 |
| 5– | श्रीमाधोपुर | 217 | – | 217 | 197 | – | 197 | 20 | – | 20 |
| 6– | दीगोद | 236 | – | 236 | 236 | – | 236 | – | – | – |
| 7– | लक्ष्मणगढ़ | 214 | – | 214 | 207 | – | 207 | 7 | – | 7 |
| 8– | पीपराली | 251 | – | 251 | 234 | – | 234 | 17 | – | 17 |
| | योग :– | 2078 | 196 | 2276 | 1972 | 90 | 2062 | 106 | 108 | 214 |

369